पंचदश माला, खंड 21, अंक 18

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2011
28 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 84
Dated. 29 April 2014

सत्यमेव जयते

(खण्ड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव कुमार शर्मा
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

' 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 21, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 18, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2011/28 अग्रहायण, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
गोवा राज्य तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती	1-8
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 345	8-30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न सं. 346 से 360	30-106
अतारांकित प्रश्न संख्या 3911 से 4140	106-533
सभा पटल पर रखे गए पत्र	533-557
राज्य सभा से संदेश	557-558
लोक सभा समिति	
40वें से 46वां प्रतिवेदन	558-559
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
पांचवा प्रतिवेदन	559
कृषि संबंधी समिति	
27वां प्रतिवेदन	560
कार्य मंत्रणा समिति	
32वां प्रतिवेदन	560
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) (क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 97वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	560
(ख) हथकरघा क्षेत्र के लिए व्यापक पैकेज	
श्री आनन्द शर्मा	560-563
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2011	563
मंत्री का परिचय	564

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	566
रूस में भगवद्गीता पर कथित प्रतिबंध और रूस में हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में	566
नियम 377 के अधीन मामले	572
(एक) लक्षद्वीप में अगत्ती विमानपत्तन पर रनवे के विस्तार हेतु समुद्री भूमि के प्रस्तावित सुधार के कारण पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन में तेजी लाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निदेश दिए जाने की आवश्यकता	
श्री हमदुल्लाह सईद	572
(दो) उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री कमल किशोर 'कमांडो'	573
(तीन) कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित केंगरी-कनपुरा-चामराजनगर रेल लाइन परियोजना को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
श्री आर. ध्रुवनारायण	573
(चार) केन्द्र सरकार की सेवाओं में मुसलमानों को नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता	
श्री पन्ना लाल पुनिया	574
(पांच) देश में किसानों की समस्याओं के निवारण हेतु राष्ट्रीय कृषक अधिकार आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रदीप मांझी	574-575
(छह) राजस्थान के करौली-धौलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल-विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि के इतर प्रयोग हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	575
(सात) मध्य प्रदेश के खरगौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री मकनसिंह सोलंकी	575
(आठ) 1947 के विभाजन के पश्चात् भारत में शरण लेने वाले हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	576-577
(नौ) धोखेबाज ट्रेवल एजेंटों के झांसे में आने के बाद विदेशों में बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करने के लिए बाध्य निर्दोष श्रमिकों की वापसी सुनिश्चित करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	577

विषय	कॉलम
(दस) किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने तथा उसकी आपूर्ति और वितरण में विषमता दूर करने की आवश्यकता	
श्रीमती ऊषा वर्मा	577
(ग्यारह) देश के किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री भीष्मशंकर उर्फ कुशल तिवारी	578
(बारह) बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री विश्व मोहन कुमार	578-579
(तेरह) उड़ीसा के क्योंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कालीमाटी- कनकाडाहाड मार्ग (बसपाल-बमेबारी-तेलबोई से होकर) को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिणत किए जाने की आवश्यकता	
श्री यशवंत लागुरी	579
(चौदह) भारत के महान वैज्ञानिक श्री पी.सी.रे के नाम पर कोलकाता में राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. तरूण मंडल	579-580
चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2011	580
विचार करने के लिए प्रस्ताव	580
खंड 2,3 और 1	581
पारित करने के लिए प्रस्ताव	581
लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विधेयक, 2011	582
विचार करने के लिए प्रस्ताव	582
खंड 2 से 8 और 1	582
पारित करने के लिए प्रस्ताव	583
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011	583
विचार करने के लिए प्रस्ताव	583
खंड 2 और 1	584
पारित करने के लिए प्रस्ताव	584
कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2011	584
विचार करने के लिए प्रस्ताव	585
खंड 2,3 और 1	585
पारित करने के लिए प्रस्ताव	585

विषय	कॉलम

नियम 193 के अधीन चर्चा 593

गंगा नदी तथा हिमालय के निर्मम दोहन के कारण उनके अस्तित्व को खतरा 593

श्री रेवती रमण सिंह 593-597

श्री सतपाल महाराज 598-601

श्री हुक्मदेव नारायण यादव 601-606

डॉ. बलीराम 606-607

श्री शरद यादव 608-611

शेख सैदुल हक 611-614

श्री लालू प्रसाद 614-617

श्री शिवासामी 617-619

डॉ. किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी 619-620

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 620

श्री पी. लिंगम 620-623

श्री थोल तिरूमावलावन 623-625

श्री अर्जुन राम मेघवाल 626

श्री ए.टी. नाना पाटील 626-627

श्री रमाशंकर राजभर 627-628

श्री संजय धोत्रे 628

श्रीमती अन्नू टन्डन 628-631

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय 631

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 631-632

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 632-634

श्री गोरखनाथ पाण्डेय 634-637

श्री भर्तृहरि महताब 637-639

श्री पी.टी. थामस 639-640

श्री कपिल मुनि करवारिया 640

श्री जगदम्बिका पाल 641-642

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 642-643

विषय **कॉलम**

श्री सुशील कुमार सिंह 643-646

श्री हंसराज गं. अहीर 646-648

डॉ. तरूण मंडल 649

श्री प्रेम दास राय 650-651

श्री प्रदीप टम्टा 651-652

श्री गणेश सिंह 653

श्री रतन सिंह 654-655

श्रीमती जयंती नटराजन 655-670

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 685-686

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 686-696

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 697-698

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 697-698

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2011/28 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन* हुईं]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

[अनुवाद]

गोवा राज्य तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्य गण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गोवा राज्य और दमण और दीव संघ/राज्य क्षेत्र की मुक्ति की स्वर्ण-जयंती है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 19 दिसंबर, 1961 को गोवा, दमण और दीव को पुर्तगाली शासन की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए आपरेशन विजय शुरू किया था।

यह सभा गोवा, दमण और दीव के लेगों को उनकी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे करने के अवसर पर बधाई देती है और समृद्धि और सर्वोगीण विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती है।

इस अवसर पर हम इन वीर स्वतंत्रता-सेनानियों और सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना जीवन अर्पण किया।

अब सदस्यगण इस अवसर के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण गोवा): महोदया मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

आज, मैं गोवा की मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सभी गोवावासियों की ओर से देश को धन्यवाद देता हूं। खड़ा हो रहा हूं, गोवावासी त्रिस्ताओं ब्रिगौन्जा दा कुन्हा, जिन्हें गोवा स्वतंत्रता आंदोलन का पिता माना जाता है, से लेकर उन सभी लोगों के ऋणी हैं जिन्होंने पुर्तगाल के औपनिवेशिक राज से इस राज्य को मुक्त कराने के लिए अपना जीवन बलिदान किया।

पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक राज्य किया और अंततः 19 दिसंबर, 1961 को इसे मुक्त कराया गया। 19 दिसंबर, 1961 को भारतीय सैनिक गोवा, दमण और दीव में प्रवेश कर गए और 48 घंटों में सभी क्षेत्रों को मुक्त करा लिया। इसमें कई व्यकित मारे गए और इस अभियान को ऑपरेशन विजय कहा गया। 17 दिसंबर 2011 को गोवा राज्य ने वहां सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर यू.पी.ए. अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी और रक्षा मंत्री श्री एंटनी जी की वहां उपस्थित पर हमे गर्व महसूस हुआ।

ऑपरेशन विजय को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का वरदहस्त प्राप्त था। ऑपरेशन विजय को गोवा के सभी लोगों ने पूर्ण समर्थन दिया और उसका स्वागत किया था। इस ऐतिहासिक दिवस पर, हम न केवल अपनी स्वतंत्रता मानाते हैं बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों को उनकी साहसिक उपलब्धि के लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद से हमने काफी प्रगति की है।

गोवा अब आर्थिक और सामाजिक रूप से एक उन्नत राज्य है जहां की प्रति व्यक्ति आय सभी भारतीय राज्यों में सर्वाधिक है और जहां सामाजिक-आर्थिक सूचक राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक हैं। केंद्रीय उत्पाद, आम कर, सीमा शुल्क के संग्रहण और पर्यटन और खनिजों के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रार्जन के माध्यम से यह राज्य केन्द्रीय कोष में अत्यधिक योगदान करता है।

समृद्धि की ओर बढ़ने में राज्य को प्राप्त हुई सभी प्रकार की सहायता और समर्थन के लिए गोवा के लोग केंद्रीय सरकार के आभारी हैं। यदि पूरा देश राज्य की मुक्ति की स्वर्ण जयंती और पिछले 50 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने में हमारे साथ शामिल हो तो हमारे राज्य को अत्यधिक गर्व होगा।

[हिन्दी]

श्रीपाद येसो नाईक (गोवा): अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज हमारे गोवा के एक और स्वतंत्रता सेनानी डा. टी.बी. कुन्हा जी के चित्र का सेन्ट्रल हॉल में अनावरण किया है। यह गोवा के लोगों के लिए बड़े सम्मान की

बात है कि ऐसे एक सेनानी जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर, गोवा को स्वतंत्र करने में अपनी भूमिका अदा की है। गोवा आज अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। डॉ. टी.बी. कुन्हा जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपार कष्ट सह कर गोवा को 1961 में स्वतंत्रता दिलाई है। आधुनिक भारत के यशस्वी सपूत डॉ.टी.बी. कुन्हा गोवा के जनक के रूप में माने जाते हैं और ऐसे ही उन्होंने सम्मान प्राप्त किया था। डॉ. टी.बी. कुन्हा एक दूरदृष्टा राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। पूर्तगिजों ने 450 साल तक गोवा के ऊपर राज्य चलाया। उन्होंने बहुत प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया। उन्होंने गोवा को स्वतंत्रता दिलाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।

महोदया, गोवा इस देश का एक छोटा-सा भाग है। जब तक गोवा की स्वतंत्रता पूरी नहीं होगी तब देश की स्वतंत्रता पूरी हो पाएगी इसी विचार से उन्होंने लगातार गोवा की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। एक स्मरणीय बात यह है कि गोवा जैसे देश के छोटे-से भूभाग ने ऐसे पुरुषों और महिलाओं को जन्म दिया उनकी संख्या अपेक्षा से काफी ज्यादा है। उन्होंने इस लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर किया। इन्हीं लोगों में टी. बी. कुन्हा जैसा एक नाम है जिन्होंने ऑपरेशन विजय में अपने प्राण न्यौछावर किए और राजकीय नेताओं ने स्वतंत्रता दिलाने में जो योगदान दिया है उन सभी का मैं इस शुभ अवसर पर धन्यवाद करता हूं।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना दो शब्द पूरा करता हूं-भारत माता की जय।

[अनुवाद]

वित्तमंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदया, मैं स्वयं को आपके तथा अन्य अपने प्रतिष्ठित सहयोगियों से, जिन्होंने गोवा के वीर स्वतंत्रता-सेनानियों का अभिवादन किया है, के साथ संबद्ध करता हूं। अपनी युवा वस्था के दौरान मुझे याद है कि गोवा को औपनिवेशिक शासन की गुलामी से मुक्त कराने के लिए हमें 1947 से 1961 तक 14 वर्ष इंतजार करना पड़ा था। देश जब स्वतंत्र हो गया, तब भी उसके कुछ भाग विभिन्न औपनिवेशिक शासकों कें अधीन थे। जैसे कि चंदन नगर, पांडिचेरी सहित कुछ भाग फ्रेंच आधिपत्य के अधीन थे, इसी प्रकार, गोवा दमण और दीव पुर्तगालियों के नियंत्रणाधीन थे। फ्रांस की सरकार से बातचीत के माध्यम से इन विदेशी अन्तः क्षेत्रों को मुक्त करा लिया गया, लेकिन, गोवा के लिए न केवल गोवा के लोगों, बल्कि देश के अन्य भागों के लोगों को भी इसकी मुक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ा।

मुझे इसी सभा के दो अत्यधिक प्रतिष्ठित सदस्यों की याद है- प्रो-देशपांडे और श्री त्रिदिव चौधरी, जिन्होंने गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह किया और शासन के दौरान त्रिदिव बाबू ने गोवा के अग्वा डॉ. फोर्ट जेल में लगभग ढाई वर्ष गुजारे।

गोवा के असंख्य लोगों ने और देश के मुख्य भूभाग के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों ने गोवा की मुक्ति के लिए संघर्ष किया और अंततः 19 दिसंबर, 1961 को गोवा लोगों को मुक्ति प्राप्त हुई तथा भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया पूर्ण हुई। मैं इस अवसर पर उन महान वीरों का अभिवादन करता हूं और मुझे यह मौका देने के लिए अध्यक्ष महोदया आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष जी, 19 दिसम्बर का दिन हम गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। आज से पचास वर्ष पहले 19 दिसम्बर, 1961 को गोवा स्वतंत्र हुआ। अगर मैं यह कहूं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कम महत्व इस आंदोलन का नहीं है, तो गलत नहीं होगा। अभी याद कर रहे थे प्रणव दा, क्योंकि केवल गोवा के लोगों ने नहीं, बल्कि देश के अन्य भागों से लोगों ने जाकर इसका नेतृत्व किया था। उस समय भारतीय जनसंघ से श्री जगन्नाथ राव जोशी और समाजवादी पार्टी से श्री मधु लिमये उसमें गए थे। भाई शरद यादव यहां बैठे हैं, जो इसके साक्षी हैं कि जमना प्रसाद शास्त्री जी, जो समाजवादी नेता थे, उनकी आंखें उस आंदोलन में चली गई थीं और वे नेत्रहीन हो गए थे। उसके बाद लगभग 30 वर्ष की जिंदगी उन्होंने नेत्रहीन होकर गुजारी थी। वे इस सदन के सदस्य भी थे। लेकिन आज के दिन एक तो मैं भारत सरकार को धन्यवाद करना चाहूंगी कि गोवा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों को स्वतंत्रता सैनिक करार दिया गया और उन्हें उसी तरह सैनिक सम्मान पैंशन दी गई, जिस तरह 1947 के सैनिकों को दी गई। लेकिन मेरे नोटिस में एक केस है जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगी। प्रणब दा, नेता सदन यहां बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के नौ लोगों ने गोवा मुक्ति संग्राम में भाग लिया था। उन लोगों को आज तक वह पैंशन नहीं मिली। पुराने दस वर्षो से मैं वह फाइल लिए-लिए घूम रहीं हूं। मैंने अलग-अलग गृह मंत्रियों को यह बात कही है। उसमें एक पेच था कि राज्य सरकार यह लिखकर दे कि वे वाकई वहां गए थे। फारूख अब्दुल्ला जी की सरकार ने लिखकर भी दे दिया कि वे वहां गए थे। वे नौ लोग हैं जो बहुत बूढ़े हो गए हैं। अब उनमें से एक की मृत्यु हो गई है और अभी आठ बचे हैं। उनके लिए थोड़ा सा पैसा शायद महत्व नहीं रखता, लेकिन यह रिकॉगनिशन, मान्यता कि हां, वे वाकई गोवा मुक्ति संग्राम में गए थे, मैं चाहूंगी यदि प्रणब दा उस फाइल को निकलवा लें

और मरने से पहले उन लोगों को यह मान्यता मिल जाए तो आज यह पचासवां वर्ष मनाना उनके लिए बहुत बड़ी सार्थकता होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज उन तमाम सैनिकों को मैं संसद के इस मंच पर खड़े होकर श्रद्धावनत प्रणाम करना चाहती हूं जिन्होंने गोवा को मुक्ति दिलाई और हमें गोवा मुक्ति दिवस मनाने का एक मौका दिया। धन्यवाद।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, अभी गोवा के माननीय सदस्यों, नेता सदन और नेता, विपक्ष ने अपनी बात रखी। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। मेरा भावनात्मक संबंध इसलिए भी है कि गोवा को आजाद कराने में डा. राम मनोहर लोहिया ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब जाकर गोवा आजाद हुआ। इसलिए माननीय सदस्यों, नेता, सदन और नेता, विपक्ष ने जो कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि उन्हें पैंशन देनी चाहिए। उन्हें और भी सुविधा देनी हो, वह देनी चाहिए। यह मामूली लड़ाई नहीं थी। हिन्दुस्तान पहले आजाद हो चुका था। वह 1961 में आजाद हुआ। इसलिए उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों को महत्व देना जरूरी है। मैं सुझाव ही दे सकता हूं सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं सरकार बताए कि महत्वपूर्ण वाले भूमिका निभाने वाले लोगों को क्या सम्मान दिया जा रहा है?

[अनुवाद]

डॉ. एम तम्बिदुरई (करूर): अध्यक्ष महोदया, गोवा हमारे देश का एक बहुत ही सुन्दर राज्य है गोवा की आजादी के लिए कई लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आज बहुत ही शुभ दिन है। मैं इस अवसर पर गोवा की जनता को बधाई देता हूं तथा अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए उनकी प्रशंसा भी करता हूं। साथ ही जैसा कि आपने पहले ही उल्लेख किया है कि हम लोग गोवा मुक्ति संग्राम में अपना जीवन न्यौछावर करने वाले शहीदों को आदर और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

डॉ. रामचन्द्र डोम (बोलपुर): अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद गोवा मुक्ति आन्दोलन की 50वी वर्षगांठ के पावन अवसर पर अपनी पार्टी भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की ओर से मैं गोवा के मुक्ति आदोलन के नायकों का हार्दिक नमन करता हूं। और गोवा की जनता को बधाई देता हूं। वे हमारे देश के अभिन्न अंग है और मुझे आशा है कि वे भविष्य में उन्नति करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं इस मामले में नेता सदन, विरोधी दल की नेता और अन्य लोगों के साथ अपने को शरीक करता हूं। आज गोवा की आजादी का दिन है इसलिए जश्न भी है। लेकिन पहले सत्याग्रही डॉ. लोहिया थे। प्रणब बाबू के ध्यान में इस बात का कहीं जिक्र नहीं मैं मानता हूं कि इस देश में डॉ. लोहीया का इस तरह से अभिनंदन करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन उनके जैसे लोगों का अभिनंदन हो गया, तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। वे बड़े आदमी हैं। गोवा के लिए श्री जगन्नाथ जोशी, मधु लिमये जी और दोनों इमर्जेंसी में डेढ़ साल साथ-साथ रहे। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः मधु लिमये जी को 12 साल की सजा हुई थी। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (सारण): उन्हें जो घायल किया गया था, चोट पहुंचाई गयी थी, तो उनका सबसे ज्यादा इलाज और सबसे ज्यादा चिंता हम लोग किया करते थे। उनकी पसलियां टूट गयी थीं और वे दमा के मरीज थे। वे 12 साल जेल में रहे। मैं गोवा की इस आजादी के लिए अपनी खुशी जाहिर करता हूं। लेकिन इतिहास में काटना, छांटना ठीक बात नहीं है, मेरी विनती है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, आज हम लोग उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं जिन्होने 50 वर्ष पूर्व गोवा की आजादी के लिए महान संघर्ष किया। वहां संघर्ष 15 से भी अधिक वर्षों तक चला। यह 1947 में शुरू नहीं हुआ था वरना इससे कई वर्ष पहले शुरू हुआ था। इतिहास के विद्यार्थी होने के नोट मुझे याद है कि यह संघर्ष 100 से भी ज्यादा वर्षों तक चला। यह संघर्ष आजादी के लिए था। स्वतंत्रता के लिए था।

गोवा भी मेरी पहली यात्रा का उद्देश्य वहां की प्राकृतिक सुन्दरता को निहारना नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी संगठन के सम्मेलन में भाग लेता था। मैंने कई स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से मिला और आज भी गोवा में ऐसे अनेक परिवार हैं जो कष्टों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकार उन परिवारों को जो सहायता प्रदान कर रही है वह वास्तव में बड़ी बात है, लेकिन अनेक बच्चे अभी भी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तब मैं माननीय वित्त मंत्री और सदन के नेता से अनुरोध करता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों के गरीब और निराश्रित बच्चों के लिए पर्याप्त भार उठाया जाए। यह स्वंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए सच्ची सेवा होगी।

इन्ही शब्दों के साथ मैं गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों के समक्ष अपनी शीश झुकाता हूं।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, आज गोवा जिसकी चर्चा हो रही है, वह देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया में खूबसूरती के मामले में जाना जाता है। इस देश की आजादी के काफी दिनों बाद गोवा का पुर्तगालियों से आजाद कराने में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद।

श्री लालू प्रसादः मैडम, गोवा मुक्ति संग्राम में जिन महान विभूतियों ने हिस्सा लिया था, उनमें डा. राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये और मेरे इलाके के सरयू राय जी आज भी जीवित हैं। जिन महान विभूतियों ने हिस्सा लिया, गोवा को मुक्त कराया, उनको हम आज याद करते हैं। आपने अच्छा काम किया। एक तरफ जहां गोवा तरक्की की तरफ अग्रसर है, हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से उन तमाम वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): महोदया, मुझे खुशी है और आज मैं गोवा के सभी वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। गोवा और महाराष्ट्र का बहुत नजदीकी नाता है, मधु दण्डवते जी, मधु लिमये जैसे लोगों ने गोवा को आजाद कराने में कामयाबी पाई है। मैं एनसीपी पार्टी की ओर से आज के अवसर पर धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली): धन्यवाद महोदया, इस अवसर पर मैं गोवा की जनता को बधाई देता हूं हम लोग सभा में पूर्व संसद सदस्य श्री त्रिदिब चौधरी गोवा में आपरेशन विजय चलाने वाले जनरल चौधरी को भी बधाई देते हैं।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर): महोदया, हम लोग इस महान अवसर पर गोवा की जनता को बधाई देते हैं। डी.एम.के. के संस्थापक नेता डॉ. सी.एन. अन्नादुरई के साथ हमारा संबंध रहा है जिन्हें प्यार से अन्ना बुलाया जाता था। जब वह अमरीका गये तो वहां से आते हुए उन्होंने वेरिहन सीटी गए और गोवा की आजादी के तीन वर्ष बाद भी पुर्तगाल की जेल में बंद श्रीमान रानाडे की रिहाई के लिए पोप से मिले थे। पोप के साथ मुलाकात के बाद उनके हस्तक्षेप से श्रीमान रानाडे की रिहाई हुई यहां भी गोवा के साथ डी.एम.के. का संबंध है। हमे डॉ. राम मनोहर लेहिया जैसे नेताओं का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने गोवा की मुक्ति के लिए मार्च निकाला था। मैं गोवा की जनता को पुनः साथ ही हम लोग गोवा की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं का भी सम्मान करते हैं।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): महोदया, आज गोवा मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर गोवा के दोनों प्रतिनिधियों, हमारे साथीगण, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और सभी पार्टियों के लीडर्स ने जो भावना रखी है, उसके साथ जुड़ते हुए मैं, अपनी पार्टी की ओर से, मुक्ति संग्राम में शहीद होने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.22 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदयाः अब प्रश्न काल होगा।

प्रश्न संख्या 341, श्री सी.एम. चांग

[अनुवाद]

बाल श्रम

+
***341. श्री सी. एम. चांगः**
श्री पी. कुमारः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बाल श्रम के विरूद्ध कानून होने के बावजूद देश में बाल मजदूरों की संख्या में अब भी लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इसकी राज्य-वार एवं वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश से बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है/तैयार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान तथा बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के शिक्षा के अधिकार के उपबंध सहित उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 5-14 वर्ष के आयु वर्ग वाले कामकाजी बच्चों की संख्या 1.26 करोड़ थी। वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, कामकाजी बच्चों की संख्या 90.75 लाख होने का अनुमान था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण 2009-10 के अनुसार, कामकाजी बच्चों की संख्या 49.84 लाख आंकी की गई है जो घटती प्रवृत्ति दर्शाति है।

(ग) और (घ) बाल श्रम एक जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्या है, जिसके संबंध में दीर्घकाल तक निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस समस्या की प्रकृति और व्यापकता को ध्यान रखते हुए, सरकार सर्वप्रथम जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों को शामिल करके एक अनुक्रमिक दृष्टिकोण अपना रही है। बाल श्रम नीति के अंतर्गत, भारत सरकार निम्नलिखित तीन प्रमुख तत्वों के साथ एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाती है:

(i) कानूनी कार्रवाई योजना;

(ii) बाल श्रमिकों के परिवारों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना; और

(iii) बाल श्रम की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना-आधारित कार्रवाई।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है और उन व्यवसायों/प्रक्रियाओं जिनमें उनका कार्य प्रतिषिद्ध नहीं है, में उनकी कार्य-दशाएं विनियमित करता है।

(ङ) सरकार कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना(एनसीएलपी) कार्यान्वित कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत, कार्य से हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में दाखिला दिलाया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल करने से पूर्व ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, छात्रवृत्ति स्वास्थ्य देख-रेख इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट ्रीय स्वास्थ्य देख-रेख इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के प्रारम्भ से अब तक इसके अंतर्गत 8.52 लाख बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल किया गया है और वर्तमान में 3.2 लाख बच्चे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना वाले स्कूलों में दाखिला कराये गए हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार घोषित कर दिया गया है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत, 6-14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। जनगणना और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकणों से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार की योजनाएं देश में बाल श्रमिकों की संख्या में कमी लाने में प्रभावी रही हैं।

श्री सी.एम. चांगः अध्यक्ष महोदया, मेरा अनुपूरक प्रश्न मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों में खानों से संबंधित है। विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और मीडिया रिपोर्टों ने अनुमान लगाया है कि इन पहाड़ियों की कोयला खानों में लगभग 70,000 बच्चे काम कर रहे हैं। ये मुख्यतः असत, बिहार झारखंड और यहां तक कि नेपाल और बांग्लादेश से आए हैं इन बच्चों को न्यूनतम मजदूरी दी जाती है और ये अत्यधिक खतरनाक परिस्थितियों में कार्य करते हैं जिससे न केवल शारीरिक क्षति होती है। लम्बे समय तक मानसिक रूप से भी प्रभावित होते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास खानों में कार्यरत श्रमिकों की विशिष्ट स्थिति का सामना करने के लिए और इनके पुनर्वास हेतु कोई निश्चित कार्यनीति है क्योंकि समूचे देश में प्रयुक्त एक समान नीति से समस्याओं का समाधान प्रभावी रूप से प्रतीत नहीं हो रहा है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः अध्यक्ष महोदया, खानों और खतरनाक स्थानों में बाल श्रम प्रतिबंधित है तथा खतरनाक और खनन क्षेत्रों में केवल वही कार्य कर सकते हैं जिनकी आय 14 वर्ष से अधिक है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष कोयला खनन क्षेत्र में बाल श्रम का कोई विशिष्ट मामला प्रकाश में ला सकें या लिखित में हमें इसका ब्यौरा दे सकें तो में संबंधित प्राधिकारी से उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए कहूंगा। हम पहले ही एक केन्द्रीय दल भेज चुके हैं, जिसने मेघालय में बड़े स्तर पर किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं पाया है। हमने इसके बारे में पूछताछ के लिए पुनः एक दल भेज रहे हैं। यदि माननीय सदस्य के पास कोई अतिरिक्त सूचना है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह यह सूचना मुझे दे ताकि मैं इसकी जांच के लिए एक केन्द्रीय दल भेज सकूं।

श्री सी.एम. चांगः अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय संख्या 182 निम्नतम प्रकृति का बाल श्रम, 1999 से संबंधित है वर्ष 2011 लगभग समाप्त होने वाला है। फिर भी सरकार की ओर से इस संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया है कि अभी तक इस अभिसमय की पुष्टि क्यों नहीं की है। क्या मंत्रीजी इसके कारण स्पष्ट कर सकते हैं। क्या यह अभिसमय भारत के हित में नहीं है?

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः हम भी उतने ही चिन्तित हैं जितने कि माननीय हैं।

अध्यक्ष महोदया, आई एल ओ अभिसमय संख्या 182 के अनुसार 'बाल' शब्द 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होगा। यहां, हमारे संविधान में, यहां तक कि अनिवार्य शिक्षा और बल श्रम अधिनियम में भी या विभिन्न श्रम अधिनियमों में आयु सीमा 14 वर्ष है। इस अभिसमय की पुष्टि के लिए हमें न केवल सभी राज्यों से परामर्श करना होगा बल्कि हमें यह भी देखना है कि इस देश की समग्र अर्थव्यवस्था में इसके क्या व्यापक परिणाम होंगे। वर्तमान में हम 14 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों का प्रतिषेध करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। कि हम उनका कैसे कर सकते हैं, हम सभी सचिवालयों और संबंधित मंत्रालयों से परामर्श कर रहे हैं। जैसे ही हमें इस बारे में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त होगी इसपर पृथक रूप से विचार किया जा सकता है। इस समय हमने इस अभिसमय की पुष्टि नहीं की है। हम कुछ क्षेत्रों विशेषकर खनन, खतरनाक कार्यो विस्फोटक कार्य और इसी प्रकार की व्यवसायों में सुधार करने का प्रयास करेंगे।

श्री पी. कुमारः तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुराची थलाती अम्मा ने अपनी दूरदृष्टि और मिशन से तमिलनाडु में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 हेतु नियम बनाए गए थे, बाल श्रम हेतु एक राज्य सलाहकार बोर्ड गठित किया गया था। प्रवर्तन मशीनरी तैयार की गई तथा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया था और नौ जिलों में बाल श्रम परियोजनाएं प्रारंभ की गई थीं। बच्चों को खतरनाक संस्थापनाओं से निकाला गया था और विशेष स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया था और औपचारिक स्कूलों की मुख्यधारा में लाया गया था। राष्ट्रीय बाल श्रम को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय भी प्रारंभ किए हैं।

इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वे श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सम्मिलित करते हुए बाल श्रम को रोकने के लिए संयुक्त कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः भारत सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं तथा एन एल सी पी और अन्य उपायों के माध्यम से सहायता दी जा रही है। माननीय सदस्य ने स्वयं ही ये सब बातें कही हैं।

मैं तमिलनाडु सरकार का आभारी हूं और वहां चाहे कोई भी सरकार हो, उन्होंने बाल श्रम परियोजनाओं में रूचि ली है। माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिए हैं, और हम अपनी वर्तमान परियोजनाओं ने उन पर विचार करने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जयंत गंगाराम आवलेः अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री से यह जानना चहता हूं कि क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में बाल भवन स्थापित करने का प्रस्ताव केंन्द्र को प्राप्त हुआ है, अगर हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? इसके साथ हीं मैं यह भी जनना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जिन बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया, जिन्होंने इन बालकों को मजदूरी पर रखा था। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः महाराष्ट्र के किसी स्पेसिफिक जिले में या किसी तालुका में ऐसी समस्या है तो उसे हल करने के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। अभी महाराष्ट्र के 15 जिलों शोलापुर, ठाणै, सांगली, जलगांव, नदूरबार, नांदेड़, नासिक, यवतमाल, धूले, बीड, अमरावती, जालना, औरंगाबाद, गोंदिया और मुम्बई सबअर्बन में चल रहें हैं। यहां पर अभी एनसीएलपी के स्कूल्स चल रहे हैं और जो बच्चे हैजार्डस वर्क में काम करते हैं उन्हें छुड़ाकर इन स्कूल्स में लाया जा रहा है। अगर किसी एरिया में ऐसे स्कूल्स नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य बताएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि वहां पर भी ऐसे स्कूल्स खोले जाएं।

श्री तूफानी सरोजः महोदया, सरकार ने बाल-मजदूरी रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कानून बनाया है और लम्बे अर्से से बाल-मजदूरी रोकने का दावा कर रही है, लेकिन आज भी बाल-मजदूरी की समस्या जस की तस बरकरार है। राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जाता है और इस अभियान में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं भी शामिल होती हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या गैर-सरकारी संगठन भी इस कार्य में लगे हुए हैं और राष्ट्रसंघ और सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को क्या धनराशि दी जाती है और कितने संगठन हैं जो बाल-मजदूरी मुक्ति में लगे हुए हैं?

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः हमारे पास एनजीओज के पूरे आंकड़े नहीं हैं फिर भी में आपको उन आंकड़ों को भेजूंगा और एनजीओज हैं, उन्हें 75 परसेंट, 25 परसेंट रेशो के तहत धनराशि दी जाती है और उस धनराशि के तहत वहां पर चाइल्ड लेबर इर्रेडिकेशन का काम करने के लिए, स्कूल चलाने के लिए दिया जाता है। दूसरी जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे कम्प्लसरी एजुकेशन, राइट हो, चाहे मनरेगा कार्यक्रम हो, मिड-डे मील हों, एनसीडीसी के प्रोग्राम्स हैं, ये सारे प्रोग्राम्स इंक्लूसिव रहने की वजह से, इन-टोटेलिटी सपोर्ट करते हैं चाइल्ड- लेबर को एबोलिश करने के लिए।

मैडम आपको याद होगा कि आपने 25 साल पहले इसी महीने में जब माननीय संगमा जी ने चाइल्ड-लेबर का यह बिल पेश किया

था, उस वक्त आपने भी यहीं बात कहीं थी कि कम्प्लसरी एजुकेशन होना चाहिए और आज यह मंशा पूरी हो गयी है। यूपिए गवर्नमेंट राइट-एजुकेशन लाकर उसके लिए कम से कम 40,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इससे बहुत फायदा होगा और बच्चों को अच्छी तालिम मिलेगी। पैरेन्टस को भी मनरेगा में काम मिल रहा है और दूसरी योजनाएं भी सपोर्टिव हैं, उनसे उनकी इन्कम बढ़ेगी और उनका मन भी बच्चों को स्कूलों में भेजने का करेगा। इसीलिए ये सारे प्रोग्राम सपोर्टिव रहने की वजह से मैं समझता हूं कि यह जो समस्या चाइल्ड लेबर की है यह जल्दी खत्म हो जाएगी।

श्रीमती मीना सिंहः अध्यक्ष महोदया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की है। मैडम, जब से मैं इस सदन की सदस्य निर्वाचित होकर आई हूं तब से सदन के प्रत्येक सदन में बच्चों और महिलाओं से संबंधित सवाल प्रमुखता से उठाने का प्रयास करती रहीं हूं, परन्तु अफसोस है कि हर बार माननीय मंत्री जी का वही रटा-रटाया जवाब, आंकड़ो का जाल मिलता है जो सच्चाई से बिल्कुल परे है। मैंने विगत सत्र में बाल-श्रमिकों से संबंधित सवाल किया था और मंत्री जी का जवाब लगभग आज जैसा ही था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बाल-श्रमिकों की संख्या घट रही है। परन्तु आज सच्चाई यह है कि रेड-लाइट्स पर भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या, बीड़ी बनाने वाले, कबाड़ का काम करने वाले, घरों में काम करने वाले बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। कभी-कभी हमें निराशा होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित हमारा प्रश्न पूछना तथा मंत्री जी का जवाब देना कहीं सिर्फ रस्म अदायगी ही तो रही है, क्योंकि देश में कोई सुधार होता दिखाई नहीं देता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या इन्होंने कोई समय सीमा तय कि है कि कब तक हमारा देश बाल श्रम एवं बच्चों के प्रति अपराध से मुक्त हो पाएगा?

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः महोदया, मेरा पिछले समय जो उत्तर था, वह उत्तर मैं आज नहीं दे रहा हूं। वर्ष 2004-05 में नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया था। ...*(व्यवधान)* मैं आपके सवाल का उत्तर भी दूंगा, लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि आंकड़े देने ही पड़ते हैं क्योंकि प्रगति के बारे में आंकड़ों से ही पता चलता है। वर्ष 2004-05 एनएसओ में 9 लाख 75 हजार बाल श्रमिक थे, लेकिन अब वर्ष 2009-10 में एनएसओ के सर्वे के अनुसार 49 लाख 84 हजार बाल श्रमिक हैं। इसका अर्थ हुआ 41 प्रतिशत कम होना। क्योंकि कई बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। माता-पिता भी उन्हें भेज रहे हैं। जैसे जैसे आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है स्वाभाविक रूप से बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह सिर्फ आंकड़े ही नहीं हैं, बल्कि रिएलिटी है। एचएआरडी विभाग और शिक्षा विभाग के फिगर्स हैं कि कम से कम 18 करोड़ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आज की संख्या के हिसाब से 24 करोड़ बच्चों में से स्कूल जाने के लायक 19 करोड़ बच्चों में से 18 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। 81,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसी से अंदाजा लगता है कि डायरेक्टर रजिस्ट्रार जनरल ने ये फिगर्स दी हैं। ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिए। यह सोशियों इकोनोमी प्रोब्लम है, यह एक दिन की प्रोब्लम नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, एचआरडी और प्रधानमंत्री रोजगार योजना डिपार्टमेंट है ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, इस बाल श्रम के उन्मूलन के लिए हम इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे।

वन भूमि का विपथन

***342. डॉ. किरोडी लाल मीणाः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विकासात्मक क्रियाकलापों सहित गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का विपथन करने हेतु कोई विधिक उपबंध मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षो के दौरान सरकार को राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों से वन भूमि का विपथन गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा-2 के उपबंधों के अनुसार विकासात्मक क्रियाकलापों सहित गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के विपथन हेतु पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

(ग) से (ङ) विगत तीन वर्षो (2008 से 2010) के दौरान केन्द्र सरकार को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विकासात्मक क्रियाकलापों सहित गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के विपथन के 4,867 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों की मौजूदा स्थिति सहित राज्य/संघशासित-वार ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों यथा 2008, 2009, 2010 के दौरान गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के विपथन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार को प्राप्त राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र-वार प्रस्तावों के ब्यौरे

		प्रस्तावों की स्थिति (13.12.2011 की स्थितिनुसार)								
क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र*	प्राप्त प्रस्ताव की संख्या	सिंद्धान्त रूप में अनुमोदन	अंतिम अनुमोदन	केन्द्र सरकार के पास लम्बित	एसजी** के कारण अनुमोदन	लौटाई गई	अस्वीकृत	वापिस ली गई	बंद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	125	41	45	4	15	4	-	1	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	59	36	17		6	-	-	-	-
3.	असम	24	10	14	-	-	-	-	-	-
4.	बिहार	83	37	37	1	3	-	-	-	5
5.	छत्तीसगढ़	76	25	32	1	7	-	6	3	2
6.	गोवा	12	2	5	-	2	-	1	-	2
7.	गुजरात	365	102	208	-	23	9	-	1	22
8.	हरियाणा	709	164	382	4	132	1	1	3	22
9.	हिमाचल प्रदेश	349	96	162	2	71	2	5	1	10
10.	झारखंड	139	34	70	6	20	1	1	2	5
11.	कर्नाटक	95	31	31	3	6	5	4	-	15
12.	केरल	15	7	4	-	2	-	-	-	2
13.	मध्य प्रदेश	170	45	74	3	25	5	4	-	14
14.	महाराष्ट्र	164	57	70	3	17	5	2	-	10
15.	मणिपुर	8	5	-	-	3	-	-	-	-
16.	मेघालय	9	4	5	-	-	-	-	-	-
17.	मिजोरम	1	-	-		1	-	-	-	-
18.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	ओडिशा	50	20	20	3	5	-	1	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	पंजाब	685	149	387	8	97	1	2	-	41
21.	राजस्थान	132	48	59	4	12	-	-	1	8
22..	सिक्किम	61	35	26	-	-	-	-	-	-
23.	तमिलनाडु	62	19	26	1	8	3	3	2	-
24.	त्रिपुरा	43	9	27	-	7	-	-	-	-
25.	उत्तराखण्ड	1,037	203	661	7	18	2	87	1	58
26.	उत्तर प्रदेश	323	87	180	4	17	-	2	-	33
27.	पश्चिम बंगाल	33	5	21	-	-	5	-	-	2
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7	1	1	2	1	2	-	-	-
29.	चंडीगढ़	5	-	2	-	1	-	2	-	-
30.	दादरा और नगर हवेली	16	5	8	-	2	-	-	-	1
31.	दमन और दीव	1	-	-	-	1	-	-	-	-
32.	दिल्ली	9	-	7	-	2	-	-	-	-
33.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	4,867	1,277	2,581	56	504	45	121	15	268

*जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जिस पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंध लागू नहीं होते।

**संबंधित राज्य/संघशासित सरकार से अपेक्षित सूचना/दस्तावेज की अप्राप्ति के कारण भारत सरकार के समय लम्बित प्रस्तावों की संख्या।

[हिन्दी]

डॉ. किरोड़ी लाल मीणाः अध्यक्ष महोदया, एफआरए एक्ट में आदिवासी इलाकों में जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं, उनको चालू रखने की दृष्टी से चाहे डवलपमेंट का वर्क हो, चाहे स्कूल हो या आवास हो, उसके लिए एक्ट में डायवर्जन का प्रावधान है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में जो आदिवासी इलाका है, उसे डिफरेंट परपस से जो लैंड एसाइंड होनी चाहिए, वह नहीं की जा रही है तथा जो प्रपोजल आए हैं, शायद इसमें प्रपोजल की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि एक्ट में प्रावधान है, तो क्या आप इन्हें लागू कराएंगे?

[अनुवाद]

श्रीमजी जयंती नटराजनः महोदया, इस अधिनियम के तहत विशिष्ट प्रावधान है जिसके लिए इस अधिनियम के तहत अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रावधान चेक पोस्टों, फायर लाइनों, वारलैस संचार सुविधाओं, बांडों, पुलों, पुलिया, बांधों जल निकासी पाइपों, ट्रेंच चिह्नों व घेरा चिह्नों के निर्माण के लिए है। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें वनेत्तर उद्देश्यों के रूप में माना जाता है। अन्य

चीजों के लिए इसे वन भूमि के वनेत्तर उद्देश्यों के रूप में उपयोग माना जाता है जिसके लिए इस अधिनियम में एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित है।

जहां तक जनजातीय क्षेत्र का संबंध है, राजस्थान से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में इनका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। माननीय मंत्री जी इसे देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसे सीधे-सीधे पढ़ सकती हूं। इस हेतु राजस्थान से बीस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सैद्धान्तिक रूप से छः प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। चार प्रस्तावों के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। आठ प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ हुआ है। किसी भी प्रस्ताव को रद्द नहीं किया गया है। हम जनजातीय क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हैं विशेष कर तथा जब इन क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना करने से अथवा संबंधित हो किन्हीं प्रावधानों को लागू करने से संबंधित हो।

हम इन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। जहां तक वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का संबंध है हम लगातार जनजातीय कार्य मंत्रालय के संपर्क में हैं।

[हिन्दी]

डॉ किरोड़ी लाल मीणाः माननीय अध्यक्ष महोदया, ईस्टर्न राजस्थान में डेकोएट इन्फेस्टिड एरिया है। डांग क्षेत्र सड़कों के निर्माण के एप्रुवल के लिए बहुत प्रपोजल लंबे समय से पड़े हैं। भारत सरकार ने जो भी जानकारी मांगी उसे पूरा कर दिया गया है। एंटी डेकोएट रोड जब तक नहीं बनेगी तब तक डाइवर्जन की एप्रूवल नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि आप एप्रूवल कब तक देंगे?

[अनुवाद]

श्रीमती जयंती नटराजनः मैं इस सदन को सूचित करना चाहूंगी कि मैने पहले ही राजस्थान से जुड़े उन प्रस्तावों को पढ़ दिया है जो लंबित पड़े हैं। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं जिनके क्षेत्राधिकार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आता है। हमलोग समन्वित होकर कार्य कर रहे हैं। जहां तक सड़क का संबंध है, विशेष कर सड़कें जंगल से होकर गुजरती तो हम कतिपय भिन्न दिशानिर्देशों को अपनाते हैं। हम अलग विचार रखते हैं। उदाहरण के लिए जब ये सड़कें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों अथवा जनजातीय क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं तो हम अलग विचार रखते हैं। इसके लिए विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है और विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की गई हैं। यदि यह क्षेत्र छोटा अर्थात पांच हेक्टेयर से कम, हो तो इसे सीधे ही अनुमति प्रदान कर दी जाती है। 40 हेक्टेयर तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुमति प्रदान करता है। अगर यह क्षेत्र 100 हेक्टेयर हो, जो किसी सड़क के मामले में संभव नहीं है, तो ये चीजें केन्द्र सरकार के दायरे में आता है। अन्यथा, इन्हें क्षेत्रीय स्तर पर ही अनुमति प्रदान की जाती है। यदि माननीय सदस्य को किसी विलंब के बारे में सूचना हो और मेरी जानकारी में लाएं तो हम लोग उन्हें अनुमोदित कराने के लिए कदम उठाएंगे।

श्रीमती मेनका गांधीः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या यह एक तथ्य नहीं है कि गत पांच वर्षों में मुख्य वन भूमि की एक लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन के वृक्षों को काट कर गिरा दिया गया है और इस जमीन को तथाकथित विकास उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है जिसका मुख्य कारण निजी कंपनियों को दिए गए खनन संबंधी लाइसेंस है।

मैं यह भी पूछना चाहूंगी कि क्या 30,000 हेक्टेयर प्रमुख वन भूमि का आपके पूर्व मंत्री द्वारा अन्यत्र उपयोग किया गया जिन्होंने खनन के लिए उन्हें दिए गए प्रत्येक प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की थी। क्या आप मानती है। कि जब भारत में कोई वनीकरण का कार्य नहीं चल रहा हो तो ऐसे में वन भूमि की एक लाख हेक्टेयर जमीन का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है?

श्रीमती जयंती नटराजनः माननीया, यह सही है कि माननीय सदस्य ने जो कहा उसके बारे में कुछ ब्यौरे आए हैं। कुछ ब्यौरे प्रकाशित कर दिए गए हैं। मैं इस सदन के समक्ष स्पष्ट करना चाहती हूं कि कोयले के खनन के संबंध में विशेष कर वर्ष 2007 से अगस्त, 2011 की अवधि के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 107 प्रस्तावों को अनुमति प्रदान की थी जिनमें 26,245 हेक्टेयर वन भूमि कोयला खनन परियोजनाओं के उपयोग हेतु भूमि भी शामिल है। किंतु 107 प्रस्तावों में से प्रथम चरण में 49 प्रस्तावों को वर्ष 2007 के पूर्व अनुमति प्रदान की गई थी। प्रथम चरण में शुरूआती अनुमति प्रदान की गई थी। दूसरे चरण में वर्ष 2007 में अनुमति प्रदान की गई थी। इसलिए, मैं मानती हूं कि यह साथ-साथ लिया गया था और ऐसा लगता है जैसे अनुपातिक रूप से बड़े-भाग को कोयला खनन के लिए दे दिया गया। यही सरकार है। मेरे पूर्व मंत्री ने भूमि को "उपयोग किए जाने वाले" और "उपयोग नहीं किए जाने वाले" क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया था जहां वन के आच्छादान सघन (वेटेड) वन क्षेत्र, जिसे डब्लू एफसी के रूप में जाना जाता है एवं सकल वन क्षेत्र को महत्व दिया गया था एवं अत्यंत सघन वनों को विपर्चित नहीं किया था। यद्यपि विकास के संतुलन को भी कायम रखा जाना है। इसलिए विपथित वन भूमि असमानुपाती मात्रा में नहीं थी। वास्तविक ब्यौरा था कि चरण-एक अनुमोदन को मूंजूरी पहले दी गयी थी। चरण-दो एवं अंतिम अनुमोदन को ही महत्व दिया गया था।

यद्यपि, मैं सदरल एवं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सरकार पूर्णतया प्रतिबद्ध है। एक मंत्रि समूह का भी गठन किया गया है....*(व्यवधान)* । माननीय वित्त मंत्री के अधीन गठित मंत्रि समूह इस पूरे मुद्दे पर विचार कर रही है। मंत्रिसमूह में वन और पर्यावरण मंत्रालय ने बहुत दृढ़ रुख अपनाया है। कोयला खदानों के लिए उपयोग किए जाने वाले एवं उपयोग नहीं किए जाने वाले क्षेत्र का वर्गीकरण अभी भी है। हम उनसे कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है हमने देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा के विशेष स्तर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वन भूमि को पहले ही विपथित कर दिया है एवं उन वन क्षेत्रों का समुचित एवं पूर्ण दोहन किया जाना चाहिए ताकि और अधिक वन भूमि के विपथन की मांग न की जाए। हम उस सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध हैं। माननीय मंत्रिसमूह प्रत्येक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। सभी हद महत्वपूर्ण प्रस्ताव अभी भी मंत्रिसमूह के विचाराधीन है। हम उन्हें गंभीरता से ले रहे हैं। हम बेहद सघन वन भूमि को ऐसे तुक्के में जैसे कि वन भूमि का कोई महत्व ही नहीं है- विपथित नहीं करने जा रहे हैं.....*(व्यवधान)*

इसलिए, हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने लैफरज फैसले के बाद केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति गठित करने जैसी कुछ स्थितियों को भी गतिशील कर दिया है।

ये सभी मामले अधिकार प्राप्त समिति को भी भेजे जांएगे। इसलिए यह सरकार हमारी वन भूमि की देखरेख करने के लिए प्रतिबद्ध है। वास्तव में वन (संरक्षण) अधिनियम इसी प्रयोजन के लिए अधिनियमित किया गया था और हम इसे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री भर्तृहरि महताबः मैं एक विसंगति की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसको सरकार ने बरकरार रखा है। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 3 अगसत 2011 के अपने परिपत्र संख्या-एफ-11(9) 1998 दिनांक 3 अगस्त 2011 के माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत बिना शर्त का प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उस परिपत्र के पैरा 2(ग) में कहा गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम सभा से यह दर्शाते हुए एक पत्र भेजेगी कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी औपचारिकताऐं प्रक्रियाऐं पूरी कर ली गई हैं और वन भूमि के प्रस्तावित परिवर्तन हेतु उन्होंने अपनी सहमति दे दी है और वन भूमि के प्रस्तावित परिवर्तन के प्रयोजन और ब्यौरे समझा लिया है।

तथापि पंचायत एक्शटेंशन टू सिड्यूल्ड एरीयाज एक्ट की धारा-4 की उप-धारा (1) में प्रावधान किया गया है कि विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अधिसूचित क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण होने से पहले ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा। पी.ई.एस.ए. अधिनियम में इस प्रावधान को ध्यान में रखकर उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों जो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा परिचालित किया गया था, के प्रावधानों के अनुसार विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन हेतु ग्राम सभा की सहमति लेने का कोई कानूनी आधार प्रतीत नहीं होता है।

यहां पर मेरा प्रश्न यह है कि जब भारत सरकार द्वारा दो प्रकार की अधिसूचनाएं जारी कर दी जाएं तो राज्य सरकार क्या करे? कई राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को बार-बार लिखा है और यह स्पष्टीकरण नहीं मिला है। क्या आप वह स्पष्टीकरण विशेषरूप से अधिसूचित क्षेत्रों के लिए भेजने जा रहे हैं?

अधिसूचित क्षेत्रों के लिए क्या सरकार पी.ई.एस.ए. अधिनियम अथवा पर्यावरण और वन मंत्रालय के परिपत्र का पालन करने जा रही है?

श्रीमती जयंती नटराजनः महोदया, इस समय हम माननीय सदस्य द्वारा संदर्भित परिपत्रों अर्थात दिनांक 03/08/2011 का परिपत्र के प्रावधानों को अनुपालन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यह सरकार वन अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए हमने कहा कि जब तक ग्राम सभा में 50 प्रतिशत कोरम उपलब्ध नहीं है और ग्राम सभा अपनी सहमति नहीं देती तब तक वन भूमि के उपयोग को इसमें निहित अधिकारियों के कारण परिवर्तित नहीं किया जाऐगा।

वास्तव में मुझे पी.ई.एस.ए. अधिनियम के संबंध में दो अधिनियमों के बीच के किसी टकराव का पता नहीं है। इसलिए मै समय लेना चाहती हूं। मैं सदन से विसंगतियों यदि कोई हो, का पता लगाने की अनुमति देने का निवेदन करूंगी और इस मुद्दे पर सदन और माननीय सदस्य को सूचित करूंगी।

श्री प्रेमदास रायः सर्व प्रथम मैं, माननीय मंत्री जी को अभी हाल ही में सम्पन्न हुए डरबन सम्मेलन में बहुत दमदार रुख अख्तियार करने के लिए बधाई देता हूं।

महोदया, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मेरा प्रश्न विकास के उद्देश्य से वन भूमि के उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में है। अब राज्यों से एक विशेष अनुरोध प्राप्त हुआ है क्योंकि मेरे राज्य सिक्किम की तरह कुछ राज्य हैं जहां भूमि का 83 प्रतिशत नियंत्रित या वन आच्छादित है जिसके कारण यह विभिन्न वन अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत आती है। मैं मंत्री जी से यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि भूमि के इस बड़े क्षेत्रफल को ध्यान में रखकर हमारे पास विकास के लिए कम स्थान है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी हमें कुछ मार्गदर्शन दें कि क्या कोई नीति बनाने या इसकी समीक्षा करने पर विचार किया जा रहा है। अलग-अलग राज्यों

के पास उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग क्षेत्रफल में वन हैं। इसलिए यहां पर ऐसे राज्य भी हैं जिनका वन क्षेत्र दस प्रतिशत से भी कम है और विकास के लिए इतनी अधिक जगह है। ऐसा क्यों है कि हम कुछ नीति बनाने के बारे में नहीं सोचते हैं जिसमें ये राज्य भी अपना वन क्षेत्र बढ़ा सकें और उन राज्यों जिनके वन क्षेत्र का प्रतिशत बहुत अधिक है, को और अधिक घूट दी जा सके।

श्रीमती जयंती नटराजनः माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और यह ऐसा प्रश्न है कि जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं। सिक्किम जैसे राज्य के पास 83 प्रतिशत वन क्षेत्र है। अन्य राज्य हैं जैसे कि-गोवा-जहां पर लगभग संभव नहीं है क्योंकि एक तरफ तटीय क्षेत्र अधिनियम है जिसमें विकास प्रतिबंधित है और दूसरी ओर आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र हैं और बीच का स्थान इतना संकीर्ण है कि विकास बमुश्किल संभव है। लेकिन, इस मुद्दे पर हमें राष्ट्र के वन क्षेत्र को एक राष्ट्रीय और एक समग्र दृष्टि से देखना होगा और हमें अखिल भारतीय स्तर पर वन क्षेत्रों की बनाऐ रखने की और देखभाल करने की आवश्यकता है। हमारे लिए इस समय, इसे राज्य के स्तर पर देखना संभव नहीं है, लेकिन विकास के प्रश्न पर हम पूरी तरह से ध्यान देंगे विशेषरूप से जब उस क्षेत्र के लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता हो। जब भी प्रत्येक परियोजना आती है, हम माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये पहलु पर विचार करते हैं, लेकिन यहां पर एक समस्या है और मैं उस समस्या को समझती हूं। फिर भी, सरकार और पर्यावरण और वन मंत्रालय में जो भी निर्णय लिया जाता है वह समग्र राष्ट्र को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न संख्या-343 श्री बाल कुमार पटेल-उपस्थित नहीं।

शेख सैदुल हक।

[हिन्दी]

टोल प्लाजा को अन्यत्र स्थापित करना

***343. + श्री बाल कुमार पटेलः** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूरे देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गो पर कतिपय टोल प्लाजा सही स्थानों पर नहीं बनाए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को संचयी तथा भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राजकोष को और नुकसान होने से रोकने के लिए उक्त टोल प्लाजा (प्लाजाओं) को अन्यत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुल्क प्लाजा की अवस्थिति को, किसी प्लाजा विशेष की संस्थापना के समय लागू शुल्क नियमावली में निर्धारित मानकों को देखते हुए अंतिम रूप दिया जाता है। इसलिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित प्रत्येक पथकर प्लाजा की अवस्थिति की योजना, राजस्व उपार्जन को इष्टतम करने के लिए ध्यान पूर्वक बनाई जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शेख सैदुल हकः मैं माननीय मंत्रीजी से एक विशेष बात जाना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया है कि उपयुक्त स्थलों पर प्लाजा बनाए गए हैं। इस संबंध में कोइ संदेह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि प्लाजा पर जब पथकर संग्रहण किया जाता है। तो कुछ एजेंसियां इसमें शामिल होती हैं।

कभी-कभी बोली-प्रक्रिया में एजेंसियों को बदल दिया जाता है और इसके लिए जब नए बोली दाता आते हैं तो वे वहां पहले से कार्यरत लोगों को हटा देते हैं जिससे लोगों को जीविका अर्जन संबंधी अनेक परेशानियां होती हैं क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि क्या मंत्रालय इस संबंध में कोई उपयुक्त कदम उठाएगा अथवा नहीं ताकि चाहे जो भी बोली दाता है और चाहे जिस किसी नए व्यक्ति, को भी पथकर संग्रहण के काम में लगाया जाए टोल इन पथकर प्लाजाओं में पहले से कार्यरत लोग वहां बने रहें और कार्य करते रहें। माननीय मंत्री जी से यही मेरा विनम्र निवेदन है।

---

*चूँकि श्री बाल कुमार पटेल उपस्थित नहीं थे, माननीय अध्यक्ष ने शेख सैदुल हक को प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

डॉ. सी.पी. जोशीः अध्यक्ष महोदया, ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि हम बोली के माध्यम से ठेके देते हैं। अतः हम उनके पास वो लोग कार्यरत हैं, उनकी सेवाओं की गारंटी नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

प्रो. रामशंकरः टोल प्लाजा पर जनता आए दिन कई प्रकार की समस्याओं से जूझती है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं कि कभी झगड़ा होता है, कभी मार-पिटाई होती है। इस प्रकार की घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु तक हो गई है। मैं, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं में लगातार जो वृद्धि हो रही है, इनमें कमी लाने की दिशा में कोई प्रयास करने की योजना है? टोल प्लाजा जो कम दूरी पर बनाए जा रहे हैं, उस दिशा में विचार करने की कोई व्यवस्था है या नहीं है?

डॉ. सी.पी. जोशीः माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसे ही मंत्रालय के समक्ष कोई शिकायत आती है, हम उसके बारे में उपयुक्त कार्रवाई करते हैं। जहां तक टोल-प्लाजा की दूरी का सवाल है, जो नियम हैं उनके अंतर्गत ही टोल-प्लाजाओं का स्थान नियत किया जाता है।

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न संख्या 344-श्री निखिल कुमार चौधरी-उपस्थित नहीं।

श्रीमती ऊषा वर्मा-उपस्थित नहीं।

सैनिक स्कूलों में रैगिंग

***344. श्री निखिल कुमार चौधरीः**
श्रीमती ऊषा वर्माः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सैनिक स्कूलों विशेषकर सैनिक स्कूल, तैलेया, झारखंड में रैगिंग की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षो के दौरान ऐसी घटनाओं के कारण कितने छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए हैं;

(ग) क्या किसी स्वैच्छिक संगठन ने इस संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण-आयोग में शिकायतें दर्ज कराई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त आयोग ने सरकार से इन घटनाओं की जांच करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है एवं सैनिक स्कूलों में रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (ङ) सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विगत में सैनिक स्कूलों से रैगिंग और धौंस जमाने की कुछ घटनाओं के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 24 स्कूलों में कुल 12885 कैडेटों के बीच हुई कुल 11 घटनाओं की जानकारी मिली है। सैनिक स्कूल, तिलैया में हुई रैगिंग की एक विशेष घटना के बारे में रिपोर्ट 14 नवम्बर, 2011 को समाचार पत्र ओर इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से की गई थी। तथापि, किसी कैडेट अथवा अभिभावक ने विगत तीन वर्षों में तिलैया सैनिक स्कूल के बारे में शिकायत/रिपोर्ट नहीं की है।

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार पिछले तीन वर्षो के दौरान रैगिंग के कारण किसी छात्र ने स्कूल नहीं छोड़ा है।

(ग) और (घ) झारखंड मानवाधिकार आंदोलन (झारखण्ड ह्यूमैन राइट्स मूवमेंट) नामक एक स्वैच्छिक संगठन ने सैनिक स्कूल, तिलैया में रैगिंग की घटना के सम्बन्ध में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग से शिकायत की है। आयोग ने रक्षा मंत्रालय से मामले की जांच-पड़ताल कराने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है।

इस मामले में स्कूल प्राधिकारियों द्वारा शुरूआती जांच पड़ताल काराई गई है। रक्षा मंत्रालय ने ब्रिगेडियर रैंक के एक वरिष्ठ अफसर को भी मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए भेजा था। जांच-पड़ताल के दौरान यह ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत घटना एक वर्ष पहले नवम्बर, 2010 में हुई थी। तथापि, पीड़ितों द्वारा उस समय इस मामले को स्कूल प्राधिकारियों को सूचित नहीं किया गया था। रैगिंग के लिए जिम्मेवार वरिष्ठ छात्र मार्च, 2011 में स्कूल से पास आउट कर गए।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने भी मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लिया है और निदेश दिया है कि राज्य सरकार के प्राधिकारी इस मामले की जांच-पड़ताल करें।

झारखण्ड मानवाधिकार आंदोलन ने भी एक लड़के के दूसरे मामले के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग से शिकायत की थी जिसने 27-03-2009 को स्कूल छोड़ा और अभी तक वापस नहीं आया है। उन्होंने ऐसा न करने का कारण रैगिंग का डर बताया था किंतु उस समय कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

इस दूसरे मामले की भी जांच-पड़ताल की गई है। जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि स्कूल से छात्र के अचानक चले जाने का कारण उसका गृहवियोग और उसके पिताजी का खराब स्वास्थ्य था। उसके पिता ने लिखित में इस बात की पुष्टि की है कि स्कूल के खिलाफ उन्हें कोई शिकायत नहीं है।

(ङ) सैनिक स्कूल, तिलैया में बड़े पैमाने पर रैगिंग की घटना के विशेष मामले में स्थानीय प्रशासन बोर्ड, मध्य भारत, जबलपुर को यह अनुदेश दिया गया है कि वें समूची घटना और विशेष रूप से स्कूल प्रशासन की भूमिका के संबंध में औपचारिक जांच-पड़ताल की कार्रवाई शुरू करें। जांच-अदालत की कार्रवाई के दौरान गलती करने वालों को भी बुलाया जाएगा ताकि उनके विचारों को रिकार्ड किया जा सके। आगे की जाने वाली कार्रवाई जांच-अदालत के परिणाम पर निर्भर करेगी।

सैनिक स्कूलों में, सूचित किए गए तथा पाए गए सभी रैगिंग के मामलों में गलती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइ की जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है जैसे कि परामर्श देना, सामुदायिक सेवा, नियुक्ति निरस्तीकरण निलंबित करना तथा अत्यधिक गंभीर मामलों में निष्कासन करना। पिछले तीन वर्षों के दौरान रैगिंग के लिए दण्डस्वरूप 13 छात्रों को निकाला गया है और 15 छात्रों को 1-2 महीनों के लिए स्कूल से निलंबित किया गया है।

अध्यक्ष महोदयाः श्री सतपाल महाराज- उपस्थित नहीं। (कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं)

अध्यक्ष महोदयाः अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

प्रश्न संख्या-345, श्री बदरूद्दीन अजमल-उपस्थित नहीं

श्री एस. अलागिरी

...*(व्यवधान)*

वन्य जीवों की मौतें

***345. श्री बदरूद्दीन अजमलः**
श्री एस. अलागिरीः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राज्य-वार कुल कितने गैंडे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में शिकारियों द्वारा राज्य-वार गैडों सहित कितने वन्य जीवों को मारा गया है;

(ग) आज की तारीख तक कुल कितने शिकारियों को हवालात में रखा गया है और उन्हें किस प्रकार का दंड दिया है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

विवरण

(क) गैडों की आबादी की गणना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आवधिक रूप से की जाती है। मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार गैडों की आबादी का राज्य-वार आकलन नीचे दिया गया हैं:

राज्य	गणना वर्ष	राज्य में गैडों की आकलित आबादी
असम	2009	2201
पश्चिम बंगाल	2011	184
उत्तर प्रदेश	2009	29

(ख) और (ग) देश में वन्य जीवों का प्रबंधन और संरक्षण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा देखा जाता है। शिकारियों द्वारा मारे गए वन्य पशुओं की राज्य-वार संख्या और ऐसे अपराधों में गिरफ्तार किए गए शिकारियों की संख्या और उन्हें दिए गए दण्ड मंत्रालय में समेकित नहीं किए जाते।

(घ) देश में वन्य जीवों के शिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत वन्य पशुओं के शिकार और पौधों के वाणिज्यिक शोषण के विरूद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को संशोधित किया गया है और अधिक कठोर बनाया गया है। अपराधों के लिए दंड को अधिक बढ़ा दिया गया है। इस अधिनियम में ऐसे किसी उपस्कर, वाहन अथवा हथियार जिसका

प्रयोग वन्यजीव अपराध को करने में हुआ था, का जब्त करने का भी प्रावधान है।

(iii) संकटापन्न प्रजातियां और उनके पर्यावासों सहित वन्यजीवों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार महत्वपूर्ण पर्यावासों को शामिल करते हुए पूरे देश में सुरक्षित क्षेत्र, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व सृजित किए गए।

(iv) वन्यजीव को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने हेतु वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास बाघ परियोजना और हाथी परियोजना नामक विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य/केन्द्र शासित सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती है।

(v) वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार करने और मुकद्दमा चलाने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अधिकार दिए गए हैं।

(vi) सुरक्षित क्षेत्रों में और उसके आस-पास फील्ड फार्मेशन को सुदृढ़ करने और गश्त बढ़ाने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।

(vii) व्यापक संसूचन प्रणाली के माध्यम से कठोर सतकर्ता बरती जा रही है।

(viii) व्यापक संचारण प्रणाली के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाती है।

श्री एस. अलागिरीः महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि अपराधियों के लिए सजा बढ़ाई गई है क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस संबंध में जान सकता हूं कि अपराधियों के लिए किन स्तरों पर सजा बढ़ाई गई है?

श्रीमती जयंती नटराजनः मैनें प्रश्न नहीं सुना। चूंकि मैने प्रश्न नहीं सुना, इसलिए क्या आप प्रश्न दोहरा सकते हैं?

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपना प्रश्न दोहराइए।

श्री एस. अलागिरीः माननीय मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि अपराधियों के लिए सजा बढ़ाई गई है। क्या आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि अपराधियों के लिए किस स्तर पर सजा बढ़ाई गई है?

श्रीमती जयंती नटराजनः महोदया, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को गिरफ्तार करने तथा अभियोजन चलाने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य सरकारों से क्षेत्र संरचनाओं को सुदृढ़ बनाने और संरक्षित क्षेत्रों में तथा उनके आसपास गश्त बढ़ाने का अनुरोध किया गया है अवैध शिकार पर नियंत्रण लगाने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है और गहन संचार प्रणाली के माध्यम से कड़ी निगरानी की जा रही है।

श्री एस. अलागिरीः महोदया, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि कितने मामलों में सीबीआई ने अपराधियों पर अभियोजन चलाया हैं?

मध्याह्न 12.00 बजे

श्रीमती जयंती नटराजनः महोदया शायद ही कोई ऐसा मामला हो। यह तथ्य है। हमारे सामने यह बड़ी समस्या है। मैं आपको ब्यौरा दे सकती हूं। वर्ष 2010 में, जहां तक गैण्डों के संबंध में, कोई मामला नहीं है। शेर के संबंध में भी कोई मामला नहीं है। केवल बाघ के संबंध में अवैध शिकार के पांच मामले हैं। दुर्भाग्य से श्रमशक्ति की कमी की बड़ी समस्या है। वर्तमान में वन्यजीव अपराध नियंत्रक ब्यूरों में राष्ट्रीय स्तर पर केवल पांच अधिकारी हैं। इसलिए इस मामले पर बहुत हद तक निगरानी रखना हमारे लिए संभव नहीं है। मैं मानता हूं कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए हम राज्य स्तर पर राज्य सरकारों तथा वन्य जीव संरक्षण बलों पर आश्रित है।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयुर्वेदिक दवाइयों के पेटेंट

***346. डॉ. कृपारानी किल्लीः** क्या **वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विदेशी कंपनियों से परम्परागत भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के तैयार फार्मूलों के पेटेंट प्राप्त करने के लिए अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उन आयुर्वेदिक/यूनानी दवाइयों का ब्यौरा क्या है जिनके पेटेंट के लिए विदेशी/भारतीय कंपनियों द्वारा दावा किया गया और उन्हें प्राप्त किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के फार्मूले केवल भारतीय कंपनियों को ही देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) भारतीय पेटेंट कार्यालय को भारतीय तथा विदेशी आविष्कारकों और कंपनियों से सभी प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में पेटेंट के लिए अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं? जिनमें संभवतः आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए पेटेंट हेतु आवेदन भी शामिल हैं। ये आवेदन भी शामिल हैं। ये आवेदन पेटेंट, डिजाइन और व्यापक चिह महानियंत्रंक की वेबसाइट www.ipindia.nic.in पर प्रस्तुत किए गए हैं यद्यपि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के संबंध में विशिष्ट रूप से प्राप्त आवेदनों और प्रदान किए गए पेटेंटों का डेटाबेस पेटेंट कार्यालय द्वारा नहीं रखा जाता, फिर भी महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिन्ह के कार्यालय द्वारा पारंपरिक ज्ञान/हर्बल संयोजन पर आधारित आविष्कारों के लिए भारतीय पेटेंट कार्यालय के डेटाबेस में की गई एक खोज से पता चलता है कि विदेशी कंपनियों से 79 आवेदन प्राप्त हुए। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I दिया गया है।

(ग) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 (त) के अनुसार, कोई भी आविष्कार जो वास्तव में पारंपरिक तौर पर ज्ञात घटक अथवा घटकों का समुच्चय अथवा नकल हो, पेटेंटनीय नहीं है। लेकिन, पारंपरिक ज्ञान में ऐसे पर्याप्त सुधारों के लिए पेटेंट प्रदान किए जा सकते हैं, जो पेटेंट अधिनियम, 1970 में निर्धारित किए गए पेटेंटनीयता मानदंडों को पूरा करते हों।

अब तक, पेटेंटनीयता के मानदंड पूरे करने वाले पारंपरिक ज्ञान/हर्बल संयोजन आधारित आविष्कारों के लिए विदेशी कंपनियों को 4 तथा भारतीय कंपनियों को 117 पेटेंट प्रदान किए गए हैं। इनका ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण II तथा III में दिया गया है।

(घ) व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते (ट्रिप्स समझौता) के तहत जिसके प्रति भारत वचनबद्ध है, प्रत्येक देश के लिए अपेक्षित है कि वह बौद्धिक संपदा संरक्षण के मामले में दूसरे सदस्य देशों के नागरिकों के साथ भी ऐसा अनुकूल बरताव करे जो अपने नागरिकों के प्रति किए जाने वाले बरताव से कम न हो। अतः, पेटेंटनीयता के मानदंड पूरे करने वाले अविष्कारों के पेटेंट केवल भारतीय कंपनियों के लिए सीमित करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

क्र.सं.	आवेदन संख्या	आविष्कार का शीर्षक	आवेदक का नाम	देश का नाम
1	2	3	4	5
1.	3016/KOLNP/2006	एक एंटीऑक्सीडेंट संरचना को बढ़ावा देने	लाईफलाइन न्यूट्रासिटिकल्स कॉरपोरेशन	यू.एस.ए.
2.	3338/KOLNP/2006	हर्बल संयोजन	लवेन्दर हिल प्रोजक्ट पीटीवाई लि.	आस्ट्रेलिया
3.	303/KOLNP/2007	हर्बल संयोजन	लवेन्दर हिल प्रोजक्ट पीटीवाई लि.	आस्ट्रेलिया
4.	820/KOLNP/2007	मूत्र असंयम तथा अति मूत्राशय की रोकथाम अथवा उपचार के लिए हर्बल संयोजन	बायलोजिक हेल्थ सोल्यूशन्स प्रा.लि.	आस्ट्रेलिया
5.	2015/KOLNP/2008	शरीर की कोशिकाओं की रक्षा के लिए घटक	ओमनीमेडिका एजी	स्विटजरलैंड
6.	322/KOLNP/2010	मधुमेह और/या उससे जुड़े स्थितियों के उपचार के लिए हर्बल संयोजन	अस्करीट लि.	इजरायल
7.	3325/KOLNP/2008	हर्बल तथा उसमे शामिल संयोजन का सत्व	डोंग-ए फार्म कं. लि	कोरिया गणराज्य
8.	499/KOLNP/2007	लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किण्वित पदार्थ और उसमें शामिल किण्वित दूध खाद्य	काबुशिकी कैशा याकुल्त होंशा	जापान

1	2	3	4	5
9.	5058KOLNP2007	बिफाइडोबैक्टीयम बैक्टीरिया युक्त किण्वित भोजन तथा उसके उत्पादन की विधि	काबुशिकी कैशा याकुल्त होंशा	जापान
10.	219KOLNP2005	हर्बल मिश्रण से बनी कन्फेक्शनरी	रकोला एजी	स्विटजरलैंड
11.	3942KOLNP2010	सिंथिजाइजिंग कोटालानोल के लिए विधि और स्टेरियोसोमर्स तथा उसके सदृश और उससे तैयार किए गए नवीन यौगिक	सिमोन फ्रेसर यूनिवर्सिटी	कनाडा
12.	685KOLNP2010	नीम के तेल में हाईपरसियम तैयार करने के लिए विधि और इस प्रकार से प्राप्त एक पदार्थ	मोसेस एस.आर.एल.	सनमेरिनी
13.	2770MUMNP2008	गैर-पोषक मिठास के स्वाद को कम करने के लिए चाय सत्व	दि कंनसेंनट्रेट मन्यूफैक्चरिंग कंपनी ऑफ आयरलैंड	बर्मुदा
14.	889MUMNP2010	हर्बल संयोजन तथा यकृत विचारों के इलाज के लिए विधि	साबेल्ल कॉर्पोरेशन	कनाडा
15.	182MUMNP2009	सिन्नामोमी तथा पोरिया संयोजन तथा उनका उपयोग	जियांग्सु कनीयान फार्मास्यूटिकल्स कं. लि.	चीन
16.	1421MUMNP2009	उत्तेजक रोगों के उपचार एवं रोकथाम के लिए टेराचिलोस्पेरमी तना तथा पिरोला जपोनिका सत्व	शिन-आईएल फार्मास्यूटिकल कं. लि.	कोरिया गणतंत्र
17.	1633MUMNP2010	पर्यावरणीय अनुकूल पौधा संरक्षण घटक	अरब साईंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन	यूएई
18.	2229/CHE/2006	एक चिकित्सकीय संरचना और उसकी विधि	रेनैस्सांस हर्बस आईएनसी	यूएसए
19.	2954/CHENP/ 2007	सेहत के लिए फॉर्मूलेशन तथा उपचार	डोलफस्ट प्रा.लि.	आस्ट्रेलिया
20.	3265CHENP/2005	हर्बल दवाओं के वितरण के लिए हाईड्रोफोलिक आसंजक संयोजन	3एम इनोवेटिव प्रोपर्टीज कंपनी	यूएसए
21.	284CHENP/2008	पोलिमर युक्त ननोफाइबरिल्लर ढांचा तथा कोशिकाओं का अनुरक्षण तथा विभेदन	सुरमोडिक्स आईएनसी	यूएसए
22.	6887CHENP/2009	मोटापा-रोधी प्रभाव वाले औषधीय हर्बल	न्यूजेक आईएनसी	कोरियागणतंत्र
23.	23CHENP/2010	त्वचा विकारों के लिए हर्बल संयोजन	हिमालया ग्लोबल हाल्डिंग्स लि.	वेस्ट इंडीज
24.	2736CHENP/2009	उत्तेजक विकारों के लिए हर्बल संयोजन	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि..	वेस्ट इंडीज
25.	1644DENLP/2009	झुरियां और त्वचा विकारों की रोकथाम के लिए हर्बल संयोजन, उसे बनाने की विधि और उनका उपयोग	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	केमन द्वीप

1	2	3	4	5
26.	258DELNP/2005	माइक्रोबियल-रोधी संयोजन	दि क्यूजली कॉर्पोरेशन	यूएसए
27.	2151DEL/2006	आखों के आसपास त्वचा के अनुरक्षण/ देखभाल के लिए हर्बल संयोजन उसे बनाने की विधि और उनका उपयोग	एमएमआई कॉर्पोरेशन	केमन द्वीप
28.	2831DEL2006	क्यूरसस इनफेक्टोरिया के नवीन हर्बल संयोजन का सत्व, उसे बनाने की विधि और उनका उपयोग	एमएमआई कॉर्पोरेशन	वेस्ट इंडीज
29.	3120DELNP2005	पुरःस्थ ग्रन्थि के विकार के प्रबंधन में उपयोगी हर्बल संयोजन	हेल्थऐड इंटरप्राईजेज प्रा.लि.	हांगकांग (चीन)
30.	478DEL2008	नवीन हर्बल नियंत्रण संयोजन, उसे बनाने की विधि और उनका उपयोग	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि..	वेस्ट इंडीज
31.	167DELNP2008	हर्बल डेंटल केयर संयोजन, उसे बनाने की विधि और उनका उपयोग	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि..	चैनल द्वीप
32.	19DELNP2006	पुरःस्थ ग्रन्थि के विकार के उपचार एवं रोकथाम के लिए हर्बल संयोजन	इंडेना एस.पी.ए.	इटली
33.	198DELNP2010	ताड़ के पत्तों का सत्व तथा उसके उत्पादन के के लिए विधि	यूनिवर्सिटी पुत्र मलेशिया	मलेशिया
34.	22DEL2010	डायरिया के लिए हर्बल संयोजन	हिमालया ग्लोबल होल्डिग्स लि.	वेस्ट इंडीज
35.	2624DEL2009	सोलेनम प्रजातियों से समृद्ध सेलसिट्रोल सत्व और उसको तैयार करने की विधि	हिमालया ग्लोबल होल्डिग्स लि.	वेस्ट इंडीज
36.	2863DELNP2009	ब्रांचिटस संक्रामक इलाज के लिए संयोजन तथा विधि	दि क्यूजली कॉर्पोरेशन	यूएसए
37.	3129DELNP2007	कार्यात्मक संयोजन अथवा मट्ठा मिश्रित खाद्य प्रोटीन, दूध या एंटीबॉडी से व्युत्पन्न एंटीबॉडी	असामा केमिकल कं. लि.	जापान
38.	3557DELNP2010	पुराने घावों के उपचार के लिए हर्बल अर्क	पार्सरूस कं.	ईरान
39.	5163DELNP2007	बिमारियों के फैलाव को कम करने के लिए संयोजन तथा विधि	दि क्यूजली कॉर्पोरेशन	यूएसए
40.	5883DELNP2009	अर्टेमीसिया हर्ब-अल्बा (सहा.) अस्टेरेसिया के पौध सामग्री वाला हर्बल संयोजन और/या या उसका सत्व	आर.ए.एम. बायोटेक्नोलोजिकल रिसर्च लि.	इजरायल

1	2	3	4	5
41.	6847DELNP2008	इथानोलिक रोसा एसपी के मिलान का उपयोग अरटिका डियोसा तथा टानासेटम वलगर सत्व आगे सेलेनियम और यूरिया शामिल होने पर और एक स्पंदित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से अवगत कराना, एचआईवी संक्रमण के इम्यूनोस्टिमुलेशन और/या उपचार के लिए औषधि की तैयार करना	पार्सरूस कं.	ईरान
42.	734DEL2008	मधुमेह रोधी नवीन संयोजन, उसको तैयार करने, की विधि तथा उसका उपयोग	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	वेस्ट इंडीज
43.	9676DELNP2007	कैंसर रोधी नवीन घटक, उसे प्राप्त करने की विधि तथा उसका औषधीय संयोजन	एमएमआई कॉरपोरेशन	केमन द्वीप
44.	109DELNP2007	नीम के तेल वाला संयोजन तथा हाईप्रेसियम पर्फोरेटम का तेल सत्व	साईटोस्यूटिकल लि.	स्विट्‌ज़रलैंड
45.	1387DEL2009	हर्बल टेबलेट बनाने की एक नवीन विधि	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	केमन द्वीप
46.	1618DEL2010	मधुमेह का उपचार करने का एक हर्बल संयोजन और उसके भेषजीय फार्मुलेशन	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	यूयई
47.	1734DEL2010	गुर्दों से संबंधित विकारों के उपचार का एक नवीन हर्बल संयोजन	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	यूएई
48.	195DEL2009	हर्बल सफाई संयोजन और उसकी विधि	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	केमन द्वीप
49.	199DEL2009	बामों और उनके संयोजनों को तैयार करने की विधि	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	केमन द्वीप
50.	199DELNP2011	त्वचा का रंग साफ करने वाले नवीन हर्बल संयोजन, उनके उत्पादन एवं सौंदर्य उपयोग की विधियां	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	यूएई
51.	200DEL2009	क्रीम और लोशन बनाने की विधि तथा उनके संयोजन	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	केमन द्वीप
52.	2761DEL2009	पेट और आंतों के विकार के लिए एक हर्बल संयोजन	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	वेस्ट इंडीज
53.	38DEL2010	यकृत सुरक्षा एवं यकृत विकारों के उपचार के लिए एक हर्बल संयोजन	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	वेस्ट इंडीज
54.	3081DELNP2005	लाल हर्बल दंतमंजन	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	यूएसए
55.	391DEL2009	सफाई का हर्बल संयोजन और उनकी विधियां	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	ब्रिटिश आइल्स

1	2	3	4	5
56.	4DEL2010	इम्युनोमॉड्युलेटर के तौर पर एक हर्बल संयोजन, तथा उस प्राप्त करने की विधि	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	वेस्ट इंडीज
57.	5DEL2010	सोरिएसिस और अन्य त्वचा विकारों के उपचार हेतु एक नवीन हर्बल संयोजन	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	वेस्ट इंडीज
58.	504DEL42009	हर्बल निजी देखरेख फार्मुलेशन और उसे बनाने की विधि	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	ब्रिटिश वेस्ट इंडीज
59.	697DEL2009	हर्बल त्वचा देखरेख फार्मुलेशन और उसे बनाने की विधि	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	ब्रिटिश वेस्ट इंडीज
60.	981DELNP2011	एक हर्बल ठोस फार्मुलेशन तैयार करने की प्रक्रिया	हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लि.	यूएई
61.	1173MAS1995	नीम के पत्तों से आईआरडीएनबी के तौर पर नामित एक उपचार की दृष्टि से उपयोगी सत्व को निकालने की प्रक्रिया	नीम फार्मा कं.	यूएसए
62.	2237CAL1997	मानव और पशु दोनों के उपयोग का एक संयोजन बनाने की प्रक्रिया	रूपाफार्मा बी.वी.	नीदरलैंड्स
63.	1833MAS1998	एक भेषजीय तौर पर स्वीकार्य पॉलीमार संयोजन	रेकीट बैंकशायर हेल्थ केयर (यूके) लि.	यूक
64.	735DEL72000	रजोनिवृत्ति संलक्षण के प्रबंधन हेतु हर्बल भेषजीय संयोजन तैयार करने की प्रक्रिया	यूनाइटेड ग्लोबल वेनचर्स लि.	हांगकांग (चीन)
65.	IN/PCT/2001/00180/DEL	डेंटल फ्लॉस	कोलिनोस डू ब्राजील लि.	ब्राजील
66.	759MUM2003	दिल की बिमारी के लिए संयोजन, उसे बनाने की विधि	तियांजिन टसली फार्मास्यूटिकल कं.लि.	चीन
67.	4/MUMNP/2004	एक पौष्टिक पूरक आहार	दि क्यूजली कॉर्पोरेशन	यूएसए
68.	2073CHENP2004	खाना बनाने के तेल का एंटीऑक्सीडेंट, उसे बनाने और उपयोग की विधि	ऑयल प्रोसेस सिटम; आईएनसी	चीन
69.	1039MUM2004	एंजाइना पेक्टोरिस के लिए हर्बल संयोजन	तियांजिन टसली फार्मास्यूटिकल क.लि.	चीन
70.	3184DELNP/2004	पोलेनोसिस, एलर्जिक नेफ्राइटिस एटोपिक डर्माटिटिस दमा अथवा अर्टिकेरिया की रोकथाम अथवा उपचार हेतु संयोजन	मातुसूरा याकुग्यो कं. लि.	जापान

1	2	3	4	5
71.	4940DELNP2005	एक औषधीय पादप सामग्री हेतु एक मानक विनिर्देशन उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रिया	ऑक्सफोर्ड नेचुरल प्रोडेक्ट्स पीएलसी	यूके
72.	1701/CHE2007	ओस्टियोपोरोसिस के उपचार हेतु ओसिमम सैंक्टम पौधे का सत्व; उसे निकालने की प्रक्रिया	अवस्था गेंग्रेयानी टेक्नोलोजिस प्रा.लि.	जापान
73.	1219MUMNP/2007	सोडियम नार्सिस्टेटिन और संबंधित योगिकां का संश्लेषण	अरिजोना बोर्ड ऑफ रेजेंट्स	यूएसए
74.	1737KOL2008	सौंदर्य प्रयोग हेतु जैव-सक्रिय संयोजन	इवोनिक गोल्डसेचमिंट जीएमबीएच	जर्मनी
75.	599DEL2009	वाहन का क्रैश बॉक्स और वाहन की बॉडी की सामने की संरचना	सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन	जापान
76.	7379CHENP2009	पत्ती के आकार की वस्तु के लिए रंग छंटाई उपकरण	आइडल सिस्टम कं. लि.	कोरिया
77.	1080CHENP2011	पोल्ट्री और सूअर के लिए चारा	एक्किस आईपी हॉल्डिंग्स पीटीई लि.	सिंगापुर
78.	3047KOLNP2011	जिंजिबर ऑफिसिनेल के एक लिपोफिलिक सत्व एवं सायनारा स्कोलिनस के एक सत्व वाला संयोजन, जो ईसाफेगल रिफ्लक्स और इरिटेबल बोअल सिंड्रोम की रोकथाम एवं उपचार की में उपयोगी हैं।	इंडेना एस.पी.ए.	इटली
79.	3052/KOLNP/2011	गैस्ट्रोईसोफेगल रिफ्लक्स जिंजिबर और कीमाथेरेपी प्रेरित इमेसिस की रोकथाम एवं उपचार के लिए जिंजिबर ऑफसिनेल के एक लिपोफिलिक सत्व एवं एचिनेशिया एंगुस्टिफोलिया वाले संयोजन	इंडेना एस.पी.ए.	इटली

विवरण II

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पेटेंट संख्या	आविष्कार का शीर्षक	आवेदन का नाम	देश का नाम
1.	3016KOLNP2006	248562	एक एंटीऑक्सीडेंट-संरचना को बढ़ावा देना	लाइफलाईन नयट्रासयूटीकलूस कॉरपोरेशन	संयुक्तराज्य अमेरिका
2.	219KOLNP2005	235956	हर्बल मिश्रण से मिष्ठान	रिकोला एजी	स्विजरलैंड
3.	2770MUMNP2008	249456	गैर-पोषक मिठास के स्वाद को कम करने के लिए चाय निष्कर्षण	द कंसन्ट्रेट मैनयुफैकचरिंग कंपनी ऑफ आयरलैण्ड	बरमूडा
4.	2770MUMNP2008	242831	एक एंटी-माइक्रोबियल संरचना	दि क्विगले कॉरपोरेशन	संयुक्त राज्य अमेरिका

विवरण III

क्र.सं.	आवेदन संख्या	अविष्कार का शीर्षक	पेटेंट संख्या	आवेदक का नाम	देश का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	00580/DELNP/2004	एक अंटीअल्सर सिनर्जिस्टिक हर्बल निर्माण	233430	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
2.	00584/DELNP/2004	खांसी रोधी एंटी-ट्यूसिव और गले के लिए सुखदायक सिनर्जिस्टिक हर्बल निर्माण	225350	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
3.	01837/DELNP/2003	कैंसर के उपचार के लिए एक नोवल हर्बल रासायनिक संरचना	233478	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारतं
4.	03/DEL/2002	एक सिनर्जिस्टिक हर्बल संयोजन	226231	डाबर रिसर्च फाउण्डेशन	भारत
5.	101/DEL/2005	एक हर्बल नमकीय चाय पाउडर और तत्संबंधी तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	241184	महानिदेशक डी.आर.डी.ओ. नई दिल्ली	भारत
6.	1017/DEL/2000	पोडोफाइलम हेक्सान्ड्रम से रेडियोप्रोटैक्टव निष्कर्षण तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया	191747	अपर निदेशक (आईपीआर)	भारत
7.	1028/DEL/2004	तेलीय त्वचा के लिए उपयुक्त हर्बल फेस क्रीम का निर्माण	240420	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
8.	1030/Del/2004	डेन्ट्रीफीसिज के रूप में उपयोगी एक एनाल्जेसिक और ताजा हर्बल संरचना	239740	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारतं
9.	1036/DEL/2001	टिनोसपोरा एसपीएस संयंत्र से रेडियोप्रोटैक्टव हर्बल निष्कर्षण तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया	195062	अपर निदेशक (आईपीआर)	भारत
10.	1053/DEL/2005	एक औषधीय हर्बल चाय और उसके निर्माण के लिए एक प्रक्रिया	242959	महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय	भारत
11.	1073/MAS/1999	एक सिनर्जिस्अिक हर्बल एंटी-मगोटा और टोपीकल केयर संरचना और उसकी प्रक्रिया	243310	न्यूचरल रेमेडिज प्राइवेट लि.	भारत
12.	1092DEL2000	पोडोफाइलम हेक्सान्ड्रम की जड़ों व रिजोम्स से रेडियोप्रोटैक्टव हर्बल निष्कर्षण तैयार करने की एक प्रक्रिया	191821	अपर निदेशक (आईपीआर)	भारत
13.	1153DEL2000	एक रेडियोप्रोटैक्टव हर्बल निष्कर्षण तैयार करने की एक प्रक्रिया	194325	अपर निदेशक (आईपीआर)	भारत

1	2	3	4	5	6
14.	1195DEL2004	एक हर्बल इन्सैक्टिसाइडल संरचना	234479	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	भारत
15.	1203BOM2001	एक एलाल्जेसिक या दांत दर्द-दर्द से राहत और काफी हद तक लौंग तेल-मुक्त ताजा हर्बल संयोजन की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	194983	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
16.	121/BOM/1996	नीम के बीज पाउडर से आइसोलेशन और अजाडीरेचटिन के निष्कर्षण की प्रक्रिया	182788	श्री बानू प्रसाद जी.भट ट्रस्टी ऑफ श्री विले केलवानी मंडल	भारत
17.	122CHE2004	मधुमेह का इलाज के लिए एक नोवल सिनर्जिस्टिक हर्बल संरचना	239060	लैंसन बायो टेक प्राइवेट लि.	भारत
18.	1243MUM¢2005	एक हर्बल दर्द राहत संरचना	241583	फार्माकॉन रेमेडिज(बोम्बे) प्रा.लि.	भारत
19.	1260DEL1999	दवा प्रतिरोधी जीवाणु इंजेक्शनों के इलाज के लिए उपयोगी एक सिनर्जिस्टिक हर्बल संरचना की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	191363	डाबर रिसर्च फाउण्डेशन	भारत
20.	1261DELNP2005	अल्जाईर हालत में याददास्त वर्धक के रूप में नोवल हर्बल संयोजन	236752	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
21.	1266DELNP2005	दंत केयर हर्बल निर्माण और तत्संबंधी तैयारी	227723	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	भारत
22.	1278MUM2006	बछड़ों के लिए दुग्ध विकल्प का निर्माण	228679	कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लि.	भारत
23.	1280DEL2003	तीव्र और जीर्ण माइलॉयड लेकिमिया के इलाज के लिए उपयोगी एक सरंचना	225222	वैज्ञरनिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
24.	1286DELNP2005	परम्परागत स्वदेशी ज्ञान के संबंध में एक मधुमेहरोधी के रूप में प्रयुक्त नोवल हर्बल निर्माण का विकास	240358	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
25.	133DEL2001	कुक्कुट मांस में बासी होने को रोकने के लिए एक हर्बल संयोजन तथा उसकी तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	230849	अपर निदेशक (आईपीआर)	भारत

1	2	3	4	5	6
26.	1338DEL2005	एक नोवल पेरोक्साइडेज एंजाइम	238035	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
27.	1340DEL2003	गैस्ट्रिक अल्सर के इलाज के लिए हर्बल संयोजन	221610	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
28.	135DEL2003	मधुमेह के लिए हर्बल हैल्थ प्रोटेक्टिव एंड प्रोमोटिव न्यूट्रास्यूटीकल निर्माण तथा उसकी तैयारी के लिए प्रक्रिया	242387	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
29.	140DEL1998	एक नोवल हर्बल ब्लोट-रोधी संरचना	187638	मैसर्स इंडियन हर्बस रिसर्च एंड स्पलाई कं.	भारत
30.	1403DEL1998	तीव्र हैपेटाइटिस ई संक्रमण के इलाज में उपयोगी उक नोवल सिनर्जिस्टिक हर्बल संरचना संयोजन की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	189316	डाबर रिसर्च फाउण्डेशन	भारत
31.	143DEL2001	पौधों से जैविक कलरेन्ट्स की निष्कर्षण के लिए एक प्रक्रिया	230948	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
32.	144DEL2001	कोस्मोस्यूटिकल अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी हर्बल कलर्स की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	230785	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
33.	147DEL2003	हिमालयी जामुन से हर्बल मदिरा की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	232990	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
34.	1641DELNP2004	एक हर्बल स्वास्थ्य पेय संरचना	227860	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
35.	166DEL2003	मलेरिया वेक्टर, मच्छरों के नियंत्रण में प्रभावी इन्सैक्टिकल हर्बल निर्माण की प्रक्रिया	223940	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान ।परिषद	भारत
36.	168DEL2002	स्पैंट टर्मेरिक ओलेओरेसिन से कर्कुमिनोएड्स की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	194592	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
37.	1795DEL2005	कालीस्टेमोन रीजीडस पौधे की पत्तियों से एक एंटीमाइक्रोबियल निष्कर्षण की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	233621	बायोटेक्नोलोजी विभाग	भारत
38.	1972DEL1998	तकनीकी ग्रेड एजाडीरेचटिन की तैयारी के लिए एक बेहतर प्रक्रिया	188756	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत

1	2	3	4	5	6
39.	21DEL2001	हिप्पोफाई एसपीएस रहाम्नोड्स पौधे से एक रेडियोप्रोटेक्टिव हर्बल निष्कर्षण की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	192060	अपर निदेशक (आईपीआर)	भारत
40.	2128DEL1997	हर्बल दर्द बाम के तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	185770	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
41.	2131DELNP৳2004	एक सुरक्षात्मक स्वास्थ्य हर्बल शीतल पेय	233541	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
42.	215DEL2001	टर्मरिक ओलिओरेसिन उद्योग अपशिष्ट से एरोनेटिक टर्मेरोन तल अलग करने के लिए एक प्रक्रिया	231051	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
43.	215DEL2006	नाजाफुद्दाम के लिए एक हर्बल संयोजन तथा तत्संबंधी तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	249180	निदेशक, केंद्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद	भारत
44.	2176CAL1997	कीड़ों से बचाने वाली उन्नत क्रीम संरचना की तैयारी के लिए एक विधि	188839	पश्चिम बंगाल फार्मास्यूटिकल एंड फाईटोकेमिकल डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	भारत
45.	218DEL2006	नजले के लिए प्रभावी एक नोवेल हर्बल संयोजन तथा तत्संबंधी तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	249186	निदेशक, केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद	भारत
46.	222CAL1999	क्रोनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग, ब्रोंकाइटिस और श्वसन विकारों के उचपार के लिए एक हर्बल संयोजन	237569	बायोटेक्नोलाजी डिप्लोमा केंद्र	भारत
47.	2221DELNP2004	एक सिनर्जेटिक हर्बल संयोजन	232949	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
48.	233MUM2003	त्वचा की देखभाल हेतु हर्बल संयोजन	247575	दि केलकर एजूकेशन ट्रस्ट साईटिफि रिसर्च सेंटर	भारत
49.	240DEL1999	एक प्राकृतिक हर्बल टूथ पाउडर के रूप में उपयोगी एक सिनर्जेटिक को तैयार करना	215680	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
50.	243DEL2003	कीट से बचाने वाली क्रीम के रूप में उपयोगी एक सिनर्जेटिक संयोजन	226290	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
51.	244MUM2000	हर्बल संयोजन की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	204341	गोदरेज कंजूमर प्रोडेक्ट लि.	भारत

1	2	3	4	5	6
52.	249MOM1999	बर्न्स, कफ्स और घावों के उपचार के लिए एक संरचना	216339	मैसर्स सिपला लि.	भारत
53.	2507DEL2004	हर्बल पोष्टिक चोसिएट का विकास और उसका प्रसंस्करण	248784	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
54.	253DEL2001	पोडोफाइलम हेक्साड्रम से एक रेडियोप्रोटैक्टिव हर्बल निर्माण की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	192177	अपर निदेशक (आईपीआर)	भारत
55.	257DEL2003	एक निष्कर्षण की तैयार हेतु प्रक्रिया तथा जीरेक से बायो-एक्टिव फ्रैक्शन और उनसे संरचना	224378	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
56.	260DEL2004	दांत दर्द और संबंधित विकारों के लिए एक हर्बल निर्माण और तत्संबंधी तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	240652	महानिदेशक (डीआरडीओ)	भारत
57.	261MUM2005	नीम के तेल आधारित घाव भरने की एक मरहम या क्रीम	222010	गोदरेज एग्रोवेट लि.	भारत
58.	266/DEL/2001	मोतियाबिंद की शुरूआत प्रगति में देरी के लिए एक हर्बल नेत्र निर्माण की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया	197245	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	भारत
59.	266/DEL/2002	नॉवेल हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल तैयार करने के लिए प्रक्रिया	211254	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
60.	266MAS2003	च्वनप्राश अवलेह से स्वादिष्ट बिस्किट बनाने की नई प्रक्रिया	207451	दी आर्या वैद्य फार्मेसी (कोयम्बटूर)लि.	भारत
61.	269DEL2006	यकृत की बीमारियों के लिए फर्न शिलेंथिज फेरिनोस से जड़ी-बूटी का सत्व तैयार करने की प्रक्रिया	250038	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	भारत
62.	274DEL2003	& # 946; प्राप्त करने की प्रक्रिया- भारतीय अश्व पांगुर (एसिक्यूलस इंडिका) का एस्किन	231553	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
63.	2838DELNP2004	कर्क्यूमा स्पेसिज से लिपिड सोल्युबल सत्व तैयार करने की विकसित प्रक्रिया	229247	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
64.	293CHE2004	नीम के बीज के सत्व का एक उन्नत ग्रेन्युलट फार्मूलेशन और उस की प्रक्रिया	241478	ईआईडी पैरी (भारत) लि.	भारत

1	2	3	4	5	6
65.	316DEL1999	नवीन स्पर्मिसिडल शुक्रघाती संयोजक तैयार करने की प्रक्रिया	190830	मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान एवं विकास रक्षा मंत्रालय	भारत
66.	317DEL1999	शुक्राणुनाशक योनिक संबंधी गोली तैयार करने की प्रक्रिया	190986	मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान एवं विकास रक्षा मंत्रालय	भारत
67.	326/BOM/1996	एड्स रोधी आयुर्वेदिक दवा/संयोजन तैयार करने की प्रक्रिया	180999	रेप्टेकोस ब्रेट एंड कं.लि.	भारत
68.	337DEL2002	भारतीय करौंदा (गूजबेरी)(फिलंथस एम्बिलकल) पर आधारित ठोस पाउडर फार्मूलेशन तैयार करने की प्रक्रिया	195797	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
69.	344DEL2000	स्त्रीरोग तथा अन्य संबंधित विकारों की चिकित्सा के लिए एक नए हर्बल सत्व के विनिर्माण की प्रक्रिया	191020	डाबर रिसर्च फाउण्डेशन	भारत
70.	3501DELNP2004	गेस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ऑडर्स के लिए उपयोगी हर्बल कम्पोजीशन और उसकी प्रक्रिया	245725	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
71.	365DEL2002	मोतियाबिंद बढ़ने तथा इसके उपचार के लिए ए हर्बल ऑप्थेल्मिक तैयार करने की प्रक्रिया	193358	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	भारत
72.	366DEL2002	मोतियाबिंद बढ़ने तथा इसके उपचार के लिए ए हर्बल ऑप्थेल्मिक तैयार करने की प्रक्रिया	193362	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
73.	377DELMP2004	दिमागी टोनिक के रूप में नया सिनर्जिस्टिक संयोजन तथा उसको तैयार करने की विधि	238309	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
74.	405MUM2004	ए नॉवल वेनाडियम फ्लेवानॉइड काम्प्लेक्स	245326	नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस	भारत
75.	412DEL2003	भारतीय कढ़ी पत्ते (मुराया कोनिगी स्प्रेंग) से एंटीऑक्सिडेंट कंसर्व तैयार करने के लिए प्रक्रिया	247639	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
76.	418DEL2002	मोतियाबिंद बढ़ने तथा इसके उपचार के लिए हर्बल ऑप्थेल्मिक तैयार करने की प्रक्रिया	217878	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	भारत
77.	462DEL2003	डाइक्रोस्टेचीज सिनरियो नामक एक नए प्राकृतिक स्त्रोत से एपिकेटिचिन तैयार करने की प्रक्रिया	225168	वैज्ञज्ञनिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत

1	2	3	4	5	6
78.	474MUM2000	कान्तिवर्द्धक त्वचा देखभाल संयोजन/मिश्रण	188850	हिन्दुस्तान लीवर लि.	भारत
79.	475DEL2000	ए हर्बल आरोग्यकर उत्पाद	216784	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	भारत
80.	478MUM2006	त्वचा रोग से संक्रमण के उपचार हेतु मुराया कोएगिनी की जड़ के सत्व वाला हर्बल यौगिक (मिश्रण)	249133	पीरामल लाइफ साइंस लि.	भारत
81.	48MUM2002	नव हर्बल आधारित यौगिक (मिश्रण)	221042	गुफिक हेल्थकेयर लि.	भारत
82.	486MUM2004	नीम के तेल और तारपीन के तेल पर आधारित घाव भरने की मरहम अथवा क्रीम तैयार करने की प्रक्रिया	207868	गोदरेज एग्रोवेट लि.	भारत
83.	488MUM2004	नीम तेल आधारित घाव भरने का मरहम अथवा क्रीम तैयार करने की प्रक्रिया	213607	गोदरेज एग्रोवेट लि.	भारत
84.	491DEL1998	शुक्राणु-द्रव्य (स्पर्मिसिडल सब्सटेंस) तैयार करने की प्रक्रिया	188953	मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान एंव विकास रक्षा मंत्रालय भारत सरकार	भारत
85.	492MUM2003	प्रोस्टेट ग्रंथि के एडिनोकार्सिनोमा रोग के उपचार के लिए भेषज तैयार करने की प्रक्रिया	200878	सहजानन्द बायोटेक प्रा.लि.	भारत
86.	494DEL1998	शुक्राणु-द्रव्य (स्पर्मिसिडल सब्सटेंस) तैयार करने की प्रक्रिया	189311	मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान एवं विकास रक्षा मंत्रालय भारत सरकार	भारत
87.	550MUM2001	संधिशोध (गठिया) के उपचार के लिए थेरेप्युटिक हर्बल कैप्सूल तैयार करने की प्रक्रिया	190494	मै. एलेम्बिक लि.	भारत
88.	573DEL2001	हड्डी उपाचयर विकारों के उपचार में उपयोगी सिनर्जिस्टक हर्बल संयोजन तैयार करने की प्रक्रिया	192493	डाबर रिसर्च फाउण्डेशन	भारत
89.	574DEL2001	हड्डी उपाचयी विकारों के उपचार हेतु हर्बल संयोजन	209451	डाबर रिसर्च फाउण्डेशन	भारत
90.	582DEL2003	श्वसनी अस्थमा के लिए/हर्बल संयोजन तथा उसं बनाने की प्रक्रिया	244034	निदेशक, केन्द्रीय यूनानी औषधी अनुसंधान परिषद	भारत
91.	585DEL2004	काला जीरा (नाइलेज सटाइवा) के बीजों से एंटीऑक्सीडेंट तैयार करने की प्रक्रिया	243225	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत

1	2	3	4	5	6
92.	595DEL2004	इंडियन सर्सपरिल्ला (हेमिडेस्मस इंडिक्युए आर.बी.आर.) की जड़ों से एंटी-ऑक्सिडेंट कंजर्व्स तैयार करने की प्रक्रिया	240828	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
93.	603MUM2004	पेय के लिए तैयार सफेद मूसली संयोजन तथा उसे तैयार करने की प्रक्रिया	238212	नंदन एग्रो फार्म्स, प्रा.लि.	भारत
94.	535DEL2001	अस्थमा के उपचार के लिए मौखिक तरत हर्बल संयोजन तैयार करने की प्रक्रिया	194647	डाबर रिसर्च फाउण्डेशन	भारत
95.	636DEL2001	अस्थमा के उपचार के लिए उपयोगी सिनेस्जिस्टिक संयोजन	217095	डाबर रिसर्च फाउण्डेशन	भारत
96.	655BOM1997	थेराप्युटिकली सक्रिय गोली में सिनेस्जिस्टिक ऑरल फॉर्मुलेशन तैयार करने की उन्नत प्रक्रिया	184504	मै. साइनिट ड्रग्स प्रा.लि.	भारत
97.	657BOM1997	थेराप्युटिकली सक्रिय हर्बल सामग्री की गोली में सिनेस्जिस्टिक ऑरल फॉर्मुलेशन तैयार करने की उन्नत प्रक्रिया	184846	साइनिट ड्रग्स प्रा.लि.	भारत
98.	687CAL2001	हर्बल त्वचा क्रीम की प्रक्रिया	195630	इमामी लि.	भारत
99.	7MUM2000	मनुष्यों की सूजन की क्यूरिंग/एलिविएटिंग के लिए हर्बल का सत्व तैयार करने की प्रक्रिया	188841	सी.बी. पटेल रिसर्च फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी साइंसेज	भारत
100.	748MUM2000	जड़ी-बूटी का सत्व निकालने तथा उससे मधुमेह की दवा तैयार करने की प्रक्रिया	188858	अजन्ता फार्मा लि.	भारत
101.	761DEL2001	अस्थिभंजक बनने से तथा हड्डी कमजोर होने से रोकने के लिए उपयोगी भारतीय हरित शम्बुक (पर्ना विरिडीस) से सत्व का सूत्रीकरण	211351	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
102.	774DEL1999	ए प्रोसेस फाफर द प्रिपरेशन ऑफ वाटर वेस्ट स्टेबल माइक्रा-एम्युल्सन फॉर्मुलेशन ऑफ नीम ऑयल	190838	दिल्ली विश्वविद्यालय	भारत
103.	779MUM2002	एंटीकॉन्युस्टेंट क्रियाकलाप के सेपिंडस से सेपोनिंस के हर्बल सत्वीकरण की प्रक्रिया	196014	लुपिन लि.	भारत

1	2	3	4	5	6
104.	78MAS1998	एक हर्बल व्यापक स्पेक्ट्रम रोगाणुरोधी डर्मेटॉलॉजिकल संयोजन तैयार करने की प्रक्रिया	186856	मै. नेचुरल रेमेडीज प्रा.लि.	भारत
105.	797DEL1996	मम्मल्स में हेपोटाइटिस 'बी' वायरल संक्रमण के उपचार में उपयोगी एक निर्जिस्टिक नॉवल हर्बल फार्मास्युटिकल संयोजन तैयार करने की प्रक्रिया	189717	डाबर रिसर्च फाउण्डेशन	भारत
106.	811MUM2006	ऑलिगोस्पर्मिया के उपचार और स्पर्म मोटिलिटी की वृद्धि के लिए हर्बल संयोजन	227492	शरद पवार कॉलेज ऑफ फार्मेसी	भारत
107.	816MAS1998	एक हर्बल रोगाणुरोधी डर्मेटोलॉजिकल औषधि	226999	नेचुरल रेमेडीज प्रा.लि.	भारत
108.	831DEL1999	सूखी खॉसी कफ, खॉसी गलत बैठ और ब्रोंकाइटिस के साथ खॉसी के उपचार के लिए सिनेर्जिस्टिक होम्योपैथिक संयोजन तैयार करने की प्रक्रिया	190581	एसबीएल लि.	भारत
109.	838DEL2003	डायबिटीज मेलिटस नियंत्रण के लिए एक हर्बल हाइपोग्लाइसेमिक कंपाउंड	230753	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	भारत
110.	844MAS2002	सर्क्युमिनोडिस के अवशोषण को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया तथा तकनीक	200430	मेरिको इंडस्ट्रीज लि.	भारत
111.	895DEL2001	महिलाओं तथा गर्भवती माताओं के लिए हर्बल न्यूट्रास्युटिकल फार्मुलेशन तैयार करने की प्रक्रिया	194682	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
112.	900DEL2000	इम्युनोमॉड्युलेटरी गतिविधि वाले एस्पारेगस रेसिमॉसस पौधे के हर्बल सत्व तैयार करने की प्रक्रिया	194364	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	
113.	949DEL2000	जनाकिया एरायलपाथ्रा जड़ से कैंसर के लिए एक हर्बल (फिटोमोडिसिन) तैयार करने की प्रक्रिया	191799	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत
114.	960MUM2001	एक्टोपेरासाइट्स को दूर करने के लिए प्रभावी संयोजन तथा उसको तैयार करने की प्रक्रिया	215134	मेरिको इंडस्ट्रीज लि.	भारत
115.	969DEL2002	मधुमेह के उपचार के लिए उपयोगी हर्बल फॉमुलेशन तैयार करने की प्रक्रिया	230817	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	भारत

1	2	3	4	5	6
116.	971MUM2004	हल्दी रिजोम्स से शुद्ध सर्क्युमिनस रिकवरी की प्रक्रिया	205792	गोदावरी शुगर मिल्स लि.	भारत
117.	977DEL2003	करक्यूमा पौधे से सेस्क्वीटरपीन कम्पाउंड्स को अलग करने तथा शोधन की प्रक्रिया	225387	दिल्ली विश्वविद्यालय	भारत

गौरैया और मधुमक्खियों की संख्या में कमी

347. श्री ओम प्रकाश यादवः
श्री सोनवणे प्रताप नारायणरावः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संचार टॉवरों से निकालने वाले वैद्युत-चुम्बकीय विकिरण देश में गौरैया तथा मधुमक्खियों की घटती संख्या का एक कारण है;

(ख) यदि हां, तो गौरैया और मधुमक्खियों के जीवन को बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वनस्पति और जीव-जंतुओं को वैद्युत-चुम्बकीय विकिरण से बचाने के लिए कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन)ः (क) और (ख) "पक्षियों और मधुमक्खियों सहित वन्यजीवों पर संचार टावरों के संभावित प्रभावों" का अध्ययन करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं वन मंत्रालय ने अगस्त, 2010 में प्रतिष्ठित संस्थाओं के वन्यजीव वैज्ञानिकों, पक्षी विशेषज्ञों और भौतिक वैज्ञनियों के एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। इस समूह ने सितम्बर, 2011 में मंत्रालय को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में मनुष्यों के स्वास्थ्य पर मोबाइल फोनों और संचार टावरों से निकलने वाले इलेक्ट्रोमेगनेटिक विकिरणों (ईएमआर) के प्रतिकूल प्रभावों की पुष्टि की है। तथापि इसमें यह भी संकेत किया गया है कि संचार टावरों के विकिरण और वन्यजीवों के स्वास्थ्य के बीच अब तक सही सह-संबंध स्थापित नहीं हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यद्यपि विद्यमान साहित्य में प्राणियों की जैविकीय प्रणालियों पर इलेक्ट्रोमेगनेटिक विकिरण (ईएमआर) के प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख है, तथापि देश में पक्षियों और मधुमक्खियों सहित स्वतंत्र विचरण करने वाली वनस्पतिजात और प्राणिजात प्रजातियों पर ईएमआर के वास्तविक प्रभाव का आकलन करने के लिए और अनुसंधान अपेक्षित है।

(ग) और (घ) चूंकि पक्षियों और मधुमक्खियों सहित वन्यजीव वनस्पतिजात और प्राणिजात पर ईएमआर के वास्तविक प्रभाव की जांच करने के संबंध में और अध्ययन कराए जाने अपेक्षित हैं, अतः इस विषय पर इस अवस्था में कानून बनाए जाने उचित नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि के निष्क्रिय खाते

348. श्री हरिन पाठकः
श्री कमल किशोर कमांडोः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्मचारी भविष्य निधि में पड़ी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में कर्मचारियों/मजदूरों के खाते अनेक वर्षों से निष्क्रिय पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस धनराशि को सही दावेदारों को देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के खातों के कम्प्यूटरीकरण में लम्बे समय से विलम्ब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे)ः (क) वर्ष 2010-11 हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखाओं के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि में पड़ी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विविरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2010-11 हेतु इस संगठन के वार्षिक लेखाओं के अनुसार, 14,914.81 करोड़ रूपये की राशि निष्क्रिय खातों में पड़ी है जिसके देय होने के बावजूद सदस्यों द्वारा पिछले कई वर्षों से दावा नहीं किया गया।

इसके कारण निम्नवत हैं:

1. कुछ सदस्य अपने खातों से धनराशि इसलिए नहीं निकालते क्योंकि:

(क) ऐसी जमा राशियों पर अर्जित ब्याज आयकर से छूट प्राप्त होता है।

(ख) ऐसी जमा राशियां सुरक्षित निवेश हैं और किसी न्यायालय की डिक्री के बावजूद उन्हें जब्त नहीं किया जा सकता है।

(ग) कभी-कभी कर्मचारी भविष्य निधि की जमा राशियों पर ब्याज दर बाजार में अन्य तुलनात्मक निवेश की अपेक्षा अधिक होती है।

2. सदस्य शामिल किए गए एक प्रतिष्ठान से दूसरे प्रतिष्ठान में जाने के पश्चात शेष राशि अंतरित नहीं करते क्योंकि उनके लिए अपने पुराने खाते को नये खाते में अंतरित करने में कठिनाई होती है। इसके परिणामस्वरूप, पुराना खाता कुछ समय के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है।

निष्क्रिय खातों की संख्या में कमी लाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) निष्क्रिय खातों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 01.04.2011 से निष्क्रिय खातों पर ब्याज की अनुमति न देने के लिए दिनांक 15.01.2011 को अधिसूचना जारी कर दी है।

(ii) सदस्यों को निपटान हेतु अपने दावे दायर करने के संबंध में शिक्षित करने हेतु मुद्रण और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाता है। इसी प्रकार, नियोजकों और कर्मचारियों के संघों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे सदस्यों को निपटान हेतु अपने दावे दायर करने के लिए सलाह दें।

(iii) इसके अतिरिक्त, अंतरण प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए इलैक्ट्रानिक विधि द्वारा एक प्रतिष्ठान से दूसरे प्रतिष्छान को भविष्य निधि खाते का अंतरण करने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है।

(घ) और (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कम्प्यूटरीकरण परियोजना के चालू चरण का अनुमोदन केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2008 को आयोजित अपनी 182वीं बैठक में किया गया था और तदनुसार 31 मार्च, 2011 तक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से 120 कार्यालयों में से 119 कार्यालयों में यह परियोजना कार्यान्वित की गई है। क्योंझार (ओडिशा) कार्यालय में उसके लिए उपयुक्त इमारत की व्यवस्था न हो पाने के कारण उसका कम्प्यूटरीकरण पूरा नहीं किया जा सका।

विवरण

वर्ष 2010-11 हेतु भविष्य निधि में पड़ी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा

(धनराशि करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	क.भ.नि. अंशदान खाता अंत शेष 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार	निष्क्रिय खाता अंतः शेष 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार	भविष्य निधि खाते में पड़ी कुल धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12,135.10	1,272.70	13,407.80
2.	बिहार	1169.03	204.21	1,373.24
3.	छत्तीसगढ़	948.88	170.24	1119.12

1	2	3	4	5
4.	दिल्ली	12,852.05	6.66	12,858.71
5.	गोवा	1177.33	83.10	1,260.43
6.	गुजरात	9,884.22	636.40	10,520.62
7.	हरियाणा	6,742.14	983.64	7,725.78
8.	हिमाचल प्रदेश	1,004.71	156.85	1161.56
9.	झारखंड	1,307.48	0.05	1,307.53
10.	कर्नाटक	20,345.78	696.07	21,041,85
11.	केरल	4,591.80	0.19	4,591.99
12.	मध्य प्रदेश	4,430.26	331.30	4,761.56
13.	महाराष्ट्र	38,583.31	4,952.56	43,535.87
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,253.84	61.92	1,315.76
15.	ओडिशा	2,560.03	282.50	2,842.53
16.	पंजाब	7,401.65	435.51	7,837.16
17.	राजस्थान	3,916.85	505.73	4,422.58
18.	तमिलनाडु	15,683.58	1,603.23	17,286.81
19.	उत्तराखण्ड	1,364.14	99.43	1,463.57
20.	उत्तर प्रदेश	7,488.11	1,590.56	9,078.67
21.	पश्चिम बंगाल	8,717.06	841.96	9,559.02
	कुल	1,63,557.35	14,914.81	1,78,472.16

कोर उद्योगों में विकास दर

349. श्री गुरूदास दासगुप्तः
चौधरी लाल सिंहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोर उद्योगों/क्षेत्रों, उपभोक्ता वस्तुओं की विकास दर का ब्यौरा क्या है और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एवं सकल घरेलू उत्पादन में उनका योगदान तथा महत्व कितना रहा;

(ख) क्या देश के राज्यों में औद्योगिक विकास दर भिन्न-भिन्न रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों ने चालू वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष उच्च विकास दर हासिल की थी;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी और ग्रीस तथा अन्य यूरोपीय देशों में हाल के आर्थिक असंतोष के कारण अनेक भारतीय उद्योगों ने अधिक उत्पादन लागत/ब्याज दर के कारण आपने उत्पादन में कमी लानी शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की दृष्टि से मापे गए अनुसार कोर उद्योगों तथा उपभोक्ता वस्तु क्षेत्रों की विकास दर का ब्यौरा तथा आईआईपी में उनकी भारिता नीचे तालिका में दिए गए हैं:

कोर उद्योगों तथा उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की विकास दर

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	आईआईपी में भारिता	2008.09	2009.10	2010.11	2010.11 (अप्रैल-अक्तूबर)	2011.12 (अप्रैल-अक्तूबर)
कोयला	4.4	8.0	8.1	.0.3	0.3	.5.5
कच्चा तेल	5.2	.1.8	0.5	11.9	10.7	4.2
प्राकृतिक गैस	1.7	1.3	44.6	10.0	22.2	.8.3
रिफाइनरी उत्पाद	5.9	3.0	.0.4	3.0	1.4	3.6
उर्वरक	1.3	.3.9	12.7	0.0	.2.0	0.2
इस्पात (मिश्र धातु+गैर-मिश्र धातु)	6.7	1.9	6.0	8.9	8.3	8.7
सीमेंट	2.4	7.2	10.5	4.5	6.6	2.8
विद्युत	10.3	2.7	6.2	5.5	4.8	8.6
समग्र कोर क्षेत्र सूचकांक	37.9	2.8	6.6	5.7	5.9	4.3
उपभोक्ता वस्तुएं	29.8	0.9	7.7	8.6	9.1	3.7

उद्योग क्षेत्र, जिसमें खनन विनिर्माण और विद्युत आते हैं, और जो आईआईपी के घटक हैं, की भारिता आधार वर्ष 2004-05 में जीडीपी में 20.3 प्रतिशत थी।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2008-09 2009-10 और 2010-11 में क्रमशः 12. 1 प्रतिशत, 21.0 प्रतिशत तथा 18.4 प्रतिशत था। वर्तमान वर्ष की प्रथम छमाही में, सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 13.3 प्रतिशत था।

(ख) और (ग) वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की राज्य-वार विकास दर (वर्ष 2004-05 के स्थिर मूल्यों पर) संलग्न विवरण में दी गई है। वर्तमान वर्ष की विकास दर पर जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) हाल के महीनों में औद्योगिक विकास में कुछ कमी आई है। यह कमी आशिंक रूप से यूरोपीय देशों सहित वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण तथा घरेलू कारकों विशेष तौर पर ब्याज दरें बढ़ने के कारण भी है तथापि यह निर्धारण करना संभव नहीं है कि औद्योगिक विकास में आई कमी में, इनमें से प्रत्येक कारक का अलग से कितना योगदान है।

विवरण

2004-05 मूल्यों में विनिर्माण की वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

राज्य	2008.09	2009.10	2010.11
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1.6	5.0	8.1
अरुणाचल प्रदेश	0.9	17.2	लागू नहीं
असम	5.9	2.6	0.5
बिहार	21.9	15.2	15.0
छत्तीसगढ़	2,4	10.0	13.0
गोवा	5.8	6.4	लागू नहीं
गुजरात	4.7	11.0	लागू नहीं
हरियाणा	2.9	10.5	11.2
हिमाचल प्रदेश	.0.1	7.8	0.9
जम्मू और कश्मीर	8.5	8.2	8.3
झारखंड	.31.8	.6.0	.5.5
कर्नाटक	9.1	4.4	9.8
केरल	11.2	14.6	लागू नहीं
मध्य प्रदेश	3.2	9.1	लागू नहीं
महाराष्ट्र	.3.8	16.3	8.6
मणिपुर	.2.6	7.2	7.3
मेघालय	.4.7	11.9	11.9
मिजोरम	.3.1	11.2	लागू नहीं
नागालैंड	.13.3	लागू नहीं	लागू नहीं
ओडिशा	11.2	14.7	8.7
पंजाब	5.2	13.3	10.2
राजस्थान	2.4	15.4	0.2

1	2	3	4
सिक्किम	9.0	1.0	3.4
तमिलनाडु	.1.3	9.4	7.8
त्रिपुरा	3.7	3.7	3.7
उत्तर प्रदेश	.7.8	7.0	8.9
उत्तराखण्ड	20.9	9.5	7.7
पश्चिम बंगाल	0.9	4.3	लागू नहीं
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1.3	31.2	लागू नहीं
चंडीगढ़	0.5	6.6	7.5
दिल्ली	.6.4	9.1	.0.5
पुदुचेरी	11.3	10.1	10.8

ठेका कामगार

350. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीरः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में निर्धारित ठेका कामगारों के लिए उपलब्ध सेवा शर्तो, मजदूरी ढांचे, कल्याण और सुविधाओं का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बड़े उद्योगों में व्यापक पैमाने पर काम की आउटसोर्सिंग के आलोक में तथा ठेका मजदूरों के स्वतः आमेलन (एब्जार्पशन) के लिए ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन या सुधार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 किस सीमा तक लागू है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) केन्द्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठानों के संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है। राज्य क्षेत्र में प्रष्ठिानों के लिए संबंधित राज्य सरकारें समुचित सरकार हैं और निजी संस्थान भी उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं केन्द्रीय क्षेत्र में इस अधिनियम के उपबंधों को केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के माध्यम से कड़ाई से कार्यान्वित किया जा रहा है और अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।

(ख) और (ग) मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से ठेका कामगारों के हित का संरक्षण करने के लिए ठेका (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन करने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तथापि, ठेका श्रमिकों के स्वतः आमेलन के संबंध में उक्त अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) स्वतः आमेलन से नियमित नौकरियों में अनौपचारिक प्रवेश का रास्ता खुल सकता है और इससे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अन्य श्रेणियों जिनके लिए नियमित नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, के रोजगार की संभावनाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

(ङ) सरकार ने देश में उस सीमा का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है जिस तक अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 प्रभावी है। तथापि, दिनांक 20 और 21 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा गठित कार्यदल की सिफारिशों

पर, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के उपबंध की जांच करने के लिए एक त्रिपक्षीय दल का गठन किया था। इस दल ने इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों की जांच की और प्रवासी कामगारों को पेश आ रही समस्याओं, अधिनियम के विद्यमान उपबंधों, प्रवर्तन तंत्र, अधिनियम के कार्यान्वयन में समस्या आदि की जांच की। इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह रिपोर्ट दिनांक 23-24 नवम्बर, 2010 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है।

एक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग

351. **श्री मानिक टैगोरः**
श्री आर. थामराईसेलवनः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में एक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है तथा इनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या सभी एक लेन वाले/इंटरमिडिएट लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को दो लेन में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन पर कितना व्यय होने की संभावना है तथा इन्हें पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार निष्पक्ष और खुली प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु इन परियोजनाओं के लिए बोलीदाताओं की संख्या सीमित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) दो लेन से कम लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय की परिकल्पना अगले पंचवर्षीय योजना (2012-17) में सभी एकल/मध्यम लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने की है परंतु यह कार्य निधि की उपलब्धता पर और इंजीनियरी-प्रापण-निर्माण विधि से शुरू की जाने वाली विशेष परियोजनाओं, विश्व बैंक से प्रस्तावित ऋण सहायता और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IVए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का चरण-ए तथा अरूणाचल प्रदेश पैकेज, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क कार्यक्रम आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों सहित बजटीय आबंटनों के माध्यम से वार्षिक योजना के अंतर्गत, अन्य अपेक्षित विकास कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के अध्यधीन होगा।

तथापि, 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंमित रूप दिए जाने का कार्य लंबित होने के कारण, किए जाने वाले संभावित व्यय सहित उनको पूरा करने के लिए कोई भी समय-सीमा बताना जल्दबाजी होगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रस्तावित विश्व बैंक ऋण सहायता से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की 3,770 किमी लंबाई को दो लेन राष्ट्रीय राजमार्ग मानक में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। विश्व बैंक ने ऋण संरचना को किश्तों में इंगित किया है और ऋण की पहली किश्त 1.00 बिलियन यू. एस. डॉलर की हो सकती है। इस आधार पर, राष्ट्रीय राजमार्गों की 3,770 किमी लंबाई में से लगभग 1,270 किमी लंबाई को ऋण की पहली किश्त के लिए पृथक किया गया है।

विवरण

दो लेन से कम लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का उनकी लंबाई सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एकल/मध्यम लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कुल लंबाई (किमी)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	16, 43, 63, 202, 214, 214।, 221 और 234	318
2.	अरुणाचल प्रदेश	37, 52, 52ए, 52बी, 153 और 229	1,780

1	2	3	4
3.	असम	52, 53 और 54	409
4.	बिहार	2सी, 19, 28बी, 30ए, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107 और 110	1,527
5.	छत्तीसगढ़	16, 78, 200, 202 और 221	396
6.	गोवा	4ए, 17 और 17बी	42
7.	गुजरात	8ए और 228	153
8.	हरियाणा	65 और 73ए	33
9.	हिमाचल प्रदेश	20, 20ए, 21ए, 22, 70, 72बी, 73ए और 88	770
10.	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी और 1डी	377
11.	झारखंड	33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100	624
12.	कर्नाटक	4ए, 13, 67, 206, 209, 212, 218 और 234	845
13.	केरल	17, 49, 208, 212, 213 और 220	298
14.	मध्य प्रदेश	12, 12ए, 26बी, 27, 59ए, 69, 75, 76, 78, 86 और 92	1,096
15.	महाराष्ट्र	204, 211 और 222	22
16.	मणिपुर	53, 150 और 155	496
17.	मेघालय	40, 44, 51 और 62	349
18.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	685
19.	नागालैंड	61, 150 और 155	308
20.	ओडिशा	6, 23, 75, 200, 201, 203, 217 और 224	709
21.	राजस्थान	3ए, 11ए, 11बी, 65, 65ए, 76ए, 76बी, 89, 90, 112, 113, 116 और 116ए	1,126
22.	सिक्किम	31ए	62
23.	तमिलनाडु	45ए, 49, 208, 226 और 230	80
24.	त्रिपुरा	44	370
25.	उत्तर प्रदेश	28सी, 76, 91ए, 92, 231ए, 232 और 233	248
26.	उत्तराखण्ड	58, 72बी, 74, 87, 94, 108, 109, 119, 121, 123 और 125	1,587
27.	पश्चिम बंगाल	2बी, 31ए, 31डी, 35, 55, 60, 60ए, 80, 81 और 117	528
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	223	300

सुखोई विमान का विनिर्माण

***352. श्री प्रदीप माझीः**
श्री किसनभाई वी. पटेलः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने रक्षा प्रापण प्रक्रिया के अनुसार सुखोई-30 एमकेआई युद्धक विमान का विनिर्माण शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उत्पादन क्षमता की तुलना में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा सृजित अवसंरचना दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हिन्दुस्तानी एयरोनाटिक्स लिमिटेड से विमान विनिर्माण में तेजी लाने के लिए कहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा इनकी सुपुर्दगी के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) भारतीय वायु सेना को इस विमान की समय पर सुपुर्दगी/उसमें इसे शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) सुखोई-30 एमकेआई विमान का लाइसेंस के तहत उत्पादन, 1992 में निर्धारित रक्षा अधिप्राप्ति हेतु प्रक्रियाओं के अंतर्गत 2004-05 में हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) में शुरू किया गया था।

(ख) 140 सुखोई-30 एम के आई विमानों, उनके इंजनों तथा अतिरिक्त हिस्से-पुर्जो के उत्पादन के लिए लाइसेंस तथा तकनीकी दस्तावेज भारत को हस्तांतरित करने के लिए भारत गणराज्य तथा रूसी संघ की सरकारों के बीच एक अंतर सरकारी समझौते को 4 अक्तूबर, 2000 में अतिम रूप दिया गया था। एच.ए.एल को सरकारी अनुमोदन जनवरी 2001 में सम्प्रेषित कर दिया गया था। अनुमोदन के अनुसार, उत्पादन क्षमता 12 विमान प्रतिवर्ष परिकल्पित है। सुखोई-30 एमकेआई विमान के विनिर्माण की उत्पादन लाइन एच. ए.एल के नासिक संयंत्र में स्थापित की गई है।

(ग) सरकारी अनुमोदन के अनुसार, इस परियोजना को वर्ष 2004-05 से शुरू होकर वर्ष 2017-18 तक पूरा होना था। तथापि, बाद में भारतीय वायुसेना के अनुरोध पर 140 विमानों का सुपुर्दगी कार्यक्रम और पहले करके 2014-15 तक कर दिया गया तथा इस संबंध में सरकार का अनुमोदन एच ए एल को मार्च 2006 में सूचित कर दिया गया था। इस संशोधित सरकारी अनुमोदन के अनुसार, उत्पादन क्षमता 16 विमान प्रतिवर्ष परिकल्पित थी।

(घ) सरकार के मार्च 2006 के अनुमोदन के बाद एच ए एल ने 140 सुखोई-30 एमकेआई विमानों की 2014-15 तक आपूर्ति किए जाने के लिए भारतीय वायुसेना के साथ संविदाओं को अंतिम रूप दिया। इसके अलावा अतिरिक्त 40 सुखोई-30 एमकेआई विमानों की आपूर्ति हेतु भारतीय वायु सेना के साथ संविदा को अंतिम रूप दिया जिसमें 140 विमानों के पूर्व आर्डर के साथ उक्त आपूर्ति को 2014-15 तक पूरा किया जाना था।

(ङ) भारतीय वायु सेना को विमानों की समय पर सुपुर्दगी के लिए एच ए एल ने निम्नलिखित कदम उठाए हैंः

(i) विनिर्माण तथा एसेंबली शॉपों में अतिरिक्त टूलिंग, जिग तथा जुड़नार स्थापित करना।

(ii) आउटसोर्सिंग बढ़ाना।

(iii) वैकल्पित विक्रेता तैयार करना।

(iv) समयचक्र को कम करने हेतु विनिर्माण प्रक्रिया तथा प्रचालनों में सुधार करना।

थ(v) उद्यम संसाधन आयोजना के जरिए प्रभावी मानीटरी तथा समय पर हस्तक्षेप करना।

(vi) महत्वपूर्ण निर्माण कार्य केंद्रों में जनशक्ति की भर्ती/पुनर्नियोजन।

प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयां

***353. श्री वरूण गांधीः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में प्रदूषणकारी उद्यागों की संख्या के संबंध में कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्योग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कठोर कदम उठाए गए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) सरकार ने अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों

की 17 पहचान की है। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों के अंतर्गत 2608 उद्योगों की पहचान की गई है। इनमें से 1924 उद्योगों ने निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हेतु अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों का प्रावधान किया है। 339 इकाइयां बंद हो चुकी हैं और 345 उद्योगों के पास निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इन अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों का राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी) जल (प्रदूषण) निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत उद्योगों को सहमति प्रदान करने के लिए सांवधिक निकाय हैं। एसपीसीबी ने भी प्रदूषणकारी उद्यागों की उनके प्रदूषण फैलाने की क्षमता के आधार पर पहचान की है और उन्हें लाल, संतरी तथा हरी श्रेणियों में समूहबद्ध किया है। निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण प्रतिमानकों के अनुपालन की स्थिति का आकलन करने के लिए एसपीसीबी और पीसीसी द्वारा पहचान किए गए उद्योगों को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है।

(ग) से (ङ) सरकार ने ऐसे उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जो निम्नवत मॉनीटरिंग।

(i) पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एसपीसीबी और पीसीसी द्वारा औद्योगिक इकाइयों की नियमित मॉनीटरिंग।

(ii) एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा चूककर्ता उद्योगों को उनकी विनिर्माण प्रक्रिया बंद कर देने सहित निदेश जारी करना।

(iii) औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम हेतु सामान्य और उद्योगों विशिष्ट उत्सर्जन और बहिस्त्राव मानकों की अधिसूचना।

(iv) इन क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता पुनः स्थापित करने के लिए 88 अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक समूहों की पहचान करना।

(v) पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु कॉरपोरेट उत्तरदायित्व (सीआरईपी) के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रित करने के संबंध में कॉरपोरेट भागीदारी के लिए परस्पर सहमति वाले कार्यक्रम तैयार तैयार करना।

(vi) बहिस्त्रावों और परिसंकटमय अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु क्रमशः 153 साझा बहिस्त्राव उपचार संयंत्रों और 29 साझा उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाएं स्थापित करना।

(vii) वायु और जल प्रदूषण उत्पन्न होने में कमी करने के लिए औद्योगिक इकाइयों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की शुरूआत।

विवरण I

अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुपालन करने वाले	अनुपालन न करने वाले	बंद हो चुके	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	असम	20	4	0	24
2.	आंध्र प्रदेश	352	67	31	450
3.	बिहार	17	0	0	17
4.	छत्तीसगढ़	70	5	0	75
5.	गोवा	16	1	0	17
6.	गुजरात	142	53	60	255
7.	हरियाणा	68	10	4	82
8.	हिमाचल प्रदेश	14	0	3	17

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू और कश्मीर	7	0	3	10
10.	झारखंड	22	0	5	27
11.	कर्नाटक	119	9	12	140
12.	केरल	24	8	17	49
13.	मध्य प्रदेश	42	18	5	65
14.	महाराष्ट्र	237	8	69	314
15.	मेघालय	9	2	0	11
16.	मिजोरम	1	0	0	1
17.	ओडिशा	38	7	8	53
18.	पंजाब	57	13	20	90
19.	राजस्थान विवरण	82	30	26	138
20.	तमिलनाडु	215	9	9	233
21.	त्रिपुरा	8	1	0	9
22.	उत्तराखंड	21	17	2	40
23.	उत्तर प्रदेश	281	71	38	390
24.	पश्चिम बंगाल	54	10	21	85
25.	चंडीगढ़	0	0	0	0
26.	दमन और दीव	2	0	0	2
27.	दिल्ली	2	0	3	5
28.	पुदुचेरी	4	2	3	9
29.	सिक्किम	0	0	0	0
30.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
31.	मणिपुर	0	0	0	0
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
33.	नागालैंड	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
	कुल	1924	345	339	2608

विवरण II

उद्योगों की 17 श्रेणियों की श्रेणीवार स्थिति

क्र.सं.	उद्योगों का प्रकार	अनुपालन करने वाले	चूककर्ता	बंद को चुके	कुल
1.	एल्युमिनियम	07	0	01	08
2.	सीमेंट	164	36	17	217
3.	क्लोर-अत्कली	26	02	03	31
4.	तांबा	06	0	0	06
5.	डिस्टीलरी	190	22	31	243
6.	डाईज और इन्टरमीडिएट्स	58	02	22	82
7.	उर्वरक	83	08	27	118
8.	लोहा और इस्पात (अर्थात एकीकृत) लोहा और इस्पात+ स्पोंज आयरन	43	03	04	50
9.	तेल रिफाइनरीज	19	03	02	24
10.	कीटनाशी	49	19	17	85
11.	पेट्रोरसायन	45	02	07	54
12.	फार्मास्यूटिकल्स	432	49	67	548
13.	लुगदी और कागज	123	46	36	205
14.	चीनी	378	73	65	516
15.	चर्म शोधन	100	25	23	148
.16.	केप्टिव टीपीपी सहित थर्मल पावर संयत्र	196	54	17	267
17.	जिंक	05	01	0	06
	कुल	1924	345	339	2608

रक्षा खरीद संबंधी व्यय

***354. श्री मनीष तिवारीः**
श्री राधा मोहन सिंहः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दशक में भारत द्वारा रक्षा खरीद पर कुल कितना व्यय किया गया है तथा भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों से कुल कितन प्रतिशत की रक्षा खरीद की गई है;

(ख) क्या पिछले तीन दशकों के दौरान रक्षा उपकरणों की खरीद संबंधी नीति निश्चित तौर पर इसके स्वेदशीकरण की रूपरेखा की

तरफ रही थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो रक्षा खरीद के लिए "तदर्थ गैरेज सेल" की नीति का पालन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधार को बढ़ावा देने तथा देश में रोजगार के अधिक अवसरों के सृजन हेतु रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार रक्षा उत्पादन विभाग की भूमिका में संस्थागत वृद्धि और विस्तार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इस पुनर्गठन से क्या प्राप्त किए जाएंगे एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटीनी): (क) भारत द्वारा वर्ष 2001-02 से 2010-11 के दौरान रक्षा खरीद पर किया गया कुल व्यय (राजस्व एंव पंजीगत) 4,42,607.70 करोड़ रु. था। इसमें भारतीय निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आयुध निर्माणियों और विदेशी स्त्रोंतों से की गई अधिप्राप्तियां भी शामिल हैं। लेखांकन प्रणाली में भारतीय निजी क्षेत्र से की गई रक्षा खरीदों के संबंध में आंकड़ों को अलग से शामिल नहीं किया जाता।

(ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, आयुध निर्माणी बोर्डों और भारतीय निजी क्षेत्र के समेकित प्रयास से रक्षा उपस्करों के स्वदेशी निर्माण पर अधिक जोर दिया गया है। रक्षा उद्योग को लाइसेंस प्रक्रिया के अध्यधीन 26% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ मई, 2001 में भारतीय निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए खोला गया था। रक्षा उत्पादन में और अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने जनवरी, 2011 में एक रक्षा उत्पादन नीति की घोषणा की है। इसके अलावा, सरकार ने देश में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवंबर, 2009 में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में 'खरीदों और बनाओं (भारतीय)' नामक एक नई श्रेणी को शामिल किया है।

(ग) यह मामला अंतर मंत्रालयी परामर्श के अधीन है।

(घ) भूमि, नौसेना, एरोस्पेस, मिसाइल और इलेक्ट्रानिकी क्षेत्रों का कार्यभार अलग-अलग संयुक्त सचिवों को सौंपतें हुए जनवरी, 2010 में रक्षा उत्पादन विभाग की पुनर्सरचना की गई थी। इलेक्ट्रानिकी क्षेत्र के प्रभारी संयुक्त सचिव रक्षा उद्योगों की सहभागिता और निर्यात संबंधी कार्य भी देखते हैं।

सीमा पर पाकिस्तान द्वारा निर्माण गतिविधियां

***355. श्री कीर्ति आजादः** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा हाल की बढ़ती हुई निर्माण गतिविधियों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए रणनीति/उपाय संबंधी कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) आसूचना से प्राप्त सूचना से सरकार को जानकारी मिली है कि पाकिस्तान ने निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार बंकरों, मोर्चों तथा टावरों का निर्माण किया है तथा इनकी मरम्मत की हैः

विवरण	2004 से अक्तूबर, 2011 तक
बंकर	856
मोर्चा	261
टावर	378
चौकी/सीमावर्ती बाह्य चौकियां	143

पाकिस्तान रेंजरों के समक्ष विरोध प्रकट किया गया है तथा इन सभी मामलों में फील्ड कमांडरों की फ्लैग बैठकें आयोजित की जाती हैं। विभिन्न स्तरों पर निर्धारित बैठकों के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तान रेंजरों के साथ भी मामले को उठाया जाता है। सीमा पार से घुसपैठ की रोकथाम के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैंः

(i) सीमा की रात-दिन निगरानी करना तथा गश्त लगाना। नदी तटीय सीमाओं की चौकसी जल नौकाओं और फ्लोटिंग बॉर्डर आउट द्वारा की जाती है।

(ii) प्रेक्षण चौकियों की स्थापना;

(iii) सीमा पर बाड़ तथा फ्लड लाइटिंग लगाना;

(iv) आधुनिक तथा उच्च तकनीकी निगरानी उपस्कर लगाना;

(v) सीमावर्ती बाह्य चौकियों की आपसी दूरी को कम करने के लिए सीमा के साथ-साथ अतिरिक्त सीमावर्ती बाह्य चौकियों की स्थापना;

(vi) आसूचना व्यवस्था का उन्नयन; तथा

(vii) संबंधित राज्य सरकारों तथा आसूचना एजेंसियों के साथ समुचित समन्वय।

रेशम उद्योग

***356. श्री यशवीर सिंहः**
श्री नीरज शेखरः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में परम्परागत बनारसी और पोचमल्ली रेशम उद्योग होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त उद्योग के पुनरूद्धार तथा इसमें नियोजित बुनकरों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, हथकरघों की कम उत्पादकता और उच्च श्रम घटक में विद्यमान अलाभप्रद स्थिति के कारण हथकरघा क्षेत्र को विद्युतकरघा से मुकाबला करना पड़ रहा है।

(ग) सरकार ने हथकरघा क्षेत्र का विकास करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) देश में विभिन्न प्रकार के रेशमी यार्न की कीमतों को कम करने के उद्देश्य से कच्चे सिल्क यार्न पर आयात शुल्क को 30% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(ii) आयातित चानी रेशमी वस्त्र पर पाटनरोधी शुल्क के लिए संदर्भगत कीमत (बेंचमार्क), नीचे दी गई सारणी में दर्शाए गए अनुसार दिनांक 5.12.2011 से बढ़ा दी गई है:

चीनी गणराज्य में मूल्य रूप से उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित चीनी रेशमी वस्त्र के लिए संदर्भगत कीमत

मुख्य उत्पाद	भार (ग्राम/मीटर)	पूर्व संदर्भगत कीमत (अमरीकी डॉलर/मीटर)	5.12.2011 से प्रभावी अंतिम समीक्षा संदर्भगत कीमत (अमरीकी डॉलर/मीटर)
क्रीप	40	2.1	3.1
	60	2.8	4.3
	80	3.7	5.7
जार्जेट	40	2.2	2.6
	60	3.0	3.6
अन्य	40	2.1	3.6
	50	2.5	4.2

इस उपाय से सस्ते चीनी रेशमी वस्त्र के पाटन का रोका जा सकेगा।

(iii) सरकार, व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों और उनकी सहकारी समितियों की दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार अतिदेय राशियों को माफ करने के लिए 3884 करोड़ रुपए का एक वित्तीय पैकेज कार्यान्वित कर रही है। इससे लगभग 15000 सहकारी समितियां और 3 लाख बुनकर लाभान्वित होंगे। इस संबंध में हथकरघा बुनकरों को वित्तीय पैकेज के बारे में जागरूक बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 100 जागरुक शिवरों की योजना बनाई गई है और उसकी शुरूआत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केरल से की गई है।

(iv) हथकरघा क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्थात संस्थागत उधार और उचित दरों पर यार्न उपलब्ध कराने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए 2362.15 करोड़ रुपये व्यापक पैकेज और 12वीं योजना के लिए आर्थिक कार्य के संबंध में मंत्रिमंडल समिति के विचाराधीन है।

(v) इसके अलावा, बनारसी और पोचमपल्ली सिल्क, दोनों वस्तुओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करने और अन्यों द्वारा इन उत्पादों का अनधिकृत उपयोग किए जाने से रोकने के लिए वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण एवं सरंक्षण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत इन्हें पंजीकृत किया गया है।

(vi) भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के समग्र और सतत विकास के लिए बुनकरों की कल्याण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और आवश्यकता आधारित सहायता मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित पांच योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैः

(क) **एकीकृत हथकरघा विकास योजनाः** में 300-500 हथकरघों के कलस्टर अथवा 10-100 बुनकरों के ग्रुप को आवश्यकता पर आधारित निविष्टियों (इनपुट) की व्यवस्था है ताकि उनको मार्जिन धन, कार्यशील पूंजी, नए करघों तथा अतिरिक्त पुर्जे/सामान, कौशल उन्नयन, विपणन अवसरों तथा वर्कशेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके स्व-संपोषनीय बनाया जा सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक 551 कलस्टर परियोजनाएं और 2012 ग्रुप अप्रोच परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ख) **विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजनाः** बुनकरों तथा उनके संगठनों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोजनों में भाग लेने और क्रेताओं को अपना माल बेचने के लिए मंच उपलब्ध कराती है।11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक 2666 विपणन आयोजन स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) **हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजनाः** इसमें दो पृथक योजनाएं, अर्थात हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस) तथा प्राकृतिक/दुर्घटनात्मक मृत्यु, दुर्घटना के कारण पूर्ण/आंशिक विकलांगता के मामले में जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराने हेतु महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नीति अवधि 2010-11 (दिसम्बर, 2010 से नवम्बर, 2011 तक) के दौरान, प्रस्तावित 17.97 लाख हथकरघा बनुकरों के परिवारों में से 31 अक्टूबर, 2011 तक 16.80 लाख बुनकर परिवारों को शामिल किया गया है। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के अंतर्गत 2009-10 के दौरान 5.11 लाख हथकरघा बुनकरों का पंचीयन किया गया था और 2010-11 के दौरान 5.21 लाख हथकरघा बुनकरों का पंजीयन किया गया था।

(घ) **मिल गेट कीमत योजनाः** यह योजना पात्र हथकरघा अभिकरणों को मिल गेट कीमत पर सभी प्रकार का सूत (यार्न) उपलब्ध कराती है ताकि हथकरघा बुनकरों को बुनियादी कच्चे माल की नियमित आपूर्ति में सहायता मिले उनकी रोजगार की संभावना बनी रहे। 11वीं योजना के दौराना अब तक योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को 44.86.60 करोड़ रुपये मूल्य के 4627.17 लाख किलोग्राम सूत की आपूर्ति की गई है।

(ङ) **विविधीकृत हथकरघा विकास योजनाः** इस योजना में हथकरघा बुनकरों की उत्पादकता तथा आय बढ़ाने हेतु समूचे देश में 25 बनुकर सेवा केन्द्रों तथा 5 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के माध्यम से डिजाइन और उत्पाद विकास के लिए बुनकरों के प्रौद्योगिकीय तथा कौशल उन्नयन के लिए सहायता की व्यवस्था है।

(च) उपर्युक्त योजनाओं के अलावा, वर्ष 2008-09 में **व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजनाः** आरंभ की गई है, जिसका उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को सशक्त बनाना और घरेलू व वैश्विक बाजार में धारणीय और विश्वश्नीय ढंग से उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण करना है। योजना में कम से कम 25000 करघों के साथ स्पष्ट रूप से अभिज्ञेय भौगोलिक स्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत सरकार 70 करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता देगी। अब तक वाराणसी (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम) विरूधुनगर (तमिलनाडु) तथा मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में ऐसे 4 मेगा हथकरघा क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं।

(छ) पोचमपल्ली सिल्क के संवर्धन और विकास के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क की योजना के तहत 48 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पोचमपल्ली हथकरघा पार्क की स्थापना की गई है।

व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट का प्रभाव

357. श्री संजय धोत्रेः
श्री मंगनी लाल मंडलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट तथा विकसित बाजारों से मांग में गिरावट का देश के व्यापार और उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सेक्टर-वार घरेलू उद्योगों मंदी का क्या प्रभाव रहा तथा चालू वर्ष के दौरान उद्योग-वार/सेक्टर-वार अनुमानतः रोजगार में कितनी गिरावट आई;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान अमरीकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप निर्यातकों/आयातकों को व्यापार में घाटा उठाना पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो कितना व्यापार घाटा हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ङ) वैश्विक वित्तीय संकट, यूरोप में संप्रभु ऋण संकट और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में आर्थिक मंदी घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग को प्रभावित करते हैं। तथापि चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान भारत के व्यापार में पिछले वर्ष के संगत माह की तुलना में प्रति माह वृद्धि हो रही है। नकदी मुद्राओं की तुलना में रुपये में गिरावट आयातों को महंगा बनाते हुए निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ा देती है और इसीलिए समग्र व्यापार संतुलन प्रभावित होता है।

वर्ष 2009-10 और 2010-11 तथा अप्रैल-नवम्बर 2011 की अवधि हेतु भारत के निर्यातों, आयातों और व्यापार घाटे का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(मूल्यः मिलियन अम. डॉलर में)

अवधि	निर्यात	आयात	व्यापार घाटा
2009.10	178751.43	288372.87	109621.44
2010.11	251135.89	369769.12	118633.23
अप्रैल 11-नवम्बर 11*	192694.39	309530.45	116836.06

(स्त्रोतः डी जी सी आई एंड एस *अनन्तिम आंकड़े)

अप्रैल-अक्तूबर 2011-12 अवधि हेतु संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 3.5% है, परन्तु अक्तूबर, 2010 की तुलना में अक्तूबर, 2011 माह के लिए यह (-)5.1% है। माह अक्तूबर 2010 की तुलना में अक्तूबर 2011 के लिए खनन, विनिर्माण एंव विद्युत क्षेत्रों हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांको की वृद्धि दर क्रमशः (-) 7.2%, (-)6.0; और 5.6% देखी गई है। "चिकित्सा प्रिसीशन एवं ऑप्टिकल उपस्कर घड़िया तथा क्लाक्स" उद्योग समूह में 30.8% की सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है और तत्पश्चात "कार्यालय लेखा एवं संगणन मशीनरी" के लिए यह 18.4% और रेडियो टी वी तथा संचार उपस्कर एवं उपकरण में यह 15.3% है। दूसरी ओर "विद्युतीय मशीनरी एवं उपकरण" उद्योग समूह में (-) 58.8% और तत्पश्चात मशीनरी एवं उपस्कर में (-) 12.1% और "रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद" में (-) 11.4% की वृद्धि देखी गई है।

विदेश व्यापार नीति 2009-14 में शुरू किए गए विभिन्न उपायों के माध्यम से निर्यातों का संवर्धन करने और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। सरकार ने हाले ही में विशेष बोनस लाभ स्कीम, विशेष फोकस बाजार स्कीम जैसी विभिन्न स्कीमें स्कीमों घोषित की हैं और विभिन्न बाजारों में भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए फोकस बाजार स्कीम के अंतर्गत दो नए बाजारों अर्थात क्यूबा और मेक्सिको को भी शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

मुक्त व्यापार करार

***358. श्रीमती मीना सिंहः**
श्री चन्द्रकान्त खैरेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत ने जिन देशों के साथ मुक्त व्यापार करार अथवा व्यापक आर्थिक भागेदारी करार किया है, उस प्रत्येक देश के साथ किए गए निर्यात और आयात का क्षेत्र-वार, मात्रा-वार तथा मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इजरायल, पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों सहित कतिपय अन्य देशो के साथ ऐसा ही करार करने के लिए बातचीत कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ किन मानदंडों का पालन किया गया है, क्या कार्ययोजना तैयार की गई है एवं प्राथमिकता वाले किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(घ) प्रत्येक देश के साथ इन करारों के कार्यान्वयन के संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस्पात, उद्योग, कृषी क्षेत्र सहित घरेलू उद्योगों के साथ-साथ विदेशी निवेश की निवल आवक पर इन मुक्त व्यापार करारों के संभावित प्रभाव के संबंध मे कोई आकलन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) भारत ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित चार मुक्त व्यापार करार किए हैः

क्र.सं.	करार का नाम	हस्ताक्षर किए जाने की तारीख
1.	भारत-आसियान वस्तु व्यापार करार (ब्रुनेइ, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपीन्स, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम)	13.8.2009
2.	भारत-दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागेदारी करार (सीईपीए)	07.08.2009
3.	भारत जापान सीईपीए	16.02.2011
4.	भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार	18.02.2011

उपर्युक्त देशों के लिए निर्यात एवं आयात का क्षेत्र वार मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है। निर्यात तथा आयात के मात्रा-वार आंकड़े उत्पाद स्तर (6 तथा 8 अंकीय स्तर पर सुमेलीकृत संरचना वर्गीकरण) पर रखे जाते हैं यह आंकड़े वाणिज्य विभाग की वेबसाईट (http://commerce-nic-in/eidbèdefault-asp) पर उपलब्ध हैं।

(ख) सरकार द्वारा निम्नलिखित एफटीए पर वार्ता की जा रही हैः

क्र.सं.	करार का नाम और भागीदार देश
1	2
1.	भारत-ई यू बी टी आई ए (ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम)
2.	भारत-आसियान सीईएसीए-सेवा एवं निवेश करार (ब्रुनेई, कम्बोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यामार, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम)
3.	भारत-श्रीलंका सी ई पी ए
4.	भारत-थाईलैंड सीईसीए
5.	भारत- मॉरीशस सी ई सी पी ए
6.	भारत- ई एफ टी ए बी टी आई ए (आईसलैंड, नार्वे, लाइचटेन्स्टिन तथा स्विटजरलैंड)

1	2
7.	भारत-न्यूजीलैंड एफ टी ए/सी ई सी ए
8.	भारत-इजरायल एफ टी ए
9.	भारत-सिंगापुर सी ई सी ए (समीक्षा)
10.	भारत-दक्षिण अफ्रिकी सीमाशुल्क संघ (एस ए सी यू) पी टी ए (दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथो, स्वाजीलैंड तथा नामीबिया)
11.	भारतीय-मर्कोसुर पी टी ए (अर्जेण्टीना, ब्राजील, पराग्वे तथा उरूग्वे)
12.	भारत-चिली पी टी ए
13.	बिमस्टेक सी ई सी ए (बंग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान तथा नेपाल)
14.	भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (जी सी सी) कार्यढांचा करार (सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर तथा यमन)
15.	भारत-कनाडा सी ई पी ए
16.	भारत-इंडोनेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी ई सी ए)
17.	भारत-आस्ट्रेलिया सी ई सी ए

(ग) एफ टी ए भागीदार देश को अभिज्ञात करने के मुख्य मानदण्ड हैं भारतीय उद्योग के उत्पादों हेतु बाजार का बिस्तार और प्रतिस्पर्धी कीमत पर निविष्टियां सुनिश्चित करना। कार्य योजना में भारत के निर्यात हित की वस्तुओं के लिए बेहतर बाजार पहुंच हेतु वार्ता करना और घरेलु उद्योगों के उत्पादों हितों की रक्षा करना शामिल हैं। वस्तु, सेवा एवं निवेश वार्ताओं के जरिए बाजार पहुंच की मांग भारत के मुक्त व्यापार करारों के लिए प्रमुख अधिमान क्षेत्र है।

(घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान निष्पादित भारत के चार मुक्त व्यापार करार कार्यान्वित किए जा चुके हैं और लागू हैं। इन चारों एफ टी ए के कार्यान्वयन की तारीख नीचे तालुका में दी गई हैं:

क्र.सं.	करार का नाम	कार्यान्वयन की तारीख
1.	भारत-आसियाना में वस्तु व्यापार करार*	01-01-2010*
2.	भारत-दक्षिण कोरिया सी ई पी ए	01-01-2010
3.	भारत-जापान सी ई पी ए	01-08-2011
4.	भारत-मलेशिया सी ई सी ए	01-07-2011

*भारत-आसियान वस्तु व्यापार करार और मलेशिया के संबंध में 1 जनवरी, 2010 से, भारत और वियतनाम के संबंध में 1 जुन, 2010 सें, भारत और म्यांमार के संबंध में 1 सितम्बर 2010 से, भारत और इंडोनेशिया के संबंध में 1 अक्टुबर 2010 से, भारत और ब्रुनेई के संबंध में 1 नवम्बर 2010 से, भारत और लाओस के संबंध में 24 जनवरी 2011 से, भारत और फिलीपीन्स संबंध में 1 जून 2011 से तथा भारत और कम्बोडिया के संबंध में 1 अगस्त 2011 से लागू हुआ है।

(ङ) मुक्त व्यापार करारों के प्रभाव का आकलन एक सतत प्रक्रिया है जो एफ टी ए वार्ताओं के शुरू होने से भी पहले शुरू हो जाती है। व्यापार भागीदारों के वार्ता शुरू करने से पहले घरेलू उद्योग एवं कृषि क्षेत्र पर मुक्त व्यापार करार के प्रभाव सहित प्रस्तावित एफ टी ए की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए आतंरिक रूप से और संयुक्त अध्ययन दलों (जे एस जी) के जरिए अध्ययन किए जाते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग के शीर्ष चैम्बरों, उद्योग एसोसिएशनों के साथ-साथ प्रशासनिक मंत्रालयों एवं विभागों सहित घरेलू हितबद्ध पक्षकारों के साथ भी परामर्श किए जाते हैं। घरेलू उद्योग और कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा करने के लिए इन करारों में वस्तुओं की संवेदनशील/नकारात्मक सूची रखने का प्रावधान होता है, जिन पर एफ टी ए के अंतर्गत सीमित या कोई टैरिफ रियायत नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त, आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को क्षति होने के मामले में किसी देश को पाटनरोध एवं रक्षोपाय जैसे उपायों का सहारा लेने की अनुमति होती है। प्रत्येक एफ टी ए में संयुक्त समीक्षा तंत्र का प्रावधान होता है जिसमें एफ टी के कार्यान्वयन की निगरानी की जाति है। वर्तमान में सिंगापुर के साथ भारत का व्यापार करार समीक्षाधीन है। सभी एफ टी ए भागीदारों के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक संबंधों में अत्यधिक सुधार हुआ है।

विवरण

जापान, दक्षिण कोरिया तथा आसियान देशों को भारत के निर्यात

अवधिः वित्त वर्ष 2011-12 (अप्रैल-सितम्बर)
मूल्यः मिलियन अमरीकी डालर

क्र.सं.	वस्तु क्षेत्र	जापान	दक्षिण कोरिया	सिंगापुर	मलेशिया	इंडोनेशिया	थाइलैंड	वियतनाम	फिलीपीन्स	ब्रुनेई	कम्बोडिया	लाओ पीडीआर	म्यांमार
1.	कृषि (बुनियादी एवं प्रसंस्कृत), मछली, मांस, जीवित पशु	524	145	215	425	677	296	733	165	9	6	0	30
2.	मूलभूत धातु एवं वस्तुएं	159	357	177	242	173	120	67	28	1	1	0	80
3.	रसायन एवं प्लास्टिक	234	273	284	316	491	186	180	89	0	12	1	42
4.	हीरा, बेशकीमती धातु आदि	162	24	289	20	0	290	0	0	0	0	0	0
5.	यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक मशीनें तथा वस्तुएं	83	69	381	155	195	101	79	51	13	2	2	12
6.	विविध उत्पाद	38	19	2626	44	113	50	10	8	771	1	0	6
7.	अयस्क एवं खनिज	987	927	4105	259	1308	53	18	9	1	0	0	1
8.	रबड़, चर्म, काष्ठ, कागज, कांच, पत्थर एवं उत्पाद	28	34	44	58	60	34	57	40	0	3	0	7
9.	वस्त्र एवं परिधान	179	135	90	144	82	45	21	1	17	0	5	
	महायोग	2395	1985	8211	1664	3098	1175	1218	412	797	41	3	184

जापान, दक्षिण कोरिया तथा आसियान देशों से भारत के आयात

अवधिः वित्त वर्ष 2011-12 (अप्रैल-सितम्बर)
मुल्यः मिलियन अमरीकी डालर

क्र.सं.	वस्तु क्षेत्र	जापान	दक्षिण कोरिया	सिंगापुर	मलेशिया	इंडोनेशिया	थाइलैंड	वियतनाम	फिलीपीन्स	ब्रुनेई	कम्बोडिया	लाओ पीडीआर	म्यांमार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	कृषि (बुनियादी एवं प्रसंस्कृत), मछली, मांस, जीवित पशु	973	426	324	972	1490	597	1248	395	17	185	1	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	मूलभूत धातु एवं वस्तुएं	576	1155	445	741	335	861	70	60	0	151	3	49
3.	रसायन एवं प्लास्टिक	389	434	502	352	961	366	393	172	0	298	2	80
4.	हीरा, बेशकीमती धातु आदि	281	122	490	69	1	388	0	0	0	95	0	0
5.	यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक मशीनें तथा वस्तुएं	163	128	678	265	432	316	194	83	5	111	7	36
6.	विविध उत्पादक	222	38	2231	834	113	46	412	23	0	59	0	12
7.	अयस्क एवं खनिज	2243	1407	5374	323	2591	59	25	12	0	7		5
8.	रबड़, चर्म, काष्ठ, कागज कांच, पत्थर एवं उत्पाद	54	63	77	110	107	58	98	91	1	91	0	17
9.	वस्त्र एवं परिधान	291	367	183	291	216	101	220	46	1	364	1	12
	महायोग	5191	4140	10303	3957	6245	2793	2660	883	25	1361	14	334

जापान, दक्षिण कोरिया तथा आसियान देशों को भारत के निर्यात

अवधिः वित्त वर्ष 2010-11
मूल्यः मिलियन अमरकी डालर

क्र.सं.	वस्तु क्षेत्र	जापान	दक्षिण कोरिया	सिंगापुर	मलेशिया	इंडोनेशिया	थाइलैंड	वियतनाम	फिलीपीन्स	ब्रुनेई	कम्बोडिया	लाओ पीडीआर	म्यांमार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	कृषि (बुनियादी एवं प्रसंस्कृत), मछली, मांस, जीवित पशु	972.8	426.3	323.9	972.0	1490.2	597.3	1247.8	395.4	16.6	184.7	0.8	124.5
2.	मूलभूत धातु एवं वस्तुएं	576.3	1154.9	444.7	741.1	334.6	860.5	69.8	60.3	0.4	150.5	2.8	48.5
3.	रसायन एवं प्लास्टिक	388.8	434.4	502.2	351.5	960.7	366.2	392.7	171.9	0.3	298.0	1.8	79.7
4.	हीरा, बेशकीमती धातु	281.1	121.9	489.6	69.4	0.5	388.2	0.2	0.1	0.3	95.2	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक मशीनें तथा वस्तुएं	162.5	127.9	677.7	265.4	432.4	315.8	194.2	83.4	5.2	111.3	7.2	35.7
6.	विविध उत्पाद	221.5	38.4	2230.7	834.3	113.2	46.2	412.1	22.8	0.2	58.6	0.4	12.4
7.	अयस्क एवं खनिज	2242.7	1407.2	5373.5	322.8	2590.9	59.3	25.1	12.4	0.3	7.4		4.5
8.	रबड़, चर्म, काष्ठ, कागज, कांच, पत्थर एवं उत्पाद	54.2	62.8	77.0	109.8	106.8	58.1	97.6	90.5	0.6	91.0	0.1	11.8
9.	वस्त्र एवं परिधान	291.1	366.5	183.4	290.5	215.7	101.2	220.1	45.8	1.4	364.4	1.0	11.8
	महायोग	1591.1	4140.2	10302.5	3956.8	6245.1	2792.6	2659.5	882.6	25.2	1361.1	14.1	334.4

जापान, दक्षिण कोरिया तथा आसियान देशों से भारत के आयात

अवधिः वित्त वर्ष 2010-11
मूल्यः मिलियन अमरीकी डॉलर

क्र.सं.	वस्तु क्षेत्र	जापान	दक्षिण कोरिया	सिंगापुर	मलेशिया	इंडोनेशिया	थाइलैंड	वियतनाम	फिलीपीन्स	ब्रुनेई	कम्बोडिया	लाओ पीडीआर	म्यांमार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	कृषि (बुनियादी एवं प्रसंस्कृत), मछली, मांस, जीवित पशु	478.7	785.9	81.0	838.0	4083.9	348.2	113.0	46.6		496.3	0.1	587.8
2.	मूलभूत धातु एवं वस्तुएं	1575.9	1999.5	269.8	622.5	287.3	396.3	59.4	14.5	0.3	143.2	0.1	0.3
3.	रसायन एवं प्लास्टिक	1149.6	1895.7	1441.5	838.1	516.2	1100.6	105.3	45.7	0.0	370.9	0.0	0.5
4.	हीरा, बेशकीमती धातु आदि	148.2	60.8	91.2	47.3	28.2	169.6	36.1	1.0		99.7	0.0	0.2
5.	यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक मशीनें तथा वस्तुएं	3723.2	3615.3	2081.3	1459.8	293.4	1404.3	462.4	224.3	0.2	214.9	0.0	0.3
6.	विविध उत्पाद	945.2	813.4	615.6	299.3	409.2	130.6	11.2	15.6	0.0	244.3	0.0	0.5
7.	अयस्क एवं	166.5	626.5	2445.4	1794.0	3614.4	175.9	123.3	25.7	233.6	101.5	0.0	0.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	रबड़, चर्म, काष्ठ, कागज, कांच, पत्थर एवं उत्पाद	348.8	560.1	110.1	577.6	597.4	423.5	114.8	52.9	0.1	343.9	0.0	426.5
9.	वस्त्र एवं पधिान	95.9	117.8	23.3	47.0	88.6	122.9	39.4	3.10	0.0	15.2	0.0	0.2
	महायोग	8631.8	10475.1	7139.1	6523.4	9918.5	4271.9	1064.8	429.3	234..2	2029.9	0.2	1017.7

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत दलित गांवों को शामिल करना

***359. श्री पोन्नम प्रभाकरः**
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कितने गांवों को प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श गांव घोषित किया गया है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत गांवों का चयन करने संबंधी मूल मानदंड क्या है और इन गांवों के समेकित विकास के उद्देश्य से कितनी परियोजनाएं शुरू की गई है;

(ग) सरकार द्वारा इस योजना की शुरूआत से ऐसे गावों के विकास के लिए स्वीकृत, जारी और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से दलितों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए उक्त योजना में 50 प्रतिशत दलित आबादी वाले सभी गांवों को शामिल करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) निम्नलिखित पांच राज्यों में, 1000 गांवों को, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की प्रायोगिक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन हेतु चुना गया हैः

क्र.सं.	राज्य	प्रायोगिक चरण के लिए चयनित ग्रामों की संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश	225
2.	बिहार	225
3.	राजस्थान	225
4.	तमिलनाडु	225
5.	असम	100

(ख) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य 50% से अधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले चयनित गांवों का निम्नलिखित के माध्यम से एकीकृत विकास सुनिश्चित करना हैः

(i) मुख्यतः चयनित गांवों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं के सम्मिलित कार्यान्वयन के माध्यम से, और

(ii) उन आवश्यकताओं को पूरा करके जिन्हें उपरोक्त (i) के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है, "अंतर-पूर्ति" निधियों के प्रावधान के माध्यम से जिनके लिए 20.00 लाख रुपए प्रति गांव की औसत दर पर प्रदान किया जाएगा और राज्य सरकार से भी उम्मीद की जाती है कि वह समुचित, अधिमानतः समान अंशदान करे।

संबंधित राज्य सरकारों से चिन्हित गांवों का बेसलाइन सर्वेक्षण निष्पादित करने तथा ग्राम विकास योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) इस योजना के आरंभ से संबंधित राज्य सरकारों को 201 करोड़ रुपए की धनराशि की केन्द्रीय सहायता संस्वीकृति और निर्मुक्त की जा चुकी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

क्योटो प्रोटोकोल

***360. श्री हर्ष वर्धनः**
श्री के. सुगुमारः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या क्योटो प्रोटोकोल की वैधता समाप्त होने वाली है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार क्योटो प्रोटोकोल का विस्तार किए जाने के पक्ष में है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ देश क्योटो प्रोटोकोल के विस्तार की पूर्व शर्त के रूप में विविध रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती की मांग कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इन बातचीतों की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) क्योटो प्रोटोकोल के अन्तर्गत विकसित देशों के लिए 2008-12 की पांच वर्षो की अवधि सम्मिलित करते हुए वचनबद्धता अवधि 31 दिसम्बर, 2012 को समाप्त होगी। क्योटो प्रोटोकोल 2012 में समाप्त नहीं हो रहा है परन्तु पहली वचनबद्धता अवधि की समाप्ति से पूर्व 2013 में प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए विकसित देश के पक्षकारों हेतु दूसरी वचनबद्धता अवधि निर्धारित की जानी है।

(ख) और (ग) क्योटो प्रोटोकोल विविध रूप से एक बाध्यकारी करार है जिसमें विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती संबंधी वचनबद्धता निर्धारित की गई है जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) संकेद्रण के वर्तमान स्तरों के लिए ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार है। भारत सरकार, क्योटो प्रोटोकोल की दूसरी वचनबद्धता अवधि को जारी रखने की प्रबल पक्षधर हैं ताकि पहली वचनबद्धता अवधि की समाप्ति के पश्चात भी क्योटो प्रोटोकोल के पक्षकारों द्वारा उत्सर्जन कटौती हेतु बाध्यकारी लक्ष्यों का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

(घ) कुछ विकसित देशों ने, क्योटो प्रोटोकोल की दूसरी वचनबद्धता अवधि संबंधी निर्णय की एक पूर्व-शर्त के रूप में प्रमुख विकासशील देशों सहित सभी देशों को शामिल करते हुए विधिक रूप से बाध्यकारी एकल व्यापक करार की मांग की है।

(ङ) और (च) डरबन में दिसम्बर, 2011 में सम्पन्न पक्षकारों के सम्मेलन के सत्र में क्योटो प्रोटोकोल के अन्तर्गत दूसरी वचनबद्धता अवधि को निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय में क्योटो प्रोटोकोल के अन्तर्गत दूसरी वचनबद्धता अवधि को निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय में क्योटो प्रोटोकोल के पक्षकार विकसित देशों के लक्ष्यों को मान्यता दी गई है। इन लक्ष्यों को कतर में दिसम्बर, 2012 पक्षकारों के सम्मेलन के अगले सत्र में 2012 में वास्तविक उत्सर्जन सीमाओं में परिवर्तित किया जायेगा। इन लक्ष्यों की सम्पुष्टि के लिए क्योटो प्रोटोकोल के पक्षकारों को 2017 तक पांच वर्षो की एक समय-सीमा दी गई है। साथ ही, इस कन्वेंशन के अन्तर्गत सभी पक्षकारों के कार्यों को बढ़ाने के लिए विधिक व्यवस्थाओं का विकास करने हेतु एक प्रक्रिया प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्थाओं का विकास करने नई व्यवस्थाओं के संबंध में वार्ताओं को 2015 में अन्तिम रूप दिया जाएगा ताकि इन व्यवस्थाओं को 2020 से कार्यान्वित किया जाए।

[अनुवाद]

रोहतांग सुरंग

3911. श्री एम.के.राघवनः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल तथा स्पीति जिले से जोड़ने वाली रोहतांग सुरंग के निर्माण की क्या स्थिति है; और

(ख) अब तक इस परियोजना में कितना व्यय हुआ है और इससे क्या लाभ है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) लेह को सभी मौसमों में सड़क पहुंच उपलब्ध कराने के लिए 8.802 किमी. (8802मी.) रोहतांग सुरंग के सिविल निर्माण-कार्य की संविदा 24 सितम्बर, 2009 को 1458.06 करोड़ रूपये की लागत से मै. स्ट्रेबैगएफकॉन (जे.वी.) को दे दिया गया था। रोहतांग सुरंग में 11.12.2011 की स्थिति के अनुसार प्राप्त प्रगति सुरंग के मुहाने (हेडिंग) में 2475 मी. तथा समतल (बेंचिंग) में 486.10 मी. हुई है।

(ख) अब तक इसमें निहित व्यय 568.60 करोड़ रु. है। इस सुरंग के फायदे इस प्रकार हैं:

(i) लाहौर और स्पीति घाट तक वर्ष भर पहुंच।

(ii) मनाली और लाहौर घाटी के बीच दूरी 46 कि.मी. कम हो जाएगी।

[हिन्दी]

दलित महिलाओं की दयनीय स्थिति

3912. श्री गोपीनाथ मुंडे: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक सामाजिक स्थिति संबंधी रिपोर्ट के अनुसार देश में दलितों, विशेषकर महिलाओं की स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट में दलितों के विकास के संबंध में भारत को बांग्लादेश से भी निचले स्थान पर रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की क्या स्थिति है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (घ) यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र का एक प्रकाशन है, जो अन्तर सरकारी रूप से तयशुदा अथवा स्वीकृत नही हैं। इस रिपोर्ट में किन्हीं अधिकारिक सांख्यिकी अथवा रिपोर्टों का उपयोग नहीं किया गया है।

तथापि, सरकार देश में अनुसूचित जातियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

[अनुवाद]

वन क्षेत्र में क्षमता निर्माण

3913. श्रीमती जे. शांता: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वन क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए कोई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी हां, भारत सरकार ने वन क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए 368.74 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत पर एक योजना आरंभ की है। इसके छह घटक योजना परिव्यय से वित्त पोषित किए जाऐंगे, और एक बाह्य सहायता प्राप्त घटक, जापान इन्टरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से प्रतिपूर्ति पद्धति में उदार ऋण के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा।

(ख) योजना के ब्यौरे और प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई है:

(i) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए):** इस घटक में, सीधे भर्ती भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए व्यवसायकि प्रवेश प्रशिक्षण, आईएफएस मे पदोन्नत अधिकारियों का कौशल उन्नयन, उच्च वन प्रबंध पाठ्यक्रम/अनिवार्य करिअर-मध्य प्रशिक्षण, आईएफएस अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सेमिनार/कार्यशालाएं और अन्य सेवाओं के कार्मिकों के लिए प्रायोजित पाठ्यक्रम आयोजित करने का प्रावधान है।

(ii) **वन शिक्षा निदेशालय(डीएफई):** इस घटक में, सीधे भर्ती वन सेवा अधिकारियों और वन रेंज अधिकारियों को उनके सेवा प्रशिक्षणों में व्यवसायिक प्रवेश पाठ्यक्रम, विषय आधारित सेमिनार और कार्यशालाओं का प्रावधान है।

(iii) **आईएफएस अधिकारियों का प्रशिक्षण:** आईएफएस अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत के अवसरों को प्रदान करने के लिए एक सप्ताह का पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम और विषयपरक कार्यशालाए आयोजित की जाती है। आईएफएस अधिकारियों के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी प्रायोजित किया जाता है।

(iv) **अन्य सेवाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण:** इस घटक में विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, राजस्व, सीमाशुल्क आदि के कार्मिकों के लिए लघु-अवधि, प्रशिक्षण, कार्यशालांए और अध्ययन दौरे के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रमों को प्रावधान है।

(v) **अन्य स्टेक होल्डरों का प्रशिक्षणः** इस घटक में पंचायत सदस्यों, चयनित प्रतिनिधियों अध्यापकों, प्रकृति क्लबों/परिक्लबों, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ, मीडिया आदि के लिए अध्ययन दौरों कार्यशालाओं और सेमिनारों का प्रावधान है।

(vi) **वनिकी कार्मिकों को विदेशी प्रशिक्षणः** इस घटक का उद्देश्य विभिन्न विदेशी संस्थानों में विभिन्न लघु अवधि और दीर्घ-अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए वानिकी कार्मिकों को प्रायोजित कर विशिष्टता के लिए प्रोत्साहित करना है।

(vii) **वन प्रबंधन और कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए क्षमता विकासः** यह एक बाह्य सहायता प्राप्त घटक है जिसका लक्ष्य फ्रंटलाइन वानिकी कार्मिकों के प्रशिक्षण को बेहतर बनाना है। इस प्रस्ताव के दो मुख्य उद्देश्य हैं:

➢ राज्य वन विभागों के वानिकी प्रशिक्षण स्कूलों की अवसंरचना को निम्नलिखित के द्वारा सुदृढ़ करना है।

- मौजूदा राज्य वन प्रशिक्षण स्कूलों को बेहतर बनाना (एसएफटीसी)
- उन राज्यों में जहां नहीं है नए प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करना।

➢ फ्रंटलाइन वानिकी कार्मिकों के प्रशिक्षण को निम्नलिखित के माध्यम से सुदृढ़।

- पाठ्यचर्या सुधार
- मास्टर प्रशिक्षक/प्रशिक्षकों के पूल का निर्माण
- राज्य में फ्रटलाइन फॉरेस्ट फोर्स का प्रशिक्षण

(ग) इस स्कीम का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।

वन्य जीव वार्डनों की संख्या

3914. **श्री प्रहलाद जोशीः**
श्री कमलेश पासवानः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत सिविल सोसायटी से अवैतनिक वन्य जीव वार्डनों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के तहत वार्डनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के अनुमोदन से राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन को सिविल सोसायटी के व्यक्तियों सहित अवैतनिक वन्यजीव वार्डनों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। तथापि, नियुक्त अवैतनिक वार्डनों की कुल संख्या के ब्यौरे इस मंत्रालय में समेकित नहीं किए जाते है।

जाति भेदभाव

3915. **श्री असादूद्दीन ओवेसीः** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में जाति और धार्मिक भेदभाव में वृद्धि हो रही है और यहां तक के न्यायाधीशों से भी जाति आधार पर भेदभाव हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो जाति भेदभाव के संबंध में राष्ट्रीय आयोग को कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ग) दोषी पाये गये ऐसे व्यक्तियों के अभियोजन के संबंध में आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और कितनी सिफारिशें सरकार द्वारा लागू की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत वर्ष 2008, 2009, 2010 के दौरान पंजीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मामलों की संख्या निम्नानुसार हैः

पंचाग वर्ष	अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत
2008	38,943
2009	38,849
2010	38,449

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो धार्मिक भेदभाव संबंधी आंकड़े नहीं रखता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुसूचित जाति के सदस्यों से 11591 अभ्यावेदन प्राप्त हुए। आयोग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों के प्रति भेदभाव के दो मामले प्राप्त हुए।

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित सिफारिशें की है:

(i) राज्य सरकारों को अनुरोध किया जाए कि वे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के उपबंधों के बारे में पुलिस कर्मियों का सुग्राहीकरण सुनिश्चि करें।

(ii) केन्द्र तथा राज्य सरकारों को अंतिम रिपोर्ट में जांच समापत किए जाने के कारणों की गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों को बरी किया जाता है।

(iii) ऐसे मामलों का शीघ्र विचारण सुनिश्चित करने के लिए भारत और राज्य सरकारों को कतिपय तंत्र विकसित करने की जरूरत है।

(iv) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इन दोनों अधिनियम से संबंधित सामग्री को स्थानीय भाषा में प्रदर्षित करने की जरूरत है जिससे कुल मिलाकर जन-साधारण और विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के सूचना स्तर को बढ़ाया जा सके।

(घ) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध अस्पृश्यता की कुप्रथा एवं अत्याचार के अपराधों हेतु दंड का प्रावधान है। इन अधिनियमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय इन दोनों अधिनियमों के प्रावधानों को अक्षरशः कार्यान्वित करने के लिए उनको समय-समय पर कहता रहता है। गृह मंत्रालय भी उनको सलाह देता रहा है और अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के मामलों का सामना करने में तंत्र की कारगरता की व्यापक समीक्षा करने हेतु उनसे अनुरोध किया है।

कोलाइन आधारित उद्योगों की स्थापना

3916. श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगार जनजातीय युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोलाइन (चीनी मिट्टी) आधारित उद्योग की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा तंबाकू और मादक पदार्थो सहित कतिपय क्षेत्रों को नए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षो के दौरान राजस्थान सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष-वार कितने नए लाइसेंस जारी किये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) यह मंत्रालय कोलाइन (चीनी मिट्टी) आधारित उद्योग के ब्यौरे नहीं रखता।

(ग) और (घ) वर्तमान में औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित है:

(i) मादक पेयों का मद्यकरण तथा आसवन।

(ii) तम्बाकू के सिगार और सिगरेट तथा विनिर्मित तम्बाकू के स्थानापन्न।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस तथा सभी प्रकार के रक्षा-उपकरण।

(iv) डेटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन-पाउडर, नाइट्रोसेल्युलोज और माचिसों सहित औद्योगिक विस्फोटक।

(v) विनिर्दिष्ट खतरनाक रसायन अर्थात हाइड्रोसाएनिक एसिड और इसके व्युत्पन्न; फोसजीन और इसके व्युत्पन्न तथा हाइड्रोकार्बन के आइसोसाइनेट व डिस्कोसाइनेट्स, जो कहीं और विनिर्दिष्ट नहीं हो।

(उदाहरण मिथाइल आइसोसाइनेट)

तथापि, 1999 से स्वास्थ्य के आधार पर सिगरेटों आदि के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक उद्यमियों द्वारा दायर ज्ञापन और जारी लाइसेंसों के संबंध में निवेश आशयों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दायर औद्योगिक उद्यम ज्ञापन तथा जारी लाइसेंसों के संबंध में निवेश आशयों के राज्य ब्यौरे

राज्य का नाम	2008		2009		2010	
	दायर आईईएम	डीआईएल/एलओआई जारी किए	दायर आईईएम	डीआईएल/एलओआई जारी किए	दायर आईईएम	डीआईएल/एलओआई जारी किए
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	1	0	0	0
आंध्र प्रदेश	377	28	313	6	509	10
अरुणाचल प्रदेश	7	0	4	0	5	0
असम	32	0	45	0	37	0
बिहार	29	0	32	0	46	0
चंडीगढ़	0	1	0	0	0	1
छत्तीसगढ़	285	0	293	0	256	0
दादरा और नगर हवेली	40	0	50	0	63	0
दमन और दीव	45	0	39	0	35	0
दिल्ली	12	0	21	0	19	0
गोवा	37	0	46	0	39	0
गुजरात	361	2	376	0	496	1
हरियाणा	122	1	85	0	136	5
हिमाचल प्रदेश	39	0	41	0	53	1
जम्मू और कश्मीर	29	0	23	0	23	0
झारखंड	74	0	65	0	53	0

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	194	16	179	0	261	8
केरल	15	1	8	0	8	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	305	1	182	0	226	0
महाराष्ट्र	705	12	593	1	757	2
मणिपुर	0	0	0	0	1	0
मेघालय	18	0	10	0	14	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	1
नागालैंड	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	160	0	99	0	179	0
पुदुचेरी	24	0	14	0	14	0
पंजाब	91	11	68	0	102	1
राजस्थान	102	1	88	0	122	3
सिक्किम	13	0	8	0	13	0
तमिलनाडु	289	21	233	3	234	3
त्रिपुरा	3	0	2	0	1	0
उत्तर प्रदेश	199	8	176	0	168	4
उत्तरांचल	148	2	165	0	217	0
पश्चिम बंगाल	223	0	206	0	209	0
एक राज्य से अधिक में स्थान स्थिति	0	1	0	0	0	1
कुल	3979	106	3465	10	4296	40

आईईएमः लाइसेंस मुक्त किए गए क्षेत्र के लिए दर्ज औद्योगिक उद्यम ज्ञापन एलओआईः जारी किए गए आशय पत्र; डीआईएलः प्रदान किए गए प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस उन उद्यमियों जो एमएसएमई श्रेणी में नहीं आते खराब औद्योगिक विवरण

अकुशल श्रमिकों की कमी

3917. डॉ.संजीव गणेश नाईकः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रीयल एस्टेट तथा अवसंरचना क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इससे देश के बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित होगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) अवसंरचना तथा अचल संपदा सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या को कुशल बनाकर उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। देश में सरकारी तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमताओं में वृद्धि की गई है। सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा नए औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।

मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण

3918. श्री जे.एम. आरून रशीदः
श्री ताराचन्द भगौराः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष निपटान हेतु लंबित मामलों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष लंबे समय से लंबित मामलों के तीव्र निपटान हेतु कोई तंत्र विकसित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तों तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (ग) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 165 में प्रावधान है कि राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, एक अथवा एक से अधिक मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए कर सकती है जो मोटर वाहनों के प्रयोग से व्यक्तियों की मौत होने अथवा उन्हें शारीरिक चोट पहुंचे होने; अथवा किसी अन्य पक्षकार की संपत्ति को क्षति पहुंचे होने अथवा दोनों से संबंधित दुर्घटनाओं के संबंध में मुआवजे के दावों का न्याय-निर्णयन करेंगे। अतः मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरणों का कार्यकरण, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अंतर्गत आता है। निपटान हेतु लंबित मामलों से संबंधित ब्यौरा, केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है और इसीलिए ये आंकड़े, मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

यमुना की सफाई

3919. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रदूषित यमुना नदी की सफाई कब से चल रही है और अब तक किस सीमा तक यमुना नदी की सफाई की जा चुकी है, साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार यमुना नदी के जैव ऑक्सीजन के स्तर की मांग क्या है और इसके मौजूदा स्तर क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में यमुना नदी के लिए दिल्ली सरकार को निधियां जारी कर दी हैं;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यमुना नदी की सफाई के लिए कोई समय-सीमा अथवा लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) वर्ष 1993 से भारत, जापान इन्टरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंन्सी, जापान सरकार की सहायता से चरणबद्ध रूप में यमुना कार्य योजना (वाईएपी) का कार्यान्वयन कर रही है। पहले दो चरणों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के शहरों में 39 सीवेज शोधन संयंत्रों सहित कुल 286 स्कीमें पूरी की गईं हैं और प्रतिदिन 767.25 मिलियन लीटर सीवेज़ शोधन क्षमता सृजित की गई है।

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित प्रदूषण उपशमन कार्यो ने कुछ स्थलों में जल गुणवत्ता को बेहतर करने और दूसरे स्थलों में ह्रास की गति को रोकने में मदद की है। यमुना नदी की जल गुणवत्ता को बेहतर करने और दूसरे स्थलों में ह्रास की गति को रोकने में मदद की है। यमुना नदी की जल गुणवत्ता, नदी के कुछ भागों में सीवे़ज शोधन क्षमता की मांग और उपलब्धता के वृहत अन्तराल और नदी में स्वच्छ जल की कमी के कारण अपेक्षित स्तर से कम है।

(ख) और (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान यमुना नदी के प्रदूषण निवारण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वाईएपी-।। के अंतर्गत दिल्ली

जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम को 34.88 करोड़ रु. की राशि दी गई हैं।

(घ) और (ङ) नदियों का संरक्षण केन्द्र और राज्य सरकारों का सतत और सामूहिक प्रयास हैं। यमुना नदी सफाई की समय-सीमा और लक्ष्य नदी संरक्षण योजनाओं और सीवेज़ प्रबंधन के सिविक अवसंरचना के सृजन में अंतःस्थापित है और इनका निपटान अन्य राज्य क्षेत्रिय स्कीमों और जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन, लघु और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास के तहत किया जाता है।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान हेतु निधियां

3920. श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान डॉ0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान के क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा आवंटित निधियों का पूर्णरूप से व्यय नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान अन्य कार्यों के लिए निधियों का निवेश कर रहा है; और

(घ) यदि हां तो अब तक निवेश की गई कुल निधियों का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) विगत तीन वर्षो के दौरान, डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के प्रमुख कार्यकलापों में शामिल हैं:

(1) निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयनः

(क) विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में डा. अम्बेडकर पीठों का गठन।

(ख) बाबा साहेब डा. बी.आर. अम्बेडकर की संकलित कृतियों का प्रकाशन हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (दसवीं कक्षा) के माध्यमिक परिक्षा के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना।

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (बारहवीं कक्षा) के वरिष्ठ माध्यमिक परिक्षा के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना।

(ङ) अनुसूचित जाति के लोगों के लिए डा. अम्बेडकर चिकित्सा यंत्र योजना।

(च) डा. अम्बेडकर सामाजिक समता केन्द्र योजना।

(छ) अनुसूचित जाति अत्याचार पीड़ीतों के लिए राष्ट्रीय राहत योजना।

(2) निम्नलिखित कार्यो/समारोहों का आयोजन

(क) 14 अप्रैल और 6 दिसम्बर को प्रत्येक वर्ष डा. अम्बेडकर का क्रमशः जन्म दिवस मनाना और महापरिनिर्वाण दिवस मनाना।

(ख) कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रतिभावान विद्या र्थियों के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कारों का वितरण।

(ग) डा. बी.आर. अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान।

(3) पुस्तक मेलों में भागीदारी

(ख) इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में यथावर्णित कार्यकलापों का डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के पास उपलब्ध संसाधनों से पूर्णतः वित्तपोषण किया गया था।

(ग) और (घ) डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने अन्य कार्यो के लिए निधियों का निवेश नही किया है। तथापि, इसने 238.45 करोड़ रुपए की धनराशि की अतिरिक्त निधियों को भारत सरकार के बांडों और राष्ट्रीयकृत बैकों में फिक्स डिपोजिट तथा इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड और प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड (ईटी एंड टी) में निवेश किया है। किए गए निवेशों के ब्यौरे निम्नानुसार हैः

24.11.2011 की स्थिति के अनुसार निवेश के ब्यौरे

क्र.सं.	निम्न में निवेश	धनराशि (रुपए में)
1.	ईटी एंड टी	1,85,46,173
2.	आरबीआई के 8% भारत सरकार बांड्स	90,00,00,000
3.	राष्ट्रीयकृत बैकों की फिक्स्ड डिपोजिट	1,45,60,00,000
	कुल	2,38,45,46,173

[अनुवाद]

सड़क निर्माण में रबड़ का उपयोग

3921. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने विशेषज्ञों द्वारा यथा संस्तुत सड़कों के निर्माण में प्राकृतिक रबड़ के उपयोग के संबंध में कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने सड़कों के रखरखाव/निर्माण में घरेलू प्राकृतिक रबड़ के उपयोग के संबंध में कोई रणनीति तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाइंडर कोर्स और वीयरिंग कोर्स बिछाने के लिए प्राकृतिक रबड़ शोधित बिटुमिन विनिर्दिष्ट किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

(घ) से (च) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने इस मंत्रालय की प्रायोजित अनुसंधान योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए प्राकृतिक रबड़ शोधित बिटुमिन सहित शोधित बिटुमिन के प्रयोग की प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया है। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार प्राकृतिक रबड़ शोधित बिटुमिन, तापमान में परिवर्तनों के प्रति ग्राह्यता को कम करके और बिटुमिन के वांछनीय गुणधर्मों में सुधार करके सड़क के स्थायित्व को बढ़ाता है जिससे उसका कार्य-निष्पादन कुल मिलाकर बेहतर हो जाता है। मंत्रालय की नीति के अनुसार, शोधित बिटुमिन का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्गों की सम्पूर्ण सतह बिछाने के लिए किया जा सकता है।

भारत-चीन बिजनेस लीडर फोरम

3922. **श्री रायापति सांबासिवा रावः**
श्री राजय्या सिरिसिल्लाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत-चीन बिजनेश लीडर फोरम ने किन-किन मुख्य क्षेत्रों पर बल देने का निर्णय लिया है;

(ख) यह देश के लिए किस प्रकार लाभप्रद होगा; और

(ग) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) इंडिया-चाइना सीईओ फोरम द्वारा बल दिए जाने हेतु मुख्य क्षेत्रों में, अन्य के साथ-साथ शामिल हैं- विद्युत और अक्षय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और दूरसंचार, भेषज, ढांचागत सुविधाएं और बैंकिंग एंव वित्तीय सेवाएं।

(ख) यह फोरम दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को प्रेरित करने के उद्देश्य से दोनों ओर के उद्योग लीडरों के मध्य औद्योगिक संवाद के लिए एक संस्थागत प्रणाली है।

(ग) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

रक्षा उत्पादन इकाइयों में निवेश

3923. **श्री एम.वेणुगोपाल रेड्डीः** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विभिन्न आयुध निर्माणियों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रायोगशालाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हथियारों के स्वेदश में विकास और विनिर्माण हेतु किये गये निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ख) स्वदेशी रक्षा उत्पादन आधार का सुदृढ़ करने की कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पन्ना बाघ अभ्यारण्य

3924. **श्री नवजोत सिंह सिद्धूः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में शिकारियों और वन अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ के चलते पन्ना बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या में कमी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) राज्य ने सूचित किया है कि इस संबंध में शिकारियों और वन अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ का कोई प्रमाण नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रीन फील्ड परियोजनाओं का कार्यान्वयन

3925. श्री आर. ध्रुवनारायणः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 में प्रावधान है कि अधिसूचना की अनुसूची-। में सूचीबद्ध सभी विकासात्मक परियोजनाओं को नई (ग्रीन फील्ड) परियोजनाओं की स्थापना के लिए और मौजूदा परियोजनाओं (ब्राउन फील्ड) के विस्तार के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अपेक्षित है। उन परियोजनाओं के लिए जिनमें वन भूमि शामिल है, वन (संरक्षण) अधिनियम के उपबंधों के तहत वन भूमि के अपवर्तन के लिए पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

(ख) सिंचाई, खनन, उद्योग और भवन तथा निर्माण सहित ताप विद्युत क्षेत्रों की कुल 3138 परियोजनाओं को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें कर्नाटक राज्य से उक्त क्षेत्रों की 141 परियोजनाएं शामिल हैं। सिंचाई, खनन और सड़क अवसंरचना सहित ताप और जल विद्युत क्षेत्रों को शामिल करते हुए वन भूमि के अपवर्तन की कुल 2034 परियोजनाएं अनुमोदित की गई है। इसमें कर्नाटक राज्य के 22 मामले शामिल हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड परियोजनाओं को पर्यावरणीय और वानिकी मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया को तेजी में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैः

(i) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और वानिकी मंजूरी के लिए वन सलाहकार समिति की नियमित बैठकें।

(ii) सभी पणधारियों के लाभ के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परियोजनाओं की स्थिति को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाना।

(iii) परियोजनाओं प्रस्तावकों द्वारा ईआईए-ईएमपी रिपोर्टों की बेहतर तरह से तैयारी को सुकर बनाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट संहिताएं तैयार की गई तथा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

(iv) पूर्ण संगत सूचना से ईआईए-ईएमपी रिपोर्टों की तैयारी में परियोजना प्रस्तावकों को सुविधा प्रदान करते हुए ईआईए अधिसूचना, 2006 पर कई परिपत्र और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया भी एमओईएफ की वेबसाईट पर अपलोड की गई है।

[हिन्दी]

पत्तनों तक सड़क संपर्क

3926. श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संपूर्ण देश में सामान की तीव्र गति से ढुलाई करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सभी बड़े पत्तनों से अलग से सड़क अवसंरचना/संपर्क मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) महापत्तन सड़क-परियोजनाओं की स्थिति से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

महापत्तन संपर्क परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	कार्य का नाम	लंबाई (किमी)	कार्य पूरा होने की तिथि/लक्ष्य तिथि
1	2	3	4
1.	**पश्चिम बंगाल** पश्चिम बंगाल में कोलाघाट से हल्दिया तक हल्दिया पत्तन संपर्क (रारा-41)	52.2 (रारा-41) 61.25 एचपीएल लिंक रोड	जनवरी, 2012
2.	**ओडिशा** ओडिशा में चंडीखोल से पारादीप पत्तन संपर्क (रारा-5ए)	77	पूर्ण
3.	**आन्ध्र प्रदेश** आन्ध्र प्रदेश में विशाखापतनम संपर्क (पत्तन सड़क)	12.5	पूर्ण
4.	**तमिलनाडु** तमिलनाडु में चेन्नै-एन्नौर पत्तन संपर्क चरण-2: 9 किमी (टीपीपी सड़क) चरण-3-15 किमी (एमओआरआर आईआरआर, 1.6 किमी ईई, 3 ग्रोएन्स चरण-4: 6 किमी शेष ईई	चरण-1: समुद्र संरक्षण कार्य 9 किमी 15 किमी 6 किमी	पूर्ण जून, 2013
5.	बीओटी आधार पर एनएचडीपी चरण-7 के अंतर्गत रारा-4 पर गेट नं. 10 से मदुरावोयल तक उत्थापित सड़क	19	सितं., 2013
6.	तमिलनाडु में रारा 7ए पर तूतीकोरीन पत्तन संपर्क परियोजना	47.2	अप्रैल, 2012
7.	**केरल** आईसीटीटी, वल्लारपदम, कोचीन को कोचीन पत्तन संपर्क से जोड़ना रारा-47 को कि.मी. 348.4 से कि.मी. 358.75 तक चार लेन का बनाना कोचीन	17.2 10.40	मई, 2012 पूर्ण
8.	**कर्नाटक** कर्नाटक में रारा 17, 13, और 48 पर नव मंगलूर पत्तन संपर्क परियोजना	37.5	दिसं., 2011

1	2	3	4
9.	**गोवा** गोवा में रारा 17 पर मुरगांव पत्तन संपर्क	18.3	अदालती मामले के कारण परियोजना रूकी रही
10.	**महाराष्ट्र** जेएनपीटी पैकेज-1: रारा 4बी और रारा 4 को चार लेन का बनाया जाना	30.	पूर्ण
	जेएनपीटी पैकेज-11: पनवेल क्रीक पुल सहित एसएच 54 और आमरा मार्ग का चार लेन का बनाया जाना	14.4	पूर्ण

कांडला पत्तन संपर्क जुलाई, 2002 में पूरा हो चुका है।

मुंबई पत्तन संपर्क परियोजना को छोड़ दिया गया हैं क्योंकि इसका संरेखण साल्ट पैन एरिया से गुजरता है और इसका कार्य पत्तन द्वारा ही शुरू किया जाना है।

कोलकाता पत्तन संपर्क परियोंजना को भी छोड़ दिया गया है क्योंकि इसका संरेखण, प्रतिरक्षा क्षेत्र से गुजरता था और भूमि, कार्य के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

सैनिक कल्याण बोर्ड

3927. श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या क्या है;

(ख) किन जिलों में सैनिक कल्याण बोर्ड मौजूद हैं;

(ग) क्या कतिपय जिलों में ऐसे बोर्ड स्थापित नहीं किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कल्याण बोर्डों को कितनी निधियां उपलब्ध कराई गई हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसे किन योजनाओं पर व्यय किया गया था?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम.पल्लम राजू): (क) राज्य सैनिक बोर्डों के अभिलेखों के अनुसार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या निम्नानुसार हैं:

छत्तीसगढ़	4,786
मध्य प्रदेश	39,889

(ख) राज्यों में सभी जिले, जिला सैनिक कल्याण बोर्डों के द्वारा कवर किए जाते हैं। वे जिले वहां सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय नहीं हैं, वे पास के अथवा समीपस्थ जिले में स्थित सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालयों द्वारा कवर किए जाते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 08 और मध्य प्रदेश में 24 जिला सैनिक बोर्डों के कार्यालय हैं। जो इस प्रकार हैं:

छत्तीसगढ़ः

रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनंदगांव, जशपुर, बस्तर (जगदालपुर), सरूजा (अम्बिकापुर), कोरिया (बैकुंठपुर)।

मध्य प्रदेशः

बेतुल, भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दामोह, खण्डवा, ग्वालियर, गुना, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, मुरेना, मंदसौर, नरसिंहपुर, रेवा, रतलाम, सागर, सिधी, सतना, शाहडोल, सिओनी, टीकमगढ़, और उज्जैन।

(ग) और (घ) जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं जो उस जिले में रहे भूतपूर्व-सैनिकों की संख्या पर निर्भर करते हुए जिले की व्यवहार्यता तथा आवश्यकता पर आधारित होती है।

(ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राज्य सैनिक कल्याण बोर्डों को योजना के अंतर्गत प्रदान की गई निधियां

क्र.सं.	योजना	छत्तीसगढ़			मध्य प्रदेश		
		2008-09	2009-10 राशि (रुपए में)	2010-11	2008-09	2009-10 राशि (रुपए में)	2010-11
1.	राज्य एवं जिला सैनिक बोर्डों का रख-रखाव	39,07,500/-	6246,250/-	1,60,03,184/-	2,20,19,250/-	95,23,500/-	1,76,34,500/-
2.	सैनिक विश्राम गृह का निर्माण			6,55,000/-			22,18,000/-
3.	रक्षा मंत्री विवेकाधीन निधि	5,13,000/-	3,04,000/-	29,000/-	11,90,800/-	14,34,580/-	11,41,800/-

एमडीएल का संयुक्त उद्यम

3928. श्री हंसराज गं. अहीरः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने निजी शिपार्ड कंम्पनियों द्वारा उठायी गई आपत्तियों के कारण मजगांव पत्तन लिमिटेड का पिपावाव शिपयार्ड के साथ संयुक्त उद्यम पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा संयुक्त उद्यमों के निर्माण को तब तक के लिए रोक लिया गया है जब तक कि इस प्रकार के उपक्रमों हेतु संयुक्त उद्यम भागीदार का चयन करने हेतु उपयुक्त दिशा-निर्देश तैयार नहीं कर लिए जाते। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि संयुक्त उद्यमों हेतु भागीदार के चयन में पूर्णतः पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इन दिशा-निर्देशों में इन संयुक्त उद्यमों हेतु नियम एवं शर्ते भी शामिल होगीं ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के हितों की पूर्णतः सुरक्षा की जा सके और सशस्त्र सेनाओं को सेवा प्रदान करने में उनकी क्षमता में किसी प्रकार से बाधा न आए।

(ग) पोतों की आपूर्ति तीव्र गति से करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रम शिपयार्डों का उनकी क्षमता एवं योग्यता में वृद्धि करने हेतु आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

(घ) नौसेना तथा तटरक्षक बल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजी शिपयार्डों की सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

एसएच का एनएच में परिवर्तन

3929. श्रीमती ज्योति धुर्वेः
श्री नारनभाई कछाड़ियाः
श्री माणिकराव होडल्या गावितः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सड़कों/राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) में परिवर्तित किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विशेष रूप से गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के अनुमोदित प्रस्तावों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किए गये/किये जा रहे सड़क मार्गों/राज्य राजमार्गों की लम्बाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) अगले दो वर्षो 2012-13, 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्तावित सड़क की लम्बाई/राजमार्गो का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) उक्त सड़कों/राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किये जाने के संबंध में विलम्बित/लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं और इन लंबित परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या निधियों की कमी के कारण 10,000 किमी राज्य राजमार्गों को परिवर्तित करने की योजना के पूर्ण होने की संभावना नहीं है; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (घ) गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान सड़कों/राज्यीय राजमार्गों के परिवर्तन के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-1 दिया गया है। गत तीन वर्षं में और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई सड़कों/राज्यीय सड़कों का ब्यौरा संलग्न-11 में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार, एक सतत् प्रक्रिया है और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा सड़क-संपर्क की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता एवं निधियों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर की जाती है। सड़कों/राज्यीय सड़कों के राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्न्यन के लिए निधियों का अलग से प्रावधान नहीं किया जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का अद्यतन ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम		सड़क/खंड का विवरण	लम्बाई किमी में
1	2		3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.	नेल्लौर-अत्माकुर-बडवेल-मेदुकुर-गूटी	314
		2.	हैदराबाद-रामागुंडम-मनचेरियल-चंदा	330
		*3.	हैदराबाद-श्रीसैलम-दोरनाला-अत्माकुर-नांदयाल	353.18
		4.	गुंडुगोलानु-नल्लागेरिया-देवारापल्ली-वेरनागिरि सड़क	83
		5.	कृष्णापटनम पत्तन-नेल्लौर-चित्रदुर्ग के निकट चेल्लाकारा	470
		6.	हैदराबाद-मेडक-बोधान-बासर-लुक्सेट्टिपेट	395
		*7.	काकीनाडा-द्वारापुदी-राजामुंदरी-कोव्वूर-जंगरेड्डीगुडेम-अश्वरापेटा-खम्माम-सूयपिटा	310
		8.	राजामुंदरी-मारेदुमिल्ली-चिटूंररू-भूपालपटनम	400
		9.	कूरनूल-अत्मातूर-दोरनाला-थोकापल्ली-पेरीचेरला-गुंटूर	300
		10.	कोडेड-मिरयालगुडा-देवाराकोंडा-तंदूर-चिचोली	240
		11.	बैल्लारी-अदोनी-रायचूट-महबुबनगर-जदचेरला	200
		12.	कलिंगापटनम-श्रीकामुलम-रायगढ़ से रारा 201 तक	120

1	2		3	4
		*13.	सिरोंचा-महादेवपुर-परकल-वारंगल-तुंगतुर्थी-नकरेकल-सलगोंडा-चलकुर्थी-मचेरला एरागोंडापालेम-थोकापल्ली-मरकापुर-बेस्थावारिपेटा-कणिगिरि-रापुर-वेंकटागिरि-एरपेडु रेनिगुंटा	725
		14.	अंकापल्ली-अनादपुरम	50
		15.	कुप्पम-गुंडीपाली-कोलार से रारा 219 तक	70
		16.	कोडेड-खम्माम-थोरूर-वारंगल-जगतयाल	290
		17.	अनंतपुर-उर्वाकोंडा-बेल्लारी	78
		18.	पुतलापट्टु-नायडुपेट सड़क	117
		19.	कुरनूल-बेल्लारी सड़क	126
		20.	ताड़ीपत्री-रायचूर सड़क वाया अनंतपुर-उर्वाकोंडा सड़क	146.17
		*21.	गुंटूर-विनूकोंडा-टोकापल्ली-नांदयाल-बानागनपल्ली-ऑक-ताड़ापत्री-धर्मावरम-कोडूर सड़क	530
		*22.	आदिलाबाद-उतनूर-कानापुर-कोरूतला-वेमूलवाडा-सिद्दिपेट-जानागांव-सूर्यापेटा मिरयालगुडा-पिडुगुरल्ला-नरसरायवपेटा-वोदारेवू	630
		23.	निजामपटनम-रिपाले-तेनाली-गुंटूर-विनूकोंडा-थोकापल्ली-नांदयाल-बाणगंनामल्ली ऑक-ताडपत्री-धर्मावरम-काडूर	625
		24.	कृष्णापटनम पोर्ट-अत्माकुर-बडवेल-मेदूकूर-प्रोद्दातूर-जमलामडुगु-गूटी	353
		25.	विसाखापटनम-तल्लापलम-नरसीपटनम-चिंतापल्ली-सिलेरू-उप्पेसिलेरू-दोनकरई मोतीगुदेम-लक्कावरम-चिंतूरू	238
		26.	विशापटनम-पेंदर्थी-श्रुगावरपुकोट्टा-अनंतगिरि-सुनकारावारिमेट्ट-अराकु-उड़ीसा राज्य सीमा	126
		27.	निर्मल-खानपुर-लुक्सेट्टिपेटा (रारा 222 का विस्तार)	108
		28.	राजामूंदरी,गोकावरम, रामपचोदावरम, मारेदिमिल्ली, चिंटूर, भद्राचलम, चरला, वेंकटपुरम	293
		29.	गोलांव-आसिफाबाद-मांचेरल-पेड्डपल्ली-करीमनगर-वारंगल-महबूबाबाद-खम्माम कोडाड	390
		30.	कोडाड-मिरयालयगुडा-देवाराकोंडा-कलवाकुर्ती-महबूबनगर-रायचूर-मंत्रालयम-अदोनी अलूरू-उर्वाकोंडा-अनंतपुरम	580
		31.	टाडा-श्रीकालाहासी-रेनिगुटा-कुडप्पा	208
		32.	गुडूर-रापुर-राजमपेट-रायाचोटी-कादिरी-हिंदुपुर-मदकसिरा	356

1	2		3	4
		33.	पेनुगोंडा-मदकसिरा-हीरायूर	133
		34.	संगारेड्डी-नरसापुर-भोंगीर-चितयाला-शादनगर-चेवल्ला-संगारेड्डी	367
		35.	पमारू-चल्ला पल्ली सड़क	27
		36.	संगारेड्डी-नादेड-अकोला	141
		37.	हैदराबाद-मेडक-येल्लारेड्डी-बांसवाड़ा-बोधान	156
		38.	तिरूपती-नायडूपेटा सड़क	59
		39.	हैदराबाद-बीजापुर सड़क (वाया) मोइनाबाद, चेवल्ला, मन्नेगुडा, कोडांगल	132.26
		40.	कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलने वाली नंदयाल-अत्माकुर-नंदीकोतकुर-आलमपुर-ईजा सड़क	187
		41.	मंगलौर (कर्नाटक) से तिरूवन्नामलाई (तमिलनाडु), वाया आंध्र प्रदेश में वेंकटगिरि	24
		42.	श्रीकाकुलम जिले में कलिंगपटनम पोर्ट से रारा 5 (नई रारा सं. 16), तक	31.60
		43.	विशाखापटनम जिले में भिमिली पोर्ट से रारा 5 (नई रारा सं.16) तक	9.0
		44.	विशाखापटनम जिले में विशाखापटनम पोर्ट से रारा 5 (नई रारा सं. 16) तक	12.50
		45.	विशाखापटनम जिलें में गंगावरम पोर्ट से रारा 5 (रारा सं.16) तक	3.80
		46.	काकिंदा से राजनगरम (एडबी) नई राष्ट्रीय राजमार्ग (नई रारा सं. 16) तक	55.80
		47.	मछलीपट्टनम पत्तन से हनमन जंक्सन (नई रारा सं.16) तक	60.14
		48.	नजमपटनम-रेपाल्ले-तेनाली-गुंटुर सड़क	94.09
		49.	वाडरेचु पत्तनम से रारा 5 (नई रारा सं.16) तक सड़क का उन्नयन	44.73
		50.	ओंगोले से कोठपटनम	17.17
		51.	कृष्णापटनम पत्तन से रारा 5 (नई रारा सं.16) तक	19.25
		52.	गुडुरू से कृष्णापटनम पत्तन तक संपर्क सड़क	33.20
			उप-जोड़	**11161.89**
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.	खोंसा-हुकंजूरी-नहरकटिया-तिनसुकिया रोड	99
		2.	चांगलांक-मरघेरिटा रोड	44
		3.	बामे-किकाबाली-अकाजन रोड	114

1	2		3	4
		4.	सगली-मेंगियो-दीद-जीरो रोड	200
		5.	नामपोंग-मोटोंग्सा- देबान-नामचिक-जगुन	110
			उप-जोड़	**567**
3.	असम	1.	धोदर अली	250
		2.	श्रीरामपुर-धाबुरी सड़क	77
			उप-जोड़	**327**
4.	बिहार	1.	दरभंगा-कामतोला-मधवापुर सड़क	-
		2.	रारा-107 (जिला सहरसा) पर बेरियाही-बनगांव को जोड़ने वाली सड़क से सुपौल के रास्ते भपतियाही के निकट रारा-57 तक	58
		3.	सोनबरसा-बैजनाथपुर	20
		4.	सराईगढ़ रेलवे स्टेशन-लालगंज-गंपतगंज	11
		5.	सुपौल-पिपरा (रारा-106)-त्रिवेणीगंज-भरगामा-रानीगंज (अरड़िया)-ठाकुरगंज गलगलिया (किशनगंज से पश्चिम बंगाल सीमा तक)-पूर्व पश्चिम महामार्ग तक	120
		6.	मुजफ्फरपुर-देवरिया-बरूराज-मोतीपुर	56
		7.	मुजफ्फरपुर-पुसा-धौली-कल्याणपुर	47
		8.	क्योतसा-कटरा-रूनी सईदपुर-बेलसंद-परसौनी	61
		9.	झापा-मीनापुर-श्योहर	47
		10.	दरभंगा-बहेड़ा-बिरौल-कुशोसवर अस्थान	65
		11.	दरभंगा-बहेड़ा-सिंघिया-रोसेरा-नरहन-चेरिया'बरिरपुर-बेगुसराय	110
		12.	हाजीपुर-महनर-मोहिउद्दीन नगर-बछवाडा	75
		13.	मांझी-दरौल-गुथनी	55
		14.	गुथनी-किरवा-सिवान-बरहरिया-सरफारा	90
		15.	मिरवा-कुचईकोट	70
		16.	दरोंडा-महाराजगंज-तरवारा-अहिरिया-गोपालगंज	47
		17.	मिरगंज-भगीपट्टी	39
		18.	सिवान-पैगम्बरपुर	52

1	2		3	4
		19.	चपरा-खैडा-सलेमपुर	70
		20.	मांझी-बरौली-सरपाड़ा	115
		21.	बेतिया-चंपतिया-नरकतियागंज-थोरी	70
		22.	सीतामड़ी-रिगा-धेंग-बैरगनिया	31
		23.	अमौर-बायसी-बहदुरगंज	56
		24.	आरा-सासाराम रोड	97
		25.	भौजपुर-दुमराओ-विक्रमगंज-नसरीगंज-देहरी-ओन-सोन	83
		26.	बक्सर-चौसा-महनिया-भभुआ-अधैरा-गारके (उत्तर प्रदेश सीमा)	155
		27.	बडबिघा-शेखपुरा-सिकंदरा-जमुई-देवघर	175
		28.	शेखपुरा-लखीसनाय-जमुई	63
		29.	सुलतानगंज-देवघर	110
		30.	भागलपुर हंसदिहा दर्दमारा तक	63
		31.	घेाघा-बाराहट	84
		32.	जमुई-लक्ष्मीपुर-खड़गपुर-बरियारपुर	59
		33.	अकबर नगर-सहकुंड-अमरपुर-बांका	30
		34.	गया-पंचनपुर-बौदनगर	70
		35.	बाराहट-पंजावाडा-धौरिया-संहौला-घोघा रोड	55
		36.	मेंहदिया रारा-98 हसपुरा-पचरूखिया-खुंदवान-फेसर-औरंगाबाद	49
		37.	बरियारपुर-खडगपुर-कुदास्थान	35
		38.	सासाराम-चौसा वाया कोचस	65
		39.	पहाडी (रारा-30) से मसौरही (रारा-83)	38
		40.	मगध मेडिकल कॉलिज से रफिगंज, गोह, औरंगाबाद	70
		41.	वजीरगंज (रारा82) से रारा-2 4 लेन वाया फतेहपुर, पहाड़पुर,अमरपुर, धडहाडा	60
		42.	रारा-83 से महनपुर बाडाचट्टी जी. टी. रोड(रारा-2) वाया टेकुनाफार्म-दुबलनैली मरनपुर-बोध गया नदी के किनारे द्वारा	50
		43.	विश्वनाथपुर चौक-कोईली-नानपुर-खड़कबसंत-जाले	35

1	2		3	4
		44.	गाढ़ा-बौचक-बाजपटी-कुम्बा-बेला	53
		45.	रूनी सैदपुर-कोवाही-बलुवा-मीनापुर	26
		46.	मझौली-कटरा-जजुवार-चरौत	59
			उप-जोड़	**2949**
5.	छत्तीसगढ़	1.	बिलासपुर से पांडारिया, पोदीं कवार्धा, राजनंदगांव, अंतागढ़ नारायणपुर, बरसूर, गीदम, दंतेवाड़ा बैलाडिला, चिंतालनाड़ मारियागुंडा से भद्राचलम	684
		2.	गढ़चिरौली (महाराष्ट) से मानपुर-भानुप्रतापपुर-कणकेर-दुधवा-सिहाव-नगरी-बरदुला-मैनपुर से खरियार रोड (ओडिसा)	234
		3.	अम्बिकापुर से वाडराफनगर से वाराणसी (उत्तर प्रदेश) तक नए रारा सं. 130 का विस्तार	111
		4.	रायपुर से बालोडबाजार-कस्डोल-भाटगांव-सरियागढ़-सरिया-सोहेल रोड (ओडिशा)	238
			उप-जोड़	**1267**
6.	दादरा और नगर हवेली	1.	दमन से नासिक वाया वापी, सिलवासा, खनवेल और त्रियंबकेश्वर	190
		2.	वापी-सिलवासा-तालासारी सड़क	50
		3.	गुजरात में जरोली गांव से रारा-8 को स्पर्श करते हुए नारोली-खरादपाड़ा-लुहारी-चिखली-आप्ति एंव वेलुगाम (सभी दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में) से महाराष्ट्र में सुत्राकर से होते हुए तलसारी तक सड़क खंड	33
			उप-जोड़	**273**
8.	दमन और दीव	1.	रारा-8 के निकट मोहनगांव रेल क्रांसिंग होकर जरी-कचीगम-सोमनाथ-कुंटा-भेंसलोर-पटालिया (सभी दमन में) के रास्ते रारा-8 पर उदवाड़ा रेल क्रासिंग (गुजरात में) तक	29
			उप-जोड़	**29**
9.	गुजरात	1.	मलिया-जामनगर-ओखा द्वाराका	340
		2.	भुज-खवादा-इंडिया ब्रिज-धरमशाला से भारत की सीमा सड़क तक	170
		3.	वदोदरा-पोर-सिनोर-नेतरंग-व्यारा-अहवा-सातपूतरा-नासिक सड़क	245
		4.	मेहसाना-चांसमा-राधनपुर सड़क	165
		5.	राजकोट-मोरबी-नवलखी सड़क	109
		6.	पालनपुर-गांधीनगर-अहमदाबाद सड़क	150

1	2		3	4
		7.	राजपिपला-वापी सड़क	339
		8.	वसाद-पडरा-कर्जन सड़क	40
		9.	नादियाद-कापडवंज-मोदासा से रारा 8 को जोड़ते हुए	135
		10.	अहमदाबाद-ढोलका-वातामन	80
		11.	भावनगर-कर्जन सड़क	210
		12.	पोरबंदर-पोरबंदर पत्तन सड़क	50.50
		13.	जामनगर-बेडी पोर्ट रोड	04.20
		14.	त्रपेज-अलंग पोर्ट रोड	08.00
		15.	जखाऊ पोर्ट रोड	13.00
		16.	गांधीनगर-गोजारिया-विसनगर-वादनगर-खेरालु-दंता-अम्बाजी-आबु रोड	170
		17.	हिम्मतनगर-विजापुर-विसनगर-उंचा सड़क	120
		18.	अहमदाबाद-विरमगांव-संखेश्वर-राधनपुर सड़क	151
		19.	पालनपुर-चंडीसर-दंतिवाडा-गुजरात सीमा सड़क	65
		20.	भाभर-शिहोरी-पाटन-सिद्धपुर-वालासन-ईदर-हिम्मतनगर सड़क	200
		21.	भाभर-देवदर-खेमना-पाटन-चांसमा-मेहसाना सड़क	130
		22.	भचाऊ-भुज-पंधरो सड़क	130
		23.	चितरोड-रापड़-धोलावीरा सड़क	120
		24.	सुईगम-सिधादा सड़क	40
		25.	जामनगर-जूनागढ़ सड़क	130
		26.	राजकोट-अमरेली सड़क	72
		27.	बागोदरा-धनधुका-वल्लभीपुर-धासा-अमरेली सड़क	180
		28.	वदोदरा-दभोई-छोटाउदयपुर सड़क	125
		29.	भरूच-अंकलेश्वर-वालिया-नेतरंग-सगबारा सड़क	90.00
		30.	हिम्मतनगर-इदेर-खेडब्रह्म-अम्बाजी से आबु गुजरात सीमा सड़क	130
		31.	जाफराबाद-रजूला-सवरकुंदला-अमरेली-बबारा-जसदान-विचिया-सायला-सुरेन्द्रनगर	440
		32.	गणदेवी-वंसदा-वाघई-अहवा-चिंचली से गुजरात सीमा तक	120

1	2		3	4
		33.	वलसाड-परदी-कपरादा सड़क	60
		34.	गांधीनगर-देहगांव-बेयाड-लूनावाडा-संतरामपुर सड़क	200
		35.	ऊना-देलवाडा-अहमदपुर मांडवी-दीव सड़क	11.00
		36.	वापी-मोतापोंधा सड़क	09.00
		37.	वापी-सिलवासा सड़क	11.80
		38.	बागोदरा-धनधुका-भावनगर सड़क	130
		39.	वाणकबारा-कोटड़ा सड़क-रारा-8ई तक	30.00
		40.	सरखेज-साणंद-वीरगांव से मालिया के निकट रारा सं.8ए तक	186
		41.	हिम्मतनगर-मेहसाना-राधनपुर राज्यीय राजमार्ग	165
		42.	शामलाजी-मोदासा-गोधरा-वापी राज्यीय राजमार्ग सं.5	506
		43.	वदोदरा-दाभोल-छोटाउदयपुर से म.प्र. सीमा तक	125
		44.	गांधीनगर-देहगाम-बेयाड-जालोड से राजस्थान सीमा तक	220
		45.	बागोदरा-धनधुका-वललभीपुर-रजुला-जाफराबाद	200
			तटवर्ती सड़कें:	
		46.	नारायण सरोवर-लखपर	37.00
		47.	नलिया-द्वारका	340
		48.	भावनगर-वातामन-पडारा से रारा 8 पर कारजन	200
			उप-जोड़	**6857.50**
9.	गोवा	1.	कारसवाड़ा-बिचोलिम-सुरला-उसगाव-खांदेपार	45
		2.	सांकेलिम-केरी-चोरलेम	35
		3.	मडगांव-पडोदा-केपेम-सेवोरडेम-धरबंदोरा	40
.		4.	मोपा-बिचोलिम-सांकलेम-उसगांव	-
		5.	कुर्ती से बोरिम	4
		6.	असनोरा से डोडामार्ग	10
			उप-जोड़	**134**
10.	हरियाणा	1.	अम्बाला कैंट (रारा 1) साहा (रारा 73)	15

1	2		3	4
		2.	साहा (रारा 73) से शाहाबाद (रारा1)	16
		3.	उकलाना (रारा 65)-सुरेवलचल से टोहना-पटरन (रारा 71)	29.40
		4.	रोहतक शहर में रारा-71 और रारा-71ए के बीच	2.60
		5.	गुडगांव-झज्जर-बेरी-कालानौर-मेहम (रारा-8 और रारा-10 के बीच)	-
		6.	रोहतक-भिवानी-लोहानी-पिलानी-राजागढ़ (रारा-10 और रारा-65 के बीच)	-
		7.	सोनीपत-गोहाना-जींद (रारा-1 और रारा-71 के बीच)	-
		8.	कैथल-जींद-मुंडल (रारा-1 और रारा-71 के बीच)	-
		9.	बहादुरगढ़-झज्जर-कोसली-महिन्द्रगढ़-नारनौल-कोतुली (रारा-10 और रारा 8 के बीच)	-
		10.	कैथल (तितरम मोड)- जींद (एसएच-11ए और 12) (रारा-65 को रारा-71 से जोड़ते हुए)	-
		11.	कैथल-गुहला-पंजाब सीमा (एसएच-11) (रारा-65 को पंजाब में पटियाला के निकट रारा-64 से जोड़ते हुए	-
			उप-जोड़	**63.00**
11.	हिमाचल प्रदेश	1.	होशियारपुर-भानखंडी-झालरा-भोता-जोहा-रेवालसर-मंडी रोड	180.00
		2.	यमुनानगर-लाल धंक-पौंटा-दारनघाटी सड़क	352.00
		3.	कीरतपुर साहिब-नंगल-ऊना-मैकलोडगंज रोड	207.50
		4.	स्लप्पर-तट्टापानी-लूरी-सैंज सड़क	120.00
		5.	चंडीगढ़ (पीजीआई)-बद्दी-रामशहर-शालाघाट सड़क	127.20
		6.	सैंज-लूरी-बंजार-औट (बागीधर) सड़क	97.00
		7.	तारादेवी (शिमला)-जुब्बारहट्टी-कुनीहार-रामशहर-नालागढ़-घनौली (एसएच सं.6) (हि.प्र. सीमा) सड़क	106.400
		8.	भरमौर-चम्बा-डलहौजी-पठानकोट सड़क	133.00
		9.	हमीरपुर-सुजानपुर-पालमपुर सड़क	60.00
		10.	ब्रह्मपुखर-बिलासपुर-घुमारविन-सरकाघाट-**धर्मपुर-सिद्धपुर-लाड-भरोल-जोगिन्द्रनगर**	111.80
		11.	स्लैपर-पांदोह-चैलचौक-करसोग-तत्तापानी-धल्ली-थियोग-कोटखई-जुब्बल-हतकोटी सड़क	300.00

1	2		3	4
		12.	किश्तवाड़ (जेएंडके)-तंडी (हि.प्र.)	-
		13.	सुजानपुर-संधोल-मंदाप-रेवसर-नरचोवा-जयदेवी-तत्तापानी-धल्ली	-
		14.	भरमौर, चम्बा-सुल्तानपुर-जोट-चोवाडी-लहरू-नुरपुर	142
		15.	किरतपुर-नांगल-भाखड़ा-थनकलान-बंगाना-तुतरू-भैम्बली-मंझीयार-नदौन-सुजानपुर-संधोल-धरमपुर-मनदाप-रेवलसार-नया-चौक रोड	250
		16.	धनोटु-जयदेवी-तोहंडा-चुरग-तत्तापानी-धल्ली	180
		17.	नरकांडा-बागी-खदराला-सुंगरी-रोहरू-हटकोटी रोड	115
			उप-जोड़	**2481.90**
12.	जम्मू और कश्मीर	1.	मुगल (पाम्पोरे से राजौरी) रोड	164
		2.	दुरेरा (पंजाब) से पुल डाडा वाया बसोली-बानी-भदेरवाहा-डोडा से जुड़ने वाला रारा-1बी	212
		3.	सोपियां-कुलगाम-क्वाजीगुंड रोड	38
		4.	श्रीनगर-बंदिपोरा-गुरेज रोड	138
		5.	बारामुला-रफियाबाद-कुपवाडा-तंगधार रोड	126
		6.	करगिल-जंशेकर रोड	234
		7.	डोडा और अनंतांग जिलों में पुल डोडा एग्जिट (पुल डोडा) देसा-गई कपरन वेरोमग रोड	-
		8.	जवाहर टनल एग्जिट (इमोह) वेरिनाग-अचबल-मट्टन-पहलगांव रोड	-
			उप-जोड़	**912**
13.	झारखंड	1.	गोबिंदपुर-जामतारा-दुमका-साहेबगंज सड़क	310
		2.	चक्रधरपुर- जरईकेला-पंपोश सड़क	140.55
		3.	दुमरी-गिरिदिह-माधुपुर-सरत-देवघर (एसएच-14)	153
		4.	देवन-चौपा मोड-जरमुंडी-जामा-लाकड़ापहाड़ी (एसएच-15)	62
		5.	एसएच 16 पर हंसदिहा-नोनीहाट-लाकड़पहाड़ी-दुमका-शिकारीपाड़ा-सुरीचुहा-झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा (एसएच-17 का भाग)	95
		6.	एसएच-3 [रारा 23 कामदार पर कोलेबीरा-तोरपा-खुंटी (रारा 75 विस्तार)-अरकी-रारा33 पर तामर]	125

1	2		3	4
		7.	एसएच-16 [देवघर (मोहनपुर)-चौपा मोड-हेसदिहा-गोड्डा-महागामा-महरमा-रारा 80 पर साहेबगंज]	139
			उप-जोड़	**1024.55**
14.	कर्नाटक	1.	मैसूर-चन्नारायपटना-अरसीकेरे-चन्नारायापटना और सकलेशपुरा वाया होलेनरसिपुरा के बीच लूप	187
		2.	बिल्लिकेरे-हसन-बेलूर-तारीकेरे-शिमोगा-होन्नाली-एच.पी.हल्ली-होसीत-गंगावती-सिंदनूर-मानवी-रायचूर	612
		3.	रारा 48-हसन-गोरूर-अरकुलगुड-रामनाथपुरा-बेटाडापुरा-पेरियापटना-गुडंलुपेट सड़क	249
		4.	बंटवाल-मुदिगेरे-बेलूर-हलेबिदु-सीरा-गौरीबिदनौर-सी.बी. पुरा-चितांमणि-श्रीनिवासपुरा-मुलबगल	487
		5.	बंगलौर-आउटर रिंग रोड दोबासपेट-सोलूर-मगडी-रामतगरम-कणकपुरा-अनेकल-अत्तीबनेले-सरजापुरा	194
		6.	बंगलौर-रामानगरा-चन्नापटना-मांड्या-मैसूर-मरकारा-मंगलौर (रारा-17 से जोड़ने के लिए)	385
		7.	बीदर-हुमनाबाद गुलबर्ग-सिरिगुप्पा-बेल्लारी-हिरियूर-चिक्कनायकनहल्ली-नागमंगला-पांडवपुरा-श्रीरंगपट्टण	679
		8.	कोरातागेरे-तुमकुर-कुनिगल-हुनियूरदुर्ग-मद्दूर-मालावल्ली सड़क	140
		9.	बेलगांव-बीजापुर-गुलबर्ग हुमनाबाद	144
		10.	बेलगांव-बागनकोट-रायचूर-मेहबूबनगर-आंध्र प्रदेश	336
		11.	चित्रदुर्ग-होललकेरे-होसदुर्ग-चिक्कामंगलौर-मुदिगेरे-बेलथनगड़ी-बंटवाल-मंगलौर (रारा-17 से जोड़ने के लिए)	250
		12.	पडुबिदरी-करकला-श्रींगेरे-तीर्थहल्ली-शिकारीपुरा-सिनलकुपा-बागलकोट-हुमनाबाद	665
		13.	मपलवल्ली-बन्नूर-मैसूर सड़क	45
		14.	गिनिगेरे(कोप्पल)-गंगावती-कालमाला (रायचूर) सड़क	167
		15.	कुमता-सिरसी-तडासा-हुबली सड़क	140
		16.	आंध्र प्रदेश में पेनुगोंडा को जोड़ते हुए रारा-4 पर हिरियूर से एसएच-24 तक	115
		17.	जेवारगी-बेल्लारी-हत्तीगुडुर-लिंगासुगुर-लिंगासुर-सिंधनूर-सिरिगुपा	248
		18.	डोड्डाबल्लारपुर-कोलार सड़क वाया नंदी विजयपुरा, वेमगल	82

1	2		3	4
		19.	कुमता-सिरसी-हवेरी-मोलाकलमुरू-अनंतपुरा	245
		20.	औड़द-बिदर-चिंचोली-जेवारगी-बीजापुर-सेदबल-गटकरवादीन महाराष्ट्र	480
		21.	हेबसुर-धारवाड़-रानगरम-पणजी सड़क	95
		22.	बागलकोट-गुनेदागुड्डा-गजेन्द्र-कुकुनूर-भानपूर	130
		23.	बंगलौर-रारा-7 (सामनदेनापल्ली) का जोड़ते हुए हिंदुपुरा से राज्य की सीमा तक	80
		24.	कडूर-कन्ननगाडा राज्यीय राजमार्ग सं.64	190
		25.	बेलगांव-बागलकोट-हुन्गुन्ड सड़क	165
		26.	कोप्पाला-जेवारगी सड़क	216
		27.	नवलकुंड-कुश्तागी सड़क	97
		28.	मानदवाडी-एच.डी.कोटे-जयुपरा-कोल्लेगल-सलेम सड़क	197
		29.	वनमारापल्ली-औरड-बिदर (राज्यीय राजमार्ग-15 का भाग) और रारा-9 से जुड़ने वाला बिदर से हुमनाबाद तक राज्यीय राजमार्ग-105	109
		30.	टाडसा-मुंडागोड-हंगल-अनावट्टी-सिकारीपुरा-सिमोगा	186
		31.	कुमटा-सिरसी-हावेरी-हडगली-हरपनहल्ली-कुडलगी	240.
		32.	नंजनगुडु-कामराजनगर	38
		33.	रारा-13 पर जुड़ने वाला अडवी सोरनपुरा से जगलुर वाया मुंडरगी-हुविनहडगल्ली-उज्जैनी	151
		34.	कलपेट्टा-मनंतवाड़ी-कट्टा-गोनी-कोप्पल-हुन्सूर-मैसूर सड़क	180
		35.	देवनहल्ली-विजयपुरा-एच.क्रास-कोलार-केजीएफ-केम्पपुरा सड़क	96
			उप-जोड़	**8020**
15.	केरल	1.	तिरूर-कोट्टाक्कल-मलप्पूरम-मंजेरी-गुंडालुपेट सड़क	164
		2.	तिरूवनंतपुरम-नेदुमानगढ़-चिल्लीमन्नूर-मदाथरा-कुलातुपुझा-थेनमाला-पुनालुर-पतनपुरम-रन्नी-प्लाचेरी-मणिमाला-पोंकून्नम-पलई-थेडुपुझा-मुवत्तुपुझा	246
		3.	चलकुड़ी-अतीरापल्ली-वाजचल-पेरिंगलकुतु-(राज्यीय सीमा)-पोल्लाची	70
		4.	कोडुंगलूर (रारा-17-408/850) इरिनजपलकुड़ा-त्रिचूर-वडक्कनचेरी-चेरूतुरूथी-शोरनुर-पट्टामबी-पेरिनतलमन्ना-मेलात्तूर-पट्टीकाडु-पंडीकाडु-वंडूर-वादपुरम-कालीगवु-निलाम्बुर राज्यीय सीमा (31.6 किमी) गुडलूर एच (22, 23, 28, 39, 73)	181
		5.	कोझीकोडु-चेरुपा-ऊराकाडवू-अरेक्कोडे-इडानन-निलाम्बुर-नाडुकनी (97.7 किमी)-गुडलूर-ऊटी (60 किमी)	97.7

1	2		3	4
		6.	वाडकरा-नरदपुरम-कुट्टयाडी-थोट्टीपालम--पाकरमतलम-तरूवन्ना-नालम्मिली-मानतवड़ी-काट्टीमुलम-बावेली (राज्यीय सीमा)-मैसूर.	90.95
		7.	केरल में तलसेरी (रारा-17) कुथुपारम्बा-मत्तान्नूर-इरूट्टी-कुट्टापुझा-(राज्यीय सीमा) विराजपेट्टाह-गोनीकोप्पा-हुन्सूर-मैसूर (रारा-212)	54
		8.	तलसेरी-कुथुपारम्बा-कन्नावम-नेदुमपोल-मानतवाड़ी-पन्नामारम-सुल्तान बातेरी	124
			उप-जोड़	**1027.65**
16.	मध्य प्रदेश	1.	हरई-लोतिया-तामिया-जुन्नारदेव-बेतुल-खेड़ी-अवालिया-आशपुर (शापुर-खंडवा खंड को छोड़कर) खंडवा-देशगांव-भीकनगांव-खारगांव-जुलवानिया	462.0
		2.	जबलपुर-खुंदाम-हीरापुर-डिंडोरी-अमरकंटक-छत्तीसगढ़ सीमा	222.00
		3.	भंडारा-तुमसर (महाराष्ट्र से बारासेवनी-बालाघाट-बैहर-मोतीनाला वाया मवई से अमरकंटक	344.00
		4.	दमोह-हट्टा-गैसाबाद-सिमरिया-मोहिन्द्रा-पवई-नागौड़-बीरसिंहपुर-सिमरिया-सिरमौर-शाहगंज तक पूर्व अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्ग के संशोधन के पश्चात्	430.00
			उप-जोड़	**1458.00**
17.	महाराष्ट्र	1.	तटवर्ती सड़क	733.87
		2.	अकोला-नांदेड़-दुगुनूर-रायचूर	-
		3.	कोल्हापुर-शोलापुर-लातूड़-नांदेड़-यंतोडल-वर्धा-नागपुर	457.00
		4.	धुले सोनगीर डोन्डइचा शाहदा मोलगी राज्यीय सीमा एमएसएच-1	190
		5.	वापी पेठ नासिक निफड येवला वैजपुर औरंगाबाद जालना वातूर मंथा जिंतूर औंध वसमथ नांदेड़ बिलोली राज्यीय सीमा, एमएसएच-2	620
		6.	श्यामलाजी वघई वानी नासिक एमएसएच-3	77
		7.	इन्दौर जन्नेर सिलोड औरंगाबाद नागर शिरूर पुणे रोहा मुरूद एमएसएच-5	610
		8.	रारा-6 खरबी गोवरी रजोला पेचखेड़ी परदी उमरेर वर्धा अर्नी उमरखेड़ा वारंगा नांदेड़ लोहा औसा शोलापुर संगोला कोल्हापुर एमएसएच-6	870
		9.	अकोला हिंगोली नादेड़ नरसी करादखेड़ राज्यीय सीमा एमएसएच-7	258
		10.	गुजरात राज्य सीमा तालोडा पथरई चेन्दवेल नामपुर मनमाड रहूरी नगर तेम्भूरनी मंगलबेध उमडी बोबलाद से रात्यीय सीमा एमएसएच-8	644
		11.	नागपुर उमरेर मुल गोंदपिम्परी सिरोंचा से राज्यीय सीमा एमएसएच-9	359

1	2		3	4
		12.	नांदेड़ मुदखेड भोकर किनवत से राज्यीय सीमा कोरपाना चिंचपाली मुलसावली धन्नोरा से राज्यीय सीमा एमएसएच-10	419
		13.	राज्यीय सीमा गोंडिया सड़क अर्जुनी मोड़ गइचिरोली अश्ति एमएसएच-11	240
		14.	घोटी सिन्नार कोपारगांव लासूर जालना मेहकर तलेगांव वर्धा एमएसएच-12	522
		15.	मलकापुर बुलदाणा चिखली अम्बाद वादीगोदीर एमएसएच-13	223
		16.	बामनी बल्लारपुर यवतमाल चिखलदारा खंडवा एमएसएच-14	429
		17.	बानकोट मंदनगड भोर लोनंद नाटेपुटे पंढ़रपुर एमएसएच-15	317
		18.	जेएनपीटी से एस.एच. 54 (किमी 6.400 से किती 14.550) का गावन फाटा खंड	8
		19.	आमरा मार्ग (किमी 0.00 से किमी 6/200)	6
		20.	अंकलेश्वर-बुरहनपुर राज्यीय राजमार्ग संख्या 4	243
		21.	मिसिंग लिंक (एसएच-106) जयगढ़ से रारा-17 (एनएसचओ कार्यक्रम के अंतर्गत*)	43
		22.	अहमदनगर-बीड-परभनी सड़क से विदूयमान एमएसएच-2 तक सड़क	287
		23.	एसएच-255ए (रारा-6 से रारा-69 तक) वाया गौंधखैरी-कालमेश्वर-सावनेर सड़क	30
		24.	नागर-बीड-नांदेड़ लिंक	20
			उप-जोड़	**7605.870**
18.	मेघालय	1.	फुलबारी से नांगस्टोइन वाया तुरा सड़क	334
		2.	अगिया मेधिपाड़ा फुलवाबरी बारेंगापाड़ा सड़क	224
			उप-जोड़	**558**
19.	मणिपुर	1.	चुड़ाचांदपुर से तुइवई वाया सिंघाट सिंगजावल सड़क	163
		2.	कांगपोकपी से तमेंगलोंग वाया तमेई	120
		3.	बिसनपुर से हॉफलोंग वाया रेंगपांग खोंगशांग, तमंगलांग और तौसेम	-
		4.	तदुबी उखरूल वाया पौमाता ब्लॉक मुख्यालय तुंहजोय, फैबुंग ब्लॉक मुख्यालय तोल्लोई	115
			उप-जोड़	**398**
20.	मिजोरम	1.	कीतम से जोखावतर वाया खाउबंग सड़क	179
		2.	लांगतलाई-म्यांमार सड़क	-
			उप-जोड़	**179**

1	2		3	4
21.	नागालैंड	1.	असम में बोकाजन-नगालैंड में रेंगमापानी-किफिरे	278
		2.	नागालैंड में हाफलौंग-माहुर-लायके-कोहिमा	182
		3.	नागालैंड में त्वेंनसांग-नांगिनी मोरा-असम में शिवसागर (सिमुलगुड़ी)	265
		4.	मोकुकचुंग और चारे के बीच सड़क जो रारा61 को रारा 155 से जोड़ती है	8
		5.	त्वेनसांग से तुली वाया मोन-तिजित	308
		6.	दीमापुर से किफिरे	256
			उप-जोड़	**1307**
22.	ओडिशा	1.	कटक-पारादीप	82.00
		2.	सम्बलपुर-राउरकेला सड़क	162.50
		3.	जेतपुर-केन्द्रपाड़ा-चांदाबाली-भद्रक सड़क	152.18
		4.	फुलबनखरा-चारीछाक-गोप-कोणार्क-पुरी	104.00
		5.	बरहमपुर-कोरापुट सड़क	313.60
		6.	काखिया-जाजपुर-अरदि-भद्रक सड़क	92.50
		7.	जोशीपुर-रायरंगपुर-तिरिंगी सड़क	40.49
		8.	करमदिही-सुबदेगा-तलसोरा-लुहाकेरा	37.00
		9.	राउरकेला-रेनबहल-कानीबहल सड़क	111.00
		10.	कुकुरभुका-लांजीबेरना-सलांग बहल सड़क	31.00
		11.	जालेश्वर-बाटागांव-चंदनेश्वर सड़क	35.60
		12.	ढ़ेकनाल-नारनपुर सड़क	100.00
		13.	जयपोर-मल्कानगिरि-मोतु सड़क	323.00
		14.	माधपुर-केराडा-सरंगादा-बालीगुडा-तुमिदिबंध-दुर्गापंगा-मुनिगुआ-कोम्टेलपेटा-रायागाडा	292.6
			उप-जोड़	**1877.47**
23.	पुडुचेरी	1.	करईकल-नेंदुनगदु-कुम्बकोणम-तंजोर सड़क	
		2.	करईकल-पेरालम-मईलादुनुरई- सिरकाली सड़क	
		3.	करईकल-पेरालम-तिरूवरूर सड़क	

1	2	3		4
		4.	सिरकाली-सेम्बानारकोइल-करईकल के साथ अक्कूर सड़क लिंक	
		5.	चेन्नै से पुदुच्चेरी तक पूर्वी तटीय सड़क	
24.	पंजाब	1.	एसएच-25 अमृत-राजा सांसी अंतराष्टीय हवाई अड्डा-डेरा बाबा नानक-गुरदासपुर	-
		2.	एसएच-22 कीरतपुर साहिब-आंनदपुर साहिब-नंगल-ऊना (हिमाचल प्रदेश से होते हुए) होशियारपुर	-
		3.	तखत श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो) से संचखंड श्री हुज़ूर साहिब (नांदेड़) तक गुरू गोबिंद सिंह मार्ग	2480
			उप-जोड़	**2480**
25.	राजस्थान	1.	बूंदी (रारा-12) बिजोलिया	50
		2.	पाली-देसुरी-वाया नाडोल	93
		3.	लंबिया-रास-ब्यावर-बडनोर-असिंद-मंडल (रारा-76)	148
		4.	मथुरा (रारा-2) भरतपुर-बनयाना-भदौती-सवाईमाधोपुरा-पालीघाट-इटावा-मंगरोल-बारन (रारा-76)	332
		5.	मवली-भनसोल-ओडेन-खन्मनौर-हल्दियाघाट लौंसिग-कुम्भलगाढ़-चरभुजा (एसएच-49)	130
		6.	रतलाम-बांसवाडा-सगवाडा-डूंगरपुर-खैरवाडा-स्वरूपगंज (रारा-14) सड़क	310
		7.	जयपुर (रारा-8)-जोबनेर-कुचामन-नागौर-फलोदी (रारा-15)	366
		8.	मंदसौर (रारा-79)-प्रतापगढ़ (रारा-113)-धारवाड-सलुमबेर-डूंगरपुर-बिचिवाड़ा (रारा-8)	226
		9.	श्री गंगगानगर-हनुमागढ़-टडलका मुंडा-नौहर-भदरा-राजगढ़-झुंझुनू-उदयपुरवटी-अजीतगढ़-शाहपुरा (रारा-8)	474
		10.	फतेहपुर(रारा-11)-झुंझुनू-चिवाड़ा-सिंघाना-पचेरी (हरियाणा सीमा)-नरनौल-नमोल-रेवाड़ी (रारा-8)	164
		11.	भरतपुर (रारा-11)-दीग-अलवर-बानसुर-कोटपुतली-नीम का थाणा-चाला-सीकर-नेचवा-सालासर (रारा-65)	301
		12.	कोसी (रारा-2)-कामा-दीग-भरतपुर	139
		13.	स्वरूपगंज (रारा-14)-सिरोही-जालोर-सिवान-बलोतरा (रारा-112) फलोदी	343
		14.	मथुरा-भरतपुर सड़क	40
		15.	नसीराबाद-देवली सड़क	95

1	2		3	4
		16.	कोटपुतली-सीकर सड़क	125
		17.	स्वरूपगंज-कोटडा-सोम-खेरवाड़ रोड	147
		18.	फलोदी-नागोर रोड	140
		19.	श्रीडुंगरगढ़-सरदारसहर-पुलासर-जसरासर	115
		20.	सवाईमाधोपुर-शिवपुरी (मध्य प्रदेश)	44
		21.	गौमती-चौराहा-देसुरी-सदरी-अहोर-जालोर-बाड़मेर	306
		22.	नागौर-दीदवाना-खुर-सीकर	176
		23.	किरकी चौकी-भिण्डर-सेलम्बूर-आसपुर-दुर्गापुर	146
		24.	होडल-पुन्हाना-महारतपुर-रूपवास-धौलपुर	202
		25.	रारा-8 पर चांदवाजी-चौमु-बागडु	171
		26.	सिरोही-मांडर-दीसा (गुजरात)	68
		27.	गुड़गांव-अलवर-सरिस्का-दौसा-सवाईमाधौपुर	248
		28.	बाड़मेर-(रारा-15)-जालोर-अहोर-सदरी-देसुरी-गौमती का चौराहा-कंकरौली-भीलवाड़ा-मंडलगढ़	446
		29.	जयपुर (रारा-12)-दिग्गी- केकरी-शाहपुर-मंडल-भीलवाड़ा (रारा-79)	123
		30.	पाली-उदयपुर रोड	-
		31.	गोमती चौराहा (रारा-8 पर) से पाली शहर वाया नोडल (रारा-14 पर) एसएच-16 और एसएच-67	45
		32.	भरतपुर-मथुरा सड़क (एसएच-24, नया संख्यांकन एसएच-1)	15
		33.	बाघेर से तीनधार वाया मंडावर	16
			उप-जोड़	**5744**
26.	सिक्किम	1.	नाथुला से सिलीगुड़ी तक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग	-
		2.	सिंगथम और चुंगथम होते हुए लाचुंग घाटी	-
		3.	रांगपो और रोराथंग से गुजरते हुए रोंगली	-
		4.	रानीपुल और रोराथंग से गुजरते हुए पाकयोंग	-
		5.	रानीपुल से बुरतुक तक प्रस्तावित वैकल्पिक राजमार्ग	23

1	2		3	4
		6.	ताशी व्यू प्वाइंट से हनुमान टोक और नथुला से आगे तक इंदिरा बाइपास-वेस्ट	64
			उप-जोड़	**87**
27.	तमिलनाडु	1.	सती-अथनी-भावनी सड़क (राज्यीय राजमार्ग सं.82)	52.80
		2.	अविनाशी-तिरूप्पुर-पल्लादम-पोल्लाची-मीनकरई सड़क	99.60
		3.	त्रिची-नमक्कल सड़क	77.40
		4.	करूईकुडी-डिंडीगुल सड़क	86
		5.	तिरूचिरापल्ली- लालगुडी-कल्लागुडी-उद्यानपालया-गंजईकोंडा-चालपुरी-मी-कट्टुमन्नागडी-चिदंबरम	140.00
		6.	तंजावूर-अदनाक्कोट्टई पुडुकोहई	60.00
		7.	डिंडिगुल-नाथम-सिंगमपुनारी-तिरूपतुर देवकोट्टई रास्ता सड़क	120.40
		8.	कुडलोर-चिततूर सड़क	203
			उप-जोड़	**839.20**
28.	त्रिपुरा**		कुकीताल से सबरूम वाया धरमनगर-अमरपुर-फतिकरोय-मनु-खेवई-अमरपुर-जतनबाड़ी-सिल्चर-रुपईचारी	310
29.	उत्तर प्रदेश**	1.	करावली-मैनपुरी-करहल-इटावा सड़क	73.158
		2.	सिरसागंज-करहल-किशनी-विधूना-चौबेपुर सड़क	161.53
		3.	बरेली-बदायूं-बिलसी-गजरौला-चांदपुर-बिजनौर सड़क	262.39
		4.	जगदीशपुर-गौरीगंज-अमेठी-प्रतापगढ़ सड़क	79.00
		5.	फतेहपुर-रायबरेली-जगदीशपुर-फैजाबाद सड़क	181.960
		6.	लुम्बिुनी दुधी राज्यीय राजमार्ग सं. 5	101.00
		7.	लखनऊ-बांदा	148.52
		8.	पीलीभीत-बरेली-बदायूं-कासगंज-हाथरस-मथुरा-भरतपुर (राजस्थान सीमा)	283.03
		9.	पडरौना-कसिया-देवरिया-दोहरीघाट-आजमगढ़ सड़क	128
		10.	दिल्ली-यमुनोत्री सड़क	206
		11.	फतेहपुर-मुजफ्फराबाद-कलसिया सड़क	20.275
		12.	सीतापुर-बहराईच-बलरामपुर-महाराजगंज-पंडरोना सड़क	449.50
			उप-जोड़	**2094.813**

1	2		3	4
30.	उत्तराखंड	1.	हिमालयन राजमार्ग (हिमाचल सीमा-तुनी-चकराता-लाखवाड़-यमुना पुल-अलमोड़ा-लोहाघाट सड़क)	706
		2.	बाडवाला से जुडू (हरबर्टपुर-बाडकोट बैंड)	18
		3.	बखौल-घुड़दौरी-देवप्रयाग	49
			उप-जोड़	**773**
31.	पश्चिम बंगाल	1.	पश्चिम बंगाल में गलगलिया और बिहार सीमा से पूर्णिया तक	102
		2.	तुलिन (पश्चिम बंगाल-बिहार सीमा)-पुरूलिया-बांकुड़ा-विष्णुपुर-आरामबाग-वर्धमान-मोगरा-ईश्वर गुप्ता सेतु-कल्याणी-हरिनघाट-रारा-35 पर पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल-बंगला देश सीमा) तक	390.90
		3.	राधामोनी (रारा 41 पर)-पांसकुरा-घातक-आरामबाग-बर्द्धमान-मुरातीपुर-फुटीसांको-कुली-मोरेग्राम (रारा 34 पर)	275
		4.	नंदकुमार-दीघा-चांदनेश्चर (एसएच-4)	91
		5.	गजोले-बुनियादपुर-ओस्तीराम-त्रिमोहनी-हिल्ली	100
		6.	नयाग्राम (उड़ीसा सीमा)-फेकोघाट-धरसा-नारायणपुर-सिलदा-बेनोगोनिया-फुलकुसोम-रायपुर-सिमलापाल-तालदंगा-बांकुड़ा-दुर्गपुर (एसएच-9) पानागढ़ दुबराजपुर (एसएच-14)	327
			उप-जोड़	**1285.90**
			जोड़	**64091.743**

विवरण II

गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग
(2008-09)

राज्य	रारा सं.	खंड	लगभग लंबाई (किमी)
1	2	3	4
अरूणाचल प्रदेश	229	अरूणाचल प्रदेश में तवांग से शुरू होकर बोमडिला, नेचीपू, सेपा, सगली, जिरो, दपोरिज, आलौंग से गुजरते हुए पासीघाट में समाप्त होने वाला राजमार्ग	1090
अरूणाचल प्रदेश	रारा 52बी का विस्तार	अरूणाचल प्रदेश में महादेवपुर से शुरू होकर नमचिक, चांग्लांग, खोन्सा और कनुबारी से गुजरते हुए असम में डिब्रुगढ़ के समीप बोगीबील पुल पुल के पहुंच मार्गों पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	450

1	2	3	4
अरूणाचल प्रदेश	रारा 37 का का विस्तार	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37 का असम में सेखोवाघाट के समीप इसके अंतिम सिरे से अरूणाचल प्रदेश में रोइंग के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 52 तक विस्तार किया गया है	60
तमिलनाडु	रारा 226 का विस्तार	तमिलनाडु में पेराम्बलूर से शुरू होकर पेराली, कीलापलूर, अरियालूर, कुन्नाम, तिरूवैयारू, कांडीयूर को जोड़ते हुए तंजावुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 226 से मिलने वाला राजमार्ग	85
तमिलनाडु	230	तमिलनाडु में मदुरै से शुरू होकर तिरूपुवनम, पूवांधी, शिवगंगा, कलैयरकोयल, तिरूवदनै को जोड़ते हुए टोंडी पोर्ट टाउन में समाप्त होने वाला राजमार्ग	82
पश्चिम बंगाल	रारा 2बी का विस्तार	पश्चिम बंगाल में बोलपुर से शुरू होकर प्रांतिक, मयुरेश्वर, को जोड़ते हुए मोल्लारपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	54
हिमाचल प्रदेश	20ए	हिमाचल प्रदेश में रारा 20 के जंक्शन पर नगरोता से प्रारंभ होकर रानीताल, देहरा को जोड़ते हुए और रारा 70 के जंक्शन पर मुबारिकपुर पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	91
हिमाचल प्रदेश	72 बी	हिमाचल प्रदेश में पाउंटा में राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के जंक्शन से शुरू होकर राजबन, शिलई को जोड़ते हुए और उत्तराखंड में मीनस, तुईनी से गुजरते हुए और हिमाचल प्रदेश में हटकोटी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	109
उत्तराखंड	72 बी	हिमाचल प्रदेश में पाउंटा राष्टीय राजमार्ग 72 के जंक्शन से शुरू होकर राजबन, शिलाई को जोड़ने हुए और उत्तराखंड में मीनस, तुईनी से गुजरते हुए हिमाचल, प्रदेश में हटकोटी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	51
उत्तर प्रदेश	231	उत्तर प्रदेश में रायबरेली से प्रारंभ होकर सलोन, प्रतापगढ़ मछलीशहर समाप्त होने वाला राजमार्ग को जोड़ते हुए जौनपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	169
	232	उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर (टांडा) से प्रारम्भ होकर सुलतानपुर, अमेठी रायबरेली, लालगंज, फतेहपुर को जोड़ते हुए बांदा में समाप्त होने वाला राजमार्ग	305
	232ए	उत्तर प्रदेश में उन्नाव से प्रारम्भ होकर लालगंज (रारा 232 का जंक्कशन) में समाप्त होने वाला राजमार्ग	68
	233	उत्तर प्रदेश में भारत/नेपाल सीमा (लुम्बिनी को जोड़ते हुए) से प्रारम्भ होकर नौगढ़ सिद्धार्थ, बंसी, बस्ती, टांडा आजमगढ़ से गुजरते हुए वाराणसी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	292

1	2	3	4
	235	उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रारंभ होकर हापुड़, गुलावठी को जोड़ते हुए बुलंदशहर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	66
आंध्र प्रदेश	18ए	आंध्र प्रदेश में पुतलापट्टु से प्रारंभ होकर तिरूपति में समाप्त होने वाला राजमार्ग	42
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु	234	कर्नाटक में मंगलौर से प्रारंभ होकर बेल्टानगडी, मुदीगेरे, बेलूर, हुलियार सीरा, मधुगिरि, चिंतामणि कों जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश में वेकेंटगिरि कोटा से होते हुए तमिलनाडु में पेरणामपेट, गुडियाट्टम, काटपाडी, वेल्लौर, पुष्पगिरि, पोलूर से गुजरने वाला और तिरूवनामलाई विल्लुपुरम में समाप्त होने वाला राजमार्ग	780
		(2009-10)	
दिल्ली/हरियाणा	236	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महरौली से प्रारंभ होकर अंधेरिया मोड़ छतरपुर टी प्वाइंट को जोड़ते हुए हरियाणा में रारा 8 पर गुड़गांव में समाप्त होने वाला राजमार्ग	13.45
मध्य प्रदेश	69ए	मध्य प्रदेश में विद्यमान रारा 69 पर मुल्तइ से प्रारंभ होकर चिखली, दुनावा, छिंदवा, चौरई को जोड़ते हुए और रारा 7 पर शिवानी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	154.21
मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र	26बी	मध्य प्रदेश में विद्यमान 26 पर नरसिंहपुर से प्रारंभ होकर हरारी, अमरवाड़ा छिंदवाड़ा, सौसर को जोड़ते हुए और महाराष्ट्र में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर सिवनेर में होने वाला राजमार्ग	मध्य प्रदेश में 202.593 महाराष्ट्र में 15.17
		(2010-2011)	
		कोई नहीं	
		(2011-12) (3 अगस्त, 2011)	
राजस्थान और उत्तर प्रदेश	123	राजस्थान में धौलपुर में रारा 23 के साथ अपने जक्शन से प्रारंभ होकर राजस्थान में सेपउ को, उत्तर प्रदेश में सरेंधी को, राजस्थान में घोटाली, रूपवास, खनुआवा (खनुआ) को जोड़ते हुए ऊंचा नंगला में समाप्त होने राजमार्ग	3ए
राजस्थान	148डी	राजस्थान राज्य में भीम में रारा 58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रारा 48 पर परसौली, गुलाबपुरा को, शाहपुरा, जहाजपुरा, हिंडोली, नैनवा को जोड़ते हुए रारा552 पर उनियारा में समाप्त होने वाला राजमार्ग	116ए

1	2	3	4
राजस्थान और गुजरात	रारा 58 का विस्तार	राजस्थान राज्य में उदयपुर से प्रारंभ होकर कुमदल, नया खेडा, झोडोला, सोम, नालवा दैया को जोड़ते हुए गुजरात में ईदर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	76ए
राजस्थान	458	राजस्थान राज्य में लाडनू में रारा 58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खाटू, डेगाना, मेड़ता सिटी, लांबिया, जैतरन, रायपुर को जोड़ते हुए रारा 58 पर भीम में समाप्त होने वाला राजमार्ग	65ए
राजस्थान	758	राजस्थान राज्य में राजसमंद रारा58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गंगापुर, भीलवाड़ा को जोड़ते हुए लाडपुरा में रारा 27 के साथ जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	76बी

[अनुवाद]

सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन के मामले

3930. श्री पन्ना लाल पुनियाः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम (एएफएसपीए) के अंतर्गत अभियोजन के लिए गृह विभाग, जम्मू और कश्मीर द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त मंत्रालय को अग्रेषित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिसमें अभियोजन को अनुमति दी गई/लंबित है; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिसमें अभियोजन को अस्वीकार किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के एंटनी): (क) से (ग) विगत पांच वर्षो (2007 से 5.12.2011 तक) के दौरान जम्मू और कश्मीर गृह विभाग से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन हेतु स्वीकृति मांगने के लिए 24 मामले प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5 मामलों की जांच की जा रही है। शेष 19 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि जांच करने पर यह पाया गया था कि दोषारोपित सेना कार्मिकों के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनाया गया था।

निःशक्त लोगों की मदद के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी में प्रगति

3931. श्री राजय्या सिरिसिल्लाः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निःशक्त लोगों की मदद के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी में उन्नति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे लोगों की कहां तक मदद करेगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय के अंतर्गत सात राष्ट्रीय संस्थान और एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नामतः भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आधुनिक और मानकीकृत यंत्र और उपकरण तैयार करने के लिए विकलांगताओं के अपने-अपने क्षेत्र में अनुसंधान संचालित और प्रायोजित करते है। उन्नत प्रौद्योगिकी ने नैदानिक और प्रबंधन-थैरेपेटिक सेवाओं के लिए विकलांगता स्थिति के आकलन के संबंध में विकलांगता पुनर्वास को लाभान्वित किया है।

[हिन्दी]

मांस का निर्यात

3932. श्री राजेन्द्र अग्रवालः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कृषि और प्रसंस्कृत खाद उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) द्वारा ऐसे मांस के प्रसंस्करण के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मांस का निर्यात करने तथा निगरानी एवं निरीक्षण करने के लिए कोई नीति है;

(ख) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे स्रोतों के मानकीकरण के लिए कोई तंत्र है जहां से इन मांस उत्पादों को निर्यात के प्रयोजन के लिए प्राप्त किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन के मामले हुए हैं तथा सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) डी. जी. एफ. टी. ने दिनांक 12 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 12/(2004-2009) और तदनन्तर दिनांक 31 अक्टूबर 2011 की अधिसूचना संख्या 82(सं.अ.-2010)/2004-2009 द्वारा मांस निर्यात नीति को अधिसूचित किया था। एपीडा ने संयंत्र पंजीयन समिति द्वारा विधिवत निरीक्षण किए जाने के पश्चात बूचड़खानों/मांस प्रसंस्करण को प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया लागू की है।

(ग) और (घ) जी, हां। डी जी एफ टी की दिनांक 31 अक्टूबर 2011 की अधिसूचना के अनुसार निर्यात के समय निर्याततक द्वारा सीमाशुल्क प्राधिकारियों को वैध एपीडा संयंत्र पंजीयन प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) की प्रतियों के साथ इस आशय का घोषणा पत्र उपलब्ध कराने के अध्यधीन कि उपर्युक्त मदें एपीडा द्वारा पंजीकृत ऐसे बूचड़खानों अथवा एपीडा द्वारा पंजीकृत ऐसे मांस प्रसंस्करण संयंत्रो से प्राप्त/सोर्स की गई हैं जो अनन्य रूप से एपीडा द्वारा पंजीकृत एकीकृत बूचड़खानों/बूचड़खानों से कच्ची सामग्री प्राप्त करते हैं, मांस एवं मांस उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

(ङ) जी, नहीं। तथापि अखिल भारतीय मांस एवं पशुधन निर्यातक एसोसिएशन (ए आई एम एल ए) से यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ निर्यातक एपीडा में अपने संयंत्र का पंजीयन करवाए बिना मांस उत्पादों का निर्यातक कर रहे थे। एपीडा ने इस चलन को रोकने के लिए और इन संयंत्रों को एपीडा में पंजीकृत करने हेतु कार्रवाई की थी। एपीडा द्वारा अपेक्षानुसार निरीक्षण की प्रक्रिया चलाई गई थी और कुछ प्रसंस्करण संयंत्रों को एपीडा में पंजीकृत किया गया था। आज की तारीख तक, मांस एवं मांस उत्पादों के निर्यात हेतु एपीडा में 74 मांस प्रसंस्करण संयंत्र एवं 32 अनुमोदित एकीकृत बूचड़खानें सह मांस प्रसंस्करण संयंत्र पंजीकृत हैं।

जलीय जीवन का विकास

3933. श्री मकनसिंह सोलंकीः क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में ताजे पानी में जलीय जीवन के सतत विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सहित राज्य वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में स्वीकृत धनराशि का राज्य वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) सरकार द्वारा राज्यों को संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव और विकास से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य सहित राज्य सरकारों ने इस स्कीम के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं का राज्यवार विवरण निम्नवत हैंः

क्र.सं.	राज्यों का नाम	मंजूर की गई राशि (लाख रु. में)
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	134.83
2.	छत्तीसगढ़	327.212
3.	हरियाणा	43.59
4.	हिमाचल प्रदेश	236.31
5.	जम्मू एवं कश्मीर	439.068
6.	कर्नाटक	339.584
7.	केरल	873.16

1	2	3
8.	मिजोरम	106.121
9.	ओडिशा	343.69
10.	राजस्थान	348.92
11.	सिक्किम	132.699
12.	तमिलनाडु	195.53
13.	उत्तर प्रदेश	313.48
14.	उत्तराखंड	219.266
15.	मध्य प्रदेश	525.75
16.	झारखंड	83.66
17.	महाराष्ट्र	407.365
18.	पश्चिम बंगाल	147.35
19.	चण्डीगढ़	24.98
20.	मेघालय	43.81
	कुल	5286.375

ओएनजीसी संयंत्र को बंद करना

3934. श्रीमती सीमा उपाध्याय: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अहमदाबाद सर्किल के नवा गांव में पर्यावरणीय प्रदूषण को देखते हुए ओएनजीसी संयंत्र को बंद करने का नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है;

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उठाई गई आपत्तीयां क्या हैं तथा उन्हें समय पर नहीं निपटाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आपत्तियों का निवारण कर लिया गया है तथा ओएनजीसी ने कार्य पुनः आरंभ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण ओएनएजीसी को कितनी हानि हुई;

(ङ) क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों को पूरा न करने के लिए किसी अधिकारी के विरूद्ध कारवाई की गई है: और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री जयंती नटराजन): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, उसने अहमदाबाद सर्किल के नवा गांव में पर्यावरणीय प्रदूषण के संबंध में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन (ओएनएसजी) को संयंत्र बंद करने संबंधी नोटिस जारी करने का निर्देश नहीं दिया है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

औषधि की कीमतों में वृद्धि

3935. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए पेटेंट कानून से औषधियों की कीमतों में कई गुना वृद्धि होने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पेटेंट अधिनियम, 1970 को पिछली बार वर्ष 2005 में संशोधित किया गया था, ताकि इसके अनुबंधों को पूर्णतः व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (टीआरआईपीएस) पर समझौतें के अनुसार बनाया जा सके। उक्त अधिनियम में आगे किसी संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एनएच-86 पर सड़क उपरिपुल

3936. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में मक्रोनिया रेलवे स्टेशन के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 पर रेल उपरिपुल के निर्माण में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त रेल उपरिपुल के निर्माण में कोई विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक शुरू होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) राष्ट्रीय राजमार्गो का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। जो निधि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के अध्यधीन होती है। मक्रोनिया रेलवे स्टेशन के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 पर रेल उपरिपुल के निर्माण के लिए, सर्वेक्षण और जांच के लिए आवश्यक कारवाई करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कहा गया था। वर्तमान स्थिति के अनुसार, यह कार्य मंत्रालय के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यूरेनियम खनन को मंजूरी

3937. श्री के.जे.एस.पी.रेड्डी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में यूरेनियम के खनन हेतु पर्यावरण मंजूरी को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी वगैरह क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में यूरेनियम खनन से संबंधित कोई पर्यावरणीय मंजूरी संबंधी प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं किया है।

(क) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कामगारों के अधिकार

3938. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े औद्योगिक घरानों से संबंधित कुछ कारखानों ने स्वयं को सैकड़ों भागों में विभाजित कर दिया तथा अधिकतर असंगठित क्षेत्र में छोटी अनुषंगी इकाइयों का कार्य आउटसोर्स कर दिया तथा अपने कामगारों के प्रति जवाबदेही बनने से बच गए एवं उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया और संघ के पंजीकरण को कठिन बना दिया और अभी भी अपना कार्य करवा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो श्रम कानूनों के ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़े उद्योगों में आधुनिक निर्माण तकनीक (एएमटी) और कंप्यूटर सहायता प्राप्त विनिर्माण (सीएएम) ने कामगारों पर अतिरिक्त दबाव डाला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति में कामगारों के अधिकार के लिए क्या कदम उठाए गए?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) निजी क्षेत्र के अधिकांश बड़े औद्योगिक घरानों के लिए राज्य सरकारें, 'समुचित सरकार' है और इस प्रकार वे श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। तथापि कामगारों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत समुचित उपबंध विद्यमान हैं। श्रमिक संघों का पंजीकरण संबंधित राज्य सरकारों के पंजीयक, श्रमिक संघ द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय परिधि के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों अथवा उद्योगों में श्रम कानूनों के उल्लंघन संबंधी कोई शिकायत मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय को न तो कामगारों के ऊपर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव की कोई शिकायत प्राप्त हुई है और न ही मामले से संबंधित कोई अध्ययन कराया गया है। तथापि, विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत कामगारों के हितों की सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण देख-रेख के समुचित सुरक्षोपाय विद्यमान हैं।

शहीदों के वृद्ध माता-पिता

3939. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शहीदों के वृद्ध माता-पिता को कोई लाभ प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम.पल्लम राजू): (क) शहीद सैनिकों के नामित नजदीकी रिश्तेदारों को देय विभिन्न सेवांत

लाभ प्रदान किए जाते हैं। ऐसे सेवारत कार्मिकों, जो अविवाहित होते हैं या निःसंतान विधुर होते हैं, की मृत्यु की स्थिति में उनके माता-पिता कुटुम्ब पेंशन और सेवांत लाभ पाने के हकदार हैं। इसके अलावा, विवाहित शहीद सैनिकों के मामले में भी उदारीकृत कुटुम्ब पेंशन को माता-पिता और विधवा के बीच, यदि विधवा उनकी देखभाल नहीं कर रही हो, में बांटा जा सकता है, बशर्ते माता-पिता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो।

(ख) और (ग) शहीद सैनिकों के नजदीकी रिश्तेदार के रूप में नामित माता-पिता को दिए जाने वाले आर्थिक लाभों में अनुग्रहपूर्वक राशि, उदारीकृत आश्रित पेंशन, मृत्यु-उपदान, सेना समूह बीमा निधि आदि शामिल हैं। इसके अलावा, शहीद सैनिकों के आश्रित माता-पिता भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इस योजना की सदस्यता प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं।

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटा

3940. **श्री एन. चेलुवरया स्वामीः** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुसूचित जाति श्रेणी की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए वर्तमान आरक्षण कोटा बहुत कम है है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एससी श्रेणी के लिए आरक्षण कोटे को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (घ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ प्रकरण में यह टिप्पणी दी कि अनुच्छेद 16 का उपबंध (4) में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात कही गई है न कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। उच्चतम न्यायालय ने और आगे टिप्पणी की कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना संभव नहीं है यद्यपि, पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या का निश्चित रूप से संगत होगा और निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16 के उपबंध (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियां निष्पक्ष रीति से और न्यायोचित सीमाओं के भीतर प्रयुक्त की जानी चाहिए ताकि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समय खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में आरक्षण 49.5% (अर्थात अनुसूचित जातियों के लिए 15% अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए 27%) और खुली प्रतियोगिता के अन्यथा सभी अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में आरक्षण 50% (अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए 16.66% अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के 25.84%) है। समूह 'ग' और 'घ' के लिए सीधी भर्ती के मामले में सामान्यतया स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवार आते हैं इसलिए आरक्षण का प्रतिशत दिनांक 5 जुलाई, 2005 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आरक्षित श्रेणियों की जनसंख्या के अनुपात में सामान्यतया निर्धारित किया जाता है।

[हिन्दी]

विस्थापित लोगों का पुनर्वास

3941. **श्री कामेश्वर बैठाः** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन लोगों को समुचित क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए कोई नीती बनाई है जिनकी भूमि बोकारो इस्पात संयंत्र सहित विभिन्न सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर की गई;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए अधिग्रहीत भूमि के कारण कितने परिवार विस्थापित हुए;

(घ) विस्थापित परिवारों में से कितने लोगों को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा रोजगार प्रदान किया गया है तथा ऐसे मामले कितने हैं जो संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं; और

(ङ) सेल द्वारा इसकी विभिन्न परियोजनाओं के लिए विस्थापित परिवार के प्रतिनिधियों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) सरकार ने सार्वजनकि क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कोइ पृथक नीति नहीं बनाई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इस्पात संयंत्रों की स्थापना किए जाने हेतु भूमि का अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा गए निर्णय के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।

(ग) बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) और टाउनशिप की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं के जरिए किया था। वर्ष 1972 के दौरान बीएसएल की स्थापना के समय विस्थापित परिवारों की संख्या 6019 थी। तथपि, परिवारों में विभाजन के कारण निदेशक, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास ने विस्थापित परिवारों की संख्या में वृद्धि कर दी थी और दिनांक 31.5.1988 की स्थितिनुसार विस्थापित परिवारों की संख्या 13309 थी।

(घ) और (ङ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने भिलाई, राउरकेला, बोकारो, सेलम स्थिति अपने इस्पात संयंत्रों तथा कुटेश्वर लाईम स्टोन खानों में "विस्थापित व्यक्ति" की श्रेणी के तहत 27000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है जो कि अभिज्ञात विस्थापित परिवारों की संख्या से अधिक है। इसमें से 16000 रोजगार बीएसएल में ही दिए गए हैं जो संयंत्र की स्थापना के समय विस्थापित परिवारों की संख्या से पहले ही अधिक है। विस्थापित व्यक्तियों के रोजगार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उचित ठहराए गए दिशा-निर्देशों से विनियमित किया जा रहा है जिसके तहत अन्य बातों के समान होने पर रोजगार हेतु विस्थापित व्यक्तियों पर विचार किया जाता है और उन्हें वरीता दी जाती है।

[अनुवाद]

आसियान के साथ व्यापार समझौता

3942. श्री सी. शिवासामीः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने सेवा क्षेत्र में आसियान देशों के साथ व्यापार समझौते को समाप्त करने में रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों पक्षों ने सेवा क्षेत्र में व्यापार को बढ़ाने का आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) भारत एवं आसियान वर्तमान में सेवा व्यापार संबंधी करार पर वार्ताएं कर रहे हैं तथा अब तक आसियान-भारत सी ई सी ए हेतु सेवा संबंधी कार्यकारी समूह की बारह बैठकें की जा चुकी हैं।

(ग) और (घ) इसी प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु वार्ताएं की जा रही हैं।

वायु सीमा का उल्लंघन

3943. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदारः
श्री मनोहर तिरकीः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ देशों द्वारा भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन ही हाल ही में रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों अर्थात जनवरी, 2009 से नवंबर, 2011 तक के दौरान, अन्य देशों के विमानों द्वारा भारतीय वायु क्षेत्र के 24 उल्लंघनों की रिपोर्ट मिली है।

(ग) ऐसे सभी मामलों को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित चैनलों के माध्यम से संबंधित देशों के साथ उठाया जाता है।

[हिन्दी]

एनएच-11 पर दुर्घटनाएं

3944. श्री राम सिंह कस्वांः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11, बीकानेर-आगरा पर खोखवल्ला गांव के निकट प्रायः रोड दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षो के दौरान उस स्थान विशेष पर कितनी दुर्घटनाएं हुई; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारत्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र बलों को शक्तियां

3945. श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेलः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र बलों की शक्तियों को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) से (ङ) जम्मू तथा कश्मीर राज्य में सुरक्षा परिदृश्य की सतत रूप से समीक्षा की जाती है ताकि आंतरिक सुरक्षा का व्यापक रूप से आकलन किया जा सके। एकीकृत मुख्यालय में भी इस पर विचार-विमर्श किया जाता है और प्रभावी प्रति-रणनीतीयां तैयार की जाती हैं। सुरक्षा बलों ने सशस्त्र-बलों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से जम्मू तथा कश्मीर राज्य में हिंसा के स्तरों को पर्याप्त रूप से नियंत्रित करके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। सुरक्षा बल निरंतर एक सशक्त विद्रोह-रोधी आतंकवादी रोधी रुख अख्तियार किए हुए हैं।

[अनुवाद]

जालंधर बाई पास से ढिलवान-अमृतसर के बीच सड़क का निर्माण

3946. डॉ. रतन सिंह अजनालाः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जालंधर बाई पास से ढिलवान-अमृतसर के बीच चार लेन वाली सड़क का निर्माण पूरो हो चुका है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं एवं इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त सड़क के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (ग) ब्यौरा इस प्रकार हैः

खंड	लंबाई	चार लेन की स्थिति	चार लेन को पूरा न किए जाने के कारण और की गई कार्रवाई
जालंधर बाईपास से ढिलवान (रारा-1 के किमी 387.100 से किमी 407.100)	20 किमी	अभी शुरू किया जाना है।	इस खंड को विकसित करने के प्रयासों को अतीत में, अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना की सुपुर्दगी की विधि के संबंध में सरकार की नीति में परिवर्तन सहित विभिन्न कारणों से मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। चूंकि यह एक छोटा खंड है इसलिए इसे ईपीसी (मद दर संविदा) आधार पर विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।
ढिलवान से अमृतसर (रारा-1 के किमी 407.100 से किमी 456.100)	49 किमी	बीओटी (पथकर) आधार पर अप्रैल, 2010 में अनंतिम रूप से पूरा किया गया।	लागू नहीं होता।

कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा

3947. श्री जोसेफ टोप्पोः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए क्या परिवर्तन आवश्यक है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो की कल्याण योजनाओं के निष्पादन की निम्नांकित ढंग से समीक्ष करता है:

(i) इन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक प्रगति का अनुश्रवण कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत प्रयोज्यता प्रमाण-पत्रों, लेखा परीक्षित लेखों और लाभार्थियों की कवरेज में वार्षिक प्रगति के माध्यम से किया जाता है।

(ii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संदर्भ में:

(क) मंत्रालय ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय को भेजें।

(ख) प्रगति की समीक्षा हर वर्ष राज्यों के सामाजिक न्याय/कल्याण मंत्रियों/सचिवों के सम्मेलन में की जाती है।

(iii) योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्यों के अपने दौरों के दौरान भी की जाती है।

(ग) मंत्रालय समय-समय पर अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित करता है और इनके परिणाम के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ योजनाओं के संशोधन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई करता है।

[हिन्दी]

मानसिक रूप से निःशक्त बच्चों की परिभाषा

3948. श्री राजू शेट्टी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानसिक रूप से निःशक्त बच्चों की परिभाषा के लिए क्या मानदंड हैं; और

(ख) उक्त बच्चों को सरकार द्वारा क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, में 1995 की धारा 2(द) के अनुसार, “मानसिक मंदता” से अभिप्राय एक व्यक्ति के मानसिक विकास में रुकावट अथवा अपूर्णता की स्थिति है, जिसे विशेष रूप से बुद्धिमता की अल्प सामान्य स्थिति से अभिलक्षित किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद मंदबुद्धि व्यक्तियों का पुनर्वास आरंभिक आयु में एक सहायता सेवा, फिजियोथैरेपी/आरथो, बायो केमेस्ट्री, स्पीच एंड आडियोलाजी, मनोवैज्ञानिक निर्धारिण, व्यवहार आशोधन, माता पिता को परामर्श देना तथा व्यावसायिक मूल्यांकन सेवा आदि के माध्यम से करता है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान का नई दिल्ली में एक माडल विशेष शिक्षा जिसमें मानसिक मंदता की विभिन्न डिग्री वाले बच्चों सहित 3 से 18 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को पंजीकृत किया जाता है।

ऑटिज्म, प्रमष्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्याय जो इस मंत्रालय के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है, ऑटिज्म, प्रमष्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत विकलांगजन को पूर्ण गरिमा के साथ स्वतंत्र जीवन यापन के लिए सक्षम करने के उद्देश्य से तथा गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य सेवा प्रदायकों को सहायता और सुदृढ़ करने और जरूरतमंद विकलांगजन की देखभाल के लिए कानूनी संरक्षक नियुक्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय न्याय के प्रमुख कार्यकलापों में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता-निर्माण कार्यक्रम एवं आश्रय, देख-रेख तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम शामिल हैं।

दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत विकलांगजन को शिक्षा, व्यावसयिक प्रशिक्षण प्रदान करने और पुनर्वास के लिए विभिन्न परियोजनाओं हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

बड़ौदा-मुंबई एक्सप्रेसवे

3949. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बड़ौदा-मुंबई एक्सप्रेसवे के संभाव्यता अध्ययन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना के क्रियान्वयन में कोई विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त परियोजनाआ के संबंध में विभिन्न क्रियाकलापों को कम करने पर विचार कर रही है ताकि परियोजना को समय से पूरा किया ता सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) बड़ौदा-मुंबई एक्सप्रेसवे का व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। स्कन्ध सहित बड़ोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने पर, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत बीओटी (पथकर) आधार पर परियोजना को निष्पादित करने के लिए रियायतग्राही की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कलाईकुण्डा एयर बेस

3950. डॉ. पी. वेणुगोपालः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग के विकास सहित कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने हेतु कलाईकुण्डा एयर बेस का उन्नयन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) और (ख) भारतीय वायुसेना के एयरफील्डों का विकास/उन्नयन सेनाओं की सक्रियात्मक तथा रणनीतिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है जिसकी सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

मुम्बई-गोवा समुद्र मार्ग

3951. श्री निलेश नारायण राणेः
श्री नलिन कुमार कटीलः

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मंगलोर और मुम्बई के बीच तथा मुम्बई से गोवा के बीच समुद्र मार्ग पर नौवहन सेवा को शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड

3952. श्री एस. पक्कीरप्पाः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों सहित कितने राज्यों और जिलों को स्मार्ट कार्ड जारी किया गया जिसके माध्यम से जरूरतमंद लोग अपनी बीमारी के उपचार हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे;

(ख) उक्त योजना को किस तिथि से शुरू किया गया तथा योजना के अंतर्गत सभी जरूरतमंद लोगों को शामिल करने संबंधी निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार प्रदत्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है; और

(ङ) अब तक इससे लाभान्वित हुए लागों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ङ) सरकार ने 01.10.2007 से असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (पांच की इकाई) के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। इस योजना के माध्यम से फैमिली फ्लोटर आधार पर प्रति वर्ष प्रति परिवार 30,000 रूपये का स्मार्ट कार्ड आधारित नकद रहित बीमा कवर प्रदान किया जाता है जो 01.04.2008 से प्रभावी है। 30.11.2011 की स्थिति के अनुसार 2.54 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। बीपीएल सर्वेक्षण 2002 के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (पांच की इकाई) की संख्या लगभग 6 करोड़

अनुमानित है। पिछले अनुभव बताते है कि सिर्फ 60% बीपीएल परिवार नामांकन के लिए उपलब्ध हैं। इस योजना के तहत 3.6 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को शामिल किया जाना है। सरकार का यह प्रयास है कि ऐसे सभी परिवारों को 2012-13 तक कवर कर लिया जाए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जारी किए गए स्मार्ट कार्डों तथा कवर किए गए जिलों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जारी की गई निधियों का राज्य-वार तथा वर्ष-वार विवरण-II में दिया गया है तथा लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

विवरण I

आरएसबीवाई के अन्तर्गत शामिल जिलों और जारी स्मार्ट कार्ड की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	कवर किए गए जिलों की संख्या	जारी किए स्मार्ट कार्ड
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	10	39615
2.	असम	5	204548
3.	बिहार	38	6424884
4.	चंडीगढ़	1	4913
5.	छत्तीसगढ़	18	1548408
6.	दिल्ली	9	144518
7.	गुजरात	26	1571617
8.	हरियाणा	21	615809
9.	हिमाचल प्रदेश	12	235131
10.	झारखंड	21	1226124
11.	कर्नाटक	5	151828
12.	केरल	14	1748471
13.	महाराष्ट्र	32	2004333
14.	मणिपुर	1	10000
15.	मेघालय	4	61947
16.	मिजोरम	8	43256
17.	नागालैंड	10	77557
18.	ओडिशा	6	428069
19.	पंजाब	20	221444
20.	त्रिपुरा	4	258402
21.	उत्तर प्रदेश	70	4029958
22.	उत्तराखण्ड	13	338889
23.	पश्चिम बंगाल	15	4062836
	कुल	363	25452557

टिप्पणीः गोवा, राजस्थान तमिलनाडु की सरकार ने इस योजना में भागीदारी की थी परंतु अब वे हट गए हैं।

विवरण II

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई केन्द्रीय अंशदान की राशि			
		2008.09	2009.10	2010.11	2011.12 30.11.2011 तक
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात	225643646	87713545	343142968	448588775
2.	पंजाब	16045480	59448426	58851448	38702293

1	2	3	4	5	6
3.	तमिलनाडु	16108518	26874987		
4.	हिमाचल प्रदेश	17531335	16424305	68137697	55822579
5.	हरियाणा	134264136	270959665	180955446	114623977
6.	बिहार	47514027	319840734	558609116	777069359
7.	केरल	137109248	183391322	526891880	0
8.	पश्चिम बंगाल	25150320	200796334	506335682	870270325
9.	महाराष्ट्र	8944299	371772336	339225072	426271334
10.	उत्तराखण्ड	0	24325476	36686084	61430500
11.	उत्तर प्रदेश	297289638	690965169	1623383206	841593235
12.	झारखंड	52392456	89129799	114855777	236582256
13.	चंडीगढ़	0	2044616	2085200	0
14.	दिल्ली	21506857	14662950	74651575	38978918
15.	छत्तीसगढ़		160628600	225204806	315838158
16.	असम	0	7670286	74309260	34784501
17.	नागालैंड	0	23982349	22908242	0
18.	त्रिपुरा	0	66789826	68098618	0
19.	मेघालय	0	7713085	12420030	0
20.	गोवा	0	0	1517920	0
21.	कर्नाटक	0	0	49107797	0
22.	ओडिशा	0	0	204357326	11978010
23.	मणिपुर	0	0	.	10610305
	कुल	999499960	2625133810	5091735150	4283144525

टिप्पणीः गोवा, राजस्थान तमिलनाडु की सरकार ने इस योजना में भागीदारी की थी परंतु अब वे हट गए हैं।

विवरण III

क्र.सं.	राज्य	अस्पताल में भर्ती
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	7
2.	असम	17598
3.	बिहार	288494
4.	चंडीगढ़	149
5.	छत्तीसगढ़	132045
6.	दिल्ली	51739
7.	गोवा	7
8.	गुजरात	172097
9.	हरियाणा	132766
10.	हिमाचल प्रदेश	41264
11.	झारखंड	70259
12.	कर्नाटक	2096
13.	केरल	895497
14.	महाराष्ट्र	111602
15.	मणिपुर	1547
16.	मेघालय	1783
17.	मिजोरम	1236
18.	नागालैंड	3097
19	ओडिशा	11055
20.	पंजाब	20084
21.	राजस्थान	664
22.	तमिलनाडु	5196
23.	त्रिपुरा	50737
24.	उत्तर प्रदेश	575872
25.	उत्तराखण्ड	19562
26.	पश्चिम बंगाल	151786
	कुल	2758239

टिप्पणीः गोवा, राजस्थान तमिलनाडु की सरकार ने इस योजना में भागीदारी की थी परंतु अब वे हट गए हैं।

खेल-कूद संबंधी वस्तुओं का निर्यात

3953. श्री सी. आर. पाटिलः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खेल-कूद संबंधी पांच प्रमुख वस्तुओं के निर्यात का राज्य-वार और मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खेल-कूद संबंधी वस्तुओं के निर्यातकों के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार से विशेष सहायता का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार खेल-कूद संबंधी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कुछ कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित शीर्ष पांच खेलकूद सामग्रियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

मद	2008.09	2009.10	2010.11
1	2	3	4
फुलाने योग्य गेंदे	170.28	143.23	174.79
किक्रेट बैट	44.60	48.90	53.08

1	2	3	4
बॉक्सिंग संबंधी समान	38.37	45.75	45.51
हैमॉक्स	54.81	43.09	38.65
एथलेटिक वस्तुएं	38.31	39.99	44.77

(स्त्रोतः खेलकूद सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद)

पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रमुख निर्यात गंतव्य यू के, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और यू ए ई आदि रहे हैं।

(ख) से (ङ) विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत खेलकूद सामग्री क्षेत्र की वरीयता क्षेत्र घोषित किया गया है और उसे विशेष फोकस उतपाद का दर्जा दिया गया है जिससे उसे उच्चतर प्रोत्साहनों की हकदारी मिलती है। खेलकूद क्षेत्र को अनुमत प्रोत्साहनों में, अन्य के साथ-साथ, शून्य निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम (ई पी सी जी) के अंतर्गत लाभ, पिछले वित्त वर्ष के नियातों के पोत-पर्यन्त निःशुल्क (एफ ओ बी) मूल्य के 3% की सीमा तक विनिर्दिष्ट निविष्टियों का शुल्क मुक्त आयात, फोकस उत्पाद स्कीम के अंतर्गत 2% बोनस लाभ आदि शामिल हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी) द्वारा खेलकूद सामग्री से संबंधित आवेदनों पर त्वरित ट्रैक स्वीकृति हेतु विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बाजार विकास सहायता (एम डी ए) और बाजार पहुंच पहल (एम ए आई) के अंतर्गत भी सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

पर्यावरण संरक्षण

3954. श्री कौशलेन्द्र कुमारः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का गांवों में रहने वाली जनजातियों को बढ़ावा देने तथा वन और पर्यावरण हेतु कुछ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यावरण पर कुछ अच्छी फिल्में बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी, हां,। गांवों में रहने वाली जनजातियों को बढ़ावा देने और वनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने "अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006" बनाया है, जिसके कार्यान्वयन हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

(ख) इस अधिनियम में वन भूमि में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातीयों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों, जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में निवास कर रहे हैं। किन्तु जिनके अधिकार दर्ज नहीं किए जा सके थे, के वन अधिकारों और व्यवसाय को मान्यता दी गई है। उक्त अधिनियम की धारा 5 में किसी वन अधिकार के धारक, ग्राम सभा और गांव स्तरीय संस्थाओं को क्षेत्र में वन्यजीव, वन जैवविविधता, सटे हुए केचमेंट क्षेत्रों, जल स्रोतों, पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों इत्यादि के संरक्षण की शक्ति प्रदान की गई हैं। इसके साथ-साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सीएसएस राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जेएफएमसी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही वनीकरण स्कीमें आरंभ की हैं। जिनमें जनजातीय क्षेत्र भी, शामिल हैं और जिनसे जनजातियां भी लाभ प्राप्त कर रही हैं।

(ग) से (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नही हैं।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु कानून

3955. श्री रवनीत सिंहः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों जिनके आय के कोई स्त्रोत नहीं हैं तथा जो 60 वर्ष की आयु से अधिक के हैं के कल्याण हेतु कोई राष्ट्रीय कानून बनाया है अथवा बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) सरकार ने दिसम्बर 2007 में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण- पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया है जो "वरिष्ठ नागरिक" को भारत के ऐसे किसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसकी आयु साठ वर्ष अथवा अधिक हो। अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण बच्चों/संबंधियों द्वारा किया जाना न्यायाधिकरणों के माध्यम से अनिवार्य और बाध्यकारी बनाता है। इसमें निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना का भी प्रावधान है। अधिनियम किसी राज्य में उस तारीख को लागू होता है जो राज्य सरकार निर्धारित करती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 23 राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम को लागू कर दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर जयपुर-रिंगस खंड

3956. श्री अर्जुन राम मेघवालः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) देश में 4 से 6 लेन की सड़को का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जयपुर-रिंगस पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 का निर्माण कार्य भी चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त कार्य का विस्तार बीकानेर तक करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(च) क्या देश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा संबंधी कतिपय प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(छ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) जी हां। ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के जयपुर-रिंगस खंड को चार लेन का बनाने का कार्य, कार्यान्वयनाधीन है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-11 को जयपुर से सीकर तक चार लेन का बनाया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के सीकर-बीकानेर खंड को डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन एवं हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) विधि से पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाया जाना प्रस्तावित हैं।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-11 के जयपुर-सीकर खंड को चार लेन बनाने का कार्य, जून, 2014 तक पूरा किया जाना है।

(च) से (ज) जी हां। सरकार को राज्यीय सड़कों की 64,000 किमी से अधिक लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण I, II में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार, एक सतत् प्रक्रिया है और नए राष्ट्रीय राजमार्गो की घोषणा सड़क संपर्क की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता एवं निधियों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर की जाती हैं।

विवरण I

कार्यान्वयन के अधीन 4/6 लेन परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	चार लेन बनाए जाने के अंतर्गत लंबाई	छः लेन बनाए जाने के अंतर्गत लंबाई
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	488.00	266.00
2.	असम	583.00	-
3.	बिहार	481.50	-
4.	छत्तीसगढ़	421.00	-
5.	दिल्ली	-	7.45
6.	गोवा	208.00	-

1	2	3	4
7.	गुजरात	623.00	158.50
8.	हरियाणा	275.00	291.00
9.	जम्मू और कश्मीर	257.00	-
10.	झारखंड	280.00	-
11.	कर्नाटक	1056.00	216.00
12.	केरल	308.50	30.00
13.	मध्य प्रदेश	1352.00	45.00
14.	महाराष्ट्र	784.00	140.35
15.	मेघालय	112.00	-
16.	ओडिशा	875.00	67.00
17.	पंजाब	248.00	-
18.	राजस्थान	773.00	111.40
19.	तमिलनाडु	733.50	251.60
20.	उत्तर प्रदेश	1299.60	285.00
21.	उत्तराखंड	132.20	-
22.	पश्चिम बंगाल	534.50	-
23.	बिहार/उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही 6 लेन	-	192.40
24.	गुजरात/महाराष्ट्र में बनाई जा रही 6 लेन	-	239.00
25.	हरियाणा/हिमाचल प्रदेश/पंजाब में बनाई जा रही 4 लेन	28.69	-
26.	हरियाणा/पंजाब में बनाई जा रही 6 लेन	-	291.00
27.	हरियाणा/राजस्थान में बनाई जा रही 6 लेन	-	225.60
28.	हरियाणा/उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही 6 लेन	-	179.50
29.	झारखंड/पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही 6 लेन	-	123.00
30.	मध्य प्रदेश/ राजस्थान	10.00	-
31.	मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र	594.30	-
32.	मध्य प्रदेश/ उत्तर प्रदेश	80.00	-
33.	पंजाब/हिमाचल प्रदेश	40.00	-
34.	राजस्थान/ गुजरात	555.50	-
35.	तमिलनाडु/ आंध्र प्रदेश	124.70	-
36.	उत्तर प्रदेश/ उत्तरा खंड	80.00	-
	जोड़	**13337.99**	**3119.8**

विवरण II

नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्य सरकारों से प्रस्तावों का अद्यतन ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम		सड़क/खंड का विवरण	लम्बाई किमी में
1	2		3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.	नेल्लौर-अत्माकुर-बडवेल-मेदुकर-गूटी	314
		2.	हैदराबाद-रामागुंडम-मनचेरियल-चंदा	330
		*3.	हैदराबाद-श्रीसैलम-दोरनाला-अत्माकुर-नांदयाल	353.8
		4.	गुंडुगोलानु-नल्लागेरिया-देवारापल्ली-वेरनागिरि सड़क	83
		5.	कृष्णापटनम पत्तन-नेल्लौर-चित्रदुर्ग के निकट चेल्लाकारा	470
		6.	हैदराबाद-मेडक-बोधान-बासर-लुक्सेट्टिपेट	395
		*7.	काकीनाड़ा-द्वारापुदी-राजामुंदरी-कोव्वूर-जंगरेड्डीगुडेम-अश्वरापेटा-खम्माम-सूर्यापिटा	310
		8.	राजामुंदरी-मारेदुमिल्ली-चिटूंररू-भूपालपटनम	400
		9.	कूरनूल-अत्मातूर-दोरनाला-थोकापल्ली-पेरीचेरला-गुंटूर	300
		10.	कोडेड-मिरयालगुडा-देवाराकोंडा-तंदूर-चिंचोली	240
		11.	बैल्लारी-अदोनी-रायचुट-महबुबनगर-जदचेरला	200
		12.	कलिंगापटनम-श्रीकामुलम-रायगढ़ से रारा 201 तक	120
		*13.	सिरोंचा-महादेवपुर-परकल-वारंगल-तुंगतुर्थी-नकरेकल-सलगोंडा-चलकुर्थी-मचेरला एरागोंडापालेम-थोकापल्ली-मरकापुर-बेस्थावारिपेटा-कणिगिरि-रापुर-वेंकटागिरि-एरपेडु रेनिगुंटा	725
		14.	अंकापल्ली-अनादपुरम	50
		15.	कुप्पम-गुंडीपाली-कोलार से रारा 219 तक	70
		16.	कोडेड-खम्माम-थोरूर-वारंगल-जगतयाल	290
		17.	अनंपुर-उर्वाकोंडा-बेल्लारी	78
		18.	पुतलापट्टु-नायडुपेट सड़क	117
		19.	कुरनूल-बेल्लारी सड़क	126
		20.	ताड़ीपत्री-रायचूर सड़क वाया अनंतपुर-उर्वाकोंडा सड़क	146.17
		*21.	गुंटूर-विनूकोंडा-टोकापल्ली-नांदयाल-बानागनपल्ली-ऑक-ताड़ापत्री-धर्मावरम-कोडूर सड़क	530

1	2	3		4
		*22.	आदिलाबाद-उतनूर-कानापुर-कोरूतला-वेमूलवाडा-सिद्दिपेट-जानागांव-सूर्यापेटा मिरयालगुडा-पिडुगुरल्ला-नरसरायवपेटा-वोदारेवू	630
		23.	निजामपटनम-रिपाले-तेनाली-गुंटूर-विनूकोंडा-थोकापल्ली-नांदयाल-बाणगंनामल्ली ऑक-ताडपत्री-धर्मावरम-काडूर	625
		24.	कृष्णापटनम पोर्ट-अत्माकुर-बडवेल-मेदूकूर-प्रोद्दातूर-जमलामडुगु-गूटी	353
		25.	विखाखापटनम-तल्लापलम-नरसीपटनम-चिंतापल्ली-सिलेरू-उप्पेसिलेरू-दोनकरई मोतीगुदेम-लक्कावरम-चिंतूरू	238
		26.	विशाखापटनम-पेंदर्थी-श्रुगावरपुकोट्टा-अनंतगिरि-सुनकारावारिमेट्ट-अराकु-उड़ीसा राज्य सीमा	126
		27.	निर्मल-खानपुर-लुक्सेट्टिपेटा (रारा 222 का विस्तार)	108
		28.	राजामूंदरी, गोकावरम, रामपचोदावरम, मारेदिमिल्ली, चिंटूर, भद्राचलम, चरला, वेकंटपुरम	293
		29.	गोलांव-आसिफाबाद-मांचेरल-पेड्डापल्ली-करीमनगर-महबूबाबाद-खम्माम कोडाड	390
		30.	कोडाड-मिरयालयगुडा-देवाराकोंडा-कलवाकुर्ती-महबूबनगर-रायचूर-मंत्रालयम-अदोनी अलूरू-उर्वाकोंडा-अनंतपुरम	580
		31.	टाडा-श्रीकालाहासी-रेनिगुटा-कुडप्पा	208
		32.	गुडूर-रापुर-राजमपेट-रायाचोटी-कादिरी-हिंदुपुर-मदकसिरा	356
		33.	पेनुगोंडा-मदकसिरा-हीरायूर	133
		34.	संगारेड्डी-नरसापुर-भोंगीर-चितयाला-शादनगर-चेवल्ला-संगारेड्डी	367
		35.	पमारू-चल्ला पल्ली सड़क	27
		36.	संगारेड्डी-नादेड-अकोला	141
		37.	हैदराबाद-मेडक-येल्लारेड्डी-बांसवाड़ा-बोधान	156
		38.	तिरूपती-नायडूपेटा सड़क	59
		39.	हैदराबाद-बीजापुर सड़क (वाया) मोइनाबाद, चेवल्ला, मन्नेगुडा, कोडांगल	132.26
		40.	कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलने वाली नंदयाल-अत्माकुर-नंदीकोतकुर-आलमपुर-ईजा सड़क	187
		41.	मंगलौर (कर्नाटक) से तिरूवन्नामलाई (तमिलनाडु), वाया आंध्र प्रदेश में वेंकटगिरि	24

1	2		3	4
		42.	श्रीकाकुलम जिले में कलिंगपटनम पोर्ट से रारा 5 (नई रारा सं. 16), तक	31.60
		43.	विशाखापटनम जिले में भिमिली पोर्ट से रारा 5 (नई रारा सं.16) तक	9.0
		44.	विशखापटनम जिले में विशाखापटनम पोर्ट से रारा 5 (नई रारा सं. 16) तक	12.50
		45.	विशाखापटनम जिलें में गंगावरम पोर्ट से रारा 5 (रारा सं.16) तक	3.80
		46.	काकिंदा से राजनगरम (एडबी) नई राष्ट्रीय राजमार्ग (नई रारा सं. 16) तक	55.80
		47.	मछलीपट्टनम पत्तन से हनमंन जंक्सन (नई रारा सं.16) तक	60.14
		48.	नजमपटनम-रेपाल्ले-तेनाली-गुंटुर सड़क	94.09
		49.	वाडरेचु पत्तन से रारा 5 (नई रारा सं.16) तक सड़क का उन्नयन	44.73
		50.	ओंगोले से कोठपटनम	17.17
		51.	कृष्णापटनम पत्तन से रारा 5 (नई रारा सं.16) तक	19.25
		52.	गुडुरू से कृष्णापटनम पत्तन तक संपर्क सड़क	33.20
			उप-जोड़	**11161.89**
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.	खोंसा-हुकंजूरी-नहरकटिया-तिनसुकिया रोड	99
		2.	चांगलांक-मरघेरिटा रोड	44
		3.	बामे-किकाबाली-अकाजन रोड	114
		4.	सगली-मेंगियो-दीद-जीरो रोड	200
		5.	नामपोंग-मोटोंग्सा- देबान-नामचिक-जगुन	110
			उप-जोड़	**567**
3.	असम	1.	धोदर अली	250
		2.	श्रीरामपुर-धाबुरी सड़क	77
			उप-जोड़	**327**
4.	बिहार	1.	दरभंगा-कामतोला-मधवापुर सड़क	-
		2.	रारा-107 (जिला सहरसा) पर बेरियाही-बनगांव को जोड़ने वाली सड़क से सुपौल के रास्ते भपतियाही के निकट रारा-57 तक	58
		3.	सोनबरसा-बैजनाथपुर	20
		4.	सराईगढ़ रेलवे स्टेशन-लालगंज-गंपतगंज	11

1	2	3		4
		5.	सुपौल-पिपरा (रारा-106)-त्रिवेणीगंज-भरगामा-रानीगंज (अरड़िया)-ठाकुरगंज गलगलिया (किशनगंज से पश्चिम बंगाल सीमा तक)-पूर्व पश्चिम महामार्ग तक	120
		6.	मुजफ्फरपुर-देवरिया-बरूराज-मोतीपुर	56
		7.	मुजफ्फरपुर-पुसा-धौली-कल्याणपुर	47
		8.	क्योतसा-कटस-रूनी सईदपुर-बेलसंद-परसौनी	61
		9.	झापा-मीनापुर-श्योहर	47
		10.	दरभंगा-बहेड़ा-बिरौल-कुशोसवर अस्थान	65
		11.	दरभंगा-बहेड़ा-सिंघिया-रोसेरा-नहन-चेरिया'बरिरपुर-बेगुसराय	110
		12.	हाजीपुर-महनर-मोहिउद्दीन नगर-बछवाडा	75
		13.	मांझी-दरौल-गुथनी	55
		14.	गुथनी-किरवा-सिवान-बरहरिया-सरफारा	90
		15.	मिरवा-कुचईकोट	70
		16.	दरोंडा-महाराजगंज-तरवारा-अहिरिया-गोपालगंज	47
		17.	मिरगंज-भगीपट्टी	39
		18.	सिवालन-पैगम्बरपुर	52
		19.	चपरा-खैडा-सलेमपुर	70
		20.	मांझी-बरौली-सरपाड़ा	115
		21.	बेतिया-चंपतिया-नरकटियागंज-थोरी	70
		22.	सीतामड़ी-रिगा-धेंग-बैरगनिया	31
		23.	अमौर-बायसी-बहदुरगंज	56
		24.	आरा-सासाराम रोड	97
		25.	भौजपुर-दुमराओ-विक्रमगंज-नसरीगंज-देहरी-ओन-सोन	83
		26.	बक्सर-चौसा-महनिया-भभुआ-अधैरा-गारके (उत्तर प्रदेश सीमा)	155
		27.	बडबिघा-शेखपुरा-सिकंदरा-जमुई-देवघर	175
		28.	शेखपुरा-लखीसराय-जमुई	63
		29.	सुलतानगंज-देवघर	110

1	2		3	4
		30.	भागलपुर हंसदिहा दर्दमारा तक	63
		31.	घेघा-बाराहट	84
		32.	जमुई-लक्ष्मीपुर-खड़गपुर-बरियारपुर	59
		33.	अकबर नगर-सहकुंड-अमरपुर-बांका	30
		34.	गया-पंचनपुर-बौदनगर	70
		35.	बाराहट-पंजावाडा-धौरिया-संहौला-घोघा रोड	55
		36.	मेंहदिया रारा-98 हसपुरा-पचरूखिया-खुंदवान-फेसर-औरंगाबाद	49
		37.	बरियापुर-खडगपुर-कुदास्थान	35
		38.	सासाराम-चौसा वाया कोचस	65
		39.	पहाडी (रारा 30) से मसौरही (रारा-83)	38
		40.	मगध मेडिकल कॉलिज से रफिगंज, गोह, औरंगाबाद	70
		41.	वजीरगंज (रारा 82) से रारा-2 4 लेन वाया फतेहपुन, पहाड़पुर,अमरपुर, धडहाडा	60
		42.	रारा-83 से महनपुर बाडाचट्टी जी. टी. रोड(रारा-2) वाया टेकुनाफार्म-दुबलनैली मरनपुर-बोध गया नदी के किनारे द्वारा	50
		43.	विश्वनाथ चौक-कोईली-नानपुर-खड़कबसंत-जाले	35
		44.	गाढ़ा-बौचक-बाजपट्टी-कुम्बा-बेला	53
		45.	रूनी सैदपुर-कोवाही-बलुवा-मीनापुर	26
		46.	मझौली-कटरा-जजुवार-चरौत	59
			उप-जोड़	**2949**
5.	छत्तीसगढ़	1.	बिलासपुर से पांडारिया, पौंदी, कवार्धा, राजनंदगांव, अंतागढ़ नारायणपुर, बरसूर, गीदम, दंतेवाड़ा बैलाडिला, चिंतालनाड़ मारियागुंडा से भद्राचलम	684
		2.	गढ़चिरौली (महाराष्ट) से मानपुर-भानुप्रतापपुर-कणकेर-दुधवा-सिहाव-नगरी-बरदुला-मैनपुर से खरियार रोड (ओडिसा)	234
		3.	अम्बिकापुर से वाडराफनगर से वाराणसी (उत्तर प्रदेश) तक नए रारा सं. 130 का विस्तार	111
		4.	रायपुर से बालोडबाजार-कस्डोल-भाटगांव-सरियागढ़-सरिया-सोहेल रोड (ओडिशा)	238
			उप-जोड़	**1267**

1	2		3	4
6.	दादरा और नगर हवेली	1.	दमन से नासिक वाया वापी, सिलवासा, खनवेल और त्रियंबकेश्वर	190
		2.	वापी-सिलवासा-तालासारी सड़क	50
		3.	गुजरात में जरोली गांव से रारा-8 को स्पर्श करते हुए नारोली-खरादपाड़ा-लुहारी-चिखली-आप्ति एवं वेलुगाम (सभी दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में) से महाराष्ट्र में सुत्राकर से होते हुए तलसारी तक सड़क खंड	33
			उप-जोड़	**273**
7.	दमन और दीव	1.	रारा-8 के निकट मोहनगांव रेल क्रांसिंग होकर जरी-कचीगम-सोमनाथ-कुंटा-भेंसलोर-पटालिया (सभी दमन में) के रास्ते रारा-8 पर उदवाड़ा रेल क्रासिंग (गुजरात में) तक	29
			उप-जोड़	**29**
8.	गुजरात	1.	मलिया-जामनगर-ओखा द्वाराका	340
		2.	भुज-खवादा-इंडिया ब्रिज-धरमशाला से भारत की सीमा सड़क तक	170
		3.	वदोदरा-पोर-सिनोर-नेतरंग-व्यारा-अहवा-सातपूतरा-नासिक सड़क	245
		4.	मेहसाना-चांसमा-राधनपुर सड़क	165
		5.	राजकोट-मोरबी-नवलखी सड़क	109
		6.	पालनपुर-गांधीनगर-अहमदाबाद सड़क	150
		7.	राजपिपला-वापी सड़क	339
		8.	वसाद-पडरा-कर्जन सड़क	40
		9.	नादियाद-कापडवंज-मोदासा से रारा 8 को जोड़ते हुए	135
		10.	अहमदाबाद-ढोलका-वातामन	80
		11.	भावनगर-कर्जन सड़क	210
		12.	पोरबंदर-पोरबंदर पत्तन सड़क	05.50
		13.	जामनगर-बेडी पोर्ट रोड	04.20
		14.	त्रपेज-अलंग पोर्ट रोड	08.00
		15.	जखाऊ पोर्ट रोड	13.00
		16.	गांधीनगर-गोजारिया-विसनगर-वादनगर-खेरालु-दंता-अम्बाजी-आबु रोड	170
		17.	हिम्मतनगर-विजापुर-विसनगर-उंचा सड़क	120

1	2	3		4
		18.	अहमदाबाद-विरमगांव-संखेश्वर-राधनपुर सड़क	151
		19.	पालनपुर-चंडीसर-दंतिवाडा-गुजरात सीमा सड़क	65
		20.	भाभर-शिहोरी-पाटन-सिद्धपुर-वालासन-ईदर-हिम्मतनगर सड़क	200
		21.	भाभर-देवदर-खेमना-पाटन-चांसमा-मेहसाना सड़क	130
		22.	भचाऊ-भुज-पंधरो सड़क	130
		23.	चितरोड-रापड़-धोलावीरा सड़क	120
		24.	सुईगम-सिधादा सड़क	40
		25.	जामनगर-जूनागढ़ सड़क	130
		26.	राजकोट-अमरेली सड़क	72
		27.	बागोदरा-धनधुका-वल्लभीपुर-धासा-अमरेली सड़क	180
		28.	वदोदरा-दभोई-छोटाउदयपुर सड़क	125
		29.	भरूच-अंकलेश्वर-वालिया-नेतरंग-सगबारा सड़क	90.00
		30.	हिम्मतनगर-इदेर-खेडब्रह्म-अम्बाजी से आबु गुजरात सीमा सड़क	130
		31.	जाफराबाद-रजूला-सवरकुंदला-अमरेली-बबारा-जसदान-विचिया-सायला-सुरेन्द्रनगर-पटदी-सीमा-राधनपुट सड़क	440
		32.	गणदेवी-वंसदा-वाघई-अहवा-चिंचली से गुजरात सीमा तक	120
		33.	वलसाड-परदी-कपरादा सड़क	60
		34.	गांधीनगर-देहगांव-बेयाड-लूनावाडा-संतरामपुर सड़क	200
		35.	ऊना-देलवाडा-अहमदपुर मांडवी-दीव सड़क	11.00
		36.	वापी-मोतापोंधा सड़क	09.00
		37.	वापी-सिलवासा सड़क	11.80
		38.	बागोदरा-धनधुका-भावनगर सड़क	130
		39.	वाणकबारा-कोटड़ा सड़क-रारा-8ई तक	30.00
		40.	सरखेज-साणंद-वीरगांव से मालिया के निकट रारा सं.8ए तक	186
		41.	हिम्मतनगर-मेहसाना-राधनपुर राज्यीय राजमार्ग	165
		42.	शामलाजी-मोदासा-गोधरा-वापी राज्यीय राजमार्ग सं.5	506

1	2		3	4
		43.	वदोदरा-दाभोल-छोटा उदयपुर से म.प्र. सीमा तक	125
		44.	गांधीनगर-देहगाम-बेयाड-जालोड से राजस्थान सीमा तक	220
		45.	बागोदरा-धनधुका-वललमीपुर-नजुला-जाफराबाद	200
			तटवर्ती सड़कें:	
		46.	नारायण सरोवर-लखपर	37.00
		47.	नलिया-द्वाराका	340
		48.	भावनगर-वातामन-पडारा से रारा8 पर कारजन	200
			उप-जोड़	**6857.50**
9.	गोवा	1.	कारसवाड़ा-बिचोलिम-साखली-सुरला-उसगाव-खांदेपार	45
		2.	सांकेलिम-केरी-चोरलेम	35
		3.	मडगांव-पडोदा-केपेम-सेवोरडेम-धरबंदोरा	40
		4.	मोपा-बिचोलिम-सांकलेम-उसगांव	-
		5.	कुर्ती से बोरिम	4
		6.	असनोरा से डोडामार्ग	10
			उप-जोड़	**134**
10.	हरियाणा	1.	अम्बाला कैंट (रारा 1) साहा (रारा 73)	15
		2.	साहा (रारा 73) से शाहाबाद (रारा1)	16
		3.	उकलाना (रारा 65)-सुरेवलचल से टोहना-पटरन (रारा 71)	29.40
		4.	रोहतक शहर में रारा-71 और रारा-71ए के बीच	2.60
		5.	गुडगांव-झज्जर-बेरी-कालानौर-मेहम (रारा-8 और रारा-10 के बीच)	-
		6.	रोहतक-भिवानी-लोहानी-पिलानी-राजागढ़ (रारा-10 और रारा-65 के बीच)	-
		7.	सोनीपत-गोहाना-जींद (रारा-1 और रारा-71 के बीच)	-
		8.	कैथल-जींद-मुंडल (रारा-1 और रारा-71 के बीच)	-
		9.	बहादुरगढ़-झज्जर-कोसली-महिन्द्रगढ़-नारनौल-कोतुली (रारा-10 और रारा 8 के बीच)	-
		10.	कैथल (तितरम मोड)- जींद (एसएच-11ए और 12) (रारा-65 को रारा-71 से जोड़ते हुए)	-

1	2		3	4
		11.	कैथल-गुहला-पंजाब सीमा (एसएच-11) (रारा-65 को पंजाब में पटियाला के निकट रारा-64 से जोड़ते हुए	-
			उप-जोड़	**63.00**
11.	हिमाचल प्रदेश	1.	होशियारपुर-भानखंडी-झालरा-ऊना-भोता-जोहा-रेवालसर-मंडी रोड	180.00
		2.	यमुनानगर-लाल धंक-पौंटा-दारनघाटी सड़क	352.00
		3.	कीरतपुर साहिब-नंगल-ऊना-मैकलोडगंज रोड	207.50
		4.	स्लप्पर-तट्टापानी-लूरी-सैंज सड़क	120.00
		5.	चंडीगढ़ (पीजीआई)-बद्दी-रामशहर-शालाघाट सड़क	127.20
		6.	सैंज-लूरी-बंजार-औट(बागीधर) सड़क	97.00
		7.	तारा देवी (शिमला)-जुब्बारहट्टी-कुनीहार-रामशहर-नालागढ़-घनौली (एसएच सं.6) (हि.प्र. सीमा)	106.400
		8.	भरमौर-चम्बा-डलहौजी-पठानकोट सड़क	133.00
		9.	हमीरपुर-सुजानपुर-पालमपुर सड़क	60.00
		10.	ब्रह्मपुखर-बिलासपुर-घुमारविन-सरकाघाट-**धर्मपुर-सिद्धपुर-लाड-भरोल-जोगिन्द्रनगर***	111.80
		11.	स्लैपर-पांदोह-चैलचौक-करसोग-तत्तापानी-धल्ली-थियोग-कोटखई-जुब्बल-हतकोटी सड़क	300.00
		12.	किश्तवाड़ (जे एंड के)-तंडी (हि.प्र.)	-
		13.	सुजानपुर-संधोल-मंदाप-रेवसर-नरचोवा-जयदेवी-तत्तापानी-धल्ली	-
		14.	भरमौर, चम्बा-सुल्तानपुर-जोट-चोवाडी-लहरू-नुरपुर	142
		15.	किरतपुर-नांगल-भाखड़ा-थनकलान-बंगाना-तुतरू-भैम्बली-मंझीयार-नदौन-सुजानपुर-संधोल-धरमपुर-मनदाप-रेवलसार-नया-चौक रोड	250
		16.	धनोटु-जयदेवी-तोहंडा-चुरग-तत्तापानी-धल्ली	180
		17.	नरकांडा-बागी-खदराला-सुंगरी-रोहरू-हटकोटी रोड	115
			उप-जोड़	**2481.90**
12.	जम्मू और कश्मीर	1.	मुगल (पाम्पोरे से राजौरी) रोड	164
		2.	दुनेरा (पंजाब) से पुल डाडा वाया बसोली-बानी-भदेरवाहा-डोडा से जुड़ने वाला रारा-1बी	212

*क्र.सं. 10 पर मोटे अक्षरों में अंकित खंड पुनर्सरेखित भाग है।

1	2		3	4
		3.	सोपियां-कुलगाम-क्वाजीगुंड रोड	38
		4.	श्रीनगर-बंदिपोरा-गुरेज रोड	138
		5.	बारामुला-रफियाबाद-कुपवाडा-तंगधार रोड	126
		6.	करगिल-जंशेकर रोड	
		7.	डोडा और अनंतांग जिलों में पुल डोडा एग्जिट (पुल डोडा) देसा-गई कपरन	-
		8.	जवाहर टनल एग्जिट (इमोह) वेरिनाग-अचबल-मट्टन-पहलगांव रोड	-
			उप-जोड़	**912**
13.	झारखंड	1.	गोबिदंपुर-जामतारा-दुमका-साहेबगंज सड़क	310
		2.	चक्रधरपुर- जरईकेला-पंपोश सड़क	140.55
		3.	दुमरी-गिरिदिह-माधुपुर-सरत-देवघर (एसएच-14)	153
		4.	देवघर-चौपा मोड-जरमुंडी-जामा-लाकड़ापहाड़ी (एसएच-15)	62
		5.	एसएच 16 पर हंसदिहा-नोनीहाट-लाकड़पहाड़ी-दुमका-शिकारीपाड़ा-सुरीचुहा-झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा (एसएच-17 का भाग)	95
		6.	एसएच-3 [रारा 23 कामदारा पर कोलेबीरा-तोरपा-खुंटी (रारा 75 विस्तार)-अरकी-रारा33 पर तामर]	125
		7.	एसएच-16 [देवघर (मोहनपुर)-चौपा मोड-हंसदिहा-गोड्डा-महागामा-महरमा-रारा 80 पर साहेबगंज]	139
			उप-जोड़	**1024.55**
14.	कर्नाटक	1.	मैसूर-चन्नारायपटना-अरसीकेरे-चन्नारायापटना और सकनेशपुरा वाया होलेनरसिपुरा के बीच लूप	187
		2.	बिल्लिकेरे-हसन-बेलूर-तारीकेरे-शिमोगा-होननाली-एच.पी.हल्ली-होसीत-गंगावती-सिंदनूर-मानवी-रायचूर	612
		3.	रारा 48-हसन-गोरूर-अरकुलगुड-रामनाथपुरा-बेटाडापुरा-पेरियापटना-गुडंलुपेट सड़क	249
		4.	बंटवाल-मुदिगेरे-बेलूर-हलेबिदु-सीरा-गौरीबिदनौर-सी.बी. पुरा-चितांमणि-श्रीनिवासपुरा-मुलबगल	487
		5.	बंगलौर-आउटर रिंग रोड दोबासपेट-सोलूर-मगडी-रामनगरम-कणकपुरा-अनेकल-अत्तीबनेले-सरजापुरा	194
		6.	बंगलौर-रामानगरा-चन्नापटना-मांड्या-मैसूर-मरकारा-मंगलौर (रारा-17 से जोड़ने के लिए)	385

1	2	3		4
		7.	बीदर-हुमनाबाद गुलबर्ग-सिरिगुप्पा-हिरियूर-चिक्कनायकनहल्ली-नागमंगला-पांडवपुरा-श्रीरंगपट्टणम	679
		8.	कोरातागेरे-तुमकुर-कुनिगल-हुलियूरदुर्ग-मद्दूर-मालावल्ली सड़क	140
		9.	बेलगांव-बीजापुर-गुलबर्ग हुमनाबाद	144
		10.	बेलगांव-बागलकोट-रायचूर-मेहबूबनगर-आंध्र प्रदेश	336
		11.	चित्रदुर्ग-होललकेरे-होसदुर्ग-चिक्कामंगलौर-मुदिगेरे-बेलथनगड़ी-बंटवाल-मंगलौर (रारा-17 से जोड़ने के लिए)	250
		12.	पडुबिदरी-करकला-श्रींगेरे-तीर्थहल्ली-शिकारीपुरा-सिरलकुपा-बागलकोट-हुमनाबाद	665
		13.	मालवल्ली-बन्नूर-मैसूर सड़क	45
		14.	गिनिगेरे(कोप्पल)-गंगावती-कालमाला (रायचूर) सड़क	167
		15.	कुमता-सिरसी-तडासा-हुबली सड़क	140
		16.	आंध्र प्रदेश में पेनुगोंडा को जोड़ते हुए रारा-4 पर हिरियूर से एसएच-24 तक	115
		17.	जेवारगी-बेल्लारी-हत्तीगुडुर-लिंगासुर-सिंधनूर-सिरिगुपा	248
		18.	डोड्डाबल्लारपुर-कोलार सड़क वाया नंदी विजयपुरा, वेमगल	82
		19.	कुमता-सिरसी-हवेरी-मोलाकलमुरू-अनंतपुरा	245
		20.	औड़द-बिदर-चिंचोली-जेवारगी-बीजापुर-सेदबल-गटकरवादीन महाराष्ट्र	480
		21.	हेबसुर-धारवाड़-रानगरम-पणजी सड़क	95
		22.	बागलकोट-गुलेदागुड्डा-गजेन्द्र-गढ़-कुकुनूर-भानपुर	130
		23.	बंगलौर-रारा-7 (सामनदेनापल्ली) को जोड़ते हुए हिंदुपुरा से राज्य की सीमा तक	80
		24.	कडूर-कन्ननगाडा राज्यीय राजमार्ग सं.64	190
		25.	बेलगांव-बागलकोट-हुन्गुन्ड सड़क	165
		26.	कोप्पाला-जेवारगी सड़क	216
		27.	नवलकुंड-कुश्तागी सड़क	97
		28.	मानदवाडी-एच.डी.कोटे-जयुपरा-कोल्लेगल-सलेम सड़क	197
		29.	वनमारापल्ली-औरड-बिदर (राज्यीय राजमार्ग-15 का भाग) और रारा-9 से जुड़ने वाला बिदर से हुमनाबाद तक राज्यीय राजमार्ग-105	109
		30.	टाडसा-मुंडागोड-हंगल-अनावट्टी-सिरालकोप्पा-सिकारीपुरा-सिमोगा	186

1	2		3	4
		31.	कुमआ-सिरसी-हावेरी-हडगली-हरपनहल्ली-कुडलगी	240.
		32.	नंजनगुडु-कामराजनगर	38
		33.	रारा-13 पर जुड़ने वाला अडवी सोरनपुरा से जगलुर वाया मुंडरगी-हुविनहडगल्ली-उज्जैनी	151
		34.	कलपेट्टा-मनंतवाड़ी-कट्टा-गोनी-कोप्पल-हुन्सूर-मैसूर सड़क	180
		35.	देवनहल्ली-विजयपुरा-एच.क्रास-वेमागल-कोलार-केजीएफ-केम्पपुरा सड़क	96
			उप-जोड़	**8020**
15.	केरल	1.	तिरूर-कोट्टाक्कल-मलप्पूरम-मंजेरी-गुंडालुपेट सड़क	164
		2.	तिरूवनंतपुरम-नेदुमानगढ़-चिल्लीमन्नूर-मदाथरा-कुलातुपुझा-थेनमाला-पुनालुर-पतनपुरम-रन्नी-प्लाचेरी-मणिमाला-पोंकून्नम-पलई-थेडुपुझा-मुवत्तुपुझा	246
		3.	चलकुड़ी-अतीरापल्ली-वाजचल-पेरिंगलकुतु-(राज्यीय सीमा)-पोल्लाची	70
		4.	कोडुंगलूर (रारा-17-408/850) इरितजालकुड़ा-त्रिचूर-वडक्कनचेरी-चेरूतुरूथी-शोरनुर-पट्टामबी-पेरिनतलमन्ना-मेलात्तूर-पट्टीकाडु-पंडीकाडु-वंडूर-वादपुरम-कालीगवु-निलाम्बुर-राज्जीय सीमा (31.6 किमी.) गुडलूर एच (22, 23, 28, 39, 73)	181
		5.	कोझीकोडु-चेरुपा-ऊराकाडवू-अरेक्कोडे-इडानन-निलाम्बुर-नाडुकनी (97.7किमी)-गुडलूर-ऊटी (60 किमी)	97.7
		6.	वाडकरा-नारदपुरम-कुट्टुयाडी-थोट्टीपालम--पाकरमतलम-तरूवन्ना-नालम्मिली-मानतवड़ी-काट्टीमुलम-बावेली (राज्यीय सीमा)-मैसूर.	90.95
		7.	केरल में तलसेरी (रारा-17) कुथुपारम्बा-मत्तान्नूर-इरूट्टी-कुट्टापुझा-(राज्यीय सीमा) विराजपेट्टाह-गोनीकोप्पा-हुन्सूर-मैसूर (रारा-212)	54
		8.	तलसेरी-कुथुपारम्बा-कन्नावम-नेदुमपोल-मानतवाड़ी-पन्नामारम-सुल्तान बातेरी	124
			उप-जोड़	**1027.65**
16.	मध्य प्रदेश	1.	हरई-लोतिया-तामिया-जुन्नारदेव-बेतुल-खेड़ी-अवालिया-आशपुर (शापुर-खंडवा खंड को छोड़कर) खंडवा-देशगांव-भीकनगांव-खारगांव-जुलवानिया	462.0
		2.	जबलपुर-खुंदाम-हीरापुर-डिंडोरी-अमरकंटक-छत्तिसगढ़ सीमा	222.00
		3.	भंडारा-तुमसर (महाराष्ट्र से बारासेवनी-बालाघाट-बैहर-मोतीनाला वाया मवई से अमरकंटक	344.00
		4.	दमोह-हट्टा-गैसाबाद-सिमरिया-मोहिन्द्रा-पवई-नागौड़-बीरसिंहपुर-सिमरिया-सिरमौर-शाहगंज तक पूर्व अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्ग के संशोधन के पश्चात्	430.00
			उप-जोड़	**1458.00**

1	2		3	4
17.	महाराष्ट्र	1.	तटवर्ती सड़क	733.87
		2.	अकोला-नांदेड़-दुगुनूर-रायचूर	-
		3.	कोल्हापुर-शोलापुर-लातूड़-नांदेड़-यंतोडल-वर्धा-नागपुर	457.00
		4.	धुले सोनगीर डोन्डइचा शाहदा मोलगी राज्यीय सीमा एमएसएच-1	190
		5.	वापी पेठ नासिक निफड येवला वैजपुर औरंगाबाद जालना वातूर मंथा जिंतूर औंध वसमथ नांदेड़ बिलोली राज्यीय सीमा, एमएसएच-2	620
		6.	श्यामलाजी वघई वानी नासिक एमएसएच-3	77
		7.	इन्दौर जन्नेर सिलोड औरंगाबाद नागर शिरूर पुणे रोहा मुरूद एमएसएच-5	610
		8.	रारा-6 खरबी गोवरी रजोला पेचखेड़ी परदी उमरेर वर्धा अर्नी उमरखेड़ा वारंगा नांदेड़ लोहा औसा शोलापुर संगोला कोल्हापुर एमएसएच-6	870
		9.	अकोला हिंगोली नादेड़ नरसी करादखेड़ राज्यीय सीमा एमएसएच-7	258
		10.	गुजरात राज्य सीमा तालोडा पथरई चेन्दवेल नामपुर मनमाड रहूरी नगर तेम्भूरनी मंगलबेध उमडी बोबलाद से रात्यीय सीमा एमएसएच-8	644
		11.	नागपुर उमरेर मुल गोंदपिम्परी सिरोंचा से राज्यीय सीमा एमएसएच-9	359
		12.	नांदेड़ मुदखेड भोकर किनवत से राज्यीय सीमा कोरपाना चिंचपाली मुल सावली धन्नोरा से राज्यीय सीमा एमएसएच-10	419
		13.	राज्यीय सीमा गोंडिया सड़क अर्जुनी मोड़ गड़चिरोली अश्ति एमएसएच-11	240
		14.	घोटी सिन्नार कोपारगांव लासूर जालना मेहकर तालेगांव वर्धा एमएसएच-12	522
		15.	मलकापुर बुलदाणा चिखली अम्बाद वादीगोदरी एमएसएच-13	223
		16.	बामनी बल्लारपुर यवतमाल चिखल दारा खंडवा एमएसएच-14	429
		17.	बानकोट मंदनगड भोर लोनंद नाटेपुटे पंढ़रपुर एमएसएच-15	317
		18.	जेएनपीटी से एस.एच. 54 (किमी 6.400 से किती 14.550) का गावन फाटा खंड	8
		19.	आमरा मार्ग (किमी 0.00 से किमी 6/200)	6
		20.	अंकलेश्वर-बुरहनमुर राज्यीय राजमार्ग संख्या 4	243
		21.	मिसिंग लिंक (एसएच-106) जयगढ़ से रारा-17 (एनएसचओ कार्यक्रम के अंतर्गत*)	43
		22.	अहमदनगर-बीड-परभनी सड़क से विद्यमान एमएसएच-2 तक सड़क	287

1	2		3	4
		23.	एसएच-255ए (रारा-6 से रारा-69 तक) वाया गौंधखैरी-कालमेश्वर-सावनेर सड़क	30
		24.	नागर-बीड-नांदेड़ लिंक	20
			उप-जोड़	**7605.870**
18.	मेघालय	1.	फुलबारी से नांगस्टोन वाया तुरा सड़क	334
		2.	अगिया-मेधिपाड़ा-फुलवारी-बारेंगापाड़ा सड़क	224
			उप-जोड़	**558**
19.	मणिपुर	1.	चुड़ाचांदपुर से तुइवई वाया सिंघाट-सिंगजावल सड़क	163
		2.	कांगपोकपी से तमेंगलोंग वाया तमेंई	120
		3.	बिसनपुर से हॉफलोंग वाया रेंगपांग खोंगशाग, तमेंगलांग और तौसेम	-
		4.	तदुबी-उखरूल वाया पोमाता ब्लॉक मुख्यालय तुंहजोय, फैबुंग ब्लॉक मुख्यालय तोल्लोई	115
			उप-जोड़	**398**
20.	मिजोरम	1.	कीतम से जोखावतर वाया खाउबंग सड़क	179
		2.	लांगतलाई-म्यांमार सड़क	-
			उप-जोड़	**179**
21.	नागालैंड	1.	असम में बोकाजन-नागालैंड में रेंगमापानी-किफिरे	278
		2.	नागालैंड में हाफलौंग-माहुर-लायके-कोहिमा	182
		3.	नागालैंड में त्वेंनसांग-नांगिनी मोरा-असम में शिवसागर (सिमुलगुड़ी)	265
		4.	मोकुकचुंग और चारे के बीच सड़क जो रारा61 को रारा 155 से जोड़ती हैं	8
		5.	त्वेनसांग से तुली वाया मोन-तिजित	308
		6.	दीमापुर से किफिरे	256
			उप-जोड़	**1307**
22.	ओडिशा	1.	कटक-पारादीप	82.00
		2.	सम्बलपुर-राउरकेला सड़क	162.50
		3.	जगतपुर-केन्द्रपाड़ा-चांदाबाली-भद्रक सड़क	152.18
		4.	फुलबनखरा-चारीछाक-गोप-कोणार्क-पुरी	104.00

1	2		3	4
		5.	बरहमपुर-कोरापुट सड़क	313.60
		6.	काखिया-जाजपुर-अरदि-भद्रक सड़क	92.50
		7.	जोशीपुर-रायरंगपुर-तिरिंगी सड़क	40.49
		8.	करमदिही-सुबदेगा-तलसोरा-लुहाकेरा	37.00
		9.	राउरकेला-रेनबहल-कानीबहल सड़क	111.00
		10.	कुकुरभुका-लांजीबेरना-सलांग बहल सड़क	31.00
		11.	जालेश्वर-बाटागांव-चंदनेश्वर सड़क	35.60
		12.	ढ़ेकनाल-नारनपुर सड़क	100.00
		13.	जयपोर-मल्कानगिरि-मोतु सड़क	323.00
		14.	माधपुर-केराडा-सरंगादा-बालीगुडा-तुमिदिबंध-दुर्गापंगा-मुनिगुआ-कोम्टेलपेटा-रायागाडा	292.6
			उप-जोड़	**1877.47**
23.	पुडुचेरी	1.	करईकल-नेंदुनगदु-कुम्बकोणम-तंजोर सड़क	
		2.	करईकल-पेरालम-मईलादुनुरई- सिरकाली सड़क	
		3.	करईकल-पेरालम-तिरूवरूर सड़क	
		4.	सिरकाली-सेम्बानारकोइल-करईकल के साथ अक्कूर सड़क लिंक	
		5.	चेन्नै से पुदुच्चेरी तक पूर्वी तटीय सड़क	
24.	पंजाब	1.	एसएच-25 अमृतसर-राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा-डेरा बाबा नानक-गुरदासपुर	-
		2.	एसएच-22 कीरतपुर साहिब-आंनदपुर साहिब-नंगल-ऊना ऊना (हिमाचल प्रदेश से होते हुए) होशियारपुर	-
		3.	तखत श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो) से संचखंड श्री हुजूर साहिब (नांदेड़) तक गुरू गोबिंद सिंह मार्ग	2480
			उप-जोड़	**2480**
25.	राजस्थान	1.	बूंदी (रारा-12) बिजोलिया	50
		2.	पाली-देसुरी-वाया नाडोल	93
		3.	लंबिया-रास-ब्यावर-बडनोर-असिंद-मंडल (रारा-76)	148
		4.	मथुरा (रारा-2) भरतपुर-बनयाना-भदौती-सवाईमाधोपुरा-इटावा-मंगरोल-बारन (रारा-76)	332

1	2		3	4
		5.	मवली-भनसोल-ओडेन-खन्मनौर-हल्दियाघाट लौंसिग-कुम्भलगाढ़-चरभुजा (एसएच-49)	130
		6.	रतलाम-बांसवाडा-सगवाडा-डूंगरपुर-खैरवाडा-स्वरूपगंज (रारा-14) सड़क	310
		7.	जयपुर (रारा-8)-जोबनेर-कुचामन-नागौर-फलोदी (रारा-15)	366
		8.	मंदसौर (रारा-79)-प्रतापगढ़ (रारा-113)-धारवाड-सलुमबेर-डूंगरपुर-बिचिवाड़ा (रारा-8)	226
		9.	श्री गंगगानगर-हनुमानगढ़-टडलका मुंडा-नौहर-भदरा-राजगढ़-झुंझुनू-उदयपुरवटी-अजीतगढ़-शाहपुरा (रारा-8)	474
		10.	फतेहपुर(रारा-11)-झुंझुनू-चिड़ावा-सिंघाना-पचेरी (हरियाणा सीमा)-नरनौल-नमोल-रेवाड़ी (रारा-8)	164
		11.	भरतपुर (रारा-11)-दीग-अलवर-बानसुर-कोटपुतली-नीम का थाणा-चाला-सीकर-नेचवा-सालासर (रारा-65)	301
		12.	कोसी (रारा-2)-कामा-दीग-भरतपुर	139
		13.	स्वरूपगंज (रारा-14)-सिरोही-जालोर-सिवाल-बलोतरा (रारा-112) फलोदी	343
		14.	मथुरा-भरतपुर सड़क	40
		15.	नसीराबाद-देवली सड़क	95
		16.	कोटपुतली-सीकर सड़क	125
		17.	स्वरूपगंज-कोटडा-सोम-खेरवाड़ रोड	147
		18.	फलोदी-नागोर रोड	140
		19.	श्रीडुंगरगढ़-सरदारसहर-पुलासर-जसरासर	115
		20.	सवाईमाधोपुर-शिवपुरी (मध्य प्रदेश)	44
		21.	गौमती-चौराहा-देसुरी-सदरी-अहोर-जालोर-बाड़मेर	306
		22.	नागौर-दीदवाना-खुर-सीकर	176
		23.	किरकी चौकी-भिण्डर-सेलम्बूर-आसपुर-दुर्गापुर	146
		24.	होडल-पुन्हाना-महारतपुर-रूपवास-धौलपुर	202
		25.	रारा-8 पर चांदवाजी-चौमु-बागडु	171
		26.	सिरोही-मांडर-दीसा (गुजरात)	68
		27.	गुड़गांव-अलवर-सरिस्का-दौसा-सवाईमाधौपुर	248
		28.	बाड़मेर-(रारा-15)-जालोर-अहोर-सदरी-देसुरी-गौमती का चौराहा-कंकरौली-भीलवाड़ा-मंडलगढ़	446

1	2		3	4
		29.	जयपुर (रारा-12)-दिग्गी- केकरी-शाहपुर-मंडल-भीलवाड़ा (रारा-79)	123
		30.	पाली-उदयपुर रोड	-
		31.	गोमती चौराहा (रारा-8 पर) से पाली शहर वाया नोडल (रारा-14 पर) एसएच-16 और एसएच-67	45
		32.	भरतपुर-मथुरा सड़क (रारा-24, नया संख्यांकन एसएच-1)	15
		33.	बाघेर से तीनधार वाया मंडावर	16
			उप-जोड़	**5744**
26.	सिक्किम	1.	नाथुला से सिलीगुड़ी तक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग	-
		2.	सिंगथम और चुंगथम होते हुए लाचुंग घाटी	-
		3.	रांगपो और रोराथंग से गुजरते हुए रोंगली	-
		4.	रानीपुल और रोराथंग से गुजरते हुए पाकयोंग	-
		5.	रानीपुल से बुरतुक तक प्रस्तावित वैकल्पिक राजमार्ग	23
		6.	ताशी व्यू प्वाइंट से हनुमान टोक और नथुला से आगे तक इंदिरा बाइपास-वेस्ट	64
			उप-जोड़	**87**
27.	तमिलनाडु	1.	सती-अथनी-भावानी सड़क (राज्यीय राजमार्ग सं.82)	52.80
		2.	अविनाशी-तिरूप्पुर-पल्लादम-पोल्लाची-मीनकरई सड़क	99.60
		3.	त्रिची-नमक्कल सड़क	77.40
		4.	करूईकुडी-डिंडीगुल सड़क	86
		5.	तिरूचिरापल्ली- लालगुडी-कल्लागुडी-उद्यानपालया-गंजईकोंडा-चालपुरी-मी-कट्टुमन्नागडी-चिदंबरम	140.00
		6.	तंजावूर-अदनाक्कोट्टई पुडुकोट्टई	60.00
		7.	डिंडिगुल-नाथम-सिंगमपुनीरी-तिरूपतुर देवकोट्टई रास्ता सड़क	120.40
		8.	कुडलोर-चित्तूर सड़क	203
			उप-जोड़	**839.20**
28.	त्रिपुरा**		कुकीताल से सबरूम वाया धरमनगर-अमरपुर-फतिकरोय-मनु-खेवई-अमरपुर-जतनबाड़ी-सिल्चर-रुपईचारी	310
29.	उत्तर प्रदेश**	1.	करावली-मैनपुरी-करहल-इटावा सड़क	73.158

1	2		3	4
		2.	सिरसागंज-करहल-किशनी-विधूना-चौबेपुर सड़क	161.53
		3.	बरेली-बदायूं-बिलसी-गजरौला-चांदपुर-बिजनौर सड़क	262.39
		4.	जगदीशपुर-गौरीगंज-अमेठी-प्रतापगढ़ सड़क	79.00
		5.	फतेहपुर-रायबरेली-जगदीशपुर-फैजाबाद सड़क	181.960
		6.	लुम्बिनी दुधी राज्यीय राजमार्ग सं. 5	101.00
		7.	लखनऊ-बांदा	148.52
		8.	पीलीभीत-बरेली-बदायूं-कासगंज-हाथरस-मथुरा-भरतपुर (राजस्थान सीमा)	283.03
		9.	पडरौना-कसिया-देवरिया-दोहरीघाट-आजमगढ़ सड़क	128
		10.	दिल्ली-यमुनोत्री सड़क	206
		11.	फतेहपुर-मुजफ्फराबाद-कलसिया सड़क	20.275
		12.	सीतापुर-बहराईच-बलरामपुर-महाराजगंज-पुडरोना सड़क	449.50
			उप-जोड़	**2094.813**
29.	उत्तराखंड	1.	हिमालयन राजमार्ग (हिमाचल सीमा-तुनी-चकराता-लाखवाड़-यमुना पुल-अलमोड़ा-लोहाघाट सड़क)	706
		2.	बाडवाला से जुडू (हरबर्टपुर-बाडकोट बैंड)	18
		3.	बखौल-घुदौरी-देवप्रयाग	49
			उप-जोड़	**773**
30.	पश्चिम बंगाल	1.	पश्चिम बंगाल में गलगलिया और बिहार सीमा से पूर्णिमा तक	102
		2.	तुलिन (पश्चिम बंगाल-बिहार सीमा)-पुरूलिया-बांकुड़ा-विष्णुपुर-आरामबाग-वर्धमान-मोगरा-ईश्वर गुप्ता सेतु-कल्याणी-हरिनघाट-रारा-35 पर पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल-बंगला देश सीमा) तक	390.90
		3.	राधामोनी (रारा 41 पर)-पांसकुरा-घातक-आरामबाग-बर्द्धमान-मुरातीपुर-फुटीसांको-कंली-मोरेग्राम (रारा 34 पर)	275
		4.	नंदकुमार-दीघा-चांदनेश्चर (एसएच-4)	91
		5.	गजोले-बुनियादपुर-ओस्तीराम-त्रिमोहनी-हिल्ली	100
		6.	नयाग्राम (उड़ीसा सीमा)-फेकोघाट-धरसा-नारायणपुर-सिलदा-बेनोगोतीया-फुलकुसोम-रायपुर-सिमलापाल-तालदंगा-बांकुड़ा-दुर्गपुर (एसएच-9) पानागढ़ दुबराजपुर (एसएच-14)	327
			उप-जोड़	**1285.90**
			जोड़	**64091.743**

[अनुवाद]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मानदंड

3957. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में शीतल पेय फैक्ट्रियों से निकालने वाले नुकसानदायक रसायनों हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कोई मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची। के अंतर्गत शीतल पेय कारखानों के लिए पीएच, सस्पेंडिड सॉलिड्स, तेल और ग्रीस तथा बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के संदर्भ में बहिस्त्राव मानक अधिसूचित किए हैं। शीतल पेय कारखानों से परिसंकटमय रसायन नहीं निकलते। शीतल पेय कारखानों सहित किसी भी उद्योग में परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण या आयात परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत शासित होता है।

पथ पर वसूली समझौता

3958. श्री हरिश्चंद्र चव्हाणः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार और राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर पथकर संग्रहण करने वाली निजी एजेंसियों के बीच समझौता हुआ है कि पथकर संग्राहक राजस्व के प्रतिशत का कुछ हिस्सा सरकार के साथ बांटता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मार्च, 2011 तक उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए समझौता हुआ है तथा सरकार अर्जित राजस्व का कितना प्रतिशत पथकर संग्राहक को देगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) जी हां। कुछ बीओटी (पथकर) रियायत करारों में, रियायतग्राही द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ राजस्व बांटे जाने का प्रावधान है। राजस्व हिस्से के ब्यौरे सहित ऐसी परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राजस्व हिस्सा का ब्यौरा सहित परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राजस्व हिस्सा	
		नियम तारीख से राजस्व हिस्सा	रियायत अवधि की समाप्ति पर राजस्व हिस्सा
1	2	3	4
1.	रारा 5 का चेन्नई-टाडा खंड (किमी 11 से किमी 54.40)	17.07:	31.07:
2.	रारा 8 का गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खंड (किमी 42.70 से किमी 273)	48.06%	59.06%
3.	रारा 8 का सूरत-दहिसर खंड (किमी 263 से किमी 502)	38%	49%
4.	रारा 5 का चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा खंड (किमी 355 से किमी 434.15)	निसत तारीख से 4.65 वर्ष बाद 2 %	12%

1	2	3	4
5.	रारा 1 का पानीपत-जालंधर खंड (किमी 96 से किमी 387.10)	20.14%	34.14%
6.	रारा 10 का दिल्ली-हरियाणा सीमा से रोहतक खंड	रियायत करार के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वाणिज्यक प्रचालन तिथि से 4692 दिना बाद 2 प्रतिशत की दर से प्रीमियम प्राप्त होगा परन्तु यह प्रीमियम, 25 वर्ष की रियायत के अंत तक प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में एक प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि के अध्यधीन होगा।	
7.	रारा 3 का खालघाट-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खंड	रियायत करार के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वाणिज्यिक/ प्रचालन तिथि से 405 दिन बाद 3.11 प्रतिशत की दर से प्रीमियम प्राप्त होगा परन्तु यह प्रीमियम, 18 वर्ष की रियायत के अंत तक प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में एक प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि के अध्यधीन होगा।	
8.	रारा 3 का पिंपलगांव-नासिक-गोंडे खंड	रियायत करार के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वाणिज्यक प्रचालन तिथि से 1530 दिन बाद 2 प्रतिशत की दर से प्रीमियम प्राप्त होगा परन्तु यह प्रीमियम, 20 वर्ष की रियायत के अंत तक प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में एक प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि के अध्यधीन होगा।	
9	रारा 3 का मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	रियायत करार के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 2610 दिन बाद 2 प्रतिशत की दर से प्रीमियम प्राप्त होगा परन्तु यह प्रीमियम, 25 वर्ष की रियायत के अंत तक प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में एक प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि के अध्यधीन होगा।	
10.	रारा 2 का बदरपुर उत्पाथित राजमार्ग खंड	रियायतग्राही ने प्रीमियम शुरू करने के लिए वाणिज्यक प्रचालन तिथि से 918 दिन बाद का प्रीमियम उद्धृत किया है और तद्नुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को, रियायतग्राह द्वारा संग्रहीत किए गए प्रयोक्ता शुल्क का 4.51 प्रतिशत अतिरिक्त रियायत शुल्क के रूप में प्रदान किया जाना होगा।	
11.	रारा 7 का कृष्णगिरी-थोपुरघाट खंड	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किमी. 163.40 से किमी 180 तक का खंड चार लेन का बनाया गया था परन्तु सुधार प्रचालन और अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त राजमार्ग के रूप इसे रियायतग्राही नकारात्मक अनुदान के अलावा रियायत करार के उपबंध के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 83.30 प्रतिशत अनुपाती राजस्व हिस्सा अदा करेगा।	
12	रारा 7 का ओमाल्लुर-नामक्कल खंड	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किमी 180 से किमी 199.20 तक का खंड चार लेन का बनाया गया था परन्तु सुधार, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त राजमार्ग के रूप में इसे रियायतग्राही को सौंप दिया गया था। रियायतग्राही, नकारात्मक अनुदान के अलाव रियायत करार के उपबंध के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 80.43 प्रतिशत अनुपातिक राजस्व हिस्सा अदा करेगा।	

पूर्व के रियायत करारों में, पथकर राजस्व को साझा करने की संकल्पना अंगीकार नहीं की गई थी फिर भी कुछ करारों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ राजस्व के अनुपातिक हस्तातंरण की व्यवस्था उस स्थिति में थी जब पथकर अथवा वाहन यातायात, विनिर्दिष्ट में ऊपरी सीमा से ज्यादा हो जाता था। महाराष्ट्र में एक खंड के मामले में, एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम) के साथ करार में राजस्व सरप्लस साझा करने की परिकल्पना है। बीओटी (पथकर) परियोजनाएं जहां रियायत करार में आधिक्य/सरप्लस राजस्व को इस प्रकार साझा किए जाने की परिकल्पना की गई है, इस प्रकार हैं:

(क) रारा-8 पर जयपुर-किशनगढ़	प्रत्येक लेखा वर्ष के लिए अनुमानित शुल्क से अधिक पथकर राजस्व रियायतग्राही (मैं जीवीके जयपुर किशनगढ़ प्रा.लि.) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच बांटा जाएगा।
(ख) कोलकाता में सिस्टर निवेदिता पुल	प्रत्येक लेखा वर्ष के लिए, अनुमानित शुल्क से अधिक पथकर राजस्व बांटा जाएगा।
(ग) रारा-4 पर सतारा-कागज	किसी भी वर्ष के लिए नकद सरप्लस, रियायतग्राही (मै. महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच बराबर-बराबर बांटा जाएगा।
(घ) दिल्ली-गुड़गांव पहुंच नियंत्रित राजमार्ग	प्रतिदिन 130000 पीसीयू से अधिक वाहनों के लिए रियायतग्राही (मै. जेपी-डीएससी वेंचर्स लि.) द्वारा वसूल किया गया शुल्क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ बांटा जाएगा।

सीआरएफ/आईएससीएण्डईआई के अन्तर्गत गुजरात की लंबित परियोजनाएं

3959. श्रीमती दर्शना जरदोशः
श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) तथा इंटर कनेक्टिविटी एण्ड इक्नॉमिक इंपोर्टेंस (आईएससीएण्डईआई) स्कीमों के अंतर्गत गुजरात की सड़क परियोजनाओं हेतु स्वीकृत सीमा अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम कर दी गयी है तथा वर्ष 2010-11 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत गुजरात से एक भी कार्य को अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार से सीआरएफ एण्ड आईएससीएण्डईआई के अंतर्गत सड़कों के सुधार हेतु कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी नहीं। गुजरात राज्य में वर्ष 2010-11 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 200.81 करोड़ रुपए की लागत से 36 कार्य संस्वीकृत दिए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। केन्द्रीय सड़क निधि/अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत कोई प्रस्ताव मंत्रालय में लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महानिदेशालय (पोत परिवहन) का विकेन्द्रीकरण

3960. श्री अब्दुल रहमानः
श्री एस. आर. जेयदुरईः

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार पोत परिवहन महानिदेशक (डीजी-शिपिंग) के पास विभिन्न स्वीकृतियों हेतु लंबित लघु मत्स्य इकाइयों के आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में छोटी इकाइयों, तटीय पोत परिवहन तथा मत्स्यन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाने की मांग है;

(ग) यदि हां, तो मुंबई स्थित डीजी-शिपिंग के सभी कार्यों के विकेन्द्रीकरण के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार डीजी-शिपिंग के कार्य के निरीक्षण हेतु तथा विलम्ब को दूर करने हेतु दिल्ली में प्रकोष्ठ प्रचालित करने का है; और

(ङ) छोटे उद्यमियों की बातों पर ध्यान दिया जाना सुनिश्चित किए जाने तथा डीजी-शिपिंग के कार्यकरण को आधुनिकीकृत और सरल बनाने हेतु क्या उपाय किए जाने का सरकार का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) केवल 05 दिसम्बर 2011 को प्राप्त एक आवेदन नौवहन महानिदेशालय कार्यालय में लबित है

(ख) जी, नहीं

(ग) मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के वाणिज्यिक समुद्रीय विभागों में सम्बंधित प्रधान अधिकारियों को मामलों के जल्दी निपटान को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें विभाग प्रमुख के रूप में पहले से ही पदांकित किया गया है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) मत्स्य कम्पनियों जैसे लघु उद्यमियों को नौवहन महानिदेशालय से उचित अनापत्ति/अनुमति के लिए अपने किसी भी प्रकार के आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए मुम्बई आने की जरूरत नहीं है। उन्हें चाहिए कि वे ऐसे अनापत्तियों के लिए उपलब्ध कराई गई जांच सूची के अनुसार आवश्यक संलग्नों के साथ अपने आवेदन डाक द्वारा प्रस्तुत करें। सुविधा उपाय के रूप में, नौवहन महानिदेशालय की सरकारी वेबसाईट www.dgshippinf.com है जिसमें प्रासंगिक जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। इसके साथ ई-गवर्नेंस संचालित ई-समुद्र परियोजना के माध्यम से डी.जी.एस. की विभिन्न सरकारी गतिविधियां संभव हैं।

[हिन्दी]

जल प्रदूषण परीक्षण प्रयोगशाला

3961. श्री जगदीश सिंह राणाः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार अपशिष्ट जल के नमूनों के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी अपेक्षित हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ और 25 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय मौजूद हैं, द्वारा लखनऊ में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला और जल एवं वायु दोनों के लिए आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, गाजियाबाद, नोएडा, झांसी, मुरादाबाद, मेरठ, मथुरा, रायबरेली और सहारनपुर स्थित 15 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं। इसके द्वारा फिरोजबाद, सोनभद्र और फैजाबाद स्थित तीन वायु प्रयोगशालाएं भी संचालित की जा रही हैं।

बिजनौर, आजमगढ़ फैजाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, बुलंदशहर और सोनभद्र स्थित क्षेत्रिय कार्यालयों में 10 प्रयोगशालाएं (जल) “पर्यावरणीय विनियामकों को सुदृढ़” करने हेतु राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन (एनजीआरबी) परियोजना के अन्तर्गत यूपीपीसीबी की योजना का भाग है।

[अनुवाद]

बाजार तक शुल्क मुक्त पहुंच

3962. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः
श्री रामकिशुनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विकासशील और अल्पविकसित देशों द्वारा उनके अपने आर्थिक विकास तथा वृद्धि और बाजारों तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए उनके व्यापार की शक्ति का उपयोग करने का मुद्दा उठाया है;

(ख) इस संबंध में विश्व व्यापार संगठन तथा अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ग) क्या सरकार ने भारतीय घरेलू बाजार में अति अल्पविकसित देशों से उत्पादों के शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त प्रस्तावों का भारतीय घरेलू उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द मंत्री): (क) और (ख) जी, हां। अल्प विकसित देशों सहित विकासशीन देश (जैसे भारत) एक प्रभावी और निष्पक्ष, नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली जो विकासशील देशों की चिन्ताओं पर ध्यान देगी, की वकालत करते रहे हैं।

(ग) से (ङ) अल्प विकसित देशों (एल डी सी एस) के मूल के उत्पादों हेतु शुल्क मुक्त कोटा मुक्त बाजार पहुंच के लिए वर्ष 2005 के हांगकांग मंत्रिस्तरीय निर्णय के अनुसरण में भारत ने अगस्त, 2008 में अपनी शुल्क मुक्त टैरिफ अधिमान (डी एफ टी पी) स्कीम की घोषणा की है यह एल डी सी के निर्यात हित के उत्पादों की एक बड़ी संख्या को कवर करती है। एल डी सी एस का विश्व व्यापार में एक प्रतिशत से कम हिस्सा है और विश्व व्यापार प्रणाली में उनकी अधिकतम एकीकरण उनके आर्थिक विकास और गरीबी घटाने के लिए आवश्यक है। विकासशील देशों, विशेष तौर पर अल्पविकसित देशों, की सहायता करना भारत की सतत नीति रही है और हांगकांग अधिदेश को पूरा करना इस नीति के अनुरूप है। तथापि, बाजार पहुंच उपलब्ध कराते समय हमने अपने संवेदनशील उत्पादों को सुरक्षित रखा है और हमारे घरेलू उद्योग को किसी क्षति की स्थिति में हमारे पास डब्ल्यू टी ओ नियमों के अनुसार व्यापार उपचार का आश्रय लेने का विकल्प उपलब्ध है।

[हिन्दी]

ईपीएफ के अंतर्गत मीडिया संगठन

3963. श्री अशोक कुमार रावतः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत शामिल राज्यों के मीडिया संगठनों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त मीडिया कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी भविष्य निधि में अपना नियमित अंशदान करते हैं; और

(ग) उन संगठनों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध भविष्य निधि अंशदान की वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंनर्गत कुल 2,43,924 मीडिया कर्मचारियों को कवर किया गया है।

(ख) कुल 2,16,945 मीडिया कर्मचारी भविष्य निधि में नियमित अंशदान कर रहे हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उन प्रतिष्ठानों के नाम जिनके विरूद्ध भविष्य निधि बकायों की उगाही के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है

क्र.सं.	स्थापनाओं के नाम	राज्य
1	2	3
1.	मै. प्रभात वार्ता (प्रा.) लि.	आंध्र प्रदेश
2.	मै. रायडू विजन मीडिया लि.	आंध्र प्रदेश
3.	मै. नार्ने नेटवर्क्स	आंध्र प्रदेश

1	2	3
4.	मै. एक्सप्रेस पब्लिकेशन मदुरै	ओडीशा
5.	मैं. प्रजातंत्र प्रसार समिति	ओडीशा
6.	मै. दैनिक आशा पब्लिकेशन	ओडीशा
7.	मै. हिन्द प्रेस	पंजाब
8.	मै. द डेली हिन्द समाचार लि.	पंजाब
9.	मै. सिख न्यूज पेपर	पंजाब
10.	मै. हिन्दुस्तान समाचार को. आप. सोसायटी	दिल्ली
11.	मै. वीर अर्जुन न्यूज पेपर प्रा.लि.	दिल्ली
12.	मै. सीनियर मीडिया लि.	दिल्ली
13.	मै. हिमाचल टाईम्स	उत्तराखंड
14.	मै. दासपुर दर्शन	मध्य प्रदेश
15.	मै. दासपुर एक्सप्रेस	मध्य प्रदेश
16.	मै. ध्वज न्यूज पेपर	मध्य प्रदेश
17.	मै. नवभारत	मध्य प्रदेश
18.	मै. स्वदेश प्रकाशन	मध्य प्रदेश
19.	मै. नवभारत प्रेस	मध्य प्रदेश
20.	मै. नवभारत प्रेस	मध्य प्रदेश
21.	मै. नवभारत प्रेस	मध्य प्रदेश
22.	मै. जागरण प्रकाशन	मध्य प्रदेश
23.	मै. नई दुनिया	झारखंड
24.	मै. एवेन्यू मेल	झारखंड
25.	मै. आदर्श प्रकाशन	झारखंड
26.	मै. इंडियन पंच	झारखंड
27.	मै. सनमार्ग झारखंड मीडिया प्रा. लि.	झारखंड
28.	मै. द स्टेट्समैन लि.	पश्चिम बंगाल
29.	मै. आसनसोल टेलीविजन नेटवर्क	पश्चिम बंगाल
30.	मै. दास इंटरटेनमेंट एंड दास कम्यूनिकेशन नेटवर्क	पश्चिम बंगाल

1	2	3
31.	मै. युगांतर	पश्चिम बंगाल
32.	मै. अमृत बाजार पत्रिका	पश्चिम बंगाल
33.	मै. एसएसटी मीडिया	पश्चिम बंगाल
34.	मै. पायनियर प्रेस/दैनिक गणदूत	पूर्वोत्तर क्षेत्र
35.	मै. आइजोल पोस्ट	पूर्वोत्तर क्षेत्र
36.	मै. वंग्लानि	पूर्वोत्तर क्षेत्र
37.	मै. त्रिवेणी मीडिया लि.	उत्तर प्रदेश
38.	मै. माया प्रेस	उत्तर प्रदेश
39.	मै. मित्रा प्रकाशन	उत्तर प्रदेश
40.	मै. नार्दर्न इंडिया पत्रिका	उत्तर प्रदेश
41	मै. स्वतंत्र भारत	उत्तर प्रदेश
42.	मै. जनवर्त प्रकाशन	उत्तर प्रदेश
43.	मै. ज्ञानमंडल लि.	उत्तर प्रदेश
44.	मै. न्यूज पेपर एंड पब्लिकेशन लि.	उत्तर प्रदेश
45.	मै. कम्पलीट सिनेमा	महाराष्ट्र
46.	मै. रिलायंस मीडिया वर्क्स	महाराष्ट्र
47.	मै. जी इंटरटेनमेंट	महाराष्ट्र
48.	मै. मैड इंटरटेनमेंट	महाराष्ट्र
49.	मै. जे. वी. पब्लिकेशन	महाराष्ट्र
50.	मै. ओबेराय मल्टी मीडिया लि.	महाराष्ट्र
51.	मै. श्री ऑफसेट	महाराष्ट्र
52.	मै. चंद्रपुर महासागर	महाराष्ट्र
53.	मै. नई दुनिया न्यूज नेटवर्क	छत्तीसगढ़
54.	मै. सवेरा प्रिंटर्स एण्ड सवेरा संकेत	छत्तीसगढ़
55.	मै. प्रगति प्रेस प्रा. लि.	छत्तीसगढ़
56.	मै. मंगलम पब्लिकेशन्स	केरल

1	2	3
57.	मै. एक्सप्रेस मलयालम	केरल
58.	मै. केरल टाईम्स	केरल
59.	मै. यूएफ मीडिया	तमिलनाडु
60.	मै. मलाईमुरासु	तमिलनाडु
61.	मै. गिरिगुजा पब्लिकेशन्स	तमिलनाडु
62.	मै. चैनल भारत (इमायम)	तमिलनाडु
63.	मै. थिनाथोट्ट	तमिलनाडु
64.	मै. अर्क प्रिन्टर्स	तमिलनाडु
65.	मै. तमिल सुदर	तमिलनाडु
66.	मै. एक्सप्रेस पब्लिकेशन्स (मदुरै) लि.	तमिलनाडु

[अनुवाद]

वृक्षों का संरक्षण

3964. श्रीमती मेनका गांधीः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में वृक्ष के तने के आस-पास की भूमि के बिटूमन से ढके होने के कारण वृक्षों को सूखने से बचाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, शहरी विकास मंत्रालय सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए शहरी क्षेत्रों की हरियाली तथा लैंडस्केपिंग हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसके तहत पेड़ के तने से 6×6 फीट के क्षेत्र में सीमेंट से पक्का नहीं किया जाना चाहिए और पेड़ों के तनों तक सड़कों को चौड़ा करने से बचना चाहिए।

दिहाड़ी मजदूर

3965. श्री नरहरि महतोः
श्री नृपेन्द्र नाथ रायः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दलितों सहित पिछड़ा वर्ग भू-सुधारों के अभाव में दिहाड़ी श्रम पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित बैकलॉग पदों को भरने हेतु निर्देश जारी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार में भूमि संसाधन विभाग ने भूमि प्रबंधन, भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, नक्शों का डिजीटाइजेशन इत्यादि के क्षेत्र में बड़ी पहलें की हैं। भूमि सुधारों को मजबूत एवं समृद्ध देश के एक महत्वपूर्ण स्तभ के रूप में माना

गया था। भारत की पहली कुछ पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि कुछ पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त बड़ी बजटीय राशि आबंटित की गई थी। कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारों को संरक्षण, काश्तकारी की विभिन्न प्रणालियों का युक्तिकरण और भूमिधारण पर उच्चतम सीमा लगाने जैसे मुद्दों के संबंध में सफलता की कुछ मात्रा भी दर्ज की गई थी।

(ग) और (घ) सरकार ने केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने हेतु नवंबर, 2008 में एक विशेष भर्ती अभियान आरंभ किया। इस अभियान में कुल 77487 बैकलॉग रिक्तियों की पहचान की गई जिनमें से 25560 अ.जा. हेत, 28542 अ.ज.जा. हेतु तथा 23385 अ.पि.व. हेतु थीं। यह अनुबंध किया गया था कि समस्त बैकलॉग रिक्तियां जून, 2011 तक भर ली जाएंगी। तथापि, समीक्षा करने पर यह पाया गया कि अब भी बड़ी संख्या में बैकलॉग रिक्तियां रिक्त पड़ी हैं। अतः अभियान फिर से आरम्भ किया गया है। समस्त मंत्रालयों/विभागों से शेष बैकलॉग रिक्तियों को 31.03.2012 तक भर लेने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वस्टर्ड अभयारण्यों की स्थापना

3966 श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधीः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र राज्य में ग्रेट इंडियन वस्टर्ड सैंचुअरी की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए चिह्नित स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं के विरूद्ध लोगों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचित एक 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य' है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर और सोलापुर जिलों में स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को महाराष्ट्र राज्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हेतु किसी नए अभयारण्य के सृजन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कामगारों का पलायन

3967. डॉ. भोला सिंहः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कम आय और बेरोजगारी के कारण पलायन करने वाले लोगों का कृषि पर इस प्रकार प्रभाव पड़ता है कि राज्य के कुल राज्य के कुल राज्यस्व में कृषि का हिस्सा घट रहा है;

(ख) क्या भू-स्वामी नगरों में रहते हैं तथा उनके कृषि कार्य उनके नौकरों और संबंधियों द्वारा किए जाते हैं जिसके कारण कृषि आय घटती है तथा वे अपनी आय को कृषि आय के रूप में दिखाकर काला धन अर्जित कर सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास हेतु कोई प्रयास कर रही है ताकि पलायन को रोका जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ङ) प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग में जाने का अधिकार है। तथापि, सरकार विपदाग्रस्त पलायन की रोकथाम हेतु प्रयास कर रही है।

सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम अधिनियमित किया है जिसका उद्देश्य किसी ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, तक वित्तीय वर्ष में सौ दिन के मजदूरी-रोजगार की गारंटी प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की रोजी-रोटी की सुरक्षा का संवर्धन करना है। इस अधिनियम के अनुसार, उस गांव जहां आवेदक आवेदन करते समय रहता है, से पांच किलोमीटर की सीमा के अंदर रोजगार प्रदान किया जाएगा। जिन मामलों में ऐसी सीमा के बाहर रोजगार प्रदान किया जाता है, इसे ब्लाक के अंदर प्रदान किया जाना चाहिए और मजदूरों को 10% अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अतः परिवार द्वारा करने पर स्थानीय रोजगार प्रदान करने से विपदाग्रस्त पलायन का उपशमन होता है।

लघु उद्योग निगम

3968. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रः
श्री गणेश सिंहः

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़े लौह और इस्पात उत्पादकों के छोटे लघु उद्योगों तथा अन्य सरकारी विभागों को राज्य लघु उद्योग निगम तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से सामग्री आबंटन के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य लघु उद्योग निगम से कोई सुझाव या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) इस्पात मंत्रालय ने स्टेट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कार्पोशन्स (एसएसआईसी) और नेशनल तथा अन्य सरकारी विभागों (कुल आवंटन के 30 प्रतिशत तक) को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) और टाटा स्टील जैसे मुख्य उत्पादकों से लौह एवं इस्पात सामग्रियों की आपूर्ति के लिए एक स्कीम बनाई है। चालू वर्ष के सेल, आरआईएनएल और टाटा स्टील से एसएसआई कार्पोरेशन्स को क्रमशः 341590 मीट्रिक टन, (एमटी) 221318 एमटी और 4624 एमटी लौह अयस्क इस्पात सामग्री का आवंटन किया गया। एनएसआईसी को सेल और आरआईएनएल से क्रमशः 63576 एमटी तथा 78081 एमटी लौह एवं इस्पात सामग्री का आबंटन किया गया।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने एसएसआई समन्वय और समीक्षा समिति की दिनांक 25.11.2011 को इस्पात मंत्रालय में आयोजित हुई बैठक हेतु कुछ कार्य सूची बिंदु प्रस्तुत किए। ये सेल द्वारा आपूर्ति सामग्री की कीमतों, तथा आरआईएनएल आदि से सामग्री की उपलब्धता से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

रेडिएशन मानटिर पोर्टल

3969. श्री रामसिंह राठवाः क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सभी पत्तनों तथा प्रवेश स्थानों पर रेडिएशन मानिटर पोर्टल स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस्पात जंक, जो अनेक कंपनियों से आयात किया जा रहा है, पत्तनों पर उचित तरह से स्कैन नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप रेडिएशन सामग्री का प्रवेश हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो खतरनाक अपशिष्ट सामग्री के आयात को रोकने में पत्तनों पर स्थापित किए गए आर एम पी कितने सफल रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां। पोत परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2012 तक देश के सभी महापत्तनों में रेडिएशन मॉनीटर पोर्टल्स (आर एम पी) स्थापित करने का फैसला किया है।

(ख) इस समय आयातित कबाड़ को रेडियोधर्मिता के लिए स्कैन करने के कोई उपस्कर उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) एक बार उपस्कर स्थापित हो जाने पर सभी आयात की गई खेपों को रेडियोधर्मिता रेडिएशन के लिए स्कैन किया जाएगा।

[हिन्दी]

अंतरदेशीय जलमार्ग

3970. श्री कैलाश जोशीः क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित कुल अंतरदेशीय जलमार्ग नेटवर्क कितना है;

(ख) क्या इन जलमार्गो पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं इतनी पर्याप्त हैं कि उन्हें व्यवहार्य विकल्प बना देती हैं;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इन जलमार्गो पर उपलब्ध अवसंरचना में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) अभी तक निम्नलिखित पांच जलमार्ग (एन डब्ल्यू) के रूप में घोषित किया गया है:

1. 1986 में घोषित गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (इलाहाबाद-हल्दिया-1620 कि.मी.)-एनडब्ल्यू-1
2. 1988 में घोषित ब्रह्मापुत्र नदी (धुबरी-सदिया-891 कि.मी.)-एनडब्ल्यू-2
3. 1993 में घोषित उद्योगमंडल और चंपाकारा नहरें (205 कि. मी.) के साथ-साथ पश्चिम तट नहर (कोट्टपुरम- कोल्लम)-एनडब्ल्यू-3

4. 2008 में घोषित गोदावरी और कृष्णा नदियों (1078 कि.मी.) के साथ-साथ काकीनाडा-पुडुचेरी नहरें-एनडब्ल्यू-4

5. 2008 में घोषित ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा (588 कि.मी.) के साथ-साथ एकीकृत पूर्वी तट नहर-एनडब्ल्यू-5

(ख) से (घ) ऊपर उल्लिखित पांच राष्ट्रीय जलमार्गों में से, राष्ट्रीय जलमार्ग -1, 2 और 3 में अवसंरचना से संबंधित बुनियादी अंतर्देशीय जल परिवहन मुहैया करवा दी गई है। जिसमें उनकी जलीय अवस्थाओं पर निर्भर रहते हुए विभिन्न जल खण्डों में न्यूनतम उपलब्ध गहराई सहित नौचालानात्मक जलमार्ग, कई स्थिर और प्लवमान टर्मिनलों और नौचालानात्मक साधन-सुविधाएं (उनकी अधिकतर लम्बाई में 24 घंटे नौचालन के लिए सहायताएं सहित) शामिल हैं। इन अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर रहते हुए, वर्ष आधार पर कायम/आगे विकसित किया जाना है। परंतु 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान धनराशि के उपलब्ध नहीं होने के कारण, राष्ट्रीय जलमार्ग-4 और 5 में कोई भी विकास कार्य आरंभ नहीं किया जा सका तथा योजना आयोग ने राष्ट्रीय जलमार्ग-4 और 5 के वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य जल खंडों को व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण सहित सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत विकसित किए जाने की सलाह दी है।

[अनुवाद]

ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना

3971. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देशभर में ग्रीन बैंचों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश भर में पर्यावरण मुद्दों से संबंधित लंबित मामलों की अनुमानित संख्या क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) पर्यावरण संबंधी किसी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति को होने वाली क्षति के लिए राहत तथा प्रतिपूर्ति देने और इससे संबंधित मामलों सहित पर्यावरणीय सुरक्षा तथा वनों के संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं शीघ्र निपटान के लिए दिनांक 18.10.2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बैठक के 5 स्थान दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं।

(ङ) दिनांक 1.1.2009 की स्थिति के अनुसार देश भर में विभिन्न न्यायालयों में पर्यावरण तथा वन संबंधी मुद्दों के कुल 5950 मामले लंबित थे।

जहरीले अपशिष्ट का निपटान

3972. श्री अधलराव पाटील शिवाजीः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व भर से खतरनाक रसायन से भरे जल पोतों को विखंडित करने हेतु भारत आने की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यावरण को प्रदूषित करने के मद्देनजर जलपोतों को विखंडित करने और खतरनाक पदार्थ लाने वाले जलपोतों के संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए; और

(ङ) देश में ऐसे जलपोतों द्वारा देश में लाए जा रहे जहरीले अपशिष्टों से देश को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन)ः (क) और (ख) खतरनाक रसायनों से भरे पोतों को विखंडन हेतु भारत में आने की अनुमति नहीं दी जीती है।

(ग) से (ङ) पोतों को विखंडन संबंधी कार्यकलाप सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्यों के संबंध में सितम्बर, 2007 में रिट याचिका 657/95 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 17.02.2006 के आदेशों के अनुसार, पोत विखंडन उद्योग के विभिन्न कार्यकलापों को

विनियमित करने के उद्देश्य से सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय तकनीकी समिति (सीटीसी) का गठन किया गया। सीटीसी ने पोत विखंडन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए अपनी सिफारिशें दीं। यह सिफारिशें उच्चतम न्यायालय के दिनांक 6.9.2007 के पूर्वोक्त आदेश द्वारा प्रभावी हैं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा पोत विखंडन के कारण पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों का उपशमन करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और कार्यान्वयन हेतु इन्हें सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण समितियों को परिचालित किया गया है। इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन संबंधी प्ररिप्रेक्ष्यों को शामिल करते हुए, पोत विखंडन के संबंध में एक राष्ट्रीय कोड तैयार किया जा रहा है।

कोस्टलाइन्स का अत्यधिक दोहन

3973. **श्री कुलदीप बिश्नोईः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कोस्टलाइन्स की वहन क्षमता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में कोस्टलाइन्स के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर निम्न तथा मध्यम अपरदनकारी के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में परियोजनाओं हेतु संचित अध्ययनों सहित व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट को तैयार करने की अपेक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने महासागर प्रबंधन संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई के माध्यम से देश के सम्पूर्ण मेनलाइन हेतु तटरेखीय परिवर्तनों का मूल्यांकन प्रारम्भ किया है।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तटरेखा और इसके संसाधनों के अति दोहन को रोकने के लिए सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में यांत्रिक पद्धतियों द्वारा बालू के खनन, बिना उपचार किए बहिस्रावों को बहाने, भू-जल को निकालने और नये उद्योगों की स्थापना करने सहित विभिन्न कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कच्छ वनस्पति, प्रवाल भित्ति और बालू के टीले में और इनके आस-पास विकासात्मक कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

राज्यों की निर्यात क्षमता

3974. **श्री हरिभाऊ जावलेः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र सहित पूरे देश में राज्य-वार निर्यात क्षमता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित प्रत्येक राज्य से पहचान की गई निर्यात योग्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई इन वस्तुओं की मात्रा और अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं। वाणिज्य विभाग निर्यात में विकास एवं वृद्धि करने हेतु समुचित अवसंरचना सृजित करके राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सहायता देकर अपने निर्यात प्रयासों में राज्यों का शामिल करने के उद्देश्य से निर्यात अवसंरचना के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को सहायता (एसाइड) स्कीम चला रहा है। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (एस एल ई पी सी), स्कीम के अनुमोदित उद्देश्यों के अनुसार परियोजनाओं के स्कीम के राज्य संघटक के अंतर्गत लेने के लिए अनुमोदित करते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजमार्ग की घोषणा

3975. **श्री मनसुखभाई डी वसावाः** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गुजरात सरकार ने राजपीपला से वापी तक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई और इसके क्या परिणाम रहें?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (ग) जी हां। गुजरात राज्य सरकार ने राजपीपला से वापी तक के राजमार्ग को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए अनुरोध केन्द्र सरकार से किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार, एक सतत् प्रक्रिया है और नए राष्ट्रीय राजमार्गो की घोषणा सड़क-संपर्क की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता एवं निधियों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर की जाती है।

बलों के लिए खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति

3976. श्री अंजनकुमार एम. यादवः
श्रीमती रमा देवीः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लेह में तैनात रक्षा बलों को आपूर्ति की जा रही खाद्य वस्तुएं तथा अन्य कृषि आधारित वस्तुएं स्थानीय किसानों/उत्पादकों की बजाय दिल्ली तथा अन्य स्थानों से खरीदी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसे निर्णय लेने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) सेना वार्ता के द्वारा की गई संविदाओं के माध्यम से ताजा सब्जियों, फलों, आलुओं प्याज, लहसुन, ब्रैड (एफ एम) और रिज का की खरीद लेह की सहकारी समितियों से कर रही है, जिसके लिए मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है।

इस क्षेत्र की कुल मांग का लगभग 55 से 60% भाग इन सहकारी समितियों से प्राप्त किया जाता है।

नाशवान मदों की सहकारी समितियों से अपूर्ण मांग की अधिप्राप्ति सड़क खुलने की अवधि के दौरान (जिसमें स्थानीय ठेकेदार भाग ले सकते हैं) संविदाएं करके अथवा सड़क बंद होने की अवधि के दौरान चंडीगढ़ से विमानों द्वारा मंगाकर की जाती है।

सैन्य फार्मो द्वारा स्थानीय सहकारी समितियों से दूध की अधिप्राप्ति की जाती है।

सूखी वस्तुओं की खरीद केन्द्रीय तौर पर की जाती है।

(ख) लेह में तैनात रक्षा बलों हेतु राशन की उपर्युक्त खरीद सूखे राशन, जिसकी खरीद केन्द्रीय तौर पर की जाती है, और ताजा नाशवान राशन, जिसकी अधिप्राप्ति का कार्य सेना की सैन्य कमानों व निम्न विरचनाओं को दिया गया है, दोनों ही के लिए रक्षा मंत्रालय प्रक्रियाओं के आधार पर की जाती है।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में काजू बोर्ड

3977. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार केरल में काजू उद्योग के विकास के लिए काजू बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने काजू बोर्ड के गठन को स्वीकृति प्रदान की है;

(ग) काजू बोर्ड के लिए प्रस्तावित ढांचे का ब्यौरा क्या हे;

(घ) क्या काजू निर्यात संवर्धन परिषद और काजू तथा कोको विकास बोर्ड का भी विलय प्रस्तावित काजू बोर्ड में किए जाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) काजू बोर्ड की स्थापना करने से संबंधित मामले पर विचार करने के लिए सरकार ने योजना आयोग से वाणिज्य विभाग और कृषि एवं सहकारिता विभाग के साथ विचार-विमर्श करने के लिए कहा है। दिनांक 14 जून, 2011 को आयोजित इसकी बैठक में योजना आयोग का यह दृष्टिकोण था कि काजू बोर्ड के गठन से कूाज उद्योग के भावी विकास के लिए अति आवश्यक प्लेटफार्म उपलब्ध होगा।

(ग) से (ङ) अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और जब ऐसा निर्णय लिया जाएगा तो अन्य पर रूपरेखाएं तय कर ली जाएंगी। तथापि, 14 जून, 2011 को आयोजित बैठक के दौरान आम मत था कि काजू बोर्ड का गठन काजू निर्यात संवर्धन परिषद और कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के अधीन काजू एवं कोको विकास निदेशालय के कुछ अंश का विलय करके किया जाएगा।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में घुसपैठ

3978. **डॉ. रत्ना डे:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह घुसपैठ की दृष्टि से संवेदनशील है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तटीय मार्गों से घुसपैठ गतिविधियों को रोकने के लिए आकस्मिक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सामरिकी तौर पर इस तरह अवस्थित हैं कि उनमें हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी में पूर्व की ओर से आने वालों का पर्यवेक्षण किया जा सकता है तथा उनकी तटरेखा बहुत विस्तृत है जिसकी निरंतर निगरानी की जानी आवश्यक है। हाल ही में विदेशी मछुआरों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़े जाने की घटनाएं देखी गई हैं। इस संकट पर नियंत्रण पाने के उपायों में अवैध रूप से मछली पकड़ने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करना, उनकी सरकारों के साथ राजनयिक पहल करना, पहले से अधिक निगरानी रखना तथा द्वीपसमूह में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गश्त लगाना शामिल है।

सरकार तटीय सुरक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानती है। सतकर्ता तथा निगरानी निरंतर रूप से की जाती है जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सतकर्ता बरतना तथा निगरानी रखना शामिल है। इसके लिए नौसेना तथा तटरक्षक बल दोनों की परिसम्पत्तियों, उपस्करों जनशक्ति तथा बुनियादी सुविधाओं के संदर्भ में सुदृढ़ किया गया है। तटरक्षक सुरक्षा को और मजबूत करने के विभिन्न उपायों में निगरानी तंत्र में सुधार लाना तथा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए पहले से अधिक गश्त लगाना शामिल है। द्वीपसमूह क्षेत्रों सहित तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु अपनाए गए नए दृष्टिकोण की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय पुलिस, सीमा शुल्क विभाग तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ संयुक्त संक्रियात्मक अभ्यास नियमित रूप से किए जाते हैं। संयुक्त प्रचालन केंद्र तथा बहु-एजेंसी समन्वय तंत्र बनाकर आसूचना तंत्र को भी सरल और कारगर बनाया गया है। अन्य उपायों में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एआईएस चेन स्थापित करना शामिल है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति की सूची में जातियां शामिल किया जाना

3979. **श्री मधुसूदन यादवः** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षो के दौरान केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से धोबी, सूत सारथी, सेसे, दंगचागाह, मोहरा चिलगंदा, चिल, चैक और नमाशुद्रा जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) उपर्युक्त जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में कब तक शामिल किए जाने की सम्भावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख): छत्तीसगढ़ सरकार ने गत तीन वर्षो के दौरान, प्रश्न के भाग (क) में बताई गई जातियों में से छत्तीसगढ़ के संबंध में केवल नमाशुद्रा जाति को ही अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी।

चूंकि राज्य जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ने अपनी अध्यन रिपोर्ट, जो राज्य सरकार के प्रस्ताव के साथ प्राप्त हुई थी, में उपयुर्क्त जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने के लिए पात्र नहीं पाया था, इसलिए मंत्रालय ने अपने दिनांक 30.9.2008 के पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार से, उपर्युक्त संस्थान की टिप्पणी के आलोक में अपनी स्पष्ट राय देने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार से कोई उत्तर सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डीएमआईसी

3980. **श्री सुरेश कुमार शेटकरः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रस्तावित दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) परियोजना के लिए निर्माण कार्य की स्थिति और निवेश का तरीका क्या है तथा इस परियोजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले बड़े औद्योगिक जोनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान परियोजनाओं का पुनरूद्वार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसी अनुमानित लागत क्या है;

(घ) उपर्युक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की सम्भावना है और इसके परिणामस्वरुप क्या लाभ होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर, 2011 को हुई अपनी बैठक में, डीएमआईसी में औद्योगिक शहरों का विकास करने हेतु वित्तीय और संस्थागत संरचना एवं वित्तीय सहायता को अनुमोदित कर दिया है। मंत्रिमंडल अनुमोदन का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है। डीएमआईसी परियोजना के चरण-1 में लिए गए औद्योगिक शहरों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	नोड का नाम	राज्य
1.	दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
2.	मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र	हरियाणा
3.	कुरूक्षेत्र-भिवाड़ी-नीमराणा निवेश क्षेत्र	राजस्थान
4.	पीतमपुर-धार-मऊ निवेश क्षेत्र	मध्य प्रदेश
5.	अमहदाबाद-धोलेरा निवेश क्षेत्र	गुजरात
6.	शेन्द्रा-बिड्किन औद्योगिक पार्क सिटी, निकट औरंगाबाद	महाराष्ट्र
7.	दिघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र	महाराष्ट्र

(घ) अगले 5-7 वर्षों के दौरान आवश्यक विनियामक अनुमोदनों की शर्त के अध्यधीन पीपीपी आधार पर अर्ली बर्ड परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। भूमि, जल और बिजली की उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन ये औद्योगिक शहर 25-50 वर्ग किमी. के टाउनशिप के विकास से आरंभ किए जाएंगे, जिन्हें वर्ष 2019 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

इस परियोजना के तहत विकास के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लाभ प्राप्त होने की आशा है:

(i) औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि।

(ii) विनिर्माण/प्रसंस्करण उद्योगों के कौशल उन्नयन एवं विकास के साथ-साथ उनमें रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और इस प्रकार उन्हें विकास की प्रक्रिया में साझेदार बनाना।

(iii) क्षेत्र से होने वाले निर्यातों में वृद्धि करना।

(iv) विश्वस्तरीय आधारभूत सुविधाओं से युक्त औद्योगिक शहरों का विकास, जिसमें अगले तीस वर्षों में लगभग 90-100 बिलियन अमेरिकी डालर से भी अधिक का अनुमानित निवेश शामिल/आकर्षित होगा।

(ङ) और (च) संपूर्ण डीएमआईसी क्षेत्र की परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार, इन शहरों का प्रथम चरण कार्यान्वित हों जाने के बाद अगले 5 वर्षों में औद्योगिक उत्पादन तीन गुना हो जाने की आशा है।

विवरण

मंत्रिमंडल अनुमोदन का ब्यौरा

1. डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वियन ट्रस्ट फंड की स्थापना के जरिए भारत सरकार के अनुमोदन से प्रति शहर 3000 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा के अध्यधीन प्रत्येक शहर

पर औसतन 2500 करोड़ रुपए की दर से औद्योगिक शहरों के विकास हेतु अगले पांच वर्षों तक 17,500 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदन।

2. फंड के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए की एक अतिरिक्त निधि संग्रह की स्थापना करना तथा अतिरिक्त परियोजना विकास कार्यकलापों को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में डीएमआईसी विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) को 1000 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में वित्तीय सहयाता उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदन। इस प्रकार अगले पांच वर्षों के दौरान मांगी गई सहायता की राशि 18,500 करोड़ रुपए है।

3. फंड/ट्रस्ट से उपयुक्त गारंटी द्वारा ऋण वृद्धि के जरिए दीर्घावधि ऋण वित्त जुटाने के लिए नोड/शहर स्तर के विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) को अनुमति देने के लिए अनुमोदन, ताकि यह बीमा और पेंशन फंड्स के लिए लाभप्रद बन सके।

4. फंड/ट्रस्ट की स्थापना, प्रचालन निधीयन, लाभ प्राप्त करने (लीवरेजिंग) और निगरानी के लिए अनुमोदन/यह ट्रस्ट दिल्ली-मुम्बई इंड्रस्ट्रियल कोरीडोर में और इसके आस-पास के इन शहरों के विकास में सहायता के लिए वित्तीय संस्थाओं से लंबी अवधि तक निधीयन जुटाने और साथ ही विधिवत रूप से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद टैक्स-फ्री ब्रांड, कैपिटल गेन्स बॉड्स, क्रेडिट एन्हांसमेंट आदि के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त संसाधनों का लाभ उठाएगा। फंड/ट्रस्ट का संचालन न्यासीमंडल द्वारा किया जाएगा जिसके अध्यक्ष सचिव आर्थिक कार्य विभाग होंगे और इसमें सविच, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वित्तीय सलाहकार (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग), व्यय विभाग के प्रतिनिधि, योजना आयोग और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक, डीएमआईसीडीसी शामिल होंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक, डीएमआईसीडीसी इस फंड/ट्रस्ट के भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

5. राज्य सरकारों की सिफारिश पर डीएमआईसीडीसी द्वारा लिए गए अथवा लिए जाने हेतु प्रस्तावति निवेश क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों की सूची तथा राज्य सरकारों की सिफारिश पर नए नोड/वैकल्पिक स्थल और अर्ली बर्ड परियोजनाओं को स्वीकार करने हेतु फंड के न्यासी बोर्ड को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए अनुमोदन।

6. डीएमआईसीडीसी के अधिदेश और इसकी शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन के लिए अनुमोदन। डीएमआईसीडीसी द्वारा राज्य सरकारों और एसपीवी को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और विश्वस्तरीय परामर्शदाताओं तक पहुंच सुलभ कराई जाएगी। दूसरे शब्दों में, यह सभी एसपीवी और राज्य सरकार एजेंसियों के बीच ज्ञान के साझेदार के तौर पर कार्य करेंगा। डीएमआईसीडीसी को एक निजी कंपनी से मानित सरकारी कंपनी में बदल दिया जाएगा, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 49 प्रतिशत होगा तथा शेष 51 प्रतिशत हिस्सा सरकारी स्वामित्व वाली निजी संस्थाओं के पास रहेगा।

7. डीएमआईसीडीसी की प्राधिकृत पूंजी में बढ़ोतरी करने तथा डीएमआईसीडीसी के प्रचालन पैमाने के अनुसार समय-समय पर प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने के लिए डीएमआईसीडीसी बोर्ड को शक्ति संपन्न बनाने के लिए अनुमोदन। डीएमआईसीडीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी जाएगी।

8. दी गई सेवाओं के लिए डीएमआईसीडीसी को फीस को भुगतान करने के लिए अनुमोदन।

9. औद्योगिक शहरों के विकास और प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रस्तावित संस्थागत संरचना के अनुसार प्रत्येक नोड/शहर में एसपीवी, परियोजना विशिष्ट एसपीवी, परियोजना विशिष्ट एसपीवी वाली क्षेत्रीय धारक कंपनियों की स्थापना करने के लिए अनुमोदन। जहां किसी नोड/शहर स्तर के एसपीवी में ट्रस्ट/फंड का हिस्सा 50 प्रतिशत तक होगा, वहीं परियोजना विशिष्ट एवपीवी तथा क्षेत्रीय धारक कंपनियों के फंड/ट्रस्ट का हिस्सा 100 प्रतिशत तक हो सकता है। नोड/शहर स्तर के एवपीपी के पास योजना प्राधिकरण एवं विकास प्रधिकरण की शक्तियां होंगी यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के तहत किसी शहर को औद्योगिक टाउनशिप के तौर पर अधिसूचित किया जाता है, तो ऐसा एसपीवी नगरपालिका निकाय की भूमिका भी निभा सकता है।

10. फंड/ट्रस्ट तथा डीएमआईसीडीओ को राज्य सरकारों द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार एक दूसरे के साथ और/अथवा राज्य सरकारों/नोड/शहर स्तरीय एसपीवी/परियोजना विशिष्ट एसपीवी/परियोजना विशिष्ट एसपीवी वाली क्षेत्रीय धारक कंपनियों/सरकारी और निजी संगठनों के साथ समझौते करने के लिए अनुमोदन।

[हिन्दी]

औद्योगिक इकाइयों का निर्माण

3981. श्री मुरारी लाल सिंहः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को मजदूरों के लिए 370 रिहायशी इकाइयों के निर्माण की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रिहायशी इकाइयों की निर्माण लागत में अब तक कोई वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार को राज्य सरकार से निर्माण लागत में वृद्धि के मद्देनजर परियोजना की समीक्षा का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के लिए संशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) घटक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में बीड़ी कामगारों हेतु राजनंदगांव में 254 मकानों तथा दोनगारगढ़ में 116 मकानों के निर्माण हेतु दो प्रस्तावों पर सहमति दी है।

(ग) संशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस) के अंतगर्त मकानों के निर्माण हेतु बीड़ी कामगारों को कुल 40,000 रुपये मकान आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं।

सरकार ने इनकी निर्माण लागत में वृद्धि के संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

(घ) इनकी निर्माण लागत में वृद्धि के दृष्टिगत परियोजना की समीक्षा के संबंध में राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) दूसरी किस्त जारी करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

राज्यों को निधियां

3982. कुमारी सरोज पाण्डेयः
श्रीमती कमला देवी पटलेः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार सहित राज्य सरकारों से वृद्ध लोगों के लिए समेकित कार्यक्रम और अल्कोहल सेवन तथा ड्रग एब्यूज की रोकथाम की योजना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत/जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कुछ निधियां अभी जारी की जानी बाकी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा शेष राशि कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) जी, हां। वृद्धजन एकीकृत योजना और मद्यपान एवं मादक द्रव्य (औषधि) दुरुपयोग निवारण सहायता योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान जारी राज्यवार सहायता अनुदान की राशि दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) निधियों को जारी करना एक सतत्/निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संगत योजनाओं के मानकों और दिशा-निदेशों के अनुसार अनुदान जारी करने के लिए अलग-अलग राज्य सहायता अनुदान समितियों द्वारा समुचित रूप से अनुशंसित प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है और यह हर तरह से पूर्ण प्रस्ताव के अध्यधीन होती है।

विवरण

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2010-11 के दौरान वृद्धजन समेकित कार्यक्रम की योजना तथा मद्यपान और नशीलें पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग की रोकथाम के लिए निर्मुक्त राज्यवार सहायता अनुदान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त सहायता अनुदान की धनराशि (लाख रुपए)	
		वृद्धजन समेकित कार्यक्रम योजना	मद्यपान और नशीले पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग की रोकथाम के लिए सहायता की योजना
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1291.05	297.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.49	25.96
3.	असम	284.19	84.92
4.	बिहार	9.37	257.56
5.	छत्तीसगढ़	18.81	40.87
6.	गोवा	0	16.39
7.	गुजरात	0	78.7
8.	हरियाणा	160.23	216.13
9.	हिमाचल प्रदेश	10.11	30.05
10.	जम्मू और कश्मीर	0	23.13
11.	झारखंड	0	1.4
12.	कर्नाटक	642.97	691.37
13.	केरल	21.07	524
14.	मध्य प्रदेश	29.45	171.58
15.	महाराष्ट्र	196.04	984.6
16.	मणिपुर	379.63	411.15
17.	मेघालय	0	175.26
18.	मिजोरम	5.17	128.27
19.	नागालैंड	0	122.56
20.	ओडीशा	979.61	641.14
21.	पंजाब	43.34	408.12
22.	राजस्थान	39.03	249.07
23.	सिक्किम	0	21.47
24.	तमिलनाडु	733.74	601.47
25.	त्रिपुरा	28.9	35.67
26.	उत्तर प्रदेश	246.08	583.67
27.	उत्तराखंड	17.55	112.43
28.	पश्चिम बंगाल	609.71	213.84
29.	चंडीगढ़	0	0.77
30.	दिल्ली	64.15	151.86
	कुल	**5811.69**	**7300.61**

एनएच 93 पर ट्रैफिक जाम

3983. श्रीमती राजकुमारी चौहानः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अलीगढ़ में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए शहर में एनएच 93 पर मदार गेट क्रासिंग पर एक उपरिपुल का निर्माण करने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एनएच 91 पर अलीगढ़ बाइपास के निर्माण के लिए निधियां जारी कर दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या एनएच 93 पर आगरा-अलीगढ़-मुरादाबाद सड़क को चौड़ा और सुदृढ़ करने से संबंधित स्कीम को स्वीकृति मिल गई है और इसके लिए धनराशि जारी की गई है; और

(च) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (घ) अलीगढ़ शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए, रारा-91 के गाजियाबाद-अलीगढ़ खंड को 4 लेन का बनाए जाने के कार्य के भाग के रूप में, रारा-91 पर बाइपास का निर्माण प्रगति पर है और इसके अगस्त, 2013 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-4 लेन के अंतर्गत रारा-93 के आगरा-अलीगढ़ खंड के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण को अनुमोदित किया गया है और यह कार्य मार्च, 2014 पूरा हो जाने की संभावना है तथा अलीगढ़-मुरादाबाद खंड के लिए अर्हता हेतु अनुरोध आमंत्रित किए गए थे और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

तटीय जोन प्रबंधन

3984. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तटीय क्षेत्र प्रबंधन में क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कतिपय संस्थाओं के संघ के सहयोग से किसी नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट (एनसीएससीजेडएम) की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तटीय समुदायों के साथ इसका लिंकेज विशेषतः इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में प्रायः अनुसंधान को संगत क्षेत्र की स्थितियों और चुनौतियों से अलग रखा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी. के. वासन): (क) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने विश्व बैंक की सहायता से समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना का कार्यान्वयन आरंभ किया है।

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई में धारणीय तटीय प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीएससीएम) स्थापित कर दिया गया है। यह केन्द्र, तटीय राज्यों और संघ राज्य चौदह चुने गये अनुसंधान केंद्रों के एक परिसंघ के साथ है, जो तटीय क्षेत्र प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने और अनुसंधान से संबंधित गतिविधियां करेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) इस एनसीएससीएम में एक समेकित सामाजिक विज्ञान और आर्थिक प्रभाग शामिल है। इस प्रभाव में, मुख्य गतिविधियों के साथ-साथ समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंधन नीति विधिक और विज्ञान के मामलों तथा अनुसंधान लागू करने का बढ़ावा देने हेतु तटीय समुदायों, विशेषज्ञों तथा हिस्सेदारों परस्पर बातचीत करने और समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंधन के संबंध में शिक्षा एवं सावधानियों के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सलाह दी जाती है।

[हिन्दी]

बालगृहों के लिए दिशानिर्देश

3985. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा बालगृहों के निर्माण/रखरखाव के लिए कोई विशेष दिशानिर्देश विद्यमान हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार, राजस्थान सहित देश में एनजीओं द्वारा निर्मित ऐसे गृहों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) किशोर न्याय (बच्चों की देख-भाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 34 में व्यवस्था कि किसी जांच के लम्बन के दौरान बच्चों की देखभाल और संरक्षण तथा उसके पश्चात, उनकी देखभाल, उपचार, शिक्षा प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास की आवश्यकता के मामले में बच्चों को बाल गृहों में रखने के लिए प्रत्येक जिले अथवा जिलों के समूह में स्वयंसेवी संगठनों, बालगृहों के सहयोग से अथवा राज्य सरकारें स्वयं द्वारा बालगृहों की स्थापना अथवा रख-रखाव करते हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय 2009-10 से एकीकृत बाल संरक्षण योजना नामक एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना कार्यान्वित

कर रहा है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को बालगृह स्थापित करने और उनका रख-रखाव करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गृहों की संख्या, प्रदत्त सहायता दर्शाने वाला राजस्थान सहित राज्यवार संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन गृहों की संख्या		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
3.	असम	-	-	-
4.	बिहार	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़	5	-	-
6.	गोवा	-	-	-
7.	गुजरात	23	23	25
8.	हरियाणा	4	4	-
9.	हिमाचल प्रदेश	-	-	8
10.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-
11.	झारखंड	-	-	-
12.	कर्नाटक	10	10	11
13.	केरल	-	-	-
14.	मध्य प्रदेश	-	-	-
15.	महाराष्ट्र	-	692	-
16.	मणिपुर	12	12	-
17.	मेघालय	-	-	-
18.	मिजोरम	-	-	-
19.	नागालैंड	-	-	-
20.	ओडिशा	2	15	15

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	-	-	-
22.	राजस्थान	28	28	28
23.	सिक्किम	-	-	-
24.	तमिलनाडु	23	23	23
25.	त्रिपुरा	-	-	-
26.	उत्तर प्रदेश	-	-	-
27.	उत्तराखंड	-	-	-
28.	पश्चिम बंगाल	21	25	-
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-
30.	चण्डीगढ़	-	-	-
31.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-
32.	दमन और दीव	-	-	-
33.	दिल्ली	-	5	7
34.	लक्षदीप	-	-	-
35.	पुड्डुचेरी	-	-	-
	कुल	128	837	117

इन्टरनेशनल ज्यूलॉजिकल म्यूजियम

3986. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से गोरेवडा, नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय ज्यूलॉजिकल म्यूजियम स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार से गोरेवडा, नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय ज्यूलॉजिकल संग्रहालय स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ हं।

तथापि प्रधान सचिव (वन), राजस्व और वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्रधिकरण द्वारा गोरेवडा, नागपुर में एक नया चिड़ियाघर स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के "चिड़ियाघर अभिकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह" द्वारा इस प्रस्ताव की संवीक्षा की गई है और विशेषज्ञ समूह सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियां, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के लिए और अधिक विचार करने के लिए प्रस्ताव की संशोधित प्रतियां प्रस्तुत करने के अनुरोध सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक (डब्ल्यू एल) महाराष्ट को संप्रेषित की गई हैं।

महाराष्ट्र सरकार से संशोधित प्रस्ताव की प्राप्ति पर, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का "चिड़ियाघर अभिकल्पना संबंधी विशेषज्ञ

समूह" के दुबारा संवीक्षा और सि्फारिस करेगा, यदि प्रस्ताव संतोषजनक पाया गया। तत्पश्चात, इसे "केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण" के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार को देश में नए चिड़ियाघरों की स्थापना हेतु उच्चतम न्यायलय के निदेशानुसार गोरेवडा में उक्त नए चिड़ियाघर की स्थापना हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा संशोधित प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से तीन महीनों के अंदर इसे सीजेडए द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

[अनुवाद]

प्रदूषित औद्योगिक क्लस्टर्स

3987. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में बहुत से औद्योगिक क्लस्टर्स जिन्हें अत्यधिक प्रदूषित पाया गया था, पर से मोरेटोरियम उठा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि देश के औद्योगिक क्षेत्र पर्यावरणीय खतरों से मुक्त हों?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने निम्नलिखित सूची के अनुसार देश में 25 अभिज्ञात अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक क्लस्टर्स/क्षेत्रों के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विकासात्मक परियोजनाओं पर विचार करने के लिए अधिस्थगन हटा लिया है:

राज्य	औद्योगिक क्लस्टर/क्षेत्र का नाम	मोरेटोरियम को हटाने की तिथि
1	2	3
आंध्र प्रदेश	पाटनचेरू-बौलाराम	26.10.10
गुजरात	वापी	26.10.10
	भावनगर	15.02.11
	जूनागढ़	31.03.11
हरियाणा	फरीदाबाद	31.03.11
	पानीपत	31.03.11
कर्नाटक	भ्रदावती	23.0511
	मंगलौर	23.05.11
केरल	ग्रेटर कोची	23.05.11
मध्य प्रदेश	इन्दौर	31.03.11
महाराष्ट्र	तारापुर	26.10.10
	डॉम्बीवल्ली	15.02.11
	औरगांबाद	15.02.11
	नवी मंबई	15.02.11

1	2	3
ओडिशा	अंगुल-तालचर	31.03.11
	इब वैली, झारसुगुडा	05.07.11
पंजाब	मंडी गबिंदगढ़	26.10.10
	लुधियाना	15.02.11
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	26.10.10
	कुड्डालोर	15.02.11
उत्तर प्रदेश	आगरा	15.02.11
	वाराणसी-मिर्जापुर	15.02.11
	गाजियाबाद	31.03.11
	नोयडा	31.03.11
	सिंगरौली	05.07.11

(ग) औद्योगिक क्लस्टर्स में पर्यावरणीय गुणवत्ता की पुनर्बहाली की दृष्टि से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अंतिम रूप दिए गए अभिज्ञात अत्यंत प्रदूषित औद्योगिक क्लस्टर्स/क्षेत्रों हेतु संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ शासित प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने उपचारात्मक कार्य योजनाएं तैयार की हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 42 और 55 पर पथकर की वसूली

3988. श्री अमरनाथ प्रधानः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-42 और नए राष्ट्रीय राजमार्ग-55 पर स्थित पथकर केन्द्र पर वाहनों से अभी भी पथकर लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर की वसूली के लिए हस्ताक्षरित समय-सीमा संबंधी करार का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग-42 (नई रारा संख्या-55) पर लिंगारा पुल के लिए अंगुल के निकट पथकर संग्रहीत किया जाता है।

(ख) पथकर गेट राष्ट्रीय राजमार्ग-42 के किमी. 109 (रारा-55 के किमी 158.3) के निकट स्थित है।

(ग) पथकर के संग्रहण के लिए किसी के भी साथ कोई करार हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। पथकर का संग्रहण विभागीय रूप से किया जा रहा है और इसलिए, इस प्रयोजन हेतु कोई समय-सीमा तय नहीं है।

एमएमटीसी द्वारा कोयले की खरीद

3989. श्री जगदीश ठाकोरः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) ने एनटीपीसी के लिए कोयला खरीदने का कार्य शुरू किया और इस प्रयोजनार्थ एक निविदा भी जारी की है;

(ख) यदि हां, तो निविदा में, निर्धारित शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उसके लिए आवेदन किया था;

(घ) क्या निविदा हेतु अधिक अग्रिम धन जमा कराने की वजह से अनेक कंपनियों इस प्रक्रिया से पीछे हट गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) एमएमटीसी ने चालू वित्त वर्ष (2011-12) के दौरान एनटीपीसी की और से कोयले का प्रापण करने का कोई कार्य शुरू नहीं किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा सामना की गई हवाई दुर्घटनाएं

3990. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र के दुर्घटनाग्रस्त विमानों की तिथि-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक दुर्घटना में कितनी हानि हुई है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) इस संबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) शून्य

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पोस्को संयंत्र को स्वीकृति

3991. श्री पी. विश्वनाथनः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ओडिशा राज्य में पोस्को इंटीग्रेटेड आयरन एण्ड स्टील प्लांट को स्वीकृत/मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परियोजना को मंजूरी देने के लिए कोई पूर्व-शर्त रखी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं?

(ङ) क्या पोस्को ने क्षेत्र की भूमि और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण हेतु सतत हरित पहल के रूप में प्रभावी उपाय करने के लिए कोई प्रतिबद्धता जताई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के उपबंध के अंतर्गत मैसर्स पोस्कों-इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ओडिशा में 4.0 एमटीपीए क्षमता के इंटीग्रेटेड आयरन एण्ड स्टील प्लांट को पूर्व में दिनांक 19-07-2007 को पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्रदान की है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन स्वीकृति दिनांक 4-05-2011 को प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृति, विभिन्न शर्तों और पर्यावरणीय सुरक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की शर्त पर है। पर्यावरण एवं मंत्रालय द्वारा गठित की गई चार सदस्यीय समिति की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में इस प्रस्ताव की सुविज्ञ मूल्यांकन समिति (उद्योग) द्वारा आगे की जांच की गई थी और दिनांक 31-01-2011 के पत्र द्वारा अतिरिक्त शर्तें, परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अनुबद्ध की गइ थी। इन शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का प्रावधान, लॉन आईन सतत स्टैक मॉनीटरिंग, पास-पड़ोस के लिए पेय जल की आवश्यकता को पूरा करने के जिए लवणता मुक्त संयंत्र की संस्थापना, ऊर्जा किफायती प्रौद्योगिकियों का उपयोग, हरित पट्टी का विकास, जोखिम और आपदा प्रबंधन योजना और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु उपाय शामिल हैं।

(ङ) और (च) मैसर्स पोस्को-इंडिया लिमिटेड परियोजना प्रस्तावकों को क्षेत्र के पर्यावरण के सरंक्षण और सुरक्षा हेतु उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित ईसी में अनुबद्ध सख्त शर्तों और पर्यावरणीय सुरक्षापायों को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय करने हैं। मंत्रालय का भुनवेश्वर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ईसी शर्तों की मानीटरिंग करता है। परियोजना प्रस्तावक को अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन की स्थिति पर छमाही रिपोर्टों को प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है और इस स्थिति को पब्लिक डोमेन में अपनी वेबसाईट पर अपलोड करना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

सड़कों की मरम्मत के संबंध में गूगल सर्च के माध्यम से जानकारी

3992. श्री राकेश सिंहः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे किः

(क) क्या गूगल अर्थ के आधार पर सड़कों की मरम्मत के संबंध में राज्यों से जानकारी मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों के लिए इस आधार पर जानकारी देना अनिवार्य है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने जानकारी नहीं दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विकल्प के रूप में किसी और आधार को भी मान्यता दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजमार्गो की मरम्मत के संबंध में सूचना, कार्यान्वयन एजेंसियों से, स्थल निरीक्षण के आधार पर रूप आवधिक रूप से मंगाई जाती है।

एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण

3993. श्री अवतार सिंह भडानाः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे किः

(क) क्या लक्षित तिथि के पश्चात् तीन वर्ष बीतने के बाद भी गुड़गांव-अलवर-जयपुर राजमार्ग से जुड़ने वाले कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस राजमार्ग को पूरा नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस संबंध में निर्माण कार्य की वर्ष-वार प्रगति कितनी है;

(घ) क्या इस मार्ग पर घटिया स्तर की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और अधिक लागत वाले खंडों को किसी निर्माण कार्य के बिना छोड़ा जा रहा है और उपरि/अधोगामी पुलों का भी निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सही और अद्यतन स्थिति क्या है; और

(च) इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मुख्यतः देश में राजमार्गो के विकास एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस मार्ग और गुड़गांव-अलवर-जयपुर राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

[अनुवाद]

प्लास्टिक का उपयोग

3994. श्री अधीर चौधरीः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य वस्तुओं के भण्डारण हेतु पंचम ग्रेड प्लास्टिक से बने पुनः उपयोग योग्य कन्टेनरों के विनिर्माण हेतु मंजूरी देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यथा संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 को अधिसूचित किया है। ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी विनिर्दिष्ट करते हैं कि प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रोन की होनी चाहिए और खाद्य सामग्रियों को पुनर्चक्रित प्लास्टिकों अथवा कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिकों में पैक नहीं किया जा सकता है। तथापि, नियमों के अंतर्गत पुनः उपयोग कन्टेनरों का विनिर्माण विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

मगरमच्छों की मौतों पर रोक

3995. श्री अशोक अर्गलः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में चम्बल रेत खान का संचालन चंबल अभयारण्य से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षो के दौरान चम्बल अभयारण्य क्षेत्र में घड़ियालों और मगरमच्छों की प्रजातियों की संख्या और मौत का शिकार बने घड़ियालों की संख्या कितनी है इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में स्थित चम्बल अभारण्य में रेत के खनन की अनुमती नहीं है। तथापि, अभयारण्य क्षेत्र से अवैध रेत के खनन की कदाचित घटनाओं की सूचना मिलती रहती है, जिसके विरूद्ध, कानून के उपबंधों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है। गत पांच वर्षो के दौरान निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अभयारण्य क्षेत्र से अवैध रेत खनन के विरूद्ध संबंधित राज्य विभागों द्वारा विभागों द्वारा कुल 516 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं:

राज्य	2006 से 2010 की अवधि के दौरान कुल दर्ज किए गए मामलों की संख्या					कुल
	2006	2007	2008	2009	2010	
मध्य प्रदेश	53	35	27	87	44	246
राजस्थान	40	46	51	46	32	215
उत्तर प्रदेश	01	03	13	22	16	55
कुल	94	84	91	155	92	516

(ग) चम्बल अभयारण्य के प्रबंधन जिसमें वहां पाये गए पशुओं की आवधिक गणना करना भी शामिल है, की देखरेख मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में क्षेत्रों के लिए की जाती है। मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2010 के लिए प्रमुख जलीय पशुओं (उनके देखे जाने के अनुसार) की संख्या का अनुमान निम्नलिखित है;

घड़ियालः 870, मगरः 301, नदी डॉल्फिनः 69

ऐलिगेटर, जिनकी मौत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हुई थी की संख्या का ब्यौरा मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसका संकलन मंत्रालय में नहीं किया जाता है।

चम्बल अभ्यारण्य में पशुओं की संख्या निम्नलिखित खतरों का सामना करती है:

1. अवैध मत्सयन
2. रेत का खनन, तटरेखा पर कृषि और पत्थर उत्खनन के कारण पार्यावासों का नष्ट होना
3. नदी से विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी का निष्कर्षण
4. खालों के व्यापार हेतु पशुओं का अवैध शिकार
5. शिकार आधार स्थलों का ह्रास
6. जल की गुणवत्ता में प्रदूषण और ह्रास
7. बांधो और बराजों निर्माण के कारण संख्या का विखंडन और प्रवास में अवरोध।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने नदी पारि-तंत्र में विभिन्न पणधारियों को शामिल करके अभयारण्य में पाये गए घड़ियाल और अन्य पशुओं के वास-स्थल के प्रभावी प्रबंधन और सुरक्षा हेतु एक राष्ट्रीय त्रि-राज्य चम्बल अभयारण्य प्रबंधन और समन्वय समिति गठित की है। चम्बल अभयारण्य के सुरक्षा और प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए "वन्यजीव वास-स्थलों का समेकित विकास" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों पर उपकर

3996. श्री कपिल मुनि करवारियाः
श्री राम सुन्दर दासः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को समनुरूपी अनुदान प्रदान करने के लिए प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों पर उपकर लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। वर्तमान में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को समनुरूपी अनुदान प्रदान करने के लिए प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों पर लगाने का कोई नीतिगत निर्णय नहीं हैं।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों का निर्यात

3997. श्री एल. राजगोपालः
श्री जे.एम. आरून रशीदः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान समुद्री खाद्य पदार्थों और अन्य समुद्री उत्पादों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारत से समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, नहीं। गत कुछ वर्षों में देश में समुद्री उत्पादों के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

(ग) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए भारत से कुल निर्यात निम्नानुसार रहे हैं:

	अप्रैल-अक्तूबर		
	2011.12	2010.11	2009.10
मात्रा (टन में)	3,12,904	8,13,091	6,78,436
मूल्य (करोड़ रुपए में)	6,679.57	12,901.47	10,048.53
मूल्य (मिलि. अम. डॉलर में)	1,496.34	2,856.92	2,132.84

(घ) भारत सरकार द्वारा एम्पीडा (समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के माध्यम से पंचवर्षीय योजना में शामिल विभिन्न स्कीमों के कार्यन्वयन के रूप में अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में जलकृषि उत्पादन के संवर्धन हेतु उपाय; विभिन्न सब्सिडी एवं सहायता स्कीमें; समुचित अवशिष्ट नियंत्रण कार्यक्रम; अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप; समुद्री उत्पादों की निर्यातयोग्य किस्मों की वाणिज्यिक जलकृषि को अपनाकर कार्यकलापों का विविधीकरण; उपजकर्ताओं एवं एम्पीडा के तकनीकी स्टाफ का प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

आईटीआई संस्थानों में ग्रामीण विद्यार्थियों की प्रतिभा

3998. श्रीमती रमा देवीः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई संस्थानों) की परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली ग्रामीण विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है और ग्रामीण प्रतिभा तेजी से अपनी छाप छोड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा आईटीआई संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों में और आकर्षक बनाने तथा वहां छिपी ग्रामीण प्रतिभा को सामने लाने क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों से कितनी सफलता हासिल हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) ग्रामीण संस्थानों से परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या

बढ़ रही है। डीजीई एंड टी की तरफ से भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यू सी आई) द्वारा जनवरी, 2011 में किए गए मूल्यांकन अध्ययन के अनूसार फरवरी में ग्रामीण संसाधनों से विद्यार्थियों की संस्वीकृत संख्या के 70% ने परीक्षा में भाग लिया जबकि अगस्त में यह 95% था।

(ग) और (घ) सरकार ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग संबंधों एवं अवसंरचना के सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं। आसपास के उद्योग समूह की आवश्यकता के अनुरूप बहुकौशल पाठयक्रम आरम्भ करने का उद्देश्य से घरेलू संसाधनों से 100 आईटीआईज तथा विश्व बैंक सहायता के माध्यम से 400 आईटीआईज के उन्नयन का कार्य प्रारंभ किया गया है। योजना के अंतर्गत चुने गए प्रत्येक आईटीआई हेतु उन्नयन प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए एक उद्योग भागीदार को सहयोजित किया जाता है। अध्यक्ष के रूप में उद्योग भागीदार को सहयोजित किया जाता है। अध्यक्ष के रूप में उद्योग भागीदार के साथ एक संस्थान प्रबंधन समिति गठित की जाती है। 1396 सरकारी आईटीआईजी का उन्नयन नामक योजना के तहत स्थानीय स्तर पर आईटीआई के मामलों के प्रबंधन हेतु आईएमसी को वित्तीय और शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। यह अनुदेशकों को प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षुओं को कार्य पर प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु भी प्रबंध करती है। राज्य सरकारें आईटीआईज की स्वामी बनी रहती हैं तथा प्रवेश का विनियमन जारी रखती हैं। उद्योग की आवश्यकता के अनुसार, पाठ्यचर्या परिवर्तन भी किए गए हैं। मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, ऐसे उन्नयित आईटीआईजी में नियोजन 81 से 99% हो गया है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक शिक्षा

3999. श्री इज्यराज सिंहः
श्री एस.अलागिरीः
श्रीमती मेनका गांधीः
श्री वैजयंत पांडाः
श्री धमेन्द्र यादवः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बेरोजगार युवाओं में व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए बनाए गए और कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में जनजातीय क्षेत्रों सहित राज्यों में स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार आईटीआई और आईटीसी संस्थानों को राष्ट्रीय व्यावसायकि प्रशिक्षण परिषद के साथ सम्बद्ध करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले उक्त विद्यार्थियों के रोजगार की दर की स्थिति क्या है;

(च) क्या विपणन कौशल के अभाव में देश में लाखों युवा बेरोजगार हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस अन्तर को पाटने के लिए देश में व्यावसायिक शिक्षा को सुचारू बनाने के लिए सरकार की कार्य योजना क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) डीजीईएंडटी देश में बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास हेतु निम्न तीन प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा हैः

(i) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) VIII से XIIवीं कक्षा पास अर्हताओं वाले 14 वर्ष से अधिक आयु के युवा लड़कों एवं लड़कियों को 6 माह से 3 वर्ष की भिन्न अवधि वाले 121 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करती है। सफल प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) के तत्वावधान में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (एनटीसी) प्रदान किए जाते हैं।

(ii) शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस) VIII कक्षा से XII वीं कक्षा अथवा एनटीसी पास अर्हताओं वाले 14 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षुओं को 3.23 लाख सीट क्षमता वाले 26,000 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 251 नामोद्दिष्ट व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रशिक्षण की अवधि 6 माह से 4 वर्ष तक भिन्न है। सफल शिक्षुओं को एनसीवीटी के तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) प्रदान किए जाते हैं।

(iii) डीजीईएंडटी ने स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ देने वालों तथा विशेषकर असंगठित क्षेत्र में विद्यमान कामगारों हेतु मॉड्यूलर नियोजनीय कौशलों (एमईएस) के तहत कौशल विकास पहल (एमडीआई) नामक एक नई योजना विकसित की। यह योजना 5 वर्षों की अवधि में एक मिलियन व्यक्तियों

के प्रशिक्षण एवं परीक्षण के परियोजना लक्ष्य के साथ मई, 2007 में चलाई गई। एमईएस-एनसीवीटी प्रमाणपत्र लाभप्रद रोजगार हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त है। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के परीक्षण के अतिरिक्त, यह योजना पूर्व अधिगम अर्थात अनौपचारिक रूप से प्राप्त कौशलों के प्रमाणीकरण की मान्यता को भी अनुमति देती है। इस समय 60 विभिन्न क्षेत्रों में 1386 माड्यूल्स विकसित किए गए हैं तथा 6705 पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपीज) के माध्यम से 12.65 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा मौजूदा 36 सूचीबद्ध मूल्यांकन निकायों द्वारा 11.02 लाख व्यक्तियों का मूल्यांकन किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सेकेण्डरी शिक्षा का व्यावसायीकरण नामक एक केन्द्र प्रवर्तित योजना (सीएसएस) का भी कार्यान्वयन करता रहा है। यह योजना औपचारिक और गैर-औपचारिक क्षेत्रों में क्रमशः राज्य/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना शिक्षा के अवसरों के विविधिकरण का प्रावधान करती है ताकि व्यक्ति की नियोजनीयता में वृद्धि की जा सके, कुशल जनशक्ति की मांग एवं आपूर्ति के मध्य असंतुलन को घटाया जा सके तथा उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वालों हेतु एक विकल्प प्रदान कराया जा सके।

(ख) लगभग 150 व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने वाले, लगभग 10.03 लाख विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के साथ लगभग 21,000 अनुभागों के साथ, 9619 विद्यालय हैं।

देश में 13,21,920 प्रशिक्षुओं की सीट क्षमता के साथ 9404 आईटीआईज (30.09.2011 को सरकारी 2244 तथा निजी 7062) हैं आईटीआईज तथा जनजातीय क्षेत्रों में आईटीआईज की राज्य वार सूची संलग्न विवरण I और II में दी गयी है।

(ग) और (घ) आईटीआईज (सरकारी तथा निजी) संबंधित राज्य सरकारों तथा निजी प्रदाताओं द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं तथा एनसीवीटी द्वारा यथानिर्धारित आवश्यक मानकों एवं मापदंडों को पूर्ण करने पर हन्हे राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(ङ) से (छ) जनवरी, 2011 में भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा आईटीआईज एवं आईटीसीज के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के अनुसार, लगभग 70% आईटीआई उत्तीर्ण नियोजित हैं। पाठ्यक्रमों को श्रम बाजार की आवश्यकता के संगत बनाने के लिए उन्हें नियमित रूप से संशोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में डीजीईएंडटी ने आईटीआई स्नातकों की नियोजनीयता में सुधार करने हेतु समस्त आईटीआईज में प्रारंभ करने के लिए लिए "नियोजनीयता कौशलों" पर एक पाठ्यक्रम तैयार किया है।

विवरण I

20.09.2011 को विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सीट क्षमता

उत्तरी क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सरकारी औ.प्र. सं. की संख्या	सीट क्षमता (सरकारी)	निजी और. प्र. केन्द्रों की संख्या	सीट क्षमता (निजी)	कुल औ.प्र.सं. /और.प्र. केंद्र	कुल सीट क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	2	968	0	0	2	968
2.	दिल्ली	16	11132	59	4332	75	15464
3.	हरियाणा	85	22696	96	10376	181	33072
4.	हिमाचल प्रदेश	73	9940	118	10364	191	20304
5.	जम्मू और कश्मीर	37	4087	1	110	38	4197
6.	पंजाब	97	20244	243	28656	340	48900

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	राजस्थान	114	14128	682	80367	796	94495
8.	उत्तर प्रदेश	314	32364	933	111950	1247	144314
9.	उत्तराखंड	59	6555	38	3574	97	10129
	उप-योग	797	122114	2170	249729	2967	371843
	दक्षिणी क्षेत्र						
10.	आंध्र प्रदेश	141	25726	536	107076	677	132802
11.	कर्नाटक	174	28706	1233	95438	1407	124144
12.	केरल	40	16380	489	53786	529	70166
13.	लक्षद्वीप	1	96	0	0	1	96
14.	पुडुचेरी	8	1432	9	508	17	1940
15.	तमिलनाडु	60	22360	646	65166	706	87526
	उप-योग	424	94700	2913	321974	3337	416674
	पूर्वी क्षेत्र						
16.	अरुणाचल प्रदेश	5	512	1	96	6	608
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	273	0	0	1	273
18.	असम	30	5744	4	208	34	5952
19.	बिहार	34	11433	457	67401	491	78834
20.	झारखंड	20	4672	127	29528	147	34200
21.	मणिपुर	7	540	0	0	7	540
22.	मेघालय	5	622	2	320	7	942
23.	मिजोरम	1	294	0	0	1	294
24.	नागालैंड	8	944	0	0	8	944
25.	ओडिशा	27	9984	570	95572	597	105556
26.	सिक्किम	4	580	0	0	4	580
27.	त्रिपुरा	8	1088	0	0	8	1088
28.	पश्चिम बंगाल	51	13164	31	2632	82	15796
	उप-योग	201	49850	1192	195757	1393	245607

1	2	3	4	5	6	7	8
			पश्चिम बंगाल				
29.	छत्तीसगढ़	90	10992	46	5216	136	16208
30.	दादरा और नगर हवेली	1	228	0	0	1	228
31.	दमन और दीव	2	388	0	0	2	388
32.	गोवा	10	3264	4	380	14	3644
33.	गुजरात	156	57228	383	22744	539	79972
34.	मध्य प्रदेश	173	25774	106	12882	279	38656
35.	महाराष्ट्र	390	105400	346	43300	736	148700
	उप-योग	822	203274	885	84522	1707	287796
	कुल योग	2244	469938	7160	851982	9404	1321920

विवरण II

वार्षिक रिपोर्ट (जनजातीय मामला मंत्रालय) के अनुबंध 6छ के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में आईटीआईज की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों का नाम	आईटीआई की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	महबूब नगर	24
		आदिलाबाद	16
		वारंगल	29
2.	गुजरात (146)	सूरत	30
		भरूच	16
		डांग्स	1
		वलसाड	10
		पंचमहल	21
		वडोदरा	36
		साबरकांठा	32
3.	हिमाचल प्रदेश (14)	लाहोल एवं स्फीति	2
		किन्नोर	2
		चंबा	10

1	2	3	4
4.	महाराष्ट्र (377)	ठाणे	28
		नासिक	51
		धुले	14
		जलगांव	66
		अहमदनगर	40
		पुणे	63
		नांदेड़	24
		अमरावती	24
		यवतमाल	22
		गढ़चिरोली	14
		चंद्रपुर	31
5.	ओडिशा (247)	मयूरभंज	53
		सुंदरगढ़	38
		कोरापुट	16
		सम्बलपुर	15
		क्योंझार	23
		बोध	2
		गंजम	36
		कालाहांडी	11
		बालासोर	53
6.	राजस्थान (6)	बांसवाड़ा	2
		डुंगरपुर	4
7.	झारखंड (76)	रांची	42
		सिमडेगा	1
		पूर्वी-सिंहभूम	3
		पश्चिमी-सिंहभूम	6
		सरायकेला-खरसांवा	5
		साहेबगंज	1

1	2	3	4
		दुमका	7
		जामतारा	1
		पलामू (डाउटनगंज)	9
		गोड्डा	1
8.	मध्य प्रदेश (73)	झाबुआ	12
		मंडला	4
		धार	3
		बाडवानी	1
		खरगोन	3
		खण्डवा	5
		रतमाल	4
		बेतूल	5
		सियोनी	8
		बालाघाट	6
		होशंगाबाद	2
		शहडोल	5
		सीधी	5
		छिंदवाड़ा	10
9.	छत्तीसगढ़ (137)	सरगुजा	10
		कोरिया	6
		बस्तर	8
		बिलासपुर	16
		कोरबा	5
		जशपुर	1
		रायगढ़	9
		दुर्ग	56
		राजनंदगांव	5
		दुर्ग	1
		रायपुर	17
		धामतरी	3

भविष्य निधि और पेंशन

4000. श्री पी. करूणाकरनः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मवूर ग्वालियर रेयन्स के 1993-1995 के दौरान सेवानिवृत्त हुए 116 श्रमिकों को भविष्य निधि और पेंशन का संवितरण कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त श्रमिकों को भविष्य निधि का शीघ्रता से संवितरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ग) मैसर्स मवूर ग्वालियर रेयन्स के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वर्ष 1993 से 1995 की अवधि के दौरान भविष्य निधि संबंधी दावे पहले ही निपटा दिए गए हैं तथा दावे की राशियों का वितरण कर दिया गया है। तथापि, उन्हें पेंशन नहीं दी गई है क्योंकि न तो वे कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य हैं और नही उन्होंने 16.11. 1995 से प्रभावी हुई कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नामांकन के लिए कोई विकल्प दिया था।

भविष्य निधि का गबन

4001. श्री अर्जुन चरण सेठीः
श्री अर्जुन राम मेघवालः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा गबन किए जाने सहित भविष्य निधि से संबंधित कोई बड़ा घोटाला सरकार के संज्ञान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संलिप्त अधिकारियों के विरूद्ध क्या विशिष्ट कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य निधि के ऐसे गबन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) भविष्य निधि अपवंचन, भविष्य निधि मूल्यांकन में अनियमितताएं तथा वसूली प्रक्रियाओं के मामलों में गंभीर अनियमितताओं के कुछ उदाहरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के संज्ञान में आये हैं। विवरण निम्नानुसार दिया गया हैः

(i) मैसर्स हीरानंदानी कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. तथा इसकी सहयोगी कम्पनियों द्वारा भविष्य निधि देयों का अपवंचन। यह अपवंचन 2002-2006 की अवधि के लिए निर्माण स्थल कामगारों के नामांकन न करने से संबंधित है।

(ii) मैसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज प्रा.लि. द्वारा अपने निर्माण कामगारों तथा ठेका कर्मचारियों से संबंधित लगभग 25 करोड़ रूपये की भविष्य निधि देयों का अपवंचन।

(iii) मैसर्स बी.एल कश्यप एवं सन्स लि., दिल्ली द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सांविधिक लाभों का क्रियान्वयन न करना।

(iv) मैसर्स बी.एल. गुप्ता कंस्ट्रक्यान प्रा.लि. दिल्ली द्वारा भविष्य निधि नामांकन में अपवंचन।

(v) मैसर्स मोहन गोल्डवाटर एण्ड ब्रेवरीज प्रा.लि. लखनऊ से संबंधित प्रक्रियाओं के आयोजन में अनियमितताएं।

(ग) विवरण निम्नानुसार हैः

- **वर्ष 2008:**

(1) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा हीरानंदानी समूह के अपवंचन के संबंध में चार अधिकारियों नामतः श्री के. एस आर्य, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी)-।, श्री एम.आर.यादव, आरपीएफसी-।।, श्री रजनीकांत, सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफसी) तथा श्री के. गोपालन, एपीएफसी के खिलाफ आपराधिक मामला आरसी/बीएआई/2008/ए/ 05 दायर किया गया है। .

- **वर्ष 2009:**

(1) मैसर्स बी.एल कश्यप एण्ड संस लि. का मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया था जिसने एक अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त सहित नौ ईपीएफओ कर्मचारियों के साथ-साथ कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की है।

(2) मैसर्स बी.एल गुप्ता कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. के मामले की अनियमितताओं के संबंध में बड़ी शास्ति हेतु कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ (सीसीए) नियमावली के नियम 10 के अंतर्गत चार प्रवर्तन अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किए गए हैं।

(3) मैसर्स मोहन गोल्डवाटर एण्ड ब्रेवरीज का मामला क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-।। प्रभारी, उप क्षेत्रीय कार्यलय, लखनऊ, प्राप्तकर्ता, अन्य अधिकारियों द्वारा निभायी गई भूमिका की जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया था।

- **वर्ष 2010:**

(ग) मैसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लि. द्वारा अपवंचन के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा श्री संजीवा राव, आरपीएफसी-।। के खिलाफ आपराधिक मामला आरसी/26ए/2010 मुम्बई दायर किया गया है।

- **वर्ष 2011 शून्य**

(घ) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) भ्रष्टाचार को रोकने तथा क्षेत्र में संचालनों का मानकीकरण करने तथा नए संशोधित फार्मो को लाकर उनके अनुवीक्षण हेतु एक विस्तृत परिपत्र जारी किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापाक रूप से निरीक्षण किए जाते हैं। तथा मात्रात्मक शब्दों में प्रदर्शित किए जाते हैं।

(ii) चूककर्ता अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को सघन कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप आरोप पत्रों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

(iii) केन्द्रीय सतकर्ता आयोग की सतकर्ता संहिता के पैरा 2. 13 (v) तथा 2.13 (vi) के अनुसरण में संदेहप्रद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची को इस उद्देश्य के साथ अंतिम रूप दे दिया गया है कि ऐसे अधिकारियों की तैनाती संवेदनशील अथवा भ्रष्टाचार आशंकित क्षेत्रों में न हो।

(iv) सभी महत्वपूर्ण मामले जांच हेतु शीघ्रतापूर्वक केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे जाते हैं।

[हिन्दी]

यमुना नदी की सफाई

4002. श्री माणिकराव होडल्या गावितः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यमुना नदी में सफाई के लिए किसी अन्य देश के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) भारत सरकार, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जेआईसीए), जापान सरकार की सहायता से चरणबद्ध पद्धति से यमुना कार्य योजना (वाईएपी) को कार्यान्वित कर रहा है। वाईएपी के अंतर्गत शुरु किए गए कार्यो में अशोधित मल जल का अंतरावरोधन और अपवर्तन, मल जल शोधन संयंत्रो की स्थापना, कम लागत की स्वास्थ्यकर सुविधाओं का सृजन, विद्युत/उन्नत काष्ठ शवदाहगृह की स्थापना और नदी तटाग्र का विकास शामिल है।

वाईएपी से पहले दो चरणों के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के 21 शहरों में कुल 286 स्कीमें पूरी की गई हैं और 767.25 मिलियन लीटर प्रति दिन, मल जल शोधन क्षमता सृजित की गई है। जेआईसीए ने वाईएपी-111 की परियोजना हेतु भारत सरकार को 32571 मिलियन येन की ऋण सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। इस संबंध में भारत सरकार और जापान सरकार के बीच 16 फरवरी, 2011 का ऋण करार पर हस्ताक्षर हुए हैं।

आयुध कारखाने में वित्तीय अनियमितताएं

4003. श्री रामकिशुनः
श्री अशोक कुमार रावतः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षो के दौरान सरकार को आयुध निर्माणियों के अधिकारियों के विरूद्ध कथित भ्रष्टाचार/वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक विशेष रूप से कानपुर आयुध निर्माणी के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आयुध निर्माणों में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले तथा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा आयुध निर्माणियों में वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कार्य नीति बनाई गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण

4004. श्री आधि शंकरः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जातियों की शिक्षा संबंधी चिन्ताओं का समग्र और बेहतर यथार्थपरक समाधान करने के लिए संचालित की जा रही/प्रस्तावति योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मौजूदा विभिन्न योजनाओं के तहत संस्वीकृत, जारी धन और किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समुदाय के नौकरी चाहने वाले संभावित लोगों को भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण सुविधाएं दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास हेतु विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जो निम्नानुसार हैः

(i) भारत में अध्यनन के लिए अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

(ii) अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए (अनूसुचित जातियां और गैर-अनुसूचित जातियों के लिए) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।

(iii) विदेश में उच्चतर अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति इत्यादि के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

(iv) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।

(v) अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग।

(vi) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा।

(vii) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन।

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (12.12.2011 तक) के दौरान संस्वीकृत और निर्मुक्त निधियों के योजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय की अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत, (i) संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डो (आरआरबीज) द्वारा आयोजित समूह क और ख परीक्षाओं; (iii) बैंकों, बीमा कम्पनियों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) द्वारा आयोजित अधिकारी ग्रेड परीक्षाओं के लिए और (iv) आईटी, जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसे निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए समापन पाठ्यक्रमों/रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों जिनमें सादा कौशल की आवश्यकता भी होती है, के लिए गुणवत्ता कोचिंग प्रदान करने का प्रावधान है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत और जारी धनराशि का योजनावार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना के नाम	विगत 3 वर्षों के दौरान (2008-09 से 2010-11) तथा चालू वर्ष 2011-12 से 12.12.2011 तक) संस्वीकृत और निर्मुक्त निधियां
1	2	3
1.	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	5572.12
2.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	235.08

1	2	3
3.	विदेशों में उच्चतर अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति इत्यादि के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	14.89
4.	अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की केन्द्रीय क्षेत्र योजना।	440.63
5.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा की केन्द्रीय क्षेत्र योजना	19.58
6.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा की केन्द्रीय क्षेत्र योजना।	35.60
7.	योग्यता के उन्नयन की केन्द्रीय क्षेत्र योजना	8.82

[हिन्दी]

माउण्टेन स्ट्राइक कोर

4005. श्री जगदीश शर्माः
श्री विलास मुत्तेमवारः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार सेना के मउण्टेन स्ट्राइक कोर की स्थापना करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में चार डिवीजन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेना उत्तराखंड और लद्दाख में दो स्वतंत्र ब्रिगेड तैनात करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सैन्य क्षमता बढ़ाना तथा सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है। रक्षा रणनीती तथा सिद्धांतों को संचयी सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए निरंतर रूप से परिष्कृत किया जाता है। हमारी खतरे की अवधारणा और संक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप सेनाओं की समय-समय पर तैनाती की जाती है।

[अनुवाद]

जलपोतों को माल की भराई और उतराई

4006. श्री निशिकांत दुबेः क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न पत्तनों पर काफी मात्रा में पड़े स्क्रैप की वजह से जलपोतों में माल की भराई और जराई में समस्या आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मात्रा-वार और पत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी. के. वासन): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई कबाड़ पत्तनों में नहीं पड़ा है जिसके कारण पोतों की लदाई और उतराई में समस्याएं आ रही हों।

(ग) आयात किया गया कबाड़ व्हार्फ से दूर भंडार में रखा जाता है और महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 61 के अनुसार दावा नहीं किया गया कबाड़ उतरने के 60 दिनों के बाद पत्तन प्राधिकारियों द्वारा नीलम कर दिया जाता है।

[हिन्दी]

प्रदूषण के संबंध में रिपोर्ट

4007. राजकुमारी रत्ना सिंहः
श्री इज्यराज सिंहः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व में होने वाली एक-चौथाई मौतें प्रदूषण की वजह से होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को कोई रिपार्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सरकार ने उक्त रिपोर्ट के आलोक में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ङ) विश्व स्वास्थ संगठन रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में एक चौथाई मौतें केवल प्रदूषण के कारण ही नहीं बल्कि कुछ विभिन्न पर्यावरणीय घटकों के कारण होती है। जानपदिक-रोग विज्ञान अध्यनों के अनुसार, श्वसनीय और कार्डियोवेस्क्युलर रोगों आदि जैसे स्वास्थ्य प्रभावों को वायु प्रदूषण के साथ जोड़ा जा सकता था। प्रदूषण के कारण उत्पन्न श्वसनीय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों में प्रदूषण उपयामन हेतु एक व्यापक नीति को सूत्रबद्ध करना, उन्नत ऑटो-ईधन की आपूर्ति, वाहनीय और औद्योगिक उत्सर्जन मानको को सख्त बनाना, विनिर्दिष्ट उद्योगों हेतु अनिवार्य पर्यावरणीय स्वीकृति, म्युनिसिपल, परिसंकटमय और जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों का प्रबंधन, स्वछतर प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, वायु और जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग स्टेशनों के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना, प्रदूषण भार का आकलन, स्त्रोत संविभाजन अध्यन, प्रमुख शहरों और अत्यधिक क्षेत्रों हेतु कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन, जन जागरूकता आदि शामिल है।

विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त सड़क परियोजनाएं

4008. श्री श्रीपाद येसो नाईकः
श्री पी. कुमारः
श्री कमल किशोर 'कमांडो':
श्री पी करुणाकरनः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर उत्तर प्रदेशों सहित देश में सड़कों/राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण/सुधार तथा मरम्मत की उन परियोजनाओं का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें विश्व बैंक से सहायता/अनुदान प्राप्त हो रहा है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण, विकास एवं सुधार कार्यो में शिथिलता पर चिंता जताई है और परियोजनाओं का वित्तपोषण रोक दिया है/रोक देने की चेतावनी दी है;

(ग) यदि हां, तो विश्व-बैंक से सहायता-प्राप्त उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो निर्धारित समय-सीमा से पिछड़ गई हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस परियोजनाओं की लागत वद्धि का ब्यौरा क्या है तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) उन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है और इनके लिए नियत संशोधित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत रारा-28 के लखनऊ-गोरखपुर-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा खंड को विश्व बैंक की ऋण सहायता से चार लेन का बनाया जा रहा है। इस समय, तीन पैकेज कार्यान्वयन के अधीन हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं का संबंध है, विश्व बैंक ने वर्ष 2008 में लखनऊ-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (ऋण सं. 4764-आईएन) के पांच पैकेजों में धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की थी। यह धीमी प्रगति, ठेकेदारों के अल्प-निष्पादन, कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और ठेका प्रबंधन से संबंधित थी। परिणामस्वरुप, बिहार राज्य में चार अल्प-निष्पादक पैंकेजों अर्थात् डब्लयूबी-9, डब्ल्यूबी-10, डब्ल्यूबी-11 और डब्ल्यूबी-12 को ऋण की पुनर्सरचना के बाद विश्व बैंक ऋण से अलग कर दिया गया था। कार्यान्वयन के अधीन, विश्व बैंक सहायता-प्राप्त विलंबित परियोजनाओं का ब्यौरा, विलंब के कारणों सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) विलंब के कारण हुई मूल्यवृद्धि, का भुगतान, ठेका प्रावधान के अनुसार किया जाता हैं। यदि परियोजना में विलंब, ठेकेदार पर आरोप्य कारणों से होता है, तो परिसमापन क्षति लगाई जाती है और किसी मूल्यवृद्धि का भुगतान नहीं किया जाता है। मूल्यवृद्धि का भुगतान केवल उसी मामले में किया जाता है जहां होने वाला विलंब ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर होता है। उक्त परियोजनाओं को तीव्रता से पूरा करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कार्यान्वयन के अधीन विश्व बैंक परियोजनाओं का ब्यौरा

राज्यः उत्तर प्रदेश

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	कुल लंबाई (किमी में)	पूर्ण हो चुकी लंबाई (किमी में)	पूरा होने की अनुमानित तिथी	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में (अक्टू. 11 तक)	विलंब के कारण	कार्य के प्रगती में तेजी लाए जाने के लिए किए गए उपाय
1.	उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा से कसिया (एनएमएनएचपी-8)	28	41.115	39	दिसं-2011	227	369.05	परियोजनाओं में प्रारंभिक विलंब, वृक्ष काटे जाने के लिए स्वीकृति की अनुपलब्धता, वन प्राधिकारियों द्वारा 10 मीटर की पट्टी की अतिरिक्त मांग और भूमि अधिग्रहण आदि के कारण हुआ था। अब यह परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है।	कार्यान्यन को प्रभावित करने वाली समस्याओं को हल करने के लिए एनएचएआई के उच्च अधिकारियों द्वारा संबंधित राज्य सरकार/रेलवे के अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की जा रहीं हैं। प्रगति की समीक्षा क्षेत्रीय कार्यालयों, फील्ड इकाईयों और मुख्यालय द्वारा आवधिक रुप से की जा रही है।
2.	कसिया से गोरखपुर (एनएमएनएचपी-7)	28	40	39	दिसं-2011	242	427.23		
3.	गोरखपुर-अयोध्या (एनएमएनएचपी-5)	28	44	41.5	दिसं-2011	227	403.48		

[अनुवाद]

वन क्षेत्रों पर मोबाइल फोन टॉवरों से उत्पन्न विकिरणजन्य प्रभाव

4009. श्री एस.आर. जेयदुरईः क्या **पर्यावरणीय और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कुल कितने राज्यों में वन क्षेत्र के अंदर मोबाइल फोन टॉवर अधिष्ठापित करने की अनुमति दी गई है तथा इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का दूरसंचार सेवाप्रदाताओं को इन मोबाइल फोन टॉवरों को वन क्षेत्र से हाटने के निर्देश देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनों के अंदर अनुमत मोबाइल फोन टॉवरों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) दूर संचार प्रदाताओं को वन क्षेत्र से इन टॉवरों को हटाने के निदेश देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

देश में वनों के अंदर अनुमत मोबाइल फोन टॉवरों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमत मोबाइल टॉवरों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	01
2.	गोवा	01
3.	गुजरात	01
4.	हिमाचल प्रदेश	01
5.	महाराष्ट्र	01

1	2	3
6.	तमिलनाडु	01
7.	त्रिपुरा	04
8.	उत्तराखण्ड	06
	कुल योग	16

[हिन्दी]

'मनरेगा' के कार्यान्वयन के कारण उद्योगों को नुकसान

4010. श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्रीमती रमा देवीः
श्री लक्ष्मण टुडुः
डॉ. क्रुपारानी किल्लीः
डॉ. महेन्द्र सिंह पी. चौहाणः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों के नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के कार्यान्वयन से उत्पन्न श्रमिकों की कमी के कारण घाटा हो रहा है;

(ख) क्या देश में औद्योगिक अवसंरचना और स्वास्थ्य परिचर्या उद्योग के विकास हेतु निवेश बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने कोई योजना/नई औद्योगिक नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वास्थ्य परिचर्या उद्योग, विशेषकर चिकित्सा उपकरण विनिर्मात्री कंपनियों, को क्या-क्या छूटें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शिंकजे से घरेलू तथा परंपरागत उद्योगों की सुरक्षा करने के लिए बनाए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) 'उद्योग के लिए श्रम/कौशल कमी संबंधी फिक्की के सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय उद्योग के सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कारण श्रम की उपलब्धता के संबंध में कड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। तथापि यह अध्ययन केवल 100 कम्पनियों के सर्वेक्षण पर आधारित था। तथापि मनरेगा अधिनियम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक उस परिवार, जिसके वस्यक सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम के इच्छुक हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम सौ दिनों की मजदूरी के रोजगार की गारंटी देते हुए, परिवारों को जीविकोपार्जन सुरक्षा देने का प्रावधान करता है। हालांकि, उद्योगों में मनरेगा के अल्पकालिक प्रभाव का मूल्यांकन करना कठिन है, परंतु आशा है कि दीर्घावधि में औद्योगिक उत्पादों की मांग सृजित करते हुए, इससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

(ख) से (घ) सरकार ने नवंबर, 2011 में एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य एक दशक में जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 25 प्रतिशत करना और 100 मिलियन रोजगार सृजित करना है। इस नीति में ग्रामीण युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करके उन्हें रोजगार योग्य बनाने पर बल दिया गया है। यह नीति राज्यों के साथ सहभागिता से समग्र औद्योगिक विकास के सिद्धान्त पर आधारित है। केन्द्र सरकार सामर्थ्यकारी नीतिगत ढांचा सृजित करेगी, उचित वित्तपोषण साधनों के माध्यम से सरकारी-निजी साझेदारी (पीपीपी) आधार पर अवसंरचना विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी और राज्य सरकारों को नीति में दिए गए साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति में दिए गए प्रस्ताव हरित प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन को छोड़कर आमतौर पर क्षेत्र निरपेक्ष, स्थान निरपेक्ष, और प्रौधोगिकी निरपेक्ष हैं। जबकि राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) प्रमुख साधन हैं, फिर भी इस नीति में दिए गए प्रस्ताव पूरे देश के विनिर्माण उद्योगों के लिए लागू होते हैं, जिनमें वे सभी स्थान शामिल हैं, जहां पर उद्योग अपने आपको क्लस्टरों में संगठित करने और प्रतिपादित किए गए अनुसार स्व-नियमन मॉडल अपनाने में सक्षम हैं।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय

4011. श्री सज्जन वर्माः
रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डी.जी.एस. एण्ड डी.) दर-अनुबंध समापन के लिए वाणिज्य विभाग का कार्यकारी स्कंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी.जी.एस. एण्ड डी. ने कागज और कागज पुनर्चक्रण उद्योग सहित अन्य लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा विनिर्मित कुछ माल को अस्वीकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ समन्वयन करने और कागज पुनर्चक्रण उद्योग सहित उक्त उद्योगों से नियमित आपूर्ति एवं खरीद सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एंड डी) वाणिज्य विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है, जो भारत सरकार की कार्य आवंटन नियमावली 1961 के अनुसार वाणिज्य विभाग को यथा आबंटित किसी सामान्य एवं विशेष आदेश के जरिए दूसरे प्राधिकरण को प्राधिकृत स्टोरों की खरीद की मदों एवं निरीक्षण के अलावा अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं संघशासित क्षेत्रों की सरकारों सहित केन्द्रीय सरकार/मंत्रालयों/विभागों के लिए भण्डारों की खरीद और निरीक्षण संबंधी कार्य करता है।

दिनांक 7.12.2011 के अनुसार डीजीएस एंड डी में विभिन्न मदों के लिए 224 दर संविदा हैं।

(ग) और (घ) डीजीएस एंड डी ने सूचित किया है कि वह भण्डार अस्वीकृत कर दिए जाते हैं जो संविदा के तकनीकी विनिर्देशनों को पूरा नहीं करते हैं। डीजीएस एंड डी दर संविदा के अधीन हाल ही में एमएसएमई द्वारा विनिर्मित खेप के लिए डीजीएस एंड डी द्वारा की गई अस्वीकृतियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

माह	फार्मों की संख्या	मूल्य (लाख रुपए में)	
		बीआईएस	गैर-बीआईएस
अगस्त, 2011	23	162.67	156.44
सितम्बर, 2011	26	68.42	148.29
अक्टूबर, 2011	25	236.24	83.25
नवम्बर, 2011	22	17.47	209.91

दिनांक 7.12.2011 के अनुसार डीजीएस एंड डी में विभिन्न मदों के लिए 24 दर संविदा हैं।

(ङ) वर्ष 2009 से पूर्व डी जी एस एंड डी पुनर्चक्रिया या रद्दी कागज से निर्मित किसी कागज की खरीद नहीं कर रहा था। तथापि, पुनर्चक्रित एवं रद्दी कागज का उद्योग की सहायता एवं संवर्धन करने के लिए डीजीएस एंड डी ने अपनी नीति में परिवर्तन किया है और कुछ किस्म के प्रिंटिंग कागज जैसे (1) आफसेट प्रिंटिंग पेपर प्राइम (11) मेपालिथो पेपर प्राइम और (111) रद्दी कागज/पुनर्चक्रित कागज से विनिर्मित पेपर प्रिंटिंग सफेद एवं क्रीम के लिए पुनर्चक्रित/रद्दी पेपर से बने पेपर उत्पादों की खरीद करने हेतु दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है। एमएसएमई से समन्वय करने के लिए डीजीएस एंड डी दर संविदा को अंतिम रूप देने के लिए कोई निविदा जारी करने से पहले सभी स्टेकहोल्डरों को आमंत्रित कर परामर्शदायी समिति की बैठक आयोजित करता है।

नेपाल को जोड़ने वाली सड़कें

4012. योगी आदित्यनाथः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत को नेपाल से जोड़ने वाली मुख्य सड़कों को भारत-नेपाल संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की योजना पर कार्य करती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, भारत नेपाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत शुरू किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पथकर वसूली में गड़बड़ी

4013. श्री डी बी चन्द्रे गौडाः
श्री पोन्नम प्रभाकरः
श्री रायापति साम्बासिवा रावः
श्री ए. वेंकटरामी रेड्डीः
श्री प्रताप सिंह बाजवाः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न पथकर प्लाजाओं पर होने वाली पथकर वसूली में गड़बड़ी का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो पंजाब सहित तत्संबंधी राज्यवार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस गड़गड़ी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए कतिपय प्लाजाओं को अन्यत्र स्थापित करने की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का कतिपय सड़क खण्डों/राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर दरों को बढ़ाने का भी विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी नहीं। तथापि, पथकर संग्रहण में सुधार के लिए तंत्र में कतिपय संशोधन किए गए हैं। सार्वजनिक निधि से निर्मित खंडों पर स्थित टोल प्लाजाओं पर अभी हाल ही तक पथकराधान की प्रत्यक्ष विधि लागू रही है। संग्रहण का कार्य, डीजीआर एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा था जोकि पथकराधान की अक्षम विधि सिद्ध हुई और इससे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बहुत अधिक अनुवीक्षण कार्य करना पड़ता था। इसीलिए प्लाजाओं पर पथकर का संग्रहण, खुली निविदा पद्धति के माध्यम से चुनी गई निजी एजेंसियों के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विधि में एजेंसी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एक नियत मासिक राशि प्रदान की जानी होती है। अब इस विधि को, बीओटी (पथकर) अथवा ओएमटी रियायतग्राही को खंड सौंपे जाने तक अपनाया जा रहा है। पीपीपी विधि की ओएमटी परियोजनाओं की रियायत अवधि 4-9 वर्ष होंती है जिसमें रियायतग्राही को प्रारंभ से ही पथकर फीस संग्रहीत करने दी जाती है और पथकराधान के साथ-साथ वे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भुगतान के लिए उद्धृत राशि पर, आबंटित खंडों के दुर्घटना प्रबंधन सहित उनका इंजीनियरी अनुरक्षण भी करते हैं। उपर्युक्त कदमों के परिणामस्वरूप, पथकराधान के अनुवीक्षण कार्य में काफी कमी आई है और राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई है तथा परियोजनाओं के अनुरक्षण की पद्धति में सुधार हुआ है।

इस समय पंजाब में सभी फीस प्लाजा या तो बीटीओ रियायतग्राही के पास हैं या फिर प्रतियोगी निविदा के माध्यम से कार्यरत ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत ठेकेदारों के माध्यम से पथकर संग्रहण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई मामला नहीं है जिसममें एनएचएआई ने राजस्व संग्रहण में सुधार के लिए किसी फीस प्लाजा को स्थानांतरित किया हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के अनुसार फीस, उक्त नियमों में उल्लिखित फॉमूले के आधार पर प्रतिवर्ष संशोधित की जानी होती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आयुध-निर्माणियों के उत्पादक

4014. श्री हरीश चौधरीः
श्री मनसुखभाई डी. वसावाः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड आयुध निर्माणयों के उत्पादों को बाजार के अनुकूल बनाने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, हां। आयुध निर्माणियों के उत्पादों को बाजार के अनुकूल बनाने के प्रयासों के प्रति समर्पित एवं दृढ़ रहा है। तथापि, आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा रक्षा बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही सिविल/निर्यात बाजार की तलाश की जाती है।

(ख) आयुध निर्माणी बोर्ड सिविल निर्यात संबंधी कार्य-कलापों में सरकारी प्रक्रियाओं के अनुसार लगा रहता है। पिछले कुछ वर्षों में आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा निर्यात किए गए कुछ मुख्य उत्पाद इस प्रकार हैं:

* ब्रेक पैराशूट सुखोई
* कार्टेज 5.56 मि.मी. एसएस 109
* ब्रेक पैराशूट जगुआर
* केबल जेडब्ल्यूडी-1
* कार्टेज 5.56 × 45 मि.मी. इनसास
* अन्यों के साथ-साथ ए.के. 630 एम तथा फोग सिग्नल
* 105 मि.मी. आर्टिलरी गोलाबारूद
* 84 मि.मी. गोलाबारूद

घरेलू क्षेत्र में भी आयुध निर्माणी बोर्ड भारतीय रेल को एक्सल, दूसरों को विशेष ग्रेड के अल्यूमीनियम की आपूर्ति कर रहा है।

(ग) ऊपर (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.33

4015. श्री अजय कुमारः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट ्रीय राजमार्ग सं. रांची-महुलिया खण्ड को चार-लेन वाला बनाने के कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं के कार्य में कोई विलम्ब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब शुरू/पूर्ण होने की संभावना है;

(ङ) क्या इस राजमार्ग की वर्तमान खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए उक्त सड़क खण्ड पर वाहन चालन गुणता सुधार कार्यक्रम (आई आर क्यू पी) के अंतर्गत कार्य किए जाने की कोई संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिहवन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी हां।

(ख) रांची-महुलिया परियोजना को चार लेन का बनाए जाने के लिए बोलियां/निविदाएं, दिनांक 16.11.2010 को प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग-33 के किमी 114.00 से किमी 277.500 तक रांची-रारगांव-जमशेदपुर (रांची-महुलिया खंड) खंड को चार लेन बनाए जाने का कार्य, बीओटी (वार्षिकी) आधार पर दिनांक 18.03.2011 को सौंपा गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक सुविधाओं का स्थानांतरण, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति आदि जैसे निर्माण-भूमि कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना की रियायत अवधि, 2.5 वर्ष की निर्माण अवधि सहित 15 वर्ष है। रियायतग्राही द्वारा वित्त व्यवस्था कर लिए जाने के पश्चात कार्य प्रारंभ होने की संभावना है।

(ङ) और (च) चूंकि चार लेन बनाए जाने का कार्य पहले ही सौंपा जा चुका है, इसलिए इस खंड पर सड़क गुणता सुधार कार्य शुरू किए जाने की कोई संभावना नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निधि-आबंटन

4016. श्री एम.बी.राजेशः
श्री पिनाकी मिश्राः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों का वनाच्छादित क्षेत्र विगत वर्षों के दौरान बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों व चालू के दौरान इसकी वृद्धि दर कितनी है और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में पूर्वोत्तर के वनाच्छादित क्षेत्र का अनुपात कितना है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के संपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र की वानिकी का कितना योगदान रहा; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र की वानिकी के लिए निधि-आवंटन के उद्देश्य क्या हैं तथा आबंटित निधि के व्यय के संबंध में क्या मापदण्ड रखे गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी, हां। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए द्विवार्षिक मूल्यांकन के आधार पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2009 के अनुसार वर्ष 2005 और 2007 के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र (7 राज्यों) का कुल वनाच्छादन बढ़ गया है।

(ख) पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्रों में वर्ष 2005 में वनाच्छादन 169825 वर्ग किमी से बढ़कर वर्ष 2007 में 170423 वर्ग किमी हो गया है, जिसके आधार पर इस अवधि के लिए वृद्धि दर 299 वर्ग किमी प्रति वर्ष है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों के अनुपात में पूर्वोत्तर का वनाच्छादन 0.0517 (5.17%) है।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में वानिकी क्षेत्र का योदान, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 1.8% है।

(घ) वनीकरण, वन संरक्षण, वनभूमि का सर्वेक्षण और सीमांकन, दावाग्नि नियंत्रण, वानिकी कार्मिकों के लिए अवसंरचना विकास, संचार व्यवस्था सुधारने, वानिकी प्रशासन के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित की जाती हैं।

निधिकरण, मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए स्कीमों के अपने मानक हैं। इस मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष रूप से निधियां निर्धारित की जाती हैं। राज्य/संघ

राज्य क्षेत्रों को स्कीम के अनुसार अनुमत कार्य कलापों के लिए व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रापण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं।

देशज रक्षा-उत्पादन

4017. श्री एम.आई. शानवासः
डा. रत्ना डेः
श्री नवीन जिन्दलः
डा. किरोड़ी लाल मीणाः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किन-किन देशों द्वारा भारत को बड़े पैमाने पर छोटे अस्त्र-शस्त्रों सहित रक्षा-उपकरणों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) सरकारी और निजी क्षेत्र में देशज निर्माण का अंश बढ़ाने के लिए क्या उपाय शुरू किए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय कंपनियों से किए गए अनुबंधों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इनकी लागत कितनी है; और

(घ) रक्षा-उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु क्या नीति है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) रक्षा उपस्करों/शस्त्रों की आपूर्ति कई देश करते हैं जिनमें रूस, संयुक्त राज्य अमरीका, इजरायल, फ्रांस, यूनाईटेड किंगडम (यू.के.) आदि शामिल हैं।

(ख) स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2006 में 'बनाओ' प्रक्रिया को शामिल किया गया था। इसके अलावा, सरकार ने देश में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नवंबर, 2009 में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' नामक एक नए श्रेणीकरण को शामिल किया है। इन उपयों से सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, दोनों में, रक्षा उपस्करों के स्वदेशी डिजाइन, विकास तथा विनिर्माण के संवर्धन की संभावना है।

(ग) सरकार सुरक्षा परिवेश की सतत रूप से समीक्षा करती है और तदनुसार उपयुक्त रक्षा उपस्कर/प्लेटफार्म शामिल करने का निर्णय लेती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सशस्त्र सेनाओं को किसी आकस्मिकता का समाना करने के लिए तैयार रहने की स्थिति में बनाए रखने के लिए विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी स्त्रोंतों से अधिप्राप्ति के जरिए की जाती है। इस संबंध में और प्रकट करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

(घ) रक्षा उत्पादन में अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से, सरकार ने जनवरी, 2011 में एक रक्षा उत्पादन नीति की घोषणा नीति की घोषणा की है।

इन्वायरमेटल परफार्मेंस इंडेक्स

4018. श्री एस. सेम्मलईः क्या **पर्यावरणीय और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोलंबिया के येल विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने हाल ही में इन्वायरमेटल परफार्मेस इंडेक्स पर एक रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में प्रदूषण की स्थिति पर अंकुश लगाने में उक्त रिपोर्ट कितनी सहायक होगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) येल पर्यावरणीय विधि एवं नीति केन्द्र, येल विश्वविद्यालय से विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा एनवायरनमेंटल परफार्मेंस इंडेक्स (ईपीआई) 2010 पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। ईपीआई ने पर्यावरणीय जन स्वास्थ्य और पारिप्रणाली स्थायित्व, दोनों को शामिल करते हुए 10 नीतिगत श्रेणियों का पता लगाकर 25 निष्पादन संकेतकों के बारे में 163 देशों को कोटिबद्ध किया है। ये संकेतक, यह संकेत देते हुए कि स्थापित पर्यावरणीय नीतिगत लक्ष्यों के मामले में देश एक दूसरे के कितने संपर्क में है, राष्ट्रीय सरकार के पैमाने पर मानदण्ड उपलब्ध कराते हैं। 48.3 के ईपीआई स्कोर सहित भारत की ईपीआई कोटि 123 है। उपर्युक्त तथ्य के बावजूद, भारत की अपेक्षाकृत कम कोटि इसकी विशाल जनसंख्या के कारण प्रतीत होती है, जिससे पर्यावरण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, 2010 के कोटि निर्धारण में निहित नीति संचालकों के विश्लेषण में यह सुझाव दिया गया है कि आय पर्यावरणीय सफलता की मुख्य निर्धारक है।

(ग) भारत में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान पहले ही कर ली गई है। सरकार ने प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की हैं। किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) क्षेत्र-विशिष्ट समस्याओं के निराकरण हेतु विनियम/अधिनियम तैयार करना।

(ii) पर्यावरणीय कानून लागू करने के लिए विनियामक/सवैधानिक निकाय स्थापित करना।

(iii) जल और परिवेशी वायु गुणवत्ता तथा ध्वनि के मूल्यांकन के लिए मॉनीटरिंग नेटवर्क स्थापित करना।

(iv) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत नगरीय अपशिष्ट (सीवेज और ठोस) निस्तारण के लिए कार्य योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं।

(v) औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्वच्छतर उत्पादन प्रक्रियाओं को शामिल करके अवसंरचना तैयार करना, साझा अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं स्थापित करना।

(vi) शहरों में स्त्रोंत संविभाजन अध्ययन शुरू करना (6 शहरों में शुरू किया गया है) और शहरों तथा नगरों में वायु गुणवत्ता की पुनः बहाली करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करना।

वन्यप्राणी अभयारण्य

4019. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटीलः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पंजाब राज्य सरकार द्वारा 'अनूठी मैत्री संवर्धन कार्यक्रम' के तहत किसी देश के साथ वन्यप्राणी अभयारण्यों के संबंध में रखे किसी प्रस्ताव का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्यसंबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन)ः (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है और न ही मंत्रालय ने ऐसे किसी प्रस्ताव का संज्ञान लिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेना का आधुनिकीकरण

4020. श्री धनंजय सिंहः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया समुचित ढंग से चल रही है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण की नीति के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान सेना में शामिल किए गए अस्त्र-शस्त्रों, गोला-बारूद एवं रक्षा-उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महत्वपूर्ण अस्त्र-शस्त्रों, गोला-बारूद और रक्षा-उपकरणों के अर्जन में विलंब हो रहा है जिससे सेना की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) सेना के लिए अस्त्र-शस्त्रों, गोला-बारूद और उपस्करों की अधिप्राप्ति, वार्षिक अधिप्राप्ति योजना के अनुसार विभिन्न स्वदेशी स्त्रोंतों से की जाती है। किसी भी संभावित घटना का मुकाबला करने हेतु सशस्त्र बलों को तैयार स्थिति में रखने के लिए उनका आधुनिकीकरण किया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कभी-कभार विलंब हो जाता है लेकिन इससे सेना की संक्रियात्मक क्षमता प्रभावित नहीं होती है।

एन एच डी पी का चौथा चरण

4021. श्री निनोंग ईरींगः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षो के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के चौथे चरण के अंतर्गत दो-लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के साथ-साथ पूरी की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने में किसी तरह का विलंब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सरकार ने क्या सुधारमूलक कदम उठाए हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) चरण IV के अंतर्गत गत तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के दो-लेन में उन्नयन सहित कोई परियोजना पूरी नहीं की गई।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु विशिष्ट तकनीकें

4022. श्री हुक्मदेव नारायण यादवः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे किः

(क) राजमार्गों की श्रेणियों सहित उनके सड़क-खण्डों का किलोमीटर में राज्य-वार ब्यौरा क्या है और राज्यों की आबादी के अनुपात में प्रति हजार व्यक्तियों पर वहां कितने किलोमीटर सड़क निर्मित है;

(ख) क्या सरकार का बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों से सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव के लिए विशिष्ट तकनीकें अपनाने तथा इस संबंध में आकलित धनराशि का आबंटन बढ़ाने का विचार है;

(ग) ऐसे पुलों सहित जो खस्ता हालत में हैं और जिन्हें दुरूस्त किए जाने/जिनके स्थान पर नए पुल बनाए जाने की आवश्यकता, है, की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) बिहार में दो-लेन, चार-लेन और छह-लेन वाली सड़कों की लंबाई-सड़क नेटवर्क बढ़ाने हेतु लक्षित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस राज्य में अभी तक कितनी सड़क परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं और शेष परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दी जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) यह मंत्रालय प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। अन्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण का दायित्व, संबंधित राज्य सरकारों आदि का होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई और प्रति हजार आबादी पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास/निर्माण और अनुरक्षण सड़क और पुलों के लिए मंत्रालय के विनिर्देशों में विहित प्रावधानों, भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा प्रकाशित संगत प्रक्रिया संहिता और इस मंत्रालय द्वारा जारी एवं समय-समय पर अद्यतन किए गए नियमों/दिशा-निर्देशों/परिपत्रों के अनुरूप किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण का कार्य राष्ट्रीय राजमार्गों की अवस्था, यातायात घनत्व, परस्पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत (एम एंड आर) के लिए इस मंत्रालय को वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक रूप से उपलब्ध कराया जाने वाला आयोजन-भिन्न आबंटन, मंत्रालय के विनिर्धारित मानदंडों के अनुरूप वास्तविक अपेक्षा का लगभग 40% होता है। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए निधि के आबंटन में वृद्धि किए जाने के मुद्दे को समय-समय पर वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है। वित्त मंत्रालय, वर्ष 2011-12 के संशोधित प्राक्कलन चरण पर 300 करोड़ रु. का अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की लेन-लंबाई संवितरण और प्रति हजार व्यक्ति/किमी की दर से राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य-संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल रारा लंबाई किमी में	प्रति हजार व्यक्ति/किमी की दर से रारा की लंबाई
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	300	0.84
2.	आंध्र प्रदेश	4,537	0.06
3.	अरूणाचल प्रदेश	1,992	1.82
4.	असम	2,836	0.11
5.	बिहार	3,642	0.04
6.	चंडीगढ़	24	0.03
7.	छत्तीसगढ़	2,184	0.10
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00
9.	दमन और दीव	0	0.00
10.	दिल्ली	80	0.01
11.	गोवा	269	0.20
12.	गुजरात	3,281	0.06
13.	हरियाणा	1,518	0.07
14.	हिमाचल प्रदेश	1,409	0.23
15.	जम्मू और कश्मीर	1,245	0.12

1	2	3	4
16.	झारखंड	1,805	0.07
17.	कर्नाटक	4,396	0.08
18.	केरल	1,457	0.05
19.	लक्षद्वीप समूह	0	0.00
20.	मध्य प्रदेश	5,027	0.08
21.	महाराष्ट्र	4,191	0.04
22.	मणिपुर	959	0.42
23.	मेघालय	810	035
24.	मिजोरम	927	1.04
25.	नागालैंड	494	0.25
26.	ओडिशा	3,704	0.10
27.	पुदुच्चेरी	53	0.05
28.	पंजाब	1,557	0.06
29.	राजस्थान	6,373	0.11
30.	सिक्किम	62	0.11
31.	तमिलनाडु	4,832	0.08
32.	त्रिपुरा	400	0.13
33.	उत्तराखंड	2,042	0.24
34.	उत्तर प्रदेश	6,788	0.04
35.	पश्चिम बंगाल	2,578	0.03

[अनुवाद]

राष्ट्रीय संस्थानों में रिक्त पदों को भरा जाना

4023. श्रीमती अश्वमेध देवीः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय संस्थानों में काफी सारे पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या देहरादून स्थित नेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर विजुअली हैडिकैप्ड में ब्रेल लाइब्रेरी सहित लाइब्रेरी सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं विस्तार की तत्काल आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) संबंधित राष्ट्रीय संस्थान अपनी उपविधियों तथा भर्ती नियमों में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून ने दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए "आनलॉइन ब्रेल लाइब्रेरी" आरंभ की है।

विवरण

क्र.सं.	राष्ट्रीय संस्थान का नाम	रिक्त पदों की संख्या			
		समूह-क	समूह-ख	समूह-ग	समूह-घ
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकन्दराबाद	8	5	8	7
2.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलाकाता	8	1	1	शून्य

1	2	3	4	5	6
3.	राष्ट्रीय बहु-विकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नै	5	शून्य	शून्य	शून्य
4.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान मुंबई	7	7	3	शून्य
5.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास और प्रशिक्षण संस्थान, कटक	15	8	31	शून्य
6.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून	6	शून्य	शून्य	शून्य
7.	पं. दीन दयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली	1	12	32	शून्य
	कुल	50	33	75	7

[हिन्दी]

अतिसंवेदी रक्षा-उपकरण

4024. श्री प्रेमदासः
श्री सज्जन वर्माः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अतिसंवेदी प्रकार के रक्षा-उपकरणों का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे उपकरणों के देश में ही विनिर्माण के लिए कोई कदम उठाए जा रहे है;

(ग) क्या रक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक रक्षा-उपकरणों/बख्तरबंद उपस्करों/राइफलों आदि के संबंध में अनुसंधान करने हेतु विशेषज्ञों की कोई समिति गठित की गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राइफलों/बख्तरबंद उपस्करों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अमरीका मॉडल की तर्ज पर कोई मिसाइल-कवच प्रणाली भी विकसित की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सशस्त्र बलों की संक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुसार रक्षा उपस्करों का निर्यात किया जा रहा है। सरकार द्वारा रक्षा उपस्करों को देश में ही निर्मित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। अधिप्राप्ति के सभी मामलों में, वैश्विक बाजार से उपस्कर खरीदने से पहले इन्हें स्वदेशी रूप से विकसित करने की संभावना पर ध्यान दिया जाता है। तकनीक का हस्तांतरण भी किया जाता है ताकि उपस्करों का देश में ही निर्माण किया जा सके। देश में ही रक्षा उपस्कारों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए जनवरी, 2011 में रक्षा उत्पादन नीति की घोषणा की गई है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में 'खरीदो एवं बनाओ (भारतीय)' और 'बनाओ' श्रेणियों को भी शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए सामरिक, जटिल एवं सुरक्षा संवेदी प्रणालियों का डिजाइन तथा विकास कर रहा है। इसने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाली काफी प्रणालियों का विकास कर लिया है। इसमें मिसाइलें, मानव-रहित एरियल वाहन, लड़ाकू विमान, प्रणोदक एवं बारुद, डेटानेटर, संचार प्रणालियां इत्यादि शामिल हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित काफी प्रणालियों का उत्पादन शुरु हो चुका है और सशस्त्र सेनाओं में शामिल कर लिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन देश के लिए एक मिसाइल डिफेन्स शील्ड विकसित कर रहा है।

[अनुवाद]

विश्व स्तर पर वस्तुओं की कीमत

4025. श्री पी.आर. नटराजनः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यूरोपीय देशों में संकट गहराने के कारण विश्व में वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका भारत से कृषि उत्पादों और कृषि संबंधी अन्य उत्पादों के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या वस्तुओं के मूल्यों में उक्त उतार-चढ़ाव का देश के विदेशी मुद्रा अर्जन पर नकारात्मक प्रभवव पड़ा है; और

(घ) सरकार ने राजस्व वसूली पर उक्त उतार-चढ़ाव के किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नही। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 को जारी एफएओ खाद्य सूचकांक (एफएफपीआई) के अनुसार माह नवम्बर, 2011 हेतु एफएफपीआई औसतन 215 अंक था। अपने वर्तमान मूल्यानुसार एफएफपीआई नवम्बर, 2010 के अपने स्तर के तुलना में केवल एक प्रतिशत (2 अंक) अधिक है। एफएओं मूल्य सूचकांक खाद्य वस्तु संग्रह की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन का द्योतक होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। देश से हुए निर्यातों में अप्रैल-जुलाई, 2011 अवधि के दौरान वर्ष 2010 की इसी अवधि की तुलना में 57.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि में कृषि एवं संबद्ध उत्पादों में 105.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का व्यापार

4026. डॉ. मुरली मनोहर जोशीः
श्री हरिन पाठकः
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः
श्री बलीराम जाधवः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष कृषि उत्पादों के आयात में बढ़ोत्तरी हुई है और यदि हां, तो राज्य-वार/देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्पादों के आयातों का इनके घरेलू मूल्यों और समग्र कृषि और बागवानी क्षेत्र पर पड़े प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों के व्यापार की नीति की समीक्षा करने का है ताकि इन उत्पादों के आयात को हतोत्साहित किया जा सके;

(घ) क्या विभिन्न राज्य सरकारें एक सतत् खाद्य व्यापार नीति बनाने की मांग करती रही है ताकि प्याज, कपास, गन्ना इत्यादि की खेती करने वाले किसानों के लिए नीति में एक स्पष्टता लाई जा सके और इन उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(च) सरकार ने कृषि उत्पादों के व्यापार में बढ़ोत्तरी करने तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्लास्टिक के थैलों का उपयोग

4027. श्री दत्ता मेघेः
श्री अर्जुन राम मेघवालः
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषरूप से समुद्र तटों पर प्लास्टिक के थैलों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है/लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में सभी प्रकार की प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाने से निर्यात पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में प्लास्टिक के थैलों/सामग्री के विनिर्माण और उपयोग बंद करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) प्लास्टिक बैगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव केन्द सरकार के विचारधीन नहीं है। कुछ राज्य सरकारों ने पूरे राज्य अथवा पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील/पर्यटक स्थलों पर प्लास्टिक कैरी बैगों का प्रयोग प्रतिबंधित/प्रतिषिद्ध किया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 (यथासंशोधित) अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के अंतर्गत, निर्यात के आदेश के संदर्भ में मात्र निर्यात के प्रयोजन हेतु, कैरी बैगों के निर्यात की छूट है। तथापि यह छूट किसी सरप्लस या अस्वीकृत, छोड़े गए और

इस तरह के कैरी बैगों पर लागू नहीं है। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि गुटखा, तबांकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्रीयुक्त सैशे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के सभी रूपों की पैकिंग के लिए किसी पैकेज में किसी भी रूप में प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियां पंजीकरण, निर्माण और पुनर्चक्रण से संबंधित उपबंधों के प्रवर्तन हेतु जिम्मेदार हैं और म्युनिसिपल प्राधिकरण प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, एकत्रण, पृथक्करण, परिवहन और निस्तारण से संबंधित उपबंधों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस मंत्रालय ने इन नियमों के प्रवर्तन की समीक्षा करने और अपेक्षित कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने तथा इस प्रयोजन हेतु मॉनीटरिंग व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को लिखा है।

[अनुवाद]

आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को सहायता

4028. डॉ. विनय कुमार पाण्डेयः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को होस्टल सुविधाओं और विदेशी छात्रवृत्तियों सहित विद्यालय से लेकर उच्चतर शिक्षा तक वजीफे और विदेशी छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) इस समय ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजना

4029. श्री शिवराज भैयाः
श्री देवराज सिंह पटेलः
श्री वीरेन्द्र कुमारः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति हेतु प्रदान की जा रही राशि अनुसूचित जातियों को प्रदान की जा रही राशि की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मैट्रिक-पश्चात् छात्रवृत्ति और छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु उक्त केन्द्रीय निधि में अपने अंशदान में बढ़ोत्तरी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के लिए बजटीय आवंटन, वर्ष 2010-11 के 350 करोड़ रूपए के आंवटन के विरूद्ध 535 करोड़ रूपए है। वर्ष 2011-12 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति तथा अन्य पिछड़ें वर्गों के बालकों एवं बालिकों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु क्रमशः 50 करोड़ रूपए एवं 45 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

वित्त मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को उपलब्ध कराई गई बजटीय सहायता के आधार पर, आयोग मंत्रालयों की स्पर्धात्मक मांगों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय-वार वार्षिक योजना का आंबटन करता है। अतः अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन, वर्ष के दौरान मंत्रालय को आबंटित निधियों के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

ऐसबेस्डास पर प्रतिबंध

4030. श्री ए. सम्पतः क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत कनाडा से सफेद ऐसबेस्टास का आयात करता है जबकि जहरीला होने के आधार पर वहां इस पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) क्रिसोटाइल एस्बेस्टस जिसे सामान्य रूप से सफेद एस्बेस्टस के नाम से जाना जाता है, हेतु वर्तमान आयात नीति, आईटीसी (एचएस) कोड 25249011, 25249021 तथा 25249031 के तहत "मुक्त" है। तदनुसार आयातक, कनाडा सहित अपनी पसंद के किसी भी देश से किसी अनुमति/प्राधिकार के बिना इस मद का आयात कर सकते हैं। इस नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रमिक/औद्योगिक विवाद

4031. श्री चार्ल्स डिएसः
श्री सी. राजेन्द्रनः
श्री अशोक कुमार रावतः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली और मुम्बई सहित केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरणों में लंबित औद्योगिक विवादों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने लंबित विवादों विशेषरुप से हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज (एचएमटी) में श्रमिक संघों से संबंधित लंबित और सिंगरेनी खदानों में कामगारों के लंबित मामलों के निपटान हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित बाईस केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों (सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालयों) में लंबित औद्योगिक विवादों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई

(ख) से (घ) हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज (एचएमटी) के श्रमिक संघों द्वारा तथा सिंगरेनी खदानों के कामगारों द्वारा उठाये गये विवादों पर केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा की गई कार्रवाई संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारी औद्योगिकी विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत हस्तक्षेप करते हैं तथा विवादों को संयुक्त विचार-विमर्श तथा सुलह के माध्यम से सुलझाने के सभी प्रयास करते हैं।

सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालयों में लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों ने औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान हेतु वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में लोक अदालतों के आयोजन की योजना शुरू की थी। 11वीं योजना में इस योजना को न्यायनिर्णयन प्रणाली का अभिन्न भाग दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान को जारी रखना सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा प्रशासनिक अनिवार्यता के कारण नियमित अधिकारी का पद रिक्त होने पर केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय का न्यायिक कार्य बाधित न हो, सुनिश्चित करने हेतु पीठासीन अधिकारियों में से लिंक अधिकारियों की पद्धति 2009-10 में प्रारम्भ की गई है।

विवरण I

22 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय में लम्बित औद्योगिक विवादों की संख्या

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायलय का नाम	लंबित मामले (31.07.2011 की स्थिति के अनुसार)	लंबित आवेदन* (31.07.2011 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4
1.	मुम्बई-I	225	92
2.	मुम्बई-II	420	394
3.	धनबाद-I	1578	341
4.	धनबाद-II	872	35
5.	आसनसौल	631	50
6.	कोलकाता	262	29
7.	चंडीगढ़-I	99	20
8.	नई दिल्ली-I	309	27
9.	कानपुर	596	215

1	2	3	4
10.	जबलपुर	2030	244
11.	चेन्नई	274	13
12.	बैंगलौर	520	84
13.	हैदराबाद	857	590
14.	नागपुर	729	17
15.	भुनवेश्वर	395	350
16.	लखनऊ	452	46
17.	जयपुर	316	64
18.	नई दिल्ली-।।	281	57
19.	गुवाहाटी	37	7
20.	एर्नाकुलम	91	19
21.	अहमदाबाद	2057	1791
22.	चंडीगढ़.II	609	34
	कुल	13640	4519

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संदर्भित

*सीधे कामगारों द्वारा दायर

विवरण II

हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज (एचएमटी) की इकाइयों में औद्योगिक विवादों का ब्यौरा

क्र.सं.	एचएमटी की इकाइयों के नाम	औद्योगिक विवाद	की गई कार्रवाई
1.	एचएमटी, रानीबाग (जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड)	दो	मामला संराधनाधीन है तथा अगली तारीख 27.01.2012 निर्धारित है।
2.	हरियाणा की एचएमटी इकाइयां	संघ द्वारा उठाया गया कोई विवाद सुलह के लिए लंबित नहीं है।	लागू नहीं।
3.	कर्नाटक की एचएमटी इकाइयां (बैंगलौर/तुंकुर)	दो	मामला संयुक्त विचार-विमर्श/सुलह के लिए लंबित है। अगली तारीख 30.12.2011 तथा 04.1.2012 है।
4.	एचएमटी, हैदराबाद	तीन	मामले के निपटान के लिए कार्रवाई पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है।
5.	एचएमटी, कामास्सेरी (कौचीन)	एक	मामला सुलह के लिए लंबित है।

सिंगरेनी खदानों में औद्योगिक विवादों का विवरणः

क्र.सं.	सिंगरेनी खदान	औद्योगिक विवाद	की गई कार्रवाई
1.	हैदराबाद	93	विवादों को निपटाने के संयुक्त विचार -विमर्श/सुलह प्रक्रियाएं जारी हैं।

जैव-विविधता का संरक्षण

4032. प्रो. रंजन प्रसाद यादवः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में समुद्री जैव-विविधता का संरक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) सरकार ने देश में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देश में कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भितियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए योजना स्कीम कार्यान्वित करता है।

(ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना शुरू की है जिसके अंतर्गत गुजरात में समुद्री उद्यान संरक्षण और प्रवाल पुनर्जनन और समुद्री एक्वेरियम के विकास तथा पश्चिम बंगाल में अनुसंधान केन्द्र के लिए निधियां निर्धारित की गई हैं।

(iii) तटीय और समुद्री जैव विविधता में गैप एरियाज की पहचान करने, तटीय और समुद्री जैव विविधता अनुसंधान में शामिल संस्थानों की मौजूदा क्षमता का मूल्यांकन करने और समुद्री जैवविविधता अनुसंधान में शामिल संस्थानों की मौजूदा क्षमता का मूल्यांकन करने और समुद्री जैवविविधता सर्वेक्षण और मॉनीटरिंग क्षमता विकसित करने तथा समुद्री जैवविविधता संरक्षण के लिए रणनीतियों एवं कार्य योजनाओं की सिफारिश सहित समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उपाय करने हेतु "समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्यबल" गठित किया गया है।

(iv) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वर्ष 2011 से 2016 के दौरान तटीय और समुद्री जैव विविधता संरक्षण, संस्थानिक क्षमता विकास और सतत सामुदायिक जीविकोपार्जन और परियोजना भूमि/सी स्केप में प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के लिए ज्ञान प्रबंधन सहित क्षेत्रीय संतुलन (सेक्टोरल मेन स्ट्रीमिंग) के लक्ष्य के साथ पूर्वी गोदावरी नदी मुहाना पारि-प्रणाली, आंध्र प्रदेश और मालवन तट, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में दो बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का कार्यान्वन कर रहा है।

(v) वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत मत्स्य सहित वन्यजीव पर्यावास के संरक्षण और प्रबंधन के लिए देश में समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के लिए राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। पिछले वित्तीय और वर्तमान वित्तीय वर्षों के दौरान आठ समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के लिए 136.86 लाख रू. की धनराशि जारी की गई है।

(vi) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वन्यजीव पर्यावास का एकीकृत विकास के अंतर्गत एक संकटापन्न समुद्री प्रजाति डुगांग के रिकवरी कार्यक्रम के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। डुगांग प्रजातियों की रिकवरी के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 18.61 लाख रू. की निधियां जारी की गई हैं।

[हिन्दी]

ग्लेशियरों का पिघलना

4033. श्री जगदानंद सिंहः क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण गोमुख ग्लेशियर अपने मूल स्थान से दूर खिसक रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गोमुख ग्लेशियर के पिघलने अथवा उसके खिसकने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके परिणपम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कराए गए अध्ययनों के अनुसार, गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना, गोमुख घटता जा रहा है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1935 तक कराए गए अध्ययनों के अनुसार 1935-1996 के बीच गोमुख की समग्र औसत घटाव दर 18.8 मीटर प्रतिवर्ष है। ग्लेशियर का घटाव उसके आकार में परिवर्तनों की प्राकृतिक चक्रीय प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

गांवों में रोजगार सूचना केन्द्र

4034. श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री पोन्नम प्रभाकरः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रत्येक वर्ष शहरी रोजगार पर कोई तिमाही आंकड़े तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये आंकड़े किस आधार पर तैयार किए जाते हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने युवकों के लाभार्थ रोजगार डाटा-बेस तैयार करने के लिए प्रत्येक गांव में रोजगार सूचना केन्द्र स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों से आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों में उक्त केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिले के रोजगार कार्यालय में निजी क्षेत्र का ब्यूरो स्थापित करने का है ताकि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें; और

(च) यदि हां, सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई) कार्यक्रम रोजगार स्तरों में हुए परिवर्तनों पर निगरानी रखने के लिए शहरी क्षेत्रों सहित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में त्रैमासिक आधार पर सूचना उपलब्ध कराता है। ईएमआई कार्यक्रमों के तहत एकत्रित आंकड़ों में अर्थव्यवस्था का केवल संगठित क्षेत्र शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान उनके आकार को ध्यान में रखे बिना एवं 10 या उससे ज्यादा व्यक्तियों को नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र में गैर-कृषि प्रतिष्ठान शामिल हैं जबकि 25 या उससे ज्यादा व्यक्तियों को नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र में गैर-कृषि प्रतिष्ठानों से सूचना नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत एकत्र की जाती है। 10 से 24 व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों से आंकड़े स्वैच्छिक आधार पर एकत्र किए जाते हैं।

(ख) नियोजनालय, जिले के अंदर संगठित क्षेत्र में रोजगार स्थिति इंगित करने हेतु क्षेत्र रोजगार बाजार समीक्षाएं तैयार करते हैं। राज्य रोजगार निदेशक राज्य स्तर पर चालू रोजगार स्थिति दर्शाते हुए राज्य स्तर रोजगार समीक्षाएं भी तैयार करते हैं।

(ग) और (घ) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रत्येक गांव में रोजगार सूचना केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राज्य-सरकारों से अनुरोध नहीं किया है। तथापि, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आम सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है जिनका उपयोग रोजगार चाहने वालों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण हेतु नियोजनालय के लिए पहुंच केन्द्रों के रूप में किया जा सकता है।

(ङ) और (च) नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत नियोजनालय रिक्तियों या प्रतिष्ठानों संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का यह कार्यकलाप पहले से ही कर रहे हैं।

[अनुवाद]

रबड़ उद्योग

4035. श्री जयवंत गंगाराम आवलेः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा सहित देश में रबड़ उद्योग और रबड़ के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में उक्त राज्य रबड़ उत्पादन को किस स्तर तक बढ़ाने में सक्षम रहे हैं;

(ग) उक्त अवधि में राज्य-वार/वर्ष-वार उक्त उतपादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि में राज्य-वार/वर्ष-वार उक्त उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि में रबड़ की खेती के निवल क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित समाज के विभिन्न वर्गों को क्या लाभ प्राप्त हुआ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां। सरकार द्वारा त्रिपुरा सहित देश भर में प्राकृतिक रबड़ उद्योग के संवर्धन के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन निम्नानुसार रहा है:

वर्ष	उत्पादन(टन)
2008-09	8,64,500
2009-10	8,31,400
2010-11	8,61,950

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन(टन)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
केरल	7,83,485	7,45,510	7,70,580
तमिलनाडु	24,355	24,695	25,160
त्रिपुरा	23,280	25,080	25,875
असम	6,395	7,071	8,050
मेघालय	5,760	4,545	5,135
नागालैंड	950	1,000	1,054
मणिपुर	568	630	730
मिजोरम	145	136	189
अरुणाचल प्रदेश	142	138	167
कर्नाटक	18,175	21,331	23,705
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	297	311	312
गोवा	338	351	361
महाराष्ट्र	83	70	72
ओडिशा	165	177	177
पश्चिम बंगाल	326	319	319
आंध्र प्रदेश	36	36	64
कुल	8,64,500	8,31,400	8,61,950

(घ) और (ङ) जी हां। उक्त अवधि के दौरान निवल बगान क्षेत्र में 49580 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। रबड़ रोपित क्षेत्र में वृद्धि होने से प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे देश और रबड़ उद्योग के सभी हितबद्ध पक्षकार लाभान्वित होंगे। रबड़ की कृषि से पौधशालाओं की स्थापना, पौध निविष्टियों के उत्पादन एवं वितरण, अंतर्फसल कृषि मधुमक्खी पालन, रबड़ एवं रबड़ काष्ठ प्रसंस्करण और उसके व्यापार के जरिए बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से त्रिपुरा में कार्यान्वित रबड़ क्षेत्र की विकास स्कीमों के अधिकांश लाभानुभोगी जनजातीय समुदाय के हैं। रबड़ क्षेत्र की विकास स्कीमों में राज्य सरकारों के सहयोग से रबड़ कृषि के जरिए जनजातीय स्थापना हेतु कार्यान्वित एक घटक शामिल है। त्रिपुरा जैसे राज्यों में रबड़ रोपण से क्षेत्र की पारिस्थितिकी की बहाली तथा झूम खेती के कारण पहले ही क्षरित हो चुकी मृदा का और क्षरण रोकने में सहायता मिलेगी।

वानिकी और वन्य-जीव संरक्षण हेतु निधियां

4036. श्री पी.के. बिजू:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री जगदीश सिंह राणा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में वानिकी और वन्य-जीव संरक्षण हेतु नियत निधियों का अधोपयोग हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त धनराशि कब से अप्रयुक्त पड़ी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में विभिन्न वर्गों से वृक्षारोपण और पर्यावरण सरंक्षण हेतु अधिक निधियां स्वीकृत करने की मांग होती रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण हेतु नियत अप्रयुक्त निधियों को उपयोग में लाने के लिए क्या उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) वानिकी प्रबंधन स्कीम का तीव्रीकरण वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के अंतर्गत वानिकी और वन्यजीव संरक्षण के लिए निधियां उपलब्ध कराता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र और प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही इन स्कीमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निधियां जारी की जाती है।

(ग) और (घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने इन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव दिए हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान जारी की गई निधियों का विवरण ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) उपयोगिता प्रमाण पत्र और प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित राज्य वन विभागों के साथ समीक्षा बैठकों में निधियों के व्यय की मानीटरिंग की जाती है।

विवरण

2011-12 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत 30.11.2011 तक की स्थिति के अनुसार जारी की गई निधियों का विवरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कीम				
		वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास	बाघ परियोजना	हाथी परियोजना	वानिकी प्रबंधन स्कीम का तीव्रीकरण	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	107.86	00	00	30.36	00
2.	आंध्र प्रदेश	00	00	00	0.00	760.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	00	236.7857	55.00	68.33	00
4.	असम	00	947.5788	200.00	246.64	00
5.	बिहार	00	172.193	00	0.00	263.00
7.	छत्तीसगढ़	190.64	702.726	00	430.41	906.00
8.	चंडीगढ़	19.98	00	00	34.46	00
9.	दादरा और नगर हवेली	00	00	00	0.00	00
10.	गोवा	00	00	00	0.00	00.00
11.	गुजरात	00	00	00	183.49	842.00
12.	हरियाणा	23.50	00	00	56	612.00
13.	हिमाचल प्रदेश	195.35	00	00	246.49	350.00
14.	जम्मू और कश्मीर	355.465	00	00	0.00	00
15.	झारखंड	46.7475	156.3465	70.00	270.98	00
16.	कर्नाटक	212.87	885.7126	165.46	271.76	340.00
17.	केरल	223.18	345.08	190.00	136.03	195.00
18.	मध्य प्रदेश	382.47	1484.7212	00	521.87	218.00
19.	महाराष्ट्र	281.281	719.0165	16.00	373.51	778.00
20.	मणिपुर	00	00	00	328.58	492.00
21.	मेघालय	00	00	00	161.26	00
22.	मिजोरम	83.80	225.288	00	100.80	657.00
23.	नागालैंड	00	00	00	0.00	416.00
24.	ओडिशा	191.132	555.0761	170.00	133.03	315.00
25.	पंजाब	00	00	00	0.00	00
26.	राजस्थान	186.782	00	00	161.15	439.00
27.	सिक्किम	131.793	00	00	230.89	425.00
28.	तमिलनाडु	150.71	545.266	170.00	245.48	308.00
29.	त्रिपुरा	00	00	6.00	34.65	668.00

1	2	3	4	5	6	7
30.	उत्तर प्रदेश	162.271	337.4975	20.00	140	811.00
31.	उत्तराखण्ड	201.144	319.389	86.34	229.95	00
32.	पश्चिम बंगाल	112.15	155.66	80.00	50.86	258.00
33.	दिल्ली	00	00	00	0.00	00
34.	दमन और दीव	00	00	00	0.00	00
	कुल	3259.1255	7788.3369	1228.80	4686.98	10053.00

लड़ाकू हवाई जहाजों का उन्नयन

4037. श्री ए.टी. नाना पाटीलः
श्री रमेश बैसः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वायु सेना के मिराज, जगुआर, सुखोई इत्यादि सहित अन्य लड़ाकू जहाजों का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो आमंत्रित की गई निविदाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्नयन संबंधी परियोजना किन कंपनियों को सौंपी जा सकती है;

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) उक्त परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान के उन्नयन हेतु मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ-साथ मैसर्स थैल्स, फ्रांस के साथ, जगुआर विमान के उन्नयन के लिए मैसर्स एचएएल के साथ तथा मिग-29 विमान के उन्नयन के लिए मैसर्स आरएसी-मिग रूस के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये संविदाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं।

(घ) और (ङ) मिराज 2000 के उन्नयन के लिए मैसर्स थैल्स, फ्रांस के साथ संविदा की लागत 1470 मिलियन यूरो है जबकि एचएएल के साथ संविदा की लागत 2020 करोड़ रुपए है। इन विमानों का उन्नयन वर्ष 2021 के मध्य तक पूरा होने की आशा है। मिग-29 विमान के उन्नयन की लागत 964 मिलियन अमरीकी डॉलर है और इसका उन्नयन 2016 तक पूरा होने की आशा है। जगुआर विमान के उन्नयन की लागत 3113.02 करोड़ रुपए है और इस विमान का उन्नयन दिसम्बर, 2017 तक पूरा होने की आशा है।

खान सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन

4038. श्री यशवंत लागुरीः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में खान सुरक्षा मापदंडों का बड़े स्तर पर उल्लंघन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी.जी.एम.एस.) ने विगत दो वर्षों में खान सुरक्षा मापदंडों के उल्लंघन के बारे में राज्य-वार कितने नोटिस/पत्र जारी किए;

(ग) क्या डी.जी.एम.एस. द्वारा नोटिसों/पत्रों के जारी करने में अनुचित तरीके अपनाने के बारे में सरकार को कुछ रिपोर्टें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा खान सुरक्षा संबंधी मानदंडों के उल्लंघनों के बारे में राज्य-वार जारी किए गए नोटिसों/पत्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा ऐसे नोटिसों/पत्रों को जारी करने में कोई अनुचित

तरीका नहीं अपनाया गया है। तथापि, यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच-पड़ताल की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण

खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा खान सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघनों के बारे में वर्ष-वार/राज्य-वार जारी किए गए नोटिसों/पत्रों की संख्या

राज्य का नाम	2010	2011 नवम्बर तक
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	3
आंध्र प्रदेश	1195	811
असम	40	27
बिहार	44	30
छत्तीसगढ़	378	257
गोवा	307	208
गुजरात	446	303
हरियाणा	175	119
हिमाचल प्रदेश	131	89
जम्मू और कश्मीर	20	14
झारखंड	1457	989
कर्नाटक	733	497
केरल	84	57
मध्य प्रदेश	617	419
महाराष्ट्र	478	324
मेघालय	32	22
ओडिशा	880	597
राजस्थान	912	619
तमिलनाडु	645	438
उत्तर प्रदेश	52	35
उत्तराखण्ड	143	97
पश्चिम बंगाल	526	357

[अनुवाद]

सी.आर.जेड. अधिसूचना, 1991 के उपबंधों का उल्लंघन

4039. श्रीमती भावना पाटील गवली: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मै. आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (ए.सी.एच.एस) को मुंबई में तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.जेड.) अधिसूचना, 1991 के उपबंधों के उल्लंघन के बारे में कारण बताओं नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सोसाइटी के भवन को गिराने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) दिनांक 12.11.2010 को मै. आदर्श को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोलाबा, मुबई को तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के उपबंधों के उल्लंघन के बारे में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

(ग) से (घ) मै. आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (एसीएचएस), कोलाबा, मुंबई द्वारा निर्माण संबंधी तथ्यों, राज्य सरकार की रिपोर्ट 11.11.2010 को राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिए गए निर्णयों और मै. एसीएचएस द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और टिप्पणियों को ध्यान में रखने के बाद 14.01.2011 को निदेश देते हुए जारी किया गया था कि वह अपने अधिकार में ब्लॉक 6, ब्लेक बे रेक्लेमेशन एरिया, प्रकाश पेठे मार्ग, कोलाबा में निर्मित अप्राधिकृत ढांचे को हटाएं और इस क्षेत्र को इसकी मूल स्थिति में लाएं।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) भागों के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय समुद्री एजेंडा

4040. श्री एंटो एंटोनीः
श्री खगेन दासः

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय समुद्री एजेंडा (एन.एम.ए.) 2010-20 के लक्ष्य, उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उक्त अवधि हेतु इस बारे में नियत/निवेश की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) एन.एम.ए. तटीय नौवहन निर्विरोध बहु-विध परिवहन, जलयानों कार्गो हैंडलिंग/उनके आवागमन और कार्गो व्यापार के मामले में क्षमता में वृद्धि संबंधी समस्याओं को किस स्तर तक दूर कर पाएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्कीम के तहत देश में कतिपय केन्द्र पत्तन विकसित करने का है और यदि हां, तो इस परियोजनार्थ चुने गए पत्तनों/स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एन.एम.ए. के तहत सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के रूप में निजी पूंजी आमंत्रित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय समुदीय एजेंडा (एनएमए) 2010-20, वर्ष, 2010-20 के दशक के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की एक भावी योजना है और यह पत्तन और नौवहन क्षेत्र के व्यापक विकास हेतु एक परिदृश्य देगा तथा रोड मैप तैयार करेगा। यह संपूर्ण एजेंडा, पोत परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट www- shipping-nic-in पर उपलब्ध है।

(ख) इस एजेंडा में तटीय पोत परिवहन विशेष रूप से नदी-समुद्र जलयानों को बढ़ावा देने, सुरक्षा के बारे में समझौता किए बिना नियुक्तियां करने, वित्तीय प्रोत्साहन देने, अवसंरचनात्मक सुविधाएं देने, रेल और सड़क से कार्गो में मॉडल शिफ्ट, विधिक मुद्दे, विभिन्न राज्यों में अंतर्देशीय जलयानों की सीमाओं की घोषणा, डाटा बेस तथा संचार अवसंरचना, अनुतट यात्रा नीति सहायता, सीमा शुल्क प्रक्रिया एवं कार्गो के तत्पर संचालन के विकास के लिए क्रियाविधियां एवं तटीय नौवहन में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में निधियां तैयार किया जाना शामिल है।

(ग) राष्ट्रीय समुदीय एजेंडा के अनुसार, भारत सरकार की 13,500+ टीईयू (बीस फीट समान इकाईयां) कंटेनर पोतों का संभालने के लिए कम से कम 4 हब पत्तनों, पूर्वी तट अर्थात चेन्नई पत्तन और विशाखापट्टनम पत्तन और पश्चिम तट अर्थात जवाहर लाल नेहरू पत्तन और कोचीन पत्तन में एक-एक पत्तन आरंभ किए जाने की योजना है।

(घ) और (ङ) एमएमए के अंतर्गत 2010-20 के दौरान पीपीपी के अंतर्गत निजी निवेश परिकल्पित किया गया है। एनएमए की उक्त अवधि के दौरान पहापत्तनों के लिए परिकल्पित कुल 1,09,449.41 करोड़ रू. की धनराधि के निवेश में से, 72,878.16 करोड़ रु. घाटों के निर्माण, उपकरणों की खरीद, सड़क-रेल संपर्क तथा अन्य संबंद्ध परियोजनाओं जैसी पत्तन विकास गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र से ली जानी है।

जलपोतों के माध्यम से माल परिवहन में गिरावट

4041. श्री नृपेन्द्र नाथ रायः
श्री नरहरि महतोः

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आयात, निर्यात में बढ़ोतरी के बावजूद माल परिवहन में पोत परिवहन उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय नौवहन निगम (एस.सी.आई.) के स्वामित्व में कुल कितने कार्गो और यात्री पोत हैं और उन पोतों के नाम/उनकी स्थिति, कार्गो/यात्री पोत, अलग-अलग क्या हैं;

(घ) उक्त पोत पत्तन-वार किन गंतव्यों से प्रचलित किए जाते हैं;

(ङ) क्या एस.एसी.आई. के अधिकांश वर्तमान पोत वर्ष 2021 तक चरणबद्ध रूप से प्रचालन से हटा दिए जाएंगे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा पेश में पोत परिहवन उद्योग की दशा सुधारने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी. के. वासन): (क) और (ख) समुद्र मार्ग से जाने वाले देश के विदेशी व्यापार के वहन में भारतीय

पोतों का हिस्सा वर्ष 1987-88 से 40.7% से घटकर वर्ष 2009-10 में अनुमानतः 8.3% रह गया है। इस कमी का कारण मुख्य रूप से भारत के समग्र व्यापार में वृद्धि के मुकाबले भारतीय बेड़े की वृद्धि की धीमी गति माना जा सकता।

(ग) इस समय, एस सी आई के पास कुल 78 जलयानों का बेड़ा है। पोतों के नाम और उनकी मौजूदा स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया

(घ) विभिन्न कंटेनर सेवाओं के गंतव्य/गम्य पत्तनों का संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) एस सी आई के बेड़े की औसत आयु 13 वर्ष है। वर्ष 2021 तक, एस सी आई के मौजूदा 78 जलयानों में से 50% अपनी आर्थिक आयु पार कर चुके होंगे और इसलिए इन जलयानों को चरणबद्ध रूप से काम से हटा दिया जाना होगा।

(छ) सरकार ने वर्ष 2004 में नौवहन क्षेत्र में टनभार कर पद्धति लागू की थी। भारतीय नौवहन उद्योग को पहले मना किए जाने के अधिकार के माध्यम से कार्गो समर्थन उपलब्ध करवाया जा रहा है और सरकार के स्वामित्व वाले/सरकार के नियंत्रण वाले कार्गो के लिए एफ ओ बी (फ्री ऑन बोर्ड) आयात की नीति का अनुपालन किया जा रहा है। इसके अलावा, कार्गो के संचलन के लिए निजी उपयोग के लिए जलयानों की चार्टरिंग भारतीय पताका वाले जलयानों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नौवहन महानिदेशालय द्वारा नियंत्रित की जाती है। इन उपायों को भारतीय नौवहन उद्योग के समर्थन में जारी रखे जाने की संभावना है।

विवरण I

क्र.सं.	जलयान का नाम और जलयान का प्रकार
1	2
	सामान्य कार्गो (ब्रेक बल्क) जलयान
1.	लोक प्रेम
2.	लोक प्रताप
	कंटेनर जलयान
3.	लाल बहादुर शास्त्री
4.	इंदिरा गांधी
5.	राजीव गांधी
6.	एस सी आई चेन्नई
7.	एस सी आई मुंबई
	ड्राई बल्क कैरियर्स
8.	देव प्रयाग
9.	ऋषिकेश
10.	पाटलिपुत्र
11.	मुर्शिदाबाद
12.	दक्षिणेश्वर
13.	गंगा सागर
14.	महाराष्ट्र
15.	गोवा
16.	तमिलनाडु
17.	विश्व विजेता
18.	विश्व मल्हार
19.	विश्व निधि
20.	विश्व प्रेरणा
	टैंकर्स (वी एल सी सी)
21.	देश उजाला
22.	देश वैभव
23.	देश विराट
24.	देश विशाल
	टैंकर्स (क्रूड तेल वाहक)
25.	महर्षि कर्वे
26.	सी.वी. रमन
27.	मोतीलाला नेहरू
28.	जवाहरलाल नेहरू
29.	अंकलेश्वर

1	2
30.	गंधार
31.	महाराजा अग्रसेन
32.	गुरू गोबिंद सिंह
33.	अबुल कलाम आजाद
34.	महर्षि परशूराम
35.	देश भक्त
36.	देश प्रेम
37.	देश रक्षक
38.	देश गौरव
39.	देश भक्ति
40.	देश शांति
41.	देश महिमा
42.	देश गरिमा
43.	देश सुरक्षा
44.	देश सम्मान
	टैंकर (उत्पाद कैरियर्स)
45.	रबिन्द्रनाथ टैगोर
46.	बंकिम चन्द्र चटर्जी
47.	सुवर्ण स्वराज्य
48.	संपूर्ण स्वराज्य
49.	स्वर्ण कलश
50.	स्वर्ण पुष्प
51.	स्वर्ण माला
52.	स्वर्ण सिंधु
53.	स्वर्ण गंगा
54.	स्वर्ण ब्रह्मपुत्र
55.	स्वर्ण गोदावरी

1	2
56.	स्वर्ण जयन्ति
57.	स्वर्ण कृष्ण
58.	स्वर्ण कावेरी
59.	स्वर्ण कमल
	फॉस्फोरिक एसिड/रसायन कैरियर्स
60.	सबरीमाला
61.	पलनिमलई
	एल पी जी/अमोनिया कैरियर्स
62.	नंगा पर्बत
63.	अन्नपूर्णा
	यात्री-सह-कोर्गो कैरियर्स (तटीय)
64.	रामानुजम
65.	हर्षवर्धन
	अपतटीय आपूर्ति जलयान
66.	फिरोज गांधी
67.	सी.पी. श्रीवास्तव
68.	एस सी आई-01
69.	एस सी आई-02
70.	एस सी आई-03
71.	एस सी आई-04
72.	एस सी आई-05
73.	एस सी आई-06
74.	कैप्टन एफ.एम जुवाले
75.	डॉ. नगेन्द्र सिंह
76.	एस सी आई पन्ना
77.	एस सी आई रत्न
78.	एस सी आई पवन

विवरण II

भा. नौ. नि. के पोतों के विभिन्न कंटेनर सेवाओं के गंतव्य/गंतव्य पत्तन

इंडिया/फार ईस्ट सेन्यूलर सर्विस (इंडफैक्स 1): प्रमुख गंतव्य पत्तन हैं एन एस आई सी टी (न्हावा शेवा अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल)/कोलंबो/सिंगापोर/बोसान/शंघाई/निंगबों/हांग कांग/सिंगापोर/पोर्ट केलांग/कोलंबो/एन एस आई सी टी

इंडिया/फार ईस्ट सेल्यूलर सर्विस-2 (इंडफैक्स 2): प्रमुख गंतव्य पत्तन हैं चेन्नई/विजाग/सिंगापोर/हांग कांग/बोसान/शंघाई/हांग कांग/शेकोऊ/सिंगापोर और चेन्नई

इंडियन सबकांटिनैंट यूरोप सर्विस (आई एस ई एस): गंतव्य पत्तनः कोलंबो/जे एन पी/मुंद्रा/सल्लाह/फीलिक्सटोव/हैमबर्ग/अंतरीप/जेड्डाह/कोलंबो

इंडियन सबकांटिनैंट मैडिटरेनियन (आई एम ई डी) सर्विसः मुख्य गंतव्य पत्तन हैं कोलंबो/न्हावा शेवा/मुंद्रा/सल्लाह/पोट सेड/इस्तानबुल/बार्सिलोना /जिनोवा/ला स्पेजिआ/पोर्ट सेड/ सल्लाह/कोलंबो

एस सी आई मिडिल ईस्ट इंडिया लाइनर एक्सप्रैस (स्माइल) सर्विसः मुख्य गंतव्य पत्तन हैं कोलबों/मुंद्रा/जेबेल अली/मुंद्रा/पीपीवाव/कोचीन/तूतीकोरिन/कोलंबो

भारतीय उपमहाद्वीप/पूर्वी अफ्रिका सर्विस (आई एस ई ए एफ आर सर्विस): मुख्य गंतव्य पत्तन हैं: सल्लाह/दर-ए-सलाम/मुंबासा/कोलबो जिसमें कार्गो न्हावा शेवा और मुंद्रा से आई एस ई एस (इंडियनन उमहाद्वीप यूरोप सर्विस) सर्विस से सल्लाह पर यानांतरित किया जाता है।

यू के प्रायद्वीप क्षेत्र में, दोनों ब्रेक बल्क और अनन्य कंटेनर सेवाएं अलग अलग उपलब्ध करवाई जाती हैं। एस सी आई संयुक्त राज्य अमेरिका और सुदूर पूर्व सहित पूरे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से स्पेस चार्टर आधार पर ब्रेक बल्क कार्गो के वहल के लिए भी व्यवस्था करती है।

एस सी आई के अपतटीय जलयान ओ एन जी सी (तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग) के साथ इन-चार्टर पर हैं और उनका उपयोग भारतीय जलसीमा क्षेत्र में ही अपतटीय प्रचालन के लिए क्या जाता है।

वैज्ञानिकों का सेवा विस्तार

4042. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिकः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ) के अनेक वैज्ञानिकों को उनकी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने की तारीख के बाद सेवा विस्तार की स्वीकृति दी गई है जैसाकि अभी हाल ही में पता चला है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार ने डी. आर.डी.ओ. में दूसरी पंक्ति के युवा वैज्ञानिकों को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में केवल कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों को अधिवर्षिता की आयु होने के बाद सेवा विस्तार दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों में सेवा विस्तार दिए गए वैज्ञानिकों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

वर्ष	सेवा विस्तार दिए गए वैज्ञानिकों की संख्या
2009	15
2010	28
2011	23

(ग) डीआरडीओ की लचीली पूरक पद्धति यह सुनिश्चित करती है कि सभी सक्षम युवा वैज्ञानिकों को नेतृत्व के उच्चतम पद के लिए तैयार किया जाए तथा उन्हें बढ़ावा दिया जाए। वरिष्ठ वैज्ञानिकों के सेवा विस्तार से इस संवर्धन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

सिर पर मैला ढोने संबंधी समिति

4043. श्री आनंदराव अडसुलः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में सिर पर मैला ढोने वालों की वास्तविक संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सिर पर मैला ढाने को पूर्णतया बंद करने हेतु उपायों का सुझाव देने हेतु कोई संयुक्त समिति गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/अभिकरणों द्वारा सिर पर मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वास और सिर पर मैला ढोने की प्रथा की रोकथाम के उद्देश्य वाले किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों को प्रकार्यात्मक रूप से एक बनाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने पत्र हेतु सफाई कर्मचारी और शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए अगस्त 2008 में एक केन्द्रीय अनुश्रवण समिति गठित की गई है। समिति की पिछली बैठक 19.7.2011 को आयोजित की गई।

[हिन्दी]

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

4044. श्री अर्जुन रायः
श्री अनंत कुमार हेगड़ेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अनुमोदन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों के कतिपय खंडों के अनिवार्य अनुपालन को प्रवृत्त करेगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त मामले में हाल की घोषणा में किन संबंधित कानूनों और मानदंडों की उपेक्षा की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) सरकार ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं पर विचार करने के पश्चात विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में सरकारी मार्ग के अंतर्गत 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देने के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। तथापि, इस निर्णय को विभिन्न अंशधारकों के बीच व्यापक सहमति बनाने के उद्देश्य से स्थगित किया गया है।

[अनुवाद]

ग्रीन क्रेडिट स्कीम

4045. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः
श्रीमती दर्शना जरदोशः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यूरोपीय संघ ने विमानों में प्रदूषण को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले कार्बन क्रेडिट के मुद्दे पर भेदभाव पूर्ण नीति अपनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्बन क्रेडिट के मुद्दे पर भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा अब तक भारत की स्थिति के बारे में यूरोपीय संघ को समझाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और इसके सार्थक परिणाम क्या रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) यूरोपीय संघ (ईयू) ने वर्ष 2012 से अपने उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (एमीशन ट्रेडिंग सिस्टम) में विमानन क्षेत्रों से होने वाले उत्सर्जनों को शामिल करने का निर्णय लिया है। स्कीम के तहत यूरोपीय संघ क्षेत्र में प्रवेश करने वाली सभी गैर-यूरोपीय संघ उड़ानों को जीएचजी उत्सर्जन के अपने हिस्से के आधार पर उत्सर्जन भत्तों का क्रय करना अपेक्षित होगा। कुछ हवाई कंपनियों को छूट प्रदान की जाएगी यदि उनकी उड़ानों का आवागमन निर्धारित संख्या से कम है अथवा संबंधित देश अपनी सीमा-क्षेत्र के भीतर इस क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने के लिए समान उपाय कार्यान्वित करता है।

(ग) से (च) भारत इन कदमों को एकपक्षीय उपाय और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यढांचा कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के उपबंधों और शिकागो कन्वेंशन के उल्लंघन के रूप में मानता है। यह उपाय कुछ यूरोपीय संघ देशों के साथ भारत द्वारा किए गए द्विपक्षीय वायु सेवा करारों के अभिप्राय के विरूद्ध भी हैं। भारत सरकार ने बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों स्तरों पर इस एकपक्षीय उपाय पर यूरोपीय संघ के प्रति चिंता व्यक्त की है। भारत, अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आईसीएओ) के समान सोच रखने वाले गैर-यूरोपीय संघ सदस्य देशों के सहयोग से एक संयुक्त घोषणा जारी करने का नेतृत्व कर रहा है जो कि यूरोपीय संघ निर्णय के विपरीत है। यह संयुक्त घोषणा आईसीएओ का विचारार्थ प्रस्तुत की गई थी। आईसीएओ ने थोड़े-बहुत संशोधनों सहित इस घोषणा को अंगीकार किया है।

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन अधिनियम का उल्लंघन

4046. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकरः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कई शहरों और महानगरों में पर्यावरण और वन स्वीकृति मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है; और

(ग) देश में पर्यावरण और वन कानूनों के कड़े अनुपालन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) देश के शहरों और महानगरों मे विकासात्मक परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय एवं वन पूर्व-स्वीकृति पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अनुसार प्रारंभ की गई है। ये अधिसूचनाएं परियोजनाओं के आकलन तथा स्वीकृति देने संबंधी विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करती हैं। ये अधिसूचनाएं सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों पर समान रूप से लागू हैं। उल्लंघन संबंधी मामले वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के उपबंधों के अनुसार निपटाये जाते हैं और इस संबंध में मंत्रालय द्वारा नवम्बर, 2010 में एक परिपत्र भी जारी किया गया है।

(ग) देश में पर्यावरणीय और वन कानूनों के कड़े अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों) के माध्यम से परियोजनाओं का निरीक्षण और मॉनीटरिंग, अनुपालन स्थिति रिपोर्ट को पोस्ट करने के लिए समर्पित वेबसाईट सहित ईसी में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन पर परियोजना प्रस्तावकों द्वारा छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है।

मध्य एशिया के साथ व्यापार

4047. श्री गोरख प्रसाद जायसवालः
श्री उदयन राजे भोंसलेः
श्री नित्यानंद प्रधानः
श्री वैजयंत पांडाः
डॉ. संजय सिंहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मध्य एशियाई देशों, म्यांमार और चेक गणराज्य के साथ भारत के व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन देशों के साथ व्यापार अपनी पूर्ण क्षमता के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया है तथा यह अन्य देशों की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन देशों के साथ व्यापार के लिए चिन्हित संभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए/क्यां कार्य-योजना तैयार की गई तथा इसका परिणाम क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य एशियाई देशों (अर्थात कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान), म्यांमार तथा चेक गणराज्य के साथ भारत का व्यापार निम्नानुसार रहा है

(आंकड़े मिलियन अमरीकी डॉलर में)

देश का नाम	2008-09			2009-10			2010-11		
	निर्यात	आयात	कुल	निर्यात	आयात	कुल	निर्यात	आयात	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कजाकिस्तान	131.68	159.03	290.71	136.54	154.91	291.45	167.88	138.42	306.30
किर्गिस्तान	22.92	1.03	23.95	26.84	0.64	27.48	22.36	1.20	23.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ताजिकिस्तान	16.71	17.47	34.18	15.71	16.85	32.56	17.77	23.02	40.79
तुर्कमेनिस्तान	41.40	12.10	53.50	36.15	10.00	46.15	26.14	9.73	35.87
उज्बेकिस्तान	45.53	70.74	116.27	54.03	29.97	84.00	59.47	20.63	80.10
म्यांमार	221.64	928.97	1150.60	209.97	1289.80	1497.77	334.42	1017.67	1352.09
चेक गणराज्य	183.30	491.87	675.17	177.76	562.45	740.21	208.42	676.78	885.20

(स्रोतः डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता)

(ख) और (ग) जी, हां। ब्यौरा उपर्युक्त (क) में दिया गया है तथा भारत के व्यापार के ऐसे स्तर का कारण हर देश के लिए अलग-अलग होता है और यह देश के भौगोलिक राजनैतिक, आर्थिक स्थितियों तथा टैरिफ/गैर-टैरिफ अवरोधों पर निर्भर करता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार ने इस देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए अंतर सरकारी आयोग/संयुक्त आयोग, संयुक्त कार्य दल तथा संयुक्त व्यापार समिति जैसे विभिन्न द्विपक्षीय तंत्रों का गठन किया है।

यूएसए के साथ सहयोग

4048. श्री बलीराम जाधवः
श्री कुलदीप बिश्नोईः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महंगे तथा उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उत्पादों के विनिर्माण और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा यूएसए की सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत-इजरायल कार्य-योजना ने तहत भारत में कतिपय परियोजनाओं की स्थापना के लिए इजरायल से प्रौद्योगिकीय सहायता मांगी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में इजरायल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत और अमरीका ने विनिर्माण तथा शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए अनेक द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं

- इंडिया-यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त कार्य दल
- उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह
- इंडिया-यूएस सीईओ फोरम
- इंडिया-यूएस शिक्षा वार्ता

इस समूहों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों को सुझाव दिए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) मई, 2006 में कृषि मंत्री की इजराइल यात्रा के दौरान इंडो-इजराइल कृषि कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा जनवरी, 2008 में एक कार्य योजना (2008-2010) पर सहमति हुई थी। 2008-2010 कार्य योजना हरियाणा तथा महाराष्ट्र राज्यों में कार्यान्वित की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) तथा इजराइल से तकनीकी इनपुटस के तहत निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए निधियां स्वीकृत की गई थी।

हरियाणाः हरियाणा राज्य में इंडो-इजराइल कार्य योजना (2008-2010) के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं के कार्यान्वयन

के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत 15.70 करोड़ रुपए की एक राशि स्वीकृत की गई थी:

सिरसा में फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र	9.70 करोड़ रुपए
करनाल में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र	6.00 करोड़ रुपए

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र राज्य में इंडो-इजराइल कार्य योजना (2008-2010) के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत 15.48 करोड़ रुपए की एक राशि स्वीकृत की गई थी:

रत्नागिरी में आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र	6.36 करोड़ रुपए
अकोला में निंबू प्रजाति के फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र	4.54 करोड़ रुपए
रहुड़ी में अनार के लिए उत्कृष्टता केंद्र	4.58 करोड़ रुपए

जनवरी, 2008 से दिसंबर, 2010 तक कार्य योजना के कार्यान्वयन के दौरान अच्छी प्रगति हुई थी। हरियाणा तथा महाराष्ट्र राज्यों में इजराइली विशेषज्ञों की यात्रा के माध्यम से बागवानी यंत्रीकरण, संरक्षित खेती, पुष्पोद्यान तथा शामियाना प्रबंधन, नर्सरी प्रबंधन, सूक्ष्म-सिंचाई तथा पीएचएम के क्षेत्र में अनेक प्रौद्योगिकीयां प्राप्त हुई थीं। इस चरण के दौरान इजराइल से फलों की विशिष्ट रोपण सामग्री/किस्में तथा मशीनरी भी आयातित की गई थी। इजराइल के विशेषज्ञों ने कार्यान्वयन के प्रथम चरण के दौरान उपर्युक्त उल्लिखित क्षेत्रों पर इन राज्यों के अधिकारियों तथा किसानों को प्रशिक्षित किया। इस अवधि के दौरान इजराइल में राज्यों से अनेक अधिकारों (57 संख्या) प्रशिक्षित हुए थे।

(ङ) इजराइल सरकार ने इंडो-इजराइल कृषि कार्य योजना के कार्यान्वयन में इस अवधि के दौरान पूरा सहयोग दिया तथा अगले तीन वर्षों तक दोनों देशों के बीच कृषि में द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र को और मजबूत करने तथा बढ़ाने के लिए कार्य योजना के दूसरे चरण के लिए भी सहमति हुई।

[अनुवाद]

वृक्षारोपण

4049. श्री मोहम्मद असरारुल हक: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की बिहार के सूखा-प्रवण क्षेत्रों में वृक्षारोपण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी निधि निर्धारित की गयी है और उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितनी निधि का उपयोग किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बिहार सहित पूरे देश में लोगों की भागीदारी के माध्यम से अवक्रमित वनों और उसके आस-पास के क्षेत्रों के पुनरूद्धार हेतु राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) कार्यान्वित कर रहा है। अब यह स्कीम राज्य स्तर पर राज्य वन विकास अभिकरणों, वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरणों और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के विकेंद्रीकृत कार्य-तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) गत तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11 और चालू वर्ष) के दौरान एनएपी स्कीम के तहत बिहार राज्य को स्वीकृत तथा उपयोजित निधियों के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

बिहार राज्य को जारी की गई निधियों के ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत की गई निधियां	उपयोजित निधियां
1.	2008-09	8.10	7.53
2	2009-10	9.59	5.79
3.	2010-11	6.21	6.14
4.	2011-12	7.22	-
	कुल	31.12	19.46

पुनर्संरचित राजमार्ग परियोजनाएं

4050. श्री गजानन ध.बाबर:
श्री समीर भुजवल:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने पुनर्संरचित राजमार्ग परियोजनाओं को त्वरित स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं को पीपीपी मूल्यांकन समिति की अनुमति की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एनएचएआई का पुनर्गठन इसकी घोषणा के चार वर्षों के बाद भी नहीं हो पाया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं को प्राधिकरण के अनुमोदन से पहले सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति/स्थायी वित्त समिति द्वारा पारित किया जाता है।

(ङ) और (च) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उच्च गुणवत्ता वाले वित्तीय प्रबंधन और संविदा प्रबंधन विशेषज्ञता वाला एक बहुविषयक पेशेवर निकाय बनाने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पुनर्गठन के प्रस्ताव को वर्ष 2007 में अनुमोदित किया गया था।

इसके अधिकतर निर्णय कार्यान्वित कर दिए गए हैं और शेष कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पुनर्संरचना पर एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि नोट नीचे दिया गया है:-

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के भावी दृष्टि विवरण में परिवर्तन-**कार्यान्वित किया गया।**
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकलापों को आउटसोर्स करने के बिजनेस मॉडल को तत्वतः बनाए रखा जाए - **कार्यान्वित किया गया।**
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में संशोधन-**कार्यान्वयनाधीन।**
- पूर्णकालिक सदस्यों (5 से 6 करना) और अंशकालिक सदस्यों (4 से 6 करना) की संख्या वृद्धि - **कार्यान्वयनाधीन।**
- मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली सर्च कमिटी द्वारा अध्यक्ष का चयन और अध्यक्ष के कार्यकाल को तीन वर्ष जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, निश्चित करना - **कार्यान्वित किया गया।**
- सदस्य (वित्त) और सदस्य (पीपीपी) के पदों के लिए अनुभव निर्धारित करना - **कार्यान्वित किया गया।**
- सदस्य (तकनीकी) के पद के कर्तव्य निर्धारित करना - **कार्यान्वित किया गया।**
- 7 विशिष्ट प्रकोष्ठों अर्थात परियोजना मूल्यांकन प्रकोष्ठ, आयोजना प्रकोष्ठ, गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ मानकीकरण और अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (अब नया नाम-प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन प्रकोष्ठ दिया गया है), संविदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, विधिक और मध्यस्थता प्रकोष्ठ तथा सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ का सृजन - **कार्यान्वित किया गया।**
- मौजूदा 13 पदों के अलावा, मुख्य महाप्रबंधक के 26 पदों का सृजन (वित्त-2, आयोजना और गुणवत्ता-।, मानकीकरण, अनुसंधान एवं विकास-।, प्रशासन और मानव संसाधन-।, सूचना प्रौद्योगिकी-। भूमि अधिग्रहण-।, विधिक-सुरक्षा, वित्तीय विश्लेषक-।, संविदा प्रबंधन विशेषज्ञ-। और परियोजना कार्यान्वयन एवं महामार्ग प्रबंधन के लिए मुख्य महाप्रबंधक(तकनीकी)-15 - **कार्यान्वित किया गया।**
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कतिपय अधिदेशाधीन कार्यों के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कतिपय राज्य सरकारों सहित राज्य स्तरीय संस्थानों को सहभागी संस्थान माने जाने पर विचार करना - **कार्यान्वित किया गया।**
- मुख्य व्यक्तियों को अभिनिर्धारित करना और उनको बनाए रखना तथा कतिपय कार्मिकों की सीधी भर्ती करना ताकि कुछ वर्षों में स्थायी कर्मचारियों का कोर तैयार किया जा सके - **सतत् कार्यान्वयनाधीन**
- ईपीसी से पीपीपी पर ध्यान केन्द्रित किए जाने के मद्देनजर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए तैयार की गई व्यापक प्रशिक्षण योजना पर पुनर्विचार करना और परामर्शदाताओं तथा ठेकेदारों को शामिल करने के लिए योजना का विस्तार भी करना - **सतत् कार्यान्वयनाधीन**
- प्राधिकरण को जहां कही आवश्यक हो, बाहरी विशेषज्ञों (आयु में छूट, यदि आवश्यक हो, के साथ) विशेषकर वित्तीय विशेषज्ञ, परिहवन अर्थशास्त्री, परिवहन विनियोजनकर्ताओ, संविदा प्रबंधन विशेषज्ञ और विधि

विशेषज्ञ के पदों पर कार्य करने हेतु नियुक्ति का अधिकार दिया जाना; इनका प्रतिकर (कंपनसेशन) उपयुक्त कार्मिक के अनुभव और उपलब्धता के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना है - **कार्यान्वित किया गया।**

- निविदा प्रक्रिया, संविदा प्रबंधन, ठेकेदार का समय, लागत और गुणवत्ता निष्पादन और असामान्य विचलनों के संबंध में डिजाइन परामर्शदाताओं के कार्य-निष्पादन में अनुभव हासिल और उपयोग करने के लिए ज्ञान प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना - **कार्यान्वित किया गया।**
- वित्तीय प्रबंधन-आंतरिक संपरीक्षा प्रकोष्ठ का सृजन - **कार्यान्वित किया गया।**

हथकरघा का निर्यात

4051. श्री अनंत कुमार
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी;
श्री एम.बी.राजेशः
श्री राम सिंह कस्वांः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः
श्री अर्जुन राम मेघवालः
श्री आधि शंकरः
श्री दारा सिंह चौहानः
श्री ई.जी. सुगावनमः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हथकरघा/विद्युतकरघा उत्पादों के उत्पादन/बिक्री और निर्यात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन उत्पादों के भारत में होने वाले निर्यात के हिस्से को बढ़ाने सहित इन उत्पादों की बिक्री और उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(ख) कपास के धागे की अधिक लागत के कारण बुनकरों को रियायती दर पर धागे उपलब्ध कराने के लिए हैक यार्न अब्लीगेशन स्कीम का ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का आरक्षित हथकरघा वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत हथकरघा समूहों को शूरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस क्षेत्र में आबंटित निधियों की जांच और उनका दुरूपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) हथकरघों/विद्युत करघों से संबंधित मदों के उत्पादन/बिक्री तथा निर्यातों का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा और विद्युत करघा वस्त्र उत्पादन और हथकरघा उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा निम्नवत हैः

वर्ष	हथकरघा		विद्युत करघा
	वस्त्र उत्पादन (मिलियन वर्ग मी.)	निर्यात (करोड़ रु.)	वस्त्र उत्पादन (मिलियन वर्ग मी.)
2008.09	6677	**	33648
2009.10	6806	1252.81	36997
2010.11	6949	1662.89	37929

**हथकरघा उत्पादों के लिए अलग आई टी सी (एच एस) कोड ने होने के कारण वर्ष 2009-2010 से पहले के निर्यात संबंधी आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विशेष रूप से विद्युतकरघा उत्पादों के निर्यात संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 2008-2009, 2009-10 और 2010-11 के दौरान निर्यात वस्त्रों (हस्तशिल्प, जूट और नारियल को छोड़कर) का क्रमशः 89306.20 करोड़ 99704.34 करोड़ रुपये और 113845.11 करोड़ का निर्यात हुआ।

हथकरघा उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करने के उददेश्य से भारत सरकार निम्नलिखित विपणन और प्रौत्साहन योजनायें कार्यान्वित कर रही हैः

1. विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना
2. विपणन विकास सहायता योजना

3. फोकस मार्केट योजना

4. फोकस उत्पाद योजना

5. बाजार पहुंच पहल योजना

6. ड्यूटी ड्रा बैक योजना

(ख) हैंक यार्न पैकेजिंग बाध्यता में यह प्रावधान किया गया है कि वह प्रत्येक यार्न उत्पादक, जो नागरिक उपभोग के लिए यार्न पैक करता है, जनवरी/मार्च से शुरू प्रत्येक तिमाही अवधि और इसके बाद प्रत्येक तिमाही अवधि में उसके द्वारा प्रत्येक तिमाही की अवधि के दौरान पैक किए गए सिविल उपभोग के कुल यार्न का कम से कम 40 प्रतिशत के अनुपात में हैंक के रूप में यार्न पैक करेगा, बशर्ते कि हैंक के रूप में पैक किया जाने वाला अपेक्षित यार्न कम से कम 80 प्रतिशत, 80 संख्यक और कम का हो।

हैंक यार्न पैकेजिंग बाध्यता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हथकरघा क्षेत्र को उचित कीमत पर हैंक यार्न की पर्याप्त आपूर्ति हो और रियायती यार्न प्रदान नहीं करता है।

(ग) हथकरघा क्षेत्र के विशिष्ट उत्पादन की मदों की समय समय पर समीक्षा की जाती है। इस समय हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के तहत हथकरघों पर विशिष्ट उत्पादन के लिए 11मदें आरक्षित की गई हैं। इस समय ऐसी कोई समीक्षा करने का प्रस्ताव नहीं हैं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार एकीकृत हथकरघा विकास योजना कार्यान्वित कर रही है जिसमें 300-500 हथकरघों के "समूह" (क्लस्टर) अथवा 10-100 बनुकरों के "समूह" (ग्रुप) को आवश्यकता पर आधारित निवेशों (इनपुट) की व्यवस्था है ताकि उनको मार्जिन धन, कार्यशील पूंजी, नए करघों तथा अतिरिक्त पुर्जे/सामान, कौशल उन्नयन, विपणन अवसरों तथा वर्कशेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके स्व-संपोषनीय बनाया जा सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक 551 क्लस्टर परियोजनाएं और 2012 ग्रुप अप्रोच परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2008-09 में व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना आरंभ की गई है, जिसका उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को सशक्त बनाना और घरेलू व वैश्विक बाजार में धारणीय और विश्वसनीय ढंग से उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण करना है। योजना में कम से कम 25000 करघों के साथ स्पष्ट रूप से अभिज्ञेय भौगोलिक स्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत सरकार 70 करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता देगी। अब तक वाराणसी (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम) विरूधनगर (तमिलनाडु) तथा मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में ऐसे 4 मेगा हथकरघा क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, 20 ऐसे बड़े क्लस्टर मंजूर किए गए हैं जिनमें प्रत्येक कलस्टर में लगभग 5000 हथकरघा बुनकरों को शामिल किया जाता है और ऐसे प्रत्येक कलस्टर में भारत सरकार का अंशदान 2 करोड़ रुपये है। इसमें लगभग 1 लाख और लाभार्थियों का लक्ष्य समूह आ जाता है।

(च) हथकरघा बुनकरों के लाभ हेतु धनराशि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए फील्ड दौरे करके, वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट मंगवाकर तथा राज्यों के हथकरघा प्रभारी निदेशकों के साथ तिमाही बैठकें करके इन योजनाओं की नियमित निगरानी की जा रही है।

इस्पात क्षेत्र में रोजगार

4052. श्री नारन भाई कछाडियाः
श्री प्रभातसिंह पी. चौहानः
श्री बद्रीराम जाखड़ः

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में इस्पात के उत्पादन में सतत वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों में रोजगार की तुलना में विभिन्न इस्पात संयंत्रों में उत्पादन का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान सृजित प्रत्यक्ष रोजगार की तुलना में विभिन्न इस्पात संयंत्रों में उत्पादन का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस्पात क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को और अधिक बढ़ाने को कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य, यदि कोई हों, तो क्या हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस्पात के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। गत 5 वर्षो के दौरान देश में क्रूड स्टील के उत्पादन से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	क्रूड स्टील उत्पादन (मिलियन टन में)	
	मात्रा	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर (%)
2006-07	50.81	9.4
2007-08	53.86	5.9
2008-09	58.44	8.5
2009-10	65.84	12.7
2010-11	69.57	5.7

स्त्रोतः संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); *=अनंतिम

(ख) रोजगार में वृद्धि तथा इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के मध्य कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रौद्योगिकीय विकास, ऑटोमेशन, प्रक्रिया में सुधार और सर्वोत्कृष्ट पद्धतियों के कारण उत्पादन में वृद्धि के समान अनुपात में रोजगारों में वृद्धि होनी चाहिए और प्रति मिलियन टन इस्पात के उत्पादन पर जनशक्ति को क्रमिक रूप से कम किए जाने की आवश्यकता है जिससे कम जनशक्ति के साथ उत्पादन के लक्ष्यों को हासिल करना संभव है।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में क्रूड स्टील के उत्पादन और प्रत्यक्ष रोजगार सृजन/भर्ती का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन में)	भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या
2008-2009	13.41	1288
2009-2010	13.51	1788
2010-2011	13.76	1575

स्त्रोतः सेल

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन में)	31 मार्च, को जनशक्ति
2008-2009	3.145	17,225
2009-2010	3.399	17,830
2010-2011	3.424	17,829

स्त्रोतः आरआईएनएल

(घ) और (ङ) वर्तमान समय में, डी-रैगुलेटेड, ओपन मार्किट अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की होती है और इस हैसियत से सरकार उपयुक्त नीतिपरक उपायों के जरिए इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित करती है। सेल और आरआईएनएल नामक सरकारी क्षेत्र की दोनों मौजूदा इस्पात कंपनियां क्रूड स्टील की अपनी क्षमताओं में विस्तार कर रही हैं जिससे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

सरकारी क्षेत्र की अन्य कंपनी नामतः एमएमडीसी लिमिटेड ने नागरनार, छत्तीसगढ़ में 3 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाले एक एकीकृति इस्पात संयंत्र की स्थापना कर रहा है जिससे संभवतः रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होंगे।

इलायची प्रसंस्करण केन्द्र

4053. श्री के.पी. धनपालनः
श्री पी.टी. थॉमसः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इलायची प्रसंस्करण केन्द्रों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नए इलायची प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इलायची के निवल निर्यात पर नए प्रसंस्करण केन्द्र का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को इलायची के लिए एक पृथक निधि के सृजन के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या हाल में इलायची के मूल्य में पर्याप्त कमी आयी है; और

(च) यदि हां, तो इलायची की खेती में सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) मसाला बोर्ड ने केवल एक इलायची प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना केरल में पुट्टाडी जिला इडुक्की में स्थित मसाला पार्क में की है, जो देश में इलायची के उत्पादन का प्रमुख केन्द्र है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मसाला पार्क पुट्टाडी में उपलब्ध सफाई, ग्रेडिंग और रंग के अनुसार छंटाई जैसी प्रसंस्करण सुविधाएं निर्यातों को निर्यात बाजार में उच्चतर मूल्यवर्धन प्राप्त करने में सहायक होंगी। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान भारत से इलायची के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (मी टन)	मूल्य (लाख रुपये)
2008.09	750	4726.50
2009.10	1975	16570.25
2010.11	1175	13216.25
2011.12 (अप्रैल-अक्तूबर)	2300	19574.63

(घ) जी, हां। इलायची किसान एसोसिएशन ने इलायची कीमत स्थिरीकरण निधि के सृजन हेतु अनुरोध किया है। इसकी व्यवहार्यता (मौजूदा कीमत स्थिरीकरण निधि न्यास में इलायची को शामिल करने) की जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) जी, हां। इलायची उपजकर्त्ताओं हेतु लाभदायक कीमतें सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने नीलामी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने तथा इलायची की खेती करने वाले किसानों को बेहतर कीमतें दिलाने के लिए इलायची की ई-नीलामी की शुरूआत की है। केरल में पुट्टाडी में विशेष रूप से इलायची और काली मिर्च सफाई, ग्रेडिंग, रंग के अनुसार छंटाई, पैकिंग और भण्डारण सुविधा युक्त मसाला पार्क की स्थापना की गई है। इसके अलावा सरकार मसाला बोर्ड के माध्यम से इलायची बगानों का पुनःरोपण एवं नवीकरण, रोपण सामग्री उत्पादन, सिंचाई एवं भूमि विकास, जैसी विभिन्न स्कीमें और क्योरिंग हाऊसों का निर्माण, इलायची हेतु उन्नत क्योरिंग उपकरण आदि जैसे फसलोत्तर सुधार कार्यकलाप कार्यान्वित कर रही है।

[हिन्दी]

छात्रावासों में ढांचागत सुधार

4054. कुमारी मीनाक्षी नटराजनः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों के छात्रावासों में ढांचागत सुधार के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन छात्रावासों की गुणवत्ता में सुधार और उनके आधुनिकीकरण का प्रयास कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त छात्रावासों के लिए प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, इस मंत्रालय की बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए नए छात्रावास भवनों के निर्माण/मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के बढ़ोत्तरी करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। मंत्रालय ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर के परामर्श से, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत मॉडल दिशा-निर्देश बनाए और मानक मानदण्डों और अभिकल्पों का सुझाव दिया जिन्हें राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अक्टूबर, 2009 में उनके मार्गदर्शन के लिए सम्प्रेषित किया गया है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई केन्द्रीय सहायता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2010-11 के दौरान छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई केन्द्रीय सहायता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1037.50
2.	असम	123.82
3.	बिहार	1306.40

1	2	3
4.	छत्तीसगढ़	213.83
5.	हरियाणा	833.13
6.	हिमाचल प्रदेश	604.50
7.	झारखंड	267.31
8.	कर्नाटक	887.40
9.	केरल	225.09
10.	मध्य प्रदेश	1507.98
11.	महाराष्ट्र	1284.10
12.	ओडिशा	2670.82
13.	पंजाब	113.25
14.	राजस्थान	3205.50
15.	तमिलनाडु	553.58
16.	त्रिपुरा	27.52
17.	उत्तर प्रदेश	2283.60
18.	उत्तराखंड	231.93
19.	पश्चिम बंगाल	1824.90
20.	पुदुचेरी	200.00
	कुल	19402.16

उद्योगों द्वारा अनुसूचित जातियों को प्रशिक्षण

4055. **श्री महाबल मिश्रा:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उद्यमिता और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों द्वारा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण हेतु कोई प्रबंध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप इन व्यक्तियों को कितना लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग ने यह कहा है कि उनके पास उद्यमशीलता और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जातियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई व्यवस्था नहीं है।

[अनुवाद]

एन आई डी की स्थापना

4056. **श्री हेमानंद बिसवाल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ओडिशा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एन आई डी) की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में वर्तमान में कार्यरत एन आई डी की संख्या कितनी हैं; और

(ग) उक्त संस्थान को कब तक स्थापित किया जाएगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद तथा गांधी नगर और कर्नाटक के बेंगलुरू में तीन परिसरों में केवल एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) कार्य कर रहा है।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असंगठित क्षेत्र के लिए सुरक्षा निधि

4057. **श्री खगेन दास:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निधि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी है और इसे शुरू किए जाने के लिए अनंतिम समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को इस निधि के अधीन कवर किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो किन श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा गया है; और

(ङ) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो कार्यान्वयन हेतु लंबित हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ङ) सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक आवंटन के साथ असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि बुनकरों, ताड़ी उतारने वालों, रिक्शा चालकों, बीड़ी कर्मियों इत्यादि के लिए योजनाओं में सहायक होगी।

असंगठित क्षेत्र में कर्मियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) नामक स्वास्थ्य बीमा योजना गलियों में सामान बेचने वाले, बीड़ी कामगारों, महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थियों (जिन्होंने पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान 15 दिनों से अधिक कार्य हो) और घरेलू कर्मियों हेतु विस्तारित की गई है। इन श्रेणियों के लिए आरएसबीवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए निधियों को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि से पूरा किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के लिए बनाई जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रस्तावों की जांच के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि समिति (एनएसएसएफसी) भी स्थापित की गयी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-8

4058. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेलः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को गुजरात में मोहनगाम रेलवे फाटक से उडवाला को जोड़ने वाली, दोनों गुजरात में सड़क को शामिल करते हुए दमन को वाया भेनसलोर राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से जोड़ने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के लिए सरकार द्वारा आबंटित की जाने वाली अनुमानित राशि क्या है; और

(घ) इसे पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी हां।

(ख) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर मोहनगाम रेलवे क्रासिंग से जरी-काछीगाम-सोमनाथ-कुंता से और दमन में भेनसोलोर-पटलिया होते हुए गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर उडवाला रेलवे क्रासिंग तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के विस्तार के रूप में घोषित किए जाने का एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार, एक सतत प्रक्रिया है और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा, सड़क संपर्क की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर की जाती है। सड़कों/राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन के लिए निधियों की कोई पृथक व्यवस्था नहीं की जाती है।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना

4059. श्री सी. राजेन्द्रनः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजना पूरी हो गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना के अधीन उन खंडों का ब्यौरा क्या है जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं;

(घ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए संस्वीकृत/जारी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत निधियों का समुचित उपयोग नहीं किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (ग) स्वर्णिम चतुर्भुज के 5846 किमी में से 5829 किमी (99.7%) में 4/6 लेन बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। स्वर्णिम चतुर्भुज की संपूर्ण परियोजना दिसंबर, 2012 तक पूरी हो जाने की आशा है। स्वर्णिम चतुर्भुज के कार्यान्वयनाधीन खंडों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) से (च) परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किए जाने के लिए एनएचआई मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और फील्ड यूनिटों द्वारा प्रगति का गहन अनुवीक्षण किया जा रहा है। संबंधित राज्य सरकारों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और लंबित मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। विगत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान, स्वर्णिम चतुर्भुज की 22 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन थीं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परियोजनावार आबंटन नहीं किया जाता है। परियोजनाओं पर होने वाला व्यय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सम्पूर्ण आबंटन में से किया जाता है। व्यय, संविदा प्रावधानों के अनुरूप किए गए हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज की इन परियोजनाओं का विगत तीन वर्ष का और चालू वर्ष का व्यय संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

कार्यान्वयनाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	राज्य का नाम	कुल लंबाई (किमी में)
1.	हरिहर-चित्रदुर्ग	4	कर्नाटक	77
2.	हावेरी-हरिहर	4	कर्नाटक	56
3.	गंजम-इच्छापुरम (ओआर-VIII)	5	ओडिशा	50.8
4.	सुनाखला-गंजम (ओआर-VIII)	5	ओडिशा	55.713
5.	भुवनेश्वर-खुर्दा (ओआर-I)	5	ओडिशा	27.15
6.	बालासोर-भ्रदक (ओआर-III)	5	ओडिशा	62.64
7.	आगरा-शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी/I-ए)	2	उत्तर प्रदेश	50.83
8.	पुल खंड (डब्ल्यूबी-III)	6	पश्चिम बंगाल	1.732

विवरण II

स्वर्णिम चतुर्भुर्ज परियोजनाओं पर किए गए व्यय का ब्यौरा

करोड़ रू. में

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12 अक्टूबर-11 तक
1	2	3	4	5	6	7
1.	वाराणसी-मोहनिया (जीटीआरआईपी-5) पैकेज.IV-ए	बिहार 21उ.प्र.55	9.68	16.05	72.12	1.02
2.	सासाराम-डेहरी-ऑन-सोन (जीटीआरआईपी-6) पैकेज.IV-सी	बिहार	32.80	7.27	57.88	शून्य
3.	औरंगाबाद-बरवा अड्डा (टीएनएचपी-8) गोरहर-बरवा अड्डा पैकेज. V-सी (किमी320-398.75)	झारखंड	37,77	37.15	19.72	शून्य
4.	तुमकुर बाइपस (13.02.09 को शेष कार्य पुनः सौंपा गया)	कर्नाटक	0.49	3.35	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
5.	तुमकुर-हावेरी (चित्रदुर्ग बाइपास खंड) पैकेज-III	कर्नाटक	37.91	25.52	21.73	2.98
6.	तुमकुर-हावेरी (चित्रदुर्ग हरिहर) पैकेज-IV	कर्नाटक	23.67	47.68	73.87	22.48
7.	तुमकुर-हावेरी (दावनगेरे-हावेरी) पैकेज-V/हरिहर खंड	कर्नाटक	21,52	45.51	68.37	24.05
8.	भवुनेश्वर-खुर्दा ओआर-I	ओडिशा	6.86	2.86	3.91	शून्य
9.	भद्रक-बालासोर (पुल) ओआर-V	ओडिशा	27.67	0.41	131.88	40.77
10.	चांडीखोल-बालासोर (पुल) ओआर-V	ओडिशा	9.99	4.50	शून्य	शून्य
11.	गंजम-सुनाखला ओआर-VII किमी284-338 (पुनः सौंपा गया)	ओडिशा	1.89	40.35	60.74	21.27
12.	इच्छापुरम-गंजम ओआर-VIII किमी 233-284	ओडिशा	32.37	29.49	40.83	12.48
13.	उ.प्र. में रारा-2 पर किमी 38-115 फतेहपुर-खागा (टीएनएचपी-2) पैकेज-II-सी	उत्तर प्रदेश	52.06	22.80	19.99	शून्य
14.	हंडिया-वाराणसी (टीएनएचपी-4) पैकेज III-सी	उत्तर प्रदेश	4.24	5.45	3,75	0.16
15.	आगरा-शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी-2) पैकेज I-ए (किमी 199.66-250.50)	उत्तर प्रदेश	12.74	6.34	34.80	शून्य
16.	शिकोहाबाद-इटावा (जीटीआरआईपी-2)पैकेज I-बी (किमी 250.50-307.50)	उत्तर प्रदेश	25.07	3.58	1.60	0.28
17.	इटावा-राजपुर (जीटीआरआईपी-3) पैकेज-I-सी (किमी 321.10-393)	उत्तर प्रदेश	9.53	0.01	6.25	0.05
18.	भौंती-फतेहपुर(जीटीआरआईपी-3) पैकेजII-बी	उत्तर प्रदेश	21.20	13.56	0.11	शून्य
19.	इलाहाबाद बाइपस परियोजना (पैकेज एबीपी-I) (रारा-2 पर किमी 163.28-164.30) (गंगा पुल)	उत्तर प्रदेश	21.23	0.46	0.20	शून्य
20.	इलाहाबाद बाइपस परियोजना (पैकेज.एबीपी-II) (रारा-2 पर किमी 158-198)	उत्तर प्रदेश	95.61	52.93	3.76	0.50
21.	इलाहाबाद बाइपस परियोजना (पैकेज. एबीपी-III) (रारा-2 पर किमी 198-242.708)	उत्तर प्रदेश	102.83	77.16	5.72	0.23
22.	रारा-2 पर इटावा बाइपस किमी 307.5 से 321.100	उत्तर प्रदेश	14.84	16.83	3.03	शून्य

[हिन्दी]

हस्तशिल्प प्रदर्शनी/केन्द्र

4060. श्री सुशील कुमार सिंहः
श्रीमती दीपा दासमुंशीः
श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारीः**
श्री प्रताप सिंह बाजवाः
श्री आर. ध्रुवनारायणः
श्रीमती जे. शांताः
श्री अंजन कुमार एम. यादवः
कुमारी सरोज पाण्डेयः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थापित/किए जा रहे स्थानीय विपणन और प्रदर्शन केन्द्रों/कलस्टरों/हस्तशिल्प केन्द्रों का ब्यौरा क्या है तथा बुनकरों और दस्तकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देने और उनके विपणन/बिक्री के लिए कितनी निधि जारी की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों की संख्या और इन प्रदर्शनियों के माध्यम से उत्पादों की बिक्री की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या निर्यात वित्त पर अधिक ब्याज दर के कारण विश्वव्यापी व्यापार में भारतीय हस्तशिल्प की हिस्सेदारी में काफी अधिक गिरावट आयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्यात में भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने में निर्यात संवर्धन परिषद की क्या भूमिका है; और

(ङ) छत्तीसगढ़ में पारम्परिक कपड़ा कोसा के उत्पादन में लगे हुए कारीगरों को सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) शहरी हॉटों और स्थाई विपणन और प्रदर्शन केन्द्रों, हथकरघा क्लस्टरों, हथकरघा क्षेत्र के बुनकर सेवा केन्द्रों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

हस्तशिल्प विपणन और सेवा विस्तार केन्द्रों, बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के तहत मंजूर परियोजनाओं का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III और संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

बुनकरों और कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के संवर्धन और विपणन/बिक्री के लिए हथकरधा और हस्तशिल्प प्रभाग द्वारा जारी की गई राज्य-वार निधियां संलग्न विवरण-V में दी गई हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों की संख्या और इन प्रदर्शनियों/मेलों के माध्यम से हुई आय की राशि नीचे दी गई हैः

वर्ष	हथकरघा क्षेत्र		हस्तशिल्प क्षेत्र	
	प्रदर्शनियों की संख्या	बिक्री (रुपए)	प्रदर्शनियों की संख्या	बिक्री (रुपए)
2008-09	399	220.87	275	83.32
2009-10	561	340.00	252	92.22
2010-11	680	410.19	371	135.11

(ग) और (घ) जी, नहीं। हाथ से बने हुए कालीनों सहित हस्तशिल्पों के निर्यात में वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, हाथ से बने हुए कालीनों सहित हस्तशिल्पों का निर्यात बढ़ाने के लिए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैः

* विदेशों में आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।
* विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में विषयक प्रदर्शन और सजीव प्रदर्शन आयोजित करना।
* भारत और विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना।
* सेमिनारों और प्रचार माध्यमों के साथ-साथ निर्यातकों के लिए भारत में प्रौद्योगिकी, पैकेजिंग और नीतियों के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विदेशों में भारतीय हस्तशिल्प की ब्रांड इमेज का संवर्धन करना।

* उत्पाद विशिष्ट प्रदर्शनियों के अलावा वर्ष में दो बार भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले आयोजित करना।

* जागरुकता और विपणन का सृजन करने के लिए निर्यातकों के माध्यम से नए डिजाइनों का प्रदर्शन करना।

* निर्यात सदस्यों को वाणिज्य मंत्रालय की एमडीए योजना की सहायता के तहत भागीदारी प्रदान करना।

* व्यापार से संबंधित सहायत/सूचना प्रदान करना।

(ङ) छत्तीसगढ़ में परंपरागत कोसा वस्त्र के विकास के लिए एकीकृत हथकरघा विकास योजना, विपणन प्रोत्साहन, अनुसंधान और विकास आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत कोसा बुनकरों को विगत 3 वर्षों के दौरान 147.13 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

विवरण-I

शहरी हाटों व स्थायी विपणन परिसरों का राज्य-वार और संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थान
1	2	3
क. शहरी हाट		
1.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति
2.	छत्तीसगढ़	रायपुर
3.	दिल्ली	1. पीतमपुरा
		2. दिल्ली हाट
4.	गुजरात	1. अहमदाबाद
		2. भुज
5.	हरियाणा	करनाल
6.	जम्मू और कश्मीर	1. जम्मू
		2. श्रीनगर
7.	कर्नाटक	मैसूर
8.	मध्य प्रदेश	भोपाल (गोहर महल)
9.	महाराष्ट्र	नवी मुम्बई
10.	नागालैण्ड	दीमापुर
11.	ओडिशा	1. भुवनेश्वर
		2. पुरी
		3. कोणार्क
12.	राजस्थान	1. जोधपुर
		2. जयपुर

1	2	3
13.	उत्तर प्रदेश	1. आगरा 2. वाराणसी
	कुल	20

ख. विपणन परिसर

1.	आन्ध्र प्रदेश	हैण्डलूम हवेली, हैदराबाद
2.	गुजरात	हैण्डलूम हवेली, अहमदाबाद
3.	कर्नाटक	केन्द्रीय कॉटेज उद्योग इम्पोरियम, बंगलोर
4.	मध्य प्रदेश	हैण्डलूम हवेली, इंदौर
5.	महाराष्ट्र	1. हैण्डलूम हवेली, नवी मुम्बई 2. सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीजइंपोरियम, मुम्बई
6.	दिल्ली	1. सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज इंपोरियम, जनपथ, नई दिल्ली 2. हैण्डलूम हवेली, नई दिल्ली 3. शिल्पी हॉट, राजीव गांधी हैण्डीक्राफ्टस भवन, नई दिल्ली
7.	राजस्थान	हैण्डलूम हवेली, जयपुर
8.	उत्तर प्रदेश	हैण्डलूम हवेली, कानपुर
9.	तमिलनाडु	सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज इंपोरियम चेन्नै
10.	पश्चिम बंगाल	1. हैण्डलूम हवेली, कोलकोता 2. सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज इंपोरियम, कोलकाता
	कुल	14

विवरण-II

बुनकर सेवा केन्द्रों का राज्य-वार/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा

राज्य का नाम	11वीं योजना के दौरान स्वीकृत क्लस्टर	बुनकर सेवा केन्द्र	
		संख्या	स्थान
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	53	2	विजयवाडा हैदराबाद
बिहार	14	1	भागलपुर

1	2	3	4
छत्तीसगढ़	10	1	रायगढ़
दिल्ली	01	1	भारत नगर, नई दिल्ली
गुजरात	09	1	अहमदाबाद
हरियाणा	01	1	पानीपत
हिमाचल प्रदेश	07		
झारखंड	35		
जम्मू और कश्मीर	10	1	श्रीनगर
कर्नाटक	23	1	बंगलोर
केरल	24	1	कन्नूर
मध्य प्रदेश	17	1	इंदौर
महाराष्ट्र	06	2	मुम्बई नागपुर
ओडिशा	36	1	भुवनेश्वर
राजस्थान	06	1	जयपुर
तमिलनाडु	49	3	चेन्नई कांचीपुरम सेलम
उत्तर प्रदेश	50	2	वाराणसी मेरठ
उत्तराखंड	08	1	चमोली
पश्चिम बंगाल	39	1	कोलकाता
उप-योग (सामान्य राज्य)	398	22	
अरुणाचल प्रदेश	19		
असम	27	1	गुवाहाटी
मणिपुर	39	1	इम्फाल
मेघालय	08		
मिजोरम	02		
नागालैंड	33		
त्रिपुरा	25	1	अगरतला
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य)	153	3	
सकल योग	551	25	

विवरण-III

हस्तशिल्प विपणन और सेवा विस्तार केन्द्रों का राज्य-वार/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	हस्तशिल्प विपणन केन्द्रों की सं.	स्थान
1	2	3	4
1.	असम	2	गौरीपुर, जोरहाट
2.	आंध्र प्रदेश	4	हैदराबाद, तिरुपति, विजयवाडा और वारंगल
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	इटानगर
4.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	पोर्ट ब्लेयर
5.	बिहार	2	मधुबनी, पटना
6.	छत्तीसगढ़	1	जगदलपुर
7.	चंडीगढ़		
8.	दिल्ली		
9.	गोआ	1	पणजी
10.	गुजरात	2	भुज, अहमदाबाद
11.	हरियाणा	1	रेवाड़ी
12.	हिमाचल प्रदेश	1	कूल्लू
13.	जम्मू व कश्मीर	6	अनंतनाग, बारामुला, लेह (लद्दाख), श्रीनगर, उधमपुर, जम्मू
14.	झारखण्ड	2	देवघर, रांची
15.	कर्नाटक	3	मंगलोर, धारवाड़, मैसूर
16.	केरल	2	त्रिचुर, त्रिवेन्द्रम
17.	मध्य प्रदेश	3	ग्वालियर, इंदौर, भोपाल
18.	महाराष्ट्र	3	नागपुर, कोल्हापुर, औरंगाबाद
19.	मेघालय	1	शिलोंग
20.	मणिपुर	1	इम्फाल
21.	मिजोरम	1	आइजोल
22.	नागालैण्ड	1	कोहिमा

1	2	3	4
23.	ओडिशा	2	सम्बलपुर, भुवनेश्वर
24.	पंजाब	1	होशियारपुर
25.	पुडुचेरी	1	पाण्डीचेरी
26.	राजस्थान	3	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
27.	सिक्किम	1	गंगटोक
28.	तमिलनाडु	3	नगरकोयल, सेलम, चेन्नई
29.	त्रिपुरा	1	अगरतला
30.	उत्तराखण्ड	2	देहरादून, अलमोड़ा
31.	उत्तर प्रदेश	7	आगरा, सहारनपुर, बाराबंकी, वाराणसी (2) बरेली, इलाहाबाद
32.	पश्चिम बंगाल	2	बर्धमान, सिलिगुड़ी
	कुल	62	62

विवरण-IV

बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार/ संघशासित प्रदेश-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	73
2.	कर्नाटक	32
3.	केरल	39
4.	पुडुचेरी	02
5.	तमिलनाडु	41
6.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	
7.	लक्षद्वीप	
8.	अरुणाचल प्रदेश	14
9.	असम	75
10.	सिक्किम	04
11.	मणिपुर	45
12.	मेघालय	12
13.	मिजोरम	10
14.	नागालैण्ड	34
15.	त्रिपुरा	48
16.	दिल्ली	20
17.	हरियाणा	34
18.	हिमाचल प्रदेश	34
19.	जम्मू व कश्मीर	98
20.	पंजाब	22
21.	राजस्थान	51

1	2	3
22.	चंडीगढ़	03
23.	बिहार	43
24.	झारखण्ड	34
25.	ओडिशा	55
26.	पश्चिम बंगाल	77
27.	उत्तर प्रदेश	177
28.	उत्तराखण्ड	37
29.	छत्तीसगढ़	20
30.	मध्य प्रदेश	74
31.	गोआ	5
32.	गुजरात	103
33.	महाराष्ट्र	34
34.	दमन व दीव	1
35.	दादर व नगर हवेली	
	सकल योग	1351

विवरण-V

विपणन योजना के तहत बुनकरों और कारीगरों उत्पादित वस्तुओं के संवर्धन और विपणन/बिक्री के लिए जारी की गई राज्य-वार/संघशासित प्रदेश-वार निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11	
		हथकरघा	हस्तशिल्प	हथकरघा	हस्तशिल्प	हथकरघा	हस्तशिल्प
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.87	3.57	2.10	2.72	2.04	2.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00
3.	असम	2.10	5.68	4.11	6.97	5.73	7.94
4.	बिहार	0.02	0.38	0.05	0.85	0.04	0.82
5.	चंडीगढ़	0.00			0.00		0.05
6.	छत्तीसगढ़	0.17	0.39	0.37	0.21	1.12	0.16
7.	दिल्ली	0.37	12.90	0.61	18.59	0.16	13.23
8.	गोआ	0.00	0.08	0.00	0.95	0.00	0.50
9.	गुजरात	0.26	2.38	0.76	0.78	0.27	1.31
10.	हरियाणा	0.37	0.52	0.28	0.34	0.33	0.49
11.	हिमाचल प्रदेश	0.26	1.45	0.51	0.76	0.61	0.72
12.	झारखण्ड	0.04	0.28	0.02	0.56	0.18	0.51

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.65	0.00	0.25	0.28	0.41
14.	कर्नाटक	1.44	1.64	1.20	0.79	1.37	1.00
15.	केरल	0.23	0.32	0.00	0.37	0.00	0.23
16.	मध्य प्रदेश	0.12	2.11	0.68	1.47	0.93	1.65
17.	महाराष्ट्र	1.89	0.97	1.37	0.36	0.99	0.83
18.	मणिपुर	0.35	1.17	0.47	1.19	1.64	2.41
19.	मेघालय	0.06	0.07	0.89	0.00	0.42	0.07
20.	मिजोरम	0.34	0.48	0.00	0.00	0.05	0.01
21.	नागालैण्ड	2.06	0.70	3.73	0.17	2.33	0.13
22.	ओडिशा	1.07	1.34	0.74	1.33	1.09	2.13
23.	पंजाब	0.00	0.09	0.00	0.16	0.00	0.43
24.	पुदुचेरी	0.00	0.32	0.00	0.26	0.00	0.14
25.	राजस्थान	0.44	2.68	0.73	2.44	0.38	1.81
26.	सिक्किम	0.03	0.06	0.04	0.18	0.13	0.17
27.	तमिलनाडु	1.54	1.39	0.80	1.67	1.44	2.58
28.	त्रिपुरा	0.09	0.13	0.36	0.17	0.44	0.00
29.	उत्तर प्रदेश	2.36	6.09	1.73	1.58	2.09	6.21
30.	उत्तराखण्ड	0.46	0.46	0.45	0.26	0.43	0.22
31.	पश्चिम बंगाल	1.06	1.10	0.60	0.23	1.80	1.69
	कुल	19.02	49.40	22.60	45.61	28.04	50.32

[अनुवाद]

पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए मानदंड

4061. श्री नित्यानंद प्रधानः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार परियोजनाओं के लिए अनिवार्य हरित स्वीकृति दिए जाने हेतु अधिक कड़े मानदंड लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को हरित स्वीकृति दिए जाने के लिए अब तक प्राप्त प्रस्तावों में काफी हद तक समानता दिखी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत विहित प्रक्रिया के अनुसार विकासात्मक परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्तावों पर विचार करता है। इस अधिसूचना के तहत ली गई गतिविधियों/परियोजनाओं को पर्यावरण के विभिन्न घटकों को प्रभावित करने वाली उनकी क्षमता के आधार पर अभिज्ञात किया गया है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर इन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते समय, परियोजना चक्र के दौरान उनके कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सुरक्षोपाय निर्धारित किए गए हैं।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ध्यान में ऐसे दृष्टांत भी आए हैं जहां पर्यावरणीय सलाहकारों द्वारा तैयार की गई ईआईए रिपोर्टों में निहित सूचना/डाटा अन्य रिपोर्टों से नकल किया गया लेता है। इसके मद्देनजर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अक्तूबर, 2011 में एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावकों द्वारा ईआईए रिपोर्ट के भाग के रूप में यह सत्यापन प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ईआईए रिपोर्टों के तथ्य (सूचना और आंकड़े) उसी ईआईए रिपोर्ट के ही हैं। यदि किसी स्तर पर यह पाया अथवा ध्यान में लाया गया है कि किसी परियोजना से संबंधित ईआईए रिपोर्ट के तथ्य अन्य ईआईए रिपोर्टों से नकल किए गए तो ऐसी परियोजनाएं पूरी तरह से नकार दी जाएंगी तथा प्रस्तावकों को लोक सुनवाई सहित प्रक्रिया को नए सिरे से प्रारंभ करना होगा।

भारतीय पोतों हेतु सशस्त्र गार्ड

4062. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री खगेन दास:
श्री आनंद प्रकाश पंराजपे:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम वी आईसबर्ग के अपहरण सहित भारतीय पोतों का समुद्री लुटेरों द्वारा अपहरण किए जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अपहत भारतियों की सुरक्षित रिहाई या उनके बचाव के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे पोत मालिकों जो समुद्री लुटेरों से बचाव करने के लिए सशस्त्र गार्डों की तैनाती करना चाहते हैं, को कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय पोतों को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी. के. वासन): (क) जी, नहीं।

(ख) बंधकों की सुरक्षा और उनकी रिहाई के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

(i) भारतीय कर्मी दल वाले वाणिज्यिक जलयान के अपहरण से उपजने वाली बंधक परिस्थिति से निबटने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी अधिकारी दल गठित किया गया है।

(ii) अपहत जलयानों के स्वामियों और पताका प्रशासन से विदेश में अवस्थित भारतीय दूतावासों के माध्यम से संपर्क स्थापित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बंधकों की सुरक्षा और शीघ्र रिहाई के लिए उचित कदम उठाएं।

(ग) और(घ) जी, हां। सरकार ने भारतीय वाणिज्यिक पोतों पर सशस्त्र सुरक्षाकर्मी तैनात करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह दिशानिर्देश भारतीय वाणिज्यिक पोतों पर स्वामियों के लिए निजी सशस्त्र सुरक्षा गार्ड अनुबंधित करने हेतु उन मामलों में प्रावधान करते हैं जहां पोत स्वामी ऐसा करना चाहते हों।

(ङ) सरकार ने कई बचाव/रोकथाम सुरक्षा उपाय किए हैं तो निम्नानुसार हैं:

(i) सुरक्षित हाऊस/सिटाडेल सहित व्यापक समुद्री डकैती रोधक उपायों (सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन पद्धतियों) का ब्यौरा देते हुए नौवहन महानिदेशक द्वारा नोटिस जारी किया जाना।

(ii) सल्लाह और माले को जोड़ने वाली रेखा के दक्षिण अथवा पश्चिम जलक्षेत्र में जलयानों के यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया गया।

(iii) अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना पोतों द्वारा नौसेना सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई।

(iv) इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमि जोन (ई ई जेड) में भारतीय नौसेना द्वारा निगरानी बढ़ाई गई।

(v) भारतीय वाणिज्यिक पोतों पर हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।

(vi) नौसेना, तटरक्षक, तटीय पुलिस, सीमा शुल्क ओर अन्य संगठनों के बीच नियमित रूप से संयुक्त प्रचालनात्मक अभ्यास किए जा रहे हैं।

(vii) संयुक्त प्रचालन केन्द्रों और बहु-अभिकरण समन्वयन व्यवस्था सृजित किए जाने के माध्यम से आसूचना तंत्र को सुप्रवाही बनाया गया है।

(viii) अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की बैठकों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प संख्या 1851 के अनुपालन में स्थापित किया गया सोमालिया के तट से समुद्री डकैती पर संपर्क दल (सी जी पी सी एस) की बैठक और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों में सरकारी अभिकरणों द्वारा सक्रिय भागीदारी।

(ix) बंधक कर्मीदल के कल्याण, रिहाई के प्रयासों और उनके मेहनताने को जारी रखे जाने पर सूचना उपलब्ध करवाने के लिए पताका राष्ट्रों हेतु आई एम ओ असेंबली पर दस्तावेज 27/9/1 प्रस्तुत किया जाना।

चीन के पटाखों के कारण प्रदूषण

4063. श्री पूर्णमासी रामः
श्री सोनवणे प्रताप नारायणरावः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का भारतीय बातार में उपलब्ध चीन के पटाखों की गुणवत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चीन के पटाखे प्रदूषण एवं सल्फर डाई-आक्साइड के स्तर में वृद्धि करते हैं;

(घ) क्या चीन के पटाखों के आयात पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) सरकार ने पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), नागपुर द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विस्फोटक नियम, 2008 के तहत चीन के पटाखों के आयात हेतु कोई लाईसेंस जारी नहीं किया है।

(ग) किसी भी पटाखे में, यदि सल्फर डाई-ऑक्साइड एक घटक के रूप में होता है तो इसे सफलतापूर्वक जलाने पर यह सल्फर डाई-आक्साइड छोड़ता है, भले ही इसका उत्पादन किसी भी देश में क्यों न हुआ हो।

(घ) और (ङ) चीन में बनने वाले पटाखों के आयातों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पोटेशियम के क्लोरेट अथवा अन्य किसी क्लोरेट के सहमिश्रण में सल्फर में सल्फर अथवा सल्फ्यूरेट निहित अथवा समनुरूप किसी भी विस्फोटक का भारत में उत्पादन, अधिग्रहण और आयात भारत सरकार की अधिसूचना सं. जीएसआर 64 (ई), दिनांक 27.1.1992 के तहत प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन स्तर पर पटाखों से होने वाली ध्वनि के लिए भारत सरकार के पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 682 (ई) दिनांक 5/10/1999 के द्वारा ध्वनि सीमा निर्धारित की गई है। ये दोनों अधिसूचनाएं पीईएसओ द्वारा लागू की गई हैं।

[हिन्दी]

छावनी क्षेत्रों में सिविल आबादी

4064. श्री तूफानी सरोजः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के छावनी क्षेत्रों में सिविल आबादी के समक्ष आ रही मूलभूत सुविधाओं संबंधी कठिनाइयों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो छावनी क्षेत्रों की संख्या तथा वहां निवास करने वाली सिविल आबादी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिविल आबादी की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने हेतु कोई कदम उठाये गये है;

(घ) यदि हां, तो क्या सिविल आबादी को और सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु छावनी बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सिविल सुविधाओं से संबंधित शिकायतें दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्राप्त की जा रही हैं और छावनी बोर्ड उनका समाधान करते हैं। छावनी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के लिए जनता की प्रत्याशा तथा वास्तविक रूप से उपलब्ध सुविधाओं के बीच कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। फिर भी नागरिक अवसंरचना में सुधार किए जाने की संभावना है और छावनी क्षेत्रों में सुविधाओं के सुधार के लिए उपाए किए गए हैं। इस संबंध के किए गए कुछ उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

देश में 62 छावनियां हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार इन छावनियों में निवास करने वाली जनसंख्या 21,02,633 है। जनगणना में सिविल आबादी के आंकड़े अलग से नहीं दर्शाए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(i) कुछ छावनियों में लोक शिकायत समाधान प्रणाली "समाधान" शुरू की गई है।

(ii) नगर निगम ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं रख-रखाव) नियम, 2000 लागू कर दिए गए हैं। ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग करना तथा कचरे को घर-घर जाकर इकट्ठे करने का कार्य अधिकतर छावनियों में शुरू कर दिया गया है।

(iii) छावनी क्षेत्रों में पोलीथीन थैलों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है।

(iv) छावनी बोर्डों के स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू कर दिया गया है और स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक स्कूल प्रबंधन समिति को प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है ताकि छावनी बोर्डों में स्कूलों की कार्य-प्रणाली में सुधार किया जा सके।

(v) छावनियों में रहने वाले लोगों को मुहैया कराई गई स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई छावनियों में गतिशील औषधालय शुरू किए गए हैं, लड़कियों के लिए किशोरी क्लीनिक खोले गए हैं, वृद्ध लोगों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र खोले गए हैं।

(vi) सभी छावनियों में ड्राई टाइप लैटरीनों को बंद कर दिया गया है और जहां आवश्यक हो वहां वाटर बोर्न ग्रुप लैटरीनें उपलब्ध कराई गई हैं।

(vii) अलग-अलग छावनी बोर्डों ने स्थानीय स्तर पर नागरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए निधियों की उपलब्धता के अनुसार कई योजनाएं लागू की हैं।

आयुध कारखाने

4065. श्री भूदेव चौधरीः
श्री जगदीश सिंह राणाः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के आयुध कारखाने रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो रक्षा आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक आयुध कारखाने का उत्पादन तथा उसके वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भविष्य में विशेषकर उत्तर प्रदेश में नये आयुध कारखाने/उत्पादन इकाइयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में चिन्हित स्थानों का ब्यौरा क्या है तथा कारखानों/इकाइयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त आयुध कारखानों में आवश्यकता की तुलना में उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) और (ख) आयुध निर्माणियों द्वारा रक्षा उपकरणों का उत्पादन सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है और ये काफी हद तक इन आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। वर्ष 2010-11 में रक्षा आवश्यकता तथा आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा की गई आपूर्ति का मूल्य इस प्रकार हैः

बजटीय अनुमान	आपूर्ति का मूल्य
9875 करोड़ रुपए	9799 करोड़ रुपए

वर्ष 2010-11 में प्रत्येक आयुध निर्माणी के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) फिलहाल देश में नई आयुध निर्माणी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2010-11 के लिए आयुध निर्माणियों की आपूर्तियों का मूल्य

क्र.सं.	निर्माणी/अवस्थिति	मुख्य उत्पाद	वर्ष 2010-11 के लिए आपूर्ति का मूल्य (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	आयुध निर्माणी, मेडक	इन्फैंट्री लड़ाकू वाहन	402.44
चण्डीगढ़			
2.	आयुध केबल निर्माणी, चण्डीगढ़	विभिन्न प्रकार की केबल	5.62
महाराष्ट्र			
3.	गोलाबारूद निर्माणी, किर्की पुणे	लघु शस्त्र, गोलाबारूद	510.69
4.	उच्च विस्फोटक निर्माणी, पुणें	विस्फोटक इंनीशिएटरी विस्फोटक, अम्ल एवं रसायन आदि	35.25
5.	आयुध निर्माणी, चन्द्रपुर	टैंक गन गोलाबारूद एवं मोर्टार गोलाबारूद	1196.48
6.	आयुध निर्माणी, वारंगल	लघु शस्त्र गोलाबारूद	189.18
7.	आयुध निर्माणी, भण्डारा	प्रणोदक एवं वाणिज्यिक विस्फोटक	29.37
8.	आयुध निर्माणी, देहूरोड	विभिन्न पायरोटेक्निक संघटक	197.01
9.	आयुध निर्माणी, अम्बाझरी	विभिन्न गोलाबारूदों के लिए गोलाबारूद हार्डवेयर	0.22
10.	आयुध निर्माणी, अम्बरनाथ	लघु शस्त्र एवं अन्य गोलाबारूद के लिए पीतल एवं गाइल्डिंग धातु के कपों के विभिन्न व्यास	6.89
11.	मशीन टूल प्रोटोटाइप निर्माणी, अम्बरनाथ	ए और बी वाहनों के लिए विशेष उद्देश्य मशीन टूल्स एवं उपकरण, संघटकों और उप-जमाव क्षेत्रों की डिजाइन, विकास और विनिर्माण	23.34
12.	आयुध निर्माणी, भुसावल	ड्रम्स, बैरल, गोलाबारूद बॉक्स	0

1	2	3	4
मध्य प्रदेश			
13.	आयुध निर्माणी, खमरिया जबलपुर	वायुसेना और नौसेना के लिए लघु शस्त्र गोलाबारूद, विमानरोधी गोलाबारूद, भारी व्यास वाली टैंक-रोधी गोलाबारूद, बम, माइन्स, गोलाबारूद	1056.22
14.	आयुध निर्माणी, इटारसी	विभिन्न प्रकार के प्रणोदक, अम्ल, सल्फयूरिक अम्ल, पिकराइट आदि	0.49
15.	आयुध निर्माणी, कटनी	नॉन-फेरस रोल्ड एंड एक्सट्रूडेड सेक्शन लघु शस्त्र-अस्त्र गोलाबारूदों के लिए कप, कारतूस खोलों के लिए भारी व्यास	0.17
16.	गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर	आर्टिलरी बन्दूकों के लिए कैरिज, टैंक गन रिकाइल प्रणाली, विमान-रोधी बन्दूक, मोर्टार	204.19
17.	वाहन निर्माणी, जबलपुर	सैन्य परिवहन वाहन	1297.79
18.	ग्रे आइरन फाउण्ड्री, जबलपुर	भूरा और पिटवां लोहे की आटोमोबाइल कास्टिंग	0
ओडिशा			
19.	आयुध निर्माणी, बडमाल, बोलनगीर	टैंक गन और तोप गोलाबारूद	760.21
तमिलनाडु			
20.	भारी मिश्रधातु पेनेट्रेटर परियोजना, तिरुचिरापल्ली	गतिज ऊर्जा गोली के लिए खाली छर्रा	1.16
21.	आयुध निर्माणी, त्रिची, तिरुचिरापल्ली	लघु शस्त्र	51.19
22.	भारी वाहन निर्माणी, आवडी	टैंक	2460.29
23.	इंजन निर्माणी, आवडी	युद्धक टैंकों और आईसीवी के लिए इंजन	115.68
24.	आयुध वस्त्र निर्माणी, आवडी	सभी युद्धक वस्त्र और परेड आभूषण, पैराशूट	122.07
25.	कार्डाइट निर्माणी, अरुवनकाडू	विभिन्न किस्म के प्रणोदक	8.91

1	2	3	4
उत्तरांचल			
26.	आयुध निर्माणी, देहरादून	टैंकों के लिए दृष्टि तथा अग्नि नियंत्रण उपकरण, बंदूकों और मोटारों के लिए अग्नि नियंत्रण उपकरण, बाइनाकूलर	26.11
27.	आप्टो इलेक्ट्रानिक निर्माणी, देहरादून	ए वाहनों के लिए दृष्टि और अग्नि नियंत्रण हेतु प्रीसिजन आप्टो मैकेनिकल/ इलैक्ट्रानिक उपकरण	110.31
उत्तर प्रदेश			
28.	आयुध निर्माणी, मुरादनगर	टैंकों, गोलाबारूदों, स्टील ढांचों के लिए प्लेन कार्बन और एलॉय स्टील ढांचे	0.02
29.	आयुध निर्माणी, कानपुर	मध्यम और उच्च कैलीबर वाली बंदूकें, शैल के खाली खोल	18.40
30.	लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर	छोटे हथियार	52.92
31.	फील्ड गन निर्माणी, कानपुर	उच्च कैलिबर वाले आयुध और स्पेयर बैरल 0.32" रिवाल्वर	12.26
32.	आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर	चमड़े का सामान, वस्त्र मदें, इंजीनियरिंग उपस्कर जिसमें पर्वतारोहण संबंधी सामान शामिल हैं।	264.33
33.	आयुध पैराशूट निर्माणी, कानपुर	विभिन्न किस्म के पैराशूट	94.48
34.	आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर	सभी युद्धक वस्त्र, कपड़े और टैंट के सामान	196.16
35.	आयुध उपस्कर निर्माणी, हजरतपुर	टैंट और अन्य वस्त्र वाले सामान	66.00
36.	आयुध निर्माणी, कोरवा	कारबाइनों के उत्पादन के लिए	परियोजना स्तर पर
पश्चिम बंगाल			
37.	गन एवं शैल निर्माणी, कोशीपुर	मध्यम कैलीबर वाली बंदूकें, शैल और फ्यूज, पिस्टल और राकेट लांचर	149.34
38.	राइफल निर्माणी, ईशापुर	छोटे हथियार	130.85

1	2	3	4
39.	धातु एवं स्टील निर्माणी, ईशापुर	विभिन्न लौह और गैर-लौह कास्टिंग और एक्सट्रूसन, हल्के/मध्यम/भारी स्टील फोर्जिंग जिसमें गन बैरल फोर्जिंग भी शामिल है।	0.27
40.	आयुध निर्माणी, दम दम	रक्षा बलों के लिए विभिन्न प्रीसिजन मशीन वाले और फ्रैबिकेशन वाले सामान	2.97
बिहार			
41.	आयुध निर्माणी, नालंदा, बिहार	प्रणोदक बाई मॉड्यूलर चार्ज प्रणाली	यूनिट में अभी उत्पादन शुरू होना है।

ये आंकड़े रक्षा को किए गए केवल सीधे मदों को दर्शाते हैं और इनमें एक निर्माणी से दूसरे निर्माणियों में की गई आपूर्तियां शामिल नहीं हैं।

अल्पसंख्यकों को रोजगार

4066. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सच्चर समिति तथा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्टें प्रस्तुत जाने के बाद केन्द्रीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वर्ष-वार और राज्य-वार मुस्लिम समुदाय के कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया;

(ख) इन केन्द्रीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्त सभी श्रेणियों के अधिकारियों/कामगारों की तुलना में इनकी प्रतिशतता क्या है; और

(ग) अन्य समुदायों की तुलना में मुस्लिमों की कम नियुक्ति के कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) रोजगार कार्यालयों में मुस्लिम समुदाय के लिए 4.4 लाख पंजीकरण किए गए थे जिनमें से वर्ष 2007 के दौरान 5.900 नियोजित किए गए, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं। राज्य-वार आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं।

(ख) सभी श्रणियों के लिए किए गए 2,63,500 नियोजनों में से वर्ष 2007 में मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत 2.24 है जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं।

(ग) इस तरह का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। तथापि, रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजन हेतु कुछ मुख्य कारण रोजगार चाहने वालों में संबंधित कौशलों की कमी, विभिन्न चयन आयोगों और बोर्डों की स्थापना के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय का 1996 में दिया गया आदेश हैं जिसमें नियोक्ताओं को खुले बाजार से भी व्यक्तियों का चयन करने की स्वतंत्रता दी गई है।

[अनुवाद]

यमुना नदी के कारण ताजमहल को क्षति

4067. श्री विलास मुत्तेमवारः
प्रो. रामशंकरः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यमुना नदी के सूखने तथा इसके प्रदूषित जल के कारण ताजमहल का अस्तित्व ही खतरे में है जैसा कि मीडिया ने रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने यमुना नदी के सूखने के कारणों का पता लगाया है तथा यमुना के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में यमुना के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून; केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की और राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद जैसे विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराए गए वैज्ञानिक अध्ययनों में ताज महल की नींव, मकबरे के ढांचे और चार मीनारों को खतरा नहीं पाया गया। वर्ष 1940 से भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से आयोजित किए गए आवधिक अध्ययन ताज महल की चार मीनारों की अनुलंबता में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दर्शाते। वर्ष 2005 में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआइ), रूड़की के माध्यम से ताज महल की भू-तकनीकी और संरचनात्मक जांच कराई गई। सीबीआरआई ने वर्ष 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो कि जेसमिल तल के नीचे तहखाने में तल के संयोजकों और दीवारों में कोई बाह्य क्षति अथवा विस्थापन नहीं दर्शाती।

(ग) और (घ) यमुना नदी का उदगम स्थल यमुनौत्री (उत्तराखंड) है। दिल्ली में मानसून के अलावा नदी के जल की उर्ध्वधारा धारा लगभग सूखी हुई है। दिल्ली की अधोधारा और आगे बहने वाला जल, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिम जिलों के मलजल और औद्योगिक उत्सर्जनों का मिश्रण है। यमुना के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु उठाए गए कुछ कदम निम्नवत् हैं:-

- आगरा में चल रहे सभी 39 जल प्रदूषक उद्योगों ने उत्सर्जन शोधन संयंत्र स्थापित किए हैं और वे निर्धारित मानदण्डों को पूरा कर रहे हैं।
- उत्तर प्रदेश जल निगम की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2012 में लगभग 240 मिलियन लि. प्रति दिन (एमएलडी) का आंतरिक मलजल पैदा होगा। वर्तमान में 116 एमएलडी मलजल शोधित किया जा रहा है और 100 एमएलडी क्षमता वाला मलजल शोधन संयंत्र निर्माणाधीन है। शेष अशोधित 24 एलएलडी के शोधन के लिए और यमुना कार्य योजना-III के अंतर्गत सीवेज नेटवर्क के निर्माण हेतु जल निगम ने कार्य योजना प्रस्तुत की है।
- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बार्ड औद्योगिक बहिस्त्राव शोधन संयंत्रों और मलजल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) की नियमित रूप से मॉनीटरिंग कर रहा है। राज्य बोर्ड जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) के उपयुक्त उपबंधों के तहत दोषी इकाईयों के विरूद्ध कार्रवाई कर रहा है।

[हिन्दी]

सीएसडी का कार्यकरण

4068. श्री पशुपतिनाथ सिंहः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) की कैन्टीनों के प्रबंधन के लिए आबंटित परिक्रामी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सीएसडी द्वारा अर्जित लाभ का उपयोग किस प्रकार किया जाता है तथा दुर्विनियोजन रोकने हेतु इस संबंध में क्या प्रविधि विहित की गई है;

(ग) क्या भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही सीएसडी कैन्टीनों के लिए स्थायी अवसंरचना का निर्माण करने हेतु कोई नीति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) यूनिट संचालित कैंटीनों, जिन्हें आमतौर पर सीएसडी कैंटीनों के नाम से जाना जाता है, का प्रबंधन, सेनाओं के यूनिट/संगठन/स्थापना की गैर-सरकारी निधियों के अनुदान/ऋण के रूप में आरंभिक स्वीकृत निधि से किया जाता है। यूनिट संचालित कैंटीनों मुंबई स्थित सीएसडी के मुख्यालय से ब्याज सहित वापसी की शर्त पर भी ऋण ले सकती हैं।

(ख) निर्धारित नीति के अनुसार, सीएसडी द्वारा अर्जित कुल लाभ के 50% को भारत की समेकित निधि में जमा कराया जा रहा है। शेष 50% का वितरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किए अनुसार लाभार्थियों को किया जाता है। इस समय प्रचलित नीति के अनुसार, इस राशि के 4.91% नियमित तथा तदर्थ आबंटन के बाद बची राशि को सेना, वायुसेना तथा नौसेना में 85:10:5 के अनुपात में आबंटित कर दिया जाता है।

सेनाओं द्वारा, लाभ का इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों की वित्तीय शक्तियों के अनुसार मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) निर्धारित की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सड़क निधि

4069. श्री भक्त चरण दासः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वार्षिक प्राप्ति हेतु क्या सिद्धांत/दिशानिर्देश/मानदण्ड हैं;

(ख) क्या सरकार ओडिशा राज्य के चिन्हित गैर-बड़े भागों में सड़क संपर्क हेतु प्रस्तावों में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) वर्तमान में, राज्यीय सड़कों के विकास के लिए उपार्जन, संबंधित राज्य में ईंधन खपत को 30% और उस राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल को 70% भार-मान के आधार पर होता है।

(ख) जी नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोस्टल स्कैन सिस्टम

4070. श्री समीर भुजबलः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के पूरे समुद्र की निगरानी करने में तट रक्षक बल की सहायता करने हेतु बंगलौर स्थित भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने किसी कोस्टल स्कैन सिस्टम का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निगरानी प्रणाली के अधिष्ठापन की दिशा में क्या प्रगति हुई है तथा क्या इनका अधिष्ठापन महाराष्ट्र और गुजरात की तटरेखा पर किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश में तटीय रेखा पर छयालीस निर्दिष्ट स्थानों पर स्थैतिक सेंसरों की श्रृंखला लगाए जाने को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ग) और (घ) इस परियोजना के लिए संविदा को पहले ही 08 सितम्बर, 2011 को अंतिम रूप दे दिया गया है और महाराष्ट्र तथा गुजरात तट सहित, निर्दिष्ट स्थानों पर सेंसर चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे।

रक्षा भूमि का सार्वजनिक उपयोग

4071. श्री सुरेश अंगड़ीः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को छावनी क्षेत्रों के अंतर्गत रक्षा भूमि के सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो छावनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पथकर दरें

4072. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर दर या पथकर प्रभार क निर्धारण करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पथकर प्रभार का विनियमन करने हेतु नोडल निकाय/एजेन्सी कौन-कौन हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी हां।

(ख) पथकर दरों अथवा पथकर प्रभारों के निर्धारण के मानदंड, समय-समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस) नियमावली 1997 और राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 में दिए गए हैं।

(ग) देश में पथकर प्रभार विनियमित करने के लिए नोडल बॉडी/एजेंसी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है।

शारीरिक एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु निधियां

4073. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पहाड़ी, जनजातीय एवं दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले शारीरिक एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु अलग से निधियां आवंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान आवंटित उक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं कि इन योजनाओं का लाभ लक्षित क्षेत्रों तक पहुंच सके; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या प्रगति हुई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) शारीरिक और मानसिक विकलांग व्यक्तियों सहित सभी विकलांगजन के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं अर्थात् दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना, सहायक सामग्री/उपस्कर की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांगजन सहायता योजना, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन की योजना आदि को मंत्रालय प्रशासित करता है। इन योजनाओं में पहाड़ी जनजातीय और सुदूर सहित सम्पूर्ण भारत को शामिल किया जाता है।

[हिन्दी]

पिछड़े जिलों में विशेष आर्थिक क्षेत्र

4074. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के पिछड़े क्षेत्र जैसे बिहार आदि में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का देश के सभी पिछड़े जिलों में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र में स्थापित किये जाने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) एसई जेड अधिनियम, 2005 की शर्तों के अनुसार किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना वस्तुओं का विनिर्माण करने अथवा सेवाएं प्रदान करने या दोनों के लिए अथवा एक मुक्त व्यापार भाण्डागार जोन के रूप में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार अथवा किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग की जा सकती है। संबधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र की सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुशंसित ऐसे प्रस्तावों पर एसईजेडों के लिए गठित अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। एसईजेड अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत स्थापित किए जा रहे एसईजेड प्राथमिक रूप से निजी निवेश द्वारा चलाए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र एवं राजस्थान में स्थापित एसई जेडों का ब्यौरा निम्नानुसार है

राज्य	औपचारिक अनुमोदन	अधिसूचित एसईजेड	निर्यात करने वाले एसई जेड (केन्द्र सरकार+राज्य सरकार/ निजी एसई जेड एसई जेड अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अधिसूचित)
महाराष्ट्र	102	63	18
राजस्थान	10	9	4

एसईजेड की स्थापना करने के लिए बिहार सरकार द्वारा संस्तुत कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विदेशी इस्पात परियोजनाओं में निवेश

4075. श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी:**
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विदेशी परियोजनाओं का देश-वार ब्यौरा क्या है जिनमें भारतीय इस्पात कंपनियों द्वारा निवेश किया गया है;

(ख) इन परियोजनाओं में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में ऐसी परियोजनाओं से इन कंपनियों द्वारा रोजगार के कितने अवसर सृजित होने की संभावना है;

(ग) क्या कुछ भारतीय इस्पात कंपनियों को अफगानिस्तान के इस्पात संयंत्रों में निवेश हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। निजी इस्पात कंपनियां विदेशों में निवेश के संबंध में निर्णय आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार और अपने व्यावसायिक योजनाओं/आकांक्षाओं के अनुरूप लेती हैं। तथापि, इस्पात मंत्रालय इस संबंध नहीं रखता है। जहां तक इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) का संबंध है इस प्रकार के निवेश अभी तक नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। खान मंत्रालय, अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य द्वारा बामियान प्रांत में अनुमानित 1.77 बिलियन टन भंडार हाजीगक आयरन ओर डिपोजिट के विकास के लिए एक विश्वस्तरीय निविदा जारी की गई थी।

भारतीय कंपनियों यथा स्टील अथॉरिटी ओंफ इंडिया लिमिटेड (आरआईएनएल), जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल), जेएसडब्ल्यू, जेएसडब्ल्यू इस्पात और मोनेट इस्पात एंड एनर्जी के एक कंसोर्टियम ने अपनी बोली दिनांक 4.9.2011 को प्रस्तुत कर दी है।

सेल के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत बोली में रेल, सड़क, विद्युत संयंत्र जैसी अवसंरचना का विकास होने और अफगानिस्तान सरकार द्वारा कोकिंग को लिंकेज प्रदान करने की शर्त पर एक स्टील संयंत्र की स्थापना करने और हाजीगक आयरन ओर डिपोजिट का विकास किये जाने को प्रस्तावित किया गया है।

इस कंसोर्टियम को कुल 1288.75 एमटी लौह अयस्क भंडार की अनुमानित क्षमता वाले 3 ब्लॉक प्रदान किए गए हैं और आगे बातचीत शीघ्र ही की जानी है।

यह सीपीएसई और निजी क्षेत्र की संबंधित कंपनियों द्वारा अपने व्यावसायिक आकांक्षाओं और पारस्परिक हितों के आधार पर लिया गया एक वाणिज्यिक निर्णय है। इस्पात मंत्रालय इस प्रगति के विरुद्ध नहीं है।

[अनुवाद]

पत्तन विनियमन प्राधिकरण विधेयक

4076. श्री रूद्रमाधव रायः
श्री वैजयंत पांडाः

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के बड़े एवं छोटे दोनों प्रकार के पत्तनों हेतु पत्तन विनियमन प्राधिकरण (पीआरए) के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों विशेषकर ओडिशा सहित समुद्रवर्ती राज्यों ने इसका विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या कार्य-योजना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ङ) जी, हां। तथापि, समुद्रीय राज्यों सहित कुछ स्टेकहोल्डरों से प्राप्त आरक्षणों और प्रतिक्रियाओं के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अभी तक पत्तन विनियामक प्राधिकरण (पी.आर.ए.) का प्रस्तावित मसौदे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस मामले में आगे विचार-विमर्श किया जा रहा है।

कोंकण क्षेत्र में पर्यावरण मंजूरी

4077. श्री संजय दिना पाटीलः
डॉ. संजीव गणेश नाईकः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के कोंकण क्षेत्र में स्थित परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय मंजूरी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र के विकास पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पर्यावरणीय और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) कोंकण क्षेत्र, महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के तहत परियोजनाओं पर विचार करने पर एक अधिस्थगन लगाने के लिए दिनांक 16 अगस्त, 2010 को एक परिपत्र जारी किया गया था। श्रेणी 'क' और 'ख' की परियोजनाओं पर लागू यह अधिस्थगन, क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं के साथ-साथ भारी संख्या में प्रस्तावित परियोजनाओं के कारण संभावी पारिस्थितिकीय अवक्रमण और पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित चिंताओं को मद्देनजर लगाया गया है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अधिस्थगन राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं मुख्यतः शून्य बहि-स्राव और प्रौन्नत प्रौद्योगिकियों वाली औद्योगिक सम्पदा में अवस्थित परियोजनाओं, गैर-तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) क्षेत्रों में रेत खनन संबंधी परियोजनाओं और अगस्त 2010 में अधिस्थगन लगाए जाने से पूर्व प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर अन्य सभी परियोजनाओं पर लागू है।

[हिन्दी]

सीमा सड़क संगठन की सड़क परियोजनाएं

4078. डॉ. मोनाजिर हसनः
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंहः**
श्री दिनेश चन्द्र यादवः
श्री नरहरि महतोः
श्री नृपेन्द्र नाथ रायः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को केवल सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षो के दौरान देश में इस संगठन द्वारा निर्मित सड़कों की संख्या तथा इनकी लम्बाई कितनी-कितनी है;

(ग) इनके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई एवं उपयोग में लाई गई तथा प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सीमा सड़क संगठन जनशक्ति की कमी का सामना कर रहा है जिससे निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार इस कमी को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) सीमा सड़क संगठन 73 सामरिक सड़क परियोजना, जनरल स्टाफ सड़क (दीर्घकालीन संदर्शी योजना (I और II), एसएआरडीपी-एनई, अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज और जम्मू व कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना जैसे प्रमुख निर्माण-कार्यों को निष्पादित कर रहा है। विगत तीन वर्षो के दौरान देश में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़कों की संख्या और लम्बाई कि. मी. में (एकल लेन के बराबर) निम्नानुसार हैं

वर्ष	निर्माणाधीन सड़कों की संख्या	पूर्ण किया गया निर्माण (कि.मी.)	बिछाई गई ऊपरी सतह (कि.मी.)
2008-09	205	1408	2825
2009-10	208	1595.02	3175.10
2010-11	208	1758.04	2511.99

(ग) परियोजनाओं के लिए स्वीकृत उपयोग में लाई गई धनराशि तथा परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है

वर्ष	स्वीकृत धनराशि	उपयोग में लाई गई धनराशि
2008-09	2993.52	2937.84
2009-10	3791.21	3601.58
2010-11	4432.36	3888.83

सीमा सड़क संगठन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। विभिन्न परियोजनाओं के तहत 145 सड़कें पूरी की जा चुकी हैं। 15 सामरिक सड़कें, 8 दीर्घकालीन संदर्शी योजना (एलटीपीपी) I, III जनरल स्टाफ (जीएस) सड़कें, 2 जम्मू व कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज और 9 अन्य सड़कें पूरी की जा चुकी हैं। अन्य सड़कें प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। सीमा सड़क संगठन की वर्तमान क्षमता इसकी 42,636 प्राधिकृत क्षमता की तुलना में 36608 है। तथापि, जनशक्ति की भर्ती करके इस कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है। भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए जीआरईएफ, पुणे के अलावा ऋषिकेश, पठानकोट,

जोधपुर और तेजपुर में गतिशील भर्ती टीमें गठित की गई हैं और भर्ती जारी है।

[अनुवाद]

आईटीआई द्वारा तकनीकी शिक्षा

4079. श्री अम्बिका बनर्जीः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जिला स्तर पर आईटीआई खोलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में विशेषकर कर्नाटक राज्य में नई आईटीआई खोलने हेतु कतिपय दिशानिर्देश जारी कियें हैं तथा वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन संस्थानों को खोलने हेतु सीधे निधियां प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ङ) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएंडटी), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कौशल विकास का संवर्धन करने के लिए पूरे देश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति में 1500 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआईज) एवं 5000 कौशल विकास केन्द्र (सीडीसीज) को खोलने हेतु "कौशल विकास योजना (केवीवाई)" नामक एक योजना तैयार कर रहा है। योजना आयोग ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। योजना के लिए अनुमोदन प्रक्रिया जारी है।

चूंकि योजना अनुमोदनाधीन है, इसलिए विस्तृत दिशानिर्देश एवं वित्तीय सहायता को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। इस योजना में कर्नाटक राज्य सहित सभी राज्य और संघ-शासित प्रदेश शामिल होंगे।

वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की पद्धति को योजना के अनुमोदन के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

सड़क का उन्नयन एवं चौड़ीकरण

4080. श्री विष्णु देव सायः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरगुजा से पथलगांव तक तथा पथलगांव से लोदाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 और 78 के उन्नयन एवं चौड़ीकरण हेतु प्रति वर्ष कितने व्यय का प्रावधान किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किए गए कार्य तथा उन पर हुए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने फीट चौड़ाई तक इन सड़कों को चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है; और

(घ) वर्ष 2011-12 के दौरान किये जा रहे कार्य तथा व्यय की जा रही धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (घ) संस्वीकृत कार्यों पर किए गए व्यय के लिए निधि का आबंटन राज्य-वार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान, क्रमशः 75.00 करोड़ रुपए, 51.00 करोड़ रुपए और 92.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। तथापि, वर्ष 2009-10 से राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (पूर्ववर्ती रारा 78) पर सरगुजा से पथलगांव तक तथा पथलगांव तक तथा पथलगांव से लोदाम तक सड़क के उन्नयन एवं चौड़ीकरण हेतु 110.57 करोड़ रुपए की कुल संस्वीकृत राशि के साथ 17 कार्य शुरू किए गए थे। इन कार्यों पर वर्ष 2009-10 से आज तक 60.54 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है जिसमें वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए 5.92 करोड़ रुपए का खर्च शामिल है। ये कार्य, कार्यान्वयन के अलग-अलग स्तरों पर हैं। वर्तमान में, इस मार्ग को 22 फीट (7.0 मीटर) तक चौड़ा करना प्रस्तावित है।

सड़कों का निर्माण

4081. श्रीमती सुमित्रा महाजनः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों से वर्ष 2014 से पहले 7800 किमी सड़क के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों विशेषकर मध्य प्रदेश में प्रतिदिन तथा प्रति वर्ष कितने किमी लम्बी सड़क के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है तथा इस उद्देश्य हेतु कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं; और

(ग) उक्त निर्माण कार्य कब तक शुरू/पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जीआरईएफ कर्मचारियों हेतु अधिनियम

4082. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषादः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जीआरईएफ) के कर्मचारियों के लिए लागू अधिनियमों/नियमों की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए सीमा सड़क विकास बोर्ड (बीआरडीबी) द्वारा किसी समिति का गठन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जीआरईएफ) के कार्मिकों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए पृथक नियम बनाने के सीमा सड़क विकास संगठन (बी आर डी बी) ने 12 अगस्त, 2009 को महानिदेशालय सीमा सड़क विकास संगठन (बी आर डी बी) ने 12 अगस्त, 2009 को महानिदेशालय सीमा सड़क के अतिरिक्त महानिदेशक (सीमा सड़क) की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का सुझाव दिया था जिसमें उप-महानिदेशक (चिकित्सा), प्रशासनिक संवर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक स्तर के एक अधिकारी तथा सीमा सड़क इंजीनियरिंग सेवा संवर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। तदनुसार, इस समिति द्वारा जीआरईएफ अधिनियम का एक मसौदा तैयार किया गया है तथा बीआरडीबी सचिवालय को प्रस्तुत किया गया है। तथापि विभिन्न भागीदारों के साथ परामर्श करके विभिन्न संबंधित विषयों की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात ही इस मामले और निर्णय लिया जा सकता है।

एनएचएआई द्वारा लिया गया ऋण

4083. श्री भर्तृहरि महताबः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अब तक लिए गए ऋण की मात्रा कितनी है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उस पर किस दर से ब्याज वसूला गया;

(ख) एनएचआई द्वारा उक्त अवधि के दौरान पथ कर और अन्य करों के माध्यम से कितनी आय अर्जित की गई;

(ग) सरकार ने लिए गए ऋण और अर्जित राजस्व के कुशल और समुचित उपयोग हेतु क्या प्रबंध किए हैं; और

(घ) लक्षित समय-सीमा की तुलना में इसके परिणामस्वरूप क्या प्रगति की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) गत तीन वर्ष के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋणों, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के अंतर्गत पूंजी लाभ कर छूट (सीजीटीई) बांड जारी करके बाजार ऋणों से जुटाई गई निधि और प्राप्त पथकर राजस्व का ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

वर्ष	सरकार द्वारा एनएचएआई को प्रदान किए गए ऋण		सीजीटीई बांड के माध्यम से बाजार ऋण से जुटाई गई निधियां		प्राप्त कुल पथकर राजस्व (करोड़ रुपए में)
	ऋण राशि (करोड़ रुपए में)	वार्षिक ब्याज दर	ऋण राशि(करोड़ रुपए में)	वार्षिक ब्याज दर	
2008-09	379	13.5%	1630.010	5.75/6.25%	1748.02
2009-10	68	13.5%	1153.631	6.25 %	1965.29
2010-11	80	13.5%	2160.106	6.00%	2228.58

(ग) अनुमानित व्यय और निधि के उपलब्ध संसाधनों (अर्जित राजस्व सहित) के बीच का अंतर पूरा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बाजार ऋण जुटाए जा रहे हैं। तदनुसार, ऋण से प्राप्त निधियों और अर्जित राजस्व (पथकर राजस्व) का उपयोग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए लक्ष्यों/अधिदेश की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पथकर राजस्व (पथकर संग्रहण, राजस्व भगीदारी, ऋणात्मक अनुदान/अधिमूल्य सहित) भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और इसके बराबर धनराशि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा वापस की जाती है।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वर्ष 2011-12 के लिए 7500 करोड़ रुपए के ऋण का अनुदान लगाया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने चालू वित्त के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-54ईसी के अंतर्गत सीजीटीई बांड जारी करके अभी तक 1330.00 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई है।

[हिन्दी]

एमटीएनएल की वरिष्ठता सूची

4084. डॉ. बलीरामः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों से संबंधित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संविधान संशोधन (85वां विधेयक), 2001 की उपेक्षा किए जाने के संबंध में पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग ने आयोग को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या आयोग ने इस बात की पुष्टि की है कि उक्त समीक्षित वरिष्ठता सूची संविधान के अनुच्छेद 16 (4क) के अनुरूप है; और

(ङ) यदि नहीं, तो आयोग ने अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, उसे एक अनुसूचित जाति अधिकारी से टेलीकॉम इंजीनियर सेवा समूह "ख" की वरिष्ठता सूची में विसंगति के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है तथा यह मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

पोतों के लिए सुरक्षा उपाय

4085. श्री दुष्यंत सिंहः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोत परिवहन मंत्रालय ने आपके मंत्रालय को पोतों/जहाजों के लिए सुरक्षा उपायों के संबंध में अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आपके मंत्रालय से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण इस प्रयोजन हेतु आवंटित धनराशि व्यपगत हो गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) रक्षा मंत्रालय ने पोत परिवहन मंत्रालय से अनुरोध किया था कि सभी भारतीय जहाजरानी कंपनियों को सलाह दें कि वे किसी समुद्री डकैतों के आक्रमण की स्थिति में पोत-कर्मियों की सुरक्षा के लिए अपने पोतों पर उत्कृष्ट प्रबंधन पद्धतियों को, विशेषकर 'सुरक्षित घर' अथवा 'सिटेडल' के निर्माण को अपनाएं। पोत परिवहन मंत्रालय ने जहाजरानी उद्योग को परामर्श दिया है कि वे उत्कृष्ट प्रबंधन पद्धतियों को अपनाएं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अलार्म, परिहार युक्तियां, पहरेदारी के दौरान संवर्धित को अपनाएं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अलार्म, परिहार युक्तियां, पहरेदारी के दौरान संवर्धित सतकर्ता, पहुंच बिंदुओं पर नियंत्रण तथा सुरक्षित घर शामिल हैं।

शिपयार्ड-सह-पत्तन

4086. श्री उदय सिंहः क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के तटीय राज्यों से देश में मुख्य पत्तनों पर अधिक यातायात को कम करने के लिए एकीकृत शिपयार्ड-सह-पत्तनों की स्थापना करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तटीय राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए स्थानों की पहचान/चयन करने के लिए तटीय राज्यों/क्षेत्रों को कोई केन्द्रीय दल भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां। भारत सरकार ने देश के सभी तटीय राज्यों से किसी नए महापत्तन अथवा किसी नए पोत निर्माण यार्ड अथवा किसी सामूहिक पत्तन-सह-पोतनिर्माण यार्ड स्थापित किए जाने हेतु अपने अपने राज्यों में संभावनाएं तलाशने का और परिवहन मंत्रालय को एक व्यापक प्रस्ताव देने का अनुरोध किया है।

(ख) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित उपयुक्त स्थलों के निर्धारण हेतु तक तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

(घ) तकनीकी समिति के लिए विचारार्थ विषयों का एक विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया है और उसे संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

समिति के विचारार्थ मद निम्नानुसार हैं-

(i) समिति आंध्र प्रदेश राज्य में एक नए ग्रीनफील्ड महापत्तन सह पोत निर्माण केन्द्र के विकास हेतु सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त स्थान का निर्धारण करने संगत दस्तावेजों और अपेक्षित सामग्री के साथ संस्तुत किए गए स्थलों पर जाएगी।

(ii) प्रस्तावित स्थानों के संदर्भ में मौजूदा पत्तनों की पश्चभूमि और भविष्य में होने वाले व्यापार की मात्राओं के पूर्वानुमानों/अनुमानों को ध्यान में रखते हुए कार्गो यातायात प्रोफाईल और क्षमताओं के ब्यौरों सहित पूर्वी तट में नजदीकी मौजूदा पत्तनों (महापत्तनों और महापत्तनों से इतर पत्तनों सहित) के अवस्थान का अध्ययन करना।

(iii) सभी मौसमों में कार्य करने वाले एक पत्तन सह पोत निर्माण/मरम्मत केन्द्र जो कि आधुनिक समय के अत्याधुनिक बड़े आकार के जलयानों को सेवा प्रदान कर सकेंगे, के विकास हेतु पर्याप्त प्राकृतिक डुबाव की उपलब्धता के आकलन हेतु प्रस्तावित स्थलों/स्थानों के अद्यतन बनाए गए नौचालनात्मक चार्टों का अध्ययन करना।

(iv) आबादियों/लोगों के विस्थापन और पुनर्वास से संबंधित सबसे कम विषयों/समस्याओं के विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा हस्तांतरित किए जाने वाले पर्याप्त समर्थन क्षेत्र की उपलब्धता का अध्ययन करना और आकलन करना।

(v) सभी प्रस्तावित स्थलों/स्थानों के लिए नजदीकी पश्चभूमि से उपलब्ध रेल और सड़क संपर्क और कार्गो की कुशलता से निकासी हेतु मौजूदा अवसंरचना को बढ़ाने की अपेक्षा तथा उस पर होने वाले निवेश से संबंधित अध्ययन करना और जांच करना।

(vi) पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रस्तावित स्थलों की संवेदनशीलता की प्रकृति (मैनग्रोव वनस्पति सहित) और प्राकृतिक अपरदन से स्थलों की उपयुक्तता तथा भारी गादभराई/तलछटीकरण से जलमार्ग और बंदरगाह क्षेत्र का अध्ययन करना और जांच करना।

(viii) प्रस्तावित स्थलों पर तकनीकी रूप से व्यवहार्य और आर्थिक रूप से व्यवहार्य संपूर्ण महापत्तन सह पोत निर्माण केन्द्रों के विकास के लिए यथाअपेक्षित वित्तीय निवेश की प्रस्तावित मात्रा के साथ-साथ विकसित की जाने वाली समग्र अवसंरचनात्मक क्षमताओं का आकलन करना।

(ix) यह समिति सभी संगत हिस्सेदारों के साथ स्थल के चुनाव के मामले पर विचार भी करेगी और उनके विचारों और सुझावों की जांच भी करेगी।

(x) अन्य किन्हीं मामलों की जॉच करना जो कि संगत हों।

[हिन्दी]

पैदल उपरि पुल का निर्माण

4087. श्री गोरखनाथ पाण्डेय: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ बने उपरि पुलों/पैदल उपरि पुलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे ऊपरि पुल न होने अथवा पर्याप्त संख्या में न होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस राजमार्गों पर दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पैदल यात्रियों की सुरक्षा हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का विचार राष्ट्रीय/एक्सप्रेस राजमार्गों पर नए पैदल उपरि पुलों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में बनाए जाने वाले पैदल उपरि पुलों का ब्यौरा और उनकी संख्या कितनी है तथा इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में छूट

4088. श्री वीरेन्द्र कुमारः
श्रीमती कमला देवी पटलेः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छत्तीसगढ़ सहित देश में राजस्व भूमि के रिकार्डों में छोटी झाड़ियों को दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में उपलब्ध खनिज संसाधनों का इष्टतम तरीके से दोहन करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) देश में भूमि रिकार्डों का जिलों में कलेक्टरों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा रख-रखाव किया जाता है। राज्य सरकारों ने भूमियों की प्रकृति और उपयोग के अनुसार भूमियों को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न वर्गों का सृजन किया है। छोटी झाड़ियों वाले भूमियों को विभिन्न नामों से वर्गीकृत किया जाता है, उदाहरण स्वरूप "छोटे-बड़े झाड़ का जंगल", "जंगल-छोटी-छोटी झाड़ियां एवं घास-फूस", "जंगल झाड़ी" आदि हैं। इनको इसकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

(घ) और (ङ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 खनिज संसाधनों की निकासी हेतु परियोजनाओं सहित गैर-वानिकी उपयोगी के लिए वनभूमि के विपथन को नियंत्रित करने का अधिनियम है। इस उद्देश्य हेतु वन में विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधिसूचित वन, स्वामित्व का ध्यान किए बिना किसी सरकारी रिकॉर्ड में वनों के रूप में दर्ज भूमियां और शाब्दिक अर्थ में वनों के रूप में क्षेत्र शामिल हैं। इसमें बनाए गए अधिनियमों और नियमों के उपबंधों में यह प्रावधान है कि गैर वानिकी उपयोगों के लिए वनभूमि का विपथन केवल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही किया जाता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को संशोधित करने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग 49 और 220

4089. श्री पी.टी. थॉमसः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल में रारा 220 और रारा 49 पर भूमि अधिग्रहण, बाइपासों का संरक्षण और उनको चौड़ा करने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कार्य को गति प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं; और

(ग) उक्त कार्यों को अब तक पूरा किए जाने की संभावना है और इसके लिए कितनी निधियां आबंटित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) रारा 220 और रारा 49 पर अभी तक कोई चौड़ीकरण कार्य शुरू नहीं किया गया है। रारा-49 के संरेखण (बाइपासों के संरेक्षण सहित) को अंतिम रूप दे दिया गया है और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा भूमि आयोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वार आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रारा-220 के संरेखण (बाइपासों के संरेखण सहित) को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार को नियमित रूप से कहा जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त दोनों परियोजनाएं, परियोजना तैयारी स्तर पर हैं और असीलिए इन्हें पूरा करने की संभावित तारीख और इसके लिए आवंटित निधि का ब्यौरा देना अभी जल्दबाजी होगी।

खेत वन योजना लागू करना

4090. श्री नलिन कुमार कटीलः
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में वनीकरण को बढ़ावा देने हेतु खेत वन योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में किसानों को रियायती दरों पर टीक, बांस, सिल्वर ऑक और फलदार पौधों की आपूर्ति की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो क्या देश में किसानों को नकली/घटिया पौधों की आपूर्ति की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) देश में खेत वन हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, देश में अवक्रमित वनों और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के पुनरूद्धार हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना को राज्य स्तर पर राज्य वन विकास अभिकरण (एसएफडीए) के विकेन्द्रीकृत मशीनरी, वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफडीए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

कृषि मंत्रालय वर्ष 2006-07 से देश के 27 राज्यों में राष्ट्रीय बांस मिशन के केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है और किसानों की आय को बढ़ाने हेतु बांस की उपज की संभावना को उपयोग में लाने के क्रम में 8000/- रुपए प्रति हेक्टेयर की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के घटकों में गुणवत्ता पौधरोपण सामग्री का अधिक उत्पादन, उन्नत पश्च फसल प्रबंधन, मानव संसाधनों और विपणन सुविधाएं शामिल हैं

राष्ट्रीय बांस मिशन के अलावा, देश भर में मृदा अपरदन, भूमि अवक्रमण और अवक्रमित कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता/उर्वरकता में सुधार लाने के मद्देनजर कृषि मंत्रालय द्वारा चार केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों; नामशः वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (एनडब्लयू डीपीआरए), नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ग्रस्त नदी के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (आरवीपी एण्ड एफपीआर), क्षारीय और लवण मृदाओं मृदाओं का पुनरूद्धार और विकास (आरएडीएएस) और झूम कृषि क्षेत्रों में वाटरशेड विकास परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, क्षेत्र सीमा पर पौध/पौधरोपण/बांध/समोच्च बांध कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे घटक में से एक हैं।

राष्ट्रीय महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के भी अन्तर्गत, वनीकरण और वृक्षारोपण सहित सूखारोधी, दिहाड़ी मजदूरी रोजगार के लिए और लघु एवं सीमांत किसानों के वैयक्तिक भूमियों पर पौधरोपण हेतु गतिविधियां सूचीबद्ध हैं।

(ग) राज्य सरकार के पास नमूनों की आपूर्ति हेतु विभिन्न स्कीमों सहित जो कि सागौन, बांस और अन्य प्रजातियां, किसानों को रियाश्ती दरों पर हैं।

(घ) से (च) कृषि मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम और मिशन क्रियान्वित किए जा रहे हैं और अवमानक पौधों/वृक्षों की आपूर्ति के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

रक्षा विश्वविद्यालय

4091. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में किसी रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है; और

(ग) इस संबंध में कार्य कब तक आरंभ होने और विश्वविद्यालय के कब तक चालू होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ईएसआई केन्द्र

4092. श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश-सहित देश में ईएसआई केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को देश में ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सा विशेषज्ञों, उपकरणों और औषधियों की अनुपलब्धता तथा महिला डॉक्टरों की कमी की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने के लिए ईएसआई अस्पतालों/डिस्पेंसरियों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के औद्योगिक शहर उज्जैन में किसी ईएसआई सुविधा केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) मध्य प्रदेश सहित देश में 790 कर्मचारी राज्य बीमा केन्द्र हैं।

(ख) देश में क.रा.बी. अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों तथा दवाइयों की उपलब्धता सामान्यतः संतोषजनक है। तथापि, क.रा.बी. अस्पतालों में चिकित्सकों की रिक्तियां हैं। महिला चिकित्सकों के लिए अलग से कोई संस्वीकृत पद नहीं हैं।

(ग) बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए क.रा.बी. अस्पतालों तथा औषधालयों के पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। उठाए गए विभिन्न कदम निम्नवत हैं

1. चिकित्सा देख-रेख सुविधाओं में सुधार के लिए सभी क.रा.बी. अस्पतालों में अस्पताल विकास समितियों का गठन किया गया है और उन्हें निर्णय लेने हेतु पर्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान की गयी हैं।
2. क.रा.बी. निगम अस्पतालों ने आधुनिकीकरण एवं अद्यतनीकरण तथा आधुनिक उपकरण देने का कार्य शुरू किया है ताकि नैदानिक एवं चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की जा सकें।
3. अस्पतालों के लिए उपकरणों हेतु शीघ्र मंजूरी प्रदान करने के लिए क.रा.बी. निगम के राज्य स्तर के वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्तों/राज्य चिकित्सा अयुक्तों को उपकरणों के लिए 25 लाख रुपये प्रति इकाई की संस्वीकृति हेतु वित्तीय शक्तियां प्रदान की गयी हैं।
4. दवाइयों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क.रा.बी. निगम एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक दवाओं के लिए दर संविदा तैयार करती है तथा उसे सभी राज्य सरकारों को भी दवाइयां प्राप्त करने हेतु भेजती है।
5. क.रा.बी. निगम प्रतिष्ठित संगठनों से अपने अस्पतालों एवं औषधालयों की ग्रेडिंग करवाती है। इसके अतिरिक्त, अस्पतालों एवं औषधालयों के आईएसओ प्रमाणन के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।
6. 01.08.2008 से उच्चतम सीमा से बाहर अति विशेषज्ञता वाले इलाज पर होने वाले व्यय को क.रा.बी. निगम द्वारा वहन किया जा रहा है और क.रा.बी. निगम ने प्रतिष्ठित सरकारी अथवा निजी अस्पतालों के साथ टाई-अप व्यवस्था शुरू की है ताकि क.रा.बी. लाभार्थियों को नकद रहित एवं कठिनाई मुक्त सेवाएं प्रदान की जा सकें।
7. इसके अतिरिक्त, क.रा.बी. निगम ने मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों तथा क.रा.बी. निगम/क.रा.बी. अस्पतालों में अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण स्कूल चलाने की परियोजना शुरू की है।
8. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य के क.रा.बी. अस्पतालों में अंशकालिक विशेषज्ञ/अति विशेषज्ञों की सीधी नियुक्ति की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क.रा.बी. लाभार्थियों को समुचित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसका पूरा व्यय क.रा.बी. निगम द्वारा वहन किया जाता है।

(घ) और (ङ) क.रा.बी. निगम उज्जैन में पहले से ही 50 बिस्तरों वाला एक अस्पताल तथा 2 औषधालयों सहित एक शाखा कार्यालय चल रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र को दिशानिर्देश

4093. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सभी सरकारी उपक्रमों में कार्य कर रहे श्रमिकों को व्यावसायिक श्रमिक न्यायाधिकरण पुरस्कार प्रदान करने के संबंध में संस्थानों को क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के संस्थान निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे सरकारी उपक्रमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा विशेषरूप से ऐसे संस्थानों के श्रमिकों के कल्याण हेतु उक्त दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) न्यायाधिकरणों के पंचाट के विरुद्ध दायर की गयी जांच संबंधी अपीलों के उद्देश्य से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 8 अगस्त, 1964 के ज्ञापन द्वारा सभी नियोजक मंत्रालयों को यह अनुरोध करते हुए प्रक्रिया जारी की थी कि उनके नियंत्रणधीन सभी उपक्रमों को यह नोटिस भेजा जाए। प्रक्रिया का ब्यौरा निम्नवत हैः

(i) जब कभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम किसी श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय के किसी पंचाट अथवा निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर करने का इच्छुक हो तो इसे सर्व प्रथम मामलें के तथ्यों का सदर्भ संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को भेजना चाहिए;

(ii) यदि विधि मंत्रालय से परामर्श करने के पश्चात् प्रशासनिक मंत्रालय भी यह मानता है कि अपील की जानी चाहिए तो इसे श्रम मंत्रालय से परामर्श करना चाहिए; और

(iii) जहां प्रशासनिक मंत्रालय और श्रम मंत्रालय सहमत न हों वहां मामले को आर्थिक सचिवों के समक्ष रखा जाना चाहिए।

(ख) से (घ) दिनांक 8.8.1964 के ज्ञापन द्वारा परिचालित जांच संबंधी अपीलों की प्रक्रिया अभी भी प्रचलन में है और उन सभी प्रकार के विवादों, जिनमें न्यायाधिकरणों द्वारा पंचाट दिया जाता है, के संदर्भ में इसका अनुसरण किया जा रहा है। जब कभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जांच प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना न्यायाधिकरण के पंचाटों के विरुद्ध रिट याचिका दायर करते हैं तब यह मंत्रालय मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय से क्षेत्रीय श्रमायुक्त, (केन्द्रीय) को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध करता है कि केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउंसिल को लगाया जाए और मामले को स्वीकार करते समय प्रारम्भिक आपत्तियां की जाएं।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य देखने वाले सभी मंत्रालयों को इस प्रक्रिया को दोहराते हुए समय-समय पर ये अनुदेश जारी किए जाते हैं। इस प्रक्रिया के उचित कार्यकरण के मूल्यांकन के उद्देश्य से यह अनुरोध किया गया था कि सभी नियोजक मंत्रालय अपने नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को यह सूचना परिचालित करें तथा इस प्रक्रिया का सख्ती से पालन करें।

[अनुवाद]

सड़क सुरक्षा हेतु एनजीओ

4094. श्री ए. गणेश मूर्तिः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्पादन हेतु क्या कार्य प्रणाली तैयार की गई है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) सरकार, देश में सड़क सुरक्षा के अभियानों में भाग लेने हेतु सभी हितधारियों को प्रोत्साहित करती है। ऐसे अभियानों में गैर-सरकारी संगठन भी स्वैच्छिक आधार पर भाग लेते हैं।

(ग) सड़क सुरक्षा मुद्दों पर प्रचार और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए मंत्रालय के पास चालू वित्तीय वर्ष के लिए 45 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। तथापि, वर्तमान में, इस प्रयोजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान प्रदान करने के लिए यह मंत्रालय कोई योजना नहीं चलाता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क

4095. श्री सुदर्शन भगतः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में रारा का भाग कुल सड़क नेटवर्क का केवल 2 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यस्त और बढ़ते हुए यातायात के दृष्टिगत सरकार का विचार राजमार्गों के नेटवर्क में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की तुलना में सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई (किमी)	सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई (किमी)	कुल सड़क नेटवर्क की लंबाई की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का प्रतिशत
2005-06	66,590	38,80,651	1.7
2006-07	66,590	40,16,401	1.7
2007-08	66,754	41,09,592	1.6
2008-09	70,548	आंकड़े उपलब्ध नहीं।	
2009-10	70,934	आंकड़े उपलब्ध नहीं।	
2010-11	70,934	आंकड़े उपलब्ध नहीं।	
2011-12	71,772$	आंकड़े उपलब्ध नहीं।	

$-अक्टूबर, 2011 की स्थिति के अनुसार

(ग) और (घ) यह मंत्रालय, मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेवार है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा सड़क संपर्क की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर की जाती है।

हथियारों की तस्करी

4096. श्री प्रभातसिंह पी. चौहानः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथियारों की बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) कुछ ऐसी रिपोर्ट है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विद्रोही इकाईयां चीन के युन्नान प्रांत, म्यांमार और एशिया के दक्षिण-पूर्वी देशों के हथियार तस्करों के जरिए हथियारों की खरीद कर रही हैं। इन हथियारों की छोटी-छोटी खेपें म्यांमार अथवा बांग्लादेश के रास्ते से भारत में भेजी जाती हैं।

(ग) भारत सरकार ने अपनी इन चिंताओं को चीन, म्यांमार तथा बांग्लादेश के समक्ष समय-समय पर कूटनीतिक माध्यमों से उठाया है। भारत-म्यांमार सीमा पर हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए, जनवरी, 1994 में सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं सद्भावना बनाए रखने

हेतु भारत और म्यांमार के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। सरकार ने सीमा पर चौकसी एवं निगरानी बढ़ा दी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र सेनाओं को विद्रोहियों द्वारा हथियारों की तस्करी के संबंध में सतर्क कर दिया गया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित गश्त की जा रही है।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में जीवन की रक्षा

4097. श्री वैजयंत पांडा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गहरे समुद्र में हुई नौसैनिकों की मृत्यु का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक शोक संतप्त परिवार को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समुद्र जनित खतरों को नियंत्रित करने के लिए गहरे समुद्र में सुरक्षा उपायों के कार्य को गति प्रदान करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गहरे समुद्र में व्यापारिक जलयानों पर शिपबोर्ड दुर्घटनाओं के कारण भारतीय समुद्री हताहतों की संख्या 84 है।

(ख) प्रतिपूर्ति संबंधी दावे सीधे तौर पर नियोक्ताओं और पीड़ितों के निकटतम आश्रित के बीच तय किए जाते हैं। पोत महानिदेशालय तभी हस्तक्षेप करता है जब पीड़ित परिवार उनसे सम्पर्क करते हैं।

(ग) सरकार ने समुद्र के रास्ते होने वाले अपने व्यापार की सुरक्षा और समुद्री यात्रा करने वाले समुदाय में आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए अक्तूबर 2008 से अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती विरोधी गश्त लगाने हेतु एक भारतीय नौसेना युद्धपोत की तैनाती की है। इसके अलावा, पोत मंत्रालय ने पोत उद्योग को बीएमपी अपनाने की सलाह दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अलार्म, परिहार योग्य युक्तियां, देख-रेख करते समय संवर्धित चौकसी, पहुंच बिंदु पर नियंत्रण और सुरक्षित गृह शामिल हैं।

पिछड़े वर्गों की सूची में समानता

4098. श्री प्रेम दास राय: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य और केन्द्र की सूची में समानता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में समानता लाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 9(1) के अंतर्गत, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को "नागरिकों के किसी वर्ग को सूचियों में पिछड़ा वर्ग के रूप में शामिल करने संबंधी अनुरोध की जांच करने और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अति-समावेशन या कम समावेशन की शिकायतों को सुझाव देने, जैसा वह उचित समझे" की शक्तियां प्राप्त हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम की धारा 9(2) के अंतर्गत "आयोग का सुझाव सामान्यता केन्द्र सरकार के लिए बाध्यकारी होगा।" तदनुसार, जातियों/समुदायों के समावेशन को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। राज्य सरकारें स्वयं की अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियां अधिसूचित करने के लिए सक्षम हैं।

रक्षा भूमि की लेखा परीक्षा

4099. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में नियमित आधार पर रक्षा भूमि की आंतरिक भूमि लेखा परीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रक्रिया चालू वित्तीय वर्ष में पूरी हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लेखा नियंत्रक द्वारा आंतरिक भूमि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में भूमि के महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि भूमि की लेखा परीक्षा को फिर-से शुरू किया जाएगा और इसे रक्षा सम्पदा महानिदेशालय द्वारा संचालित किया जाएगा। शुरू में भूमि लेखा परीक्षा कराने के लिए आदेश दक्षिण कमान, अर्थात् चेन्नै, मुम्बई, जोधपुर, विजाग, गोवा और कोच्चि स्थित छः सम्पदा कार्यालय सर्किलों तथा मध्य कमान स्थित एक रक्षा सम्पदा कार्यालय सर्किल मेरठ के संबंध में जारी किए गए हैं। कार्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ही पूरे किए गए जाने हैं।

(ग) और (घ) रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सम्पदा महानिदेशालय से संबंधित तीन सेवाओं के लिए भूमि अधिग्रहण मामलों के संबंध में एक विशिष्ट कार्य-निष्पादन लेखा परीक्षा अध्ययन करने के लिए रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) को निदेश जारी किए गए। मंत्रालय को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में रक्षा लेखा महानियंत्रक ने कई सिफारिशें की जिनमें अस्थाई अतिरिक्त भूमि की उपयोगिता की समीक्षा के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा करना शामिल है। सभी सिफारिशों पर रक्षा मंत्रालय द्वारा विचार किया गया। तदनुसार, भूमि लेखा परीक्षा रक्षा सम्पदा महानिदेशालय द्वारा की जा रही है जिसका उद्देश्यों के साथ रक्षा भूमि का बेहतर उपयोग करना है।

पनडुब्बियों की खरीद

4100. श्री जोस के. मणिः क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पनडुब्बियों की खरीद हेतु कोई आदेश पिछले छह माह से लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) परियोजना-75 (1) के अंतर्गत छह पनडुब्बियों के अधिग्रहण हेतु आवश्यकता की स्वीकार्यता को रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अगस्त, 2010 में मंजूरी दे दी गई है। इस मामले पर रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

बाघों के लिए अभयारण्य का विकास

4101. श्री गणेश सिंहः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के माड जंगलों में सफेद बाघों के अभयारण्य का विकास करने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में सफेद बाघों के सुरक्षित प्रजनन हेतु 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ग) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सहयोग से, मध्य प्रदेश राज्य के माध्यम से रीवा (मध्य प्रदेश) में गोविंदगढ़ में सफेद बाघ के सुरक्षित प्रजनन केंद्र की स्थापना हेतु कार्रवाईयां प्रारंभ की हैं।

[अनुवाद]

गंगा और यमुना कार्य योजना

4102. श्री मनोहर तिरकीः
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदारः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गंगा एवं यमुना कार्य योजना का क्रियान्वयन अपने पूर्ण होने के निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना तथा इसके क्रियान्वयन का चरण-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना की मूल लागत क्या है तथा विलंब के परिणामस्वरूप बढ़ी लागत चरण-वार कितनी है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के लिए आवंटित तथा उपयोग की गयी धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना को कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) गंगा कार्य योजना (जीएपी) चरण-I, गंगा नदी की जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वर्ष 1985 में शुरू

की गई और मार्च, 2000 में पूरी कर ली गई। 462 करोड़ रु. की परियोजनाओं की मंजूर की गई लागत में 433 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

जीएपी चरण-II के अंतर्गत परियोजनाएं, वर्ष 1993 से संबंधित राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति पर चरणों में स्वीकृत की गई। चालू जीएपी चरण-II के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की कुल लागत 594.96 करोड़ रुपए की तुलना में अब तक 469.75 करोड़ रुपए व्यय किए गए। जीएपी-I एवं II के अंतर्गत गंगा के लिए 1091 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

यमुना नदी के प्रदूषण उपशमन हेतु यमुना कार्य योजना (वाईएपी) चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित की जा रही है। 705.51 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत सहित वर्ष 1993 में वाईएपी चरण-I शुरू की गई जिसके लिए 682 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस चरण के पूर्ण होने का वर्ष 2000 था। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ भारत सरकार के निर्देशों पर अतिरिक्त कार्यों को शामिल किए जाने के कारण इस चरण का विस्तार 2003 तक किया गया।

5 वर्षों की पूर्ण अवधि में 624 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत सहित दिसम्बर, 2004 में वाईएपी का दूसरा चरण चरण शुरू किया गया। प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन करने के कारण इस चरण के शुरू होने में कुछ समय लग गया। इस चरण के अंतर्गत अब तक परियोजनाओं की स्वीकृत लाबत 666. 76 करोड़ रुपए रही है। कार्य क्षेत्र में संशोधन, अतिरिक्त कार्यों को लेने के कारण स्वीकृत लागत से अधिक राशि को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। दोनों ही चरणों के अंतर्गत 767. 25 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की कुल सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

अन्य प्रदूषण उपशमन संबंधी शुरू किए गए कार्यों में सामुदायिक शौचालयों का सृजन, विद्युत/उन्नत काष्ठ शवदाह गृह की स्थापना और नदी तटाग्र का विकास शामिल हैं। राज्यों द्वारा प्रदूषण उपशमन कार्यों के पूर्ण होने में विलंब होने के मुख्य कारण भूमि के अधिग्रहण में प्रक्रियात्मक मुद्दे, संविदात्मक विवाद मुकद्दमें आदि हैं। ऐसे विलंब के कारण यदि स्कीम की अनुमोदित/मंजूर की गई लागत में कोई वृद्धि होती है संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जानी चाहिए।

(ङ) और (च) गंगा और यमुना कार्य योजना दोनों को केन्द्र और राज्यों के बीच लागत शेयरिंग आधार पर क्रियान्वित किया जाता है। गत तीप वर्षों के दौरान गंगा और यमुना नदी के संरक्षण हेतु, राज्य के शेयरो सहित, राज्यों को जारी केन्द्रीय निधियों और किए गए व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	गंगा		यमुना	
	जारी निधियां	व्यय	जारी निधियां	व्यय
2008-09	54.85	63.58	98.99	119.52
2009-10	99.74	49.17	100.40	152.45
2010-11	466.73	113.53	103.39	197.96

वर्ष 2020 तक गंगा में बहने वाले अशोधित नगरीय सीपेज और औद्योगिक बहिःस्त्रावों का पूर्ण निस्तारण करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के जिए गंगा नदी के संरक्षण हेतु शक्ति सम्पन्न प्राधिकरण के रूप में फरवरी, 2009 में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का गठन किया गया। एनजीआरबीए के अंतर्गत 2589 करोड़ रू. की परियोजनाएं मंजूर की गई। इसके अलावा विश्व बैंक की सहायता से 7000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक परियोजना हाल ही में क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित की गई है।

केन्द्रीय स्कीमों, नामशः राष्ट्रीय जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन लघु तथा माध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम, के साथ-साथ सेक्टर स्कीमों के अंतर्गत सीवेज प्रबंधन और निपटान हेतु नगरीय अवसंरचना का सृजन जैसी नदी संरक्षण परियोजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

4103. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ीः
श्री एम श्रीनिवासुलु रेड्डीः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश के उन जनजाति बहुल क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव है जिन्हें अब तक सड़कों से जोड़ा नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित/जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए सीधे धनराशि प्रदान करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में राज्यीय सड़कों की 237 किमी लंबाई का विकास कार्य, 'वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 के दौरान वार्षिक योजना में जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के अंतर्गत निधियां निर्धारित करने का अनुरोध किया था। तदनुसार, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क-संपर्क के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम की योजना में टीएसपी के अंतर्गत 375.00 करोड़ रुपए की धनराशि तय की गई है।

आरसीएफएल द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करना

4104. श्री राम सुन्दर दासः
श्री कपिल मुनि करवारियाः
श्री प्रहलाद जोशीः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय रसायन तथा उर्वरक लि. (आरसीएफएल) द्वारा पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य पर्यावरणीय नियंत्रणों तथा निगरानी अभ्यासों का नियमित रूप से पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कंपनी द्वारा नवीनतम जलशोधन प्रौद्योगिकी को अंगीकार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने विभिन्न पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का अनुबंध करते हुए थाल फर्टिलाईजर कॉम्पलेक्स, रामगढ़, महाराष्ट्र हेतु मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाईजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल) को दिनांक 10 जून, 2009 के पत्र द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान की थी। मैसर्स आरसीएफएल, परियोजना प्रस्तावक को विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का अनुपालन करना अपेक्षित है। परियोजना प्रस्तावक, भोपाल में मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को ईसी में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार छमाही रिर्पोटें प्रस्तुत कर रहे हैं।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) मैसर्स आरसीएफएल ने विनियामक प्राधिकरणों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों और मापदण्डों के अनुपालन हेतु अपेक्षित जलशोधन संयंत्र प्रौद्योगिकियां अपनाई हैं।

पर्यावरण संबंधी मानकों का उल्लंघन

4105. श्री महेश्वर हजारीः
श्रीमती ऊषा वर्माः
श्रीमती सीमा उपाध्यायः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में भवनों के निर्माण के कारण विरासत भवनों को हुई किसी पर्यावरणीय क्षति पर सरकार ने गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार, 'नॉर्थ कैम्पस दिल्ली में मौजूदा विश्वविद्यालय परिसर का प्रस्तावित विस्तार' नामक परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए इंजीनियरिंग विभाग, कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अभी तक कोई पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भेषज उद्योग

4106. श्री ताराचंद भगोराः
श्री कोडिकुन्नील सुरेशः
श्री डीबी चन्द्रे गौडाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय भेषज उद्योग को चीन तथा ब्राजील की कंपनियों से जबर्दस्त प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चीन एवं ब्राजील के भेषज उद्योगों के साथ भारतीय भेषज कंपनियों को प्रतिस्पर्द्धा करने में समर्थ बनाने के पर्याप्त समर्थन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) भारतीय भेषज उद्योग में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश करने हेतु आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय भेषज निर्यातक, विशेषकर थोक भेषज क्षेत्र में, चीन से अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। चीन से सूत्रीकरण (फार्मूलेशन) के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा धीरे-धीरे बढ़ रही है। भारत लेटिन अमरीकी देशों में भी ब्राजील की कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। गत तीन वर्षों में भारत, चीन और ब्राजील के निर्यातों के विवरण नीचे दिए गए हैः

(मिलियन अमेरिकी डालर में)

	2008		2009		2010	
देश	थोक	सूत्रीकरण के क्षेत्र में	थोक	सूत्रीकरण के क्षेत्र में	थोक	सूत्रीकरण के क्षेत्र में
ब्राजील	89.43	960.19	92.40	1077.34	82.27	1270.40
चीन	5079.74	2888.69	5074.92	3397.26	6040.26	4461.17
भारत	815.82	5003.35	905.08	5009.56	1034.04	6093.22

स्त्रोतः यूएन कॉम्ट्रेड

(ग) सरकार चीन को भेषजों के निर्यात में भारत के हिस्से में वृद्धि सहित 2013-14 तक 25 बिलियन अमरीकी डॉलर तक भेषज निर्यातों को दोगुना करने की रणनीति पहले ही बना चुकी है।

(घ) मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार भेषज क्षेत्र में ग्रीनफील्ड निवेशों के लिए स्वतः मार्ग से 100 प्रतिशत तक एफडीआई अनुमत है जबकि सरकारी अनुमोदन मार्ग से भेषज-क्षेत्र में ब्राउनफील्ड निवेशों (अर्थात् मौजूदा कम्पनियों में निवेश) के लिए 100 प्रतिशत तक की एफडीआई की अनुमति है।

[हिन्दी]

वन्य जीवों द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाना

4107. श्री वीरेन्द्र कश्यपः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्रीमती सुशीला सरोजः
श्री राकेश पाण्डेयः
श्री पुलीन बिहारी बासकेः
श्री विष्णु देव सायः

श्री रमेश विश्वनाथ काट्टीः
श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः
श्री के.पी. धनपालनः
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधीः
श्री दिलीप सिंह जूदेवः
श्री कुलदीप बिश्नोईः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों से हाथी सहित वन्य जीवों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने तथा मानवों को मारने की घटनाओं की खबरें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मानवों तथा फसलों की क्षति के लिए मुआवजा प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित सुधारात्मक कदम क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन)ः (क) और (ख) हाथियों, तेंदुआ, काले भालू, वन्य सुअर और नील गायों इत्यादि जैसे वन्य पशुओं द्वारा लोगों की मौत की घटना और फसलों की क्षति की रिपोर्ट देश के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त हुई है। तथापि, ऐसी घटनाओं की राज्य/संघशासित प्रदेश-वार ब्यौरे मंत्रालय में समेकित नहीं किए जाते हैं।

(ग) और (घ) वन्य पशुओं के शिकार लोगों को क्षतिपूर्ति के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघशासित प्रदेश सरकारों की है। तथापि, बजट की उपलब्धता के अध्याधीन, केंद्र सरकार, वन्य पशुओं के शिकार लोगों को अनुग्रह राशि की अदायगी हेतु "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास", "हाथी परियोजना" और "बाघ परियोजना" की केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य/संघशासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता संपूरित/प्रदान करता है।

(ङ) सरकार ने देश में मानव-पशु भिंड़त की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए है;

(i) वन्यजीव पर्यावास के सुधार हेतु किए गए उपाय है; अर्थात वनों में खाद्य एवं जल की उपलब्धता का संवर्धन करना, ताकि पशु, वन से बाहर जाने का जोखिम न उठा सकें।

(ii) वन्यजीव के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क और वन्यजीव गलियारों का निर्माण करना।

(iii) वन्यजीव के आक्रमणों के मामले में करने योग्य कार्य और नहीं करने योग्य कार्य के बारे में लोगों को सुग्राही बनाने के लिए जागरुकता कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

(iv) मानव-वन्यजीव भिड़ंत की समस्या का निराकरण करने हेतु वन स्टाफ और पुलिस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

(v) बेहोश करने, बचाव केंद्रों को उनके स्थानांतरण अथवा प्राकृतिक पर्यावासों में उनको छोड़े जाने के माध्यम से समस्याग्रस्त पशुओं के भ्रमण को रोकने के लिए आवश्यक अवसंरचना और सहायक सुविधाओं का विकास करना।

(vi) वन्यजीव आक्रमणों से बचाव करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों के आस-पास हाथीरोधी खाईयों, चार दीवारों और सौर संचालित विद्युत बाड़ों जैसे बैरियरों का वास्तविक रूप से निर्माण करना।

(vii) वन्य पशुओं के कारण फसल की क्षति सहित लोगों को लगी चोटों, जीवन अथवा संपत्ति की क्षति के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान करना।

(viii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत समस्याग्रस्त पशुओं के शिकार की अनुमति हेतु राज्यों/संघशासित प्रदेशों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को शक्ति प्रदान किए जाते हैं।

(ix) मानव-वन्यजीव भिड़ंत के संबंध में लोगों की शिकायत को दूर करने और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में उनका सहयोग भी प्राप्त करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास गांवों में पारि-विकास समितियों का गठन किया जाता है।

(x) मानव-वन्यजीव भिड़ंत स्थितियों का प्रबंधन करने में विशेषज्ञता प्राप्त अनुसंस्थान और अकादमिक संस्थानों तथा प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को सुनिश्चित करना।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्रों का प्रभाव

4108. **श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः**
श्री हरिन पाठकः
श्री नलिन कुमार कटीलः

श्री अंजनकुमार एम. यादवः
श्री इज्यराज सिंहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड) देश में निर्यातों को प्रोत्साहन देने तथा पर्याप्त रोजगार अवसरों के सृजन करने में सफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन प्रत्येक एसईजेड से किए गए कुल निर्यात तथा उनके द्वारा सृजित कुल रोजगार का विशेष तौर पर अपनी भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए परिवारों के लिए मूल्य-वार मात्रा-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन एसईजेड को करों, शुल्कों तथा उपकरों के रूप में प्रदत्त कुल छूटों तथा इन एसईजेड से सृजित कुल राजस्व का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां। एसईजेडों से निर्यात वर्ष 2009-10 में लगभग 2,20,711 करोड़ रुपये से बढकर वर्ष 2010-11 में लगभग 3,15,868 करोड़ रुपये के हो गए हैं, जिनमें 43.11% की वृद्धि दर्ज की गई है। दिनांक 30 सितम्बर 2011 अर्थात चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध की स्थिति के अनुसार एसईजेडों से कुल वास्तविक निर्यात लगभग 1,76,480 करोड़ रुपये के हुए थे जिनमें पिछले वित्तीय वर्ष की तदनुरूपी अवधि में हुए निर्यातों की तुलना में 26. 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। दिनांक 30 सितम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार एसईजेडों से 7,32,839 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है।

(ख) भूमि राज्य का विषय है और इसकी खरीद राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है। जहां तक किसी प्रभावित व्यक्ति हेतु राहत और पुनर्वास का संबंध है, इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाता है। एसईजेडों द्वारा किए गए निर्यातों और दिए गए प्रत्यक्ष रोजगार का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एसईजेडों को अनुमत वित्तीय रियायतें और शुल्क लाभ एसईजेड अधिनियम, 2005 में अन्तर्निहित हैं। ये छूटे निर्यातों हेतु दिये गये प्रोत्साहनों के रूप में हैं और सामान्यतः सरकार की निर्यात संवर्धन पहलों को निर्देशित करने वाले सिद्धांतों के अनुरूप हैं। एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी यूनिटों के उत्पादों की घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) से निकासी पर सरकार राजस्व भी अर्जित करती है।

विवरण

एसईजेडों से हुए निर्यातों का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	23932.50	101747.21	146877.73
2.	कर्नाटक	2549.58	21337.13	46717.99
3.	तमिलनाडु	23022.32	27914.13	43704.60
4.	महाराष्ट्र	12811.68	15414.01	19480.05
5.	केरल	11942.01	17122.86	18750.65
6.	आंध्र प्रदेश	3121.80	5663.66	13359.17
7.	उत्तर प्रदेश	16655	22966.47	10703.17

1	2	3	4	5
8.	पश्चिम बंगाल	4581.37	5931.69	10883.57
9.	हरियाणा	277.92	1018.78	2807.01
10.	मध्य प्रदेश	430.49	494.41	1242.65
11.	राजस्थान	331.74	735.41	899.39
12.	चंडीगढ़	26.57	289.97	318.00
13.	ओडिशा	6.02	75.65	123.87
	कुल	99689	220711.38	315867.85

एसईजेडों से सृजित प्रत्यक्ष रोजगार का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2011.12 (दिनांक 30.9.2011 की स्थिति के अनुसार) (कुल नियोजित व्यक्ति)
1.	आंध्र प्रदेश	105386
2.	चंडीगढ़	5765
3.	गोवा	28
4.	गुजरात	46879
5.	हरियाणा	27854
6.	कर्नाटक	35070
7.	केरल	20913
8.	मध्य प्रदेश	12313
9.	महाराष्ट्र	194013
10.	ओडिशा	2143
11.	पंजाब	251
12.	राजस्थान	10314
13.	तमिलनाडु	191257
14.	उत्तर प्रदेश	50535
15.	पश्चिम बंगाल	30118
	कुल	732839

[हिन्दी]

श्रम कानूनों का उल्लंघन

4109. श्री पी.सी. मोहनः
श्री हर्ष वर्धनः
डॉ. मुरली मनोहर जोशीः
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में निगरानी प्रणाली के अभाव में उल्लंघन किए जा रहे श्रम कानूनों के कई मामलों पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अनुचित श्रम व्यवहारों में लिप्त पायी गई बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा ऐसी चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) श्रमिकों का शोषण रोकने तथा कर्मचारियों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) भारतीय संविधान के अंतर्गत, श्रम समवर्ती सूची में आता है। इस योजना के अनुसार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही श्रम कानून अधिनियमित करने के लिए सशक्त हैं। इन अधिनियमों का केन्द्रीय और राज्य श्रम विभागों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में प्रवर्तन किया जाता है। मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का

कार्यालय केन्द्रीय क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों में नियमित और प्रबल निरीक्षण करके विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन की निगरानी करता है तथा विभिन्न श्रम कानूनों के उपबंधों का उल्लंघन करते पाए गए नियोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करता है। इसी तरह, राज्य सरकारों के श्रम विभाग राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में विभिन्न श्रम कानूनों की निगरानी और प्रवर्तन करते हैं।

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध में, श्रम कानूनों के अंतर्गत राज्य सरकारें समुचित सरकारें होती हैं। ऐसी स्थिति में, अनुचित श्रम परिपाटियों में संलिप्त पाई गई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता।

(घ) श्रम कानूनों में श्रमिकों के शोषण को रोकने तथा कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी पर्याप्त उपबंध हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की समीक्षा

4110. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंहः**
श्रीमती भावना पाटील गवलीः
श्री विलास मुत्तेमवारः
श्री हरीश चौधरीः
डॉ. मुरली मनोहर जोशीः
श्री राजू शेट्टीः
श्री ब्रदीराम जाखड़ः
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्वचालित मार्ग/विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के माध्यम से एफएम रेडियो, ओल्ड एज होम का निर्माण, शैक्षिक संस्थानों, रक्षा, पेंशन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित कुछेक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं तथा उपर्युक्त के मद्देनजर भारतीय कंपनियों को संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) एफडीआई की सीमा में वृद्धि के माध्यम से सृजित हुए/होने वाले रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उनमें एफडीआई के उदारीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी नहीं। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी 'समेकित एफडीआई नीति-2011 का परिपत्र 2' यथानिहित मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति इस प्रकार हैः

क्षेत्र/क्रियाकलाप	एफडीआई सीमा/इक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
एफएम (एफएम रेडियो)	26% (एफडीआई, एनआरआई तथा पीआईओ निवेश और पोर्टफोलियो निवेश)	सरकारी
विनिर्माण विकास (वृद्धाश्रम तथा शैक्षणिक संस्थाएं)	100%	स्वतः
रक्षा	26%	सरकारी

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) में एफडीआई क्षेत्रगत सीमाओं, प्रवेश मार्गों तथा अन्य संबंधित क्षेत्रगत विनियमों का विषय है। एफडीआई लागू कानूनों/विनियमों; सुरक्षा तथा अन्य शर्तों के भी अध्यधीन होता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सरकार ने एफडीआई पर एक निवेशक अनुकूल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत अधिकांश क्षेत्रों/क्रियाकलापों में स्वतः मार्ग से 100 प्रतिशत तक एफडीअई अनुमत है। हाल ही के समय में यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत उतरोत्तर आकर्षक तथा निवेशक अनुकूल बना रहे, एफडीआई नीतिगत व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की सतत

आधार पर समीक्षा की जाती है ताकि इसे अधिक निवेशक अनुकूल बनाया जा सके।

[अनुवाद]

मानव-हाथी झड़पें

4111. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टीः
श्री एंटो एंटोनीः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाथी परियोजना को देश में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त परियोजना के लिए आवंटित राशि का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत मानव-हाथी झड़पों को कम करने के लिए कोई कार्यक्रम प्रारंभ किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) हाथी परियोजना एक चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। स्कीम के उद्देश्य, निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना हैः-

1. देश में वन्य हाथियों की जीवनक्षम आबादी को उनके प्राकृतिक पर्यावासों में संरक्षित और सुरक्षित करना।

2. पैट्रोलिंग दस्तों की तैनाती और आसूचना एकत्रण आदि जैसे समुचित उपायों द्वारा शिकार और अन्य खतरों से हाथियों को बचाना।

3. पारि-पुनरूद्धार, अधिग्रहण आदि के माध्यम से हाथियों द्वारा उपयोग किए गए प्राकृतिक पर्यावासों और पारम्परिक गलियारों को संरक्षित और सुरक्षित करना और जहां आवश्यक हो इनका पुनरूत्थान करना।

4. हाथी और इसकी प्रजातियों को सुरक्षित और संरचित करने में अन्तर-राज्यीय और क्षेत्रीय तथा राष्ट्र स्तरीय समन्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जीवनक्षम कार्यतंत्र को सृजित करना।

5. जब कभी भी आवश्यक हो वन्य हाथियों की पशुचिकित्सकीय देखभाल प्रबंधन, प्रशिक्षण, बंदी बनाने, उन्हें बेहोश करने और उनके स्थानांतरण के मानवीय तरीकों जैसी संरक्षण गतिविधियों को सहायता देने के लिए अवसंरचना और अन्य सुविधाएं सृजित करना।

6. पशुचिकित्सकीय देखभाल, बंदी अवस्था में हाथियों के उचित देखभाल के लिए महावत और निरीक्षण स्टाफ के प्रशिक्षण सहित घरेलू उपाय में हाथियों के कल्याण के लिए अवसंरचना को बेहतर बनाना और सृजित करना।

7. हाथियों के प्रबंधन और पारिस्थितिकी से संबंधित तथा इनकी पशुचिकित्सकीय देखभाल के संबंध में अनुसंधान हेतु प्रोत्साहित करना और सुविधाएं सृजित करना।

8. पारि-विकास गतिविधियों, जागरूकता कार्यक्रमों, वैज्ञानिक प्रबंधन, अनुग्रह राशि अदायगी की लूटपाट रोधी टीमों की तैनाती आदि जैसे उपयुक्त उपायों को माध्यम से मानव हाथी झड़पों को कम करने के लिए उचित कदम उठाना।

9. वन्य हाथियों में रोगों का पता लगाने और निवारण के लिए उपाय करना।

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केंद्रीय प्रायोजित स्कीम हाथी परियोजना के अंतर्गत निधियां जारी करने के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने देश में मानव-हाथी झड़पों की समस्या को कम करने के लिए हाथी परियोजना स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए हैंः

(i) वन्यजीव पर्यावास के सुधार हेतु किए गए उपाय हैं; अर्थात वनों में खाद्य एवं जल की उपलब्धता का संवर्धन करना, ताकि हाथी, वन से बाहर जाने का जोखिम न उठा सके।

(ii) वन्य हाथियों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क का और वन्यजीव गलियारों का निर्माण करना।

(iii) मानव हाथी झड़पों के मामले में करने योग्य कार्य और नहीं करने योग्य कार्य के बारे में लोगों की सुग्राही बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालन किए जाते हैं।

(iv) मानव हाथी झड़प की समस्या का निराकरण करने हेतु वन स्टाफ और पुलिस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते है।

(v) लूटमार रोधी दस्तों की स्थापना और बेहोश करने, बचाव केंद्रों को उनके स्थानांतरण अथवा प्राकृतिक पर्यावासों में उनको छोड़े जाने के माध्यम से समस्याग्रस्त हाथियों के भ्रमण को रोकने के लिए आवश्यक अवसंरचना और सहायक सुविधाओं का विकास।

(vi) हाथियों के आक्रमणों से बचाव करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों के आस-पास हाथीरोधी खाईयों चहार दीवारियों और सौर संचालित विद्युत बाड़ों जैसे भौतिक बैरियरों का निर्माण करना।

(vii) वन्य हाथियों के कारण फसल की क्षति सहित लोगों की लगी चोटों, जीन अथवा संपत्ति की क्षति के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान करना।

(viii) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत मानव जीवन के लिए खतरा बन चुके जंगली हाथियों के शिकार की अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकर प्रदान किए गए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय प्रायोजित स्कीम-हाथी परियोजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां

(लाख रुपए में)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (दिनांक 30.11.2011 की स्थितिनुसार)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	45.00	17.85	15.00	00
अरुणाचल प्रदेश	65.00	60.00	10.00	55.00
असम	175.19	160.26	139.55	200.00
छत्तीसगढ़	60.43	111.22	75.00	00
हरियाणा	00	00	100.00	00
झारखंड	80.00	80.00	80.00	70.00
कर्नाटक	249.00	247.16	300.76	165.46
केरल	356.80	286.70	265.39	190.00
महाराष्ट्र	77.76	49.18	29.00	16.00
मेघालय	50.00	80.483	103.838	00
मिजोरम	00	00	00	00
नागालैंड	17.45	50.00	41.30	00
ओडिशा	180.60	100.00	113.50	170.00

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	269.163	358.58	226.879	170.00
त्रिपुरा	28.96	14.80	0	6.00
उत्तर प्रदेश	58.24	38.45	80.15	20.00
उत्तराखण्ड	209.45	221.55	206.82	86.34
पश्चिम बंगाल	176.096	207.06	410.406	80.00
कुल	2099.139	990.44	2197.593	1228.80

जूट उत्पादों का आयात/निर्यात

4112. श्री महेन्द्र कुमार रायः
श्री नृपेन्द्र नाथ रायः
श्री मनोहर तिरकीः
श्री नरहरि महतोः
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदारः
श्री वीरेन्द्र कुमारः
श्री एम.बी. राजेशः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जूट की उच्च उत्पादन लागत एवं कम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) से जूट उत्पादकों की कठिनाइयां बढ़ी हैं तथा जूट के उत्पादन पर उसका प्रभाव बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एम एस पी बढ़ाने एवं बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने हेतु जूट उत्पादकों से सीधे जूट खरीदने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पड़ोसी देशों विशेषकर बांग्लादेश से सस्ते कच्चे जूट के आयात पर अंकुश रखने के लिए सरकार का विचार जूट पर आयात शुल्क बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान जूट उत्पादों के आयात एवं निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में जूट के उत्पादन एवं खरीद नीति को बढ़ावा देने के लिए तथा जूट उत्पादकों से एमएसपी पर जूट की खरीद करने पर भारी हानि झेल रहे पश्चिम बंगाल सहित जूट उत्पादक राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रति वर्ष कच्ची पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किए जाते हैं। सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य संबंधी आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। कृषि मूल्य नीति तैयार करते समय सीएसीपी उत्पादन लागत समग्र मांग/आपूर्ति स्थिति, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तथा सामान्य मूल्य स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रभाव जैसे विभिन्न कारणों को ध्यान में रखता है। पिछले 4 वर्षों के दौरान सीएसीपी द्वारा विचार किए गए उत्पादन लागत और कच्चे पटसन के एमएसपी इस प्रकार हैं:

(रु. प्रति क्विंटल)

वर्ष	सीएसीपी के अनुसार उत्पादन लागत	वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	एमएसपी	वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
2008-09	1089	8.95%	1250	18.48%
2009-10	1193	9.55%	1375	10.00%
2010-11	1301	9.05%	1575	14.54%
2011.12	1496	14.98%	1675	6.34%

*स्रोतः सीएसीपी

(ख) भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) सभी प्रमुख पटसन उत्पादन राज्यों में अपने 171 खरीद केन्द्रों एवं राज्य सहकारी निकायों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर कच्चे पटसन की खरीद के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। भारतीय पटसन निगम ने 12.10.2011 से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसएसपी) अभियान शुरू किए। 12.12.2011 तक किसानों से विभिन्न ग्रेड के 1,20,438 क्विंटल जूट की खरीद की गई है। जेसीआई द्वारा सीधे ही किसानों से कच्ची पटसन की खरीद की व्यवस्था लागू होने के कारण मूल्यों को एमएसपी से नीचे नहीं गिरने दिया जाता ताकि किसानों को कठिनाइयों से बचाया जा सके और बिचौलियों को समाप्त किया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पटसन उत्पादों का निर्यात इस प्रकार है:-

वर्ष	मात्रा (हजार एम टी)	मूल्य (करोड़ रु.)
2008-09	199.8	1216.16
2009-10	110.5	859.49
2010-11	199.3	1363.29
2011-12 (अप्रैल-अगस्त)	76.1	575.53

स्रोतः राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पटसन उत्पादों का आयात इस प्रकार है:-

वर्ष	मात्रा (हजार एम टी.)	मूल्य (करोड़ रु.)
2007-08	57.68	138.09
2008-09	70.94	202.99
2009-10	112.8	453.2
2010-11 (अप्रैल-अगस्त)	48.7	215.4

स्रोतः राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

(ङ) सरकार ने देश में पटसन के उत्पादन तथा खरीद में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं। किए गए कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:-

(i) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 355 करोड़ रु. के परिव्यय से पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) कार्यान्वित किया जा रहा है। जेटीएम के अधीन लघु मिशन-I, II और III के तहत अनेक योजनाएं प्रचालन में हैं जो पटसन उत्पादकों के लिए लाभकारी हैं और पटसन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। लघु मिशन-। का उद्देश्य उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए पटसन क्षेत्र में कृषि अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ़ बनाना है। लघु मिशन-II का उद्देश्य उत्पादन और पश्च कटाई में उन्नत प्रौद्योगिकी एवं कृषि क्रियाकलापों का हस्तांतरण करना है। लघु मिशन-III के तहत सभी पटसन उत्पादक राज्यों में कच्चे पटसन के लिए बाजार संपर्क उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ii) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड और भारतीय पटसन निगम पटसन खेती के लिए बेहतर बीज विकसित करने और कृषि कृषि क्रियाकलापों में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय पटसन एवं संबद्ध फाइबर प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (न्रिजाफ्ट) एवं संबद्ध फाइबर संबंधी केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (क्रीजाफ) के साथ परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं।

(iii) किसानों को और अधिक पटसन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते प्रतिवर्ष कच्ची पटसन और मेस्टा का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(iv) उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारतीय पटसन निगम और राष्ट्रीय पटसन बोर्ड किसानों को प्रमाणित बीज संवितरित करते हैं।

(v) पटसन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने पटसन बैगों में खाद्यान्न और चीनी की अनिवार्य पैकेजिंग की नीति को जारी रखा है।

[हिन्दी]

वस्त्र उत्पादों का निर्यात

4113. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः
श्री रामसिंह राठवाः
श्री रावसाहेब दानवे पाटीलः
श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारीः**
श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतोः
डॉ. संजय सिंहः
श्री इज्यराज सिंहः

श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री राम किशुन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधुनिकीकरण में देरी एवं अन्तर्राष्ट्रीय मांग की तुलना में घरेलू मांग में कमी के कारण वस्त्र उत्पादों के उत्पादन तथा निर्यात पर चालू वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष के दौरान प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान परिधान तथ सूती वस्त्र/सिले सिलाए वस्त्र/मानव निर्मित रेशों वाले वस्त्रों सहित मूल्य के संबंध में उत्पादन तथा निर्यात उत्पाद-वार कितना है एवं इन मदों के कुल वैश्विक व्यापार में भारतीय अंश में वृद्धि करने के लिए निर्यात के लक्ष्य प्राप्त करने/को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में हालिया मंदी के कारण वस्त्र उद्योग में कार्यरत कामगार समस्याग्रस्त है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कामगारों को संरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कपास के घोषित एमएसपी सहित कपास के उत्पादन एवं निर्यात का ब्यौरा क्या है तथा अन्य देशों विशेषकर चीन, बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में उत्पादन के संबंध में भारतीय अंश कितना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले 3 वर्षों के दौरान सूती स्पन यार्न, कपड़ा और अन्य वस्त्र एवं क्लोदिंग मदों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान वस्त्र एवं क्लोदिंग उत्पादकों के निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा 70.5 बिलियन अमरीकी डालर है। 2008-09 और 2010-11 की अवधि में कपास का उत्पादन 4930 मिलियन किग्रा. से बढ़कर 5525 मिलियन किग्रा., स्पन यार्न 3912 मिलियन किग्रा. से 4713 मिलियन किग्रा., फैब्रिक 54966 मिलियन वर्ग मीटर से 62542 मिलियन वर्ग मीटर, मानव निर्मित फाइबर 1066 मिलियन किग्रा. से 1285 मिलियन किग्रा. और मानव निर्मित फिलामेंट यार्न 1418 मिलियन किग्रा. से बढ़कर 1550 मिलियन किग्रा. हो गया है। 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान वस्त्र एवं क्लोदिंग उत्पादों के निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा 70.5 बिलियन अमरीकी डालर है। 2008-09 और 2010-11 के लिए लक्ष्य औसतन 52.04 बिलियन अमरीकी डॉलर है। वैश्विक मंदी के कारण 2009-10 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-जुलाई 2011) में वस्त्र निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा वित्तीय वर्ष 2010-11 की इसी अवधि में 7.75 विलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 10.32 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। सरकार ने वस्त्र एवं क्लोदिंग के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाने के लिए केन्द्रीय बजट 2011-12 में और विदेश व्यापार नीति 2009-14 की योजनाओं के माध्यम से अनेक निर्यात संवर्धन उपाय शुरू किए हैं, जिनमें फोकस बाजार योजना और फोकस उत्पाद योजना के तहत प्रोत्साहन, वस्त्र उत्पादों के लिए बाजार संपर्क फोकस उत्पाद योजना की कवरेज का विस्तार तथा बाजार संपर्क फोकस उत्पाद योजना का विस्तारण शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) द्वारा अनुमानित कपास उत्पादन एवं निर्यात के ब्यौरे तथा पिछले 3 कपास मौसम (अक्तूबर-सितंबर) अर्थात 2008-09, 2009-10 और 2010-11 तथा चालू कपास मौसम 2011-12 के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा कपास की दो मूल किस्मों नामतः 4.3 से 5.1 की माइक्रोनेयर वेल्यू की 24.5 से 25.5 एमएम की स्टेपल लैंथ वाली मीडियम स्टेपल लैंथ कपास और 3.5 से 4.3 की माइक्रोनेयर वेल्यू की 29.5 से 30.5 की लांग स्टेपल लैंथ कपास के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कपास का उत्पादन एवं निर्यात

(न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल)

कपास वर्ष (अक्तू.-सित.)	उत्पादन (प्रत्येक 170 किग्रा. की लाख गांठ)	निर्यात (प्रत्येक 170 किग्रा. की लाख गांठ)	मीडियम स्टेपल लैंथ (24.5 एमएम -25.5 एमएम)	लौंग स्टेपल लैंथ (29.5 एमएम-30.5 एमएम)
2008-09	290	35	2500	3000
2009-10	305	83	2500	3000
2010-11	325 (अन.)*	70 (अन.)*	2500	3000
2011-12	356 (अन.)*	80 (अन.)*	2800	3300

अन. अनंतिम

*कपास मौसम 2011-12 के लिए 15.11.11 को हुई सीएबी की बैठक में लगाए गए अनुमान के अनुसार।

अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 01 दिसंबर, 2011 की मासिक पत्रिका के अनुसार चालू कपास मौसम 2011-12 के लिए अन्य देशों विशेषकर चीन, बांग्लादेश, वियतनाम की तुलना में उत्पादन में भारतीय हिस्से का ब्यौरा इस प्रकार है

	उत्पादन मिलि. टन	उत्पादन, प्रत्येक 170 किग्रा. की लाख गांठ	विश्व उत्पादन में भाग का %
विश्व कपास उत्पादन	26.879	1581.00	
चीन	7.194	426.00	26.76
भारत	6.052	356.00	22.51
बांग्लादेश	0.014	0.82	0.05
वियतनाम	0.005	0.30	0.019

आधुनिक रक्षा उपकरण

4114. डॉ. संजय सिंहः
श्री अंजनकुमार एम. यादवः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आधुनिक प्रौद्योगिकी से बने उन्नत उपकरणों के आने एवं उपलब्धता के बावजूद रक्षा बल अभी भी पारंपरिक हथियारों पर निर्भर करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान नवीनतम प्रौद्योगिकी से भारत में विकसित आधुनिक हथियारों का ब्यौरा क्या है तथा पूववर्ती किस्मों की तुलना में उन्हें श्रेष्ठ मानने के लिए क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए तथा निर्यातित हथियारों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारतीय सशस्त्र बल परम्परागत और आधुनिक उपकरण के मेल को काम में लाती है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार स्वदेशी और वैश्विक मार्ग से परम्परागत उपकरणों का उन्नयन, नई प्रौद्योगिकियों का विकास और समकालिक प्रणालियों के अर्जन के लिए निरन्तर प्रयास किए गए हैं।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई कुछ अत्याधुनिक प्रणालियों में मिसाइल, मानव रहित हवाई वाहन, राडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली, सोनार, टारपीडो, लड़ाकू विमान तथा संचार प्रणालियां शामिल हैं।

(घ) भारतीय कंपनियों द्वारा विनिर्मित रक्षा उत्पादों में शस्त्र-अस्त्र की विभिन्न मदें, गोलाबारुद, टैंक, कवचित वाहन, भारी वाहन, लड़ाकू विमान और हेलिकाप्टर, युद्धपोत, मिसाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण, रडार, सोनार, संचार उपकरण आदि शामिल हैं। विभिन्न देशों को शस्त्र-अस्त्र के निर्यात में राइफल, गोला-बारुद, राकेट, वाहन, रडार, रेडियो, बैटरी, नाइट विजन उपकरण, संचार उपकरण, हिस्से-पूर्जे आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

संगठित/असंगठित क्षेत्र में कार्यबल

4115. श्रीमती परमजीत कौर गुलशनः
श्रीमती ज्योति धुर्वेः
श्री दिनेश चन्द्र यादवः
श्री प्रभातसिंह पी. चौहानः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार संगठित और असंगठित क्षेत्रों में पूरे कार्यबल को सूचीबद्ध करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोनों क्षेत्रों में उनकी अलग-अलग संख्या कितनी है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार आंगनवाड़ी कामगारों की सेवाएं ले रही है;

(घ) क्या आंगनवाड़ी आशा कर्मियों मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों आदि सहित इन कामगारों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(च) देश में कामगारों के इन वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण देने तथा अन्य कल्याणकारी लाभों के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) 2004-05 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, श्रमिकों की कुल संख्या 459 मिलियन थी। कुल श्रम बल का लगभग 433 मिलियन (लगभग 94%) असंगठित क्षेत्र में और 26 मिलियन संगठित क्षेत्र में लगा है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में समूचे श्रम बल को सूचीबद्ध करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 जैसे सामाजिक सुरक्षा विधानों के माध्यम से पहले ही कवर किया गया है। सरकार ने असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक फ्रेमवर्क सृजित करने हेतु असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम भी अधिनियमित किया है।

(ग) से (ङ) एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) की योजना के अंतर्गत छः सेवाओं अर्थात् अनुपूरक पोषणाहार, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिरक्षण स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है। बाद वाली तीन सेवाएं आंगनवाड़ी कामगारों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएसएचए) इत्यादि की सेवाएं लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती है।

आईसीडीएस योजना एडब्ल्यूडब्ल्यू को स्थानीय समुदाय से अवैतनिक कामगारों के रूप में अभिकल्पित करती है जो अपनी सेवाएं अंशकालिक आधार पर पर दे सकते हैं। यह योजना इस बात की व्यवस्था करती है कि उन्हें प्रतिमाह मानदेय की निश्चित धनराशि, जो सरकार द्वारा समय-समय पर तय की जाए अदा की जाएगी।

कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम अमीरबी और अन्य की 1998 की सिविल अपील संख्या 4953-4957 में 7.12.2006 के एक निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि आंगनवाड़ी कामगार/आंगनवाड़ी सहायक कोई सिविल पद धारण नहीं करते तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी उन पर लागू नहीं होता।

(च) सरकार असंगठित क्षेत्र में कामगारों की दशाओं को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत, असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के निर्माण की संस्तुति करने के हेतु केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (पांच की इकाई वाले) को परिवार फ्लोटर आधार पर प्रति वर्ष 30,000 रुपये का स्मार्ट कार्ड आधारित नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। 30.11.2010 की स्थिति के अनुसार, 2.54 करोड़ से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। आरएसबीवाई को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों, फेरीवालों, बीड़ी कामगारों पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 15 से अधिक दिन कार्य करने वाले महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थियों और घरेलू कामगारों को विस्तारित कर दी गई है।

सरकार ने मृत्यु एवं निःशक्तता के लिए बीमा प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) शुरू की है।

इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना को पात्रता-मानदण्ड संशोधित करके विस्तारित किया गया है। 65 वर्ष से अधिक आयु तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे सभी नागरिक योजना के अंतर्गत प्रसुविधाओं के पात्र हैं। वृद्धावस्था संरक्षण कवर को विस्तारित करने के लिए, सरकार ने अब पेंशन की पात्रता हेतु आयु को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया है तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए धनराशि प्रतिमाह 200/- रुपये से बढ़ाकर 500/- रुपये कर दी गई है।

सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजनाएं, हस्तशिल्प शिल्पकार व्यापक कल्याण योजनाएं, प्रधान शिल्पकारों को पेंशन मछुआरों के कल्याण तथा प्रशिक्षण और विस्तार हेतु राष्ट्रीय योजना जनश्री बीमा योजना, नई पेंशन योजना (स्वालंबन योजना) जैसी विभिन्न अन्य रोजगार सृजन/सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

सरकार ने असंगठित क्षेत्र में बीड़ी, सिने और गैर-कोयला खान कामगारों जैसे कामगारों के कुछ वर्गों के लिए कल्याण निधि गठित की है। कल्याण निधि का उपयोग इन व्यवसायों में लगे महिला कामगारों सहित कामगारों के कल्याण का संवर्धन करने के उपायों वित्त पोषण करने के लिए किया जाता है। कल्याण उपयों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा देखभाल बीमा, आवास, शिक्षा, मंनोरंजन, जल आपूर्ति, प्रसूति प्रसुविधाएं आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन

4116. श्री अनन्त कुमार हेगड़ेः
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः
श्री दिनेश चन्द्र यादवः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की राज्य-वार मात्रा तथा इसके कारण क्या हैं;

(ख) ग्रीन हाउस गैसों के पर्यावरण और मानवों पर प्रतिकूल प्रभाव क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फसलों तथा फसल अवशेषों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम हैं; और

(ङ) गैसों के उत्सर्जन संबंधी मानकों के उल्लंघन के दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा मई, 2010 में 'भारतः ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री-2007' संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, वन भूमि वन भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी (एलयूएलयूसीएफ) से वर्ष 2007 में भारत से वास्तविक ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन, कार्बन डाईआक्साइड (CO_2) के 1727.71 मिलियन टन के समकक्ष (eq) थे। वर्ष 2007 में एलयूएलयूसीएफ सहित भारत के प्रति व्यक्ति CO_2, eq उत्सर्जन, 1.5 टन/व्यक्ति थे। तथापि, जीएचजी के राज्य-वार वास्तविक उत्सर्जन का आकलन नहीं किया गया है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-शासकीय पैनल (आईपीसीसी) की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार जीएचजी उत्सर्जन, जल संसाधन, कृषि, वन, प्राकृतिक पारि-प्रणालियों, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य, ऊर्जा और अवसंरचना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव के पड़ने की संभावना के साथ वैश्विक जलवायु प्रणाली में वार्मिंग और विभिन्न परिवर्तन उत्पन्न करते हैं।

(ग) से (ङ) फसलों और फसल अवशेषों से जीएचजी के उत्सर्जन को रोकने हेतु कोई विनियामक उपाय नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य क्षेत्रों में जीएचजी के उत्सर्जनों के लिए कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं हैं। भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह कृषि क्षेत्र से उत्सर्जन का आकलन किए बिना वर्ष 2005 स्तर की तुलना में वर्ष 2020 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 20-25% तक कम करने का प्रयास करेगी। यह एक स्वैच्छिक उपाय है।

[अनुवाद]

रेशम कीटपालन उद्योग

4117. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथः
श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः
श्री एन. चेलुवरया स्वामीः
श्री आर. ध्रुवनारायणः
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डीः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषकर कर्नाटक में रेशमकीट के मूल्यों में कमी के कारण रेशमकीट पालनकर्ता किसान आत्महत्या कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है तथा रेशम कीटपालक किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में रेशम का उत्पादन/उपभोग तथा निर्यात का ब्यौरा क्या है तथा रेशम के उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाने के लिए चालू योजनाओं का विस्तार करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सहित देश में रेशमकीट के विकास के लिए क्या धनराशि आवंटित की गयी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) ऐसी कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत में रेशम उद्योग कच्ची रेशम के उत्पादन में धीरे-धीरे वृद्धि दर्शा रहा है। पिछले 3 वर्षों (2008-09 से 2010-11) के दौरान भारत में कच्ची रेशम का कुल उत्पादन नीचे दिया गया हैः-

वर्ष	कच्ची रेशम उत्पादन (मी.टन)	खपत (मी.टन)
2008-09	18,370	27,400
2009-10	19,690	28,300
2010-11	20,410	29,300
2011-12	23,230 (अनुमानित) 10,062 (सितंबर 2011 तक वास्तविक)	30,250 (अनुमानित)

पिछले 3 वर्षों (2008-09 से 2010-11) और चालू वर्ष 2011-12 (अगस्त, 2011 तक) के दौरान रेशम सामानों के निर्यात से अर्जन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

#	निर्यात का मद	2008-09		2009-10		2010-11*		2011-12#	
		करोड़ रु.	मि.अम.डा.	करोड़ रु.	मि.अम.डा.	करोड़ रु.	मि.अम.डा.	करोड़ रु.	मि.अम.डा.
1.	प्राकृतिक रेशम यार्न फैब्रिक्स, मेडअप्स	2127.72	462.65	1971.98	415.59	2123.21	466.03	379.33	84.75
2.	सिलसिलाए परिधान	986.57	214.52	854.95	180.18	683.31	149.98	569.27	127.18
3.	रेशम कालीन	58.67	12.76	40.59	8.55	21.10	4.63	3.40	0.76
4.	रेशम अपशिष्ट	5.23	1.14	24.92	5.25	36.14	7.93	9.98	2.23
	कुल	3178.19	691.06	2892.44	609.57	2863.76	628.57	961.98	214.92

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता *अनंतिम # अगस्त, 2011 तक

रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) द्वारा किए गए उपायः

देश में रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड/वस्त्र मंत्रालय 11वीं योजना के दौरान सभी राज्यों में रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से केन्द्रीय प्रायोजित योजना नामतः उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से देश में रेशम उद्योग के स्टेक होल्डरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सीडीपी के तहत संघटकों में पादप पौध के विकास एवं विस्तार, फार्म तथा पश्च कोया अवसंरचना के विकास, रेशम रिलींग एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का उन्नयन, उद्यम विकास कार्यक्रम, विस्तारण एवं प्रचार के लिए सहायता, आदि की परिकल्पना की गई है। सीडीपी के संघटक रेशम उत्पादन करने वाले मौजूदा एवं नए किसानों, दोनों, के लिए लाभकारी है।

देश में रेशम उत्पादन बढ़ाने और इसे वैश्विक बाजारों के प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:-

- कायो उत्पादन और उत्पादकता के स्तर में सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।
- आरएंडडी संस्थाओं के माध्यम से जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी एजेंसी (जीका) से नए द्विफसलीय बीज विकसित करने के लिए सहायता। इन बीजों के वाणिज्यिक विकास के परिणामस्वरूप देश में शहतूती कच्ची रेशम के अंतर्राष्ट्रीय मानक आयात ग्रेड का उत्पादन हुआ है।
- उच्च उत्पादन वाले शहतूती पौधों की नई किस्म के विकास से रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
- रेशम की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए रेशम कीट बीज उत्पादन में गुणवत्ता मानक लाने के लिए रेशम कीट बीज अधिनियम का कार्यान्वयन।
- प्रतिष्ठित डिजाइनरों की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य डिजाइन इनपुट से मूल्यवर्द्धित शहतूती एवं वन्य रेशम उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और इसे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर प्रदर्शनियों के माध्यम से लोकप्रिय बनाना।
- 'सिल्क मार्क' योजना, जो शुद्ध प्राकृतिक रेशम से बने उत्पादों के लिए हॉलमार्क है और सिल्क उत्पादों की शुद्धता की गारंटी है, को शुरू करना। यह घरेलू एवं विदेशी बाजारों में भारतीय रेशम के ब्रॉड संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।
- आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में स्वचालित रिलींग ईकाइयों की स्थापनाः 10 एवं 11वीं योजना के दौरान कर्नाटक राज्य में 2-रामानगरम और चन्नपट्टना, आंध्र प्रदेश में 2-झनगांव और हिन्दुपुर तथा तमिलनाडु में 2-गोबीचेत्तिपल्लायम और तिरूपुर में 6 स्वचालित रिलींग मशीनों (एआरएम) पहले ही स्थापित की गई हैं। 11वीं योजना की शेष अवधि के दौरान एक और एआरएम इकाई तमिलनाडु के सालेम जिले में इड्डापड्डी में स्थापित की जानी है।

प्रमाणित मल्टी-एंड रिलींग इकाइयों की स्थापनाः

203 मल्टी-एंड रिलींग इकाइंया (10 बेसिन की 186 इकाईयां और 20 बेसिन की 17 इकाईयां) स्वीकृत की गई हैं और इनकी स्थापना के लिए सब्सिडी का सीएसबी अंशदान जारी कर दिया गया है।

- प्रमाणित हथकरघों एवं करघे उन्नयन के लिए सहायताः

राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बोर्ड ने 4513 प्रमाणित हथकरघे और 9523 करघे उन्नयन को स्वीकृत किया है। सब्सिडी का सीएसबी अंशदान भी जारी कर दिया गया है।

- एरी स्पन रेशम मिलों की स्थापनाः

हिन्दुपुर (आंध्र प्रदेश में,) कोकराझारा और गुवाहाटी (असम) में 3 एरी स्पन रेशम मिल स्थापित की गई हैं। इन इकाइयों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर में एक और इकाई स्थापित की जानी है।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान कर्नाटक सहित देश में रेशम उत्पादन के विकास के लिए सीडीपी के तहत आबंटित राशि इस प्रकार हैः-

(लाख रु.)

2008-09		2009-10		2010-11	
सभी राज्यों के लिए आबंटित सीडीपी राशि	कर्नाटक के लिए आबंटन	सभी राज्यों के लिए आबंटित सीडीपी राशि	कर्नाटक के लिए आबंटन	सभी राज्यों के लिए आबंटित सीडीपी राशि	कर्नाटक के लिए आबंटन
9074.75	1876.63	14406.22	2355.10	26089.20	5757.67

वन-रक्षकों तथा विभाग का अंतर्संबंध

4118. श्री आनन्द प्रकाश परांजपेः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः
श्री सी. एम. चांगः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार वन विभाग तथा वन रक्षकों को सीधे जोड़ने वाली तथा मंत्रालय से भी जोड़ने वाली सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) परियोजना प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई धनराशि आवंटित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वृक्षारोपण

4119. श्री मिथिलेश कुमारः
श्री सोनवणे प्रताप नारायणरावः
श्री लक्ष्मण टुडुः
श्री अर्जुन राम मेघवालः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आर्थिक विकास के नाम पर वृक्षों एवं वनों की अत्यधिक कटाई से दिल्ली सहित देश में पर्यावरण पर प्रतिकूल, प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दिल्ली सहित देश में प्राप्त शिकायतों की संख्या क्या है एवं इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में वृक्ष काटने के बदले अनिवार्य वृक्षारोपण के लिए कोई योजना प्रारंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दिल्ली में आज की तिथि तक उक्त योजना के अंतर्गत रोपित वृक्षों की स्थान-वार संख्या क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ङ) आर्थिक विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन सहित वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के विपथन और उस पर उपलब्ध वृक्षों की कटाई के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। पर्यावरण पर वन भूमि के विपथन और वृक्षों की कटाई के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए केंद्र सरकार, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय एक शर्त रखती है कि राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार, संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण से उगाही गई निधियों से वनेतर प्रयोजनों के लिए अपवर्तित वन भूमि के समान विस्तार की वनेतर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण करे। केंद्र सरकार, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदनों को प्रदान करते समय यह शर्त भी रखती है कि प्रतिपूरक वनीकरण के सृजन के लिए पहचान की गई वनेतर भूमि को राज्य/संघ शासित प्रदेश वन विभाग के पक्ष में अंतरित और परिवर्तित किया जाए तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत रिजर्व वन अथवा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाए।

केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के उपक्रमों से संबंधित परियोजनाओं के मामले में वनेतर प्रयोजनों के लिए विपथित किए जाने हेतु अपेक्षित वन भूमि की सीमा तक अवक्रमित वन भूमि पर दोगुना प्रतिपूरक वनीकरण किया जाए। संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किए गए प्रतिपूरक वनीकरण के सृजन हेतु उपयुक्त वनेतर भूमि की अनुपलब्धता के मामले में केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के उपक्रमों से संबंधित उन परियोजनाओं के अलावा, वनेतर प्रयोजनों के लिए विपथिन किए जाने हेतु अपेक्षित वन भूमि की सीमा तक अवक्रमित वन भूमि पर दोगुना प्रतिपूरक वनीकरण किया जाए। **एक हेक्टेयर** तक की वन भूमि के विपथन से संबंधित मामले में प्रतिपूरक वनीकरण के माध्यम से काटे जाने वाले संभावित वृक्षों की संख्या का दस गुना वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

दिल्ली की एनसीटी सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 तक सतबारी, सहूरपुर और असोला ग्रामों में दक्षिण वन प्रभाग द्वारा मेंड के लिए 46 देशज प्रजातियों के कुल 1,03,500 पौधों का रोपण किया गया है।

[अनुवाद]

कोयले एवं चूना पत्थर की खरीद में अनियमितताएं

4120. श्री इन्दर सिंह नामधारीः
श्री अब्दुल रहमानः

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या झारखंड में भवंतपुर चूना पत्थर खानों के चूनापत्थर को काटने, उठाने, परिहवन करने तथा डब्बों में लादने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण के कच्चे माल प्रभाग द्वारा मंगायी गयी निविदा में अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा कोकिंग कोल की खरीद में अनियमितता के मामलों की खबरें आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने इन अनियमितताओं पर गौर करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति के लिए निर्धारित विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(छ) उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेल (सेल) के अधीन रॉ मैटेरियल डिवजिन ने क्रमशः भावनाथपुर लाईमस्टोन खानों और तुलसीदार डोलोमाईट खानों पर मिश्रित खनन कार्य हेतु दिनांक 25.11.2010 एवं 26.11.2010 को दो निविदाएं जारी की। सेल ने सूचित किया है कि

निविदाओं में बोलीदाताओं द्वारा कथित रूप से जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। इन मामलों की जांच की गई और आरोपों को सही पाए जाने पर निविदा तुलसीदामर डोलोमाईट खानों के मामले में रद्द कर दी गई। चूंकि, दोनों निविदाओं में आयोग्य बोलीदाता एक ही थे इसलिए उचित प्रक्रिया के तहत केवल शेष योग्य पार्टी को ही बाद में भावनाथपुर खानों की निविदा प्रदान कर दी गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) हाल ही में इस्पात मंत्रालय में एक समिति का गठन किया गया है जिसके विराचार्थ विषय कोकिंग कोल अधिप्राप्ति प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता, विदेशें में कोकिंग कोल की खानों का अधिग्रहण करने और इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कोकिंग कोल के उपयोग को अधिकतम बनाए जाने इत्यादि मामलों को देखना है। जनवरी, 2012 तक इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र का कल्याण

4121. श्रीमती कमला देवी पटलेः
श्री लक्ष्मण टुडुः
श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेलः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है गत तीन वर्षों के दौरान उनकी सामाजिक सुरक्षा निधि हेतु आवंटित निधियों का छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में सरकार को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों का किस हद तक संरक्षण किया जा रहा है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 2004-05 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में 43.3 करोड़ कामगार थे जो कुल श्रम बल का लगभग 94% था। छत्तीसगढ़ सहित असंगठित कामगारों की राज्यवार अनुमानित संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (च) असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से, सरकार ने असंगठित कामगार सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया। अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अर्थात् जीवन एवं निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधाएं, वृद्धावस्था संरक्षण तथा असंगठित कामगारों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाले किसी अन्य प्रसूविधा की संस्तुति करने के लिए अगस्त, 2009 में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित किया गया। राज्य सरकारों को भी अपने-अपने राज्य में राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित करने और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने के लिए निदेश दिया गया है। केन्द्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) जैसी योजनाएं 01.04.2008 से कार्यान्वित की जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आरएसबीवाई के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित राज्यों को जारी की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

इस कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समर्पित करने हेतु असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि भी गठित की गई है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि समिति द्वारा जब भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं निर्मित और अनुमोदित की जाएंगी, इनके लिए निधि जारी कर दी जाएगी।

विवरण I

असंगठित कामगारों की राज्य-वार अनुमानित संख्या

(करोड़ में लगभग)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	असंगठित क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3.84
2.	असम	1.00
3.	बिहार	2.76
4.	गुजरात	2.35

1	2	3
5.	हरियाणा	0.87
6.	हिमाचल प्रदेश	0.30
7.	जम्मू और कश्मीर	0.43
8.	कर्नाटक	2.54
9.	केरल	1.37
10.	मध्य प्रदेश	2.72
11.	महाराष्ट्र	4.47
12.	ओडिशा	1.71
13.	पंजाब	1.03
14.	राजस्थान	2.57
15.	तमिलनाडु	2.90
16.	उत्तर प्रदेश	6.42
17.	पश्चिम बंगाल	3.15
18.	झारखण्ड	0.11
19.	छत्तीसगढ़	1.05
20.	उत्तराखण्ड	0.38
21.	अन्य राज्य	1.33
	योग	43.30

स्रोत एनएसएसओ रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण 2004-05

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय अंश की जारी धनराशि			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 30.11.2011 तक
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात	225643646	87713545	343142968	448588775
2.	पंजाब	16045480	59448426	58851448	38702293
3.	तमिलनाडु	16108518	26874987		
4.	हिमाचल प्रदेश	17531335	16424305	68137697	55822579
5.	हरियाणा	134264136	270959665	180955446	114623977
6.	बिहार	47514027	319840734	558609116	777069359
7.	केरल	137109248	183391322	526891880	
8.	पश्चिम बंगाल	25150320	200796334	506335682	870270325
9.	महाराष्ट्र	8944299	371772336	339225072	426271334
10.	उत्तराखण्ड		24325476	36686084	61430500
11.	उत्तर प्रदेश	297289638	690965169	1623383206	841593235

1	2	3	4	5	6
12.	झारखण्ड	52392456	89129799	114855777	236582256
13.	चंडीगढ़		2044616	2085200	
14.	दिल्ली	21506857	14662950	74651575	38978918
15.	छत्तीसगढ़		160628600	225204806	315838158
16.	असम		7670286	74309260	34784501
17.	नागालैंड		23982349	22908242	
18.	त्रिपुरा		66789826	68098618	
19.	मेघालय		7713085	12420030	
20.	गोवा			1517920	
21.	कर्नाटक			49107797	
22.	ओडिशा			204357326	11978010
23.	मणिपुर				10610305
	योग	999499960	2625133810	5091735150	4283144525

*(गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु सरकार ने योजना में प्रतिभाग लिया है परन्तु इसे बंद कर दिया)।

[अनुवाद]

निःशक्त व्यक्तियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस

4122. श्री विष्णु पद रायः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः
श्री रामकिशुनः

क्या **सड़क परिहवन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वे निःशक्त व्यक्ति जो स्वचालित चौपहिया/लाइट मोटर वाहन (बिना गियर वाला) चला सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है स्वचालित चौपहिया/लाइट मोटर वाहन का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन निःशक्त व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए विधान लाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) मोटर वाहनों के चालकों के लाइसेंस संबंधी प्रावधान, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय-।। में उल्लिखित हैं। उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) के परंतुक में यह प्रावधान है कि अशक्त कैरिएज चलाने भर के लिए सीमित शिक्षार्थी लाइसेंस, आवेदक को जारी किया जा सकता है यदि लाइसेंस प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि वह ऐसा कैरिएज चलाने के योग्य है। ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने की विस्तृत प्रक्रिया, केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अध्याय ।। में निर्धारित है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जानवरों का लुप्त होना

4123. श्री के.सी. सिंह 'बाबा':
श्री जगदानंद सिंह:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में जानवरों की प्रजातियों के संपूर्ण आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रजाति-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) जानवरों की प्रजातियों के संपूर्ण आंकड़े प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और देश में आंकड़े कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या देश में लुप्त होने की कगार पर जानवरों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(च) यदि हां, तो प्रजाति-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसे जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) वर्ष 2010 तक प्रजातियों के आंकड़ों की संपूर्ण सूची, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के पास उपलब्ध है। भारत में पाए जाने वाली प्रजातियों की वर्गिकीय समूह-वार संख्या की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने वर्ष 2010 की सूची को अद्यतन करने के लिए देश भर में सर्वेक्षण संचालित करने के लिए "विजन दस्तावेज 2020" तैयार किया है।

(ङ) और (च) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, संकटापन्न प्रजातियों का नियमित रूप से स्थिति सर्वेक्षण संचालित करता है। कुछ प्रजातियों की स्थिति सर्वेक्षण से संबंधित दस्तावेजों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(छ) यह मंत्रालय, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम "वन्यजीव प्रयावासों का एकीकृत विकास" के घटक "अत्यंत संकटापन्न प्रजातियों हेतु पुनः प्राप्ति कार्यक्रम" के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विवरण I

भारत में आकलित प्राणिजात संबंधी विविधता
(जनवरी, 2011 तक अद्यतन)

वार्गिकीय समूह	भारत में पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या
1	2
प्रोटिस्टा (प्रोटोजोआ) अनिमलिया	2577
मेसोजोआ	10
पोरीफेरा	500
सिनिडेरिया	956
सिटेनोफोरा	12
प्लेटाइहेलमिंथेस	1628
रोटीफेरा	330
गैस्ट्रोट्रिचा	100
किनोराहेंचा	10
नेमाटोडा	2872
अकनथोसेफला	229
सिपुनकुला	35
मोल्लुस्का	5152
इचियूरा	43
अन्नेलिडा	841
अनोनाइचोफोरा	1
अर्थ्रोपोडा	71339
क्रस्टेशिया	2941
इन्सेक्टा	81238
अराकनिडा	5829

1	2
पाइकनोगोनिका	17
चिंलोपोडा	100
डिप्लोपोडा	162
सिम्फाइला	4
मेरोस्टोरनाटा	2
फोरोनिडा	3
ब्रायोजोआ (एक्टोप्रोक्टा)	200
एन्टोप्रोक्टा	10
ब्राचियोपोडा	3
केइटोगनथा	30
टारडिग्रेडस	30
एकिनोडेरमाटा	765
हेमिकोरडाटा	12
कोरडाटा	5131
प्रोटोकोरडेट्स	115
पाइसेस	2634
एम्फिबिया	288
रेपटिलिया	460
एवेस	480
मैमल्स	397
कुल	184909

विवरण-II

संकटापन्न प्रजातियों का स्थिति सर्वेक्षण

1. रिपोर्ट-1 गोल्डन लंगूर (प्रेबाइटिस गी खजूरिया), फेयर्स लीफ मांकी, हिसपडि हेयर (कैपरोलगूस हिसिपिडस) (पीयरसन) 1994
2. भारत 2002 में पश्चिमी ट्रैगोपन (ट्रैगोपन मेलानोफालुस) की स्थिति और समीक्षा
3. राउटन्स फ्री टेल्ड बैट (ओटोमोप्स राउग्टोंम) 2003
4. हिमालयी मरमोट 2006 की स्थिति
5. कियांग की स्थितिः जे.आर.बी. एल्फ्रेड एट.एल. 2006
6. पश्चिमी घाटों और अरब सागर, भारत 2007 में भारतीय एडिबल-नेस्ट स्विफ्टलेट (कोलोकोलिया यूनिकलर) (जेर्डन) की स्थिति
7. हिमालयी सैलामैन्डेर की स्थिति 2007
8. ब्लैक-बक, गंजम जिला, ओडिशा, भारत 2010 हेतु प्रस्तावित समुदाय रिजर्व मं एंटीलोप केरविकैपरा (लाइन्नेइस, 1758) की पारिस्थितिकी और व्यवहार की स्थिति
9. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह 2010 में ट्रोकस निलोटाइकस (लाइन्नेइयस, 1767) की स्थिति

[अनुवाद]

मानस राष्ट्रीय पार्क की स्थिति

4124 श्री बदरूद्दीन अजमलः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व धरोहर समिति (डब्लूएचसी) ने देश में मानस राष्ट्रीय पार्क की स्थिति को बहाल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में यूनेस्को द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का फरवरी, 2012 तक विश्व धरोहर समिति को उन्नयन कार्य के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ङ) यूनेस्कों विश्व धरोहर समिति (डब्ल्युएचसी) ने राष्ट्रीय पार्क की संरक्षण और प्रबंधन स्थिति के सुधार के कारण मानस राष्ट्रीय पार्क, "असम को खतरे में पड़े विश्व धरोहर स्थलों की सूची" से हटा दिया है। यह निर्णय 19 से 29 जून, 2011 तक पेरिस में हुए डब्ल्युएचसी के 35वें सत्र के दौरान लिया गया था। ये निर्णय, यह सुनिश्चित करने वाली एक रिपोर्ट को आवश्यक बनाता है कि मानस बाघ संरक्षण संस्थान प्रचालन में है और संपत्ति के उचित प्रबंधन के लिए सतत वित्तीय व्यवस्थाएं स्थापित हैं। यह निर्णय, विश्व धरोहर समिति द्वारा वर्ष 2012 में अपने 36वें सत्र में विचारार्थ दिनांक 1फरवरी, 2012 तक समग्र पर्यटन प्रबंधन योजना के साथ-साथ एकीकृत मॉनीटरिंग प्रणाली और स्वैम्प हिरन पुनः प्राप्ति योजना के क्रियान्वयन में की गई प्रगति संबंधी सूचना की मांग भी करता है।

असम राज्य सरकार से अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित तिथि से पूर्व विश्व धरोहर समिति को अग्रगामी प्रेषण हेतु विश्व धरोहर समिति द्वारा मांगे गए ब्यौरों को समाहित करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पहले से ही अनुरोध किया जा चुका है।

सैन्य अभियंता सेवा (एमईएस) के कार्यकरण की समीक्षा

4125. श्रीमती दीपा दासमुंशीः
श्री गोपाल सिंह शेखावतः
श्री सोमाभाई गंडालाल कोली पटेलः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सैन्य अभियंता सेवा (एमईएस) के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा गठित जाफा समिति ने उपमहानिदेशक, निदेशक इत्यादि सहित वरिष्ठ पदों पर तैनाती को सर्विस अधिकारियों और सिविलियन अधिकारियों के मध्य अंतरपरिवर्तित करने की सिफारिश की है ताकि संगठन के कार्यकरण में सुधार लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सिफारिश के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सिफारिश संख्या 20 जो सैन्य अभियन्ता सेवा (एमईएस) के संबंध में जाफा समिति द्वारा की गई 58 सिफारिशों में से एक है, में प्रावधान है कि इ-इन-सी, डिप्टी इ-एन-सी, डी जी डब्ल्यू, डी जी (पर्स) और एडीजी (सिस्टम और ट्रेनिंग) के पदों को छोड़कर सभी वरिष्ठ पद सेवा अफसरों और सिविलियन अफसरों के बीच परस्पर परिवर्तनीय होंगे। ये सिफारिशें व्यापक तौर पर सैन्य अभियन्ता स्थापना सेवा और कार्मिक शक्ति, पूंजीगत परियोजनाओं और रख-रखाव, गुणवत्ता नियंत्रण और संवर्ग संवीक्षा, कार्मिक नीति, प्रशिक्षण एवं विकास तथा सैन्य अभियन्ता सेवाओं की अनुशासनन, प्रेरणा और नैतिकता आदि की समीक्षा से संबंधित हैं। इन अधिकांश सिफारिशों में भर्ती के संबंध में नीतिगम मुद्दे, संवर्ग पुनर्सरचना आदि अंतर्ग्रस्त हैं जिसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), संघ लोक सेवा आयोग आदि जैसे अन्य एजेसिंयों से परामर्श और सहमति लेना शामिल है तथा इन सिफारिशों पर सेना मुख्यालय के परामर्श से जांच चल रही है।

निर्माण योजनाएं

4126. श्री राजय्या सिरिसिल्लाः
श्री रायापति सांबासिवा रावः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मलेशिया कंपनियों ने अभी तक देश में 52 निर्माण कार्य पूरे कर लिए हैं, जबकि 22 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ऐसी 32 राजमार्ग परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और वर्तमान में चार राजमार्ग परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं जिनमें मलेशियाई कंपनियों की प्रतिभागिता है। परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मलेशियन राष्ट्रीयता वाली एजेंसियों द्वारा शुरू की गई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजनाएं

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	राज्य का नाम	एजेंसी	एजेंसी की राष्ट्रीयता
1	2	3	4	5	6
क. पूरी हो चुकी परियोजनाएं					
1.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज I	5	आंध्र प्रदेश	आईजेएम-गायत्री	मलेशियन-इंडियन संउ.
2.	विजयवाड़ा- चिल्कालूरीपेट पैकेज II	5	आंध्र प्रदेश	आईजेउम-गायत्री	मलेशियन-इंडियन संउ.
3.	विजयवाड़ा- चिल्कालूरीपेट पैकेज-III	5	आंध्र प्रदेश	आईजेएम-गायत्री	मलेशियन-इंडियन संउ.
4.	नंदीगाम- विजयवाड़ा	9	आंध्र प्रदेश	बीएससी-आरबीएम-पीएटीआई (सं.उ)	इंडियन-मलेशियन संउ.
5.	नंदीगाम- विजयवाड़ा	9	आंध्र प्रदेश	सीआईडीबीआई मेलशिया	मलेशियन
6.	इलुरू-विजयवाड़ा V	5	आंध्र प्रदेश	मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि. बीनापुरी (सं.उ.)	इंडियन-मलेशियन संउ.
7.	अंकापल्ली-तुनी	5	आंध्र प्रदेश	जीएमआर-तुनी-अंकापल्ली एक्सप्रेस लि.	इंडियन-मलेशियन संउ.
8.	चिल्कालूरीपेट-ओंगोल (एपी-13)	5	आंध्र प्रदेश	आईजेएम-गायत्री	मलेशियन-इंडियन-संउ.
9.	ओंगोल-कावली (एपी-12)	5	आंध्र प्रदेश	एचओ-एचयूपी-सिम्पलैक्स (संउ.)	मलेशियन-इंडियन संउ.
10.	नेल्लौर-टाडा (एपी-7)	5	आंध्र प्रदेश	सीआईडीबीआई मलेशिया	मलेशियन
11.	रतनपुर-हिम्मतनगर (यूजी-III)	8	गुजरात	मुदजया-आईआरबी	मलेशियन-इंडियन संउ.
12.	गुड़गांव-कोटपुतली	8	हरियाणा(55) राजस्थान(71)	बीएससी-आरबीएम-पीएटीआई (सं.उ.)	इंडियन-मलेशियन संउ.
13.	गोरहर-बरवा अड्डा (टीएनएचपी/V-सी)	2	झारखंड	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. सनवे बेरहाड (सं.उ.)	इंडियन-मलेशियन संउ.
14.	बरवा अड्डा-बराकर	2	झारखंड	बीएससी-आरबीएम-पीएटीआई(सं.उ.)	इंडियन-मलेशियन संउ.
15.	बेलगाम-धारवाड़	4	कर्नाटक	सनवे कंस्ट्रक्शन लि.-बेरहाड एंड आर एन शेट्टी एंड कं.	मलेशियन-इंडियन संउ.
16.	चित्रदुर्ग-सीरा	4	कर्नाटक	यूईएम-एस्सार (सं.उ.)	मलेशियन-इंडियन संउ.
17.	बेलगाम बाइपास	4	कर्नाटक	सनवे कंस्ट्रक्शन लि. बेरहाड एंड आर एन शेट्टी एंड कं.	मलेशियन-इंडियन संउ.

1	2	3	4	5	6
18.	भोगपुर से जालंधर (एनएस-16/पीबी)	1।	पंजाब	भूमि हाइवे	मलेशियन
19.	महुआ-जयपुर	11	राजस्थान	जेएमटीपीएल (आई) कारपोरेशन प्रोजक्ट	मलेशियन
20.	गुलाबपुरा-भीलवाड़ा बाइपस (केयू-III)	79	राजस्थान	ईसीएसबी-जेएसआरसी (सं.उ.)	मलेशियन-इंडियन संउ.
21.	चित्तौड़गढ़-मंगलवार (केयू-V)	76	राजस्थान	मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि. बीनापुरी (सं.उ.)	इंडियन-मलेशियन संउ.
22.	राज/म.प्र. सीमा से कोटा (आरजे-9)	76	राजस्थान	सनवे कंस्ट्रक्शन लि.	मलेशियन
23.	तांबरम-टिंडीवनम	45	तमिलनाडु	तांबरम-टिंडीवनम एक्सप्रसेव प्रा.लि. (कंसोर्शियम ऑफ जीएमआर कंसोर्शियम एंड यूई मलेशिया)	इंडियन-मलेशियन संउ.
24.	चेन्नै बाइपास चरण I	4,45	तमिलनाडु	आईजेएम-सत्यम कंस्ट्रक्शन लि.	मलेशियन-इंडियन संउ.
25.	उलूंडरूपेट-पडलूर (पैकेज-VI-बी)	45	तमिलनाडु	आईजेएम-सपूरजी पलूनजी (संउ.)(त्रिची टोलवे प्रा.लि)	मलेशियन-इंडियन संउ.
26.	उरई से झांसी (उ.प्र-4)	25	उत्तर प्रदेश	सनवे कंस्ट्रक्शन लि.	मलेशियन
27.	इटावा-राजपुर (जीटीआरआईपी/I-सी)	2	उत्तर प्रदेश	पीएटीइआई-बीईएल (संउ.)	मलेशियन-इंडियन संउ.
28.	वाराणसी-मोहनिया (जीटीआरआईपी/IV-ए)	2	उत्तर प्रदेश(55,) बिहार (21)	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.-सनवे बेरहाड (सं.उ.)	इंडियन-मलेशियन संउ.
29.	रानीगंज-पानागढ़	2	पश्चिम बंगाल	बीएससी-आरबीएम-पीएटीआई (सं.उ.)	इंडियन-मलेशियन संउ.
30.	पानागढ़-पलसित	2	पश्चिम बंगाल	गामुडा मलेशिया-डब्ल्यूसीटी मलेशिया	मलेशियन
31.	धनकुनी कोलाघाट (डब्ल्यूबी-I)	6	पश्चिम बंगाल	आरबीएम-पीएटीआई (सं.उ.)	मलेशियन
32.	पलसित-धनकुनी	2	पश्चिम बंगाल	कंसोर्शियम ऑफ गामुडा (मलेशिया) और डब्ल्यूसीटी इंजीनियरिंग (मलेशिया)	मलेशियन

ख. कार्यान्विनाधीन परियोजनाएं

1.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट (छःलेन)	5	आंध्र प्रदेश	आईजेएम कारपोरेशन बेरहाड आईडीएफसी लि.	मलेशियन-इंडियन संउ.

1	2	3	4	5	6
2.	रारा-8डी के जेजपुर-सोमनाथ खंड को चार लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 127.6 किमी)	8डी	गुजरात	आईडीएफसी-प्लस एक्सप्रेसवे बेरहाड कंसोर्शियम	इंडियन-मलेशियन (संउ.)
3.	आईसीटीटी वल्लारपदम तक रारा संपर्क	47सी	केरल	सनकॉन-सोमा (संउ.)	मलेशियन-इंडियन संउ.
4.	ललितपुर-सागर (एडीबी-II-सी-4)	26	मध्य प्रदेश	आईजेएम कारपोरेशन	मलेशियन

मसालों की कीमतें

4127. श्रीमती जे. शान्ताः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में लहसुन की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लहसुन की बढ़ती हुई कीमतों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, नहीं। लहसुन की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में अक्तूबर 2011 तक तेजी से वृद्धि नहीं हुई है। फसल मौसम न होने और घरेलू बाजार में इसकी बीज सामग्री की आपूर्ति कम होने से मांग में कथित वृद्धि के कारण लहसुन की कीमतें अक्तूबर, 2011 में 47.50 रुपये प्रति किग्रा. से बढ़कर नवम्बर, 2011 में 85.00 रुपये प्रति किग्रा. हो गई थी।

(ग) लहसुन सहित बागवानी उत्पादों की कीमतों को स्थिर रखने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय देश में समुचित फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना तैयार करना है जिसके लिए सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन के अन्तर्गत सहायता प्रदान करती है। इसमें शीतगृहों की स्थापना, उपभोक्ताओं को वहनीय कीमतों पर बागवानी उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसानों को भी लाभदायक मूल्य दिलाने हेतु अंतिम बाजारों, थोक बाजारों और ग्रामीण प्राथमिक बाजारों अपनी मण्डियों की स्थापना करना शामिल है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) बागवानी उत्पादों हेतु शीतगृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें लहसुन भी शामिल है।

प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटान

4128. श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में प्लास्टिक प्रबंधन और प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने यथासंशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 अधिसूचित किया है। इन नियमों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपबंध हैं जबकि, नगरीय प्राधिकरण, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करने, इसे प्रचालन में लाने और इसका समन्वयन करने तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, भण्डारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान जैसे संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। उन्हें, उत्पादक के विस्तारित दायित्व के सिद्धांत के अनुरूप विनिर्माताओं सहित प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु एकत्रण केंद्र स्थापित करने तथा पुनर्चक्रकों को इसका सरणीयन सुनिश्चित करना और अपशिष्ट बीनने वालों सहित अपशिष्ट प्रबंधन में संलग्न अभिकरणों अथवा समूहों में जागरुकता उत्पन्न करना तथा प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने की अनुमति प्रदान न किया जाना सुनिश्चित करना अपेक्षित है। नगरीय प्राधिकरण, प्लास्टिक कैरी बैगों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करे ताकि उपभोक्ताओं को कोई भी कैरी बैग मुफ्त उपलब्ध न कराया जाए। नगरीय प्राधिकरण को मार्ग-निर्माण, सह-भस्मीकरण आदि जैसी उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाने के द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों से इन नियमों के प्रवर्तन की समीक्षा करने और इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित कार्यान्वयन और

मॉनीटरिंग व्यवस्थाएं स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

यमुना नदी विकास प्राधिकरण

4129. श्री जय प्रकाश अग्रवालः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को गंगा नदी तटक्षेत्र विकास प्राधिकरण की तर्ज पर यमुना नदी विकास प्राधिकरण के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति से सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) वर्ष 2007 में सरकार द्वारा स्थापित यमुना नदी विकास हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यमुना नदी विकास प्राधिकरण की स्थापना करने और उजान संग्रहणों और अवरोधक सीवर का निर्माण, मौजूदा मलजल शोधन क्षमता और मलनिर्यास नेटवर्क का विस्तार, यमुना नदी तटाग्र विकास, जन-जागरुकता, बाढ़ के मैदानों से भू-जल का विकास, प्रबंधन और उपयोग, दुग्धशालाओं, पशु-वधशालाओं और धोबी घाटों का प्रबंधन जैसी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सिफारिशें की हैं। यमुना नदी, विकास प्राधिकरण का गठन लेफ्टिनेन्ट गवर्नर, दिल्ली की अध्यक्षता में किया गया है।

(ग) भारत सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए यमुना योजना (वाईएपी) को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित कर रही है। वाईएपी के अंतर्गत प्रारंभ किए गए कार्यो में मलजल का अवरोधन और विपथन, मलनिर्यास शोधन संयंत्रों की स्थापना, निम्न लागत स्वच्छता सुविधाओं का सृजन, विद्युत/उन्नत काष्ठ शवदाहगृह की स्थापना और नदी तटाग्र विकास शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत एक अवरोधक सीवर परियोजना को 1357 करोड़ रुपए की लागत पर अनुमोदित किया गया है।

दिल्ली जल बोर्ड ने नजफगढ़ शाहदरा और सप्लीमेन्ट्री नामक तीन प्रमुख नालों के साथ-साथ अवरोधक सीवर बिछाने, मलजल शोधन क्षमता का संवर्धन करने, ट्रंक सीवरों की पुनर्स्थापना करने, गैर-सीवर कॉलोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में मलनिर्यास तंत्र को बिछाने और बाह्य/आंतरिक सीवरों की गाद हटाने की स्कीमें तैयार की हैं।

[अनुवाद]

श्रम कानूनों का संशोधन

4130. श्री हमदुल्लाह सईदः
श्री पोन्नम प्रभाकरः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का श्रमिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए श्रम और औद्योगिक कानूनों की समीक्षा/संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई श्रमिक पांच वर्षों अथवा इससे अधिक अवधि तक अनुबंध पर रह सकता है और कभी स्थायी नहीं हो सकता है;

(घ) क्या बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को प्राप्त लचीलेपन का सहारा लेकर अनुषंगी इकाइयां स्थापित करने, आउटसोर्सिंग, अलग-अलग जगहों पर उत्पादन नेटवर्क जैसी रणनीतियां अपनाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) श्रम कानूनों की समीक्षा/संशोधन एक सतत प्रक्रिया है और श्रम कानूनों में संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ श्रमिकों की समस्याओं को ध्याम में रखते हुए समय-समय पर किए जाते हैं। हाल ही में किए गए संशोधनों में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 उपदान संदाय अधिनियम, 1972, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 बागान श्रम अधिनियम, 1951 तथा कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 में किए गए संशोधन शामिल हैं। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 नामक एक नया अधिनियम भी अधिनियमित किया गया है।

(ग) ठेका श्रम (विनियम एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेका कामगार के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) और (ङ) बड़ी कंपनियां अनुषंगी इकाइयां स्थापित करने, आऊटसोर्सिंग, अलग-अलग जगहों पर उत्पादन नेटवर्क जैसी विभिन्न

रणनीतियां अपना रही हैं, परन्तु यह सुझाने का कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं है कि यह रणनीति छोटी कंपनियों को प्राप्त लचीलेपन का लाभ उठाने के लिए अपनाई जा रही है।

राजमार्ग परियोजनाओं में 3जी एअर-वेव नीलामी मॉडल

4131. श्री एन चेलुवरया स्वामीः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 3जी एयर-वेवे नीलामी मॉडल की भारी सफलता को देखते हुए लागत कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राजमार्ग परियोजना में इसकी पुनरावृत्ति करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रणाली डेवलपर द्वारा खुली नीलामी बोली में प्रतिफल की न्यूनतम आंतरिक दर उद्धृत करने की अवधारणा पर कार्य करेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रतिफल की न्यूनतम आंतरिक दर पर आधारित नई प्रणाली कम लाभ सुनिश्चित करेगी और सरकार का व्यय न्यूनतम होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सड़कों के विकास के लिए निधियां जुटाना

4132. श्री सी शिवासामीः
श्री आर. ध्रुवनारायणः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का निजी कंपनियों को धन जुटाने, सड़कों के विकास हेतु अवसंरचना बांड के माध्यम से धन जुटाने/निजी कंपनियों को धन जुटाने की अनुमति दिए जाने की संभावना/प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या एनएचएआई ने अगले वर्ष से सभी सड़क परियोजनाओं के लिए ई-टेंडर को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कर-मुक्त बांड जारी करके 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाने की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु प्रस्ताव, वर्ष 2011-12 के केन्द्रीय बजट में किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा-54ईसी के अंतर्गत पूंजी लाभ कर छूट (सीजीटीई) बांड जारी करके मात्र 1330 करोड़ रुपए की धनराशि ही जुटाई है। वर्ष 2011-12 के दौरान, सड़कों के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कोई अन्य अवसंरचना बांड जारी नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) से प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) तक के चरण में सभी सड़क परियोजनाओं के लिए दिनांक 10.10.2011 से ई-निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

[हिन्दी]

निर्माण संचालन, हस्तांतरण (बीओटी) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग

4133. श्री राम सिंह कस्वांः
कुमारी सरोज पाण्डेयः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के विभिन्न चरणों के अंतर्गत निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) के अंतर्गत राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है और उन सड़कों/राष्ट्रीय राजमार्गों के क्या नाम हैं जिन पर पथ वसूला जा रहा है;

(ख) इन परियोजनाओं की मूल लागत क्या है और प्रत्येक परियोजना के निष्पादन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या परियोजनाओं में विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो परियोजना-वार इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ निर्माण कंपनियों जिन्हें उक्त सड़कों/राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है, के द्वारा समझौते की निबंधन और शर्तों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (घ) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान में बीओटी परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	कुल लंबाई (किमी में)	प्रारम्भ की तिथि	ठेके के अनुसार पूरा करने की तिथि	पूरा करने की संभावित तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	विलंब का कारण	क्या पथकर संग्रहण शुरू हो गया है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. छत्तीसगढ़, कार्यान्वयनाधीन									
1.	दुर्ग बाइपास का अंतिम छोर-छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा	6	82.685	जनवरी, 2008	जनवरी-2011	दिसंबर-2011	464	1. कार्य में प्रगति में विलंब मुख्यतः रियायतग्राही के खराब प्रबंधन की वजह से हुआ। 2. राजनांदगांव टाउन में फ्लाई ओवर के निर्माण में विलंब, ढांचे/अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के कारण हुआ। 3. अंडरपास के निर्माण में विलंब, लोगों द्वारा पैदा की गई बाधाओं के कारण हुआ।	नहीं
2.	ओडिशा/छत्तीसगढ़ सीमा-औरंग खंड को चार लेन का बनाया जाना	6	150.4	*			1232	कोई विलंब नहीं	नहीं
3.	औरंग-रायपुर	6	43.485	अप्रैल, 2006	जनवरी-2009	दिसंबर-2011	190	1. वित्तीय व्यवस्था, राज्य सहायता करार पर हस्ताक्षर करने, अतिक्रमणों को हटाने सहित भूमि अधिग्रहण, जन सुविधाओं, बिजली की लाइन और पानी की लाइन के स्थानांतरण में विलंब। 2. रियायतग्राही के खराब प्रबंधन और अपर्याप्त संसाधनों की वजह से विलंब।	नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	रायपुर-बिलासपुर को चार लेन का बनाया जाना	200	126.525	*			1216.03	विलंब नहीं	नहीं
5.	दुर्ग बाइपास (जनवरी 2001 में दो लेन पूरी, अतिरिक्त दो लेन कार्यान्वयनाधीन)	6	18	अप्रैल, 2011	सितंबर-13	सितंबर-13	127.94	विलंब नहीं	नहीं
2. ओडिशा कार्यान्वयनाधीन परियोजना									
6.	अंगुल-संबलपुर को चार लेन का बनाया जाना	42	153	*			1220.32	विलंब नहीं	नहीं
7.	चांडीखोल-जगतपुर-भुबनेश्वर (अनुमोदित लंबाई 61 किमी) को छः लेन का बनाया जाना	5	67	*			1047	विलंब नहीं	हां
8.	भुबनेश्वर-पुरी (अनुमोदित लंबाई 59 किमी)	203	67	*			500.29	विलंब नहीं	नहीं
9.	पानीकोइली-रिमूली (अनुमोदित लंबाई 106 किमी)	215	163	*			1410	विलंब नहीं	नहीं
10.	संबलपुर-बरगढ़-छत्तीसगढ़/ ओडिशा सीमा	6	88	*			909	विलंब नहीं	नहीं
11.	कटक-अंगुल को चार लेन का बनाया जाना	42	112	*			1123.69	विलंब नहीं	नहीं
12.	रिमूली-रॉक्सी-राजमुंद्रा (अनुमोदित लंबाई 163 किमी)	215	96	*			586	विलंब नहीं	नहीं
3. राजस्थान, कार्यान्वयनाधीन									
13.	रींगस-सीकर	11	43.887	*			333.51	विलंब नहीं	नहीं
14.	जयपुर-रींगस (अनुमोदित लंबाई 52.65 किमी)	11	54	अगस्त, 2010	फरवरी, 2013	फरवरी 2013	267.81	विलंब नहीं	नहीं
15.	कोटा-झालावाड़	12	88.09	*			530.01	विलंब नहीं	नहीं
16.	देवली-कोटा	12	83	जनवरी, 2011	जुलाई-2013	जुलाई-2013	593	विलंब नहीं	नहीं
17.	जयपुर-टोंक-देवली (अनुमोदित लंबाई 148.77 किमी)	12	150	जून, 2010	दिसंबर-2012	दिसंबर-2012	792.06	विलंब नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	ब्यावर-पाली-पिंडवाड़ा (अनुमोदित लंबाई-246 किमी)	14	244.12	*			2388	विलंब नहीं	नहीं
19.	किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर	8	82	नवंबर, 2009	मई-2012	मई-2012	795	विलंब नहीं	नहीं
20.	गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर (छः लेन)	8	225.6	अप्रैल, 2009	अक्टूबर-2011	जून-2012	1673.7	प्रारम्भ मं सामग्री जुटाने में विलंब, रियायतग्राही की धीमी प्रगति। भूमि अधिग्रहण में विलंब। हरियाणा राज्य द्वारा मुआवजे में संशोधन करने के कारण विलंब। जन प्रतिवेदनों की वजह से परियोजना के कार्य-क्षेत्र में अतिरिक्त कार्य शामिल।	हां
21.	किशनगढ़-उदयपुर-अहमदाबाद को छः लेन का बनाया जाना	79ए, 79, 76 और 8	555.5	*			5387.3	विलंब नहीं	नहीं

4. पूरी हो चुकी परियोजनाएं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	भरतपुर-महुआ	11	57	अप्रैल, 2006	जनवरी-2009	मार्च-2009	250	दैवीय प्रकोप ही वजह से थोड़ा विलंब	हां
23.	महुआ-जयपुर	11	108	मार्च, 2006	मार्च-2009	सितंबर-2009	483	भूमि अधिग्रहण और वन मुद्दों की वजह से विलंब।	हां
24.	किशनगढ़ पर आरओबी	8	1	मार्च, 1998	फरवरी-2000	फरवरी-2000	18	विलंब नहीं	नहीं
25.	महापुरा (जयपुर के निकट)-किशनगढ़ (छः लेन)	8	90.38	अप्रैल, 2003	सितंबर-2005	मार्च-2005	644	विलंब नहीं	हां
26.	पालनपुर से स्वरूपगंज (राजस्थान-42 किमी और गुजरात-34 किमी)	14	76	सितंबर-2006	मार्च-2009	मार्च-09	498	विलंब नहीं	हां
27.	आगरा-भरतपुर	11	45	सितंबर, 2006	मार्च-2009	जून-2009	195	रियायतग्राही की ओर से थोड़ा विलंब।	हां

*नियत तारीख अभी निर्धारित की जानी है और स्थल पर निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है।

पट्टे पर भूमि का आवंटन

4134. श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने पट्टे पर भूमि का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पट्टे की अवधि की समाप्ति पर भूमि को वापस ले लेती है;

(ग) क्या ऐसी भूमि को वापस नहीं लिए जाने की घटनाएं हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) छावनी नियमावली, 1899, 1912 और छावनी भूमि प्रशासन नियमावली (सीएलएआर) 1925 और 1937 में रक्षा भूमि के पट्टे के लिए प्रावधान है। तदनुसार, पट्टों को सतत् अथवा नियत समय के लिए दिया गया है। कुछ पट्टों में नवीकरण उपबंधों का भी प्रावधान है। पट्टों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उनकी शर्तों के अनुसार उन पर विचार किया जाता है। अनेक छावनी नियमावली पट्टों की अवधि समाप्त हो चुकी है। सरकार द्वारा पट्टा अवधि बढ़ाने अथवा निरस्त करने के संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है।

बीड़ी कामगारों हेतु चिकित्सा योजनाएं

4135. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश के सागर जिले सहित देश में बीड़ी कामगारों को विविधिकृत चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कामगारों को प्रदान किए गए चिकित्सा उपचार की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त कामगारों और उनके परिवारों के लिए आयोजित किए गए मनोरंजक कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान संशोधित समेकित आवास योजना के अंतर्गत जिले में कितने कामगारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई;

(ङ) क्या उपर्युक्त योजना के लिए आवंटित निधियों का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो आवंटित निधियों के पूर्ण उपयोग के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) जी, हां।

(ख) बीड़ी कामगारों को प्रदान किए गए चिकित्सा उपचार की वर्ष वार संख्या निम्नवार हैः

(आंकड़े लाख में)

2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अक्टूबर, 2011 तक)
1.42	3.31	3.68	1.98

(ग) आयोजित किए गए मनोरंजन कार्यकलापों तथा उन पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है

(i) *खेल कूद, क्रीड़ा, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप*

(धन राशि लाख में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अक्टूबर, 2011 तक)
प्रतियोगिताओं की संख्या	4	8	8	4
व्यय	1.60	1.79	2.89	1.60

(ii) अवकाश सदन,

वर्ष	कामगारों की संख्या	खर्च की गई धनराशि रुपये में
2008-09	3631	504355
2009-10	1491	503444
2010-11	1621	596064
2011-2012 (नवम्बर, 2011 तक)	0	0

(घ) सागर जिले में जिन कामगारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, उनकी संख्या निम्नानुसार है

2008-09	2009-10	2010-11
542	1384	1250

चालू वर्ष के संबंध में प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

(ङ) और (च) योजना के अंतर्गत आबंटित निधि का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है।

[अनुवाद]

वानिकी परियोजनाओं के लिए निधियां

4136. श्री आर. ध्रुवनारायणः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ देशों विशेषकर जापान ने देश में वानिकी परियोजनाओं के कुछ चरणों के वित्त पोषण का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में आबंटित और जारी निधियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) जी, हां। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेन्सी (जेआईसीए), जापान सरकार द्वारा बारह बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया है। इन 12 परियोजनाओं में से एक परियोजना, विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित के अंतर्गत वन प्रबंधन और कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु क्षमता वृद्धि संबंधी केंद्रीय क्षेत्र परियोजना है। अन्य ग्यारह परियोजनाएं, राज्य क्षेत्र परियोजनाएं हैं जो कि दस विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं क्योंकि दो परियोजनाएं तमिलनाडू में साथ-साथ क्रियान्वयनाधीन हैं जिनमें से एक परियोजना वर्ष 2012-13 में पूर्ण हो रही है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

राज्य सरकारें, इस परियोजना के संबंध में प्रतिपूर्ति दावे, सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत करती हैं। परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा इन प्रतिपूर्ति दावों को विधीक्षा हेतु डोनर अभिकरण को सीधे भेजा जाता है और परियोजना को हस्ताक्षरित ऋण करार के अनुसार किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन/कार्य निष्पादन अभिकरण राज्य	परियोजना का उद्देश्य	परियोजना लागत/ डोनर अभिकरण/राज्य -क्षेत्र अथवा केंद्र-क्षेत्र	परियोजना अवधि
1	2	3	4	5	
1.	हरियाणा में समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और गरीबी न्यूनीकरण परियोजना	राज्य सरकार/ हरियाणा	क. पारिस्थितिकीय सततता बनाए रखते हुए वन भूमि का पुनरूद्धार करना। ख. ग्रामवासियों के जीवनस्तर और समीपवर्ती वनों के गुणवत्ता में सुधार करना।	286 करोड़ रुपए/ जेआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2004-05 से 2010.11 (अभी पूरी की जानी है)

1	2	3	4	5	
2.	तमिलनाडु वनीकरण पारियोजना चरण-II	राज्य सरकार/ तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से वनीकरण द्वारा परियोजना ग्रामों के निवासियों की आजीविका में सुधार लाने को सुकर बनाने तथा पारिस्थितिकीय पुनरूद्धार करने के लिए वनों का जीर्णोद्धार करना, जोकि आगे इस क्षेत्र में गरीब कम करने में योगदान देगा।	567 करोड़ रुपए/ जेआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2005.06 से 2012.13
3.	कर्नाटक सतत वन प्रबंधन और विविधता संरक्षण परियोजना	राज्य सरकार/ कर्नाटक	कर्नाटक राज्य में संयुक्त वन आयोजना एवं प्रबंधन (जेएफपीएम) के माध्यम से वनीकरण द्वारा परियोजना ग्रामों के निवासियों की आजीविका में सुधार लाने को सुकर बनाने तथा पारिस्थितिकीय पुनरूद्धार करने के लिए वनों का जीणोद्धार जोकि आगे इस क्षेत्र में गरीबी कम करने और जैव-विविधता संरक्षण के परिक्षण में योगदान देगा।	745 करोड़ रुपए/ जेआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2005.06 से 2012.13
4.	ओडिशा वानिकी क्षेत्र विकास परियोजना	राज्य सरकार/ ओडिशा	जेएफएम पौदरोपण और सामुदायिक/ जनजातीय विकास सहित सतत वन प्रबंध को बढ़ावा देने के द्वारा ग्रामवासियों के आय-सतर में सुधार और अवक्रमित वनों का पुनरूद्धार करने के द्वारा पर्यावरण में सुधार और गरीबी उन्मूलन करना।	660 करोड़ रुपए/ जेआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2006-07 से 2012-13
5.	स्वान नदी समेकित जलसंभरण प्रबंधन परियोजना	राज्य सरकार/ हिमाचल प्रदेश	समेकित जलसंभरण प्रबंधन गतिविधियों जिनमें वनीकरण, मृदा और नदी प्रबंधन हेतु सिविल कार्य, मृदा संरक्षण और भू-सुधार तथा आजीविका सुधार कार्यकलाप शामिल हैं, के द्वारा स्वान नदी, हिमाचल प्रदेश राज्य के आवाह-क्षेत्र में कृषिय और वानिकी उत्पादन में कृषिय भूमि की सुरक्षा वनों के पुनरूत्थान के द्वारा आवाह-क्षेत्र में गरीबों सहित लोगों की जीवन-स्थितियों में सुधार करना।	162 करोड़ रुपए/ जेआईसीए/ राज्य सेक्टर परियोजना	2006-07 से 2013-14

1	2	3	4	5	
6.	त्रिपुरा वन पर्यावरण सुधार और गरीबी उन्मूलन परियोजना	राज्य सरकार/ त्रिपुरा	जेएफएम के माध्यम से अवक्रमित वनों का पुनरूद्धार और परंपरागत झूम खेती में लगे जनजातीय परिवारों सहित ग्रामवासियों के आजीविका पहलुओं में सुधार और सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देने के द्वारा पर्यावरण में सुधार लाना तथा गरीबी उन्मूलन करना।	460 करोड़ रुपए/ जेआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2007-08 से 2014-15
7.	गुजरात वानिकी विकास परियोजना चरण II	राज्य सरकार/ गुजरात	जेएफएम पौधरोपण और सामुदायिक/ जनजातीय विकास सहित सतत वन प्रबंध को बढ़ावा देने के द्वारा वनों पर निर्भर स्थानीय लोगों को सशक्त करने और आजीविका में सुधार और अवक्रमित वनों के पुनरूद्धार द्वारा पर्यावरण में सुधार और गरीबी उन्मूलन करना।	830 करोड़ रुपए/ जेआईसीए/ राज्य राज्य क्षेत्र परियोजना	2007-08 से 2015-16
8.	उत्तर प्रदेश सहभागिता वन प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन परियोजना	राज्य सरकार/ उत्तर प्रदेश	जेएफएम पौधरोपण और सामुदायिक विकास सहित सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देने के द्वारा वनों पर निर्भर स्थानीय लोगों को सशक्त करने और आजीविका में सुधार और वन संसाधनों में आवर्धन और अवक्रमित वनों के पुनरूद्धार द्वारा पर्यावरण में सुधार और गरीबी उन्मूलन करना।	575 करोड़ रुपए/ जेआईसीए/राज्य क्षेत्र परियोजना	2008-09 से 2015-16
9.	वन प्रबंधन और कार्मिको के प्रशिक्षण हेतु क्षमता निर्माण	केंद्रीय सरकार पर्यावरणीय एवं वन मंत्रालय (आर.टी. प्रभाग)/ वन शिक्षा निदेशालय (डीएफई)	राज्य वन प्रशिक्षण संस्थानों के पुनर्वास के माध्यम से फ्रन्टलाईन स्टाफ हेतु पर्यावरण प्रशिक्षण में सुधार करना और फ्रन्टलाईन वानिकी स्टाफ के क्षमता निर्माण के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) पर बल देकर सतत वन प्रबंधन हेतु मानव संसाधन विकास को सुदृढ़ बनाना।	225 करोड़ रुपए/ जेआईसीए/राज्यों को अनुदान के रूप में विस्तारित भारत सरकार का 225 करोड़ रुपये का ऋण	2008-09 से 2013-14

1	2	3	4	5	
10.	सिक्किम जैवविविधता संरक्षण और वन प्रबंधन परियोजना	राज्य सरकार/ सिक्किम	सामुदायिक विकास हेतु पारि-पर्यटन सहित सतत जैवविविधता संरक्षण, वनीकरण और आय उपार्जन गतिविधियों को बढ़ावा देकर जैवविविधता संरक्षण क्षमता और वन प्रबंधन गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना और उन स्थानीय लोगों, जो वनों पर पर निर्भर हैं, की आजीविका में सुधार करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान और सिक्किम के समाजार्थिक विकास को अनुकूल बनाना।	330 करोड़ रूपए/ जेआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2010-11 से 2019-20
11.	तमिलनाडु जैवविविधता संरक्षण और ग्रीनिंग परियोजना	राज्य सरकार/ तमिलनाडु	पारितंत्र और प्रबंधन क्षमता में सुधार करके जैवविविधता संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ रिकार्डिड वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण करके तमिलनाडु के पर्यावरणीय संरक्षण में योगदान देना और सामाजार्थिक विकास को अनुकूल बनाना।	686 करोड़ रूपए/ जेआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2011-12 से 2018-19
12.	राजस्थान वानिकी और जैवविविधता परियोजना (चरण-II)	राज्य सरकार/ राजस्थान	जेएफएम के माध्यम से वनीकरण और जैवविविधता संरक्षण उपायों को करके वन क्षेत्र और वनाश्रित लोगों की आजीविका अवसरों में वृद्धि करना और जैवविधिता संरक्षण उपाय करके राजस्थान के पर्यावरणीय सरंक्षण और समाजार्थिक विकास में योगदान करना।	1152 करोड़ रूपए/ जेआईसीए/ राज्य क्षेत्र परियोजना	2011-12 से 2018-19
		कुल		6678 करोड़ रूपए	

शीर्षकः जेआईसीए-जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेन्सी।

[हिन्दी]

दलितों और जनजातियों के विकास हेतु कानून

4137. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में दलितों और जनजातियों के संरक्षण और विकास हेतु बनाए गए कानूनों से परिणाम प्राप्त होने आरम्भ हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कानून उक्त जातियों के लिए किस हद तक लाभदायक हैं; और

(ग) इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (पीसीआर अधिनियम) में अस्पृश्यता की प्रथा के

लिए दंड का प्रावधान है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (पीओए अधिनियम) अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों के किए जाने को रोकने के लिए, ऐसे अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालयों तथा राहत और ऐसे अपराधों के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है। यद्यपि, यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों के विकास के संबंध में किसी विधान को प्रशासित नहीं करता है।

राष्ट्रीय अपराध लेख ब्यूरो गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2008-2010 के दौरान पीसीआर और पीओए अधिनियमों के अंतर्गत पुलिस द्वारा दर्ज अनुसूचित जाति से संबंधित प्रकरणों की संख्या, दोषसिद्धि, दोषमुक्ति में समाप्त प्रकरणों और इनसे संबंधित लंबित प्रकरणों का प्रतिशत निम्न सारणी में निर्दिष्ट हैं

वर्ष	निम्न के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की संख्या		न्यायालयों द्वारा निपटाए गए, निम्नलिखित में समाप्त प्रकरणों का %				निम्न के अंगर्तत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का %	
			दोषसिद्धि में		दोषमुक्ति में			
	पीसीआर एक्ट	पीओए एक्ट	पीसीआर एक्ट	पीओए एक्ट	पीसीआर एक्ट	पीओए एक्ट	पीसीआर एक्ट	पीओए एक्ट
2008	248	3367	12.8	32.0	87.2	68.0	79.3	76.8
2009	168	33426	16.7	29.7	83.3	70.3	80.4	81.6
2010	143	32569	21.7	35.2	78.3	64.8	78.7	81.9

उक्त सारणी से यह दिखायी देता है कि दोनों अधिनियमों के अंतर्गत 2010 के दौरान ऐसे प्रकरणों की संख्या में 2009 के दौरान दर्ज प्रकरणों की तुलना में घटी थी, जबकि निपटाए गए, दोषसिद्धि में समाप्त प्रकरणों का प्रतिशत तदनुरूपी अवधि के दौरान बढ़ा था।

दोनों अधिनियम राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं, जिन्हें प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ करने और प्रचार और जागरूकता सृजन, अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत धनराशि इत्यादि के लिए मुख्यतया केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह मंत्रालय दोनों अधिनियमों के प्रावधानों का अक्षरशः कार्यान्वयन, प्रकरणों के त्वरित अभियोजन के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों के गठन पर विशेष जोर देने के साथ, अन्वेषण अधिकारियों के सुग्राहीकरण, जनजागरूकता कार्यक्रमों, दोषमुक्ति में समाप्त प्रकरणों की समीक्षा करके उनका समाधान करता रहा है। गृण मंत्रालय भी अन्य बातों के साथ-साथ उन उपायों के संबंध में उन्हें सलाह देता रहा है जिनकी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के एक वृहतर उपाय किए जाने के लिए आवश्यकता है।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति जो वर्ष 2006 में गठित की गई थी, भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अधिनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। इस समिति ने अभी तक सत्रह बैठकें आयोजित की हैं जिनमें 24 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में दोनों अधिनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा कर ली गई है।

[अनुवाद]

सड़क निर्माण मानदंडों का उल्लंघन

4138. डॉ. पी. वेणुगोपालः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि सड़क परियोजनाओं के अनेक डेवलपरों ने मानदंडों का उल्लंघन किया था;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सड़क निर्माण मानदंडों के उल्लंघन के दोषी पाए गए ठेकेदारों/डेवलपरों की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाए गए ठेकेदारों/डेवलपरों के विरूद्ध सरकार (एनएचएआई) द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का निर्माण, भारतीय सड़क कांग्रेस के कोडों में निर्धारित दिशा-निर्देशों/मानकों और सड़क एवं पुल कार्यों के लिए मंत्रालय के विनिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(ग) से (ङ) सड़क परियोजनाओं के ठेकेदारों/विकासकर्ताओं को यदि मानकों/विनिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो संविदा करार के संगत उपबंधों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है अर्थात् कार्यों को परिशोधित करवाना, परिसमापन क्षति की वसूली, कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करना, ब्याज सहित अर्थ-दंड लगाना, ठेकेदारों को अल्प-निष्पादन-कर्ता घोषित करना और यहां तक कि एक निश्चित अवधि के लिए एजेंसियों को काली-सूची में डाल देना। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निर्माण मानकों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	परियोजना कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम
1	2	3	4
1.	**2008**	रारा-67 विस्तार किमी 385 से किमी 504 मेतूपल्लयम से तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा खंड वाया ऊटी तक स्थाई मरम्मत कार्य पैकेज-I से V	मै. सी. के राजन एंड एस जवाहर (संउ.)
2.		रारा-7 के मदुरै-कन्याकुमारी खंड को चार लेन का बनाया जाना पैकेज एनएस-41	मै. आईवीआरसीएल
3.		जसपुर बाइपास चरण-II जोन-डी	मै. पुंज लॉयड लि.,-प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. (संउ.)
4.		पूर्व पश्चित कॉरीडोर पर रारा-25 पर किमी 15.00 से किमी 49.600 तक में कार्य एमपी-2 पैकेज	मै. आईटीडी केम. इंडिया (संउ.)
5.	**2010**	रारा-6 पर नागपुर से कोंधली खंड के किमी 9.2 से किमी 50 तक बीओटी पैकेज	मै. अटलांटा
6.	**2011**	ओडिशा और बंगाल राज्य में रारा-60 के किमी 0 से किमी 119.275 तक बालासोर लक्ष्मणनाथ-खड़गपुर खंड का अल्प-अवधि सुधार और नेमी अनुरक्षण	मै. डगकॉन (इंडिया) प्रा.लि.
7.		तमिलनाडु राज्य में रारा-4 और रारा-46 के चैन्ने -वेल्लौर खंड का अल्प-अवधि सुधार और वार्षिक अनुरक्षण कार्य	मै. जेएमसी कंस्ट्रक्शन
8.		रारा-7 के हैदराबाद-बंगलौर खंड को चार लेन का बनाया जाना पैकेज एडीबी-II/सी-13	मै. कॉटीनेंटल इंजीनियरिंग कारपोरेशन
9.		झारखंड राज्य में रारा-2 (किमी 180 से किमी 320) पर अल्प-अवधि सुधार और नेमी अनुरक्षण	मै. दिनेश चंद्र (आर) इंफ्राकॉन प्रा. लि.

1	2	3	4
10.		दिल्ली राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 का विकास कार्य	मै. शिवा बिल्डटैक
11.		उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-93 के किमी 0.00 से किमी 79.00 तक (किमी 29.00 से किमी 40.00 तक के सड़क खंड के लिए) अनुरक्षण कार्य	मै. डीके इंफ्रास्ट्रक्चर
12.		बारन जिले में रारा-76 पर निर्माण कार्य	मै. सनवे कंस्ट्रक्शन-एसडीएन-बीएचडी मै. केएमसी कंस्ट्रक्शन लि. मै. एल एंड टी लि.
13.		ओडिशा राज्य में रारा-5 के किमी 284.00 से किमी 338.00 तक 4/6 लेन में चौड़ीकरण कार्य का शेष कार्य	मै. केएनआर कंस्ट्रक्शन लि.
14.		रारा-7 पर कोथाकोटा से करनूल किमी 136 से किमी 211 तक सड़क निर्माण कार्य	मै. आंध्र प्रदेश एक्सप्रेसवे लि.
15.		रारा-7 पर हैदराबाद-बंगलौर खंड को चार लेन का बनाया जाना	मै. कॉटीनेंटल इंजीनियरिंग कारपोरेशन

[हिन्दी]

पूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास योजनाएं

4139. श्री शैलेन्द्र कुमारः
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ीः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूर्व-सैनिकों के लिए चलाई जा रही पुनर्वास योजनाओं में कुछ अनियमितताओं की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या जांच की गई है; और

(घ) जांच का क्या निष्कर्ष निकला और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) और (ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास स्कीमों के संबंध में प्रशासनिक अनिमितताओं के बारे में पुनर्वास महानिदेशालय के कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों ने कुछ आरोप लगाए हैं।

(ग) और (घ) आंतरिक जांच समिति ने कतिपय अनियमितताओं की रिपोर्ट दी है। तथापि, चूंकि भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्वास स्कीमों में अनियमितताओं के लिए यह समिति किन्हीं व्यक्तियों को विशिष्ट तौर पर दोषी नहीं बता पाई है। अतः यह मामला आगे की जांच के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत गंभीर धोखाधड़ी जांच अधिकारी (एसएफआईओ) को भेज दिया गया है।

छात्रवृत्ति राशि को मूल्य सूचकांक से जोड़ना

4140. श्री देवराज सिंह पटेलः
श्री अशोक कुमार रावतः
श्री गोबिन्द प्रसाद मिश्रः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही छात्रवृत्ति राशि को मूल्य सूचकांक से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में विभिन्न सामाजिक संगठनों/जन प्रतिनिधियों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई अथवा की जा रही अनुवर्ती कार्यवाही क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ माता-पिता/अभिभावक की आय सीमा को जोड़ने संबंधी प्रावधान है।

(ग) और (घ) छात्रवृत्तियों की दरों में बढ़ोत्तरी के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते हैं। इन सरोकारों का योजनाओं में संशोधन करते समय, आवधिक अन्तरालों पर समाधान किया जाता है।

अपराह्न 12.0½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः अब सभा पटल पर पत्र रखता हूं:

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) नेशनल इन्स्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5771/15/11]

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 1808(अ) जो 5 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5772/15/11]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) ऑल इंडिया हैण्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया हैण्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5773/15/11]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार): श्री जी.के. वासन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2010-2011 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5774/15/11]

(2) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5775/15/11]

(3) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5776/15/11]

(4) (एक) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5777/15/11]

(5) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2010-2011 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5778/15/11]

(6) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट, मुंबई का वर्ष 2010-2011 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5779/15/11]

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखों तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल. टी. 5780/15/11)

(8) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2010-2011 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5781/15/11]

(9) (एक) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5782/15/11]

(10) (एक) कांडला पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला पत्तन न्यास, गांधीधाम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5783/15/11]

(11) (एक) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5784/15/11]

(दो) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5785/15/11]

(13) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5786/15/11]

(14) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5787/15/11]

(15) (एक) पूर्ववर्ती बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड, बॉम्बे के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पूर्ववर्ती बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड, बॉम्बे के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5788/15/11]

(16) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5789/15/11]

(17) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, न्यू मंगलौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, न्यू मंगलौर के वर्ष 2010-2011 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5790/15/11]

(18) (एक) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5791/15/11]

(19) (एक) मुर्मूगांव पत्तन न्यास, मुर्मूगांव के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुर्मूगांव पत्तन न्यास, मुर्मूगांव के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल. टी. 5792/15/11)

(20) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा०का०नि० 769(अ) जो 19 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) 5वां संशोधन विनियम, 2011, का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 834(अ) जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2011, का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 825(अ) जो 19 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (त्यौहार और प्राकृतिक आपदाओं के लिए अग्रिम की मंजूरी) संशोधन विनियम, 2011, का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा०का०नि० 833(अ) जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन के वर्ग-1 अधिकारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन की स्वीकार्यता) संशोधन विनियम, 2011, का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5793/15/11]

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5794/15/11]

(2) (एक) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5795/15/11]

(3) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5796/15/11]

(4) (एक) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5797/15/11]

(5) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5798/15/11]

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5799/15/11]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): मैं अपने सहयोगी श्री ज्योतिरादित्य एम० सिंधिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5800/15/11]

(2) (एक) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5801/15/11]

(3) (एक) रबड़ बोर्ड, कट्टायम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कट्टायम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रबड़ बोर्ड, कट्टायम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5802/15/11]

(4) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मेटेरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मेटेरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5803/15/11]

(5) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5804/15/11]

(6) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5805/15/11]

(7) (एक) अम्बुर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अम्बुर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5806/15/11]

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) साउथ एशिया रबड़ एण्ड पॉलीमर्स पार्क, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) साउथ एशिया रबड़ एण्ड पॉलीमर्स पार्क, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5807/15/11]

(ख) (एक) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरीडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरीडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5808/15/11]

(9) (एक) सूरत इंटरनेशनल एक्जीबिशन एण्ड कन्वेंशन सेंटर, सूरत के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूरत इंटरनेशनल एक्जीबिशन एण्ड कन्वेंशन सेंटर, सूरत के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5809/15/11]

(10) (एक) बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलन के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलन के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5810/15/11]

(11) (एक) तिरुचिरापल्ली इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी कलस्टर, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तिरुचिरापल्ली इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी कलस्टर, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5811/15/11]

(12) (एक) चेन्नई एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ टैनर्स, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ टैनर्स, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल. टी. 5812/15/11)

(13) (एक) प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मानेसर वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मानेसर वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5813/15/11]

(14) (एक) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5814/15/11]

(15) (एक) कैश्यू एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोच्चि के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैश्यू एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोच्चि के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5815/15/11]

(16) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल. टी. 5816/15/11)

(17) (एक) टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5817/15/11]

(18) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5818/15/11]

(19) (एक) नेशनल सेंटर फार ट्रेड इन्फॉर्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार ट्रेड इन्फॉर्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5819/15/11]

(20) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5820/15/11]

(21) (एक) सपोर्ट टू आर्टिसन (लेदर आर्ट) प्रोग्राम (हर्सल ग्रामीण विकास बहु संस्था, चंद्रपुर) के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सपोर्ट टू आर्टिसन (लेदर आर्ट) प्रोग्राम (हर्सल ग्रामीण विकास बहु संस्था, चंद्रपुर) के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5821/15/11]

(22) (एक) एशियन सेंटर फॉर इंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स (कर्नाटक) के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियन सेंटर फॉर इंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स (कर्नाटक) के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5822/15/11]

(23) (एक) ग्रामीण जन कल्याण परिषद, मुजफ्फरपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ग्रामीण जन कल्याण परिषद, मुजफ्फरपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5823/15/11]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5824/15/11]

(2) (एक) अपेरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अपेरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5825/15/11]

(3) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5826/15/11]

(4) (एक) नॉर्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5827/15/11]

(5) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5828/15/11]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5829/15/11]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(क) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5830/15/11]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5831/15/11]

(ग) (एक) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5832/15/11]

(घ) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5833/15/11]

(ङ) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्कोडिगामा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्कोडिगामा के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5834/15/11]

(च) (एक) बीईएमएल, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएमएल, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5835/15/11]

(2) (एक) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलोर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षक लेखे।

(दो) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलोर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5836/15/11]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. तुषार चौधरी): मैं अपने सहयोगी श्री जितिन प्रसाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का० आ० 1478(अ) जो 29 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या का० आ० 194(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का० आ० 289(अ) जो 27 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218 (बीजापुर हुबली रोड के मालप्रभा पर पुल का निर्माण) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का० आ० 1060(अ) जो 13 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या का० आ० 1199(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का० आ० 830(अ) जो 27 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218, 63 और 4 को जोड़ने वाले हुबली सिटी तक बाईपास के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का० आ० 2742(अ) जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (तलासरी-माओर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का० आ० 2836(अ) जो 24 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 21 अक्तूबर, 2009 की अधिूसचना संख्या का० आ० 2657(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का० आ० 2679(अ) जो 28 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) (बाइपासों के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का० आ० 2692(अ) जो 1 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (डुबरी-भुवन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का० आ० 2276(अ) जो 14 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (पीटिरी-भुबन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का० आ० 931(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (संबलपुर-बारगढ़-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का० आ० 812(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिकारी, सुंदरगढ़ को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बारह) का० आ० 794(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का० आ० 802(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चौदह) का० आ० 824(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पंद्रह) का० आ० 810(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (संबलपुर-बारगढ़-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का० आ० 732(अ) जो 8 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (संबलपुर-बारगढ़-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का० आ० 799(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (भुवनेश्वर-उत्तरासासम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का० आ० 1269(अ) जो 2 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (डुबरी-भुबन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का० आ० 935(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 (पथालगांव से छत्तीसगढ़/झारखण्ड सीमा) (बाईपासों के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का० आ० 1069(अ) जो 16 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (धामतरी-जगदलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(इक्कीस) का० आ० 943(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2268(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का० आ० 922(अ) और का० आ० 923(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (रायपुर-धामतरी खण्ड) के विभिन्न खंडों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तेईस) का० आ० 946(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (बिलासपुर-अम्बिकापुर खण्ड) (बाईपासों के निर्माण सहित) के विभिन्न खंडों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चौबीस) का०आ० 387(अ) जो 17 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (चिल्पी-सिमगा खण्ड) (बाईपासों के निर्माण सहित) के विभिन्न खंडों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पच्चीस) का०आ० 360(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (औरंग-सरायपल्ली खण्ड) (बाईपासों के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (आठ) और (नौ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5837/15/11]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): मैं अपने सहयोगी श्री डी. नैपोलियन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5838/15/11]

(ख) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5839/15/11]

(ग) (एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5840/15/11]

(घ) (एक) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल टी. 5841/15/11]

(2) (एक) राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5842/15/11]

(3) (एक) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल. टी. 5843/15/11]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिवः अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है

"मुझे लोकसभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्यसभा ने शुक्रवार 9 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है

"यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा श्री सिलवियस कोंडपन के स्थान पर, जिनका 10 अक्तूबर, 2011 को निधन हो गया था, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के शेष कार्यकाल के लिए उक्त समिति के साथ सहबद्ध होने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नाम निर्देशित करने के लिए सहमत हो और उस रीति से, जैसा सभापति निदेश दें, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

2. मुझे लोकसभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में श्री ईश्वर सिंह, सदस्य, राज्यसभा को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है।

अपराह्न 12.02 बजे

लोक लेखा समिति

40वें से 46वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) स्वीकृत अनुदानों पर अधिशेष तथा प्रभारित विनियोग (2009-10) के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'दावों की लापरवाही से संवीक्षा के परिणामस्वरूप अधिक संदायगी' के बारे में 41वां प्रतिबेदन।

(3) रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल में गैर-आर्थिक शाखा लाइनें' के बारे में 42वां प्रतिवेदन।

(4) रेल मंत्रालय से संबंधित 'नई रेल लाइन पर व्यर्थ निवेश' के बारे में 43वां प्रतिवेदन।

(5) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय वायुसेना में विमान बेड़े का प्रचालन और अनुरक्षण' के बारे में समिति के 81वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) की टिप्पणीयों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 44 वां प्रतिवेदन।

(6) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से संबंधित 'गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं पर की-गई-कार्यवाही टिप्पण समय पर प्रस्तुत करने में मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन' नहीं किए जाने के बारे में समिति के 11वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 45वां प्रतिवेदन।

(7) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'टॉल फी की लेवी में विलम्ब होने के कारण राजस्व की हानि' संबंधि समिति के 13 वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 46वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः मद संख्या 13, श्री जगदम्बिका पाल-उपस्थित नहीं है।

श्री विलास मुत्तेकेश्वर-उपस्थित नहीं।

मद संख्या 14-डॉ० बलीराम।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. बलिराम (लालगंज): महोदया, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

कृषि संबंधी समिति

27वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदया, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख सूचीबद्ध 'अपर्याप्त मानसून और कृषि क्षेत्र पर इसका प्रभाव कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों' के बारे में कृषि संबंधी समिति (15वीं लोक सभा) के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में कृषि संबंधी समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

32वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं कार्य मंत्रणा समिति का 32वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04¼ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) (क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 97वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): मैं अपने सहयोगी श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया की ओर

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 5844/15/11

से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में वाणिज्य सम्बन्धी स्थायी समिति के 97वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

(ख) हथकरघा क्षेत्र के लिए व्यापक पैकेज*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (आनन्द शर्मा): मैं हथकरघा क्षेत्र के लिए व्यापक पैकेज के बारे में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

बजट भाषण 2011-12 के दौरान माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि हथकरघा क्षेत्र में अतिदेय ऋणों को माफ करने के लिए वित्तीय पैकेज के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी। सरकार द्वारा 3,884 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक वित्तीय पैकेज का हाल में अनुमोदन किया गया है। इसमें हथकरघा क्षेत्र को संवितरित ऋणों के लिए 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋणों और ब्याज की एक बारगी माफी शामिल है। वित्तीय पैकेज से लगभग 3 लाख व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों और 15,000 सहकारी समितियों को लाभ होगा और वे एक बार फिर संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में एक विवरण पहले ही दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को सभा पटल पर रख दिया गया है।

2. तथापि, उक्त वित्तीय पैकेज से केवल उन बुनकरों और उनकी सहकारी समितियों को लाभ होगा जिन्होंने इससे पहले ऋण लिए हुए थे। ऐसे कई हथकरघा बुनकर हो सकते हैं जिन्हें विगत में कोई संस्थागत ऋण न मिला हो। ऐसे बुनकरों को वित्तीय पैकेज से लाभ नहीं होगा। इसके अलावा इस बात की जरूरत भी महसूस की गई थी हथकरघा क्षेत्र को उस कीमत से कम कीमत पर यार्न उपलब्ध करवाया जाए जिस कीमत पर विद्युतकरघा और मिलों को यह यार्न उपलब्ध होता है ताकि हथकरघा उनके साथ मुकाबला कर सके।

3. इसलिए, सस्ते ऋण और सस्ते यार्न की दो महत्वपूर्ण जरूरतों का समाधान करने के उद्देश्य से सरकार ने अब हथकरघा बुनकरों के लिए एक व्यापक पैकेज का अनुमोदन किया है। इन हस्तक्षेपों का परिचालन दो वर्तमान योजना स्कीमों अर्थात सस्ते ऋण प्रदान करने के लिए एकीकृत हथकरघा विकास योजना और रियायती दर पर हैंक यार्न की आपूर्ति के लिए मिल गेट कीमत योजना में संशोधन करके किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित हस्तक्षेपों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) **हथकरघा क्षेत्र को ऋण:** सरकार निम्नलिखित सहायता प्रदान करेगी:

(क) सरकार द्वारा व्यक्तिगत बुनकरों, उनके स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त जवाबदेही समूहों को 4200 रुपये प्रति बुनकर की दर से मार्जिन राशि की सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे वित्तीय संस्थाओं से नए ऋण प्राप्त कर सकें।

(ख) सरकार द्वारा पहले संवितरण की तारीख से तीन वर्ष के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज परिदान प्रदान किया जाएगा ताकि हथकरघा बुनकर और उनकी सहकारी समितियां रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकें।

(ग) **ऋण गारंटी:** वित्तीय संस्थाओं द्वारा हथकरघा बुनकरों और उनकी सहकारी समितियों को दिए गए ऋणों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों की ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सी जी टी एम एस ई) द्वारा 3 वर्ष के लिए गारंटी प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा अपेक्षित गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(घ) **सूचना, शिक्षा और संचार (आई ई सी) क्रियाकलाप:** योजना के बारे में हथकरघा बुनकरों को जागरूक बनाने के लिए प्रचार और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे।

(ङ.) **कार्यान्वयन एजेंसी को सेवा प्रभार:** यह योजना नाबार्ड, सिडबी, सीजीटीएमएसई और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इन एजेन्सियों को उनके द्वारा संवितरित मार्जिन राशि और ब्याज सब्सिडी का 2 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार का भुगतान किया जाएगा।

(ii) **हथकरघा क्षेत्र को यार्न की आपूर्ति:** उचित कीमतों पर यार्न की उपलब्धता के मुद्दे का समाधान करने के लिए निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:

(क) सरकार द्वारा रेशम और कॉटन हैंक यार्न पर 10 प्रतिशत कीमत सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि हथकरघा क्षेत्र को रियायती यार्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एल. टी. 5845/15/11।

(ख) ईंधन की बढ़ी कीमत का समायोजन करने के उद्देश्य से सरकार ने हथकरघा क्षेत्र द्वारा विभिन्न प्रकार के यार्न की ढुलाई के लिए माल भाड़े की प्रतिपूर्ति बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे देश के दूर दराज के क्षेत्रों में हथकरघा क्लस्टरों में यार्न का लगभग उसी कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी जिस कीमत पर यार्न विनिर्माता मिलों में उपलब्ध होता है।

(ग) रियायती यार्न की आपूर्ति करने की योजना कार्यान्वयन राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां भी उन्हीं शर्तों पर जहां कहीं आवश्यक हो यार्न की आपूर्ति करने में सहयोग करेंगी। या तो व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों या उनके स्वयंसहायता समूहों, सहकारी समितियों आदि को, न की दोनों को, एक यार्न पास बुक जारी की जाएगी और रियायती यार्न की आपूर्ति की जाएगी। यह सब्सिडी कॉटन और कच्चे रेशम यार्न दोनों के लिए उपलब्ध होगी।

4. व्यापक पैकेज से बजट आबंटन के अनुसार देश में सभी हथकरघा बुनकरों और उनकी सहकारी समितियों को लाभ होगा। इस व्यापक पैकेज के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों का सहयोग महत्वपूर्ण है। वे हथकरघा बुनकरों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए हथकरघा कलस्टरों में आई ई सी क्रियाकलाप और विशेष आवधिक शिविर आयोजित करेंगे। वे बुनकरों को यार्न पास बुक भी जारी करेंगे।

5. चालू वर्ष और 12वीं योजना अवधि के दौरान व्यापक पैकेज के कार्यान्वयन में 2362.15 करोड़ रूपये के वित्तीय परिव्यय होने का अनुमान है। भारत सरकार द्वारा पूरी राशि प्रदान की जाएगी।

अपराह्न 12.05 बजे

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधयेक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. सी.पी. जोशी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

मंत्री का परिचय

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं आपसे और आपके माध्यम से इस सम्मानित सभा से मेरे साथी श्री अजित सिंह का परिचय कराना चाहता हूं जो हाल ही में नागर विमानन कैबिनेट मंत्री के रूप में मंत्रि परिषद में सम्मिलित किए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री

श्री अजित सिंह-नागर विमानन मंत्री

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हम शून्यकाल प्रारंभ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल-उधमसिंह नगर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लाल कुआं एवं हल्द्वानी जिला नैनीताल की मलिन बस्तियों में निवास करने वाले परिवारों को केन्द्र सरकार के जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत पुनर्वासित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र हल्द्वानी शहर के रेलवे स्टेशन के समीप लगभग 30 वर्षों से करीब 2000 परिवार टाट व

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 5845/15/11

प्लास्टिक के टैन्टों में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। लाल कुआं एवं हल्द्वानी में शीघ्र ही रेल मार्ग का विस्तार होने जा रहा है जिस कारण इन परिवारों को बेघर होना पड़ेगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन गरीब परिवारों को जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत पुनर्वासित कर इस समस्या का हल किया जाए। इस संबंध में उत्तराखंड सरकार द्वारा भी केन्द्र सरकार को पूर्व में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

महोदया, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि इस लोकहित के अति महत्वपूर्ण मामले पर हस्तक्षेप करें। इन गरीब, एवं बेघर एवं भूमिहीन लोगों को केन्द्र सरकार के जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन या किसी भी अन्य केन्द्रीय आवास योजना के अंतर्गत पुनर्वासित करें जिससे इन गरीब लोगों का भविष्य सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): महोदया आप इस बात से अवगत हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन संघटक के अंतर्गत वर्ष 2008-09 से भारत सरकार ने दालों के प्रमाणित बीजों को उगाने हेतु बीज उगाने वालों को प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया है। तदनुसार कर्नाटक में सभी जिलों से किसान प्रमाणित बीजों को उगाकर इस योजना में भाग ले रहे हैं और वर्ष 2010-11 तक के लिए कर्नाटक राज्य बीज निगम के माध्यम से उन्हें सभी आवश्यक प्रोत्साहन दिए गए हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश छह जिलों से बीज उत्पादक किसानों को कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुए हैं। धारवाड़ जिला, जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का भाग है, इसमें से ही एक है। इस संबंध में राज्य कृषि प्रबंधन एजेन्सी, कर्नाटक, एक नोडल एजेन्सी है, यह भारत सरकार के साथ पत्राचार कर रही है और यह केवल 250 लाख रु. को अतिरिक्त लंबित अनुदान को जारी करने का अनुरोध कर रही है। यह छह जिलों हेतु है। परन्तु आज की तिथि तक कोई निधियां जारी नहीं की गई है। जिन गरीब किसानों ने भारत सरकार और खाद्य मिशन में विश्वास कर बीज उगाने में निवेश किया था, अब नुकसान उठा रहे हैं, मैं आपके हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं और महोदया, आपके माध्यम से मैं श्री शरद पवार जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे तत्काल निधियां जारी करें, कर्नाटक राज्य में 176 तालुकों में से 19 तालुक और 21 जिले सूखे से परेशान हैं, किसान पहले से ही परेशान हैं। हाल ही में एक केन्द्रीय दल ने दौरा किया है और स्थिति का आंकलन किया है। इस संदर्भ में, मैं भारत सरकार और मानवीय मंत्री जी से हस्तक्षेप करने और निधियां जारी करने का अनुरोध करता हूं; और दौरा करने वाले दल से भी अनुरोध करूंगा, जहां तक कि सूखे का संबंध है, उन्हें शीघ्र कर्नाटक सरकार के लिए निधियां जारी करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: श्री शिवकुमार उदासी श्री प्रहलाद जोशी के विचारों से स्वयं को संबद्ध कर सकते हैं।

अपराह्न 12.11 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

रूस में भगवद्गीता पर कथित प्रतिबंध और रूस में हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सभा और सरकार का ध्यान रूस फेडरेशन के साइबेरिया राज्य में चल रहे अत्यन्त ही विचित्र मामले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। भगवद् गीता हिन्दुओं के सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ पर विधिक प्रतिबंध लगाया जा रहा है और इसे संपूर्ण रूस में उग्रवादी साहित्य बताया जा रहा है। साइबेरिया के टाम्सक शहर में एक न्यायालय राज्य अभियोजक द्वारा दायर एक मामले में आज निर्णय देने जा रहा है। यद्यपि यह मामला पिछली जून से चल रहा है जिसमें भगवद गीता के रूसी अनुवाद पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। इसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभु पाद, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कांससनेस के संस्थापक द्वारा लिखा गया है। यह रूस में हिन्दू धार्मिक ग्रंथ को भी प्रतिबंधित करना चाहता है और इसे सामाजिक मतभेद बढ़ाने वाला साहित्य घोषित कर दिया है। इस मामले के आलोक में रूस में बसे भारतीयों और इस्कॉन धार्मिक आंदोलन के अनुयायियों ने प्रधानमंत्री सहित भारत सरकार से मुद्दे का समाधान करने का अनुरोध किया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे, अन्यथा वहां रह रहे हिन्दुओं की स्वतंत्रता का हनन होगा। रूस में हिन्दुओं के धार्मिक अधिकार संरक्षित किए जाने चाहिए। विचित्र है कि राज्य अभियोजक ने इस ग्रंथ को टोक्स्क विश्वविद्यालय को विशेषज्ञ जाने हेतु भेजा है। यह विश्वविद्यालय इस काम के योग्य नहीं है क्योंकि इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, संस्कृति, भाषा और साहित्य का अध्ययन करने वाले भारत अध्ययन संबंधी विज्ञानी नहीं है। चूंकि यह मामला धार्मिक पूर्वाग्रह और रूस में बहुसंख्यक धार्मिक समूह की असहिष्णुता से प्रेरित है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने रूसी समकक्ष को सहमत करें कि वहां उन्हें अपने धर्म और आस्था को मानने के अधिकार सुरक्षित रहें। गीता नफरत का पाठ नहीं

पढ़ाती। मास्को में भारतीय दूतावास को तत्काल राजनयिक चैनलों के माध्यम से हस्तक्षेप करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः श्री हरिन पाठक, श्री शिवकुमार उदासी, श्री देवजी एम. पटेल, श्री ए.टी नाना पाटील, श्री प्रहलाद जोशी, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री अनंत कुमार हेगड़े, श्री प्रेमदास राय, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्रीमती दीपादास मुंशी, डॉ. ज्योति मिर्धा, डॉ. क्रुपारानी किल्ली, श्री आनंदराव अडसुल और श्री चंद्रकांत खैरे को इस मुद्दे से सहयोजित होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): यह बहुत गंभीर प्रश्न है। ...*(व्यवधान)* गीता एक सार्वभौम ग्रंथ है जो मानव प्रेम के लिए है। ...*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सरकार को इस पर नोटिस लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)* इस पर सरकार को उत्तर देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः टेबल पर अपना नाम भेज दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप सभी लोग जो इससे अपने आपको संबद्ध कर रहे हैं, अपना नाम भेज दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः श्री वीरेन्द्र कश्यप, बोलिए।

...*(व्यवधान)*

ठीक है, सबने अपनी राय जाहिर कर दी।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. मुरली मनोहर जोशीः माननीय प्रधानमंत्री जी अभी रूस की यात्रा से लौटे हैं। ...*(व्यवधान)* हम उनसे निवेदन करेंगे कि उन्होंने वहां क्या यह प्रश्न उठाया, यह बताएं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः ठीक है।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (सारण): यह गीता और भगवान कृष्ण की मर्यादा को ध्वस्त कर रहा है। ...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशीः प्रधानमंत्री जी को स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

श्री लालू प्रसादः गीता के खिलाफ रुस में जो व्यवहार किया गया है, भारत सरकार की तरफ से गीता को मिटाने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल एक विरोध पत्र जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशीः बिल्कुल इसको विरोध होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः ठीक है, अभी इस पर नोटिस दे दीजिए। इस तरह कैसे चर्चा होगी?

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसादः यह मुद्दा भगवान कृष्ण का है, गीता का है। ...*(व्यवधान)* इस पर हमारा एतराज़ है। ...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशीः बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः ठीक है।

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपनी सीट पर जाइए। आप यहां क्यों आए हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अपनी सीट पर वापस जाइए। आप रास्ते में खड़े होकर यह मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्य, कृपया वापस जाइए। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः वीरेन्द्र कश्यप जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप यहां से क्यों बोल रहें हैं, अपनी सीट पर जाकर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए। आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): अध्यक्ष महोदया, मुझे यहां बोलने की इजाजत दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप तुरंत अपनी सीट पर जाइए, समय नष्ट नहीं करिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप यहां क्यों खड़े हैं? यह जसवंत सिंह जी की सीट है, अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः ये क्या हो रहा है?

श्री वीरेन्द्र कश्यपः अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अभी आप बैठ जाइए। आपको भी बुला लेंगे, अभी वीरेन्द्र कश्यप जी को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र कश्यपः अध्यक्ष महोदया, आपने आज मुझे हिमालय राज्यों से संबंधित कृषकों के ऋणों से संबंधित मामले को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि हमारे यहां जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र कश्यपः हमारे जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो राज्य हैं, वहां पर जो कृषक हैं, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः मैं अभी आपको बुला लेती हूं कश्यप जी की बात पूरी होने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अभी आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः आपकी पार्टी के सदस्य ही बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

वीरेन्द्र कश्यपः अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कृषकों के ऋण के बारे में सरकार से आग्रह करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः अब सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.18 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

अपराह्न 02.00 बजे

लोकसभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष महोदयः अब सदन मद संख्या 18 को उठाएगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 02.01 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयाः कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा, आप लोग बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः आप पहले वहां जाइये, उसके बाद बात करेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयाः जाइए, वहां बैठिए। आप बैठिए तो सही।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 02.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः नियम 377 के तहत मुद्दों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के तहत मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है और जो सदस्य इन मुद्दों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर व्यक्तिगत रूप से पर्ची दें। इस निर्धारित समय में जो पर्चियां प्राप्त होंगी केवल उनके मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा और अन्य को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) लक्षद्वीप में अगत्ती विमानपत्तन पर रनवे के विस्तार हेतु समुद्री भूमि के प्रस्तावित सुधार के कारण पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन में तेजी लाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री हमदुल्लाह सईदः मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि लक्षद्वीप के अगत्ती में मौजूदा विमानपत्तन का निर्माण 20 सीटों वाली डोरनियर एयरक्राफ्ट के परिचालन के लिए किया गया था। वर्तमान में, एटीआर 45 फ्लाइट सीमित भार के साथ परिचालन कर रहा है। मुझे बताया गया है कि एटीआर-72 के लिए न्यूनतम रनवे लगभग 1600 मी. × 180 मी. होना अनिवार्य है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) और लक्षद्वीप प्रशासन ने विद्यमान अवसंरचना को हटाए बिना उत्तर की ओर 200 मी. और दक्षिण की ओर 90 मी. बढ़ाकर रनवे का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अगत्ती में रनवे के विस्तार की योजना को संशोधित किया है। इस योजना की समीक्षा करने के पश्चात यह देखा गया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने समुद्र की भूमि को उपयोग योग्य बनाने का निर्णय लिया है जिसके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) का कार्य एएआई द्वारा किये जाने की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध और आग्रह करता हूं कि वे तत्काल हस्तक्षेप करे और एएआई को निर्देश दे कि वे यथाशीघ्र इस मामले की जांच करें और इआईए का कार्य शीघ्रता से करे।

(दो) उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच): उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विद्युतीकरण के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत है। इसके तहत जनपद बहराइच का प्रथम चरण में विद्युतीकरण कराया गया है। शेष बचे गांवों में विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के फेज-2 के लिए धनराशि आबंटित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस जनपद में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तथा यह भारत नेपाल सीमा का जिला है। इस जनपद का काफी बड़ा क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र है जहां पर बड़ी संख्या में अनेकों बड़े-छोटे जानवर हैं जो कि प्रायः जंगली इलाकों से निकल कर ग्रामीण बस्तियों में जाकर आदमियों, पालतू मवेशियों, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस जनपद के अवशेष गांवों का विद्युतीकरण अत्यंत आवश्यक है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के फेज-2 में अभी तक धनराशी प्रदान न किए जाने से विद्युतीकरण का कार्य रुका हुआ है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध हे कि जनपद बहराइच के विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-2 के लिए धनराशी आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

(तीन) कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित केंगरी-कनकपुरा-चामराजनगर रेल लाइन परियोजना को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि कोलेगल, मलावली और कनकपुरा होकर चामराजनगर से बंगलोर को जोड़ने के लिए एक नई रेल लाइन बिछाने की मांग की जा रही है। इस लाइन से इस क्षेत्र के लोगों को राज्य की राजधानी पहुंचकर अपने कृषि उत्पाद बेचने और बेहतर शैक्षिक और चिकित्सा सुविधा लेने का अवसर प्राप्त होगा। इस संदर्भ में मैं यहां यह याद दिलाना चाहूंगा कि जब माननीय रेल मंत्री जी दिनांक 20.10.2011 को नई घोषित रेल लाइन की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधि जारी करने के लिए बंगलौर आए थे तो मैंने उनसे पुरजोर से अपील की थी कि यदि इस परियोजना का काम शुरू कर दिया जाए तो इससे चामराजनगर के क्षेत्र के जबरदस्त विकास की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे प्रस्तावित केंगरी-कनकपुरा-चामराजनगर रेलवे लाईन की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में एक मुश्त भुगतान के रूप में निधि जारी करे ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को सुविधा हो जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस मार्ग पर रोज यात्रा करेंगे।

(चार) केन्द्र सरकार की सेवाओं में मुसलमानों को नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): अल्पसंख्यक वर्ग में विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति एवं शैक्षणिक रोजगार की स्थिति पर मंडल कमीशन की तथ्यात्मक रिपार्ट आने के बाद यह मांग जोर-शोर से उठाई जा रही है कि मुस्लिम समुदाय में खासतौर से उस वर्ग के लोगों की, जो अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं, उन्हे अलग से आरक्षण दिया जाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में गैर हिन्दू पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या 8.44 प्रतिशत दिखाई गई है, उसी को आधार मानकर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। प्रावधान होने के बावजूद बहुत से राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है। केन्द्रीय न्याय मंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व यह उल्लेख किया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान केन्द्र सरकार की नौकरियों में जल्द ही होने जा रहा है इससे इस समाज के लोगों में उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया हुई है।

मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार के स्तर से केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण का शीघ्र प्रावधान किया जाए और सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दे दिए जाएं कि वे अपने स्तर से भी ऐसी व्यवस्था को लागू करें।

(पांच) देश में किसानों की समस्याओं के निवारण हेतु राष्ट्रीय कृषक अधिकार आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रदीप माझी (नवरंगपुर): खराब फसल, सूखा और भुखमरी के कारण ऋण नहीं चुका पाने के फलस्वरूप हर वर्ष सैकड़ों किसान

आत्म-हत्या करते हैं। प्रशासन कभी भी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसानों की निरन्तर दरिद्रता देश की वित्तीय स्थिति को हिला कर रख देगी।

केन्द्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और देश के प्रत्येक राजस्व जिले में शाखाओं वाले एक राष्ट्रीय किसान अधिकार आयोग का गठन करके उनकी तंगहाली दूर करने हेतु किसानों के हित में तत्काल समुचित कदम उठाने चाहिए।

(छह) राजस्थान के करौली-धौलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल-विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि के इतर प्रयोग हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (करौली धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर (राजस्थान) जो कि डांग क्षेत्र है एवं चम्बल बीहड़ों वाला इलाका है। इस क्षेत्र में गरीबी, भुखमरी, डकैती अत्यधिक है। मेरे क्षेत्र से संबंधित तीन परियोजनाएं पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली में अनुमति के लिए विचाराधीन है। क्षेत्र की मांग को ध्यान में रखते हुए तीनों परियोजनाओं की स्वीकृत अति आवश्यक है। ये परियोजनाएं निम्न हैं:

1. नेशनल चम्बल घड़ियाल चम्बल सेंक्चुअरी, राजस्थान के अंतर्गत 0.3 वन भूमि का धैलपुर लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु डायवर्जन।
2. केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी अंतर्गत 16.09 हेक्टेयर वन भूमि का जल संसाधन विभाग, जिला करौली द्वारा दोहरी माईनर सिंचाई परियोजनाए हेतु डायवर्जन।
3. चम्बल विकास परियोजना के अंतर्गत राहु का गांव, गुज्जुपुरा, जैतपुर और बरसाला में चार जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण।

(सात) मध्य प्रदेश के खरगौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मकनसिंह सोलंकी (खरगौन): केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की पहुंच सुलभ बनाने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मेरे निर्वाचन क्षेत्र (बडवानी तथा खरगौन जिले) जोकि एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है, उक्त जिलों में केन्द्र सरकार द्वारा बडवानी जिले के लिए 36 करोड़ 50 लाख 24 हजार की राशि स्वीकृत की है तथा खरगौन जिले के लिए 92 करोड़ 11 लाख 85 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मंत्रालय द्वारा धनराशि की स्वीकृति एवं आबंटन के बाद भी अभी तक राशि निर्मुक्त नहीं करने से क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य बाधित हो रहा है।

धनराशि के अभाव में मेरे संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में आ रहे गतिरोध को देखते हुए स्वीकृत धनराशि का तत्काल निर्मुक्त किए जाने की आवश्यकता है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त धनराशि निर्मुक्त किए जाने हेतु तुरंत आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से मुझको भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

(आठ) 1947 के विभाजन के पश्चात् भारत में शरण लेने वाले हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर): हमारे देश का द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त के आधार पर बंटवारा हुआ था। मुस्लिम लीग ने बंटवारे की मांग की थी और बंटवारा हो गया। आन्तरिक अशान्ति, लूटपाट, प्रताड़ना और उत्पीड़न के कारण और उनके पैतृक घरों के तोड़े जाने के कारण पाकिस्तान के हिन्दू और अन्य अल्पसंख्यक लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा और बंटवारे के पीड़ित के रूप में असम सहित भारत में शरण ली। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार वे शरणार्थी हैं और औपचारिकताओं का पालन करने के बाद वे पुनर्वास और नागरिकता के पात्र हैं। यह बांग्लादेशी मुसलमानों का मामला नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से और अन्य सीमावर्ती राज्यों में दूसरे कारणों से घुसपैठ की। इसलिए दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाए। केन्द्र सरकार और असम राज्य की सरकार को जरूरतमंद लोगों को सुविधा प्रदान करने के मामले में दोनों के बीच अन्तर करना चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के बंगाली हिन्दू जो बंटवारे के पीड़ित हैं का फर्जी मतदाता के रूप में अधिक उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। उनके मताधिकार के अधिकार को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए और जिनको नजरबन्द करके शिविरों में रखा गया है, उनका समुचित रूप से पुनर्वास किया जाना चाहिए।

मैं मांग करता हूं कि शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार दिया जाना चाहिए जैसे कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए हिन्दुओं

के मामले में उन्हें राजस्थान और गुजरात में बसा कर किया गया था। बंगाली हिन्दुओं के साथ किए जा रहे सभी तरह के उत्पीड़न को बन्द किया जाए।

(नौ) धोखेबाज ट्रेवल एजेंटों के झांसे में आने के बाद विदेशों में बंधुओं मजदूर की तरह कार्य करने के लिए बाध्य निर्दोष श्रमिकों की वापसी सुनिश्चित करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों को बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से पेशेवर दलालों द्वारा कार्य दिलाने के नाम पर एवं बहुत ज्यादा पारिश्रमिक और बहुत सी अन्य सुविधाओं का सब्जबाग दिखाकर एवं गुमराह कर कुछ सही एवं बहुत से फर्जी पासपोर्टों पर उनको विदेशों में ले जाते हैं। वहां पर न तो रहने का ठिकाना होता है और न ही ठीक से कार्य ही मिल पाता है। ऐसी स्थिति में उनको या तो बेसहारा छोड़ दिया जाता है अथवा बहुत ही कम राशि में काम करने को मजबूर किया जाता है। कई बार उनके पासपोर्ट भी छीन कर रख दिए जाते हैं तथा उनको बंधुआ मजदूर बनाकर बहुत ही कम पैसों में मात्र भोजन देकर दिन-रात उनसे कार्य कराया जाता है। बीमार होने पर चिकित्सा की भी सुविधाएं नहीं दिलाई जाती है तथा फर्जी पासपोर्ट होने पर पर जेल में बंद कराने की भी धमकी दी जाती है। हमारे देश के अशिक्षित एवं अकुशल श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में विदेशों विशेषकर अरब राष्ट्रों में कष्टमय नारकीय जीवन जी रहे हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विदेशों में बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य कर रहे श्रमिकों के संबंध में वहां की सरकारों से बात कर उनको वापिस देश में लाए जाने की कार्यवाही करने का सहयोग करें।

(दस) किसानों को उचित स्तर पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने तथा उसकी आपूर्ति और वितरण में विषमता दूर करने की आवश्यकता

श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई): दिनों दिन अलाभकारी होती कृषि से किसान अपनी आजीवीका चलाने में असमर्थ है। देश में कृषकों द्वारा आए दिन आत्महत्याओं की खबरें मिलती हैं।

आज देश में किसानों को विभिन्न खादों पर बिचौलिए अत्यधिक मूल्य वसूल रहे हैं। खादों के दाम 100 से 1500 फीसदी तक बढ़ गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में उर्वरकों की तस्करी आम बात है। 251 रुपये मूल्य के यूरिया के लिए किसानों को 500 रुपये से अधिक मूल्य चुकाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में ज्यादातर राज्यों में वितरण, स्टॉक एवं आपूर्ति में काफी अनियमितताएं हैं। रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया है कि ज्यादातर वितरक किसानों से उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य वसूल रहे हैं।

मेरी मांग है कि किसानों को उचित मूल्य पर वे सभी उर्वरक समय से सरकार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिसकी उन्हें फसलों के लिए आवश्यकता है। खादों की कालाबाजारी हर हाल में रोकी जाए। खादों की तस्करी न हो, निगरानी तंत्र मजबूत की जाए और वह सभी कदम किसानों के हितों में उठाए जाएं जिनसे फसलों की पैदावार बढ़ाने में किसानों को सहूलियतें हों।

(ग्यारह) देश के किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): मैं सरकार का ध्यान रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते दामों की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब एक ही वर्ष में रासायनिक उर्वरकों की कीमत दोगुना बढ़ जाए तो यहां का किसान खेती कैसे कर पाएगा। आज देश में किसान कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर रहें हैं तो फिर रासायनिक उर्वरकों के दामों में दोगुना बढ़ोत्तरी का क्या औचित्य है?

मेरा सरकार से आग्रह है कि रासायनिक उर्वरकों को खासतौर पर डीएपी खाद के दामों में अतिशीघ्र विचार कर उसको कम किया जाए तथा सब्सिडि को बढ़ाया जाए जिससे कि किसानों को कम मूल्य पर रासायनिक उर्वरक उपलब्ध हो सके। अगर किसानों को अतिशीघ्र कम मूल्य पर उर्वरक नहीं उपलब्ध कराया गया तो रबी फसल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उत्पादन घट सकता है और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पढ़ सकता है। खद्यान्नों के दाम आसमान छूने लगेंगे और गरीब तथा आम आदमी के पंहुच से बाहर हो जाएंगे।

(बारह) बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल में प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना के कार्य जो रुके पड़े हैं, को शीघ्र प्रारंभ कराने की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि योजना स्वीकृत होने के बावजूद धन के अभाव में कार्य रुका है तथा पूर्व से हो रहे कार्य

भी आधे-अधूरे होकर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े हैं जिससे पथों का हाल बेहाल है।

अतः माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि शीघ्र धन की व्यवस्था कराते हुए शीघ्र जन उपयोगी योजना का प्रारंभ कराए एवं समस्या का निदान कराएं जिससे की जनता का विश्वास जन-प्रतिनिधियों एवं सरकार पर बना रहे।

(तेरह) उड़ीसा के क्योंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कालीमाटी - कनकाडाहाड मार्ग (बसपाल-बमेबारी-तेलबोई से होकर) को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिणत किए जाने की आवश्यकता

श्री यशवंत लागुरी (क्योंझर): मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर के जोडा ब्लॉक के अंतर्गत कालीमाटी से डेकानाल जिले के अंतर्गत कंकडा हाड तक वाया वासमल तेलबोई होते हुए मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि कोयला, लोहा एवं बॉक्साइड जैसे खनिज सम्पदा से यह इलाका भरपूर है। यहां पर अभी तक कोई रेलवे लाईन भी उपलब्ध नहीं है। इस इलाके में आदिवासी लोगों की संख्या ज्यादा है, जिनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अन्य क्षेत्रों से अपेक्षाकृत बहुत पिछड़ी हुई है। औद्योगिक विकास एवं बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यहां पर माओवादी प्रभाव बढ़ता जा रहा है एवं रोजगार के अभाव में यहां के नवयुवक माओवादी के चंगुल में आ रहे हैं। औद्योगिक विकास एवं कच्चे माल की प्रचुरता के आधार पर उपलब्ध कच्चे माल के आधारित उद्योग लगाने की संभावनाओं के बल देने के लिए उपरोक्त मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग किया जाए।

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर के जोडा ब्लॉक के अंतर्गत कालीमाटी से डेकानाल जिले के कंकडा हाड तक वाया वासपल तेलबोई होते हुए मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित देशहित में शीघ्र किया जाए।

[अनुवाद]

(चौदह) भारत के महान वैज्ञानिक श्री पी.सी.रे. के नाम पर कोलकाता में राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. तरूण मंडल (जयनगर): महान देशभक्त वैज्ञानिक श्री पी. सी.रे. के नाम पर उनके कोलकाता स्थित कर्मस्थली पर एक विज्ञान और अनुसंधान संस्थान की स्थापना से उनकी 150 वीं जन्मशती मनाना उपयुक्त होगा। महान वैज्ञानिकों और विद्वानों यथा श्री जे. सी.बोस, श्री(डा०) मेघनाद साहा और श्री(डा.) सत्येन बोस के नाम पर केन्द्रीय संस्थान हैं, किंतु सर पी.सी. रे के नाम पर अभी तक कोई संस्थान नहीं है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे यथाशीघ्र उनके नाम पर कोलकाता में एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान स्थापित करे।

अपराह्न 02.03 बजे

चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2011

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मद संख्या 19, 20 और 21 को एक साथ लिया जाएगा। माननीय मंत्री तीनों विधेयक एक साथ विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपायक्ष महोदयः केवल मंत्री जी की बात रिकार्ड में जायेगी।

...*(व्यवधान)*

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः पाठक जी, आप बोलना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): मैं बोलूंगा, मगर कैसे? आप हाउस को आर्डर में लाइये। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः बैठ जाइये। अध्यक्ष महोदया ने तभी आप लोगों को इस पर बोलने का मौका दिया था और जिन-जिन को सम्बद्ध करना था, उनको लिख कर देने के लिए कहा गया था और सभी लोगों ने लिख कर दिया। मैं समझता हूं कि उसको जीरों ऑवर जब बाद में होगा, तब लिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः किसी माननीय सदस्य की कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर पारित रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदयः अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

...*(व्यवधान)*

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री एम. वीरप्पा मोइलीः मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 02.06 बजे

लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विधेयक, 2011

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः अब मंत्री महोदय मद संख्या 20 पर सूचीबद्ध विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री एम. वीरप्पा मोइलीः मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधयेक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधयेक पर, राज्यसभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदयः अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेंगे।

...*(व्यवधान)*

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री वीरप्पा मोइली: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 02.09 बजे

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 22 लेंगे, अब मंत्री महोदय यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

...*(व्यवधान)*

जनजातीय कार्यमंत्री तथा पंचायती राजमंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में परिवर्तन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न यह है:

"कि मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में परिवर्तन करने के लिए संशोधन (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री वी. किशोर चन्द्र देव: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 4 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 4 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री सतपाल महाराज** *पीठासीन हुए*]

कंपनी सचिव संशोधन विधेयक, 2011

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 21, कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक लेंगे।

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदयः अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेंगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदयः वह चरण समाप्त हो गया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): महोदय, अध्यक्ष पीठ से यह घोषणा की गई थी कि मद संख्या 19, 20 और 21 में दिए गए तीन विधेयक एक साथ लिए जाएंगे...*(व्यवधान)* मेरा नाम पुकारा गया था और मैं खड़ा हुआ था। चर्चा किए बिना विधेयक कैसे पारित किया जा सकता है?...*(व्यवधान)* मैं विधेयक पर बोलने के लिए तैयार हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मद संख्या 24 कुंवर रेवती रमण सिंह।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, हमारे दल के नेता मुलायम सिंह जी कुछ कहना चाहतें हैं, कृपया पहले उसे सुन ले।

सभापति महोदयः ठीक है, मुलायम सिंह जी आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री लालू प्रसाद (सारण): गीता का अपमान हुआ है ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदयः सिर्फ मुलायम सिंह जी की बात ही रिकार्ड पर जाएगी।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः मुलायम सिंह जी, आप अपनी बात कहें।

अपराह्न 04.04 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

रूस में भगवद्गीता पर कथित प्रतिबंध और रूस में हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के संबंध में

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने गीता पर बोलने का अवसर दिया। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सारे विश्व में स्वीकार्य है ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः केवल मुलायम सिंह जी की ही बात रिकार्ड में जाएगी।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयाः आप सब बैठ जाएं। मुलायम सिंह जी, आप बोलिए।

श्री मुलायम सिंह यादवः मुझे गीता पर कहने दीजिए, फिर मैं आपका साथ दूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः केवल मुलायम सिंह जी की ही बात रिकार्ड में जाएगी। मुलायम सिंह जी आप बोलिए, नही तो मैं आगे की कार्यवाही शुरू कराऊंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः सभापति जी, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सारे विश्व ने स्वीकार किया है और विश्व की तमाम भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। भगवान कृष्ण ने समाज के हर क्षेत्र के बारे में बोला है। मानव-जीवन कैसा हो और समाज के अंदर रहकर किस प्रकार के काम किये जाएं जिससे समाज अच्छा बने। गीता में जीवन में ईमानदारी और पवित्रता के बारे में है, धर्म के बारे में और कर्म के बारे में है। उन्होंने जिस धर्म के बारे में कहा है वह सभी के स्वीकार्य है। इस तरह से कृष्ण भगवान ने जो कुछ कहा है उसी का सार गीता में है। गीता को न केवल सारी दुनिया ने स्वीकार किया है। बल्कि अपनी-अपनी भाषाओं में उसका अनुवाद भी किया है। आपने मुझे इस पर बोलने दिया, इसकी मुझे बहुत खुशी है।

महात्मा गांधी जी ने गीता को अच्छी तरह से पढ़ा था और उसे पूरा पढ़ने के बाद भी रोज दुबारा से पढ़ते रहते थे, चाहे दिन में 10 पेज ही पढ़े या 15 पेज पढ़े। गांधी जी के बहुत सारे भाषण और बयान उसी पर आधारित थे। गीता के महत्व को उन्होने समझा था और उनकी इच्छा रही थी कि गीता के सार के अनुसार हम देश को बनाएं।

सरकार ने गीता एवं इसके महत्व एवं प्रभाव को गंभीरता से नहीं लिया है और इस बात को सभी दल मानेंगे। गीता को देश की जनता की बीच कैसे और प्रभावी रूप से प्रचारित-प्रसारित किया जाए, इस ओर सरकार ने न कोई ध्यान दिया है और न कोई कदम उठाया है। सरकार गीता की उपेक्षा न करे क्योंकि गीता की उपेक्षा हो रही है। इससे समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि गीता के प्रचार-प्रसार के बारे में सरकार कोई ऐसा कदम उठाए, जिससे गीता की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक में मुमकिन हो सके।

साइबेरिया के एक वकील ने जो कुछ वहां कहा है उसकी निंदा पूरे सदन को करनी चाहिए। मेरी अपील है कि पूरा सदन उसकी निंदा करे। उस टिप्पड़ी पर पूरा सदन यहां उसकी निंदा करे।

सभापति जी, आप यहां से ऐसा कुछ निर्देशित करें जिससे गीता के पढ़ने की रूचि प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक के विद्यार्थियों में हो जाए। अगर विद्यार्थियों द्वारा गीता को पढ़ना शुरु हो जाएगा तो महात्मा गांधी जी का सपना पूरा होगा और भगवान कृष्ण के गीता के सार का मर्म भी लोगों को समझ में आयेगा और पूरे समाज में सुधार आयेगा।

सभापति जी, आपने और मैंने साथ-साथ काम भी किया है और जो आप कहते हैं वह करते भी हैं, इसलिए आपकी चेयर की तरफ से भी कोई निर्देश इस संबंध में आना चाहिए। इन्ही शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदय, गीता भगवान कृष्ण से संबंधित है और दुनिया ने स्वीकार किया कि देवताओं के महान देवता भोले बाबा ने कृष्ण जी को ऊंचा स्थान दिया और कृष्ण जी ने भी शंकर बाबा को ऊंचा स्थान दिया। गीता का अपमान करना, कृष्ण का अपमान करना, है। साइबेरीया में जो हुआ है, यह प्रचारित किया जा रहा है कि गीता का उपदेश हैटरेड पैदा कर रहा है और इससे टैररिज्म फैलने की बात कही गई है, यह बहुत बड़ी साजिश भगवान कृष्ण के खिलाफ की जा रही है। 'हे यादव, हे माधव' हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, आप जानते हैं कि कृष्ण के विषय में लिखें गए हैं। दुनिया में खासकर साइबेरिया में अपमानित करने का काम हुआ है, इसे पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में गीता तथा कृष्ण भगवान को जानने वालों की निंदा की है। यह पूरा ग्रंथ उपदेश से भरा है। राजनीति करने वाले लोग गीता को आधार बनाकर राजनीति करते हैं। दुनिया में जहां भी महापुरूष हुए हैं, रूस जहां साम्यवाद हैं, लेनिन जी को हम मानतें है, कालमार्क्स को मानते हैं, अगर इस प्रकार की परम्परा शुरू हुई और इस प्रकार की प्रवृत्ति पनपती है, तो निश्चित रूप से जितने कृष्ण भक्त हैं, उनके मन में गुस्सा और क्रोध होगा। संसद चल रही है और सरकार चुप बैठी है तथा एक शब्द भी सरकार की तरफ से नहीं कहा गया हैं। हम पूरे सदन की तरफ से इसकी निंदा करते हैं, वहीं सरकार से हमारी अपेक्षा है कि वहां जो हुआ है, उसमें हस्तक्षेप करे और साइबेरिया को खबरदार करें। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी है। आप बैठ जाएं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसादः यह बर्दाश्त करने की बात नहीं है। अपमान का बदला हम लेंगे, भगवान अपमान का बदला लेंगे और इन्हें भी सजा देंगे, अगर ये हस्तक्षेप नही करतें हैं। सरकार हस्तक्षेप करे और सदन की तरफ से वहां की सरकार से प्रोटेस्ट प्रकट करे। अपने देश के प्रधानमंत्री वहां गए थे, हाल में मास्को, रूस गए थे, पता नहीं कि उनके पास यह बात पहुंची है। या नहीं पहुंची है। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि भगवान कृष्ण का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकतें हैं और इसलिए हम आग्रह करते हैं कि 'बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।'

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): महोदय, मैं अपने को श्री लालू जी की बात से सम्बद्ध करता हूं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, यह विषय हमारे इतिहास और अतीत के साथ जुड़ा हुआ है। अतीत और इतिहास को हमें समझना चाहिए। मैं केवल दो-चार उदाहरण दे कर अपनी बात समाप्त करूंगा। "जब इतिहास को लिखने में, समझने में कोई गलती हो जाती है, तो उसके कितने भयंकर परिणाम होते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आखिर इतिहास क्या है? यह अतीत का बोध है, जो कुछ पहले हो चुका है, उसे किस ढंग से समझते हैं - अधूरा, पूरा, गलत सही। इतिहास है अतीत का बोध। अतीत का बोध भविष्य और वर्तमान का निर्माता भी हुआ करता है। अगर गलत समझते हैं, तो गलत ढंग से वर्तमान और भविष्य बनता है, खास तौर से मैं एक छोटी-सी मिसाल दे कर बताना चाहता हूं" लोक सभा वादविवाद 26 मार्च, 1966, डॉ. राम मनोहर लोहिया ने संसद में इसी तरह से रखा था क्योंकि यूनेस्को द्वारा दुनिया का इतिहास लिखा गया था। उसमें एक विद्वान ने लिखा था कि कविता का उद्‌गम चीन से हुआ था। उसी पर डॉ. लोहिया ने संसद में बहस छेड़ी थी। सर्वपल्ली डॉ. राधा कृष्णन उस सदस्य थे। मैं फिर कहना चहता हूं कि इतिहास की गलती को हम सदन में फिर से न दोहराए। गीता किसी धर्म का नहीं है। जब हम बैठते हैं और ज्ञान के बारे में कहते हैं तो एक ही श्लोक से सम्पूर्ण विषय प्रकट हो जाता है

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते।
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञनगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्।

जो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गमयम है, न वह किसी धर्म का है, किसी एक संस्कृति का है, न किसी एक जात का है, न किसी समाज का है जो समग्र रूप से व्यक्तिधर्म, मानवधर्म, समाजधर्म, राष्ट्रधर्म, सम्पूर्ण धर्म की व्याख्या युद्धभूमि में हुई थी। ये भारत की ही परंपरा है कि युद्धभूमि में भी धर्म का काव्य में गाया गया है, दर्शन को गीत में गाया गया है। अगर उस गीता को कोई कह दे कि वह सांप्रदायिक है, कट्टरपंथी है, किसी धर्म विशेष का है तो वह गीता का ही अपमान नहीं है। बल्कि मानवता का अपमान है, सम्पूर्ण सृष्टि का अपमान है, सम्पूर्ण जाति का अपमान है, यह कृष्ण का अपमान है, जिन्हें हम 16 कला पूर्ण, परब्रहम परमेश्वर के रूप में मानते हैं। मैं अंतिम प्रार्थना करूंगा कि पश्चिम द्वारिका है और पूर्व कामरूप है। कृष्ण की यात्रा द्वारिका से कामरूप तक जाती है अर्थात कृष्ण ने भारत की पश्चिमी सीमा का निर्धारण द्वारिका में किया था और पूर्वी सीमा का निर्धारण कामरूप में किया था। जिसने पूर्व और पश्चिम के भारत के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, लोकमान्यता, लोकभाषा, लोकभूषा, लोकभोजन, लोकभवन, लोकसंस्कृति और लोककला की आधारशिला रखी थी, उसकी गीता को अगर कोई कह दे कि यह सांप्रदायिक है तो हम कभी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। यह सम्पूर्ण भारत का नहीं, मानवता का अपमान है। इसलिए हम सदन से केवल एक लाइन में यह प्रस्ताव पास करें कि गीता के संबंध में रूस में जो हुआ है। हम उसकी निंदा करते हैं और हम गीता का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। इस पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): माननीय सभापति जी, यहां सभी साथियों ने जो कुछ कहा है, मैं उससे अपने आपको संबद्ध करता हूं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह सवाल करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मैं उसे दोहराने की जरूरत नहीं महसूस करता हूं कि जो सब साथियों ने कहा है। मैं इतना मानता हूं कि सरकार को इस पर कारगर पहल करके इस सवाल को हल करना चाहिए।

इसी निवेदन के साथ मेरी आपके माध्यम से सरकार से आपसे विनती है कि सरकार इस पर जरूर पहल करेगी। यह देश भर के लोगों की इच्छा है। इसे सरकार समझेगी और इस पर पहल करके बेतुके फैसले का बदलवाने का काम करेगी।

श्री अरूण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी):

यद्रुच्छा लाभ संतुष्टो द्वंतुष्तीतो विमतृसरः
समस्सिद्धा वसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते।

माननीय सभापति महोदय, रोज टीवी पर यही बोलते हैं। मैं समझता हूं कि भगवत गीता को समझना आसान नहीं है, मुश्किल

है। मेरे ख्याल से रूस वाले समझे नहीं होंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था- मैं रोज गीता पढ़ता हूं और मुझे नई बात मिलती है। मैंने भी थोड़ी बहुत गीता पढ़ी है, मुझे सबसे अच्छा श्लोक यही लगा जो मैने अभी बोला है-

यद्रुच्छ लाभ संतुष्टो द्वदातीतो विमत्सरः
समस्सिदो वसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते।

इसका अर्थ है कि अगर काम करने में कुछ फयदा मिले तो एक्सीडेंटल समझो, यद्रुच्या। लेकिन फायदे के लिए कोई काम मत करो। काम करना ही तुम्हारा कर्म है इसलिए तो जी रहो, तुम तुम्हारा काम करते जाओ। यह समझना आसान नहीं है क्योंकि फायदा नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। इसे समझने में शंकाराचार्य जी से लेकर राधकृष्णन जी ने व्याख्या लिखी है, किताब लिखी है। अगर एक किताब पढ़ो तो एक सार समझ में आता है और दूसरी पढ़े तो दूसरा सार समझ में आता है। भगवद गीता का सार भारतीय ही समझ सकते हैं, बाहर वाले नहीं समझ सकते हैं। इसका सार हम में छुपा हुआ है। भले ही इस देश में इतनी पावर्टी हो, इतनी डिफिकल्टीज हों, आपस में लड़ाई-झगड़े हों, परंतु फिर भी जब मांग होती है तो सारा देश एक खड़ा हो जाता है।

सभापति महोदयः इसीलिए कहा गया है- गीता, सुगीता, कर्तव्या किमये शास्त्र विस्तरे।

श्री अरूण कुमार वुंडावल्लीः मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि मैं छोटा हूं, सब मेरे से बहुत सीनियर और बुजुर्ग लोग हैं। गीता में एक श्लोक इस प्रकार है यदय आचरित श्रेष्ठ तद्र देवेतरो जनाः स यत प्रमां कुरते लोकस्तदनुवर्तते। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं- तुम मानो, या न मानो इसे छोड़ दो, मगर जो श्रेष्ठ होता है, शीर्षस्थ व्यक्ति जो भी करता है उसका अनुकरण एवं नकल आम लोग करते हैं।

[हिन्दी]

जो उच्च स्थान में रहते हैं वे न चाहते हुए भी कुछ ऐसा काम करते हैं, क्योकि वे मॉडल हैं, लोग उन्हें देखते रहेंगे। इसलिए मैं इस संसद से प्रार्थना करता हूं कि रोज हम जो करते हैं, उसे छोड़ दे, क्योंकि हमको इमिटेट करने वाली सारी दुनिया, पूरा भारत देखता रहता है कि हमारी 125 करोड़ की आबादी द्वारा चुने हुए 550 लोग यहां लोक सभा में क्या कर रहे हैं। मैं सबसे विनती करूंगा कि रूल बुक में प्रोटैस्ट दिखाने कि जो रीति है, आप उस रीति में जाए। ...*(व्यवधान)* यह भी गीता में हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरे से पहले जो वरिष्ठ माननीय सदस्य बोले हैं, मै उनसे सहमत हूं। यह भारत की संसद से नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की ओर से जाना है, रूस में जो गीता के खिलाफ बोले हैं उन्हें यह आवाज पहुंचानी है कि पहले गीता पढ़ो, गीता में क्या है, उसे सीखने की कोशिश करो।

सभापति महोदयः उसे समझो।

श्री अरूण कुमार वुंडावल्लीः फिर उस पर कमैन्ट करने के लायक बनो। आप कमैन्ट तो कर सकते हो, मगर समझे बिना मत करो। यह आवाज यहां से जानी चाहिए।

[अनुवाद]

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): महोदय आप तो संत है, आप भी ज्ञानवान संत हैं।

[अनुवाद]

मेरी आपसे विनती है, यह गीता में है- "निर्माण मोहा जितसंग दोषा, आद्यवांतो नित्या विनिवृत कामाः, द्वंदियर विमुक्ता सुखं दुखं संगेयर, गछंति मूढ़ा तत्व पदम वैयं।" क्या हम सब मूढ़ हैं? रूस में जो हुआ, वह क्यों हुआ, क्या वह प्रधान मंत्री जी के जाने के पहले हुआ? वहां एक इस्कान का मंदिर भी तोड़ दिया गया है। गांव-गांव में गीता पर बहस करने के कारण लोगों को बहुत पनिशमैन्ट दिया गया है। मैं समझता हूं कि उन्हें रिप्लाई मिलना चाहिए।

"संसंखा चक्रश्या किरीट कुंडलम, सपितवस्त्रं सरसिर रूहेक्षणं सहारवक्ष्स्थल कौस्तुभात्यं, नमामि विष्णु सिरसा चतुर्भुजं। जो त्रेता युग में राम हैं, वह द्वापर में कृष्ण हैं, वह कलियुग में जगन्नाथ हैं। इस बारे में आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा और उन्हे उस पर करना पड़ेगा। मंत्री जी का उत्तर सुनकर हम बैठ जायेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, हमारे जीवन में भागवत गीता की अहमियत के प्रति माननीय सदस्यों ने यहां जो विचार प्रकट किये हैं, उनकी हम कद्र करते हैं। जो साइबेरिया, रशिया में भागवत गीता के खिलाफ जानकारी में आया है कि कोई कानूनन कार्रवाई हुई है। उसकी जानकारी हाउस को विस्तारपूर्वक देने के लिए मानीय श्री एस.एम. कृष्णजी कल एक व्यक्तव्य दे देंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपने जिस गंभीरता का जिक्र किया है, उसमें किसी के मन में कोई मतभेद नहीं है, सभी के विचार एक ही हैं। ऐसा एक विषय एक और देश के प्रति पहले भी उठा था। आप में से बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है। उस वक्त मैंने ही श्री एस. एम. कृष्णा जी को पत्र लिखा था। वह भी एक ऐसी बात थी और उस पर उन्होंने कार्रवाई की थी और उस देश ने उस वक्त उस पर एकदम ठीक कदम उठा लिए थे।

हमें विश्वास है कि सारी बात की तफ्तीश करके और उसकी पूरी जानकारी लेकर वह कल यहां अपना वक्तव्य दे देंगे।

अपराह्न 04.25 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

गंगा नदी तथा हिमालय के निर्मम दोहन के कारण उनके अस्तित्व को खतरा

[हिन्दी]

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि संयोग से आप आसन पर बैठे हैं और उत्तराखंड के गंगोत्री से ही आते हैं। जहां से गंगा का उद्गम होता है, आप उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं।

सभापति महोदयः हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।

श्री रेवती रमण सिंहः आप पूरे देश में घूम-घूम कर यह प्रवचन करते हैं। जहां-जहां आप जाते हैं वहां गंगा के महातम्य के बारे में वर्णन भी करते हैं। लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गंगा, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है, उस प्रतीक को विनष्ट करने का काम, उस प्रतीक को समाप्त करने का काम उत्तराखंड की सरकार कर रही है। मान्यवर, भागीरथी ने सदियों तक तपस्या कर के गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने का काम किया। यह हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है। यह कहा गया है कि गंगा पवित्र है, उसका जल अमृत है। अगर गंगा के जल को बोतल में रख दें तो उसमें कभी-भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। वह एकदम साफ रहता है। दो महाकुंभ गंगा किनारे लगते हैं। एक हरिद्वार का महाकुंभ लगता है, जहां के आप निवासी हैं और एक महाकुंभ प्रयाग में लगता है जहां गंगा बहती है। इन दोनों महाकुंभों में करोड़ों की संख्या में देश-विदेश के पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तरह-तरह के साधु-महात्मा आते हैं। हमें लगता है कि आप भी वहां जाते होंगे। लेकिन आज गंगा को पूरी तरह से विनष्ट करने का षडयंत्र चल रहा है। इस षडयंत्र का नतीजा यह होगा कि 50 करोड़ की आबादी जो गंगा पर गुजर-बसर करती है, गंगा के किनारे जो लोग चार प्रदेशों में निवास करते हैं, उनका जीवन-यापन खत्म हो जाएगा।

अपराह्न 04.28 बजे

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

मान्यवर, मैं आपको बधाई देता हूं कि संयोग आप आ गए हैं। आप भी इससे प्रभावित हैं और इसके ज्ञाता भी हैं। मान्यवर, गंगा के महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने सन् 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषीत किया था। आज सन् 2011 खत्म होने वाला है लेकिन संभवतः एक बैठक भी नहीं हुई है। गंगा के संरक्षण के लिए कोई कानून भी नहीं बनाया गया है। मुझे अफ़सोस है कि प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको समय नहीं मिल रहा है एक बैठक रखें और यह देखें कि गंगा की क्या दुदर्शा हो रही है। सवाल यह है कि गंगा बचेगी कि नहीं, अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा? केवल गंगा ही नहीं हमारी जितनी भी नदियां हैं चाहे यमुना हो या अन्य सहायक नदियां जो वहां से निकलती हैं, सब का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। उनका अस्तित्व दो तरह से खतरे में पड़ गया है। एक तो कार्बनडाई अक्साईड की वजह से ग्लेशियर हर साल 20 मीटर खिसक रहे हैं। दूसरा हमने बाधों की श्रंखला बनाई है, पहले वहां पर तीन बांध बनाए गए थे। जब टिहरी बांध बनाया गया तो यह कहा गया कि इससे 2400 मेगावाट बिजली मिलेगी और डेड़ लाख हैक्टेअर भूमि की सिंचाई होगी। आज वास्तविकता यह है कि टिहरी से मात्र 400 मेगावाट बिजली मिल रही है और सिंचाई केवल कागजों में नाममात्र की हो रही है। इससे बिहार तक सिंचाई होनी थी, महोदय, आप बिहार से आते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि कहीं बिहार में गंगा का पानी सिंचाई के लिए जाता है? पटना गंगा का बहुत बड़ा पाट था, बनारस में बहुत बड़ा पाट था, इलाहाबाद में गंगा अविरल तरीके से बहती थी, लेकिन आज वह नाले के रूप में बह रही है। कानपुर आदि जितने भी शहर हैं, पटना बता दिया, गंगासागर तक जाते-जाते गंगा की स्थिति यह हो जाती है कि मल-मूत्र से गंदा पानी ही गंगासागर में जाता है। गंगा का शुद्ध जल वहां जाता ही नहीं है।

मान्यवर, इतना ही नहीं, दो बांध और बनाये गये, एक बांध हरिद्वार में बनाया गया और एक नरौरा में बनाया गया। उसके बाद एक बांध मनेरी भाली में और बना दिया गया। इतने पर ही उत्तराखंड की सरकार को संतोष नहीं हुआ । जो गंगा की प्रमुख सहयोगी नदियां हैं केदारनाथ धाम से निकलने वाली नदियां हैं, मंदाकिनी के ऊपर उत्तराखंड की सरकार के द्वारा इतने बांध बनाये जा रहे हैं कि 115 किलोमीटर तक, जहां से मंदाकिनी बहती है, वह पूरा का पूरा क्षेत्र समाप्त हो गया है। जो गंगा अविरल धारा से बहती थी, उसमें तमाम औषधि गुण, तमाम उसमें इस प्रकार के पदार्थ आते थे, जीव-जन्तु उसमें पलते थे, उन सबको समाप्त करने का काम कर दिया है। ऐसा लगता है कि गंगा कहीं दिखाई ही नहीं पड़ेगी। जयराम रमेश जी पहले पर्यावरण और वन मंत्री थे, आज मंत्री जी जयंती नटराजन जी बैठी हुई हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जरा आप यह देखिये कि केदारनाथ धाम से मंदाकिनी नदी पर पूरी की पूरी बांध की श्रृंखला बनायी गयी। वहां के लोगों के विरोध करने के बावजूद भी वह बनता ही जा रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह नक्शा और सीडी भिजवाना चाहूंगा। अगर आप इसे देखेंगे, मैं चाहूंगा कि एक दिन लोक सभा के जितने भी सदस्य हैं, इन्हे बुलाकर आप स्वयं यह निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि आप चेयर पर बैठे हुए हैं, अगर इसे आप दिखा दें और यह सिडी भी मैं आपको भेज रहा हूं। इसमें एनडीटीवी ने बड़े स्पष्ट रूप से यह दिखाया है कि गंगा कि समाप्त होने वाली है, अगर इस पर तत्काल सरकार ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की।

मान्यवर, वहां के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी वहां काम निरन्तर चल रहा है। राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण तो गठित किया गया, लेकिन इसे कानूनी दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। विकास के नाम पर बिजली बनाने के लिए, मान्यवर, गंगा के साथ-साथ हिमालय का भी अस्तित्व समाप्त होने वाला है। हिमालय चार-पांच सिस्मिक जोन पर बसा हुआ है, कच्चा पहाड़ है और कभी भी वह टूट जाये। एक बार मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, जब अंग्रेज बांध बनाने लगे तो मदन मोहन मालवीय जी इलाहाबाद से आये और उन्होंने कहा कि हम आमरण अनशन करेंगे, अंग्रेजों ने बंद कर दिया। आज हमारी सरकार जो अपने आपको धर्म की रक्षक कहती है, हुक्मदेव नारायण यादव जी जिससे बड़े भारी पोषक है, आज उसी पार्टी की सरकार गंगा को विनष्ट रही है, हिमालय को विनष्ट कर रही है।

मान्यवर इतना उसे विनष्ट करने की तैयारी हो रही है, कि एक दिन ऐसा आयेगा कि अगर टिहरी का बांध टूटा तो वहां से लेकर पूरे इलाहाबाद तक जलमग्न हो जाएगा। एक भी आदमी नहीं बचेगा। क्या कभी सरकार ने इस संबंध में सोचा है? कभी भारत सरकार ने इस पर विचार किया है? खाली आपने मजाक बना दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी)ः आज भी कोई नहीं बैठा है। ...*(व्यवधान)*

श्री रेवती रमण सिंहः यहां पर्यावरण मंत्री बैठी हैं।

श्री मुलायम सिंह यादवः एक मंत्री नहीं, और मंत्रीयों को भी होना चाहिए था।

श्री रेवती रमण सिंहः कायदे से तो प्रधान मंत्री को भी होना चाहिए था क्योंकि गंगा बेसिन प्राधिकरण के वे अध्यक्ष हैं। लेकिन वे यहां नही हैं। वे लोकपाल बनाने में व्यस्त हैं* ...*(व्यवधान)* मान्यवर हम पहले बता चुके हैं लेकिन एक बार जब इसका विरोध हुआ और प्रो. अग्रवाल जो कि पर्यावरणविद् हैं, वे जो आमरण अनशन पर बैठे, तब प्रधान मंत्री ने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के बाद वहां चार योजनाओं को उन्होंने स्थगित करने का काम किया। लोहारी, नाग, पाला मनेरी और भैरव घाटी के बांधों को उन्होंने निरस्त किया। चार बांध निरस्त किये लेकिन अभी 150 बांधों का काम चल रहा है। अभी 550 बांधों को चिह्नित किया गया है कि इन पर और काम चलेगा। बिजली कितनी मिल रही है? यदि ये सब परियोजनाएं तैयार हो जाएं तो पूरे देश को जो बिजली मिलती है, उसका एक प्रतिशत बिजली ही मिलेगी। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि तत्काल इसका काम रूकवा दीजिए। अगर आपको गंगा को बचाना है, आपको अलकनंदा को बचाना है, आपको मंदाकिनी को बचाना है तो मेरा आपसे आग्रह है कि तत्काल इस काम को रूकवा दीजिए और गंगा की अविरल धारा को बहने दीजिए, गंगा में जल प्रवाह होने दीजिए और चारों तरफ से जो गंदगी और मल-मूत्र गंगा में जा रहा है, इसको रोकने का काम करने का भी यहां से प्रयास होना चाहिए। पहले राजीव गांधी के समय में विश्व बैंक ने 600 करोड़ रुपये दिये थे गंगा की सफाई के लिए। वे पैसे कहां गए, पता नहीं। अभी 6000 करोड़ रुपये विश्व बैंक ने फिर दिये हैं गंगा की सफाई के लिए। यमुना की सफाई के लिए अलग से दिया है, लेकिन जब गंगा जमुना नदियां बचेंगी, तब तो उनकी सफाई होगी। जब इन नदियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो सफाई किसकी होगी? मान्यवर, गंगा हमारी मां की तरह है हमारी धरोहर है। हम अगर इस धरोहर को, गंगा हिमालय को समाप्त कर देंगे तो देश की पहचान मिट जाएगी। भारत देश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आज तीन नदियों का संगम इलाहाबाद में कहा जाता है। हमारी नदियां खत्म हो जाएंगी। गंगा नदी नहीं हैं। हम गंगा को एक नदी के रूप में ही नहीं जानते हैं, बल्कि गंगा और जमुना को हम मां के रूप में स्वीकार करते हैं इसलिए करते हैं कि 50 करोड़ लोगों की आजिविका गंगा और जमुना से चलती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और जयराम रमेश जी की बात क्वोट करना चाहता हूं जो आपके पहले पर्यावरण मंत्री थे। उनकी बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि मै चाहूंगा कि मै जयराम रमेश ने चंडीप्रसाद भट्ट इतिहासकार रामचंद्र गुहा, शेखर पाठक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. पुष्पेश पंत की मौजूदगी में श्रोताओं से भरे हॉल में कहा-"उत्तराखंड में ऐसी कई जल परियोजनाएं शुरू की गई हैं। जिन्हे पर्यावरण के लिहाज से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।" तब भी ये परियोजनाएं चल रही हैं। कौन देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं है। मैं उनका दूसरा उद्धरण देना चाहता हूं। श्री जयराम रमेश ने कहा कि किसी भी परियोजना में कभी किसी नदी के अविरल धारा को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा सिर्फ उत्तराखंड में 70 जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनके बारे में हमें यह नहीं मालूम है कि इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान्यवर आपके पूर्व मंत्री 70 परियोजनाओं की बात कह रहे है मैं बता रहा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हूं कि उन्होंने 150 परियोजनाओं में काम को चिन्हित कर लिया है और 550 परियोजनाओं में और काम करने जा रहे हैं मान्यवर, इसी के साथ मैं श्री जयराम रमेश की एक और बात आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि हम नदियों में पानी देखना चाहते हैं, सुरंगे नही। एक समय आएगा जब उत्तराखंड में नदियां नहीं, टनेल ही टनेल दिखाई पड़ेंगे। हमारा पूरा हिमालय इसीलिए प्रसिद्ध है कि वहां पर नदियों की अविरल धारा निकलती है, लेकिन अब टनेल बना रहे हैं। मंदाकिनी में 115 किलोमीटर तक इन्होंने टनेल बना दिया। वहां पर केदारनाथ की घाटी समाप्त हो गई। टनेल में क्या होता है? हिमालय में विस्फोट किया जाता है, झील बनाई जाती है और उसका कचरा उसी में पड़ा रहता है। झील में मच्छर और तमाम तरह के जीव-जन्तु पाए जाते हैं। उसमें मच्छर पलतें हैं जिससे वहां से जो पानी छोड़ा जाता है उससे बीमारियां होती हैं।

मान्यवर, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी, आप इस पर तत्काल कार्रवाई करे और एक आयोग बनाएं जिसमें पर्यावरणविद भी हों जिसमें इतिहासकार भी हों। सभी लोगों का एक आयोग बनाएं और तत्काल उत्तराखंड सरकार को यह आदेश दीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे माननीय सदस्य जो अभी आपके आसन पर विराजमान थे, वे इस बात का भी समर्थन करेंगे। मैं एक बात कहूंगा श्री सतपाल महाराज से, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा, पहले उत्तर प्रदेश से जो प्रस्ताव आया था, उसमें हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल नहीं किया गया था, हरिद्वार पहले उत्तर प्रदेश में था। लेकिन माननीय जोशी जी, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने हरिद्वार को उत्तरखंड में करवा दिया। माननीय जोशी जी, माननीय सतपाल महाराज जी, आप लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आप लोग इस बात पर हमारा समर्थन किजिए कि आगे से वहां कोई बांध नहीं बनाया जाएगा और वहां पर गंगा, यमुना, आदि सभी नदियों को विनष्ट नहीं किया जाएगा, आप यह घोषणा कीजिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि एक बार आप वहां का दौरा कीजिए। आप वहां का काम रूकवा दीजिए और वहां पर किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति न दीजिए। गंगा नदी जहां-जहां से बहती है, आप वहां जाने का कष्ट करिए। आज बलिया से लेकर बनारस तक गंगा के पानी में आर्सेनिक पाया जाता है जो कि मानव जाति के पीने के लिए ही नहीं, बल्कि नहाने के लिए भी वर्ज़ित है यहां क्यों वर्जित है क्योंकि सारी गंदगी उसमें जा रही है। सब मल-मूत्र और जितना भी कचरा है, वह गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है।

मान्यवर, मै आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आज इस पर तत्काल प्रभावी कर्रवाई की घोषणा करें। मेरा इनसे आग्रह है कि आप एक दिन पूरी गंगा के किनारे का दौरा कर लीजिए और वहां की दुर्दशा देखने का काम करें।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल)ः धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय - गंगा नदी और हिमालय के निर्मम दोहन के कारण उनके आस्तित्व को हो रहे खतरे-पर बोलने का अवसर दिया।

श्रीमन, यह कहा जाता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। प्रत्येक भारतवासी का वक्षस्थल, उसका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है जब वह कहता है कि मैं उस देश से आता हूं जिस देश में पतित पावनी गंगा बहती है। तुलसी दास जी से एक संत ने पूछा कि महाराज, सबसे पवित्र जल की नदी कौन सी है तो संत शिरोमणि तुलसी दास जी ने कहा कि जो यमुना नदी है, वह पवित्र जल की नदी है। उस संत ने कहा कि महाराज, आपने गंगा का उच्चारण नहीं किया तो तुलसी दास जी ने कहा कि गंगा जल नहीं, गंगा अमृत है। जब गंगा को हम माता कहते हैं तो उस मां शब्द के अंदर पूरे पोषण करने की क्षमता है। हमारे जो ऋषियों ने कहा कि गंगा हमारी माता है। उनकी यही आशा थी कि भविष्य में गंगा से लोग ऊर्जा उत्पादन करेंगे। यह गंगा पूरी धरती को, जो मरुस्थल है, उसे शस्य-श्यामला बनाएगी और लोगों को आज़िविका देगी।

सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि आज लालच ने मनुष्य का घेरा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति हर किसी की जरूरत को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन आदमी के लालच को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, आज हम में इतना लालच पैदा हो गया है कि हम गंगा और हिमालय का निर्मम दोहन कर रहे हैं। वैसे गंगा इस धरती की धारा नहीं थी, इसे वेतरणी कहा जाता था। ये स्वर्ग में बहती थी, परन्तु जब भागीरथ ने तपस्या, योग एवं कर्म किया तो वह स्वर्ग को धरती पर ले आए। यही गंगा की शिक्षा एवं गंगा का संदेश है। गंगा के अंदर यह भावना छिपी है कि प्यासा उसके पास आता है, गंगा उसकी प्यास को बुझाती है। उससे यह नहीं पूछती कि तुम्हारा धर्म एवं जाति क्या है। तुम्हारे पास पैसा है या तुम निर्धन हो। यह कुछ नहीं पूछती, केवल प्यासे की प्यास को बुझाती है। आज गंगा की यह भावना, जो पूरे देश को एकता में जोड़ने की क्षमता रखती है, आज उस धारा का दोहन हो रहा है। गंगा को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए 24 सितम्बर, 83 से अक्तूबर, 1993 तक मुझे भारत जागो पद यात्रा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हमने भगवान बद्रि विशाल के चरणों से चल करके गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिए एक पैदल यात्रा की, जिसमें एक महीना चार दिन का समय लगा। उस यात्रा के दौरान मैंने बड़े करीब से देखा कि किस प्रकार से गंगा की धारा को हमने गटर की नाली बना दिया है। आज पूरे शहर और कस्बे का जो सीवेज है, वह गंगा के अंदर

जा रहा है। गंगा के किनारे पर जो शमशान घाट है, वहां किस प्रकार से अधजली लाशों को गंगा के अंदर डाल रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। गंगा की जो निर्मल धारा होती थी, गंगा के अंदर जो भावना होती थी कि हम इसके पानी को किसी बोतल के अंदर ले जाकर अपने घर में रखेंगे। हम जब कभी शुद्ध होना चाहेंगे तो उस गंगा के जल को छिड़क कर शुद्ध हो जाएंगे। ये गंगा जल की बोतल मैंने भारत की सीमाओं में ही नहीं बल्कि विदेशों में जो लोग रहते हैं, उनके घरों में भी देखी है। यह गंगा व्यापक है, गंगा की भावना व्यापक है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले ऐसी योजना बनानी होगी, बद्रीनाथ धाम के अंदर भी जो गटर की नलियां है, वे गंगाजी में पड़ रही हैं, उन्हें रोकना होगा। उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा। आज हमारे पास जो टैक्नोलॉजी है, जैसे नेनौ टैक्नोलॉजी है, जिसके जरिए हम सीवेज वाटर को इलैक्ट्रीसिटी में कंवर्ट कर सकते हैं। हम सीवेज वाटर को लेकर उसका सिन्थिसाइज़ करें, उसके अंदर से हाईड्रोजन को निकालें और एच 2ओ को अलग करें तो उससे यह होगा कि हाईड्रोजन से टर्बाइन चलेंगे और उसी सीवेज के पानी से हम बिजली पैदा करने में सक्षम हो जाएंगे। आप आज 40 मीटर बॉय 60 मीटर के स्थान पर दो सौ मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार की जो नेनो टैक्नोलाजी आज दुनिया के अंदर आई है, इसके जरिए हम सीवेज वाटर, जो गंदा पानी है, उस गंदे पानी को ले करके, उसमें से हाईड्रोजन को अलग करके और एच 2ओ को अलग करके, जो चिकित्सीय गुणवत्तायुक्त जल होगा, उसे अलग करके हम स्वच्छ पानी को जनता को दे सकते हैं और हाईड्रोजन से टर्बाइन चला कर बिजली भी पैदा कर सकते हैं। यह जो गंगा की धारा है, यह मां शब्द के अंदर पूरे भारतवर्ष का पालन-पोषण करने की क्षमता रखती है। माता जैसे अपने बच्चे का पोषण करती है, उसी प्रकार से गंगा करती है। आज उसके अंदर आधुनिक टैक्नोलॉजी के जरिए, जो हमारी अलांग द रीवर, जिसे रन ऑफ द रीवर कहते हैं। उसके जरिये आज बिजली बन रही है। टिहरी डैम बना, वह बड़ी पुरानी टैक्नोलोजी थी और हमारा रशियन कोलेबोरेशन के साथ डैम बना, वह हमारा पहला प्रयोग था और उसके बाद एक नई टैक्नोलोजी आई, जिसे हम रन ऑफ दि रिवर कहते हैं। आज उसके जरिये कोई डैम नहीं बनेगा, जो हमारे माननीय सदस्य रेवती रमण सिंह जी ने आशंका जाहिर की, अब वह आशंका निर्मूल हो गई है, क्योंकि रन ऑफ दि रिवर के जरिए सुरंग बनाकर पूरी नदी के पानी को उसमें प्रवाहित करके उसमें टरबाइन लगा करके और धरती के ग्रेडिएंट का लाभ उठाकर आप उससे बिजली पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के रन आफ दि रिवर जो प्रोजेक्ट्स हैं, उससे न तो डैम बनेगा, न पानी इकठ्ठा होगा और न हमारा उत्तराखंड, जो सैसमिक जोन में है, उसमें भी जो भूकम्पीय क्षेत्र होने के नाते जो सम्भावना है कि डैम टिक नहीं पाएंगे, उससे भी निजात मिल जायेगी तो हम रन ऑफ दि रिवर के जरिये बिजली का उत्पादन करेंगे और हमारी उत्तराखंड जो हमारे भारत का मस्तक है, वह एक ऊर्जा प्रदेश के रूप में परिवर्तित हो जायेगा, ताकि हमारे देश को ऊर्जा प्रदान कर सके, शक्ति प्रदान कर सके और भारत निर्माण में उत्तराखंड अपना योगदान दे सके।

इसके साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस पर हमें आधुनिक टैक्नोलोजी को अपनाना होगा। आज पहाड़ो से रेता नीचे आता है, जगह-जगह अवैध खनन होता है, इल्लीगल माइनिंग होती है, जिसके लिए निगमानंद जो थे, अनशन कर रहे थे और उनके प्राणों का अन्त हो गया। मैं समझता हूं कि भाजपा के राज में उत्तराखंड के अंदर एक सन्त का प्राणान्त हो गया, यह एक बड़ा विचारणीय विषय है और निगमानन्द जी का एक बड़ा खेद का विषय है। इसमें मैं आपके सामने तहलका मैगजीन दिनांक दो जुलाई के बारे में कहना चाहूंगा, जिसमें कि आशीष खेतान और मनोज रावत ने बहुत सुन्दर लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है किः

[अनुवाद]

> "अंततः निगमानन्द महज 7 दिन के उपवास के बाद उसी अस्पताल में 13 जून को उसी वार्ड में मृत्यु को प्राप्त हुए जहां रामदेव का आई सी यू में इलाज चल रहा था। थोड़े समय के लिए तो दोनों लोगों की कहानी से जुड़े दुर्भाग्य ने हंगामा मचाया पर मृत्यु होते ही शीघ्र उन वास्तविक एवं तात्कालिक कारणों को भुला दिया गया जिसके लिए निगमानन्द संघर्ष कर रहे थे।"

[हिन्दी]

आज निगमानन्द जी, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उस पर विचार करना होगा कि आखिर जो अवैध खनन हो रहा है, इल्लीगल माइनिंग हो रही है, बेतहासा हम रिवर बैड को खोदे जा रहे हैं, यह रोकना होगा, इल्लीगल माइनिंग से एक तो कालाधन पैदा होता है, देश के निर्माण में वह पैसा नहीं लगता, राज्य सरकार टैक्स को प्राप्त नहीं करती है और दूसरे माफिया इसके अन्दर छा जाता है। इस प्रकार के दोहन से, इस प्रकार की इल्लीगल माइनिंग से पूरे राज्य का, पूरे देश का नुकसान होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिए एक प्रोपर आधुनिक टैक्नोलोजी से, साइंटिफिक टेक्नोलाजी से हम माइनिंग करें, जिससे कि रिवर बैड धीरे-धीरे कम हो और रिवर को हम संतुलित ढंग से चलने दें और यह बहुत आवश्यक है कि साइंटिफिक सोच को हम लेकर के चलें।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1979 में केन्द्रीय बोर्ड को निर्देश दिया था कि वह जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए और नियंत्रण के लिए एक व्यापक सर्वे करे, जिसके आधार पर 1984 में गंगा एक्शन प्लान का गठन किया गया। आज गंगा एक्शन प्लान के गठन के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी द्वारा फरवरी, 1985 में केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया और 350 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक बजट इसके लिए स्वीकृत किया गया। उनके ही अथम प्रयासों और दूरदृष्टि से 1985 में गंगा परियोजना निदेशालय पर्यावरण की एक शाखा के रूप में स्थापित किया गया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारे लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, गंगा का रक्षित होना, गंगा की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इसकी कोई कार्य-योजना बने और गंगा की रक्षा हो, हिमालय का साइंटिफिक दोहन हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगाः

'रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा, गर शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा, बेजार न हो, बेजार न हो ये सारा फसाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, तब तो ये जमाना बदलेगा।'

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी)ः सभापति महोदय, माननीय रेवती रमण सिंह जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सतपाल महाराज जी ने उसका समर्थन किया। उत्तराखंड के संबंध में सतपाल महाराज जी ने बहुत सी भ्रातियों का निवारण कर दिया है। सतपाल महाराज जी ने भ्रांतियों का निवारण किया है, तो इसमें कोई बहस की गुंजाइस नहीं है, क्योंकि वह धार्मिक व्यक्ति हैं, संत हैं, उत्तराखंड के निवासी है, इसलिए उनके द्वारा भ्रम के निवारण करने के निवारण करने के बाद अब तकनीकी विशेषज्ञता के संबंध में भी कोई भ्रम नहीं रह जाना चाहिए।

गंगा केवल गंगा नदी नहीं हैं भारतीय शास्त्र में कहा गया है- 'धर्मार्थ काम मोक्षानाम, आरोग्यम् मूल उत्तम्।' धर्म अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों की प्राप्ति होगी कब, जब लोग आरोग्य होंगे तब, अर्थात इस सब के मूल में आरोग्यता है। आरोग्यता कैसे आए, जब हवा शुद्ध हो, जल शुद्ध हो, आकाश शुद्ध हो, पंचतत्व इस ब्रहमांड में है, उन पांचो में अगर पवित्रता रहेगी, तभी हम आरोग्य रह सकेंगे। गंगा का महत्व इसीलिए बढ़ता है कि गंगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को देने वाली नदी है। सतपाल महाराज जी ने कहा है कि वह हमारी मां है। हम तो गंगा मैय्या कहते हैं और गंगा मैय्या इसलिए कहते हैं कि मां के दूध से जैसे बच्चे का संपूर्ण अंग पुष्ट होता है, उसी तरह गंगा के पानी से पूर्ण समाज पुष्ट होता है। गंगा में पशु नहाते हैं। जो पशु पालक हैं, हमारे प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो गंगा के किनारे बसने वाले हैं, हमारे पशु गंगा में पानी में पानी पीते है, गंगा में नहाते है, गंगा में खेलते हैं, मैं तो अहीर हूं जब हमारे बच्चे भैंस लेकर जाते हैं तो दो-तीन घंटे तक भैंस गंगा में लोटती रहती है, पलटती रहती है और बच्चे गंगा में तैरते और खेलते हैं। क्या दुनिया का कोई स्वीमिंग पूल में तैरने वाला उसका मुकाबला कर सकता है? ऐसी गंगा में जहां गंगा तट पर बसने वाले करोड़ों पशु पानी पीते हों, गंगा तट पर बसने वाले करोड़ो इन्सान जिसमें स्नान करते हों, उसका जल पीते हों और गंगा के पानी से उपजाऊ उर्वरा भूमि में फसल लहलाती हो, उस गंगा के बारे में अगर हमारी दृष्टि में पवित्रता, गंगा की शुद्धता,गंगा के जल की धारा का प्रवाह और गंगा की निर्मलता को बनाए रखने पर अगर हम न सोचे तो हम समझते हैं कि अपने कर्तव्य का राष्ट्र धर्म का हम निर्वाह नहीं कर पा रहें हैं। गंगा की धारा गंगोत्री से निकलती है और सागर तक जाती है। सतपाल महाराज जी ने इसके बारे में बताया। श्रीमान् गंगा में जो स्वच्छता का अभियान चला, वह भी उसी से जोड़कर देखिए कि जब गंगा का अवतरण भागीरथी ने किया, राजा सागर के कुल में भागीरथ जैसे पुत्र को पैदा किया, जो गंगा को पूर्वजों के उद्धार के लिए लाए थे। ब्रह्मा के कमंडल से गंगा निकलती है, गंगा को धारण करने वाला कोई नहीं है, स्वयं शिव गंगा को धारण करते हैं कहते हैं कि गंगा से कहो, उतरो, मैं गंगा को धारण करूंगा और गंगा शिव की जटा में उलझ जाती है। फिर प्रार्थना करते हैं, तो जटा के एक लट को भगवान शिव निचोड़ देते हैं उससे गंगा निकलती है। जिस तरह से गंगा ब्रह्मा के कमंडल से आकर और शिव की जटा में उलझ गयी थी, उसी तरह गंगा की स्वच्छता का अभियान सरकार की फाइल से निकलता है, लेकिन अफसरशाही के तंत्र के जाल की जटाओं में उलझकर रह जाती है। गंगा का स्वच्छता अभियान तकनीकी आफीसर, ठेकेदार, आदि के जाल में फंस कर रह जाता है। लेकिन गंगा में कभी सफाई नहीं होती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है यमुना यमुनोत्री से निकलती है और हिमालय का इसलिए महत्व है कि भारत की संस्कृति का निर्माण और भारत की संस्कृति का उद्गम तथा भारत के धार्मिक ग्रंथों के जो काव्य है, उसकी रचना हिमालय से हुई है भारत की नदीयों के किनारे से ही भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है।

अपराह्न 05.00 बजे

हम सभी नदियों के बारे में कहेंगे कि आप और हम जहां रहते हैं, हमारे यहां जितनी नदियां हिमालय से निकलती हैं, वे घूम-फिर

कर गंगा में ही गिरती हैं। अगर वे सारी नदियां शुद्ध रहेंगी तो गंगा का जल भी शुद्ध रहेगा। गंगा की पवित्रता के साथ-साथ गंगा में मिलने वाली सभी नदियों की जल धारा पवित्र, स्वच्छ, निर्मल, स्वस्थकर और हितकर हो, सरकार को इन पर भी चिंतन करना चाहिए। सारे शहरों के सिवरेज का पानी गंगा जी, यमुना जी और अन्य दूसरी नदियों में गिरता है। सभी सिवरेज का पानी निकाल कर गंगा-यमुना में गिराते हैं। मैं आप से प्रार्थना करना चाहूंगा कि शहरों के जितने सिवरेज के गंदे पानी नदियों में गिरते हैं उसे वाटर ट्रिटमेंट प्लांट के जरिए शुद्ध करें। वहां पर पम्पिंग सेट लगा कर आसपास के खेतों के लिए सिंचाई का प्रबंध कर दें तो उस पानी से हजारों-लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई का काम भी हो जाएगा और गंगा एवं सभी नदियों की धारा पवित्र भी रहेगी लेकिन आप उस पर खर्च नहीं करेंगे क्योंकि आप उस योजना पर खर्च करेंगे हजार-दो हजार करोड़ रुपये आप देते जाएंगे, जैसे गंगा में बाढ़ आती है, सभी गंदगी को ले जाती है और सागर में ले जाकर गिराती है। उसी तरह हजार-दो हजार करोड़ रुपये भी गंगा की धारा में बह जाएगी। इसका कहीं कोई निशान नहीं रहेगा। कौन मूल्यांकन करेगा कि पैसा किधर से आया और किधर चला गया? सब गंगा के पेट में ही चला गया। इसलिए आप से मेरी विनम्र प्रार्थना है। मैं आप को सुझाव देता हूं कि सभी शहरों के गंदे पानी को निकालने के लिए आप वाटर ट्रिटमेंट प्लांट लगाइए और उस पानी को नहर के द्वारा खेत में सिंचाइ के लिए दीजिए। दूसरी बात यह है कि सभी कारखानों से गंदा पानी निकलता है और नदियों में जाता है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): यह पैसा दलालों के पेट में गया है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 05.02 बजे

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए।*]

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः वह तो कहते हैं कि पैसा गंगा के पेट में चला गया। जितने कारखाने हैं उन सभी का पानी नदियों में गिराते हैं। नदियों के किनारे-किनारे जब भारत में औद्योगिकरण हुआ तो सभी उद्योगों के पानी को नदियों में बिना यह सोचे गिराया गया कि इस नदी का हिन्दुस्तान के लोगों के साथ, अरोग्यता के साथ क्या संबंध है? इसलिए हमारी नीति वहीं गड़बड़ हो गई। मैं उस को शुद्ध करना चाहूंगा कि जितने उद्योग हैं जो गंगा और दूसरे नदियों में गंदा पानी गिराते हैं उन में से कितने पर आपने कार्यवाही की है आपने कितने को पकड़ा है और कितने पर मुकदमा किया है? आप ने कितने कारखानों को बंद किया है और कितने कारखाना मालिक को जेल में बंद किया है? आप जवाब देते समय जरा बताइए तो हम समझ पाएंगे कि सरकार की इच्छा बलवान है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हिमालय को शुद्ध बना कर रखिए। हिमालय के आसपास के पेड़ कटते जा रहे हैं। माफिया लोग जाते हैं। पेड़ को काटते हैं और उठा कर ले जाते हैं। वे पेड़ कहां जाते हैं? इस संसद में जैसे लगे हैं, बड़े-बड़े शहरों में जाइए, हर मकान में कंक्रिट की दीवार है और हर दीवार पर लकड़ी की एक दीवार लगाई गई है ताकि उसमें रहने वाले लोगों को गर्मी न लगे। हिन्दुस्तान के अन्दर जो बड़े-बड़े समृद्ध एवं संपन्न लोग हैं वे हिन्दुस्तान के पहाड़ों को नंगा बनवाते हैं और उन लकिड़यों से अपने घर को सजाते हैं। मकान में नीचे फर्श होता हे और उस फर्श पर लकड़ी लगाते हैं इसलिए कि जब फर्श पर चलेंगे तो आवाज नहीं होगी लेकिन लकड़ी पर चलेंगे तो मचामच बोलता है जिससे उनके स्वाभिमान को बल मिलता है कि वे कितने सम्पन्न हैं? इसलिए लकड़ी काटते हैं और हिमालय की मिट्टी कट कर नदियों में जाती है। भूमि का क्षरण होता है। नदी का पेट भरते हैं उसमें गाद आती है। गंगा की धारा भरती जाती है। आप पटना या वारणसी में जाकर गंगा का हाल देखिए। गंगा शहर से दूर चली गई है। पहले गंगा पटना के नजदीक थी। पटना में हजारों-लाखों लोग गंगा के तट पर छठ व्रत मनाते हैं। उसमें सूरज को अर्घ देते हैं। आज गंगा शहर से दो किलोमीटर दूर चली गई है। अब गंगा की धारी नहीं है बल्कि क्षरण के कारण हैं गंगा एक छोटी नदी बनती जा रही है। गंगा की धारा सूखती चली जा रही है। जिस दिन गंगा सूखेगी उस दिन भारत की संस्कृति सूखेगी। भारत का इतिहास सूखेगा। भारत के धर्म ग्रन्थो के स्त्रोत सूखेंगे। भारत के जन-जन का प्राण सूखेगा। भारत के पशुओं के प्राण सूखेंगे। इसलिए गंगा की धारा को बचा कर रखिए जो भारत के मानव, पशुओं और नदी के किनारे बसने वाले लोगों का जान और प्राण है। उसी तरह हमारी गंगा में भागलपुर के नजदीक पिरपैती से लेकर कहलगांव व भागलपुर में डॉलफिन है। उसे डॉलफिन क्षेत्र कहा गया है। गंगा में जो दर्शनीय चीज है, उसकी सुरक्षा के लिए कार्य कीजिए। झारखंड में भी साहबगंज के नजदीक गंगा में कटाव है। जहां भी जाइए, गंगा की धारा में जो कटाव होते हैं, उनसे लोग पीड़ित होतें। उन्हें बचाइए।

मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरे 4, विशम्बरदास मार्ग में कोठी की मरम्मत हो रही थी। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादवः जब बांध बनते जा रहे हैं, आप गंगा की धारा बोल रहे है, गंगा की धारा कहां से आ रही है। . ..*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः मैं अपनी बात बोलूंगा। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, कृपया उन्हें बाधित न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः मै वो सूगा हूं जो अपने आप बोलता हूं। मैं नहीं कहता कि बोल तोता राम, सीताराम। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः मैं प्रार्थना करता हूं कि जब ठेकेदार कचरा लेकर रात में जा रहा था, तो मैंने पूछा, शर्मा जी, आप यह कचरा कहां फेंकते हैं। उन्होंने कहा कि यमुना जी में फेंकता हूं। हमने कहा, कैसे? रात में नहीं फेंकेगे तो दिन में कैसे फेंकेगे। यमुना जी में तो रोक है। उसने कहा कि 20-25 रुपये ट्रक पुलिस वाले को देते हैं और सब कचरा यमुना जी फेंकते हैं। यमुना की सफाई के नाम पर हजारो, करोड़ो रुपये की योजना बनाए और रातभर सम्पूर्ण दिल्ली का कचरा, तीन सौ, चार सौ ट्रक कचरा यमुना जी में फेंकते जाओ। रात में कचरा फेंको और दिन में कचरा निकालो। यही दुनिया का खेल है। चढ़ते रहो, उतरते रहो, उतरते रहो, चढ़ते रहो, फोड़ते रहो, नया बनाओ, पुराना खोदो। इसी खेल में भारत की सारी पूंजी चली जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भारत की जितनी भी नदियां हैं, उन सब नदियों की स्वच्छता के लिए, उनके स्रोत निरतंर चलते रहें, उसके लिए कार्य कीजिए। नदीयों में बाढ़ रोकने के नाम पर जितने तटबंध बनाए गए हैं, उन तटबंधों के कारण सम्पूर्ण पहाड़ की जो मिट्टी आती है, वह गाद बनकर नदी के पेट ऊंचे हो गए हैं। नदी ऊंची है और जमीन नीची है। जितने भी तटबंध हैं, उनके कारण नदियों का पानी रूका है जिसके कारण विनाशकारी बाढ़ आने लगी है। इसलिए तटबंधो से नदियों को बचाइए। ...*(व्यवधान)*

मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए करते हुए आपको धन्यवाद दूंगा और रेवती रमण जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गंगा पर बहस चलाई है। मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि कोई भी हो, चाहे कहीं भी हो, एक राष्ट्रीय नीति बने, राष्ट्रीय आधार बने, राष्ट्रीय नदी का इतिहास लिखा जाए। हमारे पास आज किसी नदी का इतिहास नहीं है। नदियों के किनारे कितनी संस्कृतियां बनी हैं, कैसे विकसित हुई हैं, अगर भारत में नदियों और हिमालय का इतिहास लिख दे तो हम इस राष्ट्र का बहुत बड़ा कल्याण करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि गंगा मैया, गीता माता और गाय माता, ये तीन माता हैं। कृष्ण गीता वाले तब हुए जब उनके साथ गाय थीं। कृष्ण के हाथ में गीता है। अगर कृष्ण के मुंह में गीता का ज्ञान हैं तो कृष्ण के दोनों हाथ गाय के थन पर हैं। जो गाय का दूध निकालता है, पीता है, बलवान बनता है। कुरूक्षेत्र में जाता है, धर्म की रक्षा करता है। केवल गीता ही नहीं गीता के साथ गाय बचे, गंगा बचे, धरती माता भी बचे, तब भारत का कल्याण होगा।

डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे गंगा के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इतिहास इसका गवाह है कि जो गंगा है, भागीरथी के लाखों प्रयास के बाद गंगा का अवतरण हुआ।

यहां पर लोगों ने तमाम के गीत गाये कि 'हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।' हम लोग बिल्कुल गंगा नदी के करीब रहने वाले हैं। मेरे लगभग 15-20 साल वाराणसी में गुजरे हैं। हम गंगा में बराबर स्नान करते रहे हैं। लेकिन आज जब हम गंगा की हालत को देखते हैं, तो उसमें जो धराएं बहुत अविरल गति से बहती थीं, अब वे धाराएं नहीं रह गयी हैं। आज सरकार, विश्व बैंक और तमाम सरकारी अनुदान से उसके शुद्धिकरण की बात हो रही है कि गंगा के जल को कैसे शुद्ध किया जाये? जब गंगा में पानी ही नहीं रहेगा, जो किस चीज को शुद्ध किया जायेगा और कितना उस पर पैसा लगाया जायेगा?

सभापति महोदय, में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस पर गंभीरता से पहल करनी चाहिए कि गंगा का पानी इधर क्यों नहीं आ रहा, उसकी अविरल धारा क्यो नहीं बह रहीं? अभी श्री रेवती रमन सिंह जी ने कहा कि उत्तराखंड में तमाम बांध बनाकर पानी को रोका जा रहा है। इसलिए जब-जब यहां के लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, तब-तब उसका खमियाजा पूरे देश को, सब लोगों को भुगतना पड़ा है। आज प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, आज प्राकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, धारा बदली जा रहीं है। हिमालय जितनी लंबी चोटी किसी की नहीं है। आज उसे भी धराशायी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इससे देश कि क्षति हो रही है, ता इधर गंगा का जो

जल स्तर है, वह बहुत नीचे चला गया है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आज लोग प्रदूषित पानी पी रहें है, जिससे तमाम तरह की भंयकर बीमारिंया पैदा हो रही हैं।

सभापति महोदय, हमारी सरकार में श्री जयराम रमेश कैबिनेट मंत्री रहे हैं। जिस तरह से बांध बनाकर गंगा के पानी को रोका जा है, उन्होंने इसके खिलाफ बोलना शुरू, एक जेहाद छेड़ा। गंगा प्रदूषण बोर्ड, जो प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में बना था, हमें लगता है कि उसके कारण उन्हें इस पद से हटाया गया, उनका मंत्रालय छीना गया, ताकि वे इस तरह की आवाज न उठायें। आज जो व्यक्ति सही बात उठाएगा, उसे हटा दिया जायेगा या उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उनका विभाग बदल दिया गया। उन्होंने अच्छी-अच्छी बातें कहीं हैं। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने कहा कि देश में जिस रफ्तार से जंगल काटे रहें हैं, उसे देखते हुए कई राज्यों में एक बार फिर चिपको आंदलोन शुरू करने की जरूरत है। इसके अलावा जो गैर कानूनी खनन हो रहा है, उस गैर कानूनी खनन से हमारा पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड की सराकार है, जिसकी तमाम ऐसी लंबित परियोजनाएं हैं, जो बांध बने हुए हैं, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो निर्माण कार्य हो रहा है, उसे रोकना चाहिए ताकि जो पानी हिमालय से निकलकर, गंगोत्री से निकलकर मैदानी इलाकों में आता है, बाधित न हो। उत्तर प्रदेश के लगभग दो दर्जन ऐसे शहर हैं जो गंगा तट पर बसे हुए हैं और उसका लाभ उनको मिलता, है, इसलिए आप सरकार से कहें कि सरकार इस तरह का कदम उठाए ताकि ये जो तमाम बांध बन रहें हैं, न बनें जिससे यहां के लोगों को पर्याप्त मात्रा में जल मिल सके। पूरे बनारस में गंगा का ही पानी पीते हैं, इसी तरह से इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में जब कुम्भ लगता हैं, तो कभी पानी लाल हो जाता है, कभी पीला और कभी काला हो जाता है, वहां पर लोग आंदोलन करते हैं, वे लोग वहीं का पानी पीते हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हैण्डपम्प का पानी पीएं। जब जल का प्रवाह तेज रहेगा, ता प्रदूषण भी कम हो जाएगा, लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिलेगा क्योंकि पहाड़ों से आने वाला पानी तमाम जड़ी-बुटियों से निकलकर आता है, उसमें तमाम औषधियां रहती हैं, जैसा कि रेवती रमण जी ने कहा, अगर गंगा के जल को अगर साल भर किसी बर्तन में बंद करके रखा जाए, तो भी उसमें कोई कीटाणु नहीं पैदा होता है। इसका कारण यही है कि हिमालय से जो फायदा मिलता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उत्तराखंड की सरकार को इस तरह की सलाह दें कि जो ऐसे तटबंध बना रहे हैं, बांध बना रहें हैं, उनको तत्काल रोकें।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदय, रेवती रमण जी और सभी साथियों द्वारा कहीं गयी बातों को विस्तार नहीं देना चाहता हूं लेकिन जो हालात है, वे इतने विकट हैं कि विकास का रास्ता जब से हमने पकड़ा है, विकास से कहां दुनियां में क्या हुआ, वह मैं नहीं जानता लेकिन हिन्दुस्तान में इस विकास से और इस विकास की नकल से भयावह स्थिति हो गयी है। हिमालय कच्चा पहाड़ है, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचा पहाड़ है, लेकिन सबसे कच्चा पहाड़ है। सीस्मिक एरिया है यानि भूकम्प का सबसे ज्यादा खतरा हिमालय में है। हिमालय बन रहा है, अभी भी निर्माण के रास्ते पर है। एक इंच, दो इंच, तीन इंच, हिमालय बढ़ रहा है, दोनों जो आपके भूखंड है, भारतीय भूखंड से और चीनी भूखंड से टकरा रहा है। लाखों वर्ष पहले साउथ अफ्रीका से कटकर यह यहां आया और फ्लोट करते-करते यह हिमालय बना है। अकेले हिमालय नहीं बना, यह जो उत्तर भारत का सबसे ज्यादा जरखेज़ इलाका है, वह हिमालय की गाद से बना है। उसकी खाद से बना है। हिमालय जो है और गंगा जो है, अकेले नदी नहीं है। हिमालय से, चंबल को और नर्मदा को छोड़कर, सारे भारत की नदियां गंगा में जाती हैं। सोनगंगा आती है, अमरकंटक भी है। ये सब गंगा से ही आई हुई नदियां हैं और अरब की खाड़ी में चली जाती हैं। हालत यह है कि जिन लोगों ने यहां गंगा का और हिमालय का वर्णन किया, उसे छूने की बात तो दूर, आपने जो टिहरी बांध बनाया है, नरोरा को भी छोड़ दें, लेकिन जो यह टिहरी बांध बनाया है, उसकी क्या परिकल्पना आपने की थी, क्योंकि न तो आपके पास पर्याप्त साधन थे, न सम्पति थी और न ही इतनी कूवत थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादवः जगदम्बिका पाल जी ठीक कह रहे हैं कि नदियां मर रहीं हैं और आप गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। आने वाली पीढ़ी उस पर चल नहीं पाएगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों कृपया विषय-वस्तु से इतर न भटकें। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शरद यादवः हिमालय से कितनी ही नदियां आती हैं में उस इलाके का रहने वाला नहीं हूं, लेकिन जिस जगह से गंगा जाती है, मैं उस प्रदेश से यहां आता हूं। मंदाकिनी के बारे में यहां कई साथियों ने बताया कि उसकी धारा ही मरने वाली है। हिमालय में जो कच्चे पहाड़, हैं, आप वहां टनल बनाएंगे तो जो लोग उस इलाके बसे हुए हैं, आप जाकर देखें कि किस तरह से उनके घर दरक गए हैं, उनमें दरारें पड़ गई हैं। पृथ्वी के नीचे दो चट्टानों के टकराने से भूकम्प आता है, लेकिन वहां तो स्थिति और भी खराब हो रही है। लोग तो मरेंगे ही, लाशों में तब्दील तो होंगे ही, लगता है कि * कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।देश ही लाश बनकर रह जाएगा। गंगा अगर नहीं बचेगी तो फिर देश कैसे बचेगा ... *(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया उनके भाषण में बाधा न डालें।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादवः सभापति जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस प्रकार बीच में व्यवधान पैदा करने से मेरा समय नष्ट हो रहा है इसलिए आप कृपया इतनी जल्दी समय समाप्ति सूचक घंटी न बजाएं। मंदाकिनी, यमुना, गोरी गंगा, काली गंगा, शारदा, धौली गंगा, पिंडहर, राम गंगा, चिनार से लेकर रावी तक देश की दो तिहाई नदियां अकेले हिमालय से गर्भ से निकलती हैं, उसकी बर्फ से पैदा होती है। आप उस पहाड़ पर टनल बना रहें हैं, कि पानी दिया जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पानी देना आपके बस का नहीं है, यह सम्भव नहीं है। आप कहतें हैं कि बिजली मिलेगी इसलिए डैम बना रहे हैं। मैं पर्यावरण मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पूरे देश की बिजली में से सिर्फ एक फीसदी बिजली का उत्पादन वहां से हो रहा है।

जो गंगोत्री है, वहीं पर इतना प्रदूषण हो गया है और तबाही मचाई गई है कि जैसा हमारे मित्र ने कहा कि व्यक्ति अगर मुर्दे को जलाने के लिए वहां से शुद्ध पानी लेकर आए, तो वह भी नहीं मिल पाता है। वहां आसपास की बस्तियां उजड़ गई हैं।

उत्तराखंड राज्य में हमारे मित्रों की सरकार है। उत्तराखंड से आने वाले माननीय सदस्य सतपाल महाराज जी अभी सदन में नहीं हैं, वह अपने भाषण में आधुनिकता और विज्ञान के विकास की बात कर रहे थे, जो यूरोपीयन देशों और अमेरीका ने कल्पना की थी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने तो 300 साल तक लोगों को लूटा है। उनकी कल्पना सही है इसलिए वह उस कल्पना को यहां रख रहे थे।

उत्तराखंड बन गया तो केवल क्या बिजली से चलेगा, यह बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं तो माननीय सतपाल महाराज जी का इंतजार कर रहा था। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो हिमालय के साथ सब तरफ छेड़खानी चली हुई है, कश्मीर से लेकर ठीक असम तक और उसमें भी हम सबसे ज्यादा गंगा के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। गंगा की हमने भ्रूण-हत्या कर दी है तो गंगा बचेगी कैसे? लोग कह रहे हैं कि गंगा नाला बन गयी है, उसे हमने नाला बना दिया है, हमने—आपने गंगा का अपने हाथ से गला दबा दिया है, गर्भ में हमने उसकी जान ले ली है तो गंगा कैसे बचेगी? मैं कहता हूं कि दुनिया की बड़ी सभ्यताओं में एक सभ्यता गंगा-किनारे की है, गंगा के चलते है। दुनिया की जितनी सभ्यताएं हैं वे सभी नदियों के किनारे बसी हैं। आज भी देश के सारे शहर चाहे गंगा के किनारे हों, चाहे कावेरी के किनारे हों या नर्मदा के किनारे हों। वह केवल नदी नहीं होती है वह वाटर लेवल भी ऊंचा-नीचा करती है और केवल नहाने के लिए, पीने के लिए ही पानी नहीं देती है वरन् वह पूरे इलाके में वाटर-लेवल को भी ठीक करती है। धरती के नीचे जो जल की एक परत समुद्र की होती है और मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि गंगा का मैदान जो है वहां अर्थ-सी है यानी धरती का समुद्र कहीं दुनिया में है जो गंगा के बेसिन में है। मैं जब जेल में था तो मेंने एक किताब पढ़ी थी कि गंगा का मैदान दुनिया में ऐसा मैदान है जिसमें अर्थ-सी है, उस पर आप बांध बना रहे हो। कूवत और सलीका आपको है नहीं और भ्रष्टाचार का ऐसा हाल है कि ठेकेदारों को आपने काम दे दिया। मंदाकिनी और गंगोत्री को खत्म करने के लिए ठेका टुकड़ों-टुकड़ों में दे दिया। ठेकेदार पूरे विभागों को बेवकूफ बनाकर के, घूस देकर के काम कर रहे हैं, उन्हें एनवायरनमेंट से क्या मतलब है? वे तो कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी को सुकून में डालो, देश सभ्यता का नाश होता हो, उनकी बला से हो।

मान्यवर, अगर सभ्यता का विनाश अगर कहीं से होगा तो हिमालय से होगा क्योंकि यह ग्लेशियर पिघलेगा और समुद्र बढ़ेगा, उछलेगा और मुम्बई से लेकर गोवा तक कुछ बचने वाला नहीं है, हिमालय की छेड़खानी हिंदुस्तान को तबाहीं के कगार पर ले जाएगी। जो सवाल लोगों ने उठाया है, उसे मामूली मत मानिये, माननीय रमेश जयराम जी की बात बाहर चल रही थी। वे जेएनयू में बोल रहे थे। उन्होंने थोड़ा बहुत जो किया पास्को के लिए किया, वेदांता के लिए और एक मुम्बई में है सलवासा, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

केवल घुड़की मारते रहे। लेकिन माननीया नटराजन जी घुड़की भी नहीं मारेंगी, ये बड़ी डिसीप्लेन्ड हैं। लेकिन एनवायरनमेंट का मामला किसी सूबे या उत्तराखंड का मामला नहीं है, हिमालय किसी सूबे की सम्पत्ति नहीं है। हिमालय नहीं बचेगा तो यह पूरा का पूरा भूखंड, भारत और बर्मा से लेकर लंका तक को पूरा इलाका तबाही से बचेगा नहीं। समुद्र के किनारे बसे हुए सभी इलाके तबाह होंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पहाड़, नदी, नाले, जमीन, हवा के बेगैर दुनिया नहीं चलती है। इनकी तबाही के बाद सभ्यता नहीं बचेगी। मुझे नहीं लगता है कि यह सभ्यता पचास-साठ वर्ष से ज्यादा रहेगी। हम विनाश के कगार पर खड़े हैं और हमने विनाश को इतने करीब कर लिया है कि हम हिमालय में सुरंग खोद रहें हैं। हम हिमालय के पेट को चीर रहें हैं। सुरंग पर सुरंग निकाल रहें हैं। वहां जो आविष्कार हुए हैं, आप उन आविष्कारों को यहां लागू नहीं कर पाओगे। भारत सरकार तथा पर्यावरण मंत्रालय को तत्काल, अविलम्ब अभी वहां जाना चाहिए और ऐसे कामों को रोकना चाहिए। जयराम रमेश जी ने कुछ कामों को रोका था। मेरे इलाके बांधवगढ़ में, जहां शेर रहते हैं, मध्य प्रदेश में वहां एक नदी पर बिजली बनाने की परियोजना है। बांधवगढ़ के जंगल को काट कर बनाने की योजना है। उन्होंने वहां अपने अफसरों का अमला पहुंचाया है। वहां आपको स्वयं देखना चाहए कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं, जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, वे कितनी दिक्कत से रह रहे हैं। मंदाकनी नदी, रामगंगा नदी के किनारे बसे लोगों की जिंदगी को देखिए। उनके पास दो खेत हैं, एक कमरा है, वे किस तरह से बेचैन हैं और किस तरह से चिल्ला रहें हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आपने गंगा प्राधिकरण बनाया है। मैं सरकार से पूछता हूं कि इसका आफिस कहां है? इस आफिस में कौन-सी दर्खास्त और कौन-सी शिकायत को कौन सुनता है? प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय नदी कहा है। आपने इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया है, तो क्या इस नदी को बचाने का काम शुरू होगा या नहीं होगा। नदी को नीचे से बचाने का काम तो बाद में होगा, लेकिन पहले जहां से नदी का उद्‌गम होता है, जहां नदी का प्राण हैं, जहां से जीवन आ रहा है, वहां से पहले ठीक किया जाना चाहिए। यदि स्रोत खत्म हो गए, तो आप हिन्दुस्तान की सभ्यता की बात छोड़िए, इसके कौन-से ग्रंथ कहां हैं, कहां लिखे हैं, डनका क्या किस्सा है, कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। अभी तो हम हिंदुस्तान को किस तरह से बचाएं यह सोचने की जरूरत है क्योंकि हिमालय के साथ इसका मामला जुड़ा हुआ है। हिमालय बचेगा, तो हिंदुस्तान बचेगा और हिमालय अगर खत्म होगा, तो हिंदुस्तान बच नहीं सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक (वर्धमान - दुर्गापुर) - सभापति महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। हिमालय और गंगा राष्ट्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हिमालय और गंगा का प्रदूषित खतरनाक पर्यावरण हाल में देश के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहा है। वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघलते हिमालयी हिमनद हरेक के लिए साझा चिंता का कारण बन चुके हैं।

आप जानते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने खुलासा किया है कि हिमालयी हिमनद 17 मीटर प्रतिवर्ष की दर से पिघल रहे हैं। वर्ष 2008 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से हिमालयी हिमनद पिघल रहे हैं अगले कुछ दशकों में ये गायब दो जाएंगे और जीवन के बड़े भाग को खतरे में डाल देंगे। इसी कारण हमें इसके बारे में अधिक चिंता दिखानी है।

ज्यादा चिंता की बात है कि हिमालय के पारिस्थितिकीय भंगुर पर्यावरण बड़े बांध, वन कटाई एवं खनन गतिविधियों के कारण भारी खतरे में है। बड़े पैमाने पर बांध, सड़क, सुरंग, भवन और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण के अलावा अंधाधुंध खनन एवं उत्खनन ने हिमालयी परिस्थिति की भंगुरता बढ़ायी है जिससे पूरे क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो गया है। संरक्षणात्मक वर्धी कवर से निरावृत होने अर्थात् वन कटाई के कारण हिमालयी मिट्‌टी वर्षा जल को शोषित करने की अपनी क्षमता तेजी से खोती जा रही है। इसलिए भूस्खलन, भूकंप और अन्य जनजातियां पूरे हिमालय क्षेत्र में भारी पर्यावरणीय जोखिम हैं।

अब गंगा पर बात करें तो गंगा अब प्रदूषण के जबर्दस्त खतरे के साचे में है। प्रतिदिन लगभग एक विलियन घरेलू कचरा हजारों जानवरों की लाशों के साथ गंगा में सीधे गिरता है। नदी के तट पर स्थित हजारों कारखानों द्वारा इसमें 260 मिलीयन लीटर औद्योगिक कचरा और गिरता है। इसके फलस्वरूप हम अब प्रदूषण की भारी समस्या का सामना कर रहे हैं जो अपने साथ कौसरा, हेपेटाइटिस, टायफायड एवं पेचिस सहित जल जन्म रोगों को लाता है। मानव अवशेष गंगा में राख डालने की पवित्र प्रथा भी स्वास्थ्य के प्रति खतरे भी डालती है। अपर्याप्त दाह संस्कार प्रक्रिया से गंगा में भारी संख्या में आंशिक रूप से जले या अजले लाशें तैरती हैं। प्रमुख प्रदूषक उद्योग हैं - चर्म उद्योग खासकर कानपुर में है एवं मेषज, इलेक्ट्रानिक्स, वस्त्र और कागज उद्योग एवं चर्मशोधन शाखाएं हैं।

1996 में उच्चतम न्यायालय ने कानपुर में गंगा तट पर स्थित तथा गंगा घाटी में विभिन्न चर्मशोधन शाखाओं एवं कारखाने से बहिस्राव के निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था पर उसे समुचित रूप से अनुपालित नहीं किया गया एवं कोई कार्रवाई नहीं की गयी। एक और बेहद चिंता का मसला है गंगा तट पर अनियोजित तरीके

से भवनों का निर्माण तथा इस प्रकार गंगा के तट पर अवैध रूप से कब्जा जमाना चिंताजनक है। यह गंगा के वजूद को भी खतरा पहुंचा रही है।

गंगा तट के आस-पास खासकर हरिद्वार में अवैध खनन भी नदी तट एवं नदी बेज को खतरा पहुंचा रहा है। 19 जुलाई 2011 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भागीरथी नदी में पानी की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट में पैथोजेनिक संदूषण में वृद्धि के संबंध में चेतावनी दी गयी है।

गंगा कार्य योजना का प्रारंभ 1985 में हुआ था जो चुनिन्दा क्षेत्रों में मल-जल निकारत संयंत्र लगाकर तथा जुर्माने की धमकी देकर एवं इसे प्रदूषित करने वाले उद्योगों के विरूद्ध याचिका लगाकर नदी को साफ करने के लिए बनायी गयी थी। गंगा कार्य योजना के पहले चरण एवं दूसरे चरण के बीच 1985 एवं 2000 के बीच लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं पर नदी अभी भी प्रदूषित है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी है। समुचित रूप से कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इसी कारण सरकार ने आई आई टी की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया है।

बेहद चिंताजनक मसला तो यह है कि सी ए जी ने 1 अप्रैल, 2010 को सरकार को यह बताते हुए रिपोर्ट भेजी थी कि यदि उत्तराखंड सरकार अलकनंदा एवं भागीरथी रिवरबेज नदियों, जो गंगा से मिलती है, पर 53 विद्युत परियोजनाएं बनाने की अपनी योजना पर आगे बढ़ती है तो इन दोनों नदियों के बेज के लंबे स्ट्रेचों में पानी ही नहीं रहेगा। कैग की निरीक्षण रिपोर्ट भी बताती है कि इसके फलस्वरूप नदी तट पर बसे गांव नदियों के पानी रहित होते ही उजड़ जाएंगे जिससे भारी पवर्जन एवं सांस्कृतिक अपरदन होगा। इंडिया टुडे में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मैदानों में विद्युत स्थिति सामान्य करने के लिए हिमालय में बिजली बनाने की योजना से गंगा अपने उद्‌भव घाटी में ही गायब हो जाएगी।

अब फरक्का में बने बांध का समुचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। एक लॉक गेट टूट गया है तथा बहुत सा पानी बाहर आ रहा है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यदि समुचित कार्रवाई नहीं की जाती तब इससे भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। फलस्वरूप, मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इन सभी पहलुओं पर गौर करे क्योंकि हिमालय एवं गंगा अर्थव्यवस्था के विकास में भारी भूमिका निभा रही है - स्वास्थ्य क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में। यदि हम इस पर समुचित ध्यान नहीं देते और समुचित कार्रवाई नहीं करते, इससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इस प्रकार मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह पूरे मामले पर गौर कर समुचित कार्रवाई करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति महोदय, माननीय मुलायम सिंह यादव जी प्रेरणा से श्री रेवती रमण सिंह ने बहुत बड़े पवित्र विषय पर सरकार और सबका ध्यान आकर्षित किया है। यह निर्विवाद सत्य है कि गंगा देश की सबसे लम्बी नदी है और गंगा का जल अमृत समान माना जाता था, अब नहीं माना जा रहा है। लेकिन मनुष्य जाति ने और हम सभी लोगों ने गंगा और यमुना के जल को बिल्कुल दूषित बना दिया है, हम इनमें नर्क फेंक रहे हैं। हमें न जाने कितने हजार करोड़ रुपये यमुना मैया की सफाई और गंगा एक्सन प्लान के लिए मिले। लेकिन इन नदियों मे होम पाइप डाल दिये गये। पानी के रख-रखाव और निकासी के लिए अंदर की तरफ ट्रीटमैन्ट प्लांट लगा दिये गये। यदि इसकी जांच हो तो बड़े-बड़े लोग जेलों में चले जायेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यदि लोकपाल बन जाता है तो अण्णा हजारे जी इसकी जांच करायेंगे। आज ये हालात हैं। आज चमड़े की फैक्ट्ररी का पानी, कैमिकल्स, नालियों का पानी, घरों का पानी और सारा नर्क समान पानी गंगा और यमुना में जा रहा है।

अभी बांध के बारे में चर्चा हुई, उत्तराखंड सरकार ने बिजली पैदा करने के नाम पर बांध बनाया, पानी को ऊपर रोका। सभी माननीय सदस्यों ने इस सवाल को उठाया है। यदि हम गंगा को पवित्र बनाना चाहते हैं तो हमें इन बांधों को ध्वस्त करना चाहिए। गंगा की पवित्रता को नकारा नहीं जा सकता है। मेरे बिहार में मनेरी एक स्थान है, जहा रामायण तिवारी थे, श्री शत्रुघ्न सिंहा जानते होंगे। वह फिल्मों में काम करते थे, भोजपुरी जगत में उनका स्थान था। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी' गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इवो, सैयां से कर दे मिलनवा हो राम।' यह फिल्म रामायण तिवारी ने गंगा मैया की पवित्रता के नाम पर बनाई थी। हमारी महिलाएं, मां-बहनें आस्था में गीता गाती हैं 'गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सैयां तेरी जिंदगानी रहे।' लेकिन आज पानी सूख रहा है और पति धीरे-धीरे दम तोड़ रहे हैं। यह हालत हम लोगों ने बना दी है। ये सारी बातें बेकार साबित हो रहीं है।

अभी शरद जी ने कहा कि हिमालय को बचाना जरूरी है। हां, बिल्कुल बचाना है। लेकिन चीन ने आगे बढ़-चढ़कर सिक्स लेन रोड अरुणाचल प्रदेश तक बना ली है। उसने हिमालय में यह रोड बनाई है, जहां मानसरोवर में हमारे देवताओं के महादेवता श्री शंकर भोले विराजमान हैं। उन्होंने हिमालय को तोड़कर पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लिया है। चीन ने पहले से ही हमारी जमीन को दबाकर रखा है।

मैं हाल ही में मथुरा गया था, जहां दक्षिण भारत के लोग और हम लोग नदी पार करके गये, वहां एक जगह पूजा-पाठ हो रहा था वहां का पानी बिल्कुल जहरीला है, उसी में लोग खड़े होते हैं और पूजा कर रहे हैं। आज हमने गंगा और यमुना की क्या हालत बनाकर रख दी बांध तो बांध हैं, लेकिन गंगा में जो नदियां मिलती हैं, जिनमें सरयू, घाघरा, बागमती, अदवारा, बूढ़ी गंडक, सोन नदी प्रमुख हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर जाती है, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, यह अमरकंटक से निकलकर जाती है। ये सारी नदियां गंगा में विलय होती हैं, मिलती हैं। लेकिन आज गंगा नदी बिल्कुल सूख रही है। श्री रेवती जी ने ठीक कहा कि जो इसका पाट था, गंगा की चौड़ाई थी, वह सूख रही है। लेकिन यह क्यों सूख रही है, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। हम लोगों ने कितना बड़ा घात किया है, कितना बड़ा अन्याय किया है। ग्लेशियर तो ग्लेशियर हैं, इनमें मेक-अप करने के लिए खास सीजन में पानी आता है। जब रेनी सीजन होता है, बरसात का समय होता है, तब बारिश का पानी हिमालय की जड़ी-बूटियों से बीच से बहता हुआ गंगा के रूप में आता है। गोमती, घाघरा आदि नदियां गंगा में विलय करती हैं, उसके बाद गंगा कोलकाता होकर गंगासागर में चली जाती थी।

क्या जुलम हुआ है, कितना अन्याय किया गया है। अगर दूसरा देश होता तो लोगों को सख्त सजा दी जाती। हमारा सारा पानी बंग्लादेश को दे दिया गया तो गंगा क्यों नहीं सूखेगी? गंगा में लाखों की संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी, साइबेरियन बर्डस आते थे, डॉल्फिन आते थे। हुकमदेव जी बता रहे थे कि भागलपुर, पटना में डाल्फिन आते थे। उस समय जब हम लोग गांवों से आते थे तो हम लोग डाल्फिन देखते थे। हम लोग कहते थे कि यह सोंस है। यह आज डॉल्फिन आज नष्ट हो रही है। अगर भारत सरकार दम है तो आप उस चिट्ठी को अपने कीजिए और वह संधि तोड़िए जिसके द्वारा आपने बंग्लादेश को पानी दान कर दिया है। फ़रक्का के किनारे से लेकर यूपी तक लाखों-करोड़ों मच्छुआरे हैं वे आज भुखमरी और बेकारी के कगार पर खड़े हैं। न जाने कितने लोगों ने नावों को लेकर इसके लिए संघर्ष किया है। इसको कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। गंगा मां का पेट जो विभिन्न तरह की मच्छलियों से भरा रहता था, आज उसमें मछलियां नहीं हैं। जब ब्रींडिग सीज न होता था, मछली का चरित्र अण्डा देने का होता है, वह उल्टी धार पर चढ़ती है, ब्रीडिंग करती है। समुद्र से विभिन्न तरह की मछलियां आती थीं और ब्रीडिंग करती थी। हमारी नदियां और खेत-खलिहान मछलियों से भरे रहते थे। आज सारे मच्छुआरे बेकार पड़े हुए हैं। इतनी खतरनाक ट्रीटी कर दी और गंगा का पानी दान कर दिया। लोगों ने इस देश के भूगोल और नदियों को खंड-खंड कर दिया। एक तरफ तो बांध में बांध कर अटकाए हुए हैं और दूसरी तरफ दान कर दिया है तो बरसात में सारा पानी निकल जाता है। माननीय सदस्य बोल रहे थे कि बहाव नहीं है, करंट है, यमुना में नहीं है। कहां से आएगा? वह तो वॉटर लॉगिंग हो गया है। इधर से नाले का पानी जा रहा है, उसने गेट बंद कर लिया है। जब आपका अमृत जल आएगा तब वह गेट खोलेगा । जब बरसात शुरू होगी तब गेट खुलेगा। सारा पानी हम दान करते जा रहे हैं। एक तरफ मच्छुआरे बेकार हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे खेत-खलिहान बेकार हो रहे हैं। किशनगंज से होकर जो ब्रह्मपुत्र आती थी वहां चीन दावा कर रहा है कि इस नदी को हम रेग्युलेट करेंगे और हम इस इसका इस्तेमाल करेंगे। भारत सरकार चलाने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि बिना किसी से पूछे हमने यह ट्रीटी कर दी और पानी को दान कर दिया। यह सब बिना किसी चर्चा के, बिना सर्वदलीय बैठक किए कर दिया गया। मौजूदा सरकार ने नहीं, इसके पहले जो सरकार थी उसने किया। हमारे अफसर क्या कर रहे थे, हमारे ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे थे? इन्होंने भविष्य के खतरों को नहीं समझा और नदी सूख गई । शत्रुध्न जी गंगा आरती के लिए हम घाट पर जाते थे, वहां एक मंच बनाया हुआ है, वहां पर पानी ही नहीं है। आप पैदल गंगा को पार कर जाइए लेकिन वहां पानी ही नहीं है। गंगा की यह हालत बना कर रख दी है। बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियां जो नेपाल से आ कर गंगा में मिलन करती थीं उन सब का नाश कर के छोड़ दिया है। आपकी सरकार को इसे देखना चाहिए।

देश हित में हमारी इस नदी के पानी को बचाइये और इस ट्रीटी को तुड़वाइये, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह ट्रीटी देश के खिलाफ है। गेट खुलवा दिया, फिर गेट बंद कर लिया, पानी कहां है, पानी जा रहा था, पानी अपने जिम्मे ले लिया एक मछली नहीं, एक सिंगरी नहीं, एक बोवारी नहीं, एक रोहू नहीं मछुआरे बेचारे दिन भर जाल फेंक रहे हैं, लेकिन जब वह जाल निकालकर देखता है तो उसमें कोई मछली नहीं फंसती है। मछली कहां से आयेगी? इसका असली कारण यह है। मैडम आप इसे स्टडी कीजिये, इस ट्रीटी को निकालिये, अगर आपका जूरिस्डिक्शन है, अगर आपके विभाग में यह बात है तो आप इसे निकालकर पढ़िये। बांग्लादेश का पानी दे दिया, फरक्का के माध्यम से गेट खुल गया। उस समय गेट खोल दिया गया, आप जाकर देखिये, पानी चला गया, हुक्मदेव जी पानी भीतर और ताला बंद, कहां से पानी आयेगा, कहां से करंट आयेगा? नरक का पानी वहीं ज्यों का त्यों जमा हुआ है। यमुना को मां यमुना कहते हैं। जब कृष्ण भगवान को छिपाया जा रहा था, वासुदेव जी उन्हें टोकरी में लेकर जा रहे थे, वे यमुना नदी को क्रॉस कर रहे थे, यमुना की महिमा, गंगा का उफान, न जाने बरसों-बरसों से हमारी यमुना मैया लालायित थी कि कब कृष्ण जी पधारेंगे। देवकी के आठवें पुत्र कृष्ण ने जन्म ले लिया है और वे आ रहे हैं, ऐसा देखकर उन्होंने उफान को कम कर दिया और उनके चरणों को पघारा। ऐसी

हमारी यमुना मां, गंगा मां है। आज बिहार में ऐसी बहुत सी जगह हैं, जहां पर ठान व्रत नहीं हो रहा है। लाखों नर-नारी छठ व्रत करते हैं, वे कहा खड़े होंगे अपने घरों पर तालाब आदि बनाकर लोग पूजा करते हैं। आज ऐसी हालत है। बिजली के नाम पर, यह बिजली कहां जा रही है, किस गांव में बिजली जा रही है, किस गांव में बिजली गांव में बिजली जा रही है, आप किस झोपड़ी में बिजली भेज रहे हैं? शहर में बिजली भेजते हैं, क्या करते हैं, कौन बेच रहा है, क्या कर रहा है, लोग दुल्हन की तरह घरों को सजा रहे हैं। हमारे दरभंगा का वह लड़का निगमानंद शहीद हो गया। हम सबको बाद में मालूम हुआ कि गंगा की रक्षा के लिए, पॉल्यूशन को रोकने के लिए वह शहीद हो गया। इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी कहां हैं, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही घोषणा की है कि गंगा राष्ट्रीय नदी होगी। इसका रख-रखाव होगा, इसे पॉल्यूशन मुक्त किया जायेगा, यमुना को पॉल्यूशन मुक्त किया जायेगा। जैसे पानी चलता था, गेट को उतरवाइये, नहीं तो एक समय आयेगा कि लाखों-लाख जनता मार्च करेगी और फरक्का को तोड़ डालेगी और देश को, अपने पानी को, अपनी धारा को, अपने जीवन को बचाने का काम करेगी। रेवती जी ने अच्छा काम किया है कि वे इसे लेकर आये हैं। गंगा मैया मां है, जहां कृष्ण भगवान की जय करते है, वहीं हम गंगा मैया और यमुना मैया की जय की जय करते हैं। यमुना और गंगा मैया हमारी मां है। किसी ने यह गीत भी गाया है कि हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहाती है। गंगा मेरी मां का नाम, बाप का नाम हिमालय है, यह कहा गया है, आप लोगों ने इसे गाया है। शंकर भोला बाबा, शंकर महादेव जी, मानसरोवर, हमारे देवता भी वहां पर कैद हुए हैं। ये लोग हिमालय को क्या बचायेंगे, हम पीछे खिसकते जा रहे हैं, हम पीछे हटते जा रहें हैं, इधर से जा रहे हैं, उधर जा रहें हैं, लेकिन यहां पर हाउस में बोलते हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। गंगा को साफ कराइयें, गंगा के लिए आप सर्वदलिय मीटिंग बुलाइये। आपको कोई अवरूद्ध करता है, कोई कमी है तो सभी पार्टी के लोगों को बुलाकर उसका हल निकालिये। गंगा, यमुना की सफाई और जितना यह सारा रोक है, इस रोक को हटाइये। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात करता हूं जय गंगा मैया।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, जो सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहें, रख सकते हैं।

***श्री शिवासामी** (तिरुपुर): सभापति महोदय, इस समान्य सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में मुझे बोलने का अवसर देने का आपका धन्यवाद। गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित हो गई है और ऐसा केवल गंगा नदी तक ही सीमित नहीं है। हमारे देश की अनेक नदियां बहुत ही प्रदूषित हैं और यह बहुत ही चिन्ता की बात है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में कावेरी, कृष्णा, नोडल और पेन्नार जैसी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। बजाय इसके कि किसी प्रदूषित नदी की सफाई में जुटा जाए। सबसे पहले तो इस समस्या की तह में जाना और पूर्वापाय करते हुए नदी को प्रदूषित होने से बचाना अधिक बेहतर होगा। इससे हमें किसी नदी को प्रदूषित होने से बचाने में सहायता मिलेगी। इस वैज्ञानिक युग में चूंकि हम अनेक औद्योगिक इकाईयां लगाकर अधिकाधिक औद्योगीकरण कर रहे हैं, तो कल-कारखानों से निकलने वाले गंदे बहिस्राव का निवारण करना हमारी समस्या बन गया है। औद्योगिक नगरों से निकलने, गंदे अशोधित बहिस्रावों और जल-मल ने उन नगरों की फल प्रवहन-प्रणालियों को बहुत प्रदूषित किया है। विशिष्ट क्षेत्र विशेष की समस्या को आपके ध्यान में लाने के उदाहरणस्वरूप, मैं अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र, तिरूपुर में नोयल नदी में हो रहे प्रदूषण की समस्या उठाना चाहता हूं। यह कावेरी नदी की एक सहायक नदी है और आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व तक ही इसके स्वच्छ जल का उपयोग पीने, रसोई तक स्नान के लिए किया जाता था। लेकिन अब इसका जल कृषि कार्य के लिए भी उपयुक्त नहीं है। अब यह रंजक-इकाईयों के बहिस्रावों से भरी नदी मात्र है। यह स्थिति क्यों पैदा हुई? नोयल नदी मात्र स्वयं ही अनुपयोगी नहीं बनी है, बल्कि वह कावेरी नदी को प्रदूषित कर रही है। औद्योगिक इकाईयों के बहिस्रावों को नदी में बहाने से पूर्व उपचारित करने के लिए संयुक्त प्रयास करने की जरूरत है। औद्योगिक इकाईयों के लिए बहिस्राव शोधन संयंत्र के साथ-साथ भी सीवर-शोधन संयंत्र भी होने चाहिए। नदियों को प्रदूषित होने से बचाने की इस प्रक्रिया के लिए केन्द्र सरकार को उदार होकर बड़ी वित्तीय सहायता देनी चाहिए ताकि वे वहां की जमीनी हकीकत तथा स्थानीय समस्याओं पर विचार करते हुए इसका निपटान कर सकें। हमारी नेता, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री, पुरालयी वतलैवी अम्बा ने हाल में ही नोयल नदी को दूषित करने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने तथा वहां के औद्योगिकी-कार्यकलापों के लिए 13 से 15 ऐसे बहिस्राव शोधन संयंत्रों क स्थापना करने हेतु लगभग 200 करोड़ रुपये का उदार ब्याज-रहित ऋण देने की घोषणा की है। तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर नदी सफाई अभियान-कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए और तमिलनाडु सरकार को कम-से-कम 10,000 करोड़ रुपये की सहायता देनी चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से इस मामले पर विचार करने का आग्रह करता हूं। औद्योगिक क्रियाकलापों के कारण नदियां प्रदूषित हो जाती हैं, तो उनका दूषित जहरीला पानी कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाता है और, इससे किसानों और उद्योगपतियों के मध्य संघर्ष और विवाद पैदा होता है। इस मामले में किसानों और औद्योगिक मजदूरों के बीच संघर्ष भी हो रहा है।

*मूलतः तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

इससे कानून और व्यवस्था की समस्या हो जाती है। इन सभी समस्याओं को नदी में बहने वाले दूषित पानी को शोधित करने के उपाय करके निपटाया जा सकता है। इसमें बड़ी राशि की जरूरत है तथा केन्द्र सरकार को नदी जल के प्रदूषण से बचाव सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धन जारी करने राज्य सरकारों को सहायता करनी चाहिए। केवल कावेरी नदी ही इससे प्रदूषित नहीं हो रही है, बल्कि बंगलौर शहर बड़ी मात्रा में जल-मल व्यष्क होने के कारण पेन्नार नदी भी प्रदूषित हो रही है। इसी तरह, चेन्नई की कृष्णा नदी जो कभी इसका गौरव हुआ करती थी, अब शहर की एक बड़ी समस्या है क्योंकि इसमें खुली-नालियों तथा सीवर का पूरा पानी गिरने से यह प्रदूषित हो गई है। मैं केन्द्र सरकार से नदियों को स्वच्छ करने तथा शोधन-संयंत्र स्थापित करके अधिक प्रदूषण से रोकने के हेतु तमिलनाडु सरकार को विशाल धनराशि देने का आग्रह करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

***डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम): हमारी पवित्र नदी गंगा और हिमालय के निर्गम दोहन के कारण उन दोनों के अस्तित्व को हो रहे खतरे और उत्पन्न स्थिति की महत्वपूर्ण चर्चा में आपने मुझे शामिल होने की अनुमति दी।

सैकड़ों वर्षो से हमारी हिन्दू संस्कृति की अहम पहचान मां गंगा एवं हिमालय के प्रति पर्यावरण एवं मानव जाति के खतरे से एक गंभीर परिस्थिति पैदा हुई है।

क्लाइमेट चेंज एवं हिमालय की प्राकृतिक संपदा को हम सबकी तरफ से एक गंभीर खतरा पैदा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के तहत हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और गंगा का उद्भाव स्थान पीछे खिसक रहा है। पर्वतारोहण और यात्रियों की वजह से हिमालय की पवित्रता के प्रति खतरा पैदा होता जा रहा है। ये एक गंभीर सवाल है।

इसी तरह हमारी हिन्दू संस्कृति का प्रतीक और धरोहर गंगा नदी के प्रति हमारे दुर्भाग्यपूर्ण रवैये की वजह से मां गंगा की पवित्रता दूषित हो रही है। पवित्र गंगा में हम सारी गंदगी डालते हैं और गंगा के तट पर आए सभी शहर, कस्बे एवं गांवों के गटर की नालियां गंगा में प्रदूषित की जाती हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि गंगा नदी की पवित्रता को कायम करने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सख्त कानून बनाकर भी गंगा की पवित्रता को बरकरार रखने

*भाषण सभा पटल पर रख दिया गया।

का प्रयास होना चाहिए। एक सख्त कानून बनाकर हिमालय एवं गंगा की पवित्रता को बरकरार रखने का प्रयास होना चाहिए।

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा): मैं गंगा नदी और हिमालय निर्मम दोहन के कारण उनके अस्तित्व को हो रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति जैसे महत्व के विषय पर अपनी बात रखता हूं।

हिमालय पर्वत और गंगा मैया हमारे देश का गौरव है। हमारी संस्कृति का अनमोल प्रतीक है। दोनों स्थानों की पवित्रता की हम सदियों से पूजा करते आए हैं। उसमें स्नान करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, ऐसी धार्मिक भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसलिए हिमालय और गंगा की शुद्धता, कवित्रता एवं अस्तित्व टिका रहे उसे देखने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए।

गंगा माता हमारा श्रद्धा केन्द्र, है, आस्था केन्द्र है। उसका दोहन न हो। इसमें कचरा एवं गंदगी डाली न जाए। करोड़ों रुपये खर्च होने पर भी आज परिस्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। हिमालय और गंगा के अस्तित्व को खतरा न हों, ऐसा कदम उठाना चाहिए। सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। हम विकास का विरोध नहीं करते, लेकिन टैक्नोलॉजी का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए ताकि इन स्थानों की पवित्रता एवं शुद्धता बरकरार रहे, उसे कोई नुकसान न हो, पर्यावरण को नुकसान न हो। इनके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न न हो, क्योंकि हमारा अस्तित्व इनके अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। प्रस्तुत प्रस्ताव को अपना समर्थन करता हूं।

सायं 06.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्यों, मेरे पास सूची के अनुसार इस चर्चा में आठ से अधिक और वक्ताओं को बोलना है। यदि सभा सहमत हो तो, सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्यः जी हां।

सभापति महोदयः ठीक है, श्री लिंगम् आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

****श्री पी. लिंगम** (तेनकासी): प्रदूषण से नदियों को संरक्षण की आवश्यकता संबंधी चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं। गंगा नदी विश्व की

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

**मूलतः तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

उन विशालतम नदियों में है जो अपने उद्‌गम वाले स्थान से 2000 कि.मी. से अधिक दूरी तक बहती है। विशाल भारतीय सदाबहार नदी गंगा लगभग 2,500 कि.मी. लम्बी है। यह चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हम गंगा नदी के संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा कर रहे हैं जो अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। हमारी सरकार को हमारे पर्यावरण और हमारी नदी व्यवस्था, जो प्रदूषित हो रही है, पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदयः एक मिनट मेरे पास सूची के अनुसार नियम 193 के अंतर्गत चर्चा में 8 सदस्यों को बोलना है। इसलिए सभा की सहमति से मैं समय एक घंटा बढ़ाता हूं। अब, आप अपना भाषण जारी रखिए।

***श्री. पी. लिंगमः** हमारी कृषि की सिंचाई आवश्यकता के लिए नदियां महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हमारे खाद्य उत्पादन में नदियों का योगदान है। इसलिए नदियां और उनका पानी हमारी फसलों की खेती, कृषि कार्यकलापों और समग्र खाद्य उत्पादन का आधार है। महाग्रंथ रामायण में गंगा नदी का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में हम पाते हैं कि भगवान राम को गुहा भोजन के रूप में मछली की पेशकश करती हैं यह दर्शाता है कि अति प्राचीन काल से ही गंगा नदी में स्वच्छ जल और स्वच्छ जल की मछलियां उपलब्ध थी। इससे यह बात सिद्ध होती है कि गंगा नदी प्रदूषण रहित बहा करती थी। परन्तु दुर्भाग्यवश, अब यह नदी अत्याधिक प्रदूषित हो चुकी है। यह उल्लेख किया गया है कि अब अत्याधिक प्रदूषण के कारण मछलियां पकड़ना बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वे लोग जिनकी आजीविका मछली पकड़ने पर ही निर्भर थी वे काफी प्रभावित हुए हैं। गंगा नदी अनेक राज्यों से होकर बहती है और अनेक नदियों जैसे युमना, कोसी और दामोदर के साथ इसका संगम होता है जिसके कारण कृषि हेतु सिंचाई के लिए यह अनुपयुक्त बनती जा रही है। इससे हमारी कृषि विशेषकर खाद्य उत्पादन अधिक प्रभावित हुआ है। सरकार को यह वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि प्रदूषण और कृषि उत्पादन आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि हमारे कृषि उत्पादन में प्रदूषण बाधा न बने। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। जिस समय हम खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने जा रहे हैं। यदि आप खाद्य उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और हमारी नदियों के संरक्षण को बढ़ाना सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सरकार को देश की सभी नदियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सोचना चाहिए। राष्ट्रीय नदी जल नीति के माध्यम से देश की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने का विचार जवाहर लाल नेहरू के समय भी आया था। परन्तु दुर्भाग्यवश इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब देश की 30 प्रमुख नदियों को जोड़ने की एक व्यावहारिक योजना है। यह अनुमान लगाया गया है कि इससे देशभर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यह भी बताया गया है कि इस परियोजना के माध्यम से हम प्रदूषण की समस्या का समाधान कर सकते हैं।

सायं 06.00 बजे

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

नदियों का उद्‌गम पर्वतों से होता है जब नदियां मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं ये भूमि को उपजाऊ और खेती के उपयुक्त बनाती हैं। तमिलनाडु में पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उदगम पश्चिमी घाट से होता है। तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्र फसलों की खेती और खाद्यान्नों के उत्पादन के उपयुक्त हैं क्योंकि प्राचीन काल से ही यहां बड़े पैमाने पर कृषि होती रही है। इस विश्व प्रसिद्ध कृषि मैदानी क्षेत्र को सिंचाई और जल आपूर्ति जारी रहनी चाहिए। देश के एक भाग में जल का प्रचुर मात्रा में बहाव संभव है। दूसरे क्षेत्र में जल की मांग होती है तो इससे वहां कृषि कार्यकलापों को जारी रखने में सहायता मिलेगी।

आज नदियों और नदी तट के किनारे पर होटलों के निर्माण अथवा बालू खनन के माध्यम से अनेक प्रकार का अतिक्रमण किया गया है। प्रदूषण करने वाले और अतिक्रमणकारी इन नदियों के बारे में भय और खौफ पैदा करते हैं।

तमिलनाडु में कावेरी, पोरूनई, वैंगई और प्राचीन नदी पालर है जो अब प्रदूषित नदियां हैं। इसलिए हमें दक्षिणी नदियों को जोड़ने और नदी व्यवस्था को जीवन देने के लिए गारलैंड नहर योजना आरम्भ करनी चाहिए। इसलिए मैं सरकार से सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण करने और सभी नदियों को स्वच्छ करने और उन्हें प्रदूषण से बचाने की मांग करता हूं।

हमें नदियों के राष्ट्रीयकरण के द्वारा उनका संरक्षण कर जल का संरक्षण करना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और हमारी कृषि नदियों पर निर्भर है। जब हमारी कृषि को प्रोत्साहन दिया जा सकता है तो हम कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। अब इस अवसर पर हम खाद्य सुरक्षा विधेयक पर विचार कर रहे हैं, तो हमें नदियों और नदियों के जल को प्रदूषण से बचाने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। नदियों के राष्ट्रीयकरण के अलावा हमें बढ़े पैमाने पर नदियों की साफ-सफाई भी करनी चाहिए।

आज हम मुलै परियार मुद्दे को देखते हैं यह मुद्दा कुछ नहीं बल्कि उन लोगों द्वारा उत्पन्न किया गया है जो इस पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। अपने लाभ के लिए उन्होंने बांध के बारे में भय उत्पन्न कर रहे हैं। एक नदी जो देश के एक भाग में बहती हैं

*मूलतः तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

देश के दूसरे भागों ने कृषि कार्यकलापों में भी लाभदायक होनी चाहिए और इसके पश्चात ही राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार जल हमें एकता प्रदान कर सकता है। ऐसा सभी राष्ट्रीय नदियों जो हमारी राष्ट्रीय सम्पति हैं, के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए हमें नदियों के संदूषण अथवा प्रदूषण से उनका संरक्षण करना चाहिए और विवेकपूर्ण ढंग से उनके जल का उपयोग करना चाहिए और कृषि तथा खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए समान रूप से जल वितरण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री थोल तिरूमावलावन** (चिदम्बरम): मैं पीठ के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया गया। हमारे संत कवि तिरुवल्लूवर ने कहा था "नीर इंद्री अमीयायू वुलागू" 'हमारा विश्व बिना पानी के नहीं हो सकता'। पानी हम सभी के लिए अपरिहार्य है और बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते और पानी हमारे जीवन के लिए इतनी अनिवार्य आवश्यकता बन गया है उसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि पानी उन पांच तत्वों में से एक है जिनसे इस जीवन और विश्व का निर्माण हुआ है। संसार का तीन-चौथाई हिस्सा समुद्र से घिरा है और एक चौथाई भू-भाग जिस पर हम लोग रहते हैं। पानी तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, परन्तु हम समुद्र-जल को पी नहीं सकते हैं। इसलिए, प्रकृति ने हमें पानी उपहार के रूप में दिया है, जो हमारी नदियों में बहता है। प्रकृति, स्वयं पानी को खनिज अवशेषों और विभिन्न अन्य लवणों और रासायनिक यौगिकों से शुद्ध करती है। हमें नदियों से स्वच्छ जल प्राप्त होता था। इसीलिए पानी को जीवन का अमृत माना जाता है।

गंगा नदी हमारी पवित्र नदी है और अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती है। अब हम उन मानव-निर्मित उन समस्याओं को लेकर चिंतित हैं, जिन्होंने प्रकृति के साथ छेड़-छाड़ की है। चूंकि गंगा नदी को बड़े स्तर पर प्रदूषित किया गया है, इसलिए भारत सरकार ने गंगा नदी को साफ करने के लिए स्वयं एक बृद्ध योजना प्रारंभ की है, जिसकी परियोजना लागत लगभग 7,000 करोड़ रुपये है। विभिन्न स्थानों पर नदी की स्थिति में सुधार लाने हेतु कार्य योजना तैयार कर इसकी घोषणा की गई है। अब हम अपने सफाई के प्रयास प्रारंभ करने बाद, विश्व बैंक और अन्य स्रोतों से निधियों को जुटाने के बाद इस गंगा बनाओ कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। यह भी तय किया गया है कि केन्द्र से 5,100 करोड़ रुपये प्राप्त किए जाएं और उत्तराखण्ड, झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों से 1,500 करोड़ रुपये जमा किया जाए।

इस समय मैं इस देश की वास्तविक स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं कि यहां एक ही समय में कहीं बाढ़, तो कहीं सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। पेयजल की समस्या देश के अनेक भागों में व्याप्त है। पर्यावरणविद और भविष्यवेप्ताओं की भविष्यवाणी हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा।

ऐसे समय में, जब पानी अनिवार्य है और हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, हम देखते हैं कि लोग नदी तटों का अतिक्रमण कर या उससे रेत की खुदाई कर और नदी तटों को दोहन या बांधों का निर्माण कर और विद्यमान बांधों को नष्ट करके हमारे जल संसाधनों को अंधाधुंध प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसे कृत्यों द्वारा हम केवल अपनी भावी पीढ़ियों के हितों और भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पीढ़ी में हम अपनी नदियों को अंधाधुंध प्रदूषित कर अपनी भावी पीढ़ी के जीवन को संकट में डाल रहे हैं। इसलिए हमारी नदियों और जल का संरक्षण एवं सफाई अनिवार्य हो गया है।

तमिल में एक लोकिक्ति है "थाई पज़ीकालूम थन्नरई पजिक़ाथे" जिसका अर्थ है "यदि आप अपनी मां का अपमान करते हैं तब भी नदी के साथ ऐसा न करें।" इससे पता चलता है कि पानी को कितना महत्व दिया जाना चाहिए। यदि हम अपनी मां का सम्मान नहीं भी कर पाते हों तब भी हमें जल और जल स्रोतों का सम्मान करना चाहिए। जब हमसे यह आशा की जाती है कि हम पानी का अनादर न करें हम नदियों में मलजल बहाने के अतिरिक्त कई अन्य तरीके से जल को प्रदूषित कर रहे हैं। नदियों के निकट खनन कार्यकलापों से भारी प्रदूषण होता है। हम अपनी नदियों के बहाव और पानी को स्वयं साफ करने की इसकी क्षमता को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ज्यादातर गैरकानूनी तरीके से नदी में रेत निकालकर प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जो प्राकृतिक ढंग से पानी को साफ करने के लिए मानवजाति को प्रदत्त एक उपहार है। रेत का निर्माण करने में प्रकृति को लाखों वर्ष लग जाता है, परन्तु बुद्धिहीन व्यक्ति इसका धनलोलुपता और लालच के कारण इसका दोहन करते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रदूषण और भी बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम इसे प्रदूषित कर देते हैं तो इसे साफ करने का कोई तरीका बचता नहीं है। हाल ही में, मैं गंगा नदी पर गया था। महान गंगा जिसे पवित्र और बाहरमासी नदी माना जाता है, जिसका गुणगान हमारे धर्मग्रन्थ में प्रशंसा किया गया है। अब गंदगी से भरी हुई है और इसका पानी हमारे हाथ तक धोने के लायक भी नहीं है। मैं वहां पानी की गंदगी और अशुद्धि को देखकर बहुत ही व्यथित और निराश हो गया।

इस अवसर पर मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना प्रारंभ किया जाए और गंगा नदी को कावेरी नदी के साथ जोड़ने के लिए कदम उठायें, ताकि ऐसी स्थिति का निर्माण किया जा सके जिसमें भारत में कहीं भी पानी

---

*मूलतः तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

की कमी न हो। गंगा नदी भारत में मात्र पांच राज्यों की नदी नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की है और यह भारत के सभी एक सौ दस करोड़ लोगों की पवित्र परिसंपत्ति है। इसलिए हमें, गंगा को दक्षिण में ले जाने के भरसक प्रयास करने चाहिए ताकि इसे कावेरी नदी से जोड़ा जा सके और सूखे की स्थिति को समाप्त किया जा सके। इसके लिए सभी नदियों को राष्ट्रीयकृत किया जाना चाहिए। किसी भी नदी को उस राज्य की संपत्ति नहीं माना जाना चाहिए, जिसमें यह बहती हो। उदाहरण के लिए मुल्लापेरियार तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों के लोगों का है। इसे केवल एक राज्य का नहीं माना जाना चाहिए। कावेरी की उत्पत्ति कर्नाटक में होने के कारण इसे उनकी संपत्ति माना जाता है, जिस पर अपने अधिकार का दावा करते हैं। इस स्थिति का परिणाम यह हुआ है कि तमिलनाडु को पानी के लिए कर्नाटक की ओर देखते रहना पड़ता है। चाहे यह मुल्लापेरियार या कावेरी या भवानी या पलार कुछ भी हो यह देश के सभी लोगों की है। ऐसी भावना नहीं होने के कारण तमिलनाडु को पानी के लिए पड़ोसी राज्यों से भीख मांगनी पड़ती है। मैं अपनी मांग को दोहराना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार सभी नदियों को राष्ट्रीयकृत करने के लिए तत्काल कदम उठाए ताकि इन्हें प्रदूषण से बचाया जा सके और पानी के समान वितरण हेतु इसका संरक्षण किया जा सके। हमारे देश की भूमि को अधिक उर्वर भूमि बनाने के लिए हमें गंगा और कावेरी को जोड़ना चाहिए। हमारे अनेक गांवों या लगभग सभी गांवों में पेयजल की समस्या है। जब भी अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं हमें पेयजल की कमी और अपर्याप्त जलापूर्ति के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस समस्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए हमें इस समस्या को समाप्त करने के लिए कदम उठाते हुए पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, सिंचाई हेतु पानी प्रदान किया जाना चाहिए, मछलियों के विकास हेतु शुद्ध पर्यावरण निर्मित करना चाहिए और इसके द्वारा समग्र कृषि विकास बढ़ाना चाहिए। अतः यह समय की मांग है कि पानी को बचाया और संरक्षित किया जाए। इसलिए भारत को एक समृद्ध देश बनाने के लिए गंगा-कावेरी लिंक परियोजना प्रारंभ करना आवश्यक हो गया है।

विकसित देश पर्यावरणीय प्रदूषण, जिसके कारण भूमण्डलीय तापन हो रहा है, से चिंतित है। इसलिए, विश्व के लोगों में जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गंगा नदी को कावेरी नदी से जोड़ने और नदियों को प्रदूषित होने से बचाने तथा भारत की समृद्धि के लिए नदियों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता पर पुनः जोर देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं।

[हिन्दी]

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): माननीय सभापति जी, मैं गंगा नदी व हिमालय को बचाने के नियम-193 के अधीन हो रही चर्चा के संबंध में निम्नांकित सुझाव ले करना चाहता हूं:

1. गंगा मात्र नदी नहीं है, गंगा भारत जीवन प्रवाह है। इसे बचाना भारत की सभ्यता एवं संस्कृति को बचाना है। गंगा नदी को बचाने के लिए टोटलिटी में प्रयास होने चाहिए।

2. नागरिकों को भी निरंतर जागरूक करने की जरूरत है। सरकार के प्रयासों में भी निरंतरता आवश्यक है। मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी सुदृढ़ की जानी आवश्यक है ताकि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का समय पर उपयोग संभव हो सके।

3. विकास का पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। किसी निजी स्वार्थ के लिए जो राशि हड़पते हैं सख्त सजा का प्रावधान 6 माह में किया जाना आवश्यक है।

***श्री ए.टी. नाना पाटील** (जलगांव): महोदय, मैं बहुत अभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण गंगा नदी के प्रदूषण और प्रवाह रोकने के विषय पर विचार रखने का अवसर दिया।

हमारे देश की पवित्रता गंगा नदी और यमुना नदी है। मगर आज गंगा नदी का प्रवाह रोक देने के वजह से हमारी गंगा नदी दिनोंदिन सूखती जा रही है और आज जो पानी हमारी गंगा नदी में बचा है वह शहर का गंदगी वाला पानी और औद्योगिक रसायन से प्रदूषित पानी अभी हमारी नदी में आ रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे देश की स्वर्ग से आई हुई हमारी पवित्रता के रूप में आई हुई हमारी गंगा नदी की आज सारे स्थानों पर इसकी दुर्दशा हो रही है। इसको रोकना चाहिए। इसी के कारण किसानों को पानी नहीं मिल रहा। नदी में पानी न होने के कारण नदी में मछली नहीं मिल पा रही है। उसी के कारण हमारे सारे मछुआरों को समस्याएं हो रहीं हैं। यह अगर सभी समस्याओं को दूर करना है तो गंगा नदी पर लगाए जा रहे बांधों की रोक लगाई जाए और अभी फिलहाल जो पानी हमारी गंगा मैया में है, वहां पानी प्रदूषण रोककर उसे ट्रिटमेंट प्लांट लगाकर उसे शुद्ध करके सबके उपयोग में लाया जाए।

मैं सरकार को विनती करता हूं कि हमारे देश की पवित्रता गंगा और यमुना नदी और देश के अंदर बहने वाली सारी नदियों के बांधों

*भाषण सभा पटल पर रख दिया गया।

को रोककर और उसकी शुद्धता को ध्यान में रखकर सबकी खुशहाली की ओर ध्यान देकर हमारी संस्कृति कायम रखें। इसी विनती के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

***श्री रमाशंकर राजभर** (सलेमपुर): गंगा को समाप्त व दोहन के एक परिणाम को बताता हूं। गंगा के मैदान में आर्सेनिक के असर के बारे में एसईएस के डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर दीपांकर चक्रवती के शोध के अनुसार गंगा के अंतिम छोर बंगाल की खाड़ी, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के बाद पूर्वी उ.प्र. में आर्सेनिक पाया गया है। जबकि बेतहासा दोहन व कुओं के समाप्त होने के कारण जमीन के भीतर जल में आर्सेनिक (संखिया) बहुत बढ़ गई हैं। बोरवेल व हैंडपंप जहरीला पानी उगल रहें हैं। शीर्ष वैज्ञानिक शुमार चक्रवर्ती ने हमारे संसदीय क्षेत्र बलिया में आर्सेनिक होने की पुष्ट की थी। उ.प्र. में बलिया सहित बरेली, खीरी, बहराइच, गोरखपुर, बक्सर भोजपुर, गाजीपुर, चन्दौली, वाराणसी, इलाहाबाद, उन्नाव, कानपुर, जनपद पूर्ण प्रभावित है। पानी पीने से त्वचा फेफड़ों, मुत्राशय, गुर्दे, कैंसर आदि बीमारी से लोग मर रहे हैं। हमारे क्षेत्र बलिया जनपद में ही 3.5 लाख लोग बीमार हैं और असमय ही काल के गाल जा रहे हैं। खीरी में 165 गांव बहराइच में 438 गांव, बरेली में 14, गोरखपुर में 45, गाजीपुर में 24, चन्दौली में 19 गांव सर्वाधिक प्रभावित हैं।' और हमारे बलिया के वैरिया ब्लॉक में 70 से ज्यादा मर चुके हैं। वैज्ञानिकों ने वलिया में 500 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक आर्सेनिक पाया है। बलिया के ग्राम बाबूरानी में 225, हासनगर पुरानी बस्ती 400, उदवंत छपरा 360, चोबे छपरा 220, चैन छपरा 500, राजपुर एकौना 500, हरिहरपुर 200, बहुआरा 130, भोजापुर 130, सुल्तानपुर 140, चांदपुर 140 तक आर्सेनिक पाया गया। उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनपद बलियां में 100 करोड़ की लागत से 66 पानी की टंकी बनाकर निपटने का प्रयास किया है। वैज्ञानिकों ने तलाबों में पानी इकट्ठा करने, कुआं खोदने की राय दी है।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें प्रभावी पहल करे और आम जनता को इससे मुक्ति दिलाने हेतु भारत सरकार इन जनपद के लोगों को बचाने के लिए विशेष पैकेज दे। इसलिए आज की चर्चा में मैं पर्यावरण मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि हिमालय अगर समाप्त हुआ तो देश समाप्त हो जाएगा और कोई नहीं बचेगा। विश्व में 97.25% जल खारा है। केवल 2.27% जल मीठा जल है। गंगा नदी आधे भारत को मीठा जल, खेती हेतु जल, धार्मिक अनुष्ठान, पर्यटन, मछली पालन आदि से सुशोभित करती है। मां गंगा को समाप्त कर जीवन की कल्पना बेमानी है। गंगा के उद्गम स्थान में बिजली बनाने के चक्कर में जो अवरोध, बांध बनाकर कर रहे हैं उससे गंगा में पानी नहीं होगा। जब गंगा सूख जाएगी तो सफाई किसकी करेंगे, इसलिए पर्यावरण मंत्रालय किसी भी कीमत पर गंगा से छेड़छाड़ करने वाले सभी कारकों को कड़ी सजा दे।

*भाषण सभा पटल पर रख दिया गया।

***श्री संजय धोत्रे** (अकोला): श्री रेवती रमण सिंह जी ने गंगा नदी और हिमालय के अस्तित्व को हो रहे खतरे का महत्वपूर्ण विषय उठाया। मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। नदियां हमारा जीवन हैं। हमारा अस्तित्व है। गांव शहर का गंदा पानी, कारखानों का गंदा पानी इसकी वजह से छोटे नाले, छोटी नदियां, फिर बड़ी नदियां और समुद्र पूरी तरह प्रदूषित और जहरीली हो गई। हमें इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। इसके करण भूजल भी दूषित हो रहा है। कई तरह की भयंकर बीमारियां हो रहीं हैं। यह खतरा पूरे मानव, पक्षी, पशु, जलाजीव सबके लिए है। हमें इसके मूल जड़ तक जाना होगा। कई कानून हैं लेकिन सख्ती से अमल नहीं होते। गंदा जहां पैदा होता है वहीं उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसके लिए सख्त कानून बने और उसका अमल हो।

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): सभापति महोदय, आज की चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

हमें अपनी मां यानि गंगा मैया के शोषण के ऊपर चिन्ता व्यक्त करने का यह अमूल्य मौका मिला है। पुराण या इतिहास में जो गंगा जी के महत्व के बारे में लिखा गया है, उसको दोहराने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती। गंगोत्री से, भागीरथी से लेकर उत्तर प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित होने के पहले 2525 किलोमीटर गंगा जी का सफर होता है। गंगा जी के शोषण में आज की चर्चा के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अहम भूमिका बिजली उत्पादन की जरूरत को माना जा रहा है। हमारे विशेषज्ञों का कहना है कि गंगा बेसिन में हाइड्रो पावर का पोटेंशियल 60 प्रतिशत लोड के ऊपर करीबन 10,715 मैगावाट है। लेकिन कहा यह जाता है कि अभी तक उसका इस्तेमाल सिर्फ 12 प्रतिशत ही किया गया है। मैं मानती हूं कि बिजली की आवश्यकता अहम है, पर क्या यह गंगा मैया को मारने के बाद पूरी होगी?

आप टिहरी डैम का उदाहरण देख लीजिए। इस डैम से एक नगर तो डूब ही गया, उसके अलावा 2200 करोड़ रुपये का खर्चा बताकर 26 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की बात की गई थी, पर खर्चा 66 हजार करोड़ रुपये हुआ और आज बिजली जो पैदा हो रही है, वह एक समय पर एक हजार मैगावाट से ज्यादा पैदा नहीं हुई है। उसके अलावा भागीरथी पर जो बांध का काम हुआ,

*भाषण सभा पटल पर रख दिया गया।

वह मुश्किल से रुका, तो पता चला मंदाकिनी और अलखनंदा पर डैम बनाने की बात की जा रही है। आज हमारा जो पड़ोसी प्रदेश उत्तराखंड है, वह पता नहीं 100, 150, 300, 500, कितने ही बांधों का निर्माण गंगा की सहायक नदियों पर बनाने का प्रस्ताव रख रहा है। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि हमारा पर्यावरण तो मुश्किल में आएगा ही, पर्यावरण का नुकसान तो होगा ही, लेकिन उत्तराखंड में तो पानी के बहाव की तेजी में कोई अंतर नहीं आएगा, परंतु हमारे मध्य उत्तर प्रदेश व पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार और बंगाल तक गंगा जी के पहुचते-पहुंचते इसके बहाव के प्रेशर में बहुत कमी आ जाएगी।

आज हमारे यहां उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक नहर परियोजना और सरयू नहर परियोजना दोनों गंगा पर निर्भर हैं। आज इन दोनों नहर परियोजनाओं की सफाई व रख-रखाव न होने के कारण पहले से ही बहुत मुश्किल है और पानी की कमी है। अब ये सारे बांध बन जाने के बाद क्या हालत होगी, भगवान ही मालिक है। आज गंगा जी की उपलब्धता यहां के नागरिकों, खासकर किसानों के लिए कम होती जा रही हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण गंगा तट पर औद्योगीकरण और शहरीकरण होना है।

ताज एक्सप्रेस कोरीडोर की बात अगर ले लीजिए, तो वहां पर भी बगल में 14 किलोमीटर छोड़कर उनको शहरीकरण करना चाहिए, लेकिन इसे भी नजरंदाज किया जा रहा है, तो भगवान ही मालिक है कि हमारे उत्तर प्रदेश की हालत क्या होगी?

इल्लीगंल माइनिंग जो डरावना भविष्य पैदा कर रही है, उसके बारे में चर्चा करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं लगती है। यहां जितने भी माननीय सदस्य हैं, वे सब इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। यहां मैं गंगा तट पर बसे उत्तर प्रदेश के बनारस व इलाहाबाद के प्रदूषण के बारे में भी सदन का सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हमें दी है।

मेरा लोक सभा क्षेत्र उन्नाव गंगा के इस पार है और दूसरी तरफ कानपुर बसा हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा होकर बताना चाहती हूं कि उन्नाव और कानपुर के उद्योग, खासकर चमड़ा उद्योग पूर्ण रूप से गंगा को प्रदूषित कर रहा है और इसमें पूरा योगदान दे रहा है। इसकी लड़ाई मैंने अपने जीवन काल में अहम लड़ाई मान रखी है और आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी।

यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट रिपोर्ट, 2007 में बताया है कि गंगा मां का शोषण का सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहा तो वर्ष 2030 तक गंगा जी शायद लुप्त हो जाएं और पानी का बहाव सिर्फ बरसाती रह जाए। यद्यपि मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं मानती हूं, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते यह विश्वास रखती हूं कि गंगा न कभी लुप्त होगी और न हम सब यहां बैठकर उसको लुप्त होने देंगे।

इन हालातों को समझते हुए, उत्तराखंड की डैम परियोजनाओं के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए एवं गंगा जी पर काम को रोकने और समझने के लिए फारेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने सलाह दी है, जो इन्वायर्नमेंट मिनिस्ट्री के अधीन आती है। जब तक इसकी पूरी जानकारी व इन डैमों के, इन बांधों के असर के बारे में अध्ययन न हो जाए, तब तक कोई भी डैम बनने पर रोक लगा देनी चाहिए। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन भी हुआ, जो कि पर्यावरण मंत्रालय के अधीन तो है, परंतु इसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं।

मैं आशा करती हूं और विश्वास रखती हूं कि हमारी सरकार इस पर सोच-विचार कर ही कदम बढ़ाएगी। हमारी इसी केंद्रीय सरकार ने यूपीए टू ने इसकी अहमियत को समझा और लोहारी, नागपाला जैसी बड़ी परियोजना में, जिसमें पांच सौ करोड़ रुपए पहले ही खर्च थे, उसके बावजूद ईको सिस्टम को बचाने के लिए, उन्होंने इसकी पहल की और इसे रोका। इसके अलावा गौमुख से मात्र नौ किलोमीटर दूरी भैरव घाटी पर जो बांध बनाया जा रहा था, उसे भी रोका गया।

अगर किसी भी प्रदेश में, हमारे देश में प्रगती होती है, तो हमें भी खुशी होती है, परंतु गंगा बेसिन का शोषण करके उत्तराखंड की सरकार जो कर रही है, वह विचारणीय है, क्योंकि इसे उत्तराखंड को बिजली तो पर्याप्त मात्रा में जरूर मिल जाएगी, बल्कि उससे ज्यादा मिलेगी और वह उसे दूसरे प्रदेशों में बेचकर मुनाफा भी कमायेंगे, पर हमारे उत्तर प्रदेश में पानी की कमी का शिकार हमें होना पड़ेगा, उत्तराखंड पर निर्भर होना पड़ेगा। कब वह पानी दे, कब न दे, जिस तरह की लड़ाइयां दूसरी जगह हो रही हैं, वह हमारे यहां भी होने लगेगीं।

मेरे लोक सभा क्षेत्र उन्नाव के किसान भाई शारदा सहायक नहर परियोजना के पानी पर निर्भर हैं। गंगा में पर्याप्त पानी न होने की वजह से और रायबरेली व उन्नाव दोनों के इस नहर के टेल-एंड पर होने की वजह से जरूरत भर का पानी उसको नहीं मिल पाता है। शारदा सहायक नहर परियोजना की तीन ब्रांच उन्नाव हैं।

उन्नाव, पुरवा एवं आसीवन जिसमें आज 19 दिसंबर 2011 को भी आसीवन ब्रांच द्वारा बिल्कुल भी पानी नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा इन नहरों की डिसिलट्रींग एवं रख-रखाव ठीक से नहीं करने की वजह से हमारे खेत पानी से वंचित हैं। किसानों में यह

भय फैल गया है कि क्या रबी की फसल भी बर्बाद हो जाएगी? सभापति महोदय, आज इस बहस के माध्यम से आप के द्वारा मैं एक अर्जेंट अपील करना चाहती हूं पहला, हमारी गंगा मां को बचाने के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। यह राष्ट्र नदी घोषित की गई है इसके हिसाब से उसको पूरा सम्मान मिलनी चाहिए। गंगा मइया के किसी भी परियोजना में चोरी करने वाले को मां की हत्या के बराबर का दंड दिया जाना चाहिए। दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक नहर परियोजना और सरयू नहर परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट कर केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप से हमारे किसान भाइयों की आवाज सुनें।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): धन्यवाद सभापति महोदय, आज माननीय सदस्यागण ने अपने-अपने विचार इस सदन में रखें कि गंगा को कैसे बचाएं? गंगा हमारी मां है और सदियों से इतिहास गवाह है कि गंगा का जो जल है वह अमृत के समान है। अगर देखा जाए जो वह धीरे-धीरे उस पर डैम बना कर या उसके अगल-बगल जो शहर बसे हुए हैं। उनका कचरा उसमें जा रहा है और नदी प्रदूषित हो रहीं हैं। सरकार की योजनाएं बनती हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतर रहीं है। गंगा की सफाई के लिए विदेश से पैसा, मिले या भारत सरकार ने उस पर पैसा खर्च किया हों, उसकी उपयोग में ला कर गंगा की सफाई करें ताकि भविष्य में गंगा प्रदूषित न हो। झारखंड में दामोदर नदी है। जिसकी गिनती विश्व के जहरीली नदी में हो गई है। उसकी भी सफाई की योजनाएं बनी लेकिन धरातल पर नहीं उतरी है। इसी लोक सभा में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आने वाले समय में नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम हम लोग नहीं करेंगे तो पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होगा और सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी। आने वाले समय में दूसरा विश्व युद्ध जल के लिए होगा। अब सरकार को चिंतन करना है। यह दोषारोपण का विषय नहीं है कि उत्तराखंड में कितना डैम बन रहा है और कितना प्रतिशत बिजली का उत्पादन हो रहा है, या होगा? विषय यह है कि हम इसको कैसे सुधार करें और भविष्य में जो हमारी नदियां हैं उन्हें हम कैसे सुरक्षित रखें। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री राजेन्द्र अग्रवाल** (मेरठ): गंगा केवल नदी नहीं है गंगा इस देश की जीवन धारा है, इस देश की पहचान है। गंगा के पवित्र किनारों पर हमारी संस्कृति, सभ्यता का निमार्ण हुआ। गंगा हमें युगों-युगों से शुचिता, निरंतरता, गतिशीलता का संदेश देती रही है। गंगा के अमृतजल से हम जीवन भर पुष्ट होते हैं तथा अंत में गंगा ही हमें शरण देती है। इसलिए गंगा मां है। आज बड़ा सुखद संयोग है कि आज ही इस सदन में गीता की भी चर्चा हुई है, दोनों ही हमारे पूज्य हैं।

गंगा को सुरक्षित रखने के लिए माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव दिये हैं, अनेक कार्य-योजनाओं की चर्चा यहां हुई है जिनमें अब तक हजारों करोड़ खर्च किये जा चुके हैं परंतु महोदय जैसा कि सदन में चिन्ता व्यक्त की गई गंगा का स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा है। प्राण दायिनी गंगा क्रमशः प्राण विहीन होती जा रही है। गंगा को अनेक प्रकार से प्रदूषित किया जाता है। उद्योग अपने विषैले अपशिष्ट को गंगा में डाल देते हैं, कई स्थानों पर जमीन में बोरिंग करके इस प्रदूषित जल को सीधे भूजल में डाल दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे उद्योगों के निकट से बहने वाली गंगा भी विषैली हो रही है। महोदय, ऐसे लोग मानवता के प्रति अपराधी हैं, इसे रोकने के लिए कड़े दंडविधानों का किया जाना जरूरी है।

गंगा के किनारे बसे सैकड़ों नगरों-महानगरों का अपशिष्ट प्रदूषित जल सीधे गंगा में डाल देते हैं। कानपुर-वाराणसी पटना-कोलकाता जैसे महानगरों में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ऐसे नाले देखे जा सकते हैं जिनसे इन शहरों का करोड़ों गैलन युक्त प्रदूषित जल गंगा में डाल दिया जाता है। महोदय स्थानीय निकायों के पास संभवतः इतने संसाधन नहीं हैं कि वे अपने स्तर पर इस संपूर्ण प्रदूषित जल को प्रदूषण मुक्त कर सकें तथा संभवतः यह उनकी प्राथमिकता भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस प्रदूषित जल को शोधन करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वयं वहन करे। इस जिम्मेदारी को स्थानी निकायों प्रदेश सरकारों पर पर न छोड़ा जाये। केन्द्र सरकार तदनुसार बड़े-बड़े अपेक्षित शोधन यंत्र लगाए तथा केवल शुद्ध किये जल को गंगा में जाने दे।

महोदय, प्रधानमंत्री जी ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। उसके अनुरूप गंगा को बचाया जाना आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि इस दृष्टि से सभी उपाय किये जायें।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री प्रशांत कुमार मजूमदार। आप कृपया अपना भाषण दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री प्रशांत कुमार मजूमदार (बालूरघाट): महोदय, मुझे अधिक समय दिया जाए।

सभापति महोदयः समय पहले से ही आवंटित कर दिया गया है और हमें उस अनुसार ही अपने आपको समायोजित करना है ताकि हम सभी माननीय सदस्यों को अवसर दे सकें और सबको बोलने का मौका मिल सके।

---

*भाषण सभा पटल पर रख दिया गया।

श्री प्रशांत कुमार मजूमदारः महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे कुछ और समय दिया जाए।

महोदय, गंगा नदी के तीन आयाम हैं नामतः धार्मिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। गंगा नदी हमारी माता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में गंगा नदी का दूसरा नाम "पवित्रता" है। गंगा को देवी-गहनों और सफेद साड़ी को धारण किए हुए एक सुन्दर स्त्री, जिनके हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में जल पात्र हो और जो मगरमच्छ की सवारी करती हो, माना जाता है। आज हम गंगा के खतरे की चर्चा कर रहे हैं जिस गंगा का हिंदु संस्कृति और धर्म में पवित्र स्थान है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है जिसमें कई समुदाय और धर्म है किंतु यह नदी का यहां के लोगों विशेष कर हिंदुओं में बड़ा महत्व है। गंगा हमारी मां के रूप में पूजी जाती है और इसका संदर्भ कई भारतीय ग्रंथों यथा वेदों, रामायण, महाभारत और पुराणों में आता है। गंगा का दूसरा नाम भागीरथी जो ऋषि भगीरथ के नाम पर है जिन्होंने इस धरती पर लाया।

गंगाजल या गंगा का जल बहुत ही पवित्र होता है और हिंदु कभी इसका अनादर नहीं करते हैं। यह जल पिछले सभी पापों को धो डालता है। गंगा नदी में स्नान करने से निश्चित ही मुक्ति मिल जाती है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर गंगाजल छिड़का जाता है, उसकी अस्थियां इस नदी में बहायी जाती है, गंगा नदी के तट पर उनका दाह संस्कार किया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि यदि किसी का दाह संस्कार गंगा नदी के तट पर किया जाता है तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। इसलिए गंगा माता की महिमा का कोई अंत नहीं है। वह हिंदु सभ्यता और समाज का एक अभिन्न अंग है। गंगा माता को हिंदु आस्था की माता के समान माना जा सकता है। वह केवल नदी या जल निकाय नहीं है जो भूमि पर बहती है। वह एक देवी के रूप में मानी जाती है। हिंदु इसे एक सुन्दर स्त्री के रूप में मानता है जो सफेद साड़ी और गहनों में सजी-धजी होती हैं और जिनके एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में जल का पात्र रहता है। गंगा माता हिन्दू धर्म का प्रतीक है।

यह गंगा नदी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू था। आर्थिक पहलू के संबंध में, यह स्पष्ट रूप में माना जाता है कि नदी जल के कारण गंगा का क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, जो कृषि कार्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। फसल उगाए जाते हैं और किसान कृषि कार्यों के लिए इस जल पर आश्रित होते हैं। चूंकि यह भूमि सदा नम रहती है इसलिए पर्यावरण भी शांतिदायी और सुहावना रहता है। किुंत यदि नदी सिकुड़ जाए, यदि जल की मात्रा कम हो जाए तो यह कृषि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि नदी को बिना रूकावट बहने दिया जाए। जब विभिन्न स्थानों पर बांधों का निर्माण किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रवाह में कमी आती है। गंगा हिमालय से निकलने के पश्चात कई राज्यों से होकर गुजरती है किंतु यहां-वहां स्थित बांध जल प्रवाह को रोकता है। मेरे पश्चिम बंगाल राज्य में भी फरक्का बांध नदी जल प्रवाह को रोकता है और कलकत्ता बंदरगाह की स्थिति खराब है। इसलिए केन्द्र सरकार को इस संबंध में कदम उठाना चाहिए। इस बेसिन का मछुआरा समुदाय पूर्णतया गंगा नदी पर निर्भर है। आप अवगत होंगे कि हिलसा मछली इस नदी में पायी जाती है। इसलिए इस नदी को मछुआरे समुदाय के हित के लिए भी बचाय जाना चाहिए।

गंगा नदी का प्रदूषण पारिस्थितिकी और पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और बदले में यह लोगों की जीविका प्रभावित कर रहा है। बंगाल में, हम प्रतिवर्ष दूर्गा पूजा मानती हैं और पर्व समाप्त होने के पश्चात, मूर्तियों का विसर्जन गंगा नदी में किया जाता है जिससे कि जल अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है। इसलिए, इस प्रथा को तत्काल रोका जाना चाहिए और जल की गुणवत्ता को और आगे प्रदूषित होने से रोकने के लिए तत्काल कोई वैकल्पिक उपाय करना चाहिए और नदी जल को एक नियमित अंतराल पर साफ किया जाना चाहिए।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वे इन सभी पहलूओं को देखे और भारतीय उपमहाद्वीप के पारिस्थितिकी संतुलन की सुरक्षा के लिए पवित्र नदी और सम्रग हिमालय क्षेत्र को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाएं जाएं। अन्यथा प्रकृति तबाही कर सकती है और हमारे पास बचने के लिए कुछ नहीं होगा। इस उद्देश्य के लिए निर्धारित निधि का इस्तेमाल समुचित ढंग से किया जाना चाहिए और इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री गोरखनाथ पाण्डेयः** (भदोही) श्री कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री शरद यादव जी द्वारा रखे गए गंगा नदी और हिमालय के निर्मम दोहन के कारण उनके अस्तित्व को हो रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति के बारे में हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं। महोदय, गंगा हमारे देश की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। अफसोस है कि गंगा की अविरल धारा प्रवाह को

---

*भाषण सभा पटल पर रख दिया गया।

रोका जा रहा है। गंगा का पवित्र जल प्रदूषित हो गया है। प्रदूषण से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। गंगा नदी ही नहीं, देश की पहचान से जुड़ी है। यह भारत की अस्मिता से जुड़ी है। इनको प्रदूषित जल फैक्ट्रियों का गंदा पानी छोड़ा जाता है जो जल को प्रदूषित कर रहा है।

महोदय, पुराणों में रामायण में गंगा नदी की पवित्रता के संबंध में कहा गया है-

"गंगे तथ दर्शनात् मुक्तिः"

रामायण में कहा गया है-

"दर्शन किए अनेक फल, ने भज्जनते अथ जाहिं।"

किंतु आज इस पवित्र पतित पावनी नदी पर अनेक बांध बनाए जा रहे हैं, उन्हें रोकना होगा।

गंगा प्रदूषण को रोकने हेतु नगरों के गंदे प्रदूषित, केमिकल युक्त पानी को गंगा नदी में मिलाने से रोकना होगा। अविरल प्रवाह को बनाए रखना होगा। देश की भावना से जुड़ी हुई हमारे देश को पेयजल, हरियाली, जलस्तर एवं उपजाऊ जमीन प्रदान करती है। उन्हें संरक्षित, संरक्षित रखना चाहिए।

जहां गंगा नदी को प्रदूषण, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है वहीं पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय बाढ़ कटाव से भी बचना होगा। हमारा भदोही जनपद लोक सभा क्षेत्र इलाहाबाद से लेकर वाराणसी तक कई दर्जन गांव बाढ़, कटाव से प्रभावित हो रहे हैं। वहां तट बंध बनाने की आवश्यकता है। अंत में, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हिमालय के ग्लेशियर को सुरक्षित रखने हेतु प्रयास करें। गंगा को प्रदूषण से बचाएं तथा देश की धरोहर के रूप में हमारी मां के रूप में जानी जाती है। इन्हें सुरक्षित रखने क कारगर उपाय करें।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, मैं श्री रेवती रमण सिंह द्वारा शुरू की गई चर्चा में भाग लेने के लिए यहां खड़ा हूं। निरपवाद रूप इस सभा के विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं।

मुझे दस वर्ष पूर्व लोक लेखा समिति का सदस्य बनने का सौभाग्य मिला था जब सरदार बूटा सिंह लोक लेखा समिति सभापति थे। उस समय भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ...*(व्यवधान)*। उस रिपोर्ट के सभा पटल पर रखने के बाद लोक लेखा समिति ने विचार करने के लिए इसे लिया था। ऋषिकेश से पटना तक यात्रा करना एक मुश्किल कार्य था। मुझे गंगा और यमुना के दोनों किनारों पर बसे विभिन्न शहरों और कस्बों की यात्रा का अनूठा अनुभव है। हम लखनऊ भी गए क्योंकि यह भी गंगा कार्य योजना का एक भाग था।

यह योजना स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जब वे प्रधानमंत्री थे, के द्वारा शुरू की गई थी। मेरे विचार में गंगा को स्वच्छ रखने के लिए 1000 करोड़ रुपया था इससे ज्यादा की राशि उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद गंगा कार्य योजना दो भी अस्तित्व में आया। मैं नहीं जानता कि केन्द्र या उत्तराखंड से शुरू करके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और कुछ हद तक झारखण्ड तक संबंधित राज्यों की सत्ता में बैठे लोगों ने रिपोर्ट को पढ़ा है या नहीं। मैं रिपोर्ट में की गई सिफारिश के बारे में बताऊंगा। यह लोक लेखा समिति की संसदीय समिति रिर्पोट थी। इसने गंगा को स्वच्छ रखने के लिए संबंधित राज्यों के तंत्रों की असफलता का उल्लेख किया था।

हमें इस नदी को गंगा मां क्यों कहना चाहिए? विश्व में कोई अन्य देश नहीं है जो अपनी नदी को 'मां' कहता है। हम सभी जानते हैं कि चीन में एक लंबी नदी है। लेकिन वे उसे 'चीन का शोक' कहते हैं। लेकिन यहां सदियों से, हजारों वर्षो से जब से विश्व के इस भाग में सभ्यता का विकास हुआ, हम इस नदी को 'गंगा मां' कहते रहते हैं।

यह नदी 2510 किलो मीटर से अधिक लंबी है। यह मध्य हिमालय के उत्तराखंड में हिमखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। गंगा का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है और देश की भूमि का 26 प्रतिशत इसका हिस्सा है तथा देश की 43 प्रतिशत आबादी इस पर आश्रित है। इससे पता चलता है कि गंगा का बेसिन कितना बड़ा है। यहां औसत जनसंख्या का घनत्व 523 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है जिसके कारण यह विश्व की सबसे सघन आबादी वाले नदी बेसिनों में से एक है। इस बेसिन के दायरे में 230 नगर और कस्बा आते हैं। यह इसका पूरा आंकड़ा है। यह सरकार के पास है। इस बेसिन के विकास में रूचि लेने वाले बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन मैं आपका पटना शहर का एक उदाहरण दूंगा।

केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में 856 है कि पटना अनुप्रवाह में कुल कोलीफार्म की गणना 1,60,000 है। प्रति 100 मिलीग्राम में निर्धारित मात्र 2500 एम पी एन की तुलना में प्रति 100 मिलीग्राम में सर्वाधिक संभावित संख्या (एम पी एन) लगभग 60 गुना अधिक है। फेकल्प कोलीफार्म प्रति 100 मिलीग्राम 2,500 एम पी एन जो 500 एम पी एन की निर्धारित सीमा से सौ गुना है।

यहां मैं प्रख्यात पर्यावरणविद श्री आर. के सिन्हा को उद्धृत करता हूं:-

"पीना तो छोड़ दीजिए, यह पानी नहाने के लिए भी हानिकारक है। यह उम्मीद करना कि नदी का पौराणिक चरित्र बरकरार बना रहे, एक मांग काल्पनिक विचार है।"

इस हद तक लाचारी है जिसे हमारे पर्यावरणविदों ने व्यक्त किया है। मैं यहां कहना चाहता हूं कि पवित्र नदी नहाने के लिए भी सुरक्षित नहीं है। निसंदेह श्री लालू प्रसाद ने अभी कहा कि छठ त्यौहार के दौरान भगवान सूर्य को अर्ध्य देना भी मुश्किल है। यही स्थिति है जिसका सामना हम सभी गंगा नदी की यात्रा करते समय कर रहे हैं। यह मेरा अनुभव था।

मैंने पटना शहर, जिसकी जनसंख्या लगभग 18 लाख है और जो प्रतिदिन 20 मिलियन लीटर से अधिक मल जल छोड़ रहा है, के संबंध में दूसरे अनुसंधान अध्ययन पर गौर किया। बिहार राज्य जन परिषद, जो एक नोडल एजेन्सी है, कि प्रतिदिन जल शोधन की क्षमता केवल 100 मिलियन लीटर है। शेष 100 मिलियन अशोधित गंदा पानी शहर के 30 नालों के द्वारा नदी में जाता है।

मुझे वाराणसी नगर देखने का अवसर मिला है। वाराणसी शहर में खुले नाले हैं और नदी में गिरते हैं। इसी के कारण नदी इतनी प्रदूषित है। केवल इलाहाबाद में जहां यमुना गंगा से मिलती, मैंने अंतर पाया। अन्यथा कानपुर से गंगा नदी के बेसिन के साथ नदी की तलहटी सीवर में बदल गया है। यही हमारी धारणा है और जिसे हमने व्यक्त किया ...*(व्यवधान)* मैं अपने दल का एक मात्र वक्ता हूं।

सभापति महोदयः सात बजे उत्तर भी दिया जाना है। आठ और वक्ता अभी बोलने के लिए हैं। इसलिए मैं आपसे संक्षेप में बोलने का अनुरोध कर रहा हूं, आप कृपया मुद्दे पर आइए। हम उत्तर के बाद सात बजे शून्य काल शुरू करेंगे।

श्री भर्तृहरि महताबः महोदय फैले हुए नदी बेसिन देश की एक चौथाई जल संसाधनों का स्रोत हैं और यहां 400 मिलियन लोग रहते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने गंगा बेसिन की सफाई के लिए भारत की सहायता के लिए एक बिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे। परियोजना राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन को संस्था के शुरूआती प्रचालन स्तर पर क्षमता निर्माण में मदद करेगी ताकि वे गंगा की दीर्घकालिक सफाई और संरक्षण कार्यक्रम को चला सकें।

अप्रैल में आर्थिक कार्यों संबंधी केन्द्रीय मंत्रिमन्डल की समिति ने गंगा की सफाई के लिए 7000 करोड़ रूपए की परियोजना स्वीकृत की है जिसमें केन्द्र का हिस्सा 5100 करोड़ रुपए होगा और उदाहरण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल का 1900 करोड़ रुपए होगा।

मैं दो मुद्दे उठाना चाहता हूं-पहला है टेम्स रिवर रिस्टोरेशन ट्रस्ट, जो हमारी सहायता के लिए आगे आया है तथा इसने गंगा और यमुना के दोनों किनारों पर नेचर एण्ड पीस इंस्टीट्यूट टैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 300 किमी. क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए बर्ल्डवाइड फण्ड से समझौता किया है। यूनाइटेड किंगडम की इनवायरमेंट एजेन्सी टेम्स रीजन इस प्रयास में दिशा निर्देश उपलब्ध कराएगा। मेरे विचार में मंत्री उत्तर देते समय इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे क्योंकि हम केवल नदी के अवक्रमण पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन क्या कदम उठाए गए हैं और निधि के उपयोग में क्या कठिनाइयां, बताए जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में हमारे देश में निधियों की कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात इनकी निगरानी और उपयोग है।

श्रीमती टन्डन ने कानपुर और इसके आस-पास के क्षेत्रों के चमड़ा उद्योगों के बारे में उल्लेख किया है। गंगा नदी घाटी में चमड़ा प्रसंस्करण के कार्य में लगी लगभग 50 प्रतिशत इकाइयां उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।

सभापति महोदयः वह पहले ही इसका उल्लेख कर चुकी हैं। इस मुद्दे पर कई माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं।

श्री भर्तृहरि महताबः उन्होंने उन्नाव के बारे में उल्लेख किया है लेकिन यह जजमाओं और बन्थार के बारे में भी है। इन दोनों क्षेत्रों पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मेरा विचार है कि माननीय पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में उनको जानकारी होगी कि यहां प्रौद्योगिकी बदलने की आवश्यकता है। इस संबंध में समिति ने भी सिफारिश की थी। उस प्रौद्योगिकी को दो वर्ष के अन्दर अपनाया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उन उद्योगों को वित्तीय संस्थाओं से निधि की एक निश्चित राशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)*

मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उन उद्योगों को वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें केवल - आप यह करो अथवा वह करो - का उपदेश देने से काम नहीं चलने वाला है। जब तक उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती और राज्य सरकारें भी इस पहलू पर ध्यान नहीं देती हैं - तब तक ऐसा नहीं होगा।

मैं अपनी बात पूरी करने से पहले कुछ और कहना चाहता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि नदी जल पर निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता है और मानव उपभोग हेतु इसे शुद्ध बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए भागीरथ प्रयास की आवश्यकता है - चूंकि एक समय गंगा नदी को स्वर्ग से लाने की आवश्यकता पड़ी थी - और आज भी इस नदी की सफाई के लिए, आपके भागीरथ प्रयास करने होंगे। धन का आबंटन ही सब कुछ नहीं है। नियमित निगरानी जरूरी है। केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारों को साथ मिलकर काम करना होगा और शहरी विकास मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों को भी साथ मिलकर कार्य करना होगा ताकि वे बड़ी भूमिका निभा सकें।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उस दिशा में समग्र प्रयास किए जाएं।

इसके साथ ही मैं सरकार और प्रधानमंत्री से यह बैठक कम से कम प्रत्येक तिमाही में आयोजित करने का भी आग्रह करता हूं ताकि कोई इस मामले पर आगे कार्य कर सके।

***श्री पी० टी० थॉमस** (इदुक्की): सर्वप्रथम मैं माननीय रेवती रमण सिंह जी द्वारा भारत का दिल कही जाने वाली गंगा नदी के बारे में उठाए गए मुद्दे का पुरजोर समर्थन कर रहा हूं।

हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, गंगा मात्र नदी ही नहीं है। बल्कि यह सदियों से हमारे देश के इतिहास में आई निरंत उन्नति और अवनति को बयां करती रही है।

ऐसी पौराणिक मान्यता है कि महान भगीरथ द्वारा गंगा नदी को जमीन पर लाया गया था। गंगा केवल नदी ही नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कृति और विरासत का अभिन्न अंग है।

मैं अपने देश के सुदूर दक्षिण का रहने वाला हूं, परंतु पवित्र गंगा नदी की सफाई और स्वच्छता की चिंता मुझे भी है। गंगा के किनारे रहने वाले लाखों लोगों द्वारा की जा रही लापरवाहीपूर्ण गतिविधियों के कारण आज गंगा नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। मैं उत्तराखंड सरकार से भी आजकल की जा रही सभी प्रकार की अमानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करने का आग्रह करता हूं। इस अवसर पर मैं माननीय सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि गंगा की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मैं केरल और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे का भी उल्लेख कर रहा हूं। वर्ष 1886 में पेरियार नदी पर मुल्लापेरियार बांध का निर्माण किया गया था और तब से अब तक, हम केरल के निवासी पूरा पानी तमिलनाडु को दे रहे हैं। लेकिन, बांध 116 वर्ष पहले बना बहुत पुराना हो चुका है। अब केरलवासी मुल्लापेरियार पर एक नऐ बांध के निर्माण की मांग कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु सरकार मामले पर विचार नहीं कर रही है। इस समय उनको केरल के लाखों लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरा भी चिंता नहीं है।

मैं मुल्लापेरियार बांध के मुद्दे पर सम्मानीय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अब यह केरल के अलावा तमिलनाडु के भी बड़े मुद्दों में से एक है। केरल के मुख्यमंत्री, माननीय ओमन चण्डी ने निस्संदेह स्पष्ट कर दिया "हम तमिलनाडु को पानी देने के लिए तैयार हैं, हम केवल अपने लोगों की सुरक्षा पर विचार कर रहे हैं।"

उन्होंने एक नारा भी दिया-"तमिलनाडु के लिए पानी, केरल के लिए सुरक्षा" जब हम गंगा नदी की महत्ता के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो हमें मुल्लापेरियार जैसी अन्य नदियों के बारे में भी अवश्य ही विचार करना चाहिए। यदि कुछ अनहोनी हो घटती है, तो 35 लाख से अधिक लोगों की जिन्दगी खतरे में पड़ जाएंगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस समस्या पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या के रूप में विचार किया जाए। हम जब भी गंगा नदी के विषय में चर्चा करे, तो मुल्लापेरियार बांध के मुद्दे पर भी विचार किया जाए। सभापति महोदय, राष्ट्रीय सहमति के लिए न केवल गंगा, बल्कि मुल्लापेरियार के मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए। हमारे देश की सभी नदियों के लिए सभी तरह की सुरक्षा आवश्यक है।

[हिन्दी]

***श्री कपिल मुनि करवारिया** (फूलपुर): गंगा नदी के विषय में उठाये गये विषय के साथ अपने को संबद्ध करता हूं।

गंगा नदी की पवित्रता के संबंध में पूरा सदन चिंतित है। आज की स्थिति यह है कि गंगा नदी में छोटे एवं बड़े शहरों की गंदगी को सीधे तौर पर गंगा नदी में डाला जा रहा है। मिलों, टेनरियों के गंदगी भरे पानी को सीधे गंगा नदी में डाला जा रहा है। शहरों व मिलों में पानी साफ करके गंगा नदी में डालने हेतु जो ट्रीटमेट प्लाटं (एस.टी.पी.) लगाए गये हैं वह क्षमता से बहुत (छोटे) हैं। उन सभी शहरों में क्षमता वृद्धि के साथ ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हेतु सरकार को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। गंगा नदी में बनाये गये सभी बांधों को समाप्त करके गंगा नदी के स्वच्छ जल के प्रवाह को प्रवाहित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

*भाषण सभा पटल पर रख दिया गया।

*भाषण सभा पटल पर रख दिया गया।

***श्री जगदम्बिका पाल** (डुमरियागंज): मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत में गंगा नदी जीवनदायनी एवं मोक्षदायनी मानी जाती है। आज भी गंगा नदी के कारण भारत की उर्वरा शक्ति किसानों के लिए है। गंगा नदी का जल देश के लिऐ जीवनधारा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गंगा जल के दोहन एवं प्रदूषण के कारण आने वाले समय में गंभीर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जायेगा। अभी तक हिमालय के कारण देश की प्रकृति एवं पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हिमालय में वनों का कटाव हो रहा है। यदि भविष्य में अवैध खनन एवं वनों का कटाव जारी रहा तो हम लोगों की तरफ जाने से कोइ रोक नहीं सकता है।

वर्तमान समय में गंगा हिमालय से निकलने के बाद हरिद्वार से ही प्रदूषित होना शुरू हो जाती है। हरिद्वार से कानपुर तक आते-आते गंगाजल आचमन करने लायक नहीं रह जाता है। जबकि गंगा का पानी एक तरफ किसानों के लिए उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तथा आज भी देश में गंगा के किनारे हरिद्वार से उत्तर प्रदेश, बिहार, एवं वेस्ट बंगाल के गंगासागर के किनारे दोनों तरफ की जमीन बहुत ही उपजाऊ है। इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन होने के कारण खेतो में रिकार्ड उत्पादन हो रहा है। भारत में गंगा नदी केवल सिंचाई के लिए ही प्रयोग में नहीं आती है बल्कि गंगा एक पवित्र नदी के रूप में भारत के जन जीवन में आस्था का केन्द्र बिंदु बन चुकी है। आज भारत के हर घरों में धार्मिक अनुष्ठान के लिए पूजा गंगा जल से ही होती है। लेकिन लगातार गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा कानपुर एवं उन्नाव के टेनरी (चमड़े के कारखानों) के कारण गंगा का जल प्रयोग करने लायक नहीं रह गया है। इस दिशा में पिछलें दिनों भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की योजना स्वीकृत की जिसमें गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने हेतु गंगा के किनारे बसे शहरों के प्रदूषण से गंगा नदी को मुक्त कराने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट एवं प्रदूषित सीवर एवं जल को गंगा नदी से अलग करने की भी कोशिश की गयी। लेकिन इसके बावजूद गंगा नदी में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने गंगा नदी को राष्ट्रीय घोषित किया। देश के आम जनमानस को काफी खुशी हुई लोगों के अंदर काफी उम्मीद की किरण बनी थी। इसके बावजूद बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आज गंगा नदी का जल पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। आज सदन में राजनीति से ऊपर उठ करके सभी को चिन्ता का संज्ञान लेकर के न केवल भारत सरकार को बल्कि राज्य सरकारों को परस्पर समन्वय स्थापित करके सामंजस्य स्थापित करके गंगा मां को बचाने का प्रयास होना चाहिए। यदि गंगा नदी को हम बचाने में कामयाब होंगे तभी भारत को अन्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम हो सकेंगे। तभी व्यवहारिक रूप से गंगा नदी जीवनदायनी होगी। लेकिन आज सारे प्रयासों के बावजूद गंगा नदी के अस्तित्व के समक्ष प्रश्न चिन्ह उपस्थित है वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे नामक परियोजना स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। उक्त परियोजना में गंगा के किनारे, सड़क का निर्माण होगा तथा उस सड़क किनारे बड़े-बड़े नगर बनाये जायेंगे। जहां एक तरफ हम गंगा के प्रदूषण को रोकने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना आने के बाद तो शायद गंगा नदी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा। जबकि पूरी दुनिया में केवल गंगा एक ही नदी है जिसे गंगा मां कहते हैं। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान की योजना को लागू किया जिससे गंगा को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके। उसमें भारत सरकार का लगभग एक हजार करोड़ रुपया खर्च भी हो चुका है फिर भी स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। दूसरी तरफ हिमालय पर्वत का भी जिस तरह से दोहन हो रहा है अवैध खनन एवं वनों के कटाव के कारण लगातार हिम स्खलन हो रहा है। इसलिए भारत एवं मानवता को बचाने के लिए गंगा नदी एवं हिमालय को खनन एवं प्रदूषण से मुक्त करने के लिए ठोस उपायों की जरूरत होगी।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): सभापति जी, आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय पर अपनी राय प्रकट करने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। दुनिया में जितने भी बोडो मूल के लोग हैं, सभी गंगा नदी को मां के रूप में मानते हैं। गंगा नदी का नाम हमारी बोडो भाषा का 'गंगानाथ' यानि 'गंगा' शब्द से उत्पन्न हुआ है।

गंगा का मतलब जिस चीज को पीने से प्यास निकल जाती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जितनी भी हिंदुस्तान में नदियां हैं, इन्हें तथा पहाड़, पर्वत और वन जंगल को बचाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सरकार इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इन नदियों को बचा नहीं पाई है, इसलिए यह बहुत गंभीर मामला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि केवल गंगा और यमुना के लिए ही नहीं वरन् हमारे असम की जो बृहत 'ब्रह्मपुत्र' नदी है और उसकी उप-नदियां हैं, उन सभी को भी बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाने की जरूरत है।

*भाषण सभा पटल पर रख दिया गया।

[अनुवाद]

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना की जाए ताकि ब्रह्मपुत्र और बोडोलैण्ड क्षेत्र की सभी नदियों और सहायक नदियों को संरक्षित और सुरक्षित रखने में सहयोग मिल सके। हम सभी जानते हैं कि चीन की सरकार तिब्बत में विभिन्न स्थानों पर ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बांधों का निर्माण करती रही है। मैं जानना चाहता हूं भारत सरकार ने इस प्रकार की भारत-विरोधी और खतरनाक परियोजना का विरोध करने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है।

[हिन्दी]

इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितनी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सी.आई. एस.एफ. बनाया गया है, उसी की तर्ज पर हिंदुस्तान में जितनी नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, उन्हें बचाने के लिए नेशनल फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स रेस करने की बहुत जरूरत है। यह बहुत गंभीर मामला है।

[अनुवाद]

इसीलिए, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से सी.आई.एस. एफ. की तर्ज पर एक राष्ट्रीय वन और पर्यावरण सुरक्षा बल की स्थापना करने में सहयोग देने के लिए उचित कदम उठाने की अपील करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति जी, मैं आपको इस बात के लिए अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया। गंगा को माता के रूप में हम जानते हैं और मुझसे पहले जितने भी वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा, लगभग सारे लोगों ने गंगा के धार्मिक महत्व और उसके उद्‌गम का इतिहास और उससे होने वाले फायदे की चर्चा की।

महोदय, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है लेकिन गंगा केवल एक नदी मात्र नहीं है, गंगा इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतिक है। गंगा इस देश के करोड़ों लोगों की सभ्यता की जननी हैं, गंगा इस देश की जीवनधारा है और गंगा इस देश के करोड़ों लोगों के जीवन-यापन का सहारा भी है। चाहे मछुआरे हों या गंगा के किनारे रहने वाले करोड़ों किसान हों, उनके जीवन-यापन का सहारा भी गंगा ही है। लेकिन एक साजिस के तहत गंगा नदी को किसी न किसी रूप में बाधित करने का षडयंत्र है। मैं सरकार को आपके माध्यम से अगाह करना चाहता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि गंगोत्री से लेकर गंगा नदी 25 किलोमीटर की लम्बाई में हैं।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गंगोत्री से ऋषिकेश तक की दूरी 235 किलोमीटर है लेकिन, इन 235 किलोमीटर में अभी तक गंगा की मुख्यधारा को विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं को बनाकर उनका निर्माण कर हाइडल प्रोजेक्ट्स बना कर 115 किलोमीटर गंगा की मुख्यधारा को अभी तक बाधित कर दिया गया हैं। जहां अब गंगा नदी के रूप में है, पहले जहां अविरल गंगा बहती थी। एक फिल्मी गाने को मैं उद्त कर रहा हूं- गंगा तेरा पानी अमृत झर-झर बहता जाए। अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ और सरकार समय पर नहीं चेती, तो गाने के बोल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति महोदय, मै कहना चाहता हूं कि इसका रिप्लाई मंत्री जी कल सदन में दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादवः माननीय सदस्य बोल सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इसका रिप्लाई कल होना चाहिए। आप चेयर कर रहें हैं, आप बोल दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कुछ और सदस्यों को बोलने दें और उसके बाद हम देखेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंहः सभापति महोदय, मुझे कुछ समय और देने की कृपा करें, क्योंकि बीच में मैं डिस्टर्ब हो गया था। केवल गंगा नदी ही प्रभावित नहीं हो रही है, बल्कि गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं, चाहे मंदाकनी हो, अलकनंदा हों, सारी नदियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा हैं। विकास के नाम पर, ऊर्जा के नाम पर गंगा को जिस तरह से बाधित किया जा रहा है, हिमालय में सुरंगों को खोदा जा रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आप सभी इसे शीघ्र समाप्त करना चाहते थे। चार और सदस्यों को बोलना है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंहः महोदय, अभी तो भूमिका ही बनाई थी कि आपने घंटे बजा दी और बीच में ही व्यवधान हो गया। महोदय, मैं कह रहा था कि गंगा, यमुना, मंदाकनी, अलकनंदा और जो दूसरी सहायक नदियां हैं और हिमालय की पर्वत श्रृंखला सभी में बिजली उत्पादन के नाम पर हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाने के नाम पर, जैसा हमारे नेता शरद जी ने कहा कि हिमालय जिंदा पहाड़ है और यह भूंकप से प्रभावित होने वाला जोन भी है, सिस्मिक जोन है, उसे खोद-खोद कर सुरंगें बनाई जा रही हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंहः महोदय, इस तरह से गंगा और गंगा के उद्‌गम स्थल हिमालय को इस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी हम लोगों पर रोएगी और कहेगी कि समय रहते हम लोगों ने कुछ नहीं किया। इस प्रकार से देश की धरोहर, गंगा केवल नदी मात्र नहीं है, बल्कि देश की धरोहर है। बिजली उत्पादन का बड़ा-बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट्स के नाम पर दिखाया जाता है, बिजली कम्पनियों द्वारा बताया जाता है कि हम एक हजार मेगावाट बिजली की परियोजना लगा रहे हैं। लेकिन जब उस परियोजना से उत्पादन होता है, तो किसी परियोजना से तीस प्रतिशत से ज्यादा का उत्पादन नहीं होता है। आरटीआई से मंगाया गया यह आंकड़ा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए। मैंने श्री तरूण कुमार मंडल का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंहः महोदय, निजी कम्पनियों को एक छूट, है, जिससे कि वे स्वयं सर्वे करे और वे सरकार को शुल्क जमा करते हैं। ...*(व्यवधान)* महोदय, रिप्लाई बाद में होगा, मुझे अपनी बात कहने दी जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। निजी कम्पनियों को छूट है कि वे स्वयं सर्वे करें। परियोजना बनाएं और अनुमोदन लेकर खुद काम शुरू कर दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब डॉ० तरूण मंडल को बोलना है। उनके भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः आपने छः-सात मिनट ले लिया है। आपके पार्टी के सदस्यों ने पहले ही बोल दिया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः डॉ० तरूण मंडल अब आप बोल सकते हैं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः आपके नेताओं ने पहले ही बोल दिया है।

(...व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंहः ऐसा नहीं है कि केवल जनता को ही चिंता है। खुद सीएजी ने कहा है कि इस तरह से एशिया में गंगा बेसिन और हिमालय के क्षेत्र में अगर और पावर प्रोजेक्ट को बनाने से रोका नहीं गया तो गंगा को और नुकसान होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(...व्यवधान)**

[हिन्दी]

****श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर): सदन में गंगा नदी और हिमालय के निर्गम दोहन के कारण इनके अस्तित्व के संकट के बारे में 193 के अतंर्गत चर्चा की जा रही है गंगा और हिमालय हमारे लिए केवल नदी और पर्वत नहीं है, सदियों से यह करोड़ों हिंदुओं के आस्था के विषय रहे हैं। इसलिए भी यह चर्चा अधिक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रख दिया गया।

महत्वपूर्ण हो जाती है। गंगा के किनारे हमारी सभ्यता विकसित हुई। हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी 2525 कि.मी. लंबी बहती है। गंगा विश्व के सबसे बड़ी नदियों के अग्रिम 20 सूची में शामिल है और अब इसका शुमार विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में हो रहा है। गंगा स्नान करने की इच्छा धारण करने वाला आस्थवान हिंदू आज इसके प्रदूषण से आंतकित हो रहा है। इसी स्तर पर गंगा नदी का प्रदूषण जारी रहा तो भविष्य में इस नदी के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है। गंगा नदी में इसके किनारे पर बने बस्तियों का मलमूत्र विसर्जन, कारखानों का रसायन मिश्रित जल प्रवाहित करने के कारण गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। गंगा नदी का देश के जनजीवन में स्थान को देखते इसे शुद्ध रखने का दायित्व सरकार का है। लेकिन सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के साथ हमें इसके भी तट पर बसने वाले लोगों में चेतना जगानी पड़ेगी। गंगा पहले की तरह शुद्ध निर्मल बनी रही तो ही इसका पतितपावन स्थान बरकरार रह सकता है। इसलिए सरकार गंगा जल शुद्धिकरण के लिए प्राथमिकता के साथ कठोर कदम उठाये। केवल गंगाजल शुद्धीकरण के लिए धनराशि आंवटन और खर्च का हिसाब देने से बात नहीं बनने वाली तो गंगा नदी के प्रत्यक्ष रूप में शुद्ध करने का भी कार्य होना चाहिए। गंगा नदी के किनारे रहने वाले लाखों, करोड़ों लोगों का जीवन, रोजगार भी इस पर आश्रित रहने से सरकार का इस पर ध्यान देना होगा।

आज हम गंगा और हिमालय के प्रदूषण के कारण अस्तित्व के संकट पर चर्चा कर इसके निराकरण हेतु सरकार द्वारा उचित कदम उठाने के लिए ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन देश में लगभग सभी नदियों का जल दूषित हो रहा है। देश में जनसंख्या के फैलाव के साथ तथा बढ़ते औद्योगिकरण के कारण नदियों का जल लगातार दूषित हो रहा है। नदियों के जीवनदायिनी कहा जाता है। लेकिन आज अनेक नदियां प्रदूषण के कारण नष्टप्राय हो रही हैं। पहले नदियों के जल से खेतों को सींचा जाता था, लेकिन आज किसानों की अपेक्षा उद्योगों को अधिक तरजीह देने से उद्योगों के द्वारा रसायन मिश्रित जल नदियों में प्रवाहित करने से नदियां प्रदूषित हो रही है, इस पर निर्भर किसान, मछुआरों का भी जीवन संकट में पड़ गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वर्धा, दूरई, उमा, झरपट नदियों की स्थिति तो बद से बदतर हो रहा है। चंद्रपूर यह देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जिले के 130 उद्योग अतिप्रदूषणकारी हैं। जिले में कोयला खानें, बिजली उत्पादन केन्द्र, सीमेंट, कागज कारखानों, कोल वॉशरीज, लोह उद्योग के द्वारा अपने रसायन मिश्रित प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने के कारण नदियों का जल दूषित हो रहा है। हमारे यहां कोल इंडिया की संलग्न कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स के द्वारा कोयला उत्पादन के लिए खुली खदानों के द्वारा कोयला उत्पादन करने के कारण बड़े पैमाने पर ओ.बी. उम्प निकलता है। कोयला उत्पादक कंपनी वे.को.ली. द्वारा यह ओ.बी. डम्प नदियों के किनारे पर डालने से नदियां संकरी हो रही हैं। फलस्वरूप यहां पर जल प्रदूषण के साथ कृत्रिम बाढ़ की स्थिति बनती जा रही। स्थानीय प्रशासन के मिलीभगत से वेंको.ली. द्वारा नदियों के अनुचित दोहन करने का मामला सामने लाने के बाद भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कारवाई करने से कतराता है। इससे स्थिति बिगड़ रही है। नदियों का जल दूषित होने से नदियों के जलचर नष्ट हो रहे और मत्स्य व्यवसायिक मछुआरों का जीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है। कोयला उद्योगों की तरह राज्य सरकार ने कोयला आधारित औष्णीक विद्युत निर्माण संयंत्रो को इन नदियों के किनारे अपने संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी है। आज वर्धा नदी पर करीब 25 संयत्रों को अनुमति देने से भविष्य में वर्धा नदी का अस्तित्व नष्ट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

महाराष्ट्र में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नेशनल वॉटर मानिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत हर महीने नदियों के जल जांच करने की बाध्यता है। लेकिन इसका पूरी तरह अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अगर प्रदूषण नियंत्रण मंडल की नीति के अनुसार जांच की गई कई उद्योगों के प्रदूषण के खिलाफ कारवाई हो सकती है और नदियों को तो और प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है।

देश में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, इसके कारण बढ़ते आबादी को जलपूर्ति हेतु नदियों के जल का प्रयोग हो रहा है। लेकिन अगर नदियां ही दूषित होगीं तो इसमें प्रदूषण के कारण क्लोरिन, कार्बन, मैगनीज मर्क्युरी का मानवी शरीर पर कु-प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दूषित जल के कारण अनेक जलजनित रोगों का संक्रमण बढ़ रहां है। प्रदूषण के कारण नदियों का जल दूषित होने से हमारे यहां का सिंगाड़ा तथा मत्स्य उद्योग पर कु-प्रभाव पड़ा है। इस पर निर्भर मछुआरे बेरोजगार हो रहे हैं। और किसान भी अपने खेतों को सिंचित कराने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि गंगा नदी की तरह देश की सभी नदियों के जल नदियों के जल शुद्धिकरण की विशेष योजना बनायें और उद्योगों को रसायन मिश्रित जल नदियों में प्रवाहित करने पर कड़ी रोक लगाये। सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा नदियों के जल की जांच कर प्रदूषणकारी उद्योगों पर मानकों की अवहेलना करने के लिए उन पर कड़ी कारवाई करने के लिए उन्हें आवश्यक निर्देश देने की मांग करता हूं।

हमारे आस्था की प्रसिद्ध पावक गंगा जी के जल के निर्मल तथा शुद्ध कराने के लिए सरकार द्वारा प्राथमिकता देने के साथ अन्य नदियों के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए भी ध्यान देंगे ऐसी अपेक्षा करता करता हूं।

डॉ. तरूण मंडल (जयनगर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हिमालय और गंगा के साथ हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति जुड़ी हुई है। हिमालय और गंगा नदी के साथ हमारे देश का साहित्य, गाना और कविता जुड़ी है। कुछ दिन पहले महान संगीतकार भूपेन हजारिका जी की मृत्यु हुई, उन्होंने इस विषय पर गाना तैयार किया था-

बिसतीरणो दुपारे ओशोंको मानुशेर हाहाकार शुनेओ,
निशोब्दे निरोबे ओ गंगा तुमी बोइचो कानो।

यह गाना सारे देश में बंगाली और असमिया भाषा में गाया था। यह बात हम जानते हैं कि दुनिया की सभी सभ्यताएं नदियों के साथ जुड़ी हैं। सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही हुआ था। गंगा नदी की बात सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है, चाहे कोई हिंदू धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो, क्रिस्चियन धर्म का हो या सिख धर्म का हो, सभी का संबंध नदी के साथ है। सब इस नदी से फायदा लेते हैं, इससे जीवन लेते हैं। लेकिन आज नदी में बहुत प्रदूषण हो रहा है जो नदी को एक्सप्लाएट कर रहा है। यह कोई आम जनता नहीं कर रही है, उनके कारण हो रहा है जिन लोगों के पास पैसा हैं, जो उद्योगपति हैं, जिन्हें नियम मानना चाहिए वे नहीं मानते हैं नियम तोड़ते हैं, प्रशासन, पुलिस और कानून को खरीदकर काम करते हैं। इसके लिए सशक्त रूप से कानून बनाना और लागू करना चाहिए।

हमारे क्षेत्र सुंदरवन में नदी पानी की चोरी कर ली गई है। वहां सिर्फ पानी नहीं नदी भी चोरी की है, मछली का व्यवसाय करने के लिए नदी को बांध कर, काट कर तालाब बनाया गया। सुंदरवन हमारा क्षेत्र है,। आपने सिंगुर का नाम सुना होगा, टाटा कंपनी के लिए जमीन दी गई थी वहां दो नदियों पर भी कब्जा कर लिया था। तिस्ता नदी जो बांग्लादेश जाती है, इच्छामती नदी के ऊपर ब्रिक क्लिन बनाने के कारण पूरी नदी खत्म हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सभी नदियों का प्रोटेक्शन होना चाहिए। यह हमारे परिवेश के लिए बहुत जरूरी है, दुष्परिणाम रोकने के लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में जो नदी जा रही है, उसके साथ भी ऐसा समझौता होना चाहिए जिससे हमारे देश को पड़ोसी देश से खतरा न हो। जैसे तिस्ता नदी समझौता है वैसे तिपाईमुख बांध बन रहा है, इसका भी बराबर समझौता होना चाहिए। मै कुछ दिन पहले बांग्लादेश गया था, वहां एंटी इंडीयन फिलिंग्स तैयार हो रही हैं, लेकिन उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसे देखें और हमारे देश की गंगा और अन्य नदियों का पाल्यूशन रोककर जनता की भलाई करें।

सायं 07.00 बजे

श्री प्रेमदास राय (सिक्किम): महोदय, नियम 193 के अधीन इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो मुद्दा मैं यहां उठाना चाहूंगा वह यह है कि हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमारे पास सीमित संसाधन है। सभी संसाधन एकदम सीमित हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि पानी असीमित है।

सभापति महोदयः एक मिनट। माननीय सदस्यगण हमने समय को बढ़ा कर 7 बजे तक कर दिया है। चूंकि दो माननीय सदस्यों को अभी बोलना है इसलिए यदि आप अनुमति प्रदान करें तो हम सभा की कार्यवाही और आगे बढ़ाएंगे।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): सर, कल कर लीजीए, अभी मिनिस्टर साहब को भी रिप्लाई करना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः सबसे पहले माननीय सदस्य को बोलने दें। हम सभा की कार्यवाही 8 बजे तक के लिए बढ़ा देंगे। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे।

अनेक माननीय सदस्यगणः जी हां।

सभापति महोदयः सभा की कार्यवाही का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री प्रेमदास रायः महोदय, मुझसे पहले इस मुद्दे पर जिन अधिकांश सदस्यों ने चर्चा की है, उन्होंने केवल दोहन पक्ष पर ही ध्यान केन्द्रित किया है। मैं इस सदन का ध्यान उस क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जहां हम हिमालय पर्वत को देख रहे हैं। चूंकि मैं पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं, इसलिए मैं मानता हूं कि हिमालय पर्वत की ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

मैं आपको एक-दो चीजें बताऊंगा पहला, विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ने वास्तव में वर्ष 2050 तक तापमान में दो डिग्री वृद्धि के बारे में बात की है। किंतु आपको यह बताऊं कि दो डिग्री तापमान बढ़ने पर हिमालय में वस्तुतः लगभग चार डिग्री तापमान की वृद्धि होगी। इसीलिए बर्फ की पिघलने की घटनाएं बढ़ रही है और अवृष्टि मौसम में हिमालय से नीचे आने वाला पानी कम से कमतर हो रहा है।

कोई भी व्यक्ति इस चीज को तिस्ता नदी में देख सकता है। कल एनडीटीवी पर एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने दिखाया है और तर्क दिया है कि तिस्ता नदी दरअसल सूख रही है। ऐसा इसलिए कि तिस्ता नदी कंचनजंगा जीवमंडल से शुरू होती है। कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है और उसके आस-पास हिमनद होता है जो लगभग 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हैं। इस हिमनद क्षेत्र में सिकुड़न इस देश में सबसे अधिक है।

मेरा सिक्किम राज्य हिमनदों पर एक रिपोर्ट बनाने वाला पहला राज्य है कि किस तीव्र गति से इसमें कमी आ रही है। मुझे लगता है कि हमें जल्द ही परिणाम मिलने वाला है। मैं यहां यही तर्क रखना चाहूंगा। समग्र हिमालय क्षेत्र को अधिकाधिक रूप में समग्रता से देखने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि इसके लिए योजना आयोग ने पर्वत संबंधी कार्य समूह बना कर अच्छा कार्य किया है। पर्वत संबंधी कार्य समूह को हिमालय क्षेत्र और हमारे पहाड़ पर बर्फ के अवक्षेपण के सम्पूर्ण मुद्दे को देखने की आवश्यकता है। हमें जलवायु परिवर्तन संबंधी बातचीत में इसे अधिक जोर-शोर से उठाए जाने की आवश्यकता है।

मैं इन प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्री जी के हस्तक्षेप चाहूंगा क्योंकि यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, जहां से गंगा निकलती है। अभी यहां चर्चा हुई कि उत्तराखंड की सरकार ने ही कुछ किया है और इतने बांध बनाये हैं। यह बहुत लम्बे समय की बात है। आज मैं देख रहा था, जो मेरे पास लिस्टेड हैं, उत्तराखंड में 194 छोटे-बड़े डैम्स बन रहे हैं दूसरी रिपोर्ट में मात्र अरूणाचल प्रदेश में 168 डैम्स का प्रोजैक्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें केन्द्र सरकार भी बना रहीं है और राज्य सरकारें भी बना रहीं हैं। और राज्य सरकारें भी बना रही हैं। गंगा नदी पर टिहरी डैम बना, जो दुनिया के छः बड़े डैम्स में अपना स्थान रखता है। इसके कारण वहां से हजारो-लाखों परिवार उजड़े, वे ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में विकास के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में इस बात की चिंता है कि हम सब लोग गंगा नदी को मां भी कहते हैं।

लेकिन आज पूरे हिमालय क्षेत्र की नदियों को बचाने का संकट है। हिमालय जिस तरह से पिघल रहा है, वहां की नदियों में पानी नहीं है। उन नदियों में रन ऑफ दी रिवर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। उन नदियों में बड़े-बड़े डैम प्रस्तावित हैं। मैं केन्द्र सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने भैरोंघाटी, लोहारी, नागपाला और पालामेरी प्रोजेक्ट को बंद किया। उनकी मंजूरी वापस ली और वहीं उत्तराखंड की सरकार ने 900 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। एक तरफ ड्रामा किया कि गंगा की पवित्रता के लिए इन परियोजनाओं को बंद किया जाए। कुछ पर्यावरणविद् आए और आमरण अनशन पर बैठे और वहीं उत्तराखंड सरकार की 900 मेगावाट बिजली प्रस्तावित है। मेरे संसदीय क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा डैम, पंचेश्वर डैम प्रस्तावित है, वह पता नहीं कब बनेगा। जो 4000 मेगावाट और पूर्णागिरी पर 1400 सौ मेगावाट प्रस्तावित है। क्योंकि यह भारत और नेपाल के बीच का मसला है इसलिए हमारी चिंता है कि कल को अगर वह डैम बनेगा तो हजारों लोग कहां जाएंगे?

पिथौरागढ़ जिले में पर्यावरण की क्लीयरेंस नहीं है लेकिन डैमों के ऊपर रन दी रिवर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी हो रही हैं। बिना किसी क्लीयरेंस के सैंकड़ों किलोमीटर रोड़ और टनल बन जाती है। एक तरफ फॉरेस्ट कंज़रवेशन एक्ट में फॉरेस्ट की थोड़ी सी जमीन को भी गैर-फॉरेस्ट कार्यो के लिए परमिशन नहीं मिल पाती है। कई वर्षों तक सड़कें नहीं बन पाती हैं वहीं दूसरी तरफ डैम बनाने वाली कंपनियां पिथौरागढ़ जिले के अन्दर हैलीकॉप्टर से अपने इक्युपमेंट भेज रही हैं। सरकारों को सोचना चाहिए कि नदियां सतत हैं, बहती हैं अस्तित्व बचाना चाहिए। यह सवाल उत्तराखंड का ही नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और करोड़ों लोगो जिनका जीवन नदियों पर निर्भर करता है उनका भी है। आज उसको बचाने की जरूरत है। हिमालय से नदियां निकल रही हैं और हिमालय के लोग प्यासे हैं, उनके खेत प्यासे हैं। वहां की सड़कों और स्कूलों के लिए फॉरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट की परमिशन नहीं मिल पा रही है। लेकिन बड़े-बड़े डैम और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स को परमिशन मिल रही है। दूसरा सवाल सिस्मिक जोन का है। हर साल जब भी बरसात का मौसम आता है, हमें लगता है कि आज पता नहीं कौन सी त्रासदी आएगी। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का आंकलन होना चाहिए कि हिमालय में जितनी नदियां निकल रही हैं, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, वहां उन नदियों में पानी कितना है। उसकी क्षमता कितनी है? लोगों के पीने की जरूरत पूरा कर सकती है? सिंचाई के लिए पूरा कर सकती हैं? बिजली तो बाद की बात है। सबसे बड़ा घोटाला आज वहीं पर है कि नदियों में पानी नहीं है और बड़े-बड़े मेगा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं। इसिलिए मैं फिर सरकार से मांग करूंगा कि संपूर्ण हिमालय में चलने वाले पॉवर प्रोजेक्ट्स के बारे में पुनर्विचार किया जाए।

श्री गणेश सिंह (सतना): गंगा नदी तथा हिमालय के अस्तित्व को जो खतरे उत्पन्न हुए हैं, आज सदन में उन पर चर्चा हो रही है। धन्य है वह देश जहां गंगा जैसी नदी प्रवाहित हो रही है और धन्य है वह देश जहां हिमालय जैसा पर्वत है। हमारे देश की प्राचीन मान्यता रही है कि गंगा को हम लोग मां कह कर पुकारते हैं और हिमालय को हम लोग अपने देश का मुकुट कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज दोनों का अस्तित्व खतरे में है। न सिर्फ इन दोनों का बल्कि मैं तो कहूंगा कि देश की सारी नदियों का अस्तित्व खतरे में है। देश की सभी नदियों का या तो सामाजिक महत्व है या धार्मिक महत्व है या आर्थिक महत्व है। उसके आधार पर देश ने मान्यता दी है। मैं मानता हूं गंगा नदी जहां से निकलती है और जहां तक जाती है, वे बहुत भाग्यशाली लोग हैं। वहां की स्थिति को देश के दूसरे हिस्सों से तुलना जब मैं करता हूं तो मुझे अलग सा दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से आज गंगा नदी प्रदूषित हो रही है वह चिन्तनीय है। कुछ लोगों का मत है कि नदी तो बांध बनाने के कारण या उद्योगों का जो प्रदूषित जल निकलता है या सिवर लाईन के मलबे के कारण वे प्रदूषित होती हैं या अन्य कारणों से वे नदियां प्रदूषित हो रही हैं। यह बिल्कुल सही बात है। देश ने पहले भी कानून बनाये हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन कानूनों का कभी प्रभावी उपयोग हुआ है। आज चिन्हित करने की जरूरत है कि किन कारणों से हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। जहां तक मेरी मान्यता है कि छोटे-छोटे बांध बनाने से नदियों का प्रवाह बंद नहीं होता है, बल्कि उससे नदियां और पुनर्जीवित होती हैं। उससे हम बिजली भी बना सकते हैं। यह बात सही है कि पूरी तरह से जल का प्रवाह नहीं रोका जाना चाहिए। जल प्रवाहित होते रहना चाहिए। जिस तरह से बारिश कम होती जा रही है, जिस तरह से हमारी नदियों के पानी का जल स्तर घटता जा रहा है, उस नाते हमें कहीं न कहीं बांध बनाने की भी जरूरत है, लेकिन मेरा यह जरूर मानना है कि उसमें पानी का प्रवाह जरूर चलता रहना चाहिए। नदियों की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनके जीवन को बचाने के लिए केन्द्र सरकार को बहुत प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, कठोर कानून बनाने की जरूरत है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जहां से गंगा नदी निकलती है और जहां समाप्त होती है, वहां तक के बीच में देखें कि कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज लगी हैं, किन कारणों से वहां पर प्रदूषण का पानी आ रहा है, किन कारणों से नदी प्रदूषित हो रहीं हैं? उन पर सख्ती से रोक लगायें और उन पर कठोर कार्रवाई करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यबाद।

***श्री रतन सिंह** (भरतपुर): गंगा जी भारत की जीवन रेखा है। करोड़ों लोगों की आस्था व श्रद्धा का केन्द्र है। गंगा जल प्रदूषित नहीं हो इसके लिए समय रहते सभी उपाय करने की आवश्यकता है। गंगाजी जल-जीवन के साथ-साथ करोड़ों लोगों की जीविका का साधन है। वर्षा काल में बहुत अधिक पानी समुद्र में बहता है। स्वर्गीय राजीव जी ने गंगा शुद्धिकरण का विशेष अभियान चलाया था। उनका स्वप्न था कि गंगा जल सदैव शुद्ध रहे। कि गंगा जी की भांति यमुना जी, राजस्थान की चंबल नदी सभी अतिक्रमण, प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त हैं। महानदियों के किनारे, बहुत बड़ी आबादी प्यासी, सिंचाई साधनों से वंचित भी है। ईश्वर की मानव को इस जलराशि की देन का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।

सरकार से निवेदन है कि इन नदियों का संरक्षण किया जायें। पानी समुद्र में जाने से रोका जाये। बड़े-बड़े बांध बनाये जाये जिससे विद्युत उत्पादन हों, पेयजल पूर्ति हो मैं निवेदन करूंगा कि नदियों को लिंक किया जाय । चंबल पर धौलपुर में बांध बनाया जावे।

गंगा जी, यमुना जी महान श्रद्धा का केन्द्र हैं। वहां आने जाने के साधन सुलभ सहज होने चाहिए। सड़को का सुदृढ़ीकरण चौड़ीकरण, सेफ्टी वाल बनाना आवश्यक है। जिससे यात्री सुरक्षित रहें।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब माननीय मंत्री उत्तर देंगी।

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): धन्यवाद महोदय - *(...व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः महोदय, जवाब तो कल हो सकता है।

अनेक माननीय सदस्यः महोदय, जवाब तो कल होना था।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कल हम एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे। उसके बाद हमें तीन विधेयक भी पारित करने हैं। इसके पश्चात् नियम 193 के अधीन चर्चा भी करनी है। अतः यदि वह उत्तर देने की स्थिति में नहीं होंगी तो हमें उत्तर नहीं मिल सकता है। ऐसी स्थिति हो सकती है। इसलिए मैं अब इनसे उत्तर देने के लिए कह रहा हूं।

(...व्यवधान)

---

*भाषण सभा पटल पर रख दिया गया।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंहः महोदय, क्वेश्चन ऑवर के बाद जवाब हो सकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः यदि वह लिखित उत्तर प्रस्तुत करती है तो इसकी उपयोगिता क्या है? यदि आप उन्हें आज सुनना चाहते हैं तो सुनने के बाद आज उनसे उत्तर के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। यदि वह सभा पटल पर कल उत्तर प्रस्तुत करती है तो इससे हमें फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि इसके बाद उत्तर और स्पष्टीकरण पाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः महोदय, उस समय सब लोग यहां उपस्थित रहेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कुछ सदस्य कह रहे हैं कि वह कल सभा पटल पर उत्तर रख सकती हैं। तब स्पष्टीकरण पाने का प्रश्न ही नहीं है। यदि वह उत्तर अभी देती है तो आप कुछ स्पष्टीकरण भी मांग सकते हैं। अतः उन्हें उत्तर देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मंत्री महोदया, अब आप उत्तर दे सकती है।

श्रीमती जयंती नटराजनः धन्यवाद, महोदय।

मैंने सभी माननीय सदस्यों को सुना है जिन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण बिन्दुओं, सुझावों का उल्लेख किया अपनी भावनाओं को व्यक्त किया एक बिन्दु उठाए जो मां गंगा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है।

महोदय, मां गंगा केवल एक नदी नहीं है।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्यः मैडम, हिन्दी में बोलिये।

[अनुवाद]

श्रीमती जयंती नटराजनः मुझे खेद है। यदि आप चाहते तो मैं तमिल में बोल सकती हूं। मैं तमिल में बात करूं।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमण सिंहः नहीं नहीं, आप अंग्रेजी में बोलिये।

[अनुवाद]

श्रीमती जयंती नटराजनः धन्यवाद।

मेरे विचार में गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है। कुछ सदस्यों ने इसे मां कहा है। कुछ सदस्यों ने मां गंगा के भगीरथ से उद्गम और अवतरण की बात की है। मेरी राय में मां गंगा एक सूत्र है, एक माला है, प्रेम और सद्भाव की धारा है, राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक है जो पूरे राष्ट्र को बांधे रखता है।

मेरे ऐसे साथी हैं जो देश के दक्षिणी छोर से हैं तथा वे मित्र और माननीय सदस्य, जिन्होंने मुझसे पहले अपने विचार रखे हैं मां गंगा के आस पास के क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, जिन लोगों ने मुझसे पहले अपने विचार रखे हैं। वे गंगा के उद्गम स्थल से हैं और मैं सुदूर दक्षिण से अर्थात् तमिलनाडु राज्य से हूं जहां भी गंगा का सम्मान किया जाता है।

हम मां गंगा के बारे में बात करते हैं इसके बारे में गीत गाते हैं। हमारी पुत्रियों, बहनों और मांओं का नाम गंगा के नाम पर रखा जाता है। गंगा एक सूत्र, एक बंधन है, राष्ट्रीय सोहार्द का एक ऐसा अध्यात्मिक बंधन है जो पूरे राष्ट्र को बांधती है।

अतः माननीय प्रधानमंत्री और पूरी सरकार गंगा की पवित्रता को संरक्षित करने और इसके प्रवाह को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

बहुत से सदस्यों ने बहुत ही भावात्मकता और उत्साह से बताया कि गंगा हमारे सुख-दुख, जीवन-मरण, से जुड़ी है, तथा यह किस प्रकार गंगा नदी के किनारे बच्चे खेलते हैं, किस प्रकार गंगा नदी के किनारे किसान अपने खेतों में खेती करते, किस प्रकार महिलाएं गंगा की कहानियां सुनाती हैं, किस प्रकार पशुओं को गंगा में नहलाया जाता है, किस प्रकार बुजुर्ग और युवा लोग किनारे पर बैठ कर प्रवाह

को देखते हैं तथा अपने जीवन को गंगा के साथ गुजरते होते देखते हैं और किस प्रकार लोगों का दाह संस्कार गंगा के किनारे होता है, से जुड़ी है। देश के सभी भागों से और कन्याकुमारी के दक्षिणी ओर से बहुत से लोगों ने गंगा के पवित्र घाट पर वाराणसी में घर बनाया है। अतः गंगा ऐसी नदी है जो पूरे देश को जोड़ती है तथा नदी के रूप में गंगा प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारी राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक है। यह हमारी पवित्रता का प्रतीक है तथा यह एक ऐसा प्रतीक है जिसकी पवित्रता और प्रवाह को बनाए रखने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध और समर्पित है।

मैं श्री रेवती रमण सिंह और श्री शरद यादव को इस अहिमहत्वपूर्ण विषय को सभा के समक्ष लाने के लिए धन्यवाद देती हूं तथा मैं प्रत्येक सदस्य को उनके द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण विचारों के लिए धन्यवाद देती हूं।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुख्य बिन्दुओं पर जाने से पूर्व उल्लेख करना चाहती हूं कि तीन मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं। मेरे विचार में सभी सदस्यों द्वारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा सभी बांधों के निर्माण से जुड़ा है नदी का प्रवाह द्वारा अवसाद कर दिया गया है या नदी के उदगम स्थल पर प्रवाह को बांधों द्वारा अवसाद कर दिया है।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा प्रदूषण से संबंधित है, इसके बांधों से गुजरने, विभिन्न स्तरों पर इसका उपयोग करने के पश्चात प्रश्न यह उठता है कि जल क्यों और कैसे प्रदूषित हो गया तथा हम प्रदूषण से कैसे निपट सकते हैं।

तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रेत खनन का है। वास्तविक स्थिति यह है कि गंगा तट पर होने वाले और गैर-कानूनी रेत खनिन पर हम सभी को बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है और इसके बाद मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं कि सन्तुलन कहां स्थापित किया जाये जहां ऊपरी गंगा से पानी लेकर उसके प्रवाह को सिंचाई के लिए विभिन्न नहरों में मोड़ दिया जाता है। यह भी एक कारण है कि क्यों नदी के बहाव में एक निश्चित सीमा तक कम की जा रही है। हमें कृषि कार्य में लगे हमारे भाइयों की आवश्यकताओं को भी सन्तुलित करना होगा और तत्पश्चात् यह सुनिश्चित करना होगा कि नदी के बहाव में स्वच्छता बनी रहे और इसका बहाव बना रहे और बहाव के माध्यम से तथा नदी के पूरे इसकी जीवनदायिनी विशेषताएं बनी रहे बहाव के दौरान और इसको संभावित आखिरी स्थान तक यह विशेषताएं बनी रहे।

अगर मैं विनोदपूर्ण लहजे में कहूं कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हमारे सभी माननीय सदस्य गंगा मैया के विषय में बातें करते रहे। मुझे लगता है कि आज का दिन ऐसा रहा जब इस माननीय सदन में महिलाओं को बहुत महत्व दिया गया। मुझे खेद है कि यहां पर शरद यादव जी नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने और अन्य माननीय सदस्य डॉ० बलिराम जी ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण मंत्री को बदल दिया है क्योंकि उन्होंने गंगा के पक्ष में बात की थी। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। यह एक ऐसी सरकार है जिसकी एक ही नीति है और हम पर्यावरण विशेषरूप से गंगा मैया के संरक्षण और बचाव की जो भी नीति है, उसके प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।

जहां तक शरद यादव जी का संबंध है, मेरा यह मानना है कि उनके द्वारा किए गए महिला आरक्षण विधेयक के विरोध को देखते हुए शायद उनको विश्वास न हो कि एक महिला मंत्री गंगा नदी के साथ उतना ही न्याय कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल वह यहां नहीं हैं। मैं उन्हें पुनः आश्वस्त करना चाहती हूं कि हम सभी माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पूर्णतः कार्यवाही करने के लिए वचनबद्ध हैं। मैं उन पर एक-एक करके कार्यवाही करना चाहती हूं। पहले मैं कुछ सामान्य बातें बताना चाहती हूं। तत्पश्चात मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेना चाहता हूं। विभिन्न कारणों से गंगा की महिमा है। गंगा इतिहास है, गंगा काव्य है, गंगा भूगोल है और गंगा अर्थव्यवस्था है।

यदि यह हमारी दन्त कथाओं का उपादान है; यदि यह हमारी पौराणिक कथाओं का उपादान है; यदि यह हमारी कल्पनाओं का उपादान है तो यह हमारे इतिहास का भी ताना बाना है। इसलिए, गंगा के बारे में कई कहानियां गढ़ी गई हैं। यह हमारा भूगोल भी है। हम अपने भूगोल को बदल रहे हैं। हम अपने भूगोल को परिभाषित करते हैं। बिहार में गंगा के किनारे क्या होता है; पटना में क्या होता है; बनारस में क्या होता है; पश्चिमी बंगाल में क्या होता है - हमारा भूगोल गंगा के प्रवाह से परिभाषित हुआ है। पौराणिक मान्यता गंगा के प्रवाह से परिभाषित हुई है। इन सबके अलावा, जैसे कि दूसरे माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया, हमारी अर्थव्यवस्था गंगा के प्रवाह से परिभाषित होती है।

यह कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य जिसने टिहरी में एक बांध का निर्माण किया है और जल स्तर भी नीचे आया है। मैं, माननीय सदन को बताना चाहती हूं कि वास्तव में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अलकनंदा-भागीरथी नदी घाटी में देवप्रयाग तक पन विद्युत परियोजनाओं के समग्र प्रभाव के मूल्यांकन संबंधी अध्ययन का कार्य पन ऊर्जा केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की को सौंपा है। कुल 1851 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता वाले और 7860 एम० यू० के वार्षिक उत्पादन वाली तेरह पन बिजली परियोजनाएं अध्ययन क्षेत्र में आज की तिथि तक शुरू की गईं। 2358 मेगावाट क्षमता वाली चौदह

परियोजनाएं निर्माण के अग्रिम चरण में हैं। 4644 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता वाली बयालीस परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। केवल एक मेगावाट से अधिक क्षमतावाली पन विद्युत परियोजनाओं पर ही अध्ययन में विचार किया गया है। लेकिन टिहरी परियोजना के अलावा सभी स्थल बुनियादी तौर पर रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। यह बांध नहीं है। यह रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। मैं एक क्षण के लिए भी यहां पर यह नहीं कर रही हूं कि रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट्स सही हैं। इसलिए, आप से बहुत लोग कहते हैं कि कभी-कभी रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट्स नदी के मार्ग को बदल देते हैं। वे हिमालय में सुरंग खोदते हैं। वे समस्याएं उत्पन्न करते हैं विशेषरूप से भूकम्प के लिए बहुत संवेदनशील क्षेत्रों में यह सुरंग बनने के बाद जब जलापूर्ति काट दी जाती है, तो यह बड़ी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। निश्चित रूप से, हमें इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड सरकार से पूछना लोगों का अधिकार है और केन्द्र सरकार के रूप में इन परियोजनाओं का आकलन करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं इस सदन और यहां विराजमान प्रत्येक सदस्य को आश्वस्त कराना चाहती हूं।

मैं स्वयं निचले तटवर्ती राज्य से आती हूं। मैं अन्तिम राज्य के निचले क्षेत्र से आती हूं जहां हिन्द महासागर, अरब सागर से मिलता है। चूंकि निचले तटवर्ती राज्य से हूं, इसलिए मैं जानती हूं कि नदी जब दूसरे राज्य से गुजरती है तो क्या होता है और निचले तटवर्ती राज्यों के क्या अधिकार हैं? इसलिए केन्द्र सरकार के रूप में इन बांधों पर विचार करने के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करना, यह सुनिश्चित करना कि उनका नदी के प्रवाह और निचले तटवर्ती राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, को बहुत गंभीरता से लेना हमारी जिम्मेदारी है, मैं इस सदन को आश्वस्त करती हूं कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्यावरण प्रभाव - क्या यह भूकम्प सम्बन्धी प्रभाव है, क्या यह रन-ऑफ-द-रिवर का प्रश्न है, क्या यह नदी के भविष्य का प्रश्न है - इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इनकी सुरक्षा हो।

महोदय, जहां तक प्रदूषण के प्रश्न का संबंध है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहती हूं कि वास्तव में माननीय सदस्यों ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। मैं जानती हूं हम सभी को किससे परेशानी होती है; मैं जानती हूं कि मुझे क्या परेशान करता है। जबकि मैं तमिलनाडु राज्य से आती हूं और यदि कोई व्यक्ति एक नदी विशेष जो मेरे राज्य में आती है, पर बांध बनाता है, तो उस राज्य में रहने वाले लोगों को परेशानी अवश्य होगी। इसलिए, सबसे पहले यह बात उठती है। फिर भी, गंगा के संबंध में प्रदूषण का मुद्दा बड़ी समस्या है। प्रदूषण के बारे में क्या विवरण है?

श्री रेवती रमण सिंहः माननीय मंत्री जी, मैं अंग्रेजी में भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं हिन्दी में बोलूंगा माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि प्रदूषण ही सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण तो तब है जब गंगा में पानी रहेगा। जब गंगा में पानी ही नहीं रहेगा तो प्रदूषण पर नियम-कानून बनाने से क्या होगा? आपको मैं इन्वाइट करता हूं। आपने रूड़की के आंकड़े पढ़ दिए। आप जरा बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, उन्नाव, पटना आइए। मै आपको दिखाऊंगा कि गंगा की क्या दुर्दशा हो गयी है।

माननीय मंत्री जी, आपने कह दिया कि उत्तराखंड को बिजली की जरूरत है। उत्तराखंड या देश को अगर बिजली की जरूरत है तो क्या आप भारतीय सभ्यता-संस्कृति का नाश कर देंगी? भारत की सभ्यता और संस्कृति नहीं बचेगी, हिमालय नहीं बचेगा। आप कह रही हैं। कि टनल बनाने से क्या होगा, टनल से ही नाश हो रहा है। वहां ब्लॉस्टिंग की जा रही है। कच्चा पहाड़ है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयंती नटराजनः वही मैं कह रही हूं।

श्री रेवती रमण सिंहः माननीय मंत्री जी, आप इस तरह का जवाब न दीजिए। आपने खाली जवाब दे दिया, अगर आप इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो देश खत्म हो जाएगा, पर्यावरण खत्म हो जाएगा। ...*(व्यवधान)* आप ये बात करते रहिएगा। हम प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते थे, उन्होंने गंगा प्राधिकरण बनाया। ...*(व्यवधान)*

श्री जयंती नटराजनः आप मुझे जवाब देने दीजिए। मैं वही कह रही हूं जो आप कह रहे हैं कि वहां पर टनल्स नाश करेंगे, हम परमीशन नहीं देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मंत्री महोदया, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें। अन्यथा, यह वाद-विवाद बन जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती जयंती नटराजनः जहां टनल्स होंगे, प्रोबलम होगी, वहां हम परमीशन नहीं देंगे, यही मैं कह रही हूं।

(अुनवाद)

महोदय, मैं कुछ दोहराना चाहती हूं। मेरी कुल बात यह है कि यही वह कारण है जिसके कारण मैंने इसे पहले मुद्दे के रूप में

उठाया है। बांधों से संबंधित प्रश्नों पर कई सदस्यों ने अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। इसीलिए, मैंने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किए गए एक अध्ययन को पढ़ा। इस संबंध में अनेक अध्ययन उपलब्ध हैं। कम-से-कम तीन बार मैंने सभा को आश्वासन दिया था कि कोई भी व्यक्ति बांध के लिए आवेदन कर सकता है, आवेदन करना किसी भी नागरिक का अधिकार है। केंद्र सरकार के रूप में गंगा के प्रवाह को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने सभा को आश्वस्त किया था और अगर आप चाहें तो मैं इसे पांच बार फिर दोहरा सकती हूं कि हम गंगा के एक पतली धारा नहीं बनने देंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि गंगा का प्रवाह बना रहे। हमारा इसमें दृढ़ विश्वास है और मैंने बार-बार कहा कि एक निचले तटीवर्ती राज्य के रूप में *(...व्यवधान)* यदि इस पर राजनीति की जाएगी, तो मुझे और कुछ नहीं बोलना है।

मुझे अपने विषय पर वापस आने दीजिए। बांध संबंधी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सभी माननीय सदस्य इस विषय पर चिंतित थे कि क्या बांधों के लिए अनुमति दी जाएगी, क्या सुरंगें बनाई जा सकेंगी, मैं एक बार फिर से सभा को आश्वस्त कर रही हूं कि केंद्र सरकार के रूप में यह देखना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि ऐसे किसी बांध के लिए अनुमति नहीं दी जाए जिससे कि भूकंपीय क्षेत्र में कोई समस्या उत्पन्न होने की संभावना हो, जिससे गंगा नदी के प्रवाह में कोई अभाव या कमी हो जाए या गंगा के निमन तटवर्ती राज्य के लिए कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती।

इसलिए, मैं अगले विषय पर आती हूं जो, मैं मानती हूं, उतना ही महत्वपूर्ण विषय है। अनेक सदस्यों ने प्रदूषण की समस्या पर बोला है। नदी पर बने ऐसे बांधों जो टूट चुके हैं, से होकर आने वाले पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए गंभीरतपूर्वक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मैं प्रदूषण के प्रश्न पर विचार करना चाहती हूं।

इससे पहले, मैं एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे का भी उल्लेख करना चाहूंगी। सदस्यगण बांधों के विषय में काफी बात कर रहे थे। हालांकि, यही वह सरकार है जिसने भागीरथी नदी पर तीन महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं - उत्तराखंड में लोहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरोंघाटी परियोजनाओं पर पहले ही 600 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है; लोहारीनाग पाला एन टी पी सी की परियोजना थी - इन तीनों परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। इन तीनों परियोजनाओं को केवल इसलिए रद्द किया गया था क्योंकि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि गंगा नदी और अधिकतम स्वच्छता बड़ी बहाव के साथ प्रवाहित होती रहे। इस प्रकार सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

सबसे पहले, गंगा कार्य योजना, जिसे श्री राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था, ने अपना कार्य शुरू कर दिया और अब राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अधीन गंगा कार्य योजना जोर-शोर से कार्य कर रही है। किसी ने कहा कि कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई है। यह सत्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गंगा की बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री भी सदस्य होते हैं और मंत्रिपरिषद् के वरिष्ठ सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री 5 अक्तूबर 2009 और 1 नवंबर 2010 को हुई दो बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। 27 दिसंबर 2010 को माननीय वित्तमंत्री एक स्थायी समिति की अध्यक्षता कर चुके हैं और अगली बैठक इस माह के अंत में होगी।

अगली बैठक इस माह के अंत में होने वाली है। इसलिए, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण अपने कार्य को अत्यधिक गंभीरता से कर रही है और इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए 15,000 करोड़ रूपये भी अलग से रख दिए हैं जिसे समग्रता से देखा जाना चाहिए। उस राशि में से 2,006 करोड़ रूपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।

तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकरण और जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण गंगा सहित कई नदियों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सिंचाई, औद्योगिक और पीने के उद्देश्य से जल की हो रही निकासी से समस्या और भी गंभीर हो गई है और उसकी वजह से नदी में पानी की मात्रा कम रही है। मल-जल और औद्योगिक अपशिष्टों जैसे प्रदूषण भारों, जिन्हें नदियों में बहा दिया जाता है और उपलब्ध मल-जल शोधन क्षमता के बीच अत्यधिक अंतर है। यह समस्या अपर्याप्त प्रवाह के कारण और भी बढ़ जाती है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। खुले में शौच, पशुओं का पानी में लोटना, कूड़ा फेंकना, पशु-पक्षी के शव को फेंकने और इसी प्रकार की अन्य बातों के साथ-साथ खेतों से भी जहरीले कीटनाशक आते हैं जो नदी में प्रवाहित होते हैं। और वनों की कटाई, जिसके बारे में अन्य सदस्यों ने उल्लेख किया है, ने भी इस समस्या को बढ़ाया है।

अब, सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को सहयोग करना होता है। नदी में प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे निपटने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। कच्चा अशोधित घरेलू मल-जल गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। यह एक दुखद सत्य है जिसका हम सभी को सामना करना है और जिसके लिए हम सभी जिम्मेदार भी हैं। हममें से प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना है और इसे रोकना है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2009 में देश के 498 वर्ग-I और 410 वर्ग-II शहरों से अनुमानित अपशिष्ट जल उत्पादन लगभग 38,254 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) था।

इसकी तुलना में हमारी शोधन क्षमता केवल 11,787 एम एल डी है। इस प्रकार, मल-जल शोधन में 26,467 एम एल डी का अंतर है। इस प्रकार, गंगा नदी के किनारों पर जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप मल-जल शोधन क्षमता के सृजन में वृद्धि नहीं हुई है।

गंगा बेसिन में लगभग 12,000 एम.एल.डी. मल-जल उत्पन्न होता है जिसके लिए महज 4000 एम.एल.डी. की शोधन-क्षमता है। लगभग 2900 एम.एल.जी. मल-जल गंगा नदी की मुख्य धारा में बहाया जाता है।

महोदय, कई सदस्यों ने औद्योगिक प्रदूषण के बारे में अपनी बात कही। आयतन-बार यद्यपि यह तो पूरे प्रदूषण का केवल 20 प्रतिशत ही है पर इसकी विषैली एवं अजैव-निस्तारणीय प्रकृति के कारण इसका असर दूरगामी है। इसमें प्रमुख योगदान रहता है - चर्मशोधन शालाओं, आसवनशालाओं पेपर मिलों तथा चीनी मिलों का।

गंगा के किनारे स्थित राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो को उद्योगों द्वारा बहिःस्राव निस्तारण मानकों के अनुपालन की निगरानी करनी होती है तथा चूककर्ता उद्योगों के विरूद्ध कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। किसी ने पूछा कि हमने क्या कार्रवाई की है। मैं बताना चाहूंगी कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.) को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, के संगत प्रावधानों के द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा जो शक्तियां सौंपी जाती हैं, उनके अंतर्गत उन्हें कार्रवाई करनी होती है। मैं माननीय सदस्यों वे मेरे माननीय सहकर्मियों, से गुजारिश करती हूं कि वे अपनी-अपनी राज्य सरकारों से चूककर्ता उद्योगों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करें ताकि एस.पी.सी.बी. पुनः अपनी शक्तियां इस्तेमाल करते हुए सुनिश्चित करें कि पानी फिर शुद्ध हो जाए।

महोदय, परिस्थितिकीय प्रवाह कायम रखना महत्वपूर्ण चुनौती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, गंगा के पानी का बड़ा हिस्सा कृषिगत कारणों से विपथित हो जाता है। इससे भी जल का अनुप्रवाह कम होता है।

फिर, पानी का अक्षमतापूर्ण उपयोग और अपव्यययुक्त इस्तेमाल का मुद्दा है। गंगा से पानी लेने वाले शहरी निकायों को यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा न हो। अब हमें इस बारे में बहुत जागरूक होना है कि पानी की हर बूंद कीमती है। मेरा विश्वास है कि यह तो बात उतनी ही सृत्त्च रखती है जितना यह सुनिश्चित करना है कि हर नगरपालिका में मल-जल शोधन संयंत्र समुचित रूप से कार्य करे। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पानी का सोच-समझकर इस्तेमाल किया जाय तथा शहरी क्षेत्र में पानी का दुरुपयोग और अपव्यय न हो। इसलिए, शहरी स्थानीय निकायों एवं राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए कि इन बातों पर अमल हो।

वर्ष 1993 में गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण में गंगा की सहायक नदियों, जैसे-यमुना, गोमती, दामोदर एवं महानन्दा को शामिल किया गया। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गंगा नदी में प्रदूषण समाप्त करने के लिए कुल 1,045 करोड़ रुपये व्यय किए गए तथा लगभग 1,100 एम.एल.डी. की मल-जल शोधन क्षमता सृजित की गयी।

महोदय, वास्तव में केन्द्र सरकार द्वारा गंगा कार्य-योजना के दूसरे चरण में किए गए इन उपायों तथा इसके परिव्यय एवं मल-जल शोधन की क्षमता सृजन जैसे कदमों के परिणामस्वरूप ही अनेक स्थानों पर कुछ प्रमुख मदों जैसेः जैव - रसायनिक ऑक्सीजन मांग (बी.ओ.डी.) तथा घुलित ऑक्सीजन (डी.ओ) के संदर्भ में नदी जल की गुणवत्ता बेहतर हुई है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज एवं वाराणसी के बीच के क्षेत्र को छोड़कर ज्यादातर स्थानों में उसकी स्थिति बेहतर हुई है। फिर भी यह पूर्ण नहीं है। हम इसके लिए कठोर श्रम कर रहे हैं तथा करते रहेंगे। ऐसा जनसंख्या एवं अन्य दबावों के कारण भी हुआ है। ये परिणाम कानपुर आई. आई. टी., बी. एच. ई.एल. तथा पटना विश्वविद्यालय द्वारा किए गए निरीक्षण से ज्ञात हुए हैं।

लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य श्री महताब ने कहा, गंगा में मलीय कॉलिफार्म काउंट, जो रोगाणुनन्द संदूषण का मापक है, कई स्थानों पर निर्धारित मानकों हेतु से बहुत ज्यादा हैं। मैं इससे सहमत हूं एवं इस समस्या को मानता हूं। लेकिन मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि हम वास्तव में कठोर श्रम कर रहे हैं। हम इस पर पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं पर यदि वह काम जो हम अब तक कर चुके हैं, न हुआ होता तो स्थिति न है, कहीं ज्यादा खराब रही होती। लेकिन, यह बहुत संतुष्ट होने या कोई गर्व करनेवाली बात नहीं है। मैं तो केवल यही बात रहा हूं कि काफी कम हुआ है तथा काफी शेष है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम इस कार्य को उसके सुसिद्ध परिणति तक पहुंचाएंगे।

जहां तक राज्यों द्वारा मल जल शोधन संयंत्रों के अपर्याप्त संचालन एवं रख-रखाव की बात है तो यह बड़ी चिंता की बात है। मैं माननीय सदस्यों से गुजारिश करूंगा कि वे अपनी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करें कि इन संयंत्रों का क्षमता से कम उपयोग न हो। एक परस्पर-संयुक्त मल-जल नेटवर्क होना चाहिए। यदि शहर का पूरा मल-जल नेटवर्क ही कार्य कर रहा तो फिर मल-जल शोधन संयंत्र रखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए,

यदि मल-जल का नेटवर्क रख-रखाव शहरी स्थानीय निकाय एवं राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता तो फिर पूरा और शोधन संयंत्र बेकार हो जाता है और घरेलू मल-मूत्र आदि अशोधित रूप में सीधे नदी में बहता है। इसलिए शाखाद्ध मल-जल प्रणाली एवं घरेलू मल-जल व्ययन प्रणाली का संपर्क भी एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसे शहरी स्थानीय निकायों को हल करना है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों एवं राज्य सरकारों में जागरूकता लानी होगी कि ये मल-जल शोधन संयंत्र काम करते रहें।

हम अनुदान देने; निगरानी प्रक्रिया में सहभागिता रखने; विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करने तथा अपनी ओर से यथासंभव सब काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं पर इस प्रयास में है राज्य सरकार शहरी निकायों और प्रत्येक नागरिक को सहयोग देना होगा। अन्यथा, यह प्रयास सफल होने वाला नहीं है।

जहां तक राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) का संबंध है, यह एक अधिकारिता संयंत्र आयोजनकारी, वित्त पोषक और निरीक्षक प्राधिकरण था। जैसा मेंने कहा, कि सभी मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के सदस्य हैं। एन.जी.आर.बी.ए. ने निर्णय किया कि भागीरथी नदी का गोमुख से उत्तरकाशी तक का लगभग 135 कि.मी. लंबे प्रवाह-क्षेत्र को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। तदनुसार, ऐसा घोषित किया गया है तथा इसकी निगरानी की जा रही है। इसकी प्रारूप अधिसूचना जुलाई 2011 को जारी की गयी है।

जैसा मैंने बताया, गंगा बेसिन प्रबंधन की एक योजना है तो, एन.जी.आर.बी.ए. के अंतर्गत परियोजनओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए हम सामान्यतया क्या उपाय कर रहे हैं? हम इसमें हरेक को शामिल करना चाहते हैं। यह कोई ऐसा काम नहीं है जो हम अकेले कर सकें। इसलिए, हम पांच गंगातटीय राज्यों में वहां के मुख्य-मंत्रियों के अधीनस्थ राज्य-स्तरीय अधिकार संयंत्र राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण (एस.आर.सी.ए.) गठित करना चाहते हैं; हम इन राज्यों में लक्ष्य को समर्पित कार्यान्वियन संस्थानों के रूप में राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (एस.पी.एम.जी.) का गठन करना चाहते हैं। हम लोग राज्य सरकारें, शहरी स्थानीय निकायों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं; हम लोग प्रतिष्ठित व्यवसायिक संस्थानों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का स्वतंत्र मूल्यांकन करना चाहते हैं; हम लोग एन.जी.आर.बी.ए. के अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु-त्रिपक्षीय निरक्षेप करना चाहते हैं; और हम लोग गंगा नदी में कंचरा बहिस्रावित करने वाले औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण तथा मानीटरींग हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.जी.सी.बी.) के अन्तर्गत एक समर्पित स्कंध भी बनाना चाहते हैं।

इसलिए, मैं इस बात को पुनः दोहराती हूं कि केवल केन्द्र सरकार ही राज्य सरकारों द्वारा और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा (यू. एल.बी.) किए गए प्रयासों को पूरा कर सकती है। यह शहरी स्थानीय निकाय को मुख्य जिम्मेदारी है। यह उत्तरदायित्व का परित्याग नहीं है। अब, यह शहरी स्थानीय निकाय और सरकारों का प्राथमिक-कर्तव्य है तथा यह सुनिश्चित करना भी है कि ये उपाय काम कर सकें।

मैं इस संबंध में प्रतियुत्पन्नमति हूं और मैं जानती हूं कि हमारे पास समय का अभाव है। मैं समझती हूं कि श्री रेवती रमन जी ने जो कुछ कहा उसका जवाब दे दिया है कि एन.जी.आर.बी.ए. श्री दो बैठकें नहीं हुई हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूं कि इस संबंध में हमारी बैठक हो चुकी है तथा राज्य स्तर पर बैठक आयोजित की जा रही है। नदी के प्रवाह से संबंधित मुद्दे पर ध्यान दिया जा रहा है। आपका प्रश्न है कि इसमें पानी नहीं है और तो आप इसे कैसे साफ करेंगे? यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महोदय आपके माध्यम से मुझे यह बताना है कि एन.जी.आर.बी.ए. के अन्तर्गत उस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। मैंने पहले ही बताया है कि तीन पन विद्युत परियोजनाएं पहले ही रद्द कर दी गई है। विशेषज्ञों की एक टीम सम्पूर्ण बेसिन प्रबन्धन योजना तैयार कर रही है, जो पानी के प्रवाह को सुनिश्चित करेगा। एन.जी.आर.बी.ए. एक विधिक अधिकार प्राप्त प्राधिकरण है जिसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत हुआ है। जैसा कि मैंने बताया है कि इसका कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाना है और इन तीन परियोजनाओं के रद्द करने के संबंध में मैंने विस्तृतवार बताया है।

महोदय, अत्यधिक दोहन एक मसला है और मैं समझती हूं कि हम सभी को इससे चिन्तित होना चाहिए। सब जहां तक अत्यधिक दोहन का संबंध है, यह जनता और लोकतंत्र से संबंधित मसला है। मैं समझती हूं कि हम सभी इस महान् सदन में इस विषय पर एक जूट होने पर सहमत हैं और इस सदन के बाहर जल बटवारे के मुद्दे पर एक-दूसरे को सहयोग करेंगे। अथवा नदी के ऊपरी मुहाने वाले राज्यों तथा नदी के निचले मुहाने वाले राज्यों के जनता के मध्य संघर्ष होगा। मैं मानती हूं कि नदी के ऊपरी मुहाने वाले राज्यों को इस तथ्य के प्रति ज्यादा सचेत होना चाहिए कि नदियां राष्ट्रीय सम्पत्ति है और नदी संबंधी मुद्दों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सुलझाया जाना चाहिए। इसलिए, राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा का अत्यधिक महत्व है और इसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि यह एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है और इसे नदी के निचले मुहाने वाले राज्यों में नदी के जल-प्रवाह से आंका जाना चाहिए। मैं एक बार पुनः नदी के जल-प्रवाह तथा नदी के निचले मुहाने वाले राज्यों के अधिकारों को उठाना चाहती हूं। जहां तक बांधों का संबंध है, तो मैं पुनः आश्वासन देती हूं कि केन्द्र सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे

गंगा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को क्षति पहुंचे या इसके सहज प्रवाह पर संकट आए क्योंकि यह एक राष्ट्रीय सम्पत्ति और धरोहर है।

महोदय, एन.जी.आर.बी.ए. का मिशन स्वच्छ गंगा का यह लक्ष्य है कि वर्ष 2020 तक कोई भी अशोधित सीवर गंगा में न डाला जाए। हमने पहले ही मिशन स्वच्छ गंगा बनाया है तथा हमने एक नया मिशन निदेशक भी नियुक्त किया है जो इसका कार्यभार जल्दी ही संभालेंगे साथ ही 2020 तक गंगा को स्वच्छ बनाने के अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग नई प्रौद्योगिकी उपागमों को प्रोत्साहित करेंगे। राज्य और जिला अधिकारीगण द्वारा अवैध रेत खनन पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए और इसलिए हम लोग यह बार-बार कह रहे हैं कि इस अवैध रेत खनन पर नियंत्रण लगाया जाए। मैंने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री को यह सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा है कि उत्तराखण्ड में अवैध रेत खनन पर तुरंत रोक लगाया जाना चाहिए। मैं बार-बार यह भी कहा है कि इस कार्य में सामुदायिक भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को पुनः नहीं दुहराना चाहती हूं।

मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य श्री बलीराम ने वाराणसी और इलाहाबाद हेतु परियोजनाओं के बारे में कहा है। हमने पहले ही वाराणसी और इलाहाबाद में एस.टी.पी. की सफाई के लिए परियोजनाएं मंजूर की है। हमने वाराणसी के लिए 296 करोड़ रुपये तथा इलाहाबाद के लिए 447 करोड़ रुपये दिये हैं। अब यह राज्य सरकार तथा शहरी स्थानीय निकायों का कर्तव्य है कि वे इस धन का उचित, बुद्धिमत्ता तथा प्रभावी ढंग से उपयोग करें। हम अपनी ओर से कोशिश की है। हम लोग वहां जाना चाहते हैं तथा राय देने के लिए तैयार हैं। अब आपकी सरकार को वहां जाने की बारी है तथा यह सुनिश्चित करें कि वे एस.टी.पी. कार्य करें क्योंकि यदि राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायें सहयोग नहीं करते हैं तो वह सारा पैसा खर्च करने के बावजूद गंगा नदी की सफाई विशेषकर वाराणसी और इलाहाबाद में, नहीं होगी।

श्री शरद यादव जी ने गंगा एक्सप्रेस-वे का उल्लेख किया है। केन्द्र सरकार को इसके पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। किसी ने भी हमें गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए मंजूरी देने के लिए नहीं कहा है और गंगा एक्सप्रेस-वे के संबंध में आर्थिक विकास तथा विद्युत आवश्यकताएं वे मसला है जिस पर हम लोग तभी चर्चा करते हैं जब आवेदन आते हैं। अब तक हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया है। इसलिए इसका प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई भी पूर्ण-विकसित कार्यालय नहीं है। महोदय, मैं ही कार्यालय-समान हूं। वे कभी भी मुझसे इस संबंध में बात कर सकते हैं।

श्री जगदम्बिका पालः उन्होंने आवेदन किया है। लेकिन राज्य सरकार ने पहले ...*(व्यवधान)*।

श्रीमती जयंती नटराजनः मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि यदि कुछ भी बिना उचित अनुमोदन के हो रहा है, तो हम लोग इस पर यथोचित ध्यान देंगे तथा कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के लिए एक पृथक कार्यालय बना दिया गया है। यदि वे केवल पर्यावरण भवन तक आते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि वहां कार्यालय है। एक पूर्णकालिक प्रबन्धक निदेशक नियुक्त है और अनेक समर्पित कर्मचारी वहां कार्य कर रहे हैं। केवल माननीय सदस्य के वहां आने का और दौरा करना प्रतीक्षाधीन है। मैं उन्हें वहां आने का आमंत्रण देना चाहती हूं ताकि वे देख सकें कि वहां एक पूर्ण-विकसित कार्यालय है।

श्री भर्तृहरि महताबः सबसे पहले वहां सलाहकार समिति की बैठक बुलाईए ताकि हम लोग वहां आ सके।

श्रीमति जयंती नटराजनः मैं आपसे सहमत हूं। उच्च न्यायालय ने गंगा एक्सप्रेस-वे पर रोक लगा दी है। यह बात मैं अपने अधिकारियों से समझी हूं। मैं समझती हूं कि उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराजः मंत्री जी, उत्तराखंड के लिए भी कुछ बोलिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

श्रीमती जयंती नटराजनः जहां तक कानपुर चर्मशोधनशालाओं का संबंध है, केन्द्रीय बहिस्राव उपचार परियोजना को गंगा कार्ययोजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया था। परन्तु इसका अनुरक्षण और प्रचालन सही ढंग से नहीं किया गया है। इस संपूर्ण क्षेत्र में मुझे हर जगह यह समस्या मिलती है। सभी मल-जल उपचार संयंत्रों का प्रचालन और अनुरक्षण, मुझे खेद है, मैं राजनीतिक नहीं हो रही हूं, मैं केवल तथ्य बता रही हूं राज्य सरकार के पास हैं। यह उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है कि वे इस संयंत्र का अनुरक्षण करें। हम उन्हें इसका निर्माण करने के लिए पैसा दे सकते हैं। जहां तक कानपुर का संबंध है, इस संयंत्र का रखरखाव और प्रचालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अंतर्गत हम चर्मशोधनशालाओं के संघ के सक्रिय सहयोग के साथ इसका जीर्णोधार कर रहे हैं, राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना

चाहिए कि चर्मशोधनशालाएं सी.ई.टी.पी. के माध्यम से नाले में इसके बहिस्राव को सीधे न बहाएं। यह राज्य सरकार को ही करना होगा। हम यहां केन्द्र में बैठकर उतना ही कर सकते हैं।

श्री लालू प्रसाद जी ने परियोजना कार्यान्वयन के बारे में कहा। जैसा कि मैंने बार-बार कहा है, यह राज्य सरकार और इसकी एजेन्सियों का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार अपनी ओर से, विशेषकर निधियों के दुर्पयोग को रोकने के लिए, काफी कदम उठा रही है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि सभी निधियां गंगा में समा गई है। इसलिए, हम तीसरे पक्ष से निरीक्षण करवा रहे हैं। हम उचित लेखापरीक्षा चाहते हैं; हम अधिकारियों द्वारा निरन्तर निरीक्षण चाहते हैं। परन्तु योजना का कार्यान्वयन या निधियों को व्यय करना या यह देखना की इनका उचित कार्यान्वयन हो, इसका मूल दायित्व राज्य सरकार के पास ही होगा। यही कारण है कि मैं बार-बार कहती हूं कि राज्य सरकार को मूल दायित्व लेना चाहिए।

जहां तक डाल्फिन संरक्षण योजना का संबंध है तो इसे पहले ही तैयार किया जा चुका है, इसे विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है, हम इसे लागू कर रहे हैं और मुझे आशा है कि बहुत शीघ्र, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक में हम सब जब गंगा नदी पर जायेंगे तो संभवतः डॉल्फिन देख सकेंगे।

श्री भर्तृहरि महताबः घडियाल परियोजना की क्या स्थिति है?

श्रीमती जयंती नटराजनः मैं जानती हूं, घडियाल परियोजना भी है जिसका मैंने अभी उल्लेख नहीं किया है। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, हमने 915.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 623.60 करोड़ रुपये को पहले ही भारत सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 871.74 करोड़ रुपये था। इससे लगभग 13 शहर सम्मिलित किए गए थे। इसका निधि प्रदान करने का पैटर्न 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा है। पांच पुराने शहरों में यह भारत सरकार द्वारा सौ प्रतिशत है और सात नए शहरों में यह केन्द्र और राज्य के मध्य 50:50 के आधार पर है। इन शहरों के नाम हैं चेन्नई, बवानी, इरोड़, करूर, कुंबाकोनम, कुमारपल्यम, मदुरै, मईलादुथुरई, पालीपल्यम, तंजाबूर, त्रिरुचिरापल्ली और तिरुनेल्वेली। लगभग 83 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसमें पूर्ण की गई योजनाओं की संख्या 56 है और निर्मित की गई मल-जल उपचार संयंत्र की क्षमता 477.66 एम.एल.डी. है।

महोदय, मैं उत्तराखंड में एन.जी.आर.बी.ए. परियोजनाओं की स्थिति को संदर्भित करना चाहूंगी। एन.जी.आर.बी.ए. द्वारा कुल 155.60 करोड़ रु. की लागत से उत्तराखंड में पंद्रह परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अब तक भारत सरकार द्वारा 32.57 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं। राज्य द्वारा प्रदान किया जाने वाला संगत अंश 9.77 करोड़ रु. है। कुल उपलब्ध निधियां 32.57 करोड़ रु. है। व्यय नहीं किया गया बकाया राशि 24.60 करोड़ रु. है।

जहां तक कि नदियों को साफ करने, नदियों के अनुरक्षण और यह सुनिश्चित करने का संबंध है कि हमारी नदियों में कम से कम प्रदूषण हो, प्रत्येक राज्य पर विचार किया जा रहा है। नदियां हमारी जीवन रेखा है, मां गंगा हमारी राष्ट्रीय अखण्डता का प्रतीक है। अतः गंगा नदी में प्रवाह निरंतर बनी रहे इसके लिए हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। अंत में आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि चूंकि आप ने मां-गंगा को स्वयं देखा है इसलिए उसकी प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और इस देश के प्रत्येक नागरिक के सहयोग और उनके सतत प्रयासों की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमारः सभापति महोदय, आप उत्तराखंड सरकार से बात करें और वहां जो बांध बन रहे हैं, उन पर रोक लगवाइये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती जयंती नटराजनः मैं उस बारे में पहले ही बता चुकी हूं। जहां तक गंगा, जो हमारी राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक है, को बचाने का संबंध है, तो यह तभी संभव है जब हम सब एकात्मक मिलकर उस दिशा में कार्य करें।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमण सिंहः सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इनका जवाब निराशापूर्ण है। इन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमैंट बना रही है। ...*(व्यवधान)* आप पर्यावरण मंत्री हैं। आप उसमें रोक क्यों नहीं लगवा रही हैं? उत्तराखंड को अगर चाहिए, तो वह सोलर एनर्जी से क्यों नहीं बिजली पैदा करता? विंड से क्यों नहीं बिजली पैदा करता? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आप जो पूछना चाहते हैं, वह पूछिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय, मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी को राज्य सरकार पर टाल रही हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रेवती रमण सिंहः सभापति महोदय, मैं और मेरा दल मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट है, इसलिए हम सदन से बहिष्कार करते हैं।

सायं 07.52 बजे

तत्पश्चात श्री रेवती रमण सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए

श्री दारा सिंह चौहानः माननीय सभापति जी, हम मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* वे मूल प्रश्न से हट रही हैं। ...*(व्यवधान)* अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए राज्य सरकार पर दोषारोपण लगा रही हैं। ...*(व्यवधान)* इसके विरोध में हम सदन से बहिष्कार करते हैं।

सायं 07.53 बजे

तत्पश्चात श्री दारा सिंह चौहान और कुछ अन्य माननीय सदस्य से बार चले गए

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब सभा 'शून्य काल' प्रारम्भ करेगी और इस बैठक की अवधि को इसकी समाप्ति तक बढ़ाया जा सकता है। मैं मानता हूं कि सभा इससे सहमत होगी।

कुछ माननीय सदस्यः जी हां।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति महोदय, मैं हिमाचल राज्यों के कृषकों की ऋण माफी के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कहना चहता हूं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर, मध्य हिमालयी राज्यों के किसानों और बागवानों को केन्द्र सरकार की किसान ऋण माफी का आंशिक लाभ मिला। जो किसान इन पर्वतीय राज्यों के सीढ़ीनुमा खेती में नगदी फसलों एवं फलों की बागवानी करते हैं, उत्पादन वृद्धि और गुणवत्ता लाने तथा अपने सब्जी एवं फलों के उत्पादन को दूर-दराज के पहाड़ी ग्रामों से सब्जी-फलों की माल ढुलाई, छोटे परिवहन जैसे कमाण्डर यूटीलिटी आदि से पहाड़ों में बनी कच्ची-पक्की सड़कों से देश की दूर-दराज मंडियों तक अनेक अड़चनों के साथ पहुंचाने के लिए इन्होंने जो सरकारी और राष्ट्रीय बैंकों से ऋण लिया था, उनके ऋण की माफी वित्त मंत्रालय ने इस दृष्टि के अन्तर्गत नहीं की। उन्होंने यह कहकर कि यूटीलिटी कमांडर से अपने खेत से बाजार तक पहुंचाना कृषि कार्य नहीं है, वह कमर्शियल कार्य है।

इस तरह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर के अनेक बागवान जिनकी संख्या अधिक नहीं है, उन्हें राष्ट्रीय एवं सहकारी बैंकों द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिन्होंने मूल धन से अधिक यानी अभी तक दुगनी धनराशि चुका दी है। फिर भी 16 प्रतिशत से अधिक ब्याज के कारण बैंकों को कर्ज चुकाने के नोटिस और कर्ज न चुकाने ...*(व्यवधान)*

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* जमीनों की नीलामी के नोटिस दिये जा रहे हैं। पिछले कई सालों से पर्वतीय राज्यों में अतिवृष्टि, तूफान, ओलावृष्टि, सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति टूटती जा रही हैं और अधिकाश किसान ऋण चुकाने में अक्षम हैं।

वित्त मंत्रालय और केन्द्र में बैठे महानुभावों को यह नहीं मालूम कि पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची सड़कों पर बड़े ट्रक नहीं चल सकते। ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी उपज मंडियों तक ले जाने के लिए सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लेना पड़ता है। ऐसे बागवानों और कृषकों ने अपनी यूटीलिटी और कमांडर का उपयोग कमर्शियल उत्पाद के लिए नहीं किया। निजी फसलों ...*(व्यवधान)* मै एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इसलिए भरत सरकार से निवेदन है कि कृषकों-बागवानों के यूटिलिटी, कमांडर के ऋण माफ किए जाएं और ऐसे ऋणों की माफी अवश्य की जाए जिन किसानों ने मूलधन दे दिया है और उसके साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज बकाया हैं। ...*(व्यवधान)* मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि हिमालयी राज्यों के यातायात, परिवहन की सड़कें, दूरावस्थी मंडियों के दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्र के यूटिलिटी, कमांडर को कृषि मशीनीकरण की उपयोगिता के अंतर्गत ऋण माफी किसानों को राहत प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आप शून्यकाल के दौरान लंबा भाषण नहीं दे सकते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे एक मिनट और दो मिनट के भीतर ही अपनी बात कहें। यह वाद-विवाद नहीं है।

अब श्री. पी. कुमार।

श्री पी. कुमार (तिरूचिरापल्ली): धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र में गोल्डन रॉक वर्कशाप एक मुख्य रेलवे कार्यशाला है जिसमें लगभग 5,000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और पोन्नमलाई क्षेत्र में लगभग 3,200 आवास गृह हैं। गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशाप वैगनों के उत्पादन, वैगनों के आवधिक संपूर्ण मरम्मत, डीजल लोकोमोटिवों और भाप लोकोमोटिवों की संपूर्ण मरम्मत में लगा हुआ है।

डिविजनल रेलवे अस्पताल भी पोन्नमलाई में अवस्थित है, दुर्घटना के दौरान घायल यात्रियों को एनएच-45 के जरिये इस अस्पताल में लाया जाता है। पोन्नमलाई कॉम्पलेक्स में कई विद्यालय भी अवस्थित है जहां 2,000 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं।

पोन्नमलाई रेलवे स्टेशन इसी क्षेत्र में अवस्थित है और यात्रीगण इस रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए एनएच-45 होकर यात्रा करते हैं। गोल्डन रॉक वर्कशाप के लिए कच्चे माल की ढुलाई एनएच-45 होकर की जाती है। केन्द्रीय बस स्टैण्ड ये पोन्नइमलाई कालोनी होकर सिटी बसें इस कार्यशाला के निकट स्थित पोन्नमलाईपट्‌टी, मेलाकालकंडार्ककोट्टई, रेल नगर और अंबिकापुरम गांवों तक चलती हैं।

एनएच-45 में चार लेन के निर्माण का कार्य पहले ही पूरा हो गया है। वर्तमान में, एनएच अधिकारियों ने सर्विस रोड के ट्रैफिक को टोल गेट से होकर जी-कार्नर तक मोड़ दिया है। भारी ट्रैफिक के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस वर्तमान ट्रैफिक के भीड़ को कम करने और लगातार हो रही दुर्घटनाओं से बचने के लिए एनएच-45 के जी-कार्नर बिंदु पर एक सबवे के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों के अधिकारियों को सबवे के निर्माण के लिए एक सौहार्द्रपूर्ण समाधान के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत करनी होगी क्योंकि यह हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग है।

[हिन्दी]

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि राजस्थान का नागौर जिला, जो मेरा संसदीय क्षेत्र भी है, हैण्डटूल्स के लिए सम्पूर्ण भारत में प्रसिद्ध रहा है। नागौर स्थित एमएसएमई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर-हस्त औजार का कोई विशेष उपयोग नहीं हो रहा है। यहां से एमएसएमई विकास संस्थान, जयपुर में 300 किलोमीटर दूर है तथा बीकानेर व जोधपुर संभाग से बहुत अधिक दूरी जयपुर की है। एमएसएमई विकास संस्थान उत्तर प्रदेश में चार, मध्य प्रदेश में दो, तमिलनाडु में चार, केरल में तीन, बिहार में तीन व अन्य राज्यों में दो से अधिक हैं, जबकि राजस्थान सबसे बड़ा प्रांत होने पर भी, वहां सिर्फ एक ही संस्थान जयपुर में कार्यरत है। अतः पश्चिमी राजस्थान के लोगों को उद्योग व व्यापार के क्षेत्र में लाभ पहुंचाने के लिए नागौर के इस केंद्र को एमएसएमई विकास संस्थान में तब्दील कर देना चाहिए जिससे इस क्षेत्र के उद्यमियों व बेरोजगारों को ईडीपी, एमडीपी, कलस्टर विकास, आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास कार्यक्रम आदि सब तरह की जानकारी मिल सके।

नागौर में विकास संस्थान खुलने से उद्यमियों व व्यवसायियों को इंटरनेशनल ट्रेड फेयर व राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। विकास संस्थान खुलने के साथ राज्यस्तरीय सलाहकार बोर्ड अलग से हो, ताकि पश्चिम राजस्थान के बीकानेर व जोधपुर संभाग का भी विकास हो सके। अतः मेरा अनुरोध है कि नागौर स्थित एमएसएमई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर- हस्त औजार को जयपुर की तरह का एमएसएमई विकास संस्थान बनाया जाए, ताकि सभी तरह की टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल सके और यह संस्थान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर व नागौर जिला इत्यादि के उद्यमियों व बेरोजगारों को लाभ प्रदान कर सके।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, केन्द्र सरकार की केंन्द्र पोषित सारी परियोजनाएं चाहे मनरेगा हो, इंदिरा आवास हो, एमपीएलएडी स्कीम हो, स्वर्ण जयंती योजना हो, डीडब्ल्यूसीआरए, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट स्कीम या इसी तरह की सारी योजनाएं राज्यों के जनपदों में डीआरडीए के माध्यम से चलती हैं और पिछले तीस-पैंतीस वर्षों से लगातार ये योजनाएं चल रही हैं जबकि शुरू में वर्ष 19070 में 45 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया और फिर बाद में देश के सभी जिलों को लिया गया। लेकिन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसमें डीआरडीए के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा था, अब यह कहा गया है कि 21 मार्च, 2012 के बाद डीआरडीए को जो पैसा भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा था, नहीं दिया जाएगा।

सायं 08.00 बजे

यह निश्चित तौर से डीआरडीए के समक्ष एक अनिश्चय की स्थिति पैदा हो गई है और मार्च 2012 से सभी जगह के डीआरडीए समाप्त हो जाएंगे। उनमें कार्यरत कर्मचारियों को कहीं और समायोजित करने की बात भी नहीं की गई है और न ही कोई यहां निर्देश है कि जो सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स हैं, उनका क्या होगा। क्यों सारे जनपदों में डीआरडीए ही उनके प्रस्तावों को तैयार करता है, क्रियान्वित करता है और फिर धरातल पर उतारता है। आखिर ग्रामीण क्षेत्र के

विकास के लिए या ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए जिस डीआरडीए की स्थापना हुई थी, अगर उसे बंद करने का निर्णय लिया जाएगा इन परिस्थितियों में, कुछ राज्यों में इसे ग्राम विकास या जिला पंचायत के साथ समायोजित करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश और इस तरह के अन्य राज्यों में मार्च 2012 से डीआरडीए बंद हो जाएगा, तो सारी केन्द्रीय परियोजनाओं के भविष्य का क्या होगा? उन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसके अलावा इसमें जो पिछले 30-35 वर्षों से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? इस बात को लेकर देश के सभी डीआरडीए के कर्मचारी आज जन्तर-मन्तर पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि वह इसमें तुरंत हस्तक्षेप करे और निश्चित तौर से ग्रामीण विकास मंत्रालय इस बारे में कुछ करे या राज्य सरकार उनका समायोजन करे तथा उन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करे। इसके साथ केन्द्र की जो योजनाएं हैं, उन्हें लागू करने की दिशा में यथावत व्यवस्था को लागू करे।

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति जी, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश के संविधान में लिखा है कि भारत के आर्थिक संसाधनों में प्रत्येक नागरिक एवम् सभी भूभाग को बराबर का अधिकार है। लेकिन विगत कुछ वर्षो से यह देखने में मिल रहा है कि केन्द्र सरकार आर्थिक संसाधनों को पहचान- कर सिर्फ वोटों को ध्यान में रखकर बंटवारा कर रही है। यही कारण है कि गैर कांग्रेस शासित राज्य सरकारों द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है कि उनके साथ केन्द्र सरकार द्वारा लगातार भेदभाव किया जा रहा है।

मैं उदाहरण के रूप में मध्य प्रदेश की एक बड़ी सिंचाई योजना का जिक्र करना चाहता हूं। भारत सरकार ने देश की कुछ बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में शामिल कर उन्हें आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। उसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने वरगी बांध की दाई तट नहर, जिसमें चार जिलों की लगभग एक करोड़ आबादी लाभान्वित होने वाली है, उस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने हेतु सभी नियमों का पालन करते हुए राज्य शासन ने भेजा है। उसमें लगभग 3400 करोड़ रुपए का व्यय होना है। विगत तीन वर्षो से मध्य प्रदेश के सतना, रीवा कटनी और जबलपुर जिलों के लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं लगातार इस मुद्दे को सदन में तथा माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय जल संसाधन मंत्री जी के समक्ष उठाता रहा हूं और उन्हें विषय से अवगत करा चुका हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर उस क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय करने का कष्ट करें।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पर्वतीय राज्य है और सड़कें ही हमारी जीवन रेखा हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है 2011-2012 के बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए कोई भी राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। यहां तक कि वहां पांच नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनने हैं और राष्ट्रीय राजमार्गो को अपग्रेड करने की जरूरत है। उसीके साथ-साथ बारिश के बाद खस्ताहाल सड़कों का हुआ है, उसकी देखरेख के लिए धन का प्रावधान नहीं किया गया है। यहां तक कि हमीर पुर शहर के लिए जो बाईपास बनना है, उसके लिए कोर्ट के निर्णय के बाद एक नया प्रपोजल बनाकर भेजा गया कि 17.70 करोड़ रुपये चाहिए, ताकि जिनकी जमीन हमें लेनी है, उन्हें मुआवजे के रूप में पैसा दिया जा सके। बनेरखड नेशनल हाईवे 88 के ऊपर लगभग 12. 63 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, उसका भी बजट बनाकर भेजा गया लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि ये दोनों परियोजनाएं जो प्राक्कलन स्वीकृति के लिए यहां आई हैं, उन्हें जल्द से जल्द एप्रूव कराकर भेजा जाए। नेशनल हाईवेज के रखरखाव के लिए, जिनकी दुर्गति हुई पड़ी है, बड़े-बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, मरम्मत नहीं हो पा रही है उनके लिए भी ज्यादा से ज्यादा धन दिया जाए। अगर जीरो-बजट रखा जाएगा केवल इसके लिए कि वहां पर विपक्ष की सरकार है, अगर इस नाते रखा गया है तो यह दुर्भाग्य है। अगर पहाड़ी राज्यों को एक तरफ आप कहते हो कि गंगा का पानी बहते रहना चाहिए, नीचे वाली स्टेट्स को नुकसान न हो और ऊपर से उन्ही पहाड़ी राज्यों को सड़कों के रखरखाव के लिए केन्द्र सरकार पैसा नहीं देगी, तो हम पेड़ भी नहीं काटते, हम पानी भी नीचे जाने देते हैं, अगर कल हमारे, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य पानी पर रोक लगाएंगे और हमें अपने अधिकार नहीं मिलेंगे, तो इन राज्यों का विकास कैसे होगा?

मै अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो प्राक्कलन भेजे गये हैं इन्हें जल्दी से जल्दी स्वीकृत करवाकर भेजा जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री वीरेन्द्र कश्यम को श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए मामले के साथ स्वयं को संबद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रामशंकर (आगरा): माननीय सभापति महोदय, मैं आगरा लोक सभा क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। जहां ताजमहल है और 50-60 हजार दर्शक रोज आते हैं लेकिन वहां विकास की दृष्टि से शून्यता है। दुर्भाग्य से वहां फाउंडरी उद्योग परम्परागत रूप से चलता था लेकिन वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस उद्योग को प्रदूषण के कारण बंद कर दिया गया। वहां पूरी तरह से बेरोजगारी है और कोई दूसरा उद्योग नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हर साल आगरा से 10-20 हजार नौजवान देश के कोने-कोने में जाकर रोजगार के लिए भटकते हैं, वहां पर रोजगार सृजित किये जाएं, वहां पर आईटी पार्क का विकास किया जाए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर जो लम्बित योजनाएं हैं, उन्हें पूरा किया जाए। वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो कोरीडोर की योजना है, उसे विकसित किया जाए। विशेषरूप से आगरा में जसवंतसिंह आयोग की रिपोर्ट लागू हो जिससे हाई-कोर्ट की खंडपीठ का निर्माण हो सके और नौजवानों का वहां पर रोजगार मिल सके।

माननीय सभापति जी, आगरा में जो स्थिति है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर जिस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए रोजगार सृजित किये जाएं।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सर, मैं आपका ध्यान क्लीनिकल रिसर्च के नाम पर भारतीय नागरिकों को गिनी-पिग के रूप में इस्तेमाल किये जाने के बारे में उठाना चाहता हूं। अभी फोर्टिज अस्पताल में रिसिर्च के नाम पर मजदूरों पर ट्रायल्स किये गये, जिसमें किसी भी दवा का कोई साइड-इफैक्ट उन्हें नहीं बताया गया। जिस कंसेट फार्म पर मजदूरों से दस्तखत कराए गयें, उस कंसेंट फार्म की कोई समझ मजदूरों को नहीं थी। आंध्र प्रदेश के आदिवासी इलाकों में 10 से 14 साल की लड़कियों को एक एनजीओ पास के द्वारा कैसनोमो सर्विस की वैक्सीन दी गयी और यह आईसीएमआर की कंसेंट से दी गयी। लेकिन वैक्सीन के लिए केसेंट फार्म पर न उन बच्चियो से हस्ताक्षर कराए गये न ही उनके माता-पिता से हस्ताक्षर कराए गये, बल्कि आदिवासी हॉस्टल की वार्डन से सिग्नेचर कराए गये और उन्हें बताया भी नहीं गया कि क्या कंसेट फार्म में है। इसके अलावा पिछले एक साल में क्लीनिकल ट्रायल्स के नाम पर ड्रग्स-रिसर्च के नाम पर 670 लोगों की हत्या की जा चुकी है। विदेशी कंपनियां अमरीका-यूरोप में आर एंड डी का काम करती हैं, वहां पर लोगों को नौकरियां देती हैं और जब ह्यूमन ट्रायल की बात आती है तो वे कंपनियां इंडिया में आकर उसे करती हैं। जिसके कारण फोर्टिज या इस तरह के अस्पताल जो लाखों रुपया कमाते हैं उनमें इंडियन्स गिनी-पिग की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर किसी आदमी की मौत हो जाती है तो उसे कम्पनसेशन भी नहीं दिया जाता है। उससे भी बड़ी बात है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ क्लीनिकल रिसर्च जिसे कंम्पनसेशन की पॉलिसी बनाने के लिए कहा गया है, उसमें 17 फार्मा कंपनियों के मैम्बर्स हैं। मेरा सरकार से अनुरोध होगा कि उन्हीं दवाइयों का ट्रायल इंडिया में करने दिया जाए जिनकी आर एंड डी लैब इंडिया में हैं, जिससे फॉरेन कंपनीज इंडिया में रिसर्च कर सकें। महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्वायंट है। ड्रग ट्रायल के नाम पर इंडियन्स को गिनि पिग के रूप में यूज किया जाता है, खेल को बंद किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः डॉ० संजय जायसवाल द्वारा उठाए गए मामले के साथ डॉ० किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी ने स्वयं को सहयोजित किया है।

अब श्री गणेशमूर्ति के बोलेंगे। कृपया मुल्लापेरियार बांध से जुड़े मामले को न उठाए क्योंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री ए. गणेशमूर्ति (इरोड): तमिलनाडु में केरल के सीमावर्ती क्षेत्रों थेनी और कुमबुम जैसे स्थानों पर राजनीतिक, भाषायी और धर्मिक बंधनों से ऊपर उठकर महिलाएं और पुरुष सभी लोग पिछले दो सप्ताह से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं और वे वहां नदी जल बंटवारे में तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों की रक्षा एवं केरल के देवीकुलम और पीरमेदु जैसे क्षेत्रों जहां तमिल लोगों पर हमले हो रहे हैं, में उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

इन दो राज्यों के बीच सड़क परिवहन लगभग रूक गया है। इसने अयप्पा के हूणों श्रुद्धालुओं की यात्रा को प्रभावित किया है जिन्होंने 'इरूमुडी' लिया है और जिन्हें सबरीमाला है। केरल में सबरीमाला जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर भी हमला किया गया है और उनके वाहनों को भी नहीं छोड़ा गया है। ये लोग अपने वाहनों को भी छोड़कर तमिलनाडु वापस आ रहे हैं। वहां पुलिस बल भी तमिल लोगों को संरक्षण न देकर मूक दर्शक बनी हुई है। कोपंबटूट, पोल्लांकी और उदुमालपेट से जाने वाले वाहनों पर भी केरल में हमला हो रहा है। अतः इन मार्गों पर यातायात रोक दिया गया है। केरल जाने वाले सभी 13 प्रवेश स्थलों से भी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक सकती है।

जब हमें स्वाधीनता मिली तब भाषायी आधार पर राज्यों का सृजन किया गया था तथा इदुक्की जिले के देवीकुलनम और पीरमेदु जैसे स्थान, जहां 92 प्रतिशत तमिल रहते हैं, केरल को दे दिए गए थे। उस समय भी इन दो कस्बों को केरल में न शामिल करने की मांग को के.एम. पाणिकर द्वारा नजरअंदाज किया गया था जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। जब पत्ताथानुपिल्लई केरल के मुख्यमंत्री थे तो केरल की जेलों में बंद लोगों को सजा माफी के बाद छोड़े जाने के बाद देवीकुलम और पीरमेदु जैसे स्थानों पर पांच एकड़ भूमि पर बसाया गया और उन्हें सहकारी संस्थाओं के माध्यम से पांच हजार रुपए का ऋण दिया गया। लोगों को इस तरह से बसाने के बाद भी तमिल जनसंख्या का जनाकिकी पैटर्न अभी भी 57 प्रतिशत या इससे अधिक है। अब यह रिपोर्ट मिली है कि उन्हें तमिलनाडु वापस जाने के लिए धमकाया जा रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है। हमलों में बच गए तमिल लोग इन घटनाओं की जानकारी मीडिया को दे रहे हैं 97 प्रतिशत तमिल भाषी इस क्षेत्र को केरल में मिलाने का गलत निर्णय सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्यमान तनाव का मुख्य कारण है। इस समस्या को स्थायी समाधान के लिए इदुक्की जिले को तमिलनाडु में मिलाया जाए। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करें। *(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः श्री सतपाल महाराज, यह राज्य का विषय है। अतः आप बताइए कि आप केन्द्र से क्या चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखंड के उन बीटीसी प्रशिक्षुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो अपने रोजगार की मांग को लेकर देहरादून में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण ये अपनी नियुक्ति संबंधी मांगों को लेकर आंदोलन करने पर विवश हैं, लेकिन राज्य सरकार इन बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगारों की उपेक्षा कर रही है।

सन् 2006 में कांग्रेस सरकार द्वारा विशिष्ट बीटीसी की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रशिक्षण वर्ष के आधार पर जो विज्ञप्तियां जारी की गई थीं, उन्हीं दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती उत्तराखंड राज्य में की जानी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड की राज्य सरकार को निर्देशित करे कि वह वर्ष 2006 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों को लागू कर प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करे और पहले तीसरे सत्र की परीक्षा ले। उसके बाद सेवायोजित कर इन प्रशिक्षुओं को क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिए भेजे। साथ ही लाठी भंजवाने वे गिरफ्तारी पर इन प्रशिक्षुओं से माफी मांगे तथा इन्हें उचित मुआवजा दे।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, बिहार के नवादा जिला के अंतर्गत बारसलीगंज प्रखंड में नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही 1500 वर्ष पूर्व अपसढ़ ग्राम में वैदिक, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जहां बौद्ध, सैफ, वैश्नव सम्प्रदायों का शिक्षण हुआ करता था। विश्व की वैदिक अवधारणाएं वैचारिक मंथन का विषय बनते थे। अपसढ़ में बाराहवतार भगवान विष्णु की भू देवी उद्धार प्रतिमा भी प्राप्त हुई है जो अपने प्रकार की दुर्लभतम और विशालकाय मूर्ति है जो एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है। अपसढ़ के साथ पार्वतीपुर, गिरीयक, शाहपुर, जमनुमा आदि गांव भी वैदिक संस्कृति के विभिन्न बिंदुओं के संगम स्थल रहे हैं। गुप्त और पाल राजवंश के मध्य काल के इतिहास को पुरातात्विक दृष्टि से जानने के लिए अपसढ़ सबसे प्रमुख स्थान है। यह काल उत्तर गुप्त शासकों का था जिसकी सांस्कृतिक राजधानी अपसढ़ सबसे प्रमुख स्थान है। यह काल उत्तर गुप्त शासकों का था जिसकी सांस्कृतिक राजधानी अपसढ़ पुरातात्विक अवशेषों का भग्न रूप है। यहां श्री आदित्य सेन की पत्नी द्वारा निर्मित 200 एकड़ का तालाब था जिसके नीचे से सीढ़ियां थी और आज भी गहरे कुएं हैं जो भग्न अवस्था में हैं। समग्र जीवन पद्धति है जो सामाजिक संस्कार, चेतना और आचार विचार के योग से निर्मित होती है। सभ्यता बाह्य आकृति है और संस्कृति आंतरिक सांस्कृतिक चेतना होती है। आज अपसढ विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणों से विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। कभी-कभी उसकी आंतिरक चेतना विकास का सम्बल नहीं पाकर हिंसक विस्फोटक आकृति ग्रहण करने लगती है और इलाके के जनमानस को अपने संघातिक प्रहार से लहुलुहान भी कर बैठती है। अपसढ़ समाज के विकास का अमृत कलश बन सकता है बशर्ते उसकी ऐतिहासिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार उसे पर्यटन स्थल की मान्यता प्रदान करे। कोणादेवी तालाब का जीर्णोद्वार करे। अपसढ़ को राष्ट्रीय धरोहर की पहचान हो, प्रतिवर्ष अपसढ महोत्सव का आयोजन हो और अपसढ की एतिहासिक आकृति जो जमीनतल में पड़ी हुई है, उसका खनन करते हुए एक विशालकाय संग्रहालय का निर्माण हो, जहां पुरातात्विक शोध के प्रबंधन की व्यवस्था हो। मैं इस ओर भारत सरकार के पुरातात्विक पर्यटन मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान इलाका है। यहां के कृषि पर आधारित 80 प्रतिशत लोग निर्भर हैं, चाहे वे कृषक हों या मजदूर हों। प्रकृति के विरूद्ध जाकर किसानों ने परिश्रम से धान का उत्पादन किया है। 30 लाख टन बिक्री योग्य धान किसानों के खलिहानों में पड़ा हुआ हैं। दिसंबर माह बीतने जा रहा है जबकि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में पंजाब और हरियाणा राज्यों में धान की खरीद समाप्त हो चुकी है और बिहार में एक छटांग भी धान की खरीद नहीं हुई। बिहार सरकार और भारत सरकार की उदासीनता है। भारत सरकार की गारंटी है कि किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते 1058 रुपये के बदले में 600-700 रुपए प्रति क्विंटल धान की बिक्री करनी पड़ रही है। यह लाभकारी मूल्य नहीं है, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अगर किसानों को 1058 रुपए मिलते तो शायद उसके हाथ में 50 या 100 रुपये बचत के रूप में आते। किसान 300-350 रुपये प्रति क्विटंल घाटा उठाकर बेच रहे हैं। यह लगातार सात वर्षों से हो रहा है। प्रतिवर्ष किसानों की बिक्री योग्य अनाज पर 3000-4000 करोड़ रुपये की पूंजी समाप्त हो रही है। यह ठीक है कि देश के अन्य हिस्सों की तरह बिहार के किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। यदि आत्महत्या करना ही उनके अधिकार की प्राप्ति का साधन है तो मैं समझता हूं कि यह सोच सहीं नहीं है। किसानों ने बड़े परिश्रम से उत्पादन किया है और उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं गारंटी दी गई है इसलिए एफसीआई एवं बिहार सरकार की संस्थाओं के माध्यम से अनाज की खरीद की जाए।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे संसदीय क्षेत्र से यह पहले बाई पास के रूप में था, लेकिन पिछले कई सालों से अहमदाबाद की आबादी करीब 60 लाख से ज्यादा हुई है जिसके कारण इसे मेगा सिटी का दर्जा मिला है और अब इस राजमार्ग पर यातायात बहुत भारी मात्रा में रहता है। इसी वजह से मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस राजमार्ग को छः लेन में परिवर्तित करना चाहिए और हर चौराहे पर फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण करना चाहिए। इस राजमार्ग पर गांधी नगर से इंफोसिटी जंक्सन, यजीर जंक्शन, वैष्णो देवी जंक्शन, गोता जंक्शन, थलतेज जंक्शन, सोला जंक्शन, पकवान जंक्शन पकवान जंक्शन, सानंद और उजाला जंक्शन के चौराहों पर फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण करना चाहिए, यह मेरी मांग है।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात सरकार ने अडालच फ्लोर लीफ, इस्कान फ्लाई ओवर एवं गोता फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य शुरू किया है। कि मेरा अनुरोध है कि इस राजमार्ग पर शीघ्र ही फ्लाई ओवर्स का निर्माण प्रारंभ करें।

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण (डिंडोरी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के मेरे संसदीय क्षेत्र डिंडोरी में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन होता है। वहां आज भी हजारों किसानों ने चक्का जाम किया है, क्योंकि किसानों को 30 से 35 हजार रुपये प्रति एकड़ खर्च आता है और प्रति एकड़ से उसे 60 या 70 क्विंटल प्रोडक्शन मिलता है और बाजार में आज उसके दाम 300 या 400 रुपये मिलते हैं। यानी 18 हजार या 24 हजार रुपये के आसपास उसे उसका प्राइस मिलता है। इसलिए आज तक वहां बहुत से किसानों ने आत्महत्याएं की हैं।

इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि ऐसे किसानों की प्याज की फसल के मूल्य निर्धारित करने चाहिए, ताकि किसानों को प्याज के उचित मूल्य प्राप्त हों सकें और किसानों को आत्महत्या करने से रोका जा सके। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में प्याज का उत्पादन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे अधिक होता है। इसलिए केन्द्र सरकार को इस बारे में कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री ए. टी. नाना पाटील को हरिश्चंद्र चव्हाण द्वारा उठाए गए मुद्दे से अपने आपको संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री के. शिवकुमार उर्फ जे. के. रितीश (रामनाथपुरम): महोदय, तमिलनाडु में सभी समाचारपत्रों और टेलीविजन पर मछुआरों पर हमले की घटनाओं के समाचार लगभग हर दिन मुख्य समाचार के रूप में प्रसारित होते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यह पहली या दूसरी घटना नहीं है। यह 1983 से हो रहा है।

28 नवम्बर को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में पांच मधुआरों को गिरफ्तार करके जाफना जेल में डाल दिया था। 13 दिसम्बर को पुनः श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पांच मछुआरे गिरफ्तार किए गए और उनको 15 दिसम्बर को रिहा किया गया। लेकिन 28 नवम्बर को गिरफ्तार किए गए पांच मधुआरों को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। मछुआरे, रामेश्वरम में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और पांच मछुआरों की रिहाई की मांग कर रहे हैं।

सामान्यतः श्रीलंकाई नौसेना उन पर सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अभी कुछ समय से उन्होंने उनको नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करना शुरू कर दिया है। फिर भी मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वे कभी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं हुए।

लगभग हर दिन श्रीलंकाई नौसेना हमारे मछुआरों पर नृशंस हमला करती है, उनकी नौकाओं को पकड़कर क्षति पहुंचाती है, उनको यातना देती है, अपमानित करती है और हिंसात्मक रूप से उनका उत्पीड़न करती है। मैंने मछुआरों के मुद्दे पर माननीय विदेश मंत्री से कई बार इस समस्या के स्थाई समाधान की मांग करते हुए कई फैक्स संदेश और पत्र भेजे हैं।

महोदय, मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार से इस समस्या के ठोस समाधान की उम्मीद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं हमारे झारखंड प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र गिरिडीह के अंतर्गत लगभग आठ वर्षों से गिरिडीह-कोडरमा रेल लाइन की परियोजना बंद है। जिसमें झारखंड सरकार ने भी धन दिया है।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस रेल परियोजना को अविलंब पूरा कराया जाए और गिरिडीह में रेल प्वाइंट का निर्माण हो, ताकि वहां जो लोहे के कारखाने हैं, उन्हें लाभ मिल सके।

सभापति महोदयः अब सभा कल 20 दिसम्बर, 2011 को पूर्वाहन 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 08.25 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 29 अग्रहायण, 1933 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री सी.एम. चांग श्री पी. कुमार	341
2.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	342
3.	श्री बाल कुमार पटेल	343
4.	श्री निखिल कुमार चौधरी श्रीमती ऊषा वर्मा	344
5.	श्री बदरुद्दीन अजमल श्री एस. अलागिरी	345
6.	डॉ० क्रुपारानी किल्ली	346
7.	श्री ओम प्रकाश यादव श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	347
8.	श्री हरिन पाठक श्री कमल किशोर 'कमांडो'	348
9.	श्री गुरुदास दासगुप्त चौधरी लाल सिंह	349
10.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर श्रीमती सुप्रिया सुले	350
11.	श्री मानिक टैगोर श्री आर. थामराईसेलवन	351
12.	श्री प्रदीप माझी श्री किसन भाई वी. पटेल	352
13.	श्री वरुण गांधी	353
14.	श्री मनीष तिवारी श्री राधा मोहन सिंह	354
15.	श्री कीर्ति आजाद	355
16.	श्री यशवीर सिंह श्री नीरज शेखर	356
17.	श्री संजय धोत्रे श्री मंगनी लाल मंडल	357
18.	श्रीमती मीना सिंह श्री चंद्रकांत खैरे	358
19.	श्री पोन्नम प्रभाकर श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	359
20.	श्री हर्ष वर्धन श्री के. सुगुमार	360

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	3972, 4034
2.	श्री आधि शंकर	4004, 4051
3.	श्री आनंदराव अडसुल	4043
4.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	3935, 4129
5.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	3932
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	3928
7.	श्री बदरुद्दीन अजमल	4124
8.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	3946
9.	श्री अनंत कुमार	4051
10.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	4044, 4116
11.	श्री सुरेश अंगड़ी	4071
12.	श्री अशोक अर्गल	3995
13.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	4035
14.	श्री गजानन ध. बाबर	4036, 4050
15.	श्री रमेश बैस	4037
16.	श्री कामेश्वर बैठा	3941

1	2	3
17.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	3939, 4013, 4060
18.	डॉ. बलीराम	4084
19.	श्री अम्बिका बनर्जी	4079
20.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	4066
21.	श्री पुलीन बिहारी बासके	4107
22.	श्री अवतार सिंह भडाना	3993
23.	श्री सुदर्शन भगत	4095
24.	श्री ताराचन्द भगोरा	4106
25.	श्री शिवराज भैया	4029
26.	श्री उदयनराजे भोंसले	4047
27.	श्री समीर भुजबल	4050, 4070
28.	श्री पी. के बिजू	4036
29.	श्री भजन लाल	3973, 4048, 4107
30.	श्री हेमानंद बिसवाल	4056
31.	श्री सी. शिवासामी	3942, 4132
32.	श्री सी.एम. चांग	4118
33.	श्री हरीश चौधरी	4014, 4110
34.	श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण	4010, 4045
35.	श्रीमती राजकुमारी चौहान	3983
36.	श्री दारा सिंह चौहान	4051
37.	श्री प्रभातसिंह पी. चौहान	4052, 4096, 4115
38.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	3958
39.	श्री भूदेव चौधरी	4065
40.	श्रीमती श्रुति चौधरी	3984, 4075

1	2	3
41.	श्री अधीर चौधरी	3994
42.	श्री भक्त चरण दास	4069
43.	श्री खगेन दास	4040, 4057, 4062
44.	श्री राम सुन्दर दास	3996, 4104
45.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	4060, 4125
46.	श्रीमती अश्वमेध देवी	4023
47.	श्रीमती रमा देवी	3976, 3998, 4010
48.	श्री के.पी. धनपालन	4053, 4107
49.	श्री आर. ध्रुवनारायण	3925, 4060, 4117, 4132, 4136
50.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	3929, 4115
51.	श्री चार्ल्स डिएस	4031
52.	श्री निशिकांत दुबे	4006
53.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	4046
54.	श्री निनोंग ईरिंग	4021
55.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	4062, 4118
56.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	4103, 4139
57.	श्रीमती मेनका गांधी	3964, 3999
58.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	3966, 4107
59.	श्री ए. गणेशमूर्ति	4094
60.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	3929, 4002
61.	श्री एल. राज गोपाल	3997
62.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	4013, 4106, 4109
63.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	4115

1	2	3
64.	श्री मोहम्मद असरारुल हक	4049
65.	डॉ. मोनाजिर हसन	4078
66.	श्री महेश्वर हजारी	4105
67.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	4072
68.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	3926, 4117
69.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	4113
70.	श्री बलीराम जाधव	4026, 4048
71.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	4047
72.	श्री बद्रीराम जाखड़	3916, 3985, 4052, 4110
73.	श्रीमती दर्शना जरदोश	3959, 4045
74.	श्री हरिभाऊ जावले	3974
75.	श्री नवीन जिन्दल	4017
76.	श्री कैलाश जोशी	3970
77.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	4026, 4109, 4110
78.	श्री प्रहलाद जोशी	3914, 4104
79.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	3927, 4107, 4128
80.	श्री पी. करुणाकरन	4000, 4008
81.	श्री कपिल मुनि करवारिया	3996, 4104
82.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	4107
83.	श्री राम सिंह कस्वां	3944, 4051, 4133
84.	श्री नलिन कुमार कटील	4090, 4108
85.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	4107, 4111
86.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	3954, 4051, 4122
87.	डॉ. कृपारानी किल्ली	4010
88.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	4017
89.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	4008
90.	श्री सोमाभाई गंडालाल कोली पटेल	4125
91.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	3986, 4092
92.	श्री मिथिलेश कुमार	4119
93.	श्री अर्जुन मुंडा	4015
94.	श्री पी. कुमार	4008
95.	श्री शैलेन्द्र कुमार	4139
96.	श्री यशवंत लागुरी	4038
97.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	3921
98.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	4081
99.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	4113
100.	श्री नरहरि महतो	3965, 4041, 4078, 4112
101.	श्री भर्तृहरि महताब	4083
102.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	3943, 4102, 4112
103.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	4042
104.	श्री जोस के. मणि	4100
105.	श्री दत्ता मेघे	4027
106.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	3956, 4001, 4027, 4051, 4119
107.	श्री महाबल मिश्रा	4055
108.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	3968, 4140
109.	श्री पिनाकी मिश्रा	4016
110.	श्री पी.सी. मोहन	4109

1	2	3
111.	श्री गोपीनाथ मुंडे	3912
112.	श्री विलास मुत्तेमवार	4005, 4067, 4110
113.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	4008
114.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	3917, 4077
115.	श्री इंदर सिंह नामधारी	4120
116.	श्री नारनभाई कछाड़िया	3929, 4052
117.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	4063, 4119
118.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	4054
119.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	4082
120.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	3915
121.	श्री पी. आर. नटराजन	4025
122.	श्री वैजयंत पांडा	3999, 4047, 4076, 4097
123.	श्री राकेश पाण्डेय	4107
124.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	4011, 4074, 4093
125.	कुमारी सरोज पाण्डेय	3982, 4133, 4060
126.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	4087
127.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	4028
128.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	4062, 4118
129.	श्री कमलेश पासवान	3914
130.	श्री देवराज सिंह पटेल	4029, 4140
131.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	3949, 3959
132.	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	4058
133.	श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेल	3945, 4121, 4134

1	2	3
134.	श्री हरिन पाठक	4026, 4108
135.	श्री संजय दिना पाटील	4050, 4077
136.	श्री ए.टी. नाना पाटील	4037
137.	श्रीमती भावना पाटील गवली	4039, 4110
138.	श्री सी.आर. पाटिल	3953
139.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	4074, 4113
140.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	4062, 4118
141.	डा. पद्मसिंह बाजीराव पटेल	4019
142.	श्रीमती कमला देवी पटले	3982, 4088, 4121
143.	श्री पोन्नम प्रभाकर	4013, 4034, 4130
144.	श्री अमरनाथ प्रधान	3988
145.	श्री नित्यानंद प्रधान	4047, 4061
146.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	4092
147.	श्री प्रेमदास	4024
148.	श्री पन्ना लाल पुनिया	3930
149.	श्री एम.के. राघवन	3911
150.	श्री बी. वाई. राघवेन्द्र	4107, 4108
151.	श्री अब्दुल रहमान	3960, 4120
152.	श्री प्रेमदास राय	4098
153.	श्री सी. राजेन्द्रन	4031, 4059
154.	श्री एम.बी. राजेश	4016, 4051, 4112
155.	श्री पूर्णमासी राम	4063
156.	प्रो. राम शंकर	4067
157.	श्री रामकिशुन	3962, 4003, 4113, 4122

1	2	3
158.	श्री जगदीश सिंह राणा	3961, 4036, 4065
159.	श्री निलेश नारायण राणे	3951
160.	श्री रायापति सांबासिवा राव	3922, 4013, 4126
161.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	3918, 3997
162.	श्री रामसिंह राठवा	3969, 4113
163.	डॉ. रत्ना डे	3978, 4017
164.	श्री अशोक कुमार रावत	3963, 4003, 4031, 4140
165.	श्री अर्जुन राय	4044
166.	श्री विष्णु पद राय	4122
167.	श्री रुद्र माधव राय	4076
168.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	3969, 4103, 4116
169.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	4013, 4117
170.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	3937, 4110, 4113
171.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	3923, 4027
172.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	3965, 4041, 4078, 4112
173.	श्री महेन्द्र कुमार राय	4112
174.	श्री एस. अलागिरी	3999
175.	श्री एस. सेम्मलई	4018
176.	श्री एस. पक्कीरप्पा	3952, 4123
177.	श्री एस. आर. जेयदुरई	3960, 4009
178.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	3971
179.	श्री विष्णु देव साय	4080, 4107

1	2	3
180.	श्री ए. संपत	4030
181.	श्रीमती सुशीला सरोज	4107
182.	श्री तूफानी सरोज	4064
183.	श्री हमदुल्लाह सईद	3938, 4130
184.	श्री अर्जुन चरण सेठी	4001
185.	श्री एम.आई. शानवास	4017
186.	श्रीमती जे. शांता	3913, 4060, 4127
187.	श्री जगदीश शर्मा	4005
188.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	4125
189.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	3929, 3980, 4061, 4117
190.	श्री राजू शेट्टी	3948, 4110
191.	श्री एंटो एंटोनी	4040, 4111
192.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	3957
193.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	3924
194.	डा. भोला सिंह	3967
195.	श्री भूपेन्द्र सिंह	3936, 4135
196.	श्री दुष्यंत सिंह	4085
197.	श्री गणेश सिंह	3968, 4101
198.	श्री इज्यराज सिंह	3999, 4007, 4108, 4113
199.	श्री जगदानंद सिंह	4033, 4123
200.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	4123
201.	श्री मुरारी लाला सिंह	3981
202.	श्री पशुपति नाथ सिंह	4068
203.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	4010

1	2	3
204.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	4074, 4099
205.	श्री राकेश सिंह	3951, 3992
206.	श्री रवनीत सिंह	3955
207.	श्री सुशील कुमार सिंह	4060
208.	श्री उदय सिंह	4086
209.	श्री धनंजय सिंह	4020
210.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	4026, 4078, 4110
211.	राजकुमारी रत्ना सिंह	4007
212.	डॉ. संजय सिंह	4047, 4113, 4114
213.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	3931, 4126
214.	डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	4051, 4091
215.	श्री मकनसिंह सोलंकी	3933
216.	श्री ई. जी. सुगावनम	3987, 4051
217.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	3977, 4106
218.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	3940, 4117, 4131
219.	श्री जगदीश ठाकोर	3989
220.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	3919, 4068, 4107, 4137
221.	श्री पी.टी. थॉमस	4053, 4089
222.	श्री मनोहर तिरकी	3943, 4102, 4112
223.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	4060, 4075, 4113

1	2	3
224.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	3920
225.	श्री जोसेफ टोप्पो	3947
226.	श्री लक्ष्मण टुडु	3916, 4010, 4119, 4121
227.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	3934, 4105
228.	श्री हर्षवर्धन	4109
229.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	3975, 4014
230.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	3950, 4138
231.	श्री सज्जन वर्मा	4011, 4024
232.	श्रीमती ऊषा वर्मा	4105
233.	श्री वीरेन्द्र कुमार	4029, 4088, 4112
234.	श्री अदगुरु विश्वनाथ	4090, 4117
235.	श्री पी. विश्वनाथन	3991
236.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	3990
237.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	4073
238.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	3976, 4060, 4108, 4114
239.	श्री धर्मेन्द्र यादव	3999, 4034
240.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	4078, 4115, 4116
241.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	4032
242.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	4022
243.	श्री मधुसूदन यादव	3979
244.	योगी आदित्यनाथ	4012

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	346, 349, 357, 358
रक्षा	:	344, 352, 354, 355
पर्यावरण और वन	:	342, 345, 347, 353, 360
श्रम और रोजगार	:	341, 348, 350
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	343, 351
पोत परिवहन	:	
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	359
इस्पात	:	
वस्त्र	:	356

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	3916, 3922, 3932, 3935, 3942, 3953, 3962, 3974, 3977, 3980, 3989, 3997, 4010, 4011, 4025, 4026, 4030, 4035, 4044, 4047, 4048, 4053, 4056, 4074, 4106, 4108, 4110, 4127
रक्षा	:	3911, 3923, 3927, 3928, 3930, 3939, 3943, 3945, 3950, 3976, 3978, 4003, 4005, 4014, 4017, 4020, 4024, 4037, 4042, 4064, 4065, 4068, 4070, 4071, 4078, 4082, 4085, 4091, 4096, 4097, 4099, 4100, 4114, 4125, 4134, 4139
पर्यावरण और वन	:	3913, 3914, 3919, 3924, 3925, 3933, 3934, 3937, 3954, 3957, 3961, 3964, 3966, 3971, 3972, 3973, 3986, 3987, 3991, 3994, 3995, 3996, 4002, 4007, 4009, 4016, 4018, 4019, 4027, 4032, 4033, 4036, 4039, 4045, 4046, 4049, 4061, 4063, 4067, 4077, 4088, 4090, 4101, 4102, 4104, 4105, 4107, 4111, 4116, 4118, 4119, 4123, 4124, 4128, 4129, 4136
श्रम और रोजगार	:	3917, 3938, 3952, 3963, 3965, 3967, 3981, 3998, 3999, 4000, 4001, 4031, 4034, 4038, 4057, 4066, 4079, 4092, 4093, 4109, 4115, 4121, 4130, 4135
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	3918, 3921, 3926, 3929, 3936, 3944, 3946, 3949, 3956, 3958, 3959, 3975, 3983, 3988, 3992, 3993, 4008, 4012, 4013, 4015, 4021, 4022, 4050, 4058, 4059, 4069, 4072, 4080, 4081, 4083, 4087, 4089, 4094, 4095, 4103, 4122, 4126, 4131, 4132, 4133, 4138.
पोत परिवहन	:	3951, 3960, 3969, 3970, 3984, 4006, 4040, 4041, 4062, 4076, 4086
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	3912, 3915, 3920, 3931, 3940, 3947, 3948, 3955, 3979, 3982, 3985, 4004, 4023, 4028, 4029, 4043, 4054, 4055, 4073, 4084, 4098, 4137, 4140
इस्पात	:	3941, 3968, 3990, 4052, 4075, 4120
वस्त्र	:	4051, 4060, 4112, 4113, 4117

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/21/18/2011 (एन.)

230

© 2011 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।